राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] तेरहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का बत्तीसवां दिवस [संख्या : 10

गुरुवार,

29 मार्च, 2012

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम।

धौलपुर जिले में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत व्यय राशि

157. **श्री सुखराम** (बसेड़ी): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में जिला धौलपुर में किन-किन योजनाओं के तहत कितनी-कितनी राशि के कार्य स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के निर्माण कार्य किस संवेदक/फर्म को दिये गये हैं? उक्त निर्माण कार्य कराने की निविदा कब आमंत्रित की गई और किस-किस संवेदक/फर्म ने निविदाएं प्रस्तुत कीं तथा उक्त निविदाओं में से किस संवेदक को ठेका दिया गया एवं निविदा प्रक्रिया के तहत क्या-क्या शर्तें व नियम रखे गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत कितनी राशि के निर्माण कार्य हुए? क्या संवेदक/फर्म ने भुगतान प्राप्त कर लिया? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिले में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से ग्राम स्वीकृत हैं और किन-किन ग्रामों में कार्य पूर्ण हो चुके हैं? पूर्ण व अपूर्ण कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त फर्म/संवेदक के विरुद्ध लापरवाही की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, (1) वर्तमान में जिला धौलपुर में निम्न कार्य स्वीकृत हैं:-

i. 10वीं योजना में स्वीकृत त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 162 ग्रामों का विद्युतीकरण एवं उनमें चयनित बी पी एल परिवारों को घरेलू कनेक्शन देने का कार्य, जिसकी स्वीकृत राशि रुपये 1546.33 लाख है;

ii. 11वीं योजना में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 131 गांवों का विद्युतीकरण कर चयनित बी पी एल परिवारों को घरेलू कनेक्शन देने का कार्य, जिसकी स्वीकृत राशि रुपये 1583.75 लाख है;

iii. धौलपुर व बाड़ी नगरपालिका क्षेत्र में ओवर हैड लाइनों को भूमिगत करने का कार्य जिसकी कार्यादेश राशि रुपये 5918.49 लाख है;

iv. आर ए पी डी आर पी पार्ट-ब के अन्तर्गत धौलपुर व बाड़ी नगर पालिका क्षेत्र में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण का कार्य, जिसकी स्वीकृत राशि रुपये 1264 लाख है;

v. ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना के अन्तर्गत 33 केवी के 35 सब-स्टेशन स्थापित करने का कार्य, जिसकी स्वीकृत राशि रुपये 6759 लाख है; एवं

vi. धौलपुर जिले में 132 केवी जी एस एस सरमथुरा व 132 केवी जी एस एस मनियां के नाम से दो योजनाएं स्वीकृत हैं। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्रमश: 1587.07 लाख रुपये व 1527.32 लाख रुपये है। उक्त योजनाओं की सूची मय स्वीकृत राशि, प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त जिले में 11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के विद्युतीकरण कार्य हेतु निविदा दिनांक 25.12.2007 को आमंत्रित कर दिनांक 20.02.2008 को निविदाकारों की उपस्थिति में खोली गई थी। इसमें 10 फर्मों ने भाग लिया जिनका विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है। निविदा में न्यूनतम दर होने पर कार्यादेश मैसर्स डी-कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिक प्रा.लि., कानपुर को दिनांक 02.05.2008 को दिये गये थे। कार्यादेश की शर्तों के अनुसार फर्म को आबंटित कार्य 18 माह (दिनांक 07.11.2009) तक पूरा करना था किन्तु फर्म को बार-बार प्रेरित करने के बावजूद असंतोषजनक प्रगति के कारण माह मार्च, 2011 में कार्यादेश निरस्त कर दिये गये। इसके बाद बकाया कार्य को पूर्ण करने हेतु पुन: निविदाएं दिनांक 07.04.2011 को आमंत्रित कर दिनांक 04.05.2011 को निविदाकारों की उपस्थिति में खोली गई

(डा. जितेन्द्र सिंह)

थीं। उक्त निविदा में दो फर्मों मैसर्स ईश्वर मेटल इंडस्ट्रीज, जयपुर एवं मैसर्स ए टू जेड, जयपुर ने भाग लिया था। न्यूनतम दर होने पर मैसर्स ईश्वर मेटल इंडस्ट्रीज, जयपुर को दिनांक 22.07.2011 को कार्यादेश दिये गये। निविदा की शर्त व नियमों की प्रति प्रपत्र 'स' पर उपलब्ध है।

(3) उक्त जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत मैसर्स डी-कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिक प्रा.लि., कानपुर को दिये गये कार्यादेशों की कुल राशि रुपये 1493.06 लाख जिसके सापेक्ष कुल रुपये 326.78 लाख का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, परन्तु अब तक कुल रुपये 274.00 लाख का भुगतान किया गया है।

(4) धौलपुर जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कुल 131 गांवों का विद्युतीकरण एवं 491 गांवों का सघन विद्युतीकरण होना स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष कुल 65 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिनका विवरण प्रपत्र 'द' पर उपलब्ध है।

(5) जी हां। मैसर्स डी-कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिक प्रा.लि., कानपुर द्वारा कार्य संपादन में लापरवाही एवं असंतोषजनक प्रगति पाये जाने पर विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता (पवस) एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्पोरेशन, नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक सहित अन्य अधिकारियों द्वारा समय-समय पर कार्य प्रगति की समीक्षा कर संवेदक को कार्य में गति लाने व कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। परन्तु संवेदक द्वारा असंतोषजनक कार्य संपादन एवं उसकी धीमी प्रगति को देखते हुए दिनांक 24.03.2011 को कार्य आदेश निरस्त करते हुए पत्र संख्या 54 दिनांक 08.04.2011 के द्वारा इस फर्म को ब्लैक-लिस्ट कर दिया गया एवं उसके सभी बकाया भुगतान रोकते हुए संविदा की शर्तों के अनुसार रुपये 70 लाख की बैंक गारंटी आपरेट कर राशि जब्त कर ली गई है एवं फर्म द्वारा क्रय किया हुआ शेष सामान निगम द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया है।

(सूची, विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि धौलपुर जिले में आर जी जी वी योजना के तहत जो कार्य हुए, उन कार्यों में मेरे विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में कार्य शुरू हुए या नहीं हुए? अगर कार्य शुरू हुए तो किस-किस गांव में शुरू हुए?

(श्री सुखराम)

प्रश्न संख्या दो, आपने खण्ड 1 में यह बताया है कि सरमथुरा और मनियां में 132 केवी जी एस एस हैं, वे स्वीकृत हैं। तो उनका कार्य कब तक पूरा हो जाएगा? क्या कार्य शुरू हुआ है या नहीं हुआ है? अगर शुरू नहीं हुआ है तो वह कार्य कब तक स्वीकृत हो जाएगा?

नम्बर तीन, दसवीं वित्त योजना में स्वीकृत त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं बी पी एल चयनित परिवारों में बसेड़ी में ऐसे कौन-कौन से गांव हैं और कितने परिवार हैं जिनमें इस योजना के तहत कनेक्शन दिया जाना शेष है?

नम्बर चार, 11वीं योजना में स्वीकृत आर जी जी वी योजना में बसेड़ी के कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना जरूरी है और कब तक वह कार्य पूरा हो जाएगा? दूसरी बात सदन को यह भी अवगत कराना चाहिए कि आर जी जी वी योजना के तहत डी-कंट्रोल कंपनी ने जो काम किया है, विशेषकर राजाखेड़ा, धौलपुर और बाड़ी में, उसके लिए मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं, क्या वह किया हुआ कार्य जनता के उपयोग में आ रहा है या नहीं? फिलहाल इनका जवाब दें।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बसेड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है, नम्बर एक उन्होंने अपने कार्य की डिटेल पूछी है, मैं बताना चाहूंगा कि बसेड़ी में डोमेस्टिक कनेक्शन 28.03.2012 तक 946 डिमांड नोट डिपोजिट किये गये, 372 के उसमें कनेक्शन रिलीज किये गये। यह 28.03.12 का रिकार्ड है। 132 के बारे में आपने पूछा है, 132 केवी के जी एस एस, जैसा कि मैंने अपने उत्तर में भी कहा कि आलरैडी उसके लिए पैसा स्वीकृत किया जा चुका है। आपके मनियां और बसेड़ी में 132 केवी के जी एस एस, उनके कार्य का एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम के अनुसार पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड, उसके अन्दर पहले जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, टेंडर आलरैडी फ्लोट हो चुके हैं, उसके लिए पैसा दे चुके हैं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि अर्लिएस्ट, क्योंकि आपका डांग क्षेत्र है और डांग के क्षेत्र में अर्लिएस्ट मैं प्रयास करूंगा कि 132 केवी जी एस एस का कार्य जो आपके स्वयं के विधान सभा क्षेत्र में है और राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य के क्षेत्र में मनियां है, उनका शीध्र कार्य पूर्ण करने के लिए मैं अपने अधिकारियों को इसके बारे में कहूंगा।

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आर जी जी वी योजना के तहत डी-कंट्रोल कंपनी को ठेका दिया गया था धौलपुर जिले का

(श्री सुखराम)

और उसने समय पर कार्य पूरा नहीं किया। इसके लिए सरकार ने तीन बार उसे एक्सटेंशन दिया, एक्सटेंशन देने के बाद भी उसका कार्य नहीं किया और कार्य जो किया, उसमें डी-कंट्रोल कम्पनी, प्लस ए.ईएन. और जो भी संबंधित अधिकारी हैं, उन्होंने वहां की जनता को बहुत बुरी तरह से लूटा क्योंकि वहां पर इस कंपनी के प्रावधानों के तहत एम.एस. अर्थिंग राड होती है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने परिवारों को कनेक्शन दिये और उन परिवारों में कितने परिवारों को एम.एस. राड आबंटित की गई? जो एम.एस. अर्थिंग राड है, उसके साथ-साथ जो सी एफ एल और बल्ब दिये जाते हैं, जो भी कनेक्शन दिया जाता है, ऐसे कितने परिवार हैं जिनको सी एफ एल बल्ब दिये गये? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें उस उपभोक्ता से वेरिफिकेशन कराया जाता है और वेरिफिकेशन होने के बाद ही उसका बिल उठाया जाता है। मैं समझता हूं कि धौलपुर जिले में एक भी उपभोक्ता ऐसा नहीं है जिससे अर्थिंग राड का और सी एफ एल का वेरिफिकेशन कराया गया हो। इसमें सिर्फ ए.ईएन. और ठेकेदार, दोनों मिलकर उस पर फर्जी साइन करते हैं और फर्जी साइन करके उसका बिल उठाते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो एम एस अर्थिंग राड है, उसमें कितना खर्चा आया और सी एफ एल बल्ब पर धौलपुर जिले में कितना खर्चा आया?

इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि तीन बार एक्स्टेंशन देने के बाद भी डी-कंट्रोल कम्पनी ने कार्य पूरा नहीं किया और अंततः सरकार ने आदेश निकालकर के 154 जो पत्र है, उसके द्वारा उसे ब्लैकलिस्ट किया। मैं मानता हूं कि कोई ठेकेदार अगर समय पर कार्य पूरा नहीं करता है तो उसके लिए ब्लैकलिस्ट करना दण्ड है परन्तु उसमें एक मात्र ठेकेदार ही जिम्मेदार नहीं है, उसके साथ-साथ ऐसे कौन-कौन से अधिकारी हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी तय की गई? अगर तय की गई तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? ऐसे कौन-कौन से अधिकारी हैं जो इसमें सम्मिलित थे? दूसरा क्वेश्चन है कि क्या मंत्री महोदय ऐसे दोषी अधिकारियों को दण्ड देने का या उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखते हैं? यदि हां, तो कब तक?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बसेड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है, मैसर्स डी-कंट्रोल का वर्क जब अनसेटिस्फैक्टरी था तो गवर्नमेंट ने उनका जो पेमेंट था उसको रोक लिया, उसकी जो 70 लाख की बैंक गारंटी थी उसको सीज कर लिया, उसके सामान को सीज कर लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि मैसर्स डी-कंट्रोल के विरुद्ध अभी पुलिस में इर्रेग्यूलेरिटीज के अगेंस्ट में कार्यवाही चल रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके अन्दर किसी भी आफिसर का इन्वाल्वमेंट हुआ तो सरकार सख्ती से उसके ऊपर एक्शन लेगी। जबकि हमने आलरैडी इतना करने के बावजूद उसको ब्लैकलिस्ट और आउट करके दूसरे को दिया है। So I assure you, Sir, कि जो भी अधिकारी इसके अन्दर दोषी पाये गये, मोस्टली तो he was responsible जिसकी अपनी मैसर्स डी-कंट्रोल कम्पनी थी। उसको ब्लैकलिस्ट करके आउट कर दिया है और री-टेंडर कर दिया गया है। उसके अलावा अगर किसी आफिसर की, आपको बताना चाहूंगा कि धौलपुर में जो वर्क था, निश्चित रूप से उसकी प्रोग्रेस जितनी होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई और हमने अलग से उसके लिए एक एस.ई. और एक एक्स.ईएन. को लगा दिया है ताकि जो आपके रेसिड्यू वर्क्स हैं, वे समय पर कम्पलीट हों। I assure you, Sir.

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री सुखराम (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि 2008 में इसी योजना के तहत जिस समय कार्य चल रहा था, उस समय बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में 12 लोग मरे थे। क्योंकि ठेकेदार ने उनको जुबानी कह दिया और जुबानी कहने से वे ट्रैक्टर में पोल लादकर ले जा रहे थे, उस ट्रैक्टर के पलटने से 12 आदमियों की मौत हुई। अध्यक्ष महोदय, उन 12 आदमियों की मौत होने के बावजूद भी जो बिजली विभाग है, उस बिजली विभाग ने उनके ऊपर एफ आई आर दर्ज कराई। इतना होने के बाद उस ठेकेदार के विरुद्ध 307 का केस चलना चाहिए क्योंकि उसी ने आदेश दिया था। मैं मानता हूं कि लिखित में आदेश नहीं था परन्तु कोई भी सामान्य इन्सान बिना ठेकेदार की सहमति के बिजली का कोई सामान नहीं उठा सकता। वहां जो 12 लोगों की मौत हुई, तो क्या ठेकेदार के विरुद्ध 302 का केस दर्ज करने का विचार रखते हैं?

दूसरी बात यह है कि...

श्री अध्यक्ष: आपकी दूसरी बात पूरी होती ही नहीं है, हर बार दूसरी बात आती है। सात प्रश्न पूछ चुके हो आप।

श्री सुखराम (बसेड़ी): धौलपुर का हूं, साहब, तो दूसरी बात ही रहती है। अगर एक ही पूरी नहीं हो तो दूसरी तो फिर कहां से होगी?

मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि बसेड़ी है, उसमें आर जी जी वाई के तहत कितने ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जाना प्रस्तावित था और उनमें से कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है तथा कितने शेष हैं? दूसरा, बसेड़ी में कृषि और घरेलू कनेक्शन कितने हैं और कितने अभी दिये जा सकते हैं तथा वे कब तक दिये जाएंगे?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर के कनेक्शन के बारे में सम्भवत: धौलपुर राजस्थान में सबसे बेस्ट पोजिशन में है और मैं आपको डिटेल्स देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बसेड़ी में Total demand notes were deposited 31, total connection released 30; सिर्फ एक बचा है वे भी डिस्प्यूटेड है। मैं और बता देता हूं कि धौलपुर में टोटल 192 कनेक्शन एग्रीकल्चर के थे और उनमें से 188 कर दिये हैं; बाड़ी में 116 डिमांड नोट एग्रीकल्चर के थे उनमें से 113 करा दिये गये हैं, लास्ट राजाखेड़ा में 105 एग्रीकल्चर डिमांड नोट थे जिनमें से 85 कर दिये। टोटल 444 एग्रीकल्चर कनेक्शन में से 416 को एग्रीकल्चर कनेक्शन दिये जा चुके हैं और बाकी डिस्प्यूटेड हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, यह बतायें कि यह मैसर्स डी-कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिक प्रा.लि., कानपुर है, उसको आपने वर्क आदेश दिया 2.5.08 को और काम का कम्पलीशन था 7.11.2009 को, फिर आपने निरस्त 3/11 को किया। यह जो लगभग पौने दो साल है, जो काम समाप्त होना था, वह नहीं हुआ और उसके बाद आपने उसको दो साल की अवधि और दे दी। आपने टोटल उसको कितना रुपया रिलीज कर दिया और उसके अगेंस्ट में आपने जो 70 लाख रुपया उससे जब्त किया, तो एक्चुअल में उसको आपने इश्यू कितना किया और उसके अगेंस्ट में अब तक सरकार को कितने पैसे की भरपाई हो गई? इसके अन्दर जो डिले हुआ तो क्या आपके अधिकारियों की लापरवाही के कारण से पौने दो साल बरबाद नहीं हुए, इसके खिलाफ कार्यवाही करने में?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य बहुत सीनियर सदस्य हैं, हाउस में अनेकों बार मंत्री बने हैं, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि आलरैडी मैंने अपने प्रश्न में स्पष्टीकरण दिया है कि 2008 में उसको हमने आर्डर दिया था और उसकी परफार्मेंस अप-टू-द-मार्क नहीं थी और अप-टू-द-मार्क नहीं होने के कारण दो साल तक उसको समय-समय पर डायरेक्शन दिये गये। हमारे गवर्नमेंट आफ इंडिया के आफिसर्स भी आये थे, हमारे स्टेट के अपने आफिसर्स भी थे। उसके कार्य पूर्ण नहीं करने की वजह से अल्टीमेटली जैसा कि मैं बताना चाहूंगा टोटल 1493 का टोटल वर्क था जो धौलपुर जिले में उसको आर जी जी वाई में था but he couldn't complete, उसने जो वर्क कम्पलीट किया, वह 326 लाख का किया और उसमें से हमने उसको 274 लाख का पेमेंट किया। बाकी उसकी परफार्मेंस, जैसा कि मैंने कहा, because his work was unsatisfactory, इस वजह से उसके खिलाफ आलरैडी पुलिस में केस दर्ज है और जो ईर्रेग्यूलरिटीज हैं, बसेड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने दुर्घटना का भी जिक्र किया है, मैं इसको एग्जामिन कराता हूं. It is a serious matter और मैं इसको एग्जामिन कराकर जो भी रिलीफ दे सका, it's an old matter, लेकिन फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसमें उस वक्त जो भी ईर्रेग्यूलेरिटीज हुई या दुर्घटना में मौतें हुई, यह बहुत ही संवेदनशील मामला है, मैं इसकी जांच कराऊंगा और जो भी रिलीफ दे सकता हूं, देना चाहूंगा।

इसके अलावा उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा, इसमें राज्य सरकार को कोई घाटा नहीं था क्योंकि हमने 326 के जो कार्य किये, उसके अगेंस्ट में we have paid him only 274 lakhs. और उसके अलावा हमने उसकी 70 लाख बैंक गारंटी थी और जो सामान था we have seized that.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): जो सेकंड कार्यादेश दिया, उसकी रेट में और जो पहले की रेट थी, उसमें कितना बड़ा अन्तर आ गया जिसके कारण से राज्य को उसका नुकसान भुगतना पड़ा? पहला जो वर्क आर्डर 2008 में दिया, उस समय आपकी क्या रेट थी? और जब वापस 2011 में दुबारा रिवाइज्ड टेंडर करके दिया तो क्या रेट थी? इन दोनों की रेट का जो अन्तर आया, वह अन्तर क्या राजस्थान सरकार पर भार नहीं था? यदि था तो जिन अधिकारियों को समय पर अपनी कार्यवाही शुरू करनी चाहिए थी, उन्होंने उसमें विलम्ब किया, उसके कारण से हुआ। आपने जो कुछ दिया, वह तो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपने कैप्चर कर लिया लेकिन जो रेट अधिक आने के कारण से राज्य सरकार को नुकसान हुआ, उसके लिए भी तो अधिकारी जिम्मेदार हैं।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्वयं जानते हैं कि जितना उसका टोटल वर्क डन था, उस टोटल वर्क डन से हमने उसका आलरैडी जितना उसका कार्य किया हुआ था, उसके अगेंस्ट में भी उसका बचा हुआ पैसा सीज किया और सीज करने के अलावा उसको हमने ब्लैकलिस्ट किया। वह मैं आपको बताना चाहूंगा। जो आप डिफरेंस आफ मनी की बात कर रहे हैं...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): दोनों की रेट का अंतर बता दो।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, ऐसा है, कोई भी वर्क डिले होता है, तो टेंडर फ्लोट किया है...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): थोड़ा बहुत रेट का अंतर आएगा तो समझ में आ सकता है पर अगर रेट पहले वाला जो वर्क आर्डर है और दूसरा वर्क आर्डर है, उसमें बहुत बड़ी रेट का अंतर है तो निश्चित रूप से इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रेट में डिफरेंशिएशन छह प्रतिशत का है और मैं इसको एग्जामिन करवा लूंगा और जैसा कि उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, the difference in the re-tender i.e. between first tender & second tender is 6%. मैं इसको एग्जामिन अधिकारियों से करवा लूंगा। Because his amount is already with us, it will be adjusted by that.

श्री अध्यक्ष: कर्नल सोनाराम।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, यह राजीव गांधी विद्युतीकरण स्कीम है, यह तो बहुत अच्छी है, भारत सरकार ने पैसा दिया है और बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है। खास तौर से मैं बाड़मेर की बात करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न धौलपुर से सम्बन्धित है। धौलपुर जिले की बात पर मैं बाड़मेर जिले के आपके सवाल का जवाब देने के लिए मंत्रीजी को बाध्य नहीं कर पाऊंगा।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मैं सवाल पर आ रहा हूं। मैं सवाल पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं मंत्रीजी को जवाब के लिए बाध्य नहीं कर पाऊंगा, माननीय सदस्य। धौलपुर से सम्बन्धित है प्रश्न।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): मैं एक मिनट में बात कह रहा हूं। 209 करोड़ रुपये मिले हैं, वहां की जो एजेंसी है...

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय सदस्य, यह धौलपुर का मामला है, हम लोग बैठे हुए हैं। धौलपुर वालों को बोलने दिया जाये, अध्यक्ष महोदय। यह बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। आप लोगों के यहां तो पेट्रोल मिला है, खनिज मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। (व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): आप मुझे बोलने दीजिये। भारत सरकार की एजेंसी है, वह भारत सरकार की एजेंसी है, उसकी वजह से टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनका है। तो हो क्या रहा है कि वे जो काम कर रहे हैं, वहां के एस.ई. और एक्स.ईएन. की कोई सुनता नहीं है। तो मेरा सवाल यह है, मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, मैंने मुख्य मंत्रीजी के साथ में भी यह सवाल उठाया था, उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, यह तो एजेंसी वहां की है तो क्या राज्य सरकार, मुख्य मंत्री या मुख्य सचिव वहां बात करके कहें कि जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, वह भारत सरकार की होने की बजाय राजस्थान सरकार के अडर हो ताकि उनकी एकाउंटेबिलिटी हो। वहां आज की तारीख में अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, करप्शन भी चल रहा है। एस.ई. आते हैं वहां जिला परिषद में, एस.ई. कहते हैं कि मैं क्या करूं, यह तो दिल्ली से आर्डर आता है, वह सुनते ही नहीं हैं। पंचायत समिति में ही हो रहा है। पैसा तो आया है, काम हो रहा है, पर उसमें बहुत घपला है। इसलिए मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, मैंने सतर्कता समिति से बात की थी, उन्होंने कहा कि आप तो सरकार को लिखें, आप हमको लिखें कि वह एजेंसी काम ठीक नहीं कर रही है, हम उसके लिए यहां से कुछ करेंगे। आपका जो यह विद्युत निगम है, काफी काम्पीटेंट आफिसर्स हैं, चीफ इंजीनियर बैठे हैं, बहुत अधिकारी बैठे हैं तो क्या ये एंश्योर करेंगे कि आगे जो भी काम आ रहे हैं, वे काम भारत सरकार की एजेंसी से होने की बजाय अपने इंजीनियर से होना चाहिए? यह मेरा सवाल है।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): यह पैसा तो भारत सरकार ने ही दिया है, आप ऐसे थोड़े ही करा लोगे। पैसा भारत सरकार ने ही दिया है। (व्यवधान)

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): यह उपक्रम भारत सरकार का ही है।

श्री सुखराम (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय, ठेकेदार और अधिकारियों ने मिलकर इतना बड़ा घोटाला इसमें किया है, एम.एस.अर्थिंग राड और सी.एफ.एल. बल्ब में, क्या इनकी भी जांच करायेंगे मंत्री महोदय?

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट प्रश्न, श्री बाबूसिंह राठौड़।

शेरगढ़ (जोधपुर) में खादी ग्रामोद्योग इकाइयों को देय अनुदान/ सहायता

158. **श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़): क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा खादी व अन्य ग्रामोद्योग इकाइयों को किस-किस प्रकार की सहायता स्वीकृत की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला जोधपुर में वर्ष 2009 से 2011 तक कितनी इकाइयों/ व्यक्तियों को कितनी-कितनी सहायता राशि प्रदान की गई? तहसील व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) तहसील शेरगढ़ में वर्ष 2009 से 2011 तक किन-किन इकाइयों/ व्यक्तियों से किस-किस प्रकार की कितनी-कितनी सहायता/अनुदान हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा उक्त में से किन-किनको कितनी-कितनी सहायता/अनुदान राशि का भुगतान किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) तहसील शेरगढ़ में वर्तमान में किन-किन इकाइयों/व्यक्तियों को सहायता/अनुदान दिये जाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं और विचाराधीन प्रस्तावों पर कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग (श्री बाबूलाल नागर): (1) 1. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के आयोजना बजट वर्ष 2011-12 के अध्यधीन लघु खादी परियोजना के अन्तर्गत संस्था/समितियों को लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है।

2. राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2011-12 में खादी संस्थाओं को खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 108 दिवसों में रिबेट देने का

(श्री बाबूलाल नागर)

प्रावधान किया गया है, जिसके तहत सूती एवं ऊनी खादी पर 10 प्रतिशत एवं रेशमी खादी, पोली वस्त्र, पोलीवूल पर पांच प्रतिशत का प्रावधान किया हुआ है।

3. खादी ग्रामोद्योग इकाइयों, संस्था/समितियों, व्यक्तिगत को एक ग्रामोद्योग क्लस्टर के लिए भी राज्य में अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

4. खादी बोर्ड द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से बेरोजगार युवक-युवतियों को आवासीय एवं गैर-आवासीय दो माह का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा खादी कतिनों को एक माह का कताई प्रशिक्षण दिया जाता है।

5. भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत रोजगार के नये अवसर प्रदान करने का कार्यक्रम है। आबंटित लक्ष्यों को उद्योग विभाग, खादी बोर्ड एवं खादी आयोग द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

(2) वर्ष 2009 से 2011 तक जोधपुर जिले में खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केन्द्र के द्वारा वर्षवार पंचायत समितिवार उपलब्ध कराये गये अनुदान का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2009 से 2011 तक तहसील शेरगढ़ से सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) खादी बोर्ड एवं खादी आयोग में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उद्योग विभाग का एक प्रकरण मार्जिन मनी रुपये 35,000/- यूको बैंक, शेरगढ़, जोधपुर में श्री राजेन्द्र पुत्र श्री इन्द्रचन्द सोनी, निवासी क्षेत्रवा का स्वीकृति के लिए विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि खनिज विभाग द्वारा हाथ से कार्य करने वाले, उन्हें क्वारी लाइसेंस दिया जाता है। क्या उनको अनुदान या ऋण दिलवाने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों? पहला। दूसरा, जिलेवार आपने कितने...

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): आप दुबारा बोलिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): खनिज विभाग द्वारा हाथ से काम करने वालों को क्वारी लाइसेंस दिया जाता है और हाथ और औजारों से वे पत्थर

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

निकालकर हैंडिक्राफ्ट का काम करते हैं। तो उनको आप अनुदान और ऋण दिलवाने का विचार रखते हैं या नहीं? यदि हां, तो कब तक। तो नहीं तो क्यों?

दूसरा, जिलेवार आपने बजट कितना आबंटित किया और आबंटित बजट के अनुसार स्वीकृतियां जारी हो गयीं। उसके बाद भी योग्य पंजीयन बकाया हैं, उनको आप ऋण और अनुदान दिलवाने का विचार रखते हैं या नहीं?

तीसरा, आपके बोर्ड द्वारा ऋण/अनुदान योग्य पाये जाने पर पंजीयन होकर बैंक में जाते हैं और बैंक उनको रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट किये गये आवेदनों को आप अनुदान सरकार के माध्यम से या ऋण दिलवाने का विचार रखते हैं या नहीं? इन तीनों प्रश्नों का आप जवाब दें।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, खनिज विभाग के सम्बन्ध में जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है, इसका मैं परीक्षण करवा लूंगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम या खादी ग्रामोद्योग की किसी योजना में इसको शामिल किया है या नहीं किया है। इसका मैं परीक्षण करवाकर वस्तुस्थिति से माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिलेवार लक्ष्य के सम्बन्ध में जानकारी चाही है। वैसे भारत सरकार द्वारा इस योजना का नोडल विभाग खादी ग्रामोद्योग आयोग को बनाया गया है, आयोग भारत सरकार का विभाग है और इसमें राज्य स्तर पर लक्ष्य भारत सरकार द्वारा दिये जाते हैं। इसके बाद खादी ग्रामोद्योग आयोग अपने स्तर पर उनके नियम-कानून के तहत उद्योग विभाग को, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को और खादी ग्रामोद्योग आयोग को..., भारत सरकार का यह प्रावधान है कि 40 प्रतिशत, जो भी लक्ष्य तय करे, 40 प्रतिशत जिला उद्योग केन्द्र को दें, 30 प्रतिशत खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को दें और 30 प्रतिशत खादी ग्रामोद्योग आयोग को दें।

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने जो चाहा है, वह मैंने इनको उपलब्ध करवाया है। जिलावाइज, इनके जोधपुर जिले का तो मैंने इनको परिशिष्ट में उपलब्ध करवाया है और अगर राज्यवाइज माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो राज्यवाइज भी मैं बता सकता हूं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जिले का ही बता दो कि आबंटन से ज्यादा उन आवेदकों को अनुदान देंगे या नहीं देंगे, वह बता दो।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें निवेदन किया कि तीन अलग-अलग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग और जिला उद्योग केन्द्र, तीनों को अलग-अलग लक्ष्य दिये हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, उसमें उनको खादी ग्रामोद्योग आयोग को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत समाचार पत्रों में विज्ञापन देना पड़ता है। जो भी अभ्यर्थी है, उसको आवेदन करना पड़ता है, उसके बाद ही जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, उस समिति में टास्क फोर्स जिला स्तर पर वह सलेक्शन कमेटी है, सलेक्शन कमेटी में करने के बाद में उस, जो भी जिला कमेटी या जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिनका चयन किया जाता है, उनको सम्बन्धित बैंक को भेज दिया जाता है। बैंक के अपने नियम-प्रक्रिया हैं। बैंक केवल भारत सरकार और खादी ग्रामोद्योग आयोग को अनुदान देता है। बैंक जिसको स्वीकृत कर देता है, वह अनुदान का पार्ट सम्बन्धित बैंक को दे दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन स्वीकृति का जो कानून-कायदा है, वह बैंक का अपने स्तर का है।

मैं यह मानता हूं, अध्यक्ष महोदय, जितने लक्ष्य राज्य सरकार को दिये गये हैं, उतने लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाये हैं। उसमें कुछ तीन विभाग, चाहे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड हो, चाहे खादी ग्रामोद्योग आयोग हो और चाहे जिला उद्योग केन्द्र हो, तीनों ही लक्ष्य को पूरा अर्जित नहीं कर पाये हैं।

इसके अलावा उसमें जो सबसे बड़ी समस्या है, वह बैंक में आ रही है। मैंने पिछले दिनों भी मीटिंग रखी थी बैंक के अधिकारियों की और बैंक के अधिकारियों के साथ दो बार मैंने इसमें मीटिंग रखी है। मैंने उनको डाइरेक्शंस भी दिये हैं। इसके बाद कुछ प्रोग्रेस हुई है।

अध्यक्ष महोदय, यह 31 मार्च, 2012 तक इनकी जो योजना है, यह 24.10.2008 को शुरु हुई, अनुमोदन हुआ, 2008 के अंतिम माह के आसपास इसकी क्रियान्विति शुरु हुई और 31 मार्च, 2012 तक इसकी क्रियान्विति होनी है। अब मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, तीन-चार दिनों में...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अब, अध्यक्ष महोदय, यह स्पेसिफिक क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दें।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): इस वर्ष की समीक्षा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद भारत सरकार ने फिर कोई इसमें संशोधन करते हुए योजना प्रस्तावित की है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास देता हूं कि मेरी ओर से, सरकार की ओर से, विभाग की ओर से जो भी आपकी कोई समस्याएं हैं, उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। यह विश्वास देता हूं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह स्पेसिफिक क्वेश्चन है, भाजपा शासन में क्वारी लाइसेंस को, लघु कुटीर उद्योग मान करके अनुदान दिया है और आपने उनको सबको निरस्त कर दिया, एक। निरस्त कर दिया आपने। दूसरा, मुख्य मंत्रीजी ने बजट में चार करोड़ की घोषणा की, जिलेवार बजट आबंटन हो गया और बजट आबंटन के बाद में शेष रहे आवेदन, जो आपके योग्य हैं, उनको आपने निरस्त कर दिया, वही हम कह रहे हैं कि आपके लक्ष्य ही पूरे नहीं हो रहे हैं और आवेदन आप निरस्त कर रहे हैं। उसके बारे में मैंने पूछा। खास तौर से, आप योग्य मानते हैं, पंजीयन करने के बाद बैंक में भेजते हैं, बैंक रिजेक्ट कर देता है। तो मैंने यह कहा कि आप वह अनुदान राज्य स्तर पर सीधा उनको देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें? तीनों का जवाब आपने असत्य दिया, एक।

तीन क्वेश्चन मेरे और हैं। क्या यह सही है कि स्टेट प्लान योजना, ग्रामीण युवा स्वरोजगार योजना, विधवा-परित्यक्ता स्वरोजगार योजना, खादी विकास कोष पुनर्जीविकरण योजना, शरमसर अंजाम योजना बंद हैं? यदि हां, तो सरकार इन्हें शुरू करने का विचार रखती है या नहीं? ये बंद कर दी आपने, इनको आप शुरू करने का विचार रखते हैं या नहीं? एक, सरकारी विभागों में खादी की सामग्री जो सप्लाई होती है, उस पर आपने छूट बंद कर दी, वह छूट आप जारी रखना चाहते हैं या नहीं?

दूसरा आपने जो बताया है कि जो केन्द्रीय आयोग है आपका खादी आयोग, उद्योग आयोग, उसके रीजनल कार्यालय बीकानेर में और जयपुर में हैं, बीकानेर में और जयपुर में।, उनमें अनियमितताएं और भ्रष्टाचार की शिकायतें हुई हैं। अब कार्यकारी एजेंसी यहां खादी बोर्ड हमारी है। तो क्या आप अपने माध्यम से ही सारा करना चाहते हैं या रीजनल कार्यालयों में कब जाकर वहां

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

आवेदन करेंगे और कैसे उनका समाधान होगा? यह स्पष्टीकरण कीजिये न। स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं, उनका जवाब दीजिये आप।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा जयपुर और बीकानेर ग्रामोद्योग आयोग के संबंध में, इस प्रश्न के माध्यम से मुझे जो जानकारी मिली, कुछ योजनाएं हैं जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित, खादी बोर्ड द्वारा अध्यक्ष महोदय, जो संचालित हैं, उनके लिए मैंने विभाग के प्रमुख शासन सचिव को कल ही निर्देश दिये हैं कि जो राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं, जो स्वीकृतियां हुई हैं, इन तमाम की मुख्यालय स्तर पर, सचिवालय स्तर पर अधिकारियों की और उद्योग विभाग के अधिकारियों की संयुक्त कमेटी बनाकर उनकी जांच करें और जांच करने के बाद यह सुनिश्चित ता करें कि मापदण्ड के अनुसार, नियमों के अनुसार ये स्वीकृतियां हुई हैं, तब उनका किसी तरह का भी कोई भुगतान है, उसका किया जाय।

दूसरी बात, आपने कहा, कुछ योजनाएं बंद हो गई हैं, अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की योजनाएं हैं, फिर इसके बारे में भारत सरकार से ही...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): स्टेट प्लान की, स्टेट प्लान की।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): अध्यक्ष महोदय, स्टेट प्लान के लिए 2011-12 में जो स्वीकृति हुई थी, वह तो, अध्यक्ष महोदय, हम उसकी क्रियान्विति कर रहे हैं। इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा प्लान आयेगा, प्लान आने के बाद इसको भिजवायेंगे और इसके बाद स्वीकृति मिल जायेगी तो, अध्यक्ष महोदय, चर्चा करेंगे, विभाग द्वारा परीक्षण करायेंगे और जिसकी स्वीकृति मिलेगी, उसकी क्रियान्विति कर देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्री महोदय, इसका मतलब क्या यह सही है कि आपके राज्य मद में से स्वीकृत परियोजनाओं में से एक भी योजना बंद नहीं हुई है?

श्री अध्यक्ष: आपको मैंने परमिशन दी है क्या? आपको परमिशन दी है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने दी थी न।

श्री अध्यक्ष: ऐसे ही खड़े हो। कब दी मैंने परमिशन? आपने मुझसे पूछा ही नहीं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, स्टेट प्लान की योजनाएं कौन सी बंद हैं, इनकी जानकारी में नहीं है, वही मैं पूछ रहा हूं, स्टेट प्लान की योजना कौन सी आपने बंद कर दी, अब उनको शुरू रखने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं? कोई एक भी नहीं, बैंक में सारे फार्म आपके रिजेक्ट हो रहे हैं और गरीब की बात कर रहे हैं।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): मैंने आपका सारा जवाब दिया है, आराम से पूछ लो आप।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): गरीब विरोधी हो। गरीब विरोधी हो। एक भी फार्म सैंक्शन नहीं हो रहा है, और सारे जवाब दिये। बैंक में सारे फार्म आपके रिजेक्ट हो रहे हैं।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): अध्यक्ष महोदय, शेरगढ़ तहसील में तीन विभाग, मैंने निवेदन किया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में तीन विभाग काम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुनिये, उत्तर सुनिये।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): केवल उद्योग विभाग द्वारा भेजा हुआ, आपके शेरगढ़ तहसील में उद्योग विभाग द्वारा भेजा हुआ बैंक में एक आवेदन है जिसका अभी निस्तारण नहीं हुआ है। मैं आपको विश्वास देता हूं कि मेरे विभाग के द्वारा उद्योग विभाग को अनुरोध करूंगा, दो आवेदन तो उनके पास ऐसे हैं जो उद्योग विभाग के पास पड़े हैं...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, क्वारी लाइसेंस सब निरस्त कर दिये।

श्री अध्यक्ष: आप सुनिये पहले।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): उद्योग विभाग को मैं अनुरोध करूंगा कि उनका जल्दी से निस्तारण करें। उनको मीटिंग बुलाकर बैंक को भेजना, अगर योग्य पाये जाते हैं तो बैंक में भेजें। एक आवेदन आपका ऐसा है, आपके शेरगढ़ तहसील का जो बैंक में विचाराधीन है। अब अध्यक्ष महोदय, उसकी स्वीकृति, नई स्वीकृति, वह बैंक को करना है लेकिन बैंक को हम विभाग की तरफ से रिमाइंडर भिजवायेंगे कि जो भी करना है, इसमें स्वीकृति करनी है या निरस्त करना है लेकिन इसको विचाराधीन जो रखा है, इसका तत्काल निस्तारण करें।

श्री अध्यक्ष: क्या पूछ रहे थे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि राज्य मद के अन्दर जो योजनाएं स्वीकृत हैं, आपने कहा कि वे सारी की सारी योजनाएं यों की यों बजट के अनुसार हमने लागू कर रखी है, क्या यह सही नहीं है कि इनमें से कई योजनाएं, स्वीकृत योजनाएं आपने बंद कर रखी हैं? पिछली सरकार के समय में जो स्वीकृत योजनाएं थीं, वे बन्द की। आप हां और ना में उत्तर दे दें।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह प्रश्न जोधपुर और शेरगढ़...

श्री अध्यक्ष: आप बाध्य नहीं हैं हां-ना के लिए, आप बाध्य नहीं हो हां -ना के लिए, आप विस्तृत भी दे सकते हैं।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग): जो राज्य सरकार द्वारा जो स्वीकृत योजनाएं हैं हमने राजस्थान में एक भी योजना को बंद नहीं कर रखा है। जितनी भी योजनाएं स्वीकृत हैं सबकी क्रियान्विति हो रही है, यह मैं आपको, माननीय सदस्य को जानकारी देना चाह रहा हूं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): पांच योजनाएं बंद की, पांच।

प्रश्न संख्या-159

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न स्थगित हुआ है, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। प्रश्न स्थगित करना आपका अधिकार है और आपका निर्णय....

श्री अध्यक्ष: मैं आपको, मैं आपको, आसन पांवों पर है, मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): मैं मेरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। आपके प्रश्न को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूछा गया था लेकिन उसके बाद इसका उत्तर दिलवाना है स्वायत्त शासन विभाग से, नगरीय विकास से। इसलिए इसको पोस्टपोन किया गया है। और अगला, क्योंकि आज नगरीय विकास का टर्न नहीं था, जब भी अगला टर्न नगरीय विकास का आयेगा, उसमें आपके प्रश्न को इसी क्रम में लिया जायेगा। (व्यवधान) कृपया विराजें। नहीं, कृपया विराजें। कृपया आप विराजें।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मेरी विनती...

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें। कृपया आप विराजें। चर्चा नहीं होगी। नेक्स्ट टर्न पर आपका आ रहा है। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। कृपया आप विराज जायें, अंकित नहीं होगा।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। अंकित नहीं हो रहा।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): xxx

श्री अध्यक्ष: भाषण का विषय नहीं है, अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है, भाषण का विषय नहीं है यह।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह सदन है, अखाड़ा नहीं है। आपको आसन ने अनुमति दी नहीं है, बोले जा रहे हैं कुछ भी। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): xxx

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): xxx

श्री अध्यक्ष: इन दोनों माननीय सदस्यों का एक भी शब्द अंकित नहीं होगा।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): xxx

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आसन पर आरोप लगा रहे हैं माननीय। इसीलिए इनकी जगह तो बाहर ही ठीक है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): xxx

श्री अध्यक्ष: मेरे ख्याल से आपके कुछ भी समझ में नहीं आया जो मैंने बोला है। कुछ भी समझ में नहीं आया जो बोला है मैंने।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): वह तो पगड़ी के अन्दर है समझ, समझ तो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: फिर फायदा क्या था आपका? और कुछ बाकी है? और कुछ बाकी है? श्री ज्ञानदेव आहूजा। एक भी शब्द अंकित नहीं होगा। श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): xxx

अलवर के घाट कैनाल का पुनरुद्धार प्रकरण

160. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर में घाट कैनाल निर्माण कार्य के दौरान हजारों वृक्षों को काटकर अवैध रूप से बेचान किया गया है? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में सरकार द्वारा क्या जांच कराकर कोई कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि घाट कैनाल में निर्माण कार्य के दौरान कैनाल की निचली सतह पर बजरी का भण्डार मिला है? क्या कैनाल के निर्माण कार्य के दौरान मिले बजरी के इस भण्डार को अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से ठेका जारी कर विक्रय किया गया है? यदि हां, तो अवैध रूप से निजी लाभ हेतु जारी किये गये इस ठेके से राजस्व की कितनी हानि हुई है? क्या सरकार उक्त प्रकरण में जांच करवाकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि घाट कैनाल पुनरुद्धार हेतु बनाया गया तखमीना कैनाल की वर्तमान परिस्थितियों एवं भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निष्फल कार्य की श्रेणी में है? क्या सरकार इस संबंध में मौका निरीक्षण एवं भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करवाकर तखमीने में बदलाव करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) जी नहीं। इस आशय की जिला कलक्टर, अलवर के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसकी दो सहायक अभियंताओं की टीम गठित कर जांच कराई गई। जांच में घाट पिकअप वीअर के पुनरुद्धार हेतु कराये गये निर्माण कार्य के दौरान चार सूखे पेड़ों को (कीकर के) नहर से हटवाकर विभाग की निगरानी में सुरक्षित रखवा दिया गया है जिनकी नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही विचाराधीन है। जांच रिपोर्ट की प्रति प्रपत्र-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। घाट पिकअप वीयर पुनरुद्धार हेतु बनाया गया तखमीना जल संसाधन विभाग की अन्वेषण रूपांकन एवं अनुसंधान इकाई द्वारा स्वीकृत डिजाइन

(श्री हेमाराम चौधरी)

एवं ड्राइंग तथा मौका निरीक्षण एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ही तैयार किया गया है। इस स्वीकृत तखमीने में बदलाव का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय द्वारा जो उत्तर दिया गया है, वह 100 प्रतिशत गलत है, सही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो शिकायत गांववासियों ने दी और गांववासियों ने कलक्टर साहब को लिखकर के दिया, कलक्टर साहब ने एक ए.ईएन. की दूसरे ए.ईएन. से जांच करवाई। क्या यह उचित है? मेरी आपसे यह मांग है मंत्री महोदय, सदन में कि आप इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं?

दूसरा, इसमें जो पेड़ काटे गए हैं, चार कीकर के सूखे पेड़ बताये गए हैं, लगभग 1200 शीशम के, वहां सागवान भी हुआ पानी के कारण, पीपल के, नीम के और जीरे के लगभग 1200 पेड़ काटे गए हैं। क्या इसकी उच्च स्तरीय आप जांच करवाएंगे या नहीं? इसके बारे में आप जवाब दें।

खण्ड-2 के बारे में यह कहा है कि कोई बजरी नहीं निकाली गई है, न उसका कोई ठेका छोड़ा गया है। यह बजरी हरियाणा में बनने वाली सड़कों के लिए वहां से गई है। लगभग ढाई सौ से तीन सौ ट्रक, एक दो नहीं, दस, बीस, पचास, सौ नहीं, ढाई सौ से तीन सौ ट्रक बजरी वहां से निकली है। क्योंकि यह लगभग चार सौ पांच सौ वर्ष से घाट कैनाल का जो बीहड़ था लगभग वह बीस साल से बंद था। ढाई सौ से तीन सौ ट्रक बजरी निकाली गई है, जे.ईएन. व ए.ईएन. के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा जो हरियाणा को भेजी गई है। क्या आप इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे?

खण्ड-3 ने आपने उत्तर दिया है कि इसका जो तखमीना है भौगोलिक आधार, वैज्ञानिक आधार पर किया गया है, बिलकुल ठीक है। इसके बारे में जो उत्तर आपको दिया है वह आपके अधिकारियों ने आपको किस ढंग से मिस-गाइड किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि ग्रामवासियों की अपील पर कोर्ट से स्टे है। यह आपकी जानकारी में है क्या, वह कोर्ट से स्टे किस आधार पर है? वह भी, माननीय मंत्री महोदय, आप सुन लें। कोर्ट द्वारा कार्य में अनियमितता एवं लापरवाही के कारण स्टे लगाया गया है, नम्बर एक। नम्बर दो, अवैध रूप से वृक्ष काटे जाने एवं प्रकृति के संरक्षण

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

के कारण स्टे दिया गया है। तीसरा, घाट कैनाल प्रकरण की बड़ी संख्या में ग्रामवासियों द्वारा ज्ञापन व निवेदन किया गया। जिसकी जांच कलक्टर ने करवाई, लेकिन ए ईएन की जांच, ए ईएन करें, यह कहां न्यायोचित है? अध्यक्ष महोदय, यह कोर्ट का स्टे है और कोर्ट के स्टे की अधिकारियों ने जानकारी मंत्री महोदय को नहीं दी है। अत: सदन को भ्रमित नहीं करें, सदन को किसी प्रकार से मिस-गाइड नहीं करें, यह आपसे निवेदन है। आप पुन: इसकी जांच करायें और उच्च स्तरीय जांच करवायें, बजरी की भी, पेड़ों की भी और भौगोलिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, बिलकुल गलत तरीके से तखमीना कराया गया है।

इतना ही नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बैरियर बन रहा है, जिस पर लगभग 1300 करोड़ से ऊपर लग रहा है, आधी जमीन उसकी एक व्यक्तिगत खातेदारी जमीन है। यह व्यक्तिगत खातेदारी जमीन को भी इस तखमीने में ले लिया।

ये चार अनियमितताएं हैं, आप कृपा करके सदन में यह घोषणा करें, मेरी यह अपेक्षा है। एक सज्जन मंत्री हैं आप, मैं आपकी बड़ाई करता हूं, आप न्याय के लिए दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। उच्च स्तरीय जांच करवायें, यही मेरा आपसे निवेदन है। मैं इसमें ज्यादा आपको उलझाना नहीं चाहता, आप इसके बारे में बतायें यह कोर्ट का स्टे है यह है कि नहीं है, जरा आपके अधिकारियों से पूछ लें।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहले इस विधान सभा में कई बार इसकी स्वीकृति के लिए प्रश्न उठाये, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी आपने लगाया। उसके बाद में इसकी स्वीकृति 15 करोड़ 2 लाख की जारी की गई 2008 और 2011 में और उसके बाद में इसका टेंडर किया गया और ठेकेदार को ठेका दिया गया। आपके इन प्रयासों से यह स्वीकृति हुई और उसके बाद में आप कह रहे हो कि ये लोग कोर्ट में चले गए, स्टे ले लिया। हालांकि स्टे की मुझे जानकारी नहीं है पर यह जन हित का काम है। इसलिए आपने इस मामले को विधान सभा में कई बार उठाया प्रश्न के माध्यम से और ध्यान आकर्षण के माध्यम से। तब जाकर के 15 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई, काम शुरू किया गया।

कुछ लोगों ने कलक्टर को इसकी शिकायत जरूर की पेड़ों के बारे में, उसकी जांच दो सहायक अभियंताओं की एक कमेटी बनाकर के करवाई गई।

(श्री हेमाराम चौधरी)

उसमें यह चार पेड़ों का मामला सामने आया है। अब आपका यह कहना है कि वह जांच सही नहीं हुई है, तो आप जिस स्तर के अधिकारी से, जिससे भी आप बता दें उससे भी जांच करवाने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): इर्रिगेशन के कम से कम एडिशनल चीफ इंजीनियर और ए डी एम फर्स्ट, अलवर को आप नियुक्त कर दें तो जांच सही मायने में हो जाएगी क्योंकि इसमें इतनी धांधली हुई है। मैं आपको बता रहा हूं लगातार इस घाट कैनाल के लिए हम चिंतित रहे, ढाई सौ गांवों को पानी पीने के लिए और सिंचाई के लिए मिलेगा। यह घाट कैनाल का बैरियर इतना महत्वपूर्ण है और मैं आपको एक निवेदन और करना चाहता हूं कि अलवर में एक दुर्भाग्य है, हालांकि मैं तो आपको पत्र नहीं लिखता हूं लेकिन हमारे बनवारी लालजी सिंघल विधायक महोदय बहुत पत्र लिखते हैं। वहां जब भी ऐसे कार्यक्रमों का उद्घाटन होता है, मैं प्रशंसा करूंगा माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी की और माननीय बृज किशोरजी की, शिक्षा मंत्रीजी की कि इनका कोई कार्यक्रम का उदघाटन होता है तो हमें सूचना मिलती है।

श्री अध्यक्ष: इस बात से क्या संबंध है इस प्रश्न का? कोई प्रश्न है क्या?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैं वहां का क्षेत्रीय विधायक हूं, उद्घाटन हुआ तब भी मुझे नहीं बुलाया गया। वहां नेम प्लेट पर हमारा नाम लिखा जाए या नहीं लिखा जाए, यह शिकायत हेमसिंहजी को भी है, बनवारीलालजी को भी है और रामहेतजी को भी है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ...(व्यवधान) पार्टी के विधायकों को उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता। यह सरासर अन्याय हो रहा है। जन-प्रतिनिधियों को बुलाने की परम्परा समाप्त हो गई। बुलाया नहीं जाता है। अलवर ज़िले में तो सिस्टम ही नहीं है। जन-प्रतिनिधियों को बुलाने का सिस्टम समाप्त कर दिया इस कांग्रेस ने। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): जन-प्रतिनिधियों का अपमान हुआ है। लेकिन इसकी जांच आप एडिशनल चीफ, ए डी एम साहब से करवा दें, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: यह घाट कैनाल का प्रश्न है अलवर जिले का, आप कहां खड़े हो गए बीच में? किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): xxx

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): xxx

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): xxx

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी इसकी जांच की घोषणा कर रहे हैं। आप कृपा करके इसकी उच्च स्तरीय जांच एडिशनल चीफ और ए डी एम अलवर से करा दें तो सही मायने में ...और जांच के समय जिन गांववासियों ने शिकायत की है और साथ में जन-प्रतिनिधित के नाते से मुझे भी बुलाया जाए, हम से भी उस बारे में क्वेरीज की जाएं, यही मेरा निवेदन है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): ए डी एम, अलवर से जांच करवा ली जाएगी।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, जवाब दे रहे हैं, आप सुनिए, जवाब दे रहे हैं।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): xxx

श्री अध्यक्ष: ये जवाब मुंह से ही दे रहे हैं, आप बिराज जाओ।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): xxx

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): ए डी एम, अलवर से जांच करवा ली जाएगी, शिकायतकर्ताओं को सुना जाएगा, आपको भी सुना जाएगा।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप एडिशनल चीफ या एस ई, जयपुर से ए डी एम के साथ इर्रिगेशन के किसी बड़े अधिकारी को भी आप भेजें। इर्रिगेशन का कोई बड़ा अधिकारी, कम से कम एडिशनल चीफ या कम से कम एसई, ए डी एम के साथ जांच करें। क्योंकि इर्रिगेशन का तो तखमीना आपने बनाया है...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): xxx

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): इर्रिगेशन के जिस अधिकारी के लिए आप कहोगे, उसको साथ लगा देंगे। उसको जांच में साथ लगा देंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ठीक है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। श्री रमेश चन्द्र मीणा।

करौली एवं सवाई माधोपुर जिलों में प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय राशि

161. श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): क्या आपदा प्रबंधन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रमेश चन्द मीणा)

(1) राज्य सरकार को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के संदर्भ में केन्द्र से सहायता राशि किन-किन मदों एवं किन-किन योजनाओं के तहत उपलब्ध होती है? वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 तक कितनी-कितनी राशि किस -किस मद में प्राप्त हुई?

(2) केन्द्र सरकार से प्राप्त उक्त राशि जिला करौली एवं सवाई माधोपुर में किन-किन आपदाओं के संदर्भ में कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य के लिए व्यय की गई/सहायता उपलब्ध कराई गई? जिलेवार राशि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): xxx

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): xxx

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): xxx

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा किसी सदस्य का। अंकित नहीं होगा।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): xxx

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): xxx

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): xxx

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): xxx

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): xxx

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): xxx

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, अलाउ कर रहे हैं न?

श्री अध्यक्ष: कहिये, क्या कहना है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है; अकारण ही किसी माननीय मंत्री पर खड़े होकर माननीय सदस्य कह दें +++ यह बिलकुल उचित नहीं है। इस प्रकार की बात उनको नहीं करनी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष: फिर उनसे क्षमा मंगाइये। उनसे निवेदन करिये आप कि क्षमा मांगें। आप उनसे निवेदन करिये कि वे खड़े होकर क्षमा मांगें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं कहा, अगर आपको इतनी तकलीफ है तो हेमसिंहजी भी ...।

श्री अध्यक्ष: तकलीफ मुझे नहीं है, सभी को, सारे सदन को है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुझे खुद को है, मैंने कह दिया न।

श्री अध्यक्ष: आपको स्वयं को तकलीफ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं समझता हूं कि मेरे कहने के बाद में इस बात को समाप्त कर देना चाहिए, फिर भी अगर आसन की आज्ञा है तो अपने शब्द वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष: हां, ठीक रहेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, ले लो। ले लो खड़े होकर।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) मेरी सुन तो लो आप। मैं अगर गलत हुआ ...(व्यवधान) आप सुनो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन सुन लो उसके बाद अगर मेरी गलती हुई तो अपने शब्द वापस ले लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है।

मैं यह कह रहा था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के अन्दर माननीय बृजकिशोरजी, मंत्रीजी की खान है और उस खान में मेरे क्षेत्र का एक श्रमिक दब कर मर गया। उसकी पूरी अखबारबाजी हुई है। उसमें गैरकानूनी इस तरह के आबंटन हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: अपने कहे हुए वक्तव्य पर आप क्षमा मांग रहे हैं या भाषण दे रहे हैं?

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): मेरे वक्तव्य से अगर...

श्री अध्यक्ष: मैं भाषण के लिए अलाउ नहीं करूंगा।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): हां, वहीं आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं भाषण के लिए अलाउ नहीं करूंगा। अंकित नहीं होगा।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य। मैं कतई अब अलाउ नहीं करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): xxx

श्री अध्यक्ष: इस तरह से सदन नहीं चला पाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): xxx

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): xxx

श्री अध्यक्ष: आप विराज जाओ। विराजो आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्यामजी तिवाड़ी। प्लीज, प्लीज; कृपया विराजें। मैंने केवल श्री घनश्यामजी तिवाड़ी को अलाउ किया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, बिना कहे मैंने खड़े होकर कह दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है।

श्री अध्यक्ष: जब एक बात हो गयी, आप उनसे कहेंगे कि वे क्षमा मांग लें? इसमें कहां पर...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, मैं बोल रहा हूं न। बोल तो रहा हूं न। माननीय सदस्य ने अपने शब्द वापस ले लिये, फिर भी अगर आपको संतोष...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्षमा मांगने से कोई आदमी छोटा नहीं होता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ...(व्यवधान) तो क्या होता है?

श्री अध्यक्ष: क्षमा मांगने से कोई आदमी छोटा नहीं होता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो क्षमा मांग रहे हैं। मैं मांग रहा हूं न।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): xxx

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: हो गया, चलिये। मंत्रीजी। जब उप नेता महोदय ने क्षमा मांग ली है सदन में ...(व्यवधान) कृपया विराजें। नहीं। कृपया विराजें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): xxx

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): xxx

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। चलिये मंत्रीजी, हां जवाब दें। प्रकरण समाप्त करें।

राज्य मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) राज्य सरकार को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के संदर्भ में भारत सरकार से सहायता राशि आपदा राहत निधि/राज्य आपदा मोचन निधि एवं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत प्राप्त होती है। भारत सरकार से वर्ष 2009-10 में आपदा राहत निधि में 378.90 करोड़ व राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि में 115.12 करोड़ तथा

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)
वर्ष 2010-11 में राज्य आपदा मोचन निधि में 225.25 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार की हिस्सा राशि के रूप में प्राप्त हुई है।

(2) भारत सरकार से प्राप्त राशि में राज्य सरकार की हिस्सा राशि (25%) शामिल किये जाने के उपरांत जिलों को बजट आबंटित किया जाता है। जिला करौली एवं सवाई माधोपुर में वर्ष 2009-10 व 1010-11 में आपदाओं के सन्दर्भ में कार्यवार व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाह रहा हूं कि क्या यह सही है कि आसमान से बिजली गिरने से मृत व्यक्ति, एक दिनांक 8 अगस्त, 2010 को बी पी एल परिवार का मुखिया पन्ना बैरवा पुत्र चिरंजी बैरवा निवासी सिंगनिया, तहसील टोडाभीम, जिला करौली और दूसरा जगदीश मीणा, ग्राम लाहवत,

(12.00 बजे)

तहसील नादौती, जिला करौली को पोस्टमार्टम आदि औपचारिकता के बावजूद आज तक कोई सहायता नहीं दी गई, जबकि आपदा राहत के 40 लाख रुपये वर्ष 2010-11 में रोड बनाने के काम में लिये गये। दूसरा, क्या यह सही है कि तहसील टोडाभीम के भंडार ग्राम में 22.5.11 को अग्नि से जिनके घर नष्ट हो गये, जिनका लाखों का नुकसान हो गया, ऐसे 24 घरों को भयंकर अग्नि कांड के बावजूद केवल 3-3 हजार रुपये दिये गये और अप्रैल 2010 में प्यारेलाल मीणा, खुडा चयनपुर, तहसील नादौती, जिला करौली को आज तक कोई सहायता नहीं मिली?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना): अध्यक्ष महोदय, जिन दो व्यक्तियों का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, अगर वे नार्म्स में आते हैं और अभी तक उनको सहायता नहीं मिली है, तो उनको सहायता दिलवा दी जायेगी। आपने जो 24 घरों के बारे में फरमाया है कि 3-3 हजार रुपये की उनको सहायता मिली है, आपदा निधि के हमारे जो नार्म्स हैं, उसमें सहायता फिक्स कर रखी है, उसी के तहत, अध्यक्ष महोदय, उनको सहायता दी गई है।

श्री अध्यक्ष: केवल एक पूरक प्रश्न आप पूछ सकते हैं।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब नुकसान लाखों से ऊपर का हो और अत्यन्त निर्धन परिवार जिनका सब कुछ स्वाहा हो गया हो, उनको तीन-तीन हजार रुपये दिये गये हैं, दूसरी तरफ सड़क निर्माण कार्य में और दूसरे कामों में लाखों-करोड़ों रुपये खर्च कर दिये गये हों; क्या माननीय मंत्री महोदय इसको पुनरीक्षण करके सम्पूर्ण राजस्थान में इस प्रकार के जो केस बनते हैं, जबकि सरप्लस अपने पास उपलब्ध है, जो अग्नि पीड़ित बिजली गिरने से अथवा दूसरी आपदाओं के कारण जहां-जहां मृत केसेज होते हैं, करौली, सवाई माधोपुर, राजस्थान, ऐसे नार्म्स बनाने की क्या सरकार मंशा रखती है? और इस बारे में आप क्या क्या करेंगे?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना): माननीय सदस्य अगर कोई पर्टिकुलर बात मेरे ध्यान में लायेंगे तो निश्चित रूप से उस पर सकारात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री ज्ञान चन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली शहर में हाउसिंग बोर्ड से लेकर नये बस स्टैण्ड तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिये सात सौ केबिनें एवं थड़ियों को हटा देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

2. श्री शिवजीराम मीणा एवं एक अन्य सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में संचालित क्षेत्रीय पेयजल योजनाओं का सही संधारण नहीं करके एवं जल स्रोत को सूखा बताकर बंद करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

3. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) की उप-तहसील उच्चैन को तहसील बनाये जाने के संबंध में।

4. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्या की ओर से रामगंजमण्डी, कोटा के मण्डी यार्ड को बड़ा करने के लिये अधिगृहीत भूमि का कब्जा नहीं लेने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

5. श्री कालीचरण सराफ सदस्य, की ओर से जयपुर शहर के रिहायशी इलाकों में निजी क्षेत्र में छात्रावासों के खोले जाने से वहां के निवासियों को हो रही परेशानी के संबंध में।

6. श्री पवन दुग्गल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से जिला गंगानगर में वर्ष 2008 में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना (नरेगा) में सिंचाई हेतु निर्माणाधीन डिग्गियों का कार्य अधूरा पड़ा होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. श्री राधेश्याम गंगानगर एवं एक अन्य सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर में सीवरेज एवं ओवरब्रिज के निर्माण की गत बजट में घोषणा होने के उपरान्त भी कार्य सम्पन्न नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

8. डा. फूलचन्द भिण्डा एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से जयपुर जिले के विराटनगर, कोटपूतली, शाहपुरा, जमवारामगढ़ एवं आमेर में पिछले एक माह में दुधारू पशुओं के असाध्य रोग के कारण मर जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

9. श्री पेमाराम सदस्य, की ओर से सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, सीकर के अध्यक्ष द्वारा फर्जी यात्राएं दिखाकर गाड़ी किराया, डीजल एवं यात्रा भत्ता के नाम से राशि उठाने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे भी माननीय सदस्य श्री कालीचरण सराफ एवं श्री पेमाराम अन्य विषय पर आज पर्ची के माध्यम से अपने विचार प्रकट करेंगे।

10. श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत मुंगाणा, पंचायत समिति धरियावद, जिला प्रतापगढ़ की आबादी भूमि आराजी 1142 को कुछ लोगों द्वारा कूटरचित फर्जी पट्टों द्वारा विक्रय कर करोड़ों का लाभ प्राप्त करने के संबंध में।

11. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से पंचायत समिति बाली, देसूरी व रानी के लगभग 225 गांवों को जंवाई पाइप लाइन पेयजल योजना से जोड़ने के संबंध में।

12. श्री अशोक डोगरा एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से रामगढ़ अभयारण्य वन्य जीव सीमा क्षेत्र बूंदी में गैर-वानिकी कार्य निषेध किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

13. श्री राजेन्द्र राठौड, सदस्य की ओर से राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आबंटित किये जाने वाले केरोसीन तेल की कालाबाजारी होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री पुष्पेन्द्र सिंह, श्री अशोक डोगरा एवं श्री राजेन्द्र राठौड को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंजमंडी की चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने के संबंध में।

2. श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से राज्य में दलित व महिला उत्पीड़न की घटनाओं में लगातार वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह, सदस्या की ओर से जिला हनुमानगढ़ की अचयनित ढाणियों को चयनित कराने एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मार्गदर्शिका में उक्त ढाणियों का विद्युतीकरण कराना अनुमत करने के संबंध में।

4. श्री नवलकिशोर मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।

5. श्री गणेश सिंह परमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ की तहसील कुम्भलगढ़ का सेटलमेंट सर्वे करवाये जाने के संबंध में।

6. श्री बंशीधर खण्डेला, सदस्य की ओर से राज्य में कृषि पर्यवेक्षकों एवं सहायक कृषि अधिकारियों की वेतन विसंगति को दूर करने के संबंध में।

7. कर्नल सोनाराम चौधरी, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में हो रही अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

8. श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण/मरम्मत कराने हेतु बजट आबंटित करने के संबंध में।

9. श्री बाबूलाल बैरवा, सदस्य की ओर से खेड़ली (अलवर) क्षेत्र में चोरी एवं शराब तस्करी की घटनाओं में वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

10. श्री शाले मोहम्मद, सदस्य की ओर से पोकरण में मेन कैनाल की आरडी 1331 पर 8 डी ओ एल मोगे का पुन: निर्माण शीघ्र कराने के संबंध में।

11. श्री जीवाराम चौधरी, सदस्य की ओर से जिला जालौर की तहसील सांचोर के ग्राम दाता की ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष व व्यवस्थापक द्वारा कथित गबन करने के संबंध में।

12. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम को अधिक मजबूती प्रदान करने हेतु आयोग में पर्याप्त सदस्य एवं स्टाफ नियुक्त करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

मुंगाणा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति धरियावद जिला प्रतापगढ़ की आबादी भूमि का कूटरचित पट्टों द्वारा विक्रय

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, ग्राम मुंगाणा तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़ के एक प्रकरण को लेकर वहां के ग्रामवासियों ने 1991 से लेकर आज 2012 तक जितने भी दरवाजे हो सकते हैं न्याय प्राप्त करने के, वे सारे दरवाजे खटखटा लिये और उनमें उनको न्याय भी प्राप्त हुआ। लेकिन दुर्भाग्य यह देखिये कि गांव के लोग अपने स्वयं के पैसे इकट्ठे कर के गांव की बेशकीमती जमीन जो करोड़ों की जमीन है, सरपंच का पद समाप्त होने के बाद पुरानी प्रोसीडिंग्स में लिख कर दे देता है और उसको लेकर गांव के लोग 1991 से लेकर 1995 तक कलक्टर के पास गये। कलक्टर ने 1995 में अपना आदेश दे दिया कि इन पट्टों को निरस्त किया

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जाता है और उसका वापस कब्जा दे दिया जाता है। यह कलेक्टर का आदेश है 1995 का, मुंगाणा की आराजी नम्बर 1142 रकबा 7 बीघा से अप्रार्थी को बेदखल कर भूमि को राज हित में अधिग्रहित करने के आदेश दिये जाते हैं। यह कलक्टर का 1995 का आदेश प्राप्त हो गया और कलेक्टर के इस आदेश के प्राप्त होने के बाद तहसीलदार धरियावद ने जमीन को कब्जे में लेकर पंचायत को वापस सुपुर्द कर दिया। सुपुर्दगी नामे पर मौजूद गण की उपस्थिति में कागज बनकर वह सुपुर्द हो गया। उसके बाद....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया अपनी सीटों पर बैठें। माननीय सदस्य, कृपया अपनी सीटों पर बैठें। कृपया अपनी सीटों पर जाकर बैठें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, 1995 में कलक्टर ने उसको निरस्त करके तहसीलदार के द्वारा मौके पर भेजकर उस सारी जमीन को निरस्त करके गांव की पंचायत को वापस सुपुर्द कर दिया। लेकिन जैसे ही 1998 में सरकार बदली, कलक्टर के उस फैसले को मंत्री ने वापस रद्द कर दिया और उस जमीन के पट्टे जो निःशुल्क दिये थे, उनको बहाल कर दिया। वहां के लोग इसके खिलाफ हाई कोर्ट गये और हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने 2.5.2000 को इस पर टेम्परेरी स्टे प्राप्त कर लिया, हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का आदेश मेरे पास है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं कि गांव के लोग अपनी गांव की सम्पत्ति को बचाने के लिये जो-जो तरीके हो सकते हैं, अपना स्वयं का पैसा इकट्ठा करके मुकदमा लड़ा, हाई कोर्ट गये और हाई कोर्ट ने 2.5.2000 को इस पर टेम्परेरी स्थगन दे दिया और उसके 12.2.2008 को इस पर एक परमानेंट स्टे मिल गया, जिसकी कापी मेरे पास है। इस फैसले के बाद नायब तहसीलदार ने इस जमीन को वापस सुपुर्द कर दिया और पटवारी को भेजकर वापस उसको बेदखल किया। उसके बाद 2010 में उसने फिर कब्जा करने का प्रयास किया, फिर प्रशासन ने उस कब्जे को निरस्त करने का प्रयास किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इसलिए दिलाना चाहता हूं क्योंकि यह सारी कार्यवाही आन रिकार्ड तहसीलदार ने सब कुछ कर रखी है लेकिन उसी तहसीलदार ने 1.11.2011 को चारों पट्टों की रजिस्ट्री कर दी, जिसकी रजिस्ट्री की कापी मेरे पास उपलब्ध है। उसी तहसीलदार ने जिसने यह सारा काम किया, उसी ने वापस इस पर अपनी रजिस्ट्री कर दी।

श्री अध्यक्ष: कृपया राजस्व मंत्रीजी का ध्यान चाहूंगा। राजस्व मंत्री जी, राजस्व मंत्रीजी, राजस्व मंत्रीजी कृपया ध्यान दीजिए इधर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): जब यह सारा रिकार्ड से निरस्त कर दिया, उसके बाद भी 1.11.2011 को उस तहसीलदार ने उन चारों पट्टों की फिर से रजिस्ट्री कर दी। जब हाई कोर्ट का स्टे है उस जमीन के ऊपर, कलेक्टर के आदेश से उसको खाली कराया, 2010 में तहसीलदार ने वापस स्वयं जाकर मौके पर वापस गांव को कब्जा दिलाया और मौतबिरान के दस्तखत का उसका पर्चा इसके अन्दर उपलब्ध है, उसके बाद भी आपका तहसीलदार 1.11.11 को उन चारों ही प्लाटों की रजिस्ट्री कर देता है जिसको इस सारे केस की जानकारी है। उसके बाद उन्होंने आकर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया। अब ये गांव के लोग उसके खिलाफ चार महीने, 11वां महीना 11वां साल, ये जो चार महीने निकले हैं गांव वाले कलक्टर से लेकर, एस डी ओ से लेकर, जहां-जहां जा सकते हैं, सम्भागीय आयुक्त के पास चले गये, सरकार को रिप्रजेंटेशन दिया- यह कौनसी अंधेरगर्दी है। जब कोर्ट का फैसला है; एक नहीं चार-चार निर्णय गांव वालों के पक्ष में हैं, ये पट्टे फर्जी ढंग से दिये गये हैं; और जब सरपंच अपने पद से हट गया, उसके बाद पुरानी प्रोसीडिंग्स में लिखकर किया और सभी लेवल पर उसको खारिज कर दिया गया। उसके बाद भी अगर, मंत्री महोदय गांव को न्याय नहीं मिलता है तो फिर कहां जाएं?

विषय बहुत छोटा हो सकता है लेकिन ऐसे मौके की जमीनें गांव की पंचायत के लिए करोड़ों रुपये की आय की साधन हैं उसको कुछ लोग फ्री पट्टों में ही और उसमें से 2001 का एक पट्टा इश्यू हो गया। इस पूरे प्रकरण को मंगाओ और जो आदेश आपके कोर्ट के तहत हुए पड़े हैं, जिनके तहत इस जमीन को खाली कराया गया था, उसके बाद गांव के लोग और कौनसी जगह है जहां जाकर अपना निवेदन करेंगे। मैं सोचता हूं चार महीनों से इतनी बार, कलक्टर प्रतापगढ़ है उसके पास चले गये, एसडीओ के पास चले गये, हमारे पास कई रिप्रजेंटेशन आ गये, सारे के सारे डाक्यूमेंट अगर आप चाहो, ये सारे डाक्यूमेंट जहां-जहां से भी हाईकोर्ट का 2008 से परमानेंट इसका स्टे लगा हुआ है उस तहसीलदार ने जब इस जमीन पर 2010 में कब्जा करने का प्रयास किया तो तहसीलदार ने स्वयं अपनी टीम भेजकर उसको हटाया और हटाने के बाद तस्दीक करके गांव के लोगों की मौजूदगी में जब उसे सुपुर्द करके आया

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तो वही तहसीलदार नवम्बर,2011 में अपने यहां चारों की रजिस्ट्री कर देता है। वह तहसीलदार सज़ा के लायक है कि नहीं है?

(12.12 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

अगर इसके बाद भी इस प्रकार से सरकारी, पंचायतों की जमीन पर कुछ लोग मिलकर करोड़ों की सम्पत्ति को कौड़ियों में हड़प करना चाहें तो उसके खिलाफ गांव के लोगों की लड़ने की तो एक सीमा है, इससे आगे तो नहीं। जब कोर्ट ने भी उनके पक्ष में फैसला कर रखा है तो मैं चाहता हूं, मंत्री महोदय इस पर तुरन्त एक्शन करें और जो कोर्ट का फैसला आपके पास है, उसका रिकार्ड मंगाकर, देखकर उनको तुरन्त न्याय दें। यही मैं आपसे अपील करता हूं।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आबादी भूमि का मामला है, आबादी भूमि से पंचायत की अनुमति का है, इसलिए पंचायत राज मंत्रीजी का मामला है वैसे तो। रहा सवाल तहसीलदार का, तहसीलदार का तो इसमें रजिस्ट्री करने का रोल है। उसको रजिस्ट्री करनी चाहिये या नहीं करनी चाहिये, जब उसको ध्यान था, फैसला पंचायत के पक्ष में हो गया और उसके बावजूद भी उसने रजिस्ट्री की, तो रजिस्ट्री में उसने अनियमितता बरती है या रजिस्ट्री करने में कोई भी मिलीभगत है तो उसकी आप चाहो, उससे मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं। जहां तक आबादी भूमि के पट्टों का है वह तो पचांयत राज विभाग का मामला है। क्योंकि रेवेन्यू की लैंड हो वह तो हमारे क्षेत्राधिकार में है और आबादी की भूमि पंचायत राज विभाग के अधिकार में है। तहसीलदार के बारे में, आप जिससे कहें, उससे जांच करा देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): पंचायती राज मंत्रीजी, जैसे इन्होंने अपनी बात को कहा, कारण यह है कि नियमों के तहत सबको चलना पड़ेगा। जब हाई कोर्ट का उनके पक्ष में फैसला है, उसके बाद भी इसकी रजिस्ट्री इनके तहसीलदार ने कर दी तो कम से कम आप उस तहसील के सारे रिकार्ड रुकाकर, जो उनकी जमीन है, गांव की जमीन है, करोड़ों रुपये की है, बाजार के बीचों-बीच है, 7 बिस्वा जमीन है, उसको आप तुरन्त रुकवाइये और तुरन्त एक्शन करिये। इसके बारे में बताइये।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): सभापति महोदय, माननीय उदयपुर से आने वाले सदस्य साहेबान ने आबादी भूमि के ऊपर अवैध कब्जे के संबंध में अपनी बात कही है, यह दोनों विभागों से मिलीजुली शिकायत है। जैसे हमारे मंत्रीजी ने अपनी बात कही, मैं भी यही बात कहूंगा कि यदि सही में इस आबादी भूमि की कीमती जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है, एक तरह से धन्धा कर रहा है तो उसको अविलम्ब दिखवाएंगे और जो दोषी होगा, उसके खिलाफ हम सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ये सारे जो डाक्यूमेंट हैं, वह मैं आपका दे देता हूं।

श्री सभापति: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): किस स्तर के अधिकारी से करवानी है, उससे करवा देंगे। जिस अधिकारी से, आप जिस स्तर के अधिकारी से जांच करवाना चाहो, इसकी जांच उससे करवा देंगे।

श्री सभापति: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आप मुझे दे दें कि उससे करवा दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आपको ठीक लगे, उससे करवाओ। हमें कोई....

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): कलक्टर स्तर के से करवानी हो तो कलक्टर से करवा दें?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): कलक्टर से...

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): कलक्टर से जांच करवा देंगे इसकी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ठीक है।

बाली, देसूरी व रानी पंचायत समिति के गांवों को जवाई पाइप लाइन योजना से जोड़ा जाना

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पाली जिले की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, तत्कालीन सरकार के द्वारा जवाई पाइप लाइन योजना जिसके तहत 531 गांव और लगभग 9 कस्बे जुड़ने वाले थे। 2007-08 के बजट भाषण में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने इस योजना की घोषणा की और उसी वर्ष 634 करोड़ की योजना

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

में 200 करोड़ रुपये फाइनेंस करके जवाई से पाली और पाली से सोजत की जो मेन मुख्य पाइप लाइन है, उसको स्वीकृत किया। बड़े दुःख की बात है कि पिछले पांच साल से यह योजना चल रही है और इस सरकार के आने के बाद यह योजना ऐसी हो गई जैसे कोई, मुझे लगता है यहां हमारे पाली के जितने भी माननीय सदस्य हैं, यह पानी जैतारण, मारवाड़, रायपुर, सोजत, पाली, सुमेरपुर, बाली पंचायत समिति के 9 गांव मिलकर लगभग 531 गांव इससे जोड़े जाएंगे, अभी हमारे मुख्य मंत्रीजी ने 111 गांव जोड़ने की बात इस बजट में रखी है, मैं यह पूछना चाहूंगा कि ये 531 गांव, पिछले पांच साल पुरानी यह योजना है, कब तक आप यह काम पूरा करेंगे? आज हालत यह है कि बाली विधान सभा क्षेत्र जिसमें देसूरी पंचायत समिति के लगभग 70 गांव हैं और बाली पंचायत समिति के लगभग 113 गांव हैं उनमें से मात्र 9 गांव बाली पंचायत समिति के लिये गये हैं, देसूरी पंचायत समिति का एक गांव भी नहीं लिया गया। अभी आपने इस योजना को बढ़ाकर 30 गांव और जोड़े हैं पाइप लाइन योजना के तहत।

बाली विधान सभा क्षेत्र में, मैं समझता हूं कि पूरे राजस्थान में अगर कोई आबादी वाला क्षेत्र है तो बाली विधान सभा जहां लगभग ढाई लाख से ज्यादा मतदाता और साढ़े तीन लाख से ज्यादा लोग निवास करते हैं। पानी की हालत यह है कि बड़े गांव, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे नाना है, बेड़ा है, चांदबेरी है, मुण्डारा, सेवाड़ी, बिजापुर, बिसलपुर, धानेराव, नालनेई, जिनकी आबादी 10 हजार से ज्यादा है आज भी गर्मी के समय में वहां पानी नहीं होने के कारण सरकार प्रत्येक गांव में 50 से 100 टैंकर पानी डालकर उस योजना को चला रही है, हजारों करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं और बाली पंचायत समिति, देसूरी पंचायत समिति, रानी पंचायत समिति के 225 गांवों को इस योजना के तहत इनको बाहर रखा गया है। मैं यही बताना चाहूंगा कि जब यह पानी जैतारण और रायपुर, 200-250 किलोमीटर आपकी यह पाइप लाइन योजना तय करके रायपुर और जैतारण के गांव तक पहुंच सकती है तो मैं समझता हूं कि बाली विधान सभा क्षेत्र मात्र 50-60 किलोमीटर और देसूरी पंचायत समिति और रानी पंचायत समिति मात्र 60-70 किलोमीटर तक इस पाइप लाइन योजना के तहत पानी पहुंच सकता है।

इस क्षेत्र में भूजल स्तर इतना नीचे चला गया है, फ्लोराइड की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहां के आम आदमी को पानी की बहुत परेशानी हो रही है। नाड़ोल जैसे बड़े कस्बे में मात्र एक गुआड़ा बांध है, उसके तहत

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

आपके नालई गांव, नाड़ोल गांव, देसूरी, घाणेराव, एक मात्र बांध के नीचे जो कुएं खोदे हुए हैं उसके तहत पानी उपलब्ध हो रहा है और गर्मियों के समय उस बांध के नीचे जो कुएं खोदे, उनमें पानी भी खतम हो जाता है और वहां टैंकर के माध्यम से इस स्कीम को चालू रखते हैं। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और मैं यह कहूंगा कि बाली विधान सभा क्षेत्र की बाली पंचायत समिति और देसूरी पंचायत समिति, रानी पंचायत समिति के जो 225 गांव है, मैं समझता हूं कि जवाई योजना से 60-70 किलोमीटर की परिधि में ये पूरे गांव आ जाते हैं। जहां जैतारण आप पानी पहुंचाने जा रहे हैं, रायपुर आप पानी पहुंचाने जा रहे हैं, हमारा आधा से ज्यादा क्षेत्र जवाई कैचमेंट एरिया में आता है, वहां हम एनिकट्स नहीं बना सकते, हम वहां कोई बांध नहीं बना सकते। इससे हमारे वहां के लोगों को पानी की बहुत भारी समस्या है क्योंकि यह जवाई कैचमेंट एरिया में आने के कारण इस क्षेत्र में हम न तो कोई बड़ा बांध बना सकते हैं, न कोई एनिकट बना सकते हैं। पानी का स्तर लगातार गिर रहा है।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जल संसाधन मंत्रीजी भी यहां विराजे हैं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप इस पर थोड़ा गौर फरमायें और किसी भी तरह से ये सवा दो सौ गांव जो बाली विधान सभा क्षेत्र के वंचित रह गये हैं इनको आप जोड़ने का प्रयास करें। मैं समझता हूं कि यह योजना, अभी आपने 30 गांव और जोड़े हैं, इसके साथ ये सवा दो सौ गांव और जुड़ जाएं तो पूरा जिला पानी पियेगा। यह योजना जो 2007-08 में स्वीकृत हुई है, आपने बजट प्रावधान रखा है, 150 करोड़ का आपने रखा है, इस योजना के तहत ज्यादा पैसा देकर इस योजना का जल्दी काम पूरा कराएं। मैं समझता हूं कि जो 5-6 साल आपके गुजर गये, 3 साल आपके कार्यकाल के, एक साल हमारा कार्यकाल, इसमें हमने बजट नहीं किया। यह काम थोड़ा कम, बहुत धीरे चल रहा है, इसको प्रगति दें...

श्री सभापति: हो गया आपने बोला, आ गया।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): ताकि आम आदमी वहां पानी पी सके।

श्री सभापति: भावना आ गयी पूरी। आपकी समस्या आ गयी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): खाली यह सुन-सुनकर खफा हो गये कि जवाई की पाइप लाइन योजना हमारे गांव आयेगी, हम मीठा पानी पियेंगे। इसको तीव्र गति से, आप इस योजना के मद में ज्यादा पैसा देकर आप थोड़ा जल्दी चलायें। यह मैं आपको कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अशोक डोगरा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय सभापति महोदय, जवाब। मैं चाहूंगा कि इसमें जवाब तो दें। मंत्रीजी विराजे हैं यहां पर, मंत्रीजी कहें। मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है, मंत्रीजी विराजे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, जवाब दिलवायें। यह क्या मतलब हुआ?

श्री सभापति: आपने बात की, (व्यवधान) आपकी बात सुन ली। मंत्रीजी जवाब देंगे तो मैं मना नहीं करूंगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मंत्रीजी। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): दिलाना चाहिए ना। सभापति महोदय, यह बात थोड़ी हुई।

श्री सभापति: देंगे तो मैं मना करूंगा नहीं। श्री अशोक डोगरा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): पिछली सरकार में यह परम्परा थी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय मंत्रीजी, इतना इम्पोर्टेंट इश्यू है, पूरे जिले में आज दिन तक 25 गांव नहीं जुड़े इस योजना के तहत। आज 531 गांव की जो योजना है, 634 करोड़ की जो योजना है, आज 25 गांव भी इस योजना में नहीं जुड़े हैं।

श्री सभापति: आपने बोला, मंत्रीजी सदन में हैं, उन्होंने सुना है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): पूरा जिला इसको देख रहा है कि ये गांव जोड़े जाएं और आज दिन तक ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापतिजी, मंत्रीजी ने सुना है, यह आपको जानकारी है क्या?

श्री सभापति: आप विराजिये। आप विराजिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): सभापति महोदय, आप मंत्रीजी को फरमाएं तो सही। ये तो सुन ही नहीं रहे हैं।

श्री सभापति: मैंने आपको अलाउ नहीं किया, माननीय सदस्य। श्री अशोक डोगरा। आप विराजिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): पूरा जिला प्रभावित है, सभापति महोदय।

श्री सभापति: आप विराजो। आप विराजो, माननीय सदस्य।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): पूरी योजना में, मंत्रीजी, वह योजना बहुत ही धीमी गति से चल रही है।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): आप मंत्रीजी को कहें। काम बहुत धीमी गति से चल रहा है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): जल संसाधन मंत्रीजी पाली जिले की...

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): सभापति महोदय, यह 200 करोड़ रुपये हमारी सरकार ने दिये हैं।

श्री सभापति: किसी का अंकित नहीं होगा। आप अगर सब बोलेंगे तो अंकित नहीं होगा। बिलकुल अंकित नहीं होगा। ऐसे थोड़े ही चलता है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): xxx

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): xxx

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): xxx

श्री सभापति: आप तो विराजो, आप विराजो। विराजें, माननीय सदस्य। श्री अशोक डोगरा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): xxx

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): xxx

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): xxx

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): xxx

श्री सभापति: विषय आपका है, आप क्यों बीच में खड़े हो रहे हैं? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): xxx

श्री सभापति: श्री अशोक डोगरा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री सभापति: आप विराजिये। डोगरा साहब, विराजिये आप।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): xxx

श्री सभापति: आप विराजो। आप विराजो। मैंने आपको अलाउ नहीं किया। आपका अंकित भी नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। यह तरीका आपका बिलकुल ठीक नहीं है, माननीय सदस्य। बार-बार आप खड़े हो जाते हैं।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिन्ता प्रकट की है वहां पर पानी की समस्या को लेकर, मैं माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहूंगा, वे कृपया मुझे अपना रिटन में, जो अपनी डिटेल्स हैं, वह दे दें, मैं एक्सपेडाइट कराऊंगा उसको और आपकी समस्या, सरकार की व्यवस्था है कि जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां वाटर अवेलेबिलिटी किसी भी रूप में कराई जाए। आप मुझे सारी डिटेल दे दें, मैं उसको एग्जामिन करता हूं और इसको एक्सपेडाइट कराने का पूरा प्रयास करूंगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब उन्होंने कह दिया सारा। श्री अशोक डोगरा।

आप विराजो। आप विराजो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): xxx

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): xxx

श्री सभापति: इनकी मैं सुन लूंगा। आप तो विराजें।

रामगढ़ अभयारण्य वन्य जीव सीमा क्षेत्र बूंदी में प्रतिबंधित गैर-वानिकी कार्य

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र बूंदी के ऐसे मामले की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसकी वजह से पिछले कई दिनों से बूंदी में रोज धरने-प्रदर्शन हुए, 22 तारीख को पूरा बूंदी बंद रहा और एक तारीख से लोगों ने रेल और सड़क रोकने की धमकी का ज्ञापन दे रखा है।

सभापति महोदय, मामला इस तरह से है कि 20.5.1982 को वन विभाग द्वारा एक रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य का गठन किया गया जिसकी सूचना कहीं किसी अख़बार में नहीं आई। किसी को पता नहीं लगा। किसी से कोई आपत्तियां नहीं मांगी गयीं। उसके बाद किसी को पता नहीं और लगातार सरकारी और गैर-सरकारी बिल्डिंग्स बनती गयीं। सन् 82 के नोटिफिकेशन के बाद वहां आई.टी.आई. बनी, मुख्य डाक घर बना, भूमि विकास बैंक बना,

(श्री अशोक डोगरा)

आर.टी.डी.सी. की होटल बनी, एस.बी.बी.जे. का मुख्य बैंक बना। बूंदी में एक खाई थी, सन् 84 में एक कलक्टर साहब आये, उन्होंने उस खाई में सबसे बड़ा मार्केट, जो आज बूंदी का है, खाइलैंड मार्केट, इंदिरा मार्केट, उसका निर्माण कराया। किसी को कोई पता नहीं था। इसके अलावा प्राइवेट बिल्डिंग्स भी बनती गयीं। सन् 97 में एक जिला कलक्टर बूंदी ने उस पर आपत्तियां मांगीं। जिला कलक्टर, बूंदी द्वारा राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना, दिनांक 05.05.1982 के अनुसरण में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 21 के अन्तर्गत, इस पर उन्होंने 20.10.1997 को हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां मांगीं और आपत्तियों का सार्वजनिक निर्णय करते हुए अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्णय दिया दिनांक 21.08.98 को और उसमें उन्होंने आबादी क्षेत्र को अभयारण्य से बाहर कर दिया। अब लोगों को पता लगा तब जाकर, जब यह अभयारण्य से बाहर हो गया। उसके बाद डी.एफ.ओ. ने राज्य सरकार से परमिशन लेकर चुपचाप कोर्ट से स्टे ले लिया, जिसका किसी को पता नहीं।

उसके बाद क्या स्थिति आती है, सभापति महोदय, 07.07.2011 को, उसके पहले केन्द्र सरकार के मंत्री माननीय सी.पी. जोशीजी और यहां उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, मालवीय साहब, ये भी बूंदी गये और बूंदी में पोलीटेक्निक कालेज का उद्घाटन उस एरिये में किया। तब तक कोई रोक-टोक नहीं थी। उसके बाद 07.07.2011 को एक आदेश आता है वन सचिव का, उसमें लिखते हैं, सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जरिये पत्र इतने के तत्काल 07.07.11 को स्पष्टीकरण की प्रति प्रेषित कर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के प्रावधान के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निजी भूमि के उत्तरधिकार एवं वसीयत, हस्तांतरण के अतिरिक्त, विक्रय पत्र अथवा दान पत्र के हस्तांतरण पर प्रतिबंधित किया गया है। बूंदी की सारी प्रापर्टी को बैन कर दिया कि नहीं होगा। उसके बाद महानिरीक्षक, पंजीयन ने भी 09.09.2011 को स्पष्टीकरण की पुष्टि करते हुए सब रजिस्ट्रार को, सब बैंक्स को लिख दिया कि इनकी रजिस्ट्रियां नहीं करेंगे, किसी पर लोन नहीं देंगे, प्रोपर्टी को मोर्गेज नहीं रखेंगे। तब जाकर लोगों को पता लगा कि तीन-चौथाई बूंदी अभयारण्य में आ गया।

उसके बाद जब धरने-प्रदर्शन होने लगे तो, सभापति महोदय, कलक्टर ने, वन विभाग के उक्त निर्देशों के, यह कलक्टर ने गवर्नमेंट को एक पत्र लिखा है 24/11 को, उसमें उसने लिखा है कि वन विभाग के उक्त निर्देशों से

(श्री अशोक डोगरा)

बूंदी के आम नागरिकों एवं जन-प्रतिनिधियों में आक्रोश है। चूंकि यह समस्या बूंदी के विकास से जुड़ी होने से बूंदी के आम नागरिकों एवं जन-प्रतिनिधियों द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु लगातार उग्र धरना-प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को ज्ञापन प्रस्तुत किये जा रहे हैं और कानून और शांति-व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद कलक्टर ने एक सर्वे करवाया, उस सर्वे में उसने लिखा कि इस सम्बन्ध में तहसीलदार, बूंदी व वन विभाग का संयुक्त सर्वे करवाया गया। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार रामगढ़ अभयारण्य सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत बूंदी शहर की आबादी एवं क्षेत्र का सम्पूर्ण रकबा लगभग 2,718 बीघा प्रभावित है जिसके अन्तर्गत आवासीय भवनों की संख्या 5,526, मतलब 5,526 तो मकान आ गये, व्यावसायिक कार्यों में आ रही दुकानों की संख्या 1,496, मतलब डेढ़ हजार दुकानें, सरकारी कार्यालयों की संख्या 32, धार्मिक स्थलों की संख्या 101 तथा प्रभावित जनसंख्या 50 हजार है। यह तो कलक्टर की रिपोर्ट है, हमारे हिसाब से 70 हजार की आबादी प्रभावित है। आगे कलक्टर यह लिखती है, उसने लिखा है- अतः वस्तु स्थिति की रिपोर्ट मय सर्वे रिपोर्ट के सारांश के साथ प्रस्तुत कर निवेदन है कि इस मामले की गम्भीरता, कानून व्यवस्था एवं प्राचीन आबादी क्षेत्र तथा बूंदी में भूमि आबंटन एवं रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक से हो रही राजस्व हानि के मध्य-नजर इस क्षेत्र को रामगढ़ अभयारण्य वन्य जीव सीमा से मुक्त करवाने की कार्यवाही हेतु राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव शीघ्रातिशीघ्र केन्द्र सरकार को भिजवाते हुए राज्य वन्य जीव बोर्ड की स्थाई समिति से स्वीकृति प्रदान कराने की कृपा कराएं। यह 24.11 को जिला कलक्टर ने मुख्य सचिव को भेजा है। यह चार महीने के बाद भी उसका कोई असर नहीं हुआ।

मैंने भी मुख्य मंत्री महोदय को, वन मंत्री महोदय को 20.10 को एक पत्र भेजा। मुख्य मंत्रीजी से सिर्फ इतना ही जवाब आया कि मैंने इसको प्रमुख शासन सचिव को भेज दिया। उसके बाद कुछ पता नहीं। नगरपालिका, बूंदी ने 4.11.2011 को, 40 मेम्बर हैं नगरपालिका में, सबने सर्व-सम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस पूरे, यह नगरपालिका बोर्ड का है, हम बूंदी नगरपालिका मंडल के सभी सदस्य सर्वसम्मति से दिनांक 20.5.1982 को जारी की गई अधिसूचना व वन्य जीव अभयारण्य रामगढ़...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, यह विषय बहुत गम्भीर है, मेरा भी स्थगन है। (व्यवधान)

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): ओमजी भाई साहब, आप विराजो। मेरी बात खतम हो जाने दो, उसके बाद आप बोल लेना।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इसी का है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): यह नगरपालिका ने किया है कि वन्य जीव अभयारण्य सीमा को संशोधित किया जाकर बूंदी शहर की घनी आबादी एवं व्यावसायिक क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को बाहर निकाला जाए और अधिसूचना की सीमाओं को संशोधित किया जाए अन्यथा कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की पूरी-पूरी सम्भावनाएं हैं।

उसके अलावा आज वन विभाग ने क्या किया कि आर.यू.आई.डी.पी. के तहत 27 करोड़ की जो पेयजल योजना चल रही थी, जिसमें तीन टंकियां जो 25 फीट हाइट पर उठा ली गई थीं, छत डलनी थी, उसको उन्होंने बंद करवा दिया; 8 करोड़ की सड़कों के टेंडर हो गये थे, उन्होंने वर्क आर्डर रुकवा दिया; ठोस कचरा प्रबंधन का ढ़ाई करोड़ रुपये का ठेका होकर काम स्टार्ट हो गया था, उसको बंद करवा दिया; एम.एल.ए., एम.पी. फंड के पैसे का काम चल रहा था, उसको रुकवा दिया; बैंको से लोन बंद हो गये; के.सी.सी. के लोन बंद हो गये; हर तरह से प्राब्लम ही प्राब्लम है।

दो दिन पहले 26 और 27 तारीख को मैं और हिण्डौली के माननीय एम.एल.ए. साहिबान मुख्य मंत्रीजी से भी मिले। हम तो यह चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी हाई पावर्ड कमेटी को भेजें लेकिन उसके पहले जो एग्रीकल्चर टू एग्रीकल्चर और रेजिडेंशियल टू रेजिडेंशियल प्रोपर्टी पर, जो बिक्री पर पाबंदी लगाई है, वह तो राज्य सरकार के हाथ में है, उस पाबंदी को आप तुरन्त हटवायें और सरकार से यह वक्तव्य दिलवा दें कि कितने दिन में इस शहर को वन्य सीमा से बाहर निकाल देंगे क्योंकि फोरेस्ट डिपार्टमेंट अब घरों के आगे खाइयां खोदने लग गया है जे.सी.बी. से, उस पर वे दीवारें बनाना चाहते हैं। वे आना-जाना ही लोगों का बंद करना चाहते हैं। 70 हजार की आबादी प्रभावित है। एक लाख की आबादी है, जिसमें से 70 हजार की आबादी उसमें आ रही है। बूंदी का सरकारी मैन हास्पिटल उसमें है; सिनेमा-घर उसमें है; 32 सरकारी कार्यालय उसमें हैं; प्राइवेट, साढ़े पांच हजार मकान और डेढ़ हजार दुकानें, यह तो कलक्टर की रिपोर्ट है, यह है मेरे पास। अभी बूंदी पूरी तरह से बंद रहा है। यह पूरे अखबार हैं। जिनमें लिखा है- 'पूर्ण बंद रही छोटी काशी', बूंदी को छोटी काशी कहते हैं, 'पूर्ण बंद रही छोटी काशी'; दूसरे

(श्री अशोक डोगरा)

अखबारों में भी उन्होंने दिया है यह एक तो पत्रिका थी, यह भास्कर ने लिखा है कि- 'रिहायशी इलाके बचाने को शहर एक जुट', एक ठेला भी नहीं खुला, सारे मेडिकल स्टोर बंद रहे, सारे पेट्रोल पम्प बंद रहे, पूरा शहर बंद रहा और यदि इसका निस्तारण आज अभी आप नहीं बताएंगे, सरकार से जवाब नहीं दिलवाएंगे तो एक तारीख से जनता पूरी रेलें रोक देगी। रोडवेज को, पूरे हाई-वे को रोक देगी। बूंदी में ला एंड आर्डर न तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएगा और न किसी के आएगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर सरकार से वक्तव्य दिलवा दें कि इसको कितने दिन में निपटा देंगे और तब तक यह प्रोपर्टी ट्रांसफर पर जो बैन है, इसको हटवा दें, इससे लोगों को काफी राहत मिल जाएगी।

श्री सभापति: अब आ गयी आपकी सारी बात। विराजिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, मैंने आपको अलाउ ही नहीं किया है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नहीं, मेरा स्थगन है, माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति: स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति आसन से ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सारा विषय यह है कि यह रामगढ़ अभयारण्य की सूचना 28 वर्ष पूर्व की अधिसूचना है और उस 28 वर्ष पूर्व की अधिसूचना को अभी लागू किया गया है जिससे आम जन का सामान्य जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। क्योंकि अब सारे बूंदी के अन्दर आबादी बस गयी है...

श्री सभापति: वे बोल तो गये माननीय सदस्य। माननीय सदस्य सारी बात बोल गये अब। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सरकारी भवन बन गये हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार तुरन्त एक कमेटी बनाकर...(व्यवधान)

श्री सभापति: वे बोल गये, वह की वह बात आप बोल रहे हैं। आपको मैं अलाउ ही नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्य, इसमें आपका नाम ही नहीं है।

(श्री सभापति)
ऐसे कैसे बोलने के लिए खड़े हो जाते हो आप? बैठिये, वे बोल गये सब। सब बोल गये। श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उस सारे आबादी क्षेत्र के अन्दर जो ...(व्यवधान) वन्य क्षेत्र से बाहर करना चाहिए तुरन्त प्रभाव से, नहीं तो कानून और व्यवस्था की स्थिति बूंदी के अन्दर बद से बदतर हो जाएगी, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): यह कलक्टर की चिट्ठी का चार महीने तक कोई जवाब नहीं है।

श्री सभापति: आप भी विराजो। (व्यवधान)

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, यह वास्तव में ऐसी स्थिति है, इसको सरकार को सुलझाना चाहिए। कम से कम इतना तो हो कि उन लोगों को बैंक से लोन मिले, रजिस्ट्रीज हो जाएं। यह वास्तव में बहुत सेंसिटिव है। कल भी वहां पर धरना-प्रदर्शन हो रहा था। आज जवाब दिलवा दें, जिससे उनकी समस्याओं का कोई समाधान हो जाए। आप जवाब दिलवाएंगे माननीय सभापति महोदय? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, वहां पर इतना ... (व्यवधान) चल रहा है। सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। सभी माननीय सदस्य, पक्ष और प्रतिपक्ष के चाहते हैं, इतना गम्भीर मामला है। सरकार जवाब नहीं देना चाहती। अभी तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय सभापति महोदय, इस पर जवाब दिलवाये। जवाब दिलवायें अन्यथा मैं धरने पर बैठूंगा।

धरना

(श्री अशोक डोगरा, माननीय सदस्य द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, सरकार कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है। माननीय सभापति महोदय, सरकार यहां पर कम से कम जवाब तो दे। इतना गम्भीर मामला है। माननीय सभापति महोदय, पूरा बूंदी जिला ...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, बूंदी के ऊपर लटकी हुई वन विभाग की तलवार को अगर नहीं हटाया गया तो बूंदी बरबाद हो जाएगा। कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। माननीय सभापति महोदय, बूंदी जिले में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: उप नेता महोदय, थोड़ा इनको समझाइये कि अपने आसन पर ये जाएं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, पूरा बूंदी जिला 28 साल बाद भी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपका अंकित नहीं होगा। किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): xxx

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप विराजो। आसन से व्यवस्था दी जा चुकी है। केवल माननीय सदस्य, श्री अशोक डोगरा को बोलने के लिए अनुमति दी गई है। ये अपनी बात सारी कह चुके हैं, आप विराजिये।

(श्री अशोक डोगरा, माननीय सदस्य का सदन कूप से धरना समाप्त)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): xxx

श्री सभापति: आप विराजिये। आ गई सारी बात।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): xxx

श्री सभापति: विराजिये आप। विराजिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी लोगों ने इस बात को कहा है तो आप सरकार को कम से कम कहें। यह कोई यहां पर पार्टी का मामला नहीं है, गम्भीर मामला है। माननीय सदस्य को इसलिए वेल में आना पड़ा। अभी नहीं तो कल, परसों कभी भी सदन की मीटिंग हो, सरकार इस बारे में जवाब दे ताकि इस समस्या का समाधान हो सके।

श्री सभापति: ठीक है। श्री राजेन्द्र राठौड़ ।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): साहब, व्यवस्था तो दिलवा दो।

श्री सभापति: आप, माननीय सदस्य, विराजो। मैंने आपको अलाउ नहीं किया है। आप विराजो।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): कोई न कोई व्यवस्था तो दिलवा दो साहब। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): अजी, हुक्म, कोई व्यवस्था तो दिलवा दो, जवाब तो दिलवा दो। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, कोई व्यवस्था तो दिलवा दो।

श्री सभापति: आप विराजो। हां, मैं दे दूंगा व्यवस्था, आप विराजो। विराजो, विराजो। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, हो जाएगा। (व्यवधान)

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आबंटित केरोसीन की कालाबाजारी

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, आपने एक संवेदनशील विषय पर यह व्यवस्था फरमायी कि आप सरकार का ध्यान आकर्षित भी करेंगे और जवाब भी दिलवाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, हाल ही में राजस्थान जनगणना, 2011 के ताजा आंकड़े समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। ये ताजे आंकड़े यह कह रहे हैं कि राजस्थान के अन्दर 96 लाख परिवार ऐसे हैं जो घरेलू गैस से वंचित हैं। इन परिवारों के सामने भोजन बनाने के लिए केरोसीन तेल के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। समाचार पत्रों में यह भी छपा है कि राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें केरोसीन तेल में करोड़ों की हेराफेरी, लूट की पोल और माननीय मंत्रीजी का वक्तव्य कि वे मुख्य मंत्रीजी तक बात को लेकर जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में प्रति माह 91, 51 करोड़ लीटर केरोसीन तेल आता है बी.पी.एल. को बांटने के लिए, उसमें से 30 करोड़ खुर्द-बुर्द हो जाता है। गरीब के नाम का केरोसीन तेल, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी इन्द्राज और चला जाता है पेंट और केमिकल्स की उन फैक्टरियों में जहां उसका इस्तेमाल होता है। अगर इस 30 करोड़ लीटर तेल की सिर्फ सब्सिडी-सब्सिडी की ही मैं बात करूं, इस पर केन्द्र सरकार 21 रुपया सब्सिडी देती है तो यह राशि निकल कर पहुंचती है 921 करोड़ रुपया। यानी 921 करोड़ रुपये का घोटाला इस केरोसीन तेल की कालाबाजारी से राजस्थान में हर साल में हो रहा है, हर माह में हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि यह खाद्य विभाग के अधिकारियों की जानकारी में नहीं है, यह लम्बे समय से हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, आप तो जानते हैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि महानगरों के अन्दर राशन कार्ड बन जाते हैं, हालांकि राशन कार्ड बने भी वर्षों बीत चुके हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, नियमों में प्रावधान है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर सदन में रहना चाहिए, इस समय कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर सदन में नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान जो हमने स्थगन प्रस्ताव दिया और जो मैंने नियम 50 में दिया, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रियाओं के नियम 51 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें लिखा है, स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने की रीति, स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व, जिस दिन कि प्रस्ताव करने का विचार हो, निम्न में से प्रत्येक को दी जायेगी, अध्यक्ष को दी जायेगी, सम्बन्धित मंत्री को दी जायेगी और सचिव को दी जायेगी। यह प्रस्ताव आपने नियमों में कर रखा है। होना तो यह चाहिये, स्थगन प्रस्ताव विचारार्थ आये, मंत्रीजी को यहां उपस्थित रहना चाहिये, दीर्घा में सम्बन्धित सचिव को उपस्थित रहना चाहिये। यह सूचना हमने इसलिये दी है। पर जैसा उप नेता ने कहा, शायद यह सरकार इस विधान सभा को गम्भीरता से ले नहीं रही है। कहने को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है पर इस मंदिर का कितना अपमान यह सरकार कर रही है, यह आपके सामने है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हम पूरी मेहनत करके लाते हैं, कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहते हैं। हमारे तथ्यों को सुने कौन? हम इतने लोग बैठे हैं। मुझसे पहले पाली वाले माननीय सदस्य बोलकर गये, उससे पहले कितना गम्भीर मामला बूंदी वाले माननीय सदस्य ने कहा, पर किसको सुनायें, किसको कहें, कौन सुनेगा हमारी? सभापति महोदय, आप भी इस लोकतंत्र के सजग प्रहरी रहे हो, आपके बारे में हम सब लोग जानते हैं। आप चैतन्यशील और जागरूक सभापति हो, सभापति महोदय। आप आसन पर विराजमान हो और सरकार की यह स्थिति हो; सभापति महोदय, चाहे सदन को स्थगित करें, आप सदन को स्थगित करके पहले मंत्रीगण को बुलायें और फिर हमें अपनी बात कहने का मौका मिले, तब ठीक रहेगा। मैं समझता हूं, मेरी बात का हमारे उप नेता महोदय भी समर्थन करेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सभापति महोदय, कैबिनेट मंत्री को बुलाओ। यहां कोई नहीं है। सरकार सो रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: यहां राज्य मंत्री हैं न। यह विधान सभा की ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ऐसे चलता नहीं है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ऐसे नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: देखिये, आपकी बात मैं गम्भीरता से सुनता हूं। बहुत गम्भीरता से, बहुत गम्भीरता से सुनता हूं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): गम्भीरता से सुनने से क्या होगा? आप निर्देश दीजिये, किसी कैबिनेट मंत्री को बुलाइये।

श्री सभापति: आप तो विराजो। (व्यवधान) आप तो विराजो। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान) आप उस पर व्यवस्था दो।

श्री सभापति: विराजो-विराजो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): किसी कैबिनेट मंत्री को निर्देश दिया जाये। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपके उप नेता महोदय ने कह दी, आपकी बात भी वही है, सबकी बात वही है। आप विराजें।

एक माननीय सदस्य: आप व्यवस्था दो, व्यवस्था दीजिये। यह विधान सभा है, इसका मजाक करके रख दिया। व्यवस्था दो आप। आप व्यवस्था दीजिये। किसके सामने रखें राजस्थान की जनता की बात? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मुख्य सचेतक रघु शर्मा जी बहुत बोलते हैं, बुलाओ न मंत्रियों को। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आ गये। आ गये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मुख्य सचेतक हो, बुलाओ मंत्रियों को। ..(व्यवधान)... कहां पर सो गये? कहां सो गये नाश्ता करते-करते?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मेरे बोलने से आपको एतराज है क्या? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सभापति महोदय, मेरे दोस्त हैं लेकिन मंत्री कहां हैं? उनको बुलाइये। मंत्री कहां सो गये बैठे-बैठे? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह निर्देशित करिये, जब भी जीरो आवर हो, यहां कोई न कोई कैबिनेट मंत्री रहना चाहिये। यह निर्देशित करो आप। ऐसे नहीं, आप व्यवस्था दो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आपका आदेश चल नहीं रहा मुख्य सचेतक महोदय। आपकी बात कोई सुन नहीं रहा। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): व्यवस्था देओ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे मित्र रघु शर्मा जी को मुख्य सचेतक बेमन से बनाया गया है। इनके नियंत्रण में ना तो उनके सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हैं और ना ही इनके नियंत्रण में जब विधान सभा चलती है तो एक भी मंत्री है। ये असहाय से बैठे रहते हैं। मुझे इन पर पूरी दया आ रही है और मुझे पूरी सहानुभूति है रघु शर्मा जी से।

श्री सभापति: मंत्री महोदय आ गये हैं। कई बार आवश्यक कार्य से जाना पड़ता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि राजस्थान के अन्दर 95 लाख परिवार जो केरोसीन तेल पर निर्भर हैं, उन 95 लाख परिवारों के पास जो केरोसीन तेल पहुंचना चाहिये, वह तेल पेंट और केमिकल वाली उन फैक्टरियों में पहुंच रहा है। इनके कारण 51 करोड़ लीटर तेल प्रति माह आता है। 30 करोड़ लीटर इसमें खुर्द-बुर्द हो जाता है और अगर सब्सिडी का रुपया गिनें तो 921 करोड़ का घोटाला होता है।

सभापति महोदय, अभी हिन्दुस्तान की सरकार ने डायरेक्ट सब्सिडी की योजना बनाई। हिन्दुस्तान के अन्दर 50 जिले इसके लिये चिह्नित किये गये। हमारे यहां भी अलवर का कोटकासिम जिला लिया गया। उसमें यह तय किया कि वहां 31 रुपये प्रति लीटर जो सब्सिडी है, वह नहीं देकर और सीधे उसके खाते में जमा करेंगे और वहां खुले में तेल उपभोक्ताओं को 46 रुपये प्रति लीटर में मिलेगा। सभापति महोदय, यह दुर्भाग्य है, खुले बाजार में उस कोटकासिम में तेल नहीं मिल रहा है। राशन डिपो के लोग रसद विभाग के राशन डिपो से कालाबाजारी में 46 रुपये प्रति लीटर से तेल लेने के लिये मजबूर हैं, क्योंकि सरकार ने योजना बनाई कि केन्द्र सरकार की सब्सिडी को जी डी पी के 2 प्रतिशत पर लाना है। इसलिये इस सारी योजना के तहत यह सारा काम हो रहा है। तीन लीटर केरोसीन मिलता है गरीब आदमी को, बी पी एल के एक कार्ड को और मैं समझता हूं, उसमें जो सब्सिडी है वह 31 रुपये

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निश्चित रूप से है और वह सब्सिडी उसके खाते में, आज तक कोटकासिम में जो खाते खुले हैं, सभापति महोदय, कुल वहां उपभोक्ता हैं 25,843 और खाते खुले हैं 13,700, यानी इससे मालूम पड़ता है, क्योंकि वह पैसा सीधे उसमें जा रहा है। राजस्थान में कितनी कालाबाजारी हो रही है। पहले 84 हजार लीटर प्रति माह तेल उठता था, अब उठ रहा है 36 हजार लीटर। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारी चीजों के लिये सरकार को पूरे राजस्थान के अन्दर कोई ऐसा नेटवर्क बनाना चाहिये ताकि यह कालाबाजारी बंद हो वरना 921 करोड़ की प्रति माह की कालाबाजारी राजस्थान में हो रही है।

यही नहीं, सभापति महोदय, केरोसीन तेल दरों के समानीकरण से सरकार के पास 40 करोड़ रुपये एकत्रित होता है हर साल में, जिसका उपयोग उपभोक्ता के कल्याण से जुड़ी गतिविधियां- प्रचार-प्रसार, संगोष्ठी, हेल्पलाइन, इसमें होता है या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित होने वाली खाद्य सामग्री में अतिरिक्त अनुदान दे दिया जाये, इसके लिये होता है, पर हो क्या रहा है, इन पैसों से, सभापति महोदय, कार खरीदी जा रही है, इन पैसों से लैपटाप खरीदे जा रहे हैं और इस तरह से यह काम हो रहे हैं। जिस पैसे का उपयोग सरकार उपभोक्ता के हित के लिये करे, उससे इस तरह के काम हो रहे हैं।

इसलिये मेरा आपसे निवेदन है, इस पूरे मामले को दिखवाना चाहिये। जब खुद रसद विभाग के माननीय मंत्री वक्तव्य दे रहे हैं, लूट की पोल है, मैं मुख्य मंत्रीजी को अवगत कराऊंगा, 921 करोड़ का घोटाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि लूट की पोल की जो रिपोर्ट उनके पास आई है, उसके आधार पर वे दबाये क्यों बैठे हैं? किसके दबाव से वह उन्होंने दबाई है? उस लूट की पोल के आधार पर जांच क्यों नहीं करवाते? राजस्थान की विधान सभा ... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह किसने स्वीकार किया है? इन्होंने रसद मंत्रीजी का नाम लिया है कि लूट स्वीकार की है, यह कहां स्वीकार की है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): विराजो आप। इसलिये मेरी मांग है, अब क्या करें, अकेले हैं, मंत्रीजी होते तो जवाब दे देते न। यहां बुलाओ न मंत्रीजी को।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन और है। यह मेरे मित्र हैं और मुझे बराबर प्रसाद देते रहते हैं। मैं उधर था, मेरे बारे में इन्होंने जो टिप्पणी की, कृपा करके उसको बाहर निकालें और मेरी टिप्पणी को आप सदन की कार्यवाही में सम्मिलित करें। मेरी कार्य क्षमता तो यहां नजर आई है लेकिन आप भी अपने दल के मुख्य सचेतक हैं। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, माननीय रघु जी और राजेन्द्र जी में आपस में कोई समझौता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: मुख्य सचेतक बोल रहे हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप भी मुख्य सचेतक हैं, आपके सामने जो आचरण हो रहा है माननीय सदस्यों का, आपके दल का, वह अमर्यादित, अशोभनीय और इस सदन की परम्परा को कलंकित करने वाला है। इसलिये आपकी भूमिका को मैं क्या मानूं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): छोड़िये, रघु जी, पुरानी परतें नहीं उखाड़ें तो ठीक है। इसी आसन पर आकर बैठकर आपकी की हुई टिप्पणी भी रिकार्ड पर है। काहे को अपन उन चर्चाओं पर बात करें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): लेकिन आप व्यक्तिगत टिप्पणियों से बाज आया करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, मैं मेरी बात समाप्त करूं, यह नियम और प्रक्रिया जो संविधान के आर्टिकल 207 के तहत बनी है, इसके अन्दर नियम 50 के अन्दर हमारी सूचना पर मंत्री को सूचना जाती है और उसके बाद में वे उपस्थित नहीं रहें तो फिर मतलब क्या रहा? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, जो बेबुनियाद आरोप इन्होंने लगाये, उनको आप सदन की कार्यवाही से निकालने की व्यवस्था कीजिये।

श्री सभापति: देख लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बिल्कुल मैंने आधार पर लगाये हैं आरोप। मैं फिर कह रहा हूं, राजस्थान की विधान सभा में यदि ... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): बेबुनियाद आरोप हैं और मैं बचपन से ही जानता हूं, ये आरोप लगाने की राजनीति में ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): केरोसीन तेल की कालाबाजारी में 921 करोड़ प्रति माह का घोटाला होता है और इसी घोटाले में ... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): कोई घोटाला नहीं, किसी ने स्वीकार नहीं किया। इस तरह की बेतुकी और असत्य बातों के आप माहिर हैं। (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्री महोदय के खुद के पास है और (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपकी आदत में शुमार है... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): रघु शर्मा जी सदन का समय और वातावरण दोनों खराब कर रहे हैं। इनको समझाइये कि मुख्य सचेतक बन गये हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपकी जगह तय है, वहीं बैठो आप। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): कोई डेकोरम मेनटेन करो, कुछ प्रोटोकोल रखो। क्यों इतने उतावले हो रहे हो? आप हर सदस्य के सामने खड़े हो जाते हैं, हरेक के सामने बोलना चालू कर देते हो। बैठ जाइये। आपको निर्देश दे रहे हैं सभापति जी, बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री सभापति: नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। आप विराजें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र की चिकित्सा सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख, विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में चिकित्सा विभाग के सुधार हेतु।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उपरोक्त विषयान्तर्गत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं एक खनन क्षेत्र है और यहां पर ज्यादातर मजदूर वर्ग निवास करता है। परिवहन के साधनों की संख्या काफी ज्यादा है। साथ ही एनएच-12 होने की वजह से यहां से यातायात ज्यादा मात्रा में गुजरता है जिससे आये दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज सरकार की अनेकों योजनायें चालू होने के बावजूद न तो घायल व्यक्ति को समय पर उपचार मिल रहा और न ही नि:शुल्क दवा। आपको सुनकर बड़ा अजीब लगेगा कि सरकार ने तो नि:शुल्क दवा वितरण योजना चालू कर दी लेकिन इसका लाभ गरीब मजदूर को नहीं मिल रहा है। इसका कारण है कि राजकीय चिकित्सालय, मेडिकल कालेज, कोटा, रामगंजमण्डी, सातलखेड़ी, जुल्मी, सुकेत मोडक, चेचट आदि स्थानों पर स्टाफ की कमी है। अतः गरीब व मजदूर को समय पर सही उपचार नहीं मिल पा रहा है।

राज्य सरकार की मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना, जननी शिशु सुरक्ष योजना में जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है। इस योजना के प्रारम्भ के दूसरे दिन ही नियामत खेडी ग्राम की जननी व शिशु की जो दुर्दशा रामगंजमण्डी में हुई, वह जगजाहिर है। शिशु को कुत्ता उठाकर ले गया व इलाज के अभाव में जननी की मृत्यु हो गई। उस समय जननी व शिशु को देखने वाला कोई नहीं था।

इसी प्रकार कोटा नगर निगम क्षेत्र में स्थित राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय, रामपुरा व मेडिकल कालेज, रंगबाड़ी, कोटा में आये दिन ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं। मैंने पिछले सत्र में रामगंजमण्डी में ब्लड बैंक खोलने की मांग उठायी। ब्लड बैंक खुला लेकिन विभाग की उदासीनता व संसाधन के अभाव में बन्द पड़ा है। सोनोग्राफी मशीन काफी समय से खराब पड़ी है। वर्ष 2007 में जन सहभागिता से निर्मित मंगलम सीमेंट लिमिटेड चिकित्सालय में राज्य सरकार द्वारा शेष 50 लाख की राशि नहीं देने के कारण चिकित्सालय नये भवन में स्थानान्तरित नहीं हो पा रहा है।

अतः सरकार से निवेदन है कि सभी चिकित्सालयों में आवश्यकतानुसार नये महिला डाक्टर के पद सृजित कर नियुक्तियां दी जावें व विभाग द्वारा व्यवस्थार्थ (डेपुटेशन) व अपडाउन प्रणाली को बन्द कर चिकित्सा

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

कर्मचारियों को हैडक्वार्टर पर रख कर आम जनता को चिकित्सा मुहैया करवाई जावे।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

दलितों के साथ अत्याचार एवं महिला उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, पिछले तीन सालों की घटनाओं पर नजर डालें तो विश्लेषण करने पर पता चलता है कि राज्य भर में दलित व महिला उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यद्यपि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा दलित उत्पीड़न को रोकने के लिए कई कठोर कानून व उनके उत्थान के लिए कई योजनायें चला रखी हैं परन्तु उनका कठोरता से पालन नहीं हो पा रहा है। साथ ही अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं नियम 1995 की भी सही पालना नहीं हो पा रही है। सरकार की दलित हितैषी योजनाओं को सुचारु रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक लागू करने के लिए विशेष प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। इस दिशा में यदि गम्भीरता से प्रयास हों तो दलितों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए बनी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सकता है और दलित व महिलाओं पर उत्पीड़न की घटनाओं में कमी आ सकती है।

राजस्थान के सभी जिलों में एसटी/एससी एक्ट के अन्तर्गत जिला मानिटरिंग व विजिलेंस कमेटियां बनी हुई हैं जिनका अध्यक्ष जिला कलक्टर होता है। इस कमेटी की बैठक हर तीन महीने में होती है जिसमें दलित उत्पीड़न की घटनाओं की समीक्षा की जाती है परन्तु सूचना के अधिकार के माध्यम से हमें पता चलता है कि या तो जिले के विधायकों को इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया जाता है या फिर इन कमेटियों की नियमित रूप से बैठक नहीं बुलायी जाती है और बैठकों में मामलों की अच्छी तरह से समीक्षा न करके केवल खानापूर्ति कर दी जाती है। इस कमेटी की नियमित बैठकें होने से दलित उत्पीड़न पर रोक लग सकती है। अतः बैठकों की नियमितता अति आवश्यक है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के नियम, 1995 के नियम 12(4) में

(श्रीमती अनिता भदेल)

संशोधन कर इस नियम के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ा दिया गया है परन्तु प्रशासन द्वारा अभी तक पीड़ितों को नये संशोधन के आधार पर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। कृपया निर्धारित मुआवजा राशि दिया जाना सुनिश्चित करावें।

राज्य सरकार ने वर्ष 2009-10 के बजट प्रावधान में सम्बल ग्राम योजना का विस्तार करते हुए उन गांवों को भी शामिल किया जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी है जिसके कारण से इस योजना में शामिल गांवों की संख्या 2,463 से बढ़कर 4110 हो गयी है। इस कारण 1,647 गांव और बढ़ गये लेकिन गांव बढ़ने के बावजूद सरकार ने अभी तक इन बढ़े हुए गांवों के विकास के लिए बजट नहीं बढ़ाया। पिछले तीन वर्षों से इस योजना का बजट 4 करोड़ ही रखा गया है जबकि महंगाई व गांवों की संख्या दोनों बढ़ गई हैं। इसलिए महंगाई व बढ़े हुए गांवों के अनुपात में उक्त योजना में अधिक बजट आबंटित किया जावे।

माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान दलितों की समस्याओं व उन पर हो रहे अत्यायारों की ओर दिलाकर उनके उचित समाधान की मांग करती हूं।

श्री सभापति: डा. (श्रीमती) परम नवदीप।

(अनुपस्थित)

श्री नवल किशोर मीणा।

बामनवास में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना

श्री नवल किशोर मीणा (बामनवास): सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास में राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग पिछले काफी वर्षों से की जा रही है। बामनवास उप-खण्ड सवाई माधोपुर जिले का सबसे पिछड़ा उप-खण्ड है जिसमें 130 राजस्व गांव शामिल हैं। यहां के बालक-बालिकाएं पढ़ाई में होशियार हैं। यहां के लोग अत्यधिक गरीब एवं पिछड़े होते हुए भी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में प्रयासरत रहते हैं। सम्पन्न लोग तो अपने बच्चों को किसी भी तरह दूर भेजकर उच्च शिक्षा दिला देते हैं किन्तु गरीब किसान गरीबी के कारण अपने बालकों को उच्च शिक्षा हेतु दूरदराज के कालेजों में नहीं भेज पाते जिससे यहां के बालक-बालिकाएं

(श्री नवल किशोर मीणा)

माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते और उनका भविष्य खराब हो जाता है। सबसे ज्यादा परेशानी बालिकाओं को हो रही है। उनके उच्च शिक्षा प्राप्त करने के सपने पूरे नहीं हो पाते एवं अवयस्क अवस्था में ही शादी के लिए मजबूर होना पड़ता है।

मेरा जिला सवाई माधोपुर व विधान सभा क्षेत्र बामनवास पिछड़े जिले के अन्दर है जहां भारत सरकार पिछड़ों के उत्थान के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। गरीब व बी पी एल के उत्थान के लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी भी अति संवेदनशील हैं। अतः कालेज खुलेगा, इसके लिए हमारी जनता आश्वस्त है।

मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास में एक राजकीय महाविद्यालय खोला जावे ताकि मेरे क्षेत्र के बालक-बालिकाएं भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपना भविष्य उज्जवल बना सकें।

श्री सभापति: श्री गणेश सिंहजी।

कुम्भलगढ़ की तहसील कुम्भलगढ़ का सैटलमेंट सर्वे कराया जाना

श्री गणेश सिंह परमार (कुम्भलगढ़): सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ के सैटलमेंट सर्वे की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि:-

1. यह कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की तहसील कुम्भलगढ़ की पैमाइश सम्वत् 2005 यानी आज से 65 वर्ष पूर्व की गई थी। उसके बाद से आज दिन तक पुनः सेटलमेंट सर्वे नहीं किया गया है।
2. तहसील कुम्भलगढ़ एक पहाड़ी क्षेत्र होकर यहां कृषि क्षेत्र की भूमि बहुत कम है तथ जो कृषि जोत है व बहुत ही छोटे-छोटे टुकड़ों में अवस्थित है।
3. इस क्षेत्र का जब सेटलमेंट हुआ था, उस वक्त यहां सड़क बहुत कम होकर कच्चे रास्ते थे। वर्तमान में पक्की सड़कों का निर्माण हो गया है तथा उनमें से कई सड़कें जिला सम्पर्क राजमार्ग तथा राष्ट्रीय मार्ग भी हैं। उक्त सड़कों की आज के नक्शों में पेमुदगी भी नहीं है जिससे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पटवारियों एवं राजस्व विभाग, पंजीयन विभाग

(श्री गणेश सिंह परमार)

को कार्य करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा कार्य में गलतियां होने की संभावना बनी रहती है।

4. लगभग 65 वर्ष पुराने नक्शे जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं तथा कई ग्रामों के नक्शे तो बिलकुल नष्ट हो गये हैं जिससे भूमि सम्बन्धी विवाद बढ़ते जा रहे हैं और निराकरण में कठिनाइयां आ रही हैं। वर्ष 1970 से 1990 के दशक में यहां सैकड़ों बीघा भूमि का काश्तकारों को आबंटन किया गया था जिनमें नक्शों में बड़े-बड़े आराजी नम्बरों में से टुकड़े हुए हैं। उक्त आवंटन के पटवारियों द्वारा फाइलों में डिब्बों की आकृतियों में नक्शे लगा दिये गये हैं तथा नक्शों में कहीं भी तरमीम नहीं की गयी है। काश्तकार भी अपनी मनमर्जी से आबंटन भूमियों पर काबिज हो गये हैं। ऐसी स्थिति में सैकड़ों तरमीम नक्शों में होने से शेष है।

(13.00 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

5. विकास की गति के चलते इस तहसील में भी काफी विकास हुआ है तथा कुम्भलगढ़ वन्य जीव क्षेत्र होने तथा वर्तमान में राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र घोषित होने व किला कुम्भलगढ़ का महत्व बढ़ने से पर्यटन स्थल के रूप में तहसील क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है। ऐसी स्थिति में सड़कों के दोनों तरफ की भूमि व कस्बा कैलवाड़ा के आसपास 15 किलोमीटर की परिधि की भूमियों की खरीद-फरोख्त तेजी से बढ़ने लगी है व नक्शों की खराब स्थिति तथा तरमीम के अभाव में भूमि की बढ़ती कीमतों के साथ-साथ भूमि विवाद व लड़ाई-झगड़े बढ़ने लगे हैं जिनका निस्तारण स्थानीय पटवारियों व राजस्व विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। सड़कों के किनारे बड़ी-बड़ी होटलों व रिसोर्टों का निर्माण हो गया है तथा और तेजी से होने जा रहा है। वन विभाग द्वारा सर्वे लाइनों का व चरागाह भूमियों का नक्शों पर सही चिह्नित न होने से भी भारी विवाद व अतिक्रमण बढ़ रहे हैं जिन्हें हटाने में भी परेशानी आती है। कृषक आबंटन भूमि से ज्यादा भूमियों पर काबिज होकर बची बिलानाम भूमि को मौके पर खुर्दबुर्द कर चुके हैं, जिन्हें चिह्नित कर अतिक्रमण हटाना भी मुश्किल हो गया है। इसका सीधा असर, सरकारी योजनाओं एवं भवनों के लिए भूमियों

(श्री गणेश सिंह परमार)

का आबंटन करने में भारी परेशानी आ रही है। कृषकों को आबंटित भूमियों की सीमा जानकारी कराना नामुमकिन हो गया है जिससे कई गरीब आबंटियों को मौके पर कब्जा दिया जाना मुश्किल हो रहा है।

अतः तहसील क्षेत्र कुम्भलगढ़ का सेटलमेंट सर्वे करवाया जाना नितान्त आवश्यक एवं जरूरी हो गया है जिससे गरीब कृषकों के हितों की रक्षा एवं भू-माफियाओं पर प्रभावी कार्यवाही की जा सके व वर्तमान स्थिति के अनुसार नक्शों को तैयार कराया जाकर इस तहसील के कृषकों के खातेदारी अधिकारों की रक्षा की जा सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बंशीधर खण्डेला।

राज्य के कृषि पर्यवेक्षकों एवं सहायक कृषि अधिकारियों के वेतन में विसंगति

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिए राज्य के कृषि पर्यवेक्षकों एवं सहायक कृषि अधिकारियों के वेतन में विसंगति के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं राज्य सरकार, वित्त मंत्रीजी एवं कृषि मंत्रीजी का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित मुद्दे की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जब प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ दिया गया, तब वर्ष 1996 में अनेक कृषि पर्यवेक्षकों एवं सहायक कृषि अधिकारियों, जिनकी योग्यता अकृषि थी, को वेतनमान 1996 में 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उनका वेतन स्थिरीकरण वेतन श्रृंखला 6500-10500 में किया गया। इसी वेतन श्रृंखला में सेवानिवृत्त कृषि पर्यवेक्षकों एवं सहायक कृषि अधिकारियों का वेतन निर्धारित किया गया।

मैं जिला सीकर के खण्डेला विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे जिले के अनेक सेवानिवृत्त एवं कार्यरत कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारी राज्य सरकार की दोहरी नीति से पीड़ित हैं एवं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि अनेक कृषि पर्यवेक्षक एवं सहायक कृषि अधिकारी, जिनमें सेवानिवृत्त भी सम्मिलित हैं एवं जिनकी योग्यता भी अकृषि ही होने के बावजूद वेतनमान 1996 में 27 वर्षीय सेवा पर उनका वेतन

(श्री बंशीधर खण्डेला)

स्थिरीकरण वेतन श्रृंखला 8000-13500 में किया गया है। इस प्रकार से राज्य सरकार एवं कृषि विभाग की यह भेदभावपूर्ण नीति रही है जिसका खामियाजा अपने पूरे सेवाकाल में इन अधिकारियों को वहन करते रहना पड़ेगा।

वस्तुस्थिति तो यह है कि कृषि विभाग के अधीन कार्यरत कृषि पर्यवेक्षकों एवं सहायक कृषि अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व सबके समान हैं, चाहे उनकी कृषि से सम्बन्धित योग्यता हो अथवा नहीं हो और अगर समस्त कार्मिकों का कार्य समान है तो वेतन निर्धारण में विसंगति पैदा कर सरकार द्वारा क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, यह मेरी समझ से परे है।

इसके अतिरिक्त, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 1991 से पूर्व समस्त कार्मिकों की योग्यता समान थी एवं वेतनमान भी समान ही थे परन्तु वर्ष 1991 में एक विभागीय आदेश जारी कर कृषि एवं अकृषि योग्यताधारी कार्मिकों में अन्तर करते हुए उनका वेतन भी पृथक-पृथक निर्धारित कर दिया जिसका खामियाजा अकृषि योग्यताधारी कार्मिकों को वर्ष 1996 में लागू हुए वेतनमान में भुगतना पड़ा। जब शुरुआती दौर में कृषि विभाग में भर्तियां हुई थीं, उस समय प्रदेश में कृषि से सम्बन्धित विषयों को पढ़ने हेतु विद्यालय/कालेज ही नगण्य थे। तो ऐसे में कृषि योग्यताधारी कार्मिक मिलना सम्भव ही नहीं था एवं विज्ञान एवं कला संकाय के युवक, जो सामान्य कृषि की जानकारी रखते थे, उन्हें ही भर्ती किया गया था, जिन्होंने अपने अनुभव से कृषि विभाग में सेवाएं दी हैं एवं दे रहे हैं। ऐसे में अकृषि योग्यताधारी कृषि पर्यवेक्षकों एवं सहायक कृषि अधिकारियों के साथ सरकार का यह रवैया उचित एवं न्यायसंगत नहीं है।

अतएव मैं पुरजोर शब्दों में राज्य सरकार एवं कृषि मंत्रीजी से इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मांग करता हूं कि इनकी वेतन विसंगति को शीघ्र दूर किये जाने के आदेश प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: कर्नल सोनाराम।

बाड़मेर जिले में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत अनियमितताएं

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के तहत बाड़मेर जिले में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

सभापति महोदय, दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में निवास करने वाली जनता को भी विकास का फायदा मिले और उनको अहसास हो कि वास्तविक विकास हो रहा है, इसी सोच को मध्यनजर रखते हुए हमारी नेता सोनिया गांधी एवं प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की पहल पर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लागू की गई जिसे हमारे प्रदेश में भी लागू किया गया। इसके तहत मरुस्थलीय एवं आदिवासी इलाकों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभान्वित किया जाना है। इसी प्रक्रिया में बाड़मेर जिले में 209 करोड़ रुपये का बजट आबंटन कर इस महती परियोजना का राज्य से बाहर की कम्पनियों को कार्य सौंप कर मार्च, 2010 तक कार्य सम्पन्न करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी।

मैं इसी सदन में एवं माननीय मंत्री महोदय से पूर्व में भी कई बार आग्रह कर चुका हूं कि उक्त योजना के तहत बाड़मेर में एक तिहाई लाभान्वित क्षेत्र मेरे विधान सभा क्षेत्र का है क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उक्त क्षेत्र हमेशा से उपेक्षित रहा है। इस योजना से जनता को बहुत आशा थी। सम्बन्धित उक्त कार्य 2009 से 2010 तक पूर्ण किया जाना था। पर्याप्त बजट होने के उपरान्त भी जिस प्रकार कम्पनियां काम कर रही हैं, मेरी राय में तो 2014 तक भी कार्य पूरा नहीं हो पायेगा। बेचारी लाचार जनता का इसमें क्या दोष है?

वास्तविकता यह है कि बाहर की कम्पनी हमारे क्षेत्र में काम कर रही हैं जो न तो स्थानीय जन प्रतिनिधियों को विश्वास में ले रही हैं और न ही डिस्काम के अधिकारियों को। ऐसी स्थिति में उन्होंने सारा काम मनमर्जी से किया है। किसी ग्राम पंचायत में मानदण्डों से अधिक कार्य कर दिया है, किसी में बिलकुल नहीं किया। जो लाभान्वित होने थे उनको वंचित कर रख दिया, प्रभावशाली लोगों को बिना योग्यता के उनके घरों के पास ट्रांसफार्मर लगा दिये। कई ग्राम पंचायतों में तो बिजली के पोल लगाये एक वर्ष बीत गया लेकिन तार नहीं खींचे गये हैं। कहीं-कहीं तो लगाये पोलों को उखाड़ कर अन्यत्र ले जाया जा रहा है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 के बाड़मेर प्रवास के दौरान प्रशासन की बैठक में भी मेरे द्वारा उक्त अनियमितताओं के बारे में ध्यान आकर्षित किया गया था। बाड़मेर जिला प्रभारी मंत्री को इस स्थिति के बारे में भलीभांति जानकारी है। उन्होंने कार्य को मौके पर देखा भी

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

है। तत्काल कार्यवाही करने के प्रशासन को निर्देश भी दिये हैं। कार्य की गति तो बहुत ही धीमी है। मेरे क्षेत्र के खोखसर, हीरा की ढाणी, केसूम्बला आदि ग्राम पंचायतों में तो अब तक कार्य ही प्रारम्भ नहीं हो पाया है। मेरी जानकारी में यह भी आया है कि पावर ग्रिड के कार्य करने वाले कार्मिक तो अब मात्र 200 से 300 मीटर के दायरे में आने वालों को लाभान्वित कर रहे हैं, जबकि ट्रांसफार्मर से 500 मीटर के घेरे में स्थित बी.पी.एल. को मुफ्त एवं ए.पी.एल. को डिमांड पर कनेक्शन देने का प्रावधान था।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के साझा प्रयासों से जो यह महती एवं गरीबों के घर मुफ्त बिजली पहुंचाने का जो दावा हमने किया था कि 67 हजार बी.पी.एल. परिवारों को मार्च, 2010 तक लाभान्वित किया जायेगा, वह कार्य पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया एवं डिस्काम से माध्यम के मीटर लगाने वाली कम्पनी से समय रहते हो पायेगा, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। मेरी राय में इस योजना की प्रभावी मानिटरिंग कर योजना को गति प्रदान की जानी चाहिए। उक्त योजना में ए.पी.एल. परिवारों को भी मांग करने पर लाभान्वित किया जाना चाहिए।

मेरा मुख्य मंत्री महोदय एवं मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार कर स्थानीय डिस्काम अधिकारियों की जिम्मेदारी निश्चित करते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेने की शर्तें रखते हुए हकदार को हक मिले, ऐसा सुनिश्चित कर कार्य समय पर सम्पन्न हो, ऐसी कार्यवाही अमल में लावें।

श्री सभापति: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत हम रखते हैं, उन पर अधिकारी कोई गम्भीरता से नहीं लेते, कार्यवाही नहीं करते। मेरे क्षेत्र के अतिक्रमण के सम्बन्ध में मैंने दो बार 295 में रखा है, उस पर कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।

श्री सभापति: अब आप पढ़ें। (व्यवधान)

रामगढ़ जिला अलवर में सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सभापति महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ जिला अलवर में सड़कों की हालत बहुत ही चिंताजनक है। मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में सभी पुरानी सड़कें कई वर्षों से मरम्मत एवं नवीनीकरण नहीं होने के कारण भारी संख्या में क्षतिग्रस्त हैं। इन सड़कों की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि कोई भी अच्छे से अच्छा वाहन 15-20 किलोमीटर घंटा की गति से ज्यादा नहीं चल सकता है। इन सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ये सड़कें मुख्य मार्गों से जुड़ी हुई हैं। प्रतिदिन हजारों वाहनों एवं लोगों का आवागमन इन सड़कों के द्वारा होता है। इन सड़कों से कई गांव शहर एवं ग्रामों से जुडे हुए हैं। इन सड़कों की बेहद खराब स्थिति के कारण वर्षा ऋतु में इन गांवों का सम्पर्क परस्पर खतम हो जाता है एवं आमजन को बेहद कष्टजनक स्थिति से गुजरना पड़ता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की बेहद खराब स्थिति को देखते हुए एवं इससे आमजन को होने वाली परेशानी एवं सरकार के प्रति असंतुष्टी को देखते हुए मैं सदन में आसन के माध्यम से, सभापति महोदय के माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सड़कों की स्थिति को सुधारने हेतु इनके नवीनीकरण/मरम्मत हेतु बजट पास किया जावे अन्यथा रोड़ी से विशेष मरम्मत/पेचवर्क कराये जाने की व्यवस्था की जाए। ये सड़कें निम्नलिखित हैं:-

1. भरतपुर-अलवर रोड से नसोपुर, खुटैंटा होकर गूर्जरबास तक
2. नौगांवा से रसगण
3. नौगांवा से मोहम्मदपुर
4. नौगांवा से मुबारिकपुर
5. मुबारिकपुर से पापड़ी वाया धनेटागढ़ी से भिवाड़ी-जबलपुर हाइ-वे से जोड़ने वाली सड़क
6. मुबारिकपुर से किशनगढ़ तक वाया नीकच, नाखनौल, खोयडा करमाली
7. रामगढ़ से गोविन्दगढ़
8. गोविन्दगढ़ से जालूकी
9. गोविन्दगढ़ से सैमलाखुर्द
10. गोविन्दगढ़ से दौंगडी

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

11. गोविन्दगढ़ से भैसड़ावत
12. गोविन्दगढ़ से बड़बरा
13. रामगढ़-गोविन्दगढ़ रोड से नसवारी होकर इन्दपुर
14. रामगढ़-गोविन्दगढ़ रोड से फाहरी बीदूका
15. गोविन्दगढ़-जालूकी रोड से खरसनकी, एवं बीदूका
16. शीतल से निजामनगर होकर मंगलेशपुरबास
17. बड़ौदामेव से मंगलेशपुर वाया परता का बास
18. बड़ौदामेव से वाया घाट, खोयडा खुर्द, नांगलटप्पा एवं पाली रोड
19. बलाई वाला से वाया बाम्बोली खुटेंटा खुर्द तक
20. बडौदामेव से दीनार वाया ढण्ड
21. अलवर-भरतपुर रोड से पीपलखेड़ा
22. बडौदामेव से बुटियाना
23. अलावडा से मालपुर
24. नौगांवा से चीड़वा होकर चुनेड़ा
25. मिलकपुर से अलावडा
26. चिडवई से जाडौली
27. चिडवई से जयसिंहपुरा होकर मंगलेशपुर रोड

ये सभी सड़कें विभिन्न गांवों को परस्पर जोड़ती हैं। इनमें से कुछ मार्ग हाइ-वे से मिलते हैं। इनके अलावा भी कुछ अन्य लिंक रोड एवं छोटी-छोटी सड़कें हैं जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि इन सड़कों के लिए भी नवीनीकरण अथवा मरम्मत कराने हेतु बजट सत्र में स्वीकृति जारी करने की घोषणा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल बैरवा।

खेड़ली थाना क्षेत्र में चोरी व शराब तस्करी की बढ़ती घटनाएं

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): सभापति महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन है कि खेड़ली नगरपालिका क्षेत्र जिला अलवर में मेरा निजी आवास है। उसमें गत छह माह में तीन बार चोरियां हो गई हैं। दिनांक 17/18.11.2011 की रात मेरी बोलेरो गाड़ी गेट का ताला तोड़कर ले गये

(श्री बाबूलाल बैरवा)

जिसे पुलिस ने टोडाभीम इलाके से बरामद कर लिया, जिसमें तीस-चालीस हजार का नुकसान कर दिया। गत 27, 28 फरवरी, 2012 की रात को पीछे से तार फेंसिंग होते हुए भी घुस गये तथा ऊपर छत पर चढ़कर चौक में निकल आए। अन्दर मेरे निजी कमरे में मजबूत ताला होने के कारण ताला नहीं तोड़ पाये, इसलिए कीमती सामान बच गया। मात्र एक गैस सिलेंडर व कम्प्यूटर ले गये जिसे दूर जाकर खेतों में पटक गये। पूर्व में थानेदारों द्वारा मेरे मकान के पास गश्त की लेकिन वर्तमान एस एच ओ ने आने के बाद वहां से गश्त हटा दी। इसका नतीजा यह रहा कि वर्तमान एस एच ओ के रहते तीन बार चोरी हो गयी।

वर्तमान एस एच ओ थाने से बाहर कभी जाते नहीं; क्षेत्र में कितनी भी बड़ी घटना हो, जाते नहीं। माह में दो-चार सिपाही भेज देते हैं। खुद तो बाहर केवल रात को 8 बजे निकलते हैं जब वे शराब की दुकान की रखवाली करते हैं जो रात के बारह बजे तक खुली रहती है। वे दुकान कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष की है। अपराधी रात को आते हैं, 12 बजे तक शराब पीकर घर जाते वक्त चोरी की वारदात करते हैं।

खेड़ली थाना क्षेत्र में ना तो शराबबंदी के समय का ध्यान है, ना ही चोरी का ध्यान है। रोजाना मोटर साइकिल, ट्रैक्टर, बोलेरो गाड़ियों की चोरियां होती हैं तथा दलाल थाने में बैठे रहते हैं। ये दलाल हैं, मुरारी शर्मा, नावेज, कमल नरूका, पार्षद खेड़ली, रवि शर्मा, मेघपुरा व भजन खींची खोखर। ये दलाल थाने में रहकर चोरों की वकालत व दलाली करते हैं।

मैंने दो बार एस पी, अलवर को भी निवेदन किया है कि थाना खेड़ली क्षेत्र में चोरी की बहुत घटनाएं हो रही हैं, कृपया एस एच ओ को हटवाने या पाबंद करवाने का ठोस कदम उठाएं। खेड़ली क्षेत्र में हरियाणा से शराब तस्करी हो रही है। जिसे लाल बत्ती की गाड़ी में लाया जाता है। पुलिस व जिला प्रशासन को पता है लेकिन मजबूर हैं, कहते हैं कि कांग्रेस का नेता यह कार्य करता है, हम मजबूर हैं क्योंकि राज कांग्रेस का है।

कृपया थाना क्षेत्र खेड़ली में चोरी, शराब तस्करी व रात 8 से 12 बजे तक शराब दुकानों का खुलवाना बन्द करने की व्यवस्था करावें।

श्री सभापति: श्री शाले मोहम्मद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो पीड़ा बताई है, खुद की बोलेरो चोरी हो गयी और फिरौती देकर वापस ली है इन्होंने। फिरौती देनी पड़ी ना आपको?

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): हां, चालीस हजार रुपये देने पड़े।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): चालीस हजार रुपये...

अनेक माननीय सदस्य: +++

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): राजस्थान विधान सभा के सदस्य हैं, सभापति महोदय, इनकी बोलेरो चोरी इनके घर के सामने से हुई और सदन में यह कह रहे हैं कि चालीस हजार रुपये फिरौती देकर....

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): इनकी बात खोखली है, राजेन्द्र जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह सरकार सामने बैठी है, यह सरकार के मुंह पर तमाचा है कि विधायक की बोलेरो चोरी हो जाए और विधायक फिरौती देकर अपनी बोलेरो को लेकर आए। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री शाले मोहम्मद। (व्यवधान) आपके सचेतक महोदय ने अच्छी तरह से अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं। (व्यवधान) अब अंकित नहीं होगा।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): xxx

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): xxx

श्री सभापति: आसन की अनुमति के बगैर कोई भी सदस्य बोलें तो अंकित नहीं होगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): xxx

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): अब आपकी बात पहुंच गयी है, बाबूसिंह जी। बात पहुंच गयी है, आपकी सुन ली। गृह मंत्रीजी बैठे हैं, बात सुन ली आपकी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप चालू करें।

पोकरण मेन कैनाल की आर डी 1331 पर 8 डी ओ एल मोगे का पुनर्निर्माण

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के तहत पोकरण में मेन कैनाल की आर डी 1331 पर 8 डी ओ एल मोगे का निर्माण कराने हेतु सादर अनुरोध है। मेरे विधान सभा क्षेत्र पोकरण के उपनिवेशन क्षेत्र नाचना के ग्राम घंटियाली के निवासियों को सिंचित क्षेत्र में उपनिवेशन के स्वीकृत मोगे आर डी 1331 आर डी मेन कैनाल 8 डी ओ एल में कुल 150 मुरब्बों में से 70-80 मुरब्बे जमीन आबंटित है। इसके साथ गांव की समरी सेटलमेंट की जमीन भी वहां पड़ती है। यहां के

(श्री शाले मोहम्मद)

किसान गरीब आदमी हैं और इन्दिरा गांधी नहर के कुछ अधिकारियों की अनबन से यह स्वीकृत मोगा बन्द कर दिया है। गांव के आधे लोगों की रोजी-रोटी का साधन बन्द हो गया है। लोग पलायन करके दूसरे स्थानों पर मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं, जबकि वहां पर लोग सिंचाई का पानी कई वर्षों तक लेते आ रहे हैं। मेन कैनाल आर डी 1331 पर 8 डी ओ एल मोगे का हैड बना हुआ है तथा खाला भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने लाखों रुपए सिंचित भूमि के उपनिवेशन विभाग को कर्ज लेकर चुकाए हैं। विभाग के रुचि नहीं लेने से 8 डी ओ एल का खाला बन्द कर दिया है। कई किसानों का जीवन अंधकारमय हो गया है।

अत: मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत पोकरण में मेन कैनाल की आर डी 1331 पर 8 डी ओ एल मोगे का पुन:निर्माण शीघ्र कराने हेतु विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना देता हूं।

श्री सभापति: श्री जीवाराम चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री हनुमान बेनीवाल।

राज्य सूचना आयोग में पर्याप्त सदस्य व स्थायी स्टाफ की नियुक्ति

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। मुख्य मंत्री महोदय पारदर्शिता लाने के लिए सूचना के अधिकार दिये जाने की बात को अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि बताते हैं तथा राज्य सूचना आयोग को सुदृढ़ करने के लिए पिछले बजट भाषण में घोषणा की थी लेकिन सूचना आयोग अपने अल्प काल में ही दम तोड़ता नजर आ रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम में राज्य सूचना आयोग में अधिकतम दस सदस्य नियुक्त किये जा सकते हैं। राज्य सरकार की मेहरबानी से सिर्फ एक ही सदस्य, जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं, नियुक्त किये गये हैं। पदों के अभाव में राज्य सूचना आयोग में वर्तमान में लगभग नौ हजार केस अपील में लम्बित हैं तथा एक हजार परिवाद भी लम्बित हैं। एक मात्र मुख्य सूचना आयुक्त इन पर सुनवाई नहीं करके एक साल बाद, वर्ष 2013 की तारीखें दे रहे हैं। इससे सूचना के अधिकार का महत्व ही खतम हो गया है। आयोग का कामकाज प्राय: ठप पड़ा है।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

मुख्य सूचना आयुक्त के दक्षिण भारतीय होने के कारण उन्हें हिन्दी का अल्प ज्ञान है। जिसके कारण फैसले लिखने का काम संविदाकर्मी स्टाफ ही करता है। इतना ही नहीं, मुख्य सूचना आयुक्त के विरुद्ध न्यायालय के आदेश से भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा शिकायत दर्ज कर जांच की जा रही है। इससे इनकी सत्यनिष्ठा पर सवाल खड़े हो गये हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी तक ये अपने पद पर बने हुए हैं।

राज्य सूचना आयोग कार्यालय में स्थायी स्टाफ बहुत कम है। ज्यादातर संविदाकर्मी कार्य कर रहे हैं, जो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। आयोग के रजिस्ट्रार वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं, फिर भी वहां कार्यरत हैं तथा सभी सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं।

मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि सूचना के अधिकार में अधिक मजबूती लाने के लिये राज्य आयोग में पर्याप्त सदस्य नियुक्त किये जायें तथा स्थायी स्टाफ भी पर्याप्त लगाया जाकर आयोग को मजबूती प्रदान की जावे अन्यथा सूचना का अधिकार मजाक बनकर रह जायेगा।

श्री सभापति: पर्ची द्वारा उठाये जाने वाले विषय। श्री पेमाराम।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सीकर जिले में निहित स्वार्थवश मन्दिर के नाम भूमि दर्ज कराने के प्रकरण

श्री पेमाराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार के सामने एक ऐसी समस्या जो किसान से जुड़ी हुई है, रखना चाह रहा हूं। हमारा देश जब आजाद हुआ सन् 1947 में, उस दौरान और उससे पहले अलग स्थिति थी, अंग्रेज का राज था, जमीन का मालिक भी कोई राजा-महाराजा हुआ करता था लेकिन 11 की साल में गिरदावरी हुई। सभापति महोदय, हमारे जिले में 11 से 14 के बीच में जो काश्तकार खेती करता था, उस काश्तकार की दो तरह की जमीनें बनायी गयीं उस दौरान। एक तो वह जमीन जिन पर काश्तकार खेती करता था, उसके नाम पर्चा दिया गया, एक वह जमीन जो उस दौरान कोई मंदिर के, देवस्थान के नाम से थी, उनका मंदिर मूर्ति के नाम पर दर्ज किया गया। सभापति महोदय, मंदिर के नाम पर जो भी जमीन दर्ज थी, उस पर उसके पुजारी ने खेती करना शुरू कर दिया। निश्चित तौर पर मंदिर के नाम पर जो जमीन दर्ज है, उस पर किसी प्रकार

(श्री पेमाराम)

की सरकारी सुख-सुविधा नहीं है। न सरकारी कोई ऋण मिलता, न बिजली कनेक्शन मिलता। जिस तरह से अकाल पड़ गया, पाला पड़ गया और सरकार कोई अनुदान भी दे, तो मंदिर की जमीन पर वह सुविधा भी मिल नहीं पा रही है; न कोई फव्वारा खरीद कर लाता है तो अनुदान मिल पाता है। मंदिर के नाम से दर्ज जो जमीन है, वह सरकारी सुविधाओं से वंचित है।

अभी हाल ही में हमारे सीकर जिले की दास्तान आपके सामने रखना चाहूंगा। अभी जमीनों पर भू-माफिया की गिद्ध दृष्टि पड़ी हुई है और उसका परिणाम है कि 11 की साल में जो जमीनें काश्तकार के नाम पर दर्ज हो गयीं, 11 से पहले गुलाम भारत में यदि किसी समय वे जमीनें मंदिर के नाम पर थीं, आज 60-65 साल के बाद अब भू-माफिया प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर उन जमीनों को आजादी के दौरान पर्चा उसको मिला, दादा को मिला, पड़दादा को मिला, उसके बाप/दादा/पड़दादा का स्वर्गवास होने के बाद जमीन आज उनके वारिसों के नाम पर दर्ज है, वे काबिज हैं। उस जमीन को सिर्फ एक ही काम करने के लिये किस तरह से भू-माफिया उस काश्तकार की जमीन पर कब्जा करें, ...मैं शुक्रगुजार हूं कि हमारे बीच राजस्व मंत्रीजी भी आ गये, मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारे जिले में यह चल रहा है। जब 11 की साल में यह पर्चा मिल गया, उसके पुरखों के नाम से पर्चा मिलने के बाद आज काबिज हैं, उस जमीन को अब प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर कुछ प्रभावशाली लोग मंदिर के नाम पर दर्ज करवाकर उन्हें हड़पना चाह रहे हैं। सस्ते भाव में लेकर उनकी कालोनी काटने की योजना है। उसी का परिणाम है, हमारे सीकर जिले में अभी हाल ही में प्रशासनिक अधिकारियों का निर्णय हुआ। नानी ग्राम पंचायत से पूरा की ढाणी बाइपास निकालता है जो बीकानेर जाता है, भोकलपुरा से निकलकर बीकानेर बाइपास जाता है, उसके इर्द-गिर्द सिंगरावत पूरी की पूरी ग्राम पंचायत, इसी के साथ कुड़ली ग्राम पंचायत, उदयराज की ढाणी, पिपराली पंचायत, गूंगारा पंचायत, रघुनाथगढ़ पंचायत और लगभग 4 हजार खसरा, कोई दसों बीघा कच्ची जमीन मंदिर के नाम पर की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी से मिलकर प्रभावशाली लोगों द्वारा उन किसानों को बेदखल करने के लिये प्रयास किया जा रहा है।

मैं आपके मार्फत राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब 11 की साल में पर्चा काश्तकार के नाम पर आ गया, आज तक काश्तकार वहां पर पुख्ता मकान बनाकर रह रहा है। इस तरह के कुकृत्य से दो नुकसान हो रहे हैं, एक तो राजस्व न्यायालय में मुकदमों की संख्या आये

(श्री पेमाराम)

दिन बढ़ती जा रही है, दूसरा जो पीड़ित किसान हैं, उनके द्वारा राजस्व मंडल या हाई कोर्ट में अपने खून-पसीने की कमाई का पैसा वकीलों को लगाकर स्थगन आदेश प्राप्त किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इसकी जांच कराये। इस तरह मिलीभगत करके प्रभावशाली लोग प्रशासनिक अधिकारियों से 11 की साल में जिन लोगों का पर्चा मिला है, उन जमीनों को मंदिरों के नाम पर करवा रहे हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ कानून कार्यवाही की जाए और पुनः काश्तकार के नाम से की जाए।

इसी के साथ एक निवेदन और करना चाहूंगा। मंदिर के नाम से जो जमीन थी, उस पर आज भी पुजारी लोग काश्त करते हैं। कब्जा है, उनके बेटे, पोते वहीं पर रहते हैं, वहीं पर पुख्ता मकान बना रखा है। इसलिये मंदिर मूर्ति के नाम से दर्ज जमीन जिस पर पुजारी काश्त करते हैं, उनके नाम पर दर्ज की जाए। प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर प्रभावशाली लोग जिस तरह से जमीनों को हड़पना चाह रहे हैं, उस पर राजस्थान सरकार अविलम्ब रोक लगाये और ऐसा कुकृत्य करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करे। यह मैं आपके द्वारा राजस्थान सरकार से उम्मीद करता हूं।

मंत्रीजी हमारे बीच में हैं, कानून कोई नया बनायें या नहीं बनायें लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 11 से 14 के बीच में किसान के नाम पर जो जमीन दर्ज हो गयी, आजादी से पहले कोई मंदिर के नाम पर थी या क्या थी, तो आजादी से पहले तो हमारा राजस्थान भी गुलाम था। आप और हमारी यह राजस्थान की विधान सभा भी नहीं थी। आजाद राजस्थान में इस विधान सभा में लोकतंत्र के द्वारा चुनकर आये हैं। आजादी के बाद उन काश्तकारों के नाम से दर्ज थी। मंदिर के नाम दर्ज कर किसान को तंग करने वाले अधिकारियों व प्रभावशाली लोगों पर मंत्रीजी कार्यवाही करेंगे, जांच करवायेंगे और पुनः किसान के नाम पर दर्ज करेंगे, यह मैं उम्मीद करता हूं।

श्री सभापति: श्री कालीचरणजी सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान जयपुर शहर में रिहायशी इलाकों में जो हास्टल्स चल रहे हैं...

श्री सभापति: राजस्व मंत्रीजी, would you like to react on it?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): मंदिर माफी की जो जमीन है, राजस्थान लैंड रिफार्म्स एंड जागीरदारी रिजोल्यूशन एक्ट की धारा 9 के तहत

(श्री हेमाराम चौधरी)

जो खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार थे, उनको तो पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गये लेकिन जो मंदिर के नाम से जमीन थी और पुजारी लिखा था, खातेदार नहीं, खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार, उनके तो रेवेन्यू बोर्ड, राजस्व विभाग ने भी निर्देश दिये कि जमीन उनके नाम से ही रहे। कब्जा, मंदिर के नाम से यह था और पुजारी उसमें लिखा है। पुजारी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होने की वजह से उन पुजारियों ने, पूरे राजस्थान में लाखों की संख्या हो सकती है, आगे बेच दी। पुराने समय में रजिस्ट्रियां भी हो गयीं, उनके नाम म्युटेशन भी हो गये। उन्होंने उसमें कुए भी खुदवा दिये, बिजली के कनेक्शन भी हो गये, मकान भी बना दिये। इस तरह के मामले हैं, मेरे ध्यान में है लेकिन यह मामला कानूनी है और हाई कोर्ट में गया हुआ है। हाई कोर्ट की लार्जर बेंच में...(व्यवधान)

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, I will not allow a debate on it.

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): यह मामला हाई कोर्ट की लार्जर बेंच में लगा हुआ है। जयपुर की बेंच, जोधपुर की बेंच के अलग-अलग निर्णय आ गये इसलिये दो अलग-अलग निर्णय आने की वजह से यह मामला हाई कोर्ट की लार्जर बेंच को सुपुर्द कर दिया गया है अब। उसकी पैरवी के लिये हमारे स्तर से हमने महाधिवक्ता को कई बार पत्र भी लिखे हैं, उनको कहा है कि जल्दी से जल्दी पैरवी करके हाई कोर्ट की लार्जर बेंच से इसका निर्णय करवाया जाए जिससे कि आगे कुछ हम कार्यवाही कर सकें। इस समय यह सबजुडिस मैटर है।

श्री सभापति: श्री कालीचरण सराफ।

जयपुर में चल रहे हास्टल्स से स्थानीय नागरिकों को असुविधा

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जयपुर शहर में रेजिडेंशियल इलाके में जो हास्टल्स चल रहे हैं और उनके कारण जो स्थानीय नागरिकों को तकलीफ होती है उसके बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, जयपुर शहर धीरे-धीरे उच्च शिक्षा के केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है। आज जयपुर शहर में सैकड़ों की संख्या में मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, एम बी ए कालेजेज, बीएड कालेजेज और कई आई आई टी, एम बी ए और सी ए के इंस्टीट्यूट्स तैयारी कराने के लिए यहां

(श्री कालीचरण सराफ)

पर स्थित हैं। पूरे प्रदेश से ही नहीं, देश के कोने-कोने से लाखों की संख्या में यहां पर आकर के विद्यार्थी पढ़ते हैं। यह बात भी सही है कि जो विद्यार्थी, छात्र-छात्राएं बाहर से आते हैं उनके लिए रहने की सुविधा होनी चाहिए, खाने-पीने की सुविधा होनी चाहिए। उसी का यह परिणाम है कि आज जयपुर शहर के कई रिहायशी इलाकों में विशेष रूप से सांगानेर विधान सभा क्षेत्र और मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र, अधिकांश जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वे इन इलाकों में रहते हैं। बापू नगर, बजाज नगर, बरकत नगर, महेश नगर, सांगानेर, प्रताप नगर, माडल टाउन, जगतपुरा, ये इस प्रकार के इलाके हैं जहां हजारों की तादाद में विद्यार्थी आकर के अपना कैरियर बनाने के लिए रहते हैं। यह बात भी सही है कि जो अधिकांश छात्र यहां पर आते हैं, वे पढ़ने के लिए आते हैं, अपना कैरियर बनाने के लिए आते हैं और उनके अभिभावक उनको इस आशा के साथ यहां भेजते हैं कि ये वहां पर पढ़ेंगे और अपना कैरियर बनायेंगे। लेकिन उसके साथ-साथ यह बात भी सही है कि कुछ परसेंट लोग, कुछ तत्व उनमें इस प्रकार के होते हैं, जिनके कारण जो बच्चे यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं, जो अपना कैरियर बनाने के लिए आते हैं, वह सारा छात्र समुदाय इससे बदनाम होता है।

सभापति महोदय, अभी आप लोगों ने देखा होगा, रोज समाचार पत्रों में समाचार पढ़ रहे हैं कि फलानी जगह छात्रों के ग्रुप ने शराब पीकर के हुड़दंग मचाया। बसों में कुछ छात्र जाते हैं, उनसे यदि बस का किराया मांगते हैं तो उनके साथ मारपीट करते हैं। स्थानीय स्तर पर दुकानदारों से माल ले लेते हैं। मैं छात्र हूं, हम 15 छात्र एक जगह रहते हैं, इसलिए वे पैसा नहीं देते, मारपीट करते हैं, हुड़दंग करते हैं। इस प्रकार की घटनाएं कई दिनों से पूरे जयपुर शहर में हो रही हैं। अखबारों में भी आये दिन पढ़ने को मिलता है कि कभी राकड़ी में झगड़ा हो गया, कभी जगतपुरा में झगड़ा हो गया, कभी मालवीय नगर में मारपीट हो गयी, कभी मानसरोवर में मारपीट हो गयी। इतना ही नहीं, इन हास्टल्स का कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, इसके बारे में सरकार की कोई नीति नहीं है। इनका कभी कोई सर्वे नहीं हुआ, इसलिए ऐसी घटनाएं भी इन हास्टल्स में होती हैं जिनकी कल्पना नहीं कर सकते, जिनसे हम शर्मसार हो जाते हैं।

सभापति महोदय, अभी आप लोगों ने पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा होगा कि मानसरोवर में एक छात्रा ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली, हास्टल में रहने वाली लड़की ने। इसी प्रकार से एक दिन समाचार-पत्र में आया

(श्री कालीचरण सराफ)

कि एक छात्रा का यौन शोषण किया गया और उसकी अश्लील सी.डी. बनाकर के उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गयी। इस प्रकार की घटनाएं भी होती हैं।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज शिक्षा के केन्द्र के रूप में जयपुर शहर विकसित हो रहा है। लाखों की संख्या में आज यहां छात्र आकर के पढ़ रहे हैं। छात्र शांतिपूर्ण तरीके से यहां पढ़ सकें, अपना कैरियर बना सकें, इसके लिए शैक्षणिक माहौल भी अच्छा होना आवश्यक है। आज अभिभावक यहां बिना किसी डर के अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें; यहां आकर के वे गलत कामों में लग जायें, यह नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं राज्य सरकार को कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, पहला मेरा सुझाव है कि प्रशासन यह सर्वे करे कि शहर में किस-किस स्थान पर हास्टल्स चल रहे हैं, उनके संचालक कौन हैं और इनमें कितने-कितने छात्र-छात्राएं रह रहे हैं। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि शहर में हास्टल संचालन को व्यावसायिक गतिविधि घोषित करो। जिस क्षेत्र में भी हास्टल खुलता है, उसका स्थानीय थाने में रजिस्ट्रेशन हो। इसी प्रकार से पुलिस की जांच के बाद ही हास्टल खोलने की अनुमति मिले। प्रत्येक हास्टल में पर्याप्त सुविधा है कि नहीं है, इस बात की पहले जानकारी ली जाये और उसके बाद उसकी अनुमति दी जाये। हास्टल संचालक और वहां कार्यरत कर्मचारी, उनका चारित्रिक प्रमाण-पत्र किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से जारी करवाया जाये। रिहायशी कालोनियों में वहां की जो रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी है, उससे हास्टल संचालक एन ओ सी ले, उसके बाद ही वहां पर हास्टल खोलने की अनुमति हो। अभिभावक की व्यक्तिगत उपस्थिति हो, लिखित स्वीकृति के बाद छात्र या छात्रा को आवास की स्वीकृति देने की अनिवार्यता हो। इसी प्रकार से मेरा सुझाव है कि हास्टल में रहने वाले छात्र-छात्राओं का भी पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाये।

सभापति महोदय, यदि ये सब बातें हम करेंगे और पूरा सर्वे करके एक नीति हम हास्टल्स के बारे में बनायेंगे तो निश्चित रूप से शहर का माहौल नहीं बिगड़ेगा, एक शैक्षणिक वातावरण बनेगा और जो बच्चे यहां पर आते हैं, वे अपना कैरियर बनाने में सफल होंगे। जो अभिभावक यहां इस आशा के साथ बच्चों को भेजते हैं कि हमारा बच्चा वहां जायेगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा, अच्छा डाक्टर बनेगा, एम बी ए की परीक्षा

(श्री कालीचरण सराफ)

पास करेगा, बी एड करेगा, तो इसमें उनकी आशाओं के अनुरूप जो वे काम करना चाहते हैं, उसमें सफलता मिलेगी।

मैं चाहूंगा, बेनीवालजी, गृह मंत्रीजी यहां बैठे हैं, वे इस बारे में बतायें कि वे इस मामले में क्या करना चाहते हैं। धन्यवाद। बेनीवालजी, बताओ, साहब।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): आसन की अनुमति हो तो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सभापति महोदय, आसन की अनुमति दो, वे बताना चाहते हैं कुछ। (व्यवधान)

श्री सभापति: Hon'ble Minister wants to react on it?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): सभापति महोदय, जैसा कि मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया हास्टलों और छात्रों के बारे में, जो प्राइवेट हास्टल्स चल रहे हैं। इस विषय में आपने कुछ सुझाव भी दिये हैं जिनमें से कुछ पूर्व से ही अमल किये जा रहे हैं। हास्टलों में रहने वाले छात्रों की किरायेदारों की तरह तस्दीक करायी जा रही है। चेतक गश्त की व्यवस्था भी हास्टलों की पहचान करके उसके आसपास की जा रही है। विभाग पूर्णतया सजग है। आपने जो भावनाएं प्रकट की हैं, उनका भी ध्यान रखा जायेगा।

श्री सभापति: श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा।

राजस्थानी फिल्मों और कलाकार आदि के विकास की योजनाएं

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): सभापति महोदय, आज जिस अनछुए वर्ग को मैं यहां आप सबके बीच में लाना चाह रही हूं, मैं समझती हूं कि आज तक तीन साल हो गये, किसी भी विधायक ने उस वर्ग को नहीं छुआ। अच्छी बात है कि जनता से संबंधित परेशानी, चाहे बिजली, पानी, स्कूल, सड़क, जो भी है, वे रखते हैं। लेकिन जो वर्ग, जिसके बारे में मैं बताना चाह रही हूं, उसको किसी ने नहीं कहा।

सभापति महोदय, किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं विकास को यदि भली-भांति से समझना हो तो वहां के रंगमंच के कलाकारों की स्थिति को मद्दे नजर रखकर देखा जा सकता है कि क्या वास्तव में वह राष्ट्र उन्नति एवं विकास के पथ पर अग्रसर है अथवा पिछड़ा हुआ है। कलाकार एक ऐसा वर्ग है जो हमारे राज्य के विकास में भागीदारी निभाता है। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

होता है या राजस्थान से संबंधित कोई भी प्रचार-प्रसार होता है तो एक कलाकार ही होता है जो अपनी कला के माध्यम से उसको जनता के सामने लाता है। राजस्थान के रंगमंच को समर्पित जो कलाकार हैं, उनकी दुर्दशा राजस्थान के चहुंमुखी विकास में सरकारी दावे की पोल खोल रही है। रंगमंच को समर्पित कलाकार आवास और निवास की तो छोड़ो, दो जून की जो रोटी है वह भी पाने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है और यह सरकार उनकी ओर आंखें बंद करके बैठी है। मैं मानती हूं कि बजट में लोक कलाकारों की बीमा योजना तो चालू की है लेकिन रंगमंच के कलाकार और हमारे राजस्थानी भाषा के फिल्मी कलाकारों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया और ना कुछ दिया गया। वहीं रंगमंच के कलाकार इस सरकार के लापरवाह रवैये की परवाह किए बगैर, भूखे-प्यासे रहकर समाज का मनोरंजन तो करते ही हैं, उसमें जन चेतना और जागरूकता की रोशनी पैदा करते हैं। सामाजिक कुरीतियां हों चाहे संक्रामक रोग हों, यातायात के नियम हों या प्रकृति के संरक्षण का मुद्दा हो, रंगकर्मी सदैव रंगमंच के माध्यम से, अपनी कला प्रतिभा के माध्यम से समाज को जागरूक करते हैं। आप सब भी अपने डिपार्टमेंटों की जो योजनाएं होती हैं, जो भी बड़े-बड़े विज्ञापनों के माध्यम से दिखाते हैं, वह काम भी कलाकार करते हैं। नुक्कड़ नाटक हों, चाहे गांव-ढाणियों में जाकर प्रचार-प्रसार करना हो, वह काम कलाकार ही करते हैं। ऐसे कलाकारों की तरफ आज सरकार आंखें बंद करके बैठी है, वह दु:ख और पीड़ा मैं आपको बता रही हूं।

आज राजस्थान सरकार का चौथा बजट आ गया लेकिन कलाकार के लिए कुछ भी, एक परसेंट भी उनको कुछ भी नहीं दिया गया है। अब मंत्रीजी तो हैं नहीं, क्योंकि मंत्रीजी तो हालीवुड और बालीवुड के कलाकारों को ही महत्व देती हैं, उनके लिए तो राजस्थान के कलाकार नगण्य हैं क्योंकि राजस्थान में तो कलाकार है ही नहीं, उनके लिए तो जो भी कलाकार हैं, वे बाम्बे के, बालीवुड के और हालीवुड के ही हैं। हिरण प्रकरण से जुडे, जो शिकार के दोषी पाये गये कलाकार हैं, वे जयपुर आते हैं तो उनकी बड़ी आवभगत की जाती है, उनके लिये बड़े-बड़े विज्ञापन दिखाये जाते हैं और हमारी पर्यटन मंत्री उनके लिए स्वागत सम्मान करती हैं लेकिन जो राजस्थान के कलाकार हैं, जो राजस्थान के रंगकर्मी हैं, उनकी तरफ बिलकुल भी ध्यान नहीं देतीं।

इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि फिल्मों की बात लीजिये, आप राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की बात करते हैं लेकिन राजस्थानी भाषा की जो फिल्में बनी हैं, 1942 से लेकर 2012 तक सिर्फ 112 फिल्में बनी हैं। क्या

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

कारण है कि इतनी कम फिल्में हमारी राजस्थानी में बनती हैं? कारण यही है कि हमारी सरकार इन कलाकारों और फिल्म निर्माताओं पर बिलकुल ध्यान नहीं देती। मैं यही कहना चाहूंगी कि पर्यटन मंत्रीजी ने लिटरेचर फेस्टिवल में एक घोषणा की थी कि राजस्थान में अगर कोई निर्माता राजस्थानी भाषा में फिल्म की शूटिंग करेगा तो हम उनको 10 लाख रुपये का अनुदान देंगे। यह घोषणा की थी। निर्माता बड़े खुश हुए, उन्होंने सोचा कि राजस्थानी भाषा में हम फिल्म बनायेंगे और राजस्थान की धरती पर शूटिंग करेंगे तो 10 लाख रुपये तो मिलेंगे। तो बहुत से निर्माता फिल्म बनाने लग गये जिनमें 'माटी के लाल-मीणा गुर्जर', 'चुनरी ओढ़ासी म्हारो बीर', जिनकी लागत एक करोड़ की है, फिल्म बनाने की लागत एक करोड़ की है, 'भोभर', 'लाडो मरुधर की शान', इस तरीके की फिल्में जो हम अपने परिवार के बीच में बैठकर देख सकते हैं। परिवार के बीच में बैठकर, देखकर अपने बच्चों को बता सकते हैं कि यह हमारी राजस्थानी भाषा की फिल्म है और इसमें यह मैसेज दिया जा रहा है। बहुत सी मैसेजेबल फिल्में बनी हैं, चाहे वे वीरता के ऊपर हों, चाहे वे संस्कृति के ऊपर हों, चाहे हमारी धार्मिक भावनाओं से सम्बन्धित हों, ऐसी फिल्में बनी हैं। तो ऐसी फिल्मों के निर्माता जब ये फिल्म बनाने लगते हैं और जब फिल्म पूरी हो जाती है और जब मंत्रीजी से मिलने का समय मांगते हैं तो मंत्रीजी उन्हें मिलने का समय ही नहीं देतीं। बड़े दु:ख की बात है कि 10 लाख रुपये के अनुदान की घोषणा करने के बाद राजस्थानी फिल्म निर्माता जब अपनी बात रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए, अपने अनुदान की मांग के लिए जाते हैं तो वहां मंत्रीजी उनको समय ही नहीं देतीं। चक्कर लगा-लगाकर थक गये निर्माता। जहां तक मैं समझती हूं, मुझे ध्यान आया है, वह निर्माता जब विभाग के अधिकारियों के पास गये और वह उनसे मिलते हैं तो अधिकारी यही कहते हैं, एक टका सा जवाब देते हैं अनुदान के बारे में कि क्या तरीका है, उसके बारे में हमें नहीं मालूम। यह जवाब सुनकर जो निर्माता हैं वे अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं।

मैं यह कहना चाहती हूं कि पर्दे के पीछे जो काम करते हैं, पर्दे पर तो हम सब देखते हैं लेकिन पर्दे के पीछे भी कलाकार होते हैं जो कि कैमरामैन होते हैं, स्पाट बाय होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, ये सब भी एक तरह से बहुत बड़ा योगदान करते हैं हमारी संस्कृति, हमारी कला को उजागर करने में क्योंकि वे राजस्थान की हवेलियों को, राजस्थान की कल्चर को दिखाते हैं। मैं यह

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

कहना चाहती हूं कि सरकार उन पर भी ध्यान दे। नरेगा जैसी योजना जरूर आप लेकर आएं हैं गरीब जनता के लिए, तो ऐसी ही योजना कलाकारों के लिए भी लाएं जिससे कम से कम कुछ समय तक उनको कुछ तो राहत मिलेगी, कुछ तो उनको रोजगार मिलेगा। मैं यह कहना चाहूंगी कि जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हैं, जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, हमारी फिल्मों के छोटे आर्टिस्ट हैं, इन सबके लिए कुछ न कुछ योजना लेकर आएं। योजना के लिए मैं यह कहना चाहूंगी कि जैसे आपने पत्रकार कालोनी बनाने की घोषणा की है, अभी जमीन भी शायद बहुत दूर दी है, तो एक कलाकार आवास योजना भी आप लेकर आएं और कुछ जो पैसा है, जो फिल्म सिटी का आप कह रहे हैं कि बनायेंगे, बनायेंगे, तो उसका भी जल्दी से निर्माण करें और फिल्म सिटी के अन्दर रंगकर्मियों को वहां प्राथमिकता से जमीन, प्लाट्स प्रदान किए जाएं। मैं कहना चाहूंगी कि संस्कृति के आदान-प्रदान के लिए जो बाहर से आने वाले रंगकर्मी, नाट्य और नृत्य निर्देशक हैं, या जो कोई भी आते हैं तो उनका बजट सरकार अलग से रखे, न कि हमारे रंगकर्मियों या हमारे कलाकारों के बजट में से कटौती करके उनको दिया जाये। मेरा कहने का मतलब यही है कि सरकार कलाकारों के ऊपर भी ध्यान दे, उनकी भी सुने, उनकी दुखती रग को कुछ राहत प्रदान करे।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगी,

यह दुनिया है, शराफत से यहां हक भी नहीं मिलता,
कोई बागी नहीं होता, बगावत करनी पड़ती है,
सादा मिजाज को कोई जीने नहीं देता
हर मैदान में अब तो सियासत करनी पड़ती है।

श्री सभापति: श्री रमेश चन्द मीणा।

राजस्थान में जल संरक्षण योजनाओं के प्रति शासकीय अधिकारियों का गलत रवैया

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान में गम्भीर पेयजल समस्या और जल संरक्षण विषय पर पर्ची के माध्यम से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बार वर्ष 2011-12 की आर्थिक समीक्षा में यह बताया गया है कि राजस्थान में मुख्य आबादी क्षेत्र 39,753 हैं जिनमें से पेयजल उपलब्ध हैं 39,751 में, अन्य आबादी क्षेत्र

(श्री रमेश चन्द मीणा)

81,380 हैं जिनमें पेयजल उपलब्ध करवाया गया है 64,144 में। अब यह जो उपलब्ध पेयजल है और वर्तमान में जो वर्षा हुई है पिछले सालों में, उन सबका अगर ढंग से उपयोग किया जाता तो जो पैसा दिया गया है केन्द्र सरकार की तरफ से, जो टैक्स-पेयर्स ने पैसा दिया है और गरीब जनता के लिए, जिन योजनाओं के लिए खर्च किया जाता है, जिनमें पेयजल मुख्य समस्या है और अंतिम व्यक्ति तक कुछ कल्याण करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है जो सरकार कर सकती है, अगर उसका ध्यान रखें तो यह मालूम चलेगा कि राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र जिनमें यह दावा किया गया है कि 39,751 में, मुख्य आबादी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है तो यह बहुत बड़ा एक धोखा है, अन्याय है। इस राजस्थान में पेयजल उपलब्ध कराने का जिन बस्तियों का दावा किया गया है, मैं तो टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र और करौली जिले के बहुत से गांवों में गया हूं तो उनमें पेयजल उपलब्धि का दावा जो किया गया है वह मुश्किल से 10 प्रतिशत जनता को पी एच ई डी पेयजल उपलब्ध करवा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में मुश्किल से 60 प्रतिशत, 70 प्रतिशत जनता को पेयजल उपलब्ध होता है। अब इस बारे में अगर ठीक ढंग से अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले इस राज्य में उपलब्ध वर्षा जल और वर्षा जल के कारण नदियां और नदियों के साथ-साथ कुओं और बावड़ियों में जो जल पहले से उपलब्ध है, अगर उनका ठीक तरह से अध्ययन करके और उनकी तरफ ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है कि काफी सीमा तक राजस्थान में इस पेयजल की समस्या से निजात मिलने में मदद मिल सकती है। आज भी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत व्यक्तियों को, अपने स्वयं के प्रयत्नों से पेयजल उपलब्ध होता है, जब कि सरकारी प्रयत्नों से मुश्किल से 10 प्रतिशत एवं बाकी अन्य प्रयत्नों से 10 प्रतिशत है।

तो क्यों नहीं हम इसकी ऐसी कुछ प्रक्रिया बना सकें जैसे कि कई जगह प्रयत्न किया गया है? गांवों के आधार पर परम्परागत जल स्रोतों को विकसित करके, जिसका उदाहरण कई जगह मिलता है, जिसका हमारे नादौती तहसील के गांव स्रोत में भी इस तरह का है कि 10-12 साल पहले ग्रामीणों ने अपने सहयोग से वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एनिकट बनवाया। उस एनिकट के परिणामस्वरूप, सम्पूर्ण तहसील में एक ऐसा उदाहरण है कि जो पानी की उपलब्धता थी, जो उसमें जमीनी स्तर था पानी का, वह मात्र तीन साल में 30 मीटर ऊपर आ गया। आज जब वहां पर यह खोदा गया, जब

(श्री रमेश चन्द मीणा)

बिजली के खम्भे गाड़ने के लिए मशीन चलाई गई तो सम्पूर्ण क्षेत्र में लगभग-लगभग वह बकेट में ही पानी आ जाता था। ऐसा कुछ क्षेत्र वहां विकसित हो चुका है। लेकिन सरकार की उस तरह की अगर मदद मिलती, ऐसे और भी उदाहरण हो सकते हैं, ऐसे प्रयत्न गांव वाले और भी करते हैं तो यह एक इस तरह का तंत्र अगर अपन विकसित करेंगे तो यह बहुत अच्छा एक तरीका हो सकता है।

अब इसमें जो गलत रिपोर्टिंग की जाती है, योजनाओं का गलत इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, उसका एक उदाहरण तो यह है कि कुओं को विकसित करने के लिए, उनकी रिचार्जिंग के लिए, उनकी संभाल करने के लिए कोई भी एजेंसी आज की तारीख में उत्तरदायी नहीं है। हर गांव में, किसी-किसी गांव में तो करोड़ों की लागत से जो कुएं बने हैं, पुराने समय के, वह आज सूख गये हैं; रिचार्जिंग नहीं होने के कारण उसमें एक बहुत बड़ी बाधा आ रही है, जब कि रिचार्जिंग बहुत कम पैसे में, कम से कम अपव्यय करके सरकार के पैसे का और उसमें एक बहुत बड़ा रिजल्ट हासिल किया जा सकता है।

इसी तरह से यह जो गलत इंफार्मेशन देते हैं, उसमें एक उदाहरण है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। प्रश्न संख्या 155, 13वीं विधान सभा का पंचम सत्र, अंत:सत्र प्रश्न था, इसमें मैंने तीन बिन्दुओं पर इनके जवाब चाहे थे; उसमें जिन गांवों का नाम लिया था, ग्राम ढेहरिया, खुडाचरणपुर, गुडली, बागोर, भामोरी, बारापचाणा, सावटा इनके नाम लिये थे। तो इसके बारे में बताया गया कि जिला करौली के इन-इन गांवों की सूचना परिशिष्ट इस पर संलग्न है और बाद में क्या बोलते हैं, संबंधित क्षेत्रीय जल योजनाओं के स्रोतों की मांग-अनुरूप जल उत्पादन नहीं होने के कारण और यहां पर यदा-कदा विद्युत व्यवधान होने के कारण ग्राम ढेहरिया में जल स्तर शून्य है, आज की तारीख में। ग्राम ढेहरिया की जनसंख्या 3,400 से अधिक है। जब जल स्तर शून्य है और लगातार यहां पर टैंकर की भी कभी ठीक से व्यवस्था नहीं की गई। तो ऐसे हमारे विधान सभा क्षेत्र में कितने ही उदाहरण हैं। एक मिस-इंफार्मेशन और भी दी गई है, इन गांवों में ग्राउंड वाटर उपलब्ध नहीं है और ग्राउंड वाटर जितना भी है, वह खारा है। तो खारे जो सभी वर्णित गांव हैं, इनमें जब खारा जल उपलब्ध है तो बाद में यह कहते हैं वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वर्णित समस्त ग्रामों में पर्याप्त संख्या में हैंडपम्प कार्यशील हैं तथा आवश्यकतानुसार ग्रीष्म ऋतु में टैंकरों द्वारा परिवहन के माध्यम से

(श्री रमेश चन्द मीणा)

पेयजल की आपूर्ति की जाती है। पिछले तीन सालों में लगातार कोई भी टैंकर ठीक से वहां क्रियाशील नहीं रह पाया जिसके कारण यह हुआ कि वहां पर हम सब ने मिलकर और कुछ अपने पैसे से और कुछ आपस में दानदाताओं के पैसे से हैंडपम्प लगाना पड़ा। यह सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसकी मैं भर्त्सना करता हूं कठोर शब्दों में कि एक गलत इंफार्मेशन इस तरह दी जा रही है, विधान सभा में भी।

आगे भी जो सरकार की मंशा है, वह और भी आगे स्पष्ट होती है कि एक परियोजना स्वीकृत की गई थी सन् 2004 में, वह है, चम्बल-सवाईमाधोपुर-नादौती वृहत् पेयजल योजना और उसकी लागत 478 करोड़ रुपये के प्रथम चरण में 639 गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने का उसमें प्रस्ताव था, योजना थी। उसमें जब काम नहीं हुआ, वर्ष 2008 तक 187 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है और व्यय करने के बाद अब पिछले तीन साल में उस पर एक भी रुपया लगा नहीं है और उस पर कोई काम हो नहीं रहा है। तो सरकार से, केन्द्र सरकार से जो मिला पैसा, जो टैक्स-पेयर पैसा देता है और जो जनता के लिए 639 गांवों के लिए, जो ग्रामीण उस पेयजल के लिए इस आशा में बैठे थे कि हमको, यह परियोजना पूरी होगी तो परियोजना के माध्यम से हमको पेयजल उपलब्ध होगा तो आज इतने दिन बीतने के बावजूद भी, बार-बार सूचना देने के बावजूद भी, क्यों नहीं इसको पूरा किया जा रहा है?

इसके साथ-साथ गलत इंफार्मेशन इस विधान सभा के माध्यम से भी दी जा रही है। लगातार इन्होंने जब मैंने सूचना मांगी तो सूचना में, 2010 के प्रश्न संख्या 97 (तृतीय सत्र) के उत्तर में, सभी गांवों को 2012 के अंत तक लाभान्वित करना प्रस्तावित है, ऐसी सूचना दी गई थी मुझे। लेकिन इसके बाद में जब दुबारा प्रश्न लगाया, वर्ष 2011 के षष्टम सत्र में प्रश्न संख्या 5852 के उत्तर में बताया कि उक्त परियोजना को मार्च, 2013 तक पूरा करने का निर्णय लिया गया है। जब तीन सालों में काम नहीं हो रहा है और 639 गांवों की प्रस्तावित है परियोजना, अब तक इतने दिनों से जो पानी उपलब्ध नहीं करवाया गया तो आप कब पानी उपलब्ध करवाएंगे?

इसके साथ-साथ में वहां पर जो चम्बल से एक ऐसी परियोजना बनी थी जिसके माध्यम से बहुत सारे पैसे का अपव्यय जो अपना हो रहा है, उसको कम किया जा सकता था, उसको मिटाया जा सकता था लेकिन गलत प्लानिंग

(श्री रमेश चन्द मीणा)

के कारण, सरकार की गलत मंशा के कारण सरासर अन्याय हो रहा है। यह सरकार का खर्चा तो हो ही रहा है लेकिन इसके विरोध में मैं सरकार की कठोर भर्त्सना करते हुए आसन के समक्ष अपना सांकेतिक धरना प्रस्तुत कर रहा हूं और इनकी घोर भर्त्सना कर रहा हूं। यह अन्याय है पेयजल की समस्या पर गांवों के साथ। मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापतिः प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, सम्माननीय सदस्य को सम्मानपूर्वक अपने स्थान पर ले जाने का श्रम करें।

डा. जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री, राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा-12(5) के अन्तर्गत लोकायुक्त की विशेष रिपोर्ट व ऊर्जा विभाग द्वारा तैयार किया गया स्पष्टीकारक ज्ञापन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सभापति महोदय, मैं पाइंट आफ इंफार्मेशन के माध्यम से आपका ध्यान आकार्षित करना चाहता हूं। कृपया समय दिलावें।

श्री सभापतिः दे दीजिए, आप भी पाइंट आफ इंफार्मेशन।

सूचना

ब्यावर में फोर्टीफाइड आटे जनित बीमारियों से मृत्यु

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, ब्यावर क्षेत्र में अभी जो इस सरकार के द्वारा आटा वितरण कराया जा रहा है, उसके अन्दर विटामीन-सी के जैसे अब जो फोर्टिफाइड आटा दिया जा रहा है, उससे पिछले चार दिनों में भयंकर बीमारी पीलिया की चल रही है। राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह कायाभीला का परसों के दिन यहां एस एम एस में लाकर इलाज कराया, ब्यावर में इलाज नहीं हुआ, यहां लाकर भर्ती कराया और कल उसकी मृत्यु हो गई।

इसी प्रकार, सैकड़ों आदमी वहां पर बीमार हैं। अभी भी हालात का पता करें। सरकार को ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए और ऐसे फोर्टिफाइड आटे को बंद करने के लिए कोई योजना बनाएं, ऐसे लोगों को मारने का काम नहीं करें। मैं सदन के अन्दर कोई गलत सूचना नहीं दे रहा हूं, आप तथ्य को प्रमाणित करवा सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, बहुत गम्भीर विषय है और अभी भी लोग बीमार हैं, अमृतकौर अस्पताल, ब्यावर में। इसकी व्यवस्था की जाए।

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, आपका विषय सदन के पटल पर आ गया।

डा. जितेन्द्र सिंह।

(14.00 बजे)

सदन पटल पर रखे गये पत्र

लोकायुक्त की विशेष रिपोर्ट एवं ऊर्जा विभाग का स्पष्टीकारक ज्ञापन

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा-12(5) के अन्तर्गत लोकायुक्त की विशेष रिपोर्ट एवं ऊर्जा विभाग द्वारा तैयार किया गया स्पष्टीकारक ज्ञापन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: याचिकाओं का उपस्थापन। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

याचिकाओं का उपस्थापन

सूरसागर की बाबा रामदेव रोड का विकास

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के विश्व प्रसिद्ध बाबा रामदेव मंदिर मसुरिया के प्रति वर्ष के विशाल मेले एवं मेला जातरूओं के आवश्यकता-उपयोगिता अनुरूप बाबा रामदेव रोड के विकास बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री सभापति: श्री रमेश चन्द मीणा, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

नवलगढ़ शहर के कतिपय क्षेत्रों में गंदे पानी के निकास की व्यवस्था

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से नवलगढ़ शहर के बीच बसी वाल्मिकी कालोनी एवं खटीकों के मोहल्ले में फैले गंदे पानी के निकास बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: श्री कानसिंह कोटड़ी, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

सिवाना में सहशिक्षा राजकीय महाविद्यालय खोला जाना

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से सिवाना में सहशिक्षा राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: श्री कमल बैरवा, सदस्य, विधान सभा एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

कानोता ग्राम पंचायत, पंचायत समिति बस्सी द्वारा निर्माण कार्य में उपेक्षा के चलते मकानों के क्षतिग्रस्त व आवागमन अवरुद्ध होना

श्री कमल बैरवा (निवाई): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्राम पंचायत कानोता, पंचायत समिति-बस्सी द्वारा अनुसूचित जाति के मोहल्ले में पानी के निकास का नाला निर्माण व सी.सी. रोड बनाने में जानबूझकर उपेक्षा किये जाने से वाल्मिकियों के मकान क्षतिग्रस्त होने व आवागमन अवरुद्ध होने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: कर्नल सोनाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

माण्डपुरा बरवाला ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम सियागों की ढाणी को सड़क से जोड़ना

1- ग्राम पंचायत माण्डपुरा बरवाला के राजस्व ग्राम सियागों की ढाणी को सड़क से जोड़ने बाबत ।

माण्डपुरा बरवाला ग्राम पंचायत के मुख्यालय स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करना

2- ग्राम पंचायत मुख्यालय माण्डपुरा बरवाला उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत ।

श्री सभापति: समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री शंकरलाल अहारी, सभापति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2011-2012, समिति के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

समिति का प्रतिवेदन

अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति (वर्ष 2011-12) का प्रतिवेदन (सं. 6)

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2011-2012 के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: वित्तीय समिति के गठन के संबंध में प्रस्ताव। डा. रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक, वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों का गठन

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

"राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1), 231, 232(1) सहपठित नियम 232(1), 233-ख(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमश: जन लेखा समिति, 2012-2013, प्राक्कलन समिति 'क', 2012-2013, प्राक्कलन समिति 'ख', 2012-2013 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013, प्रत्येक के लिये 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है ।

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम-230(1), 231, सहपठित नियम 232(1), 233-ख(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासंभव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उनका प्रतिनिधित्व दिया जाय, जितना सभा में उनकी सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें ।"

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में सरकारी मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

वित्तीय समितियों के गठन से संबंधित प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-2013 ।(व्यवधान) जैसे-जैसे समय व्यतीत होगा आपको पता पड़ जाएगा, कौन है, कौन नहीं।

डा. दिगम्बर सिंह। माननीय सदस्य, आप ही बता दें, आप कितनी देर तक बोलेंगे जिससे मैं आपको बीच में व्यवधानित न करूं?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं अपने आप ही बंद हो जाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री सभापति: 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घण्टा, 40 मिनट?

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ज्यादा से ज्यादा आधा घण्टा। ज्यादा समय नहीं लूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान की विधान सभा के अन्दर दलबदल की बैसाखियों पर बनी हुई इस सरकार के चौथे बजट पर चर्चा हो रही है। यह चौथा बजट है और साथ में मैं भगवान से यह भी प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इन्हीं वित्त मंत्री और इन्हीं मुख्य मंत्री महोदय को कम से कम एक बजट में भाषण करने का एक मौका और दे, क्योंकि मुझे मालूम है कि सत्ता पक्ष के लोग काफी सक्रिय रूप से लगे हैं, परन्तु इनकी जड़ें दिल्ली में इतनी गहरी हैं कि उसमें सफल हो पाना, मुझे बहुत मुश्किल लगता है।

मुझे शक है, सभापति महोदय, जो बजट मैं सुन रहा था और मैंने पढ़ा भी, मुझे लगा कि मुख्य मंत्रीजी ने केवल बजट का वाचन किया, उसको पढ़ा है; बजट के निर्माण में, बजट के बनाने में मुझे लगता है कि उनकी कोई भूमिका इसमें नहीं रही, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। हमारे सत्ता पक्ष के सभी साथियों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की कि थोड़ा आदमी का बजट है, विकास का बजट है और सबसे बड़ी प्रशंसा माननीय मुख्य मंत्रीजी खुद कहते हैं कि हमारा जो शानदार वित्तीय प्रबंधन है, उसकी माननीय प्रधान मंत्रीजी ने भी तारीफ की, उसकी योजना आयोग ने भी तारीफ की, क्योंकि सरप्लस का बजट इन्होंने पेश

(डा. दिगम्बर सिंह)

किया। मैं यह बात कहता हूं, यह बात सही है कि कर और राजस्व बढ़ा है। तेरहवें वित्त कमीशन की रिकमंडेशन के कारण सेंट्रल टैक्सेज में जो ग्रांट है, उसमें 32 परसेंट इंक्रीज हुआ है; पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वजह से 3128 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। सभापति महोदय एफ आर बी एम एक्ट लागू होने के बाद, एफ आर बी एम एक्ट की जो मंशा है कि राज्यों में वित्तीय अनुशासन बना रहे और इसका प्रयास इस एक्ट के तहत किया गया ताकि राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, नेट बोरोइंग्स सबकी समयसीमा तय हो और इसके लक्ष्य भी निर्धारित किये गये हैं, परन्तु जिस तरह का बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया, हम लोगों को उसको ढंग से पढ़ने के बाद लगने लगा कि वास्तव में इसमें भी जादूगरी दिखाने की पूरी कोशिश मुख्य मंत्रीजी ने की है। एक आंकड़ों का जादू इस बजट के अन्दर पेश करके उन्होंने अपने साथियों से बड़ी-बड़ी प्रशंसा इस सदन के अन्दर करवायी, सरप्लस बजट प्रस्तुत करने के लिए, मैं मानता हूं कि केवल आंकड़ों का भ्रमजाल इसमें लगा है। सबसे बड़ी जो बात इस बजट में मुझे देखने को मिली, कैपिटल अकाउंट में जो सरकार ने 13,925 करोड़ रुपये दर्शाये हैं, उसमें सबसे बड़ा कैपिटल कर्जे का है। कर्जा लेकर के कैपिटल अकाउंट बढ़ायें फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करे; राजस्व का जो खर्चा है वो चाहे कितना भी हो और रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में से घटाकर सरप्लस बजट देना मैं समझता हूं कि यह एक फाइनेंशियल आफेंस है और वह हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन में किया है।

सभापति महोदय, मैं इन आंकड़ों में ज्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि इस बजट को पढ़ने के बाद अर्थशास्त्री तो क्या हलशास्त्री भी समझ जाएंगे कि इस बजट में कितना दम है। किसी भी राज्य का जो फाइनेंशियल स्टेटस है, उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है फिस्कल डेफिसिट, जो राजकोषीय घाटा होता है। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ा राजकोषीय घाटा 8,550 करोड़ का अगर किसी ने दिया है तो इस सरकार ने, माननीय अशोकजी गहलोत ने दिया है। कर्ज का तो जिक्र मैं क्या करूं, शायद मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में से वह बात निकल गई जब 1998 में पहली बार मुख्य मंत्री बने थे, तो उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर जबरदस्त एक आरोप लगाया कि पांच साल के अन्दर 23,500 करोड़ का कर्जा लेकर बहुत बड़ा अपराध उस सरकार ने किया और इस हेतु एक श्वेत पत्र भी जारी किया। मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा खेद है कि आज उन्हीं मुख्य मंत्रीजी के कार्यकाल

(डा. दिगम्बर सिंह)

में सर्वाधिक कर्जा एक लाख 61 हजार का है। मैं समझता हूं, इससे बड़ा कथनी और करनी में अन्तर इस सरकार का, हमारे मुख्य मंत्री महोदय का क्या हो सकता है?

सभापति महोदय, इस सरकार का, इन मुख्य मंत्रीजी का केन्द्र में तो इकबाल बिलकुल खतम हो चुका और यह एक बात से नहीं, कई बातों से केन्द्र सरकार ने, केन्द्र के नेताओं ने, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने साबित कर दिया। जब गोपालगढ़ की यात्रा पर राहुल गांधी आये तो जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लोग, जिनके वारंट इश्यू हो रखे थे, पुलिस जिनके पीछे थी, उनकी बिना नम्बर की मोटर साइकिल पर, चोरी की मोटर साइकिल पर बैठकर गोपालगढ़ क्षेत्र का दौरा करके गये और वहां पर क्रिमिनल से गले मिलने के बाद उनको कहकर गये कि कोई काम हो तो मेरे पास सीधे आ जाना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे सरकार के मुखिया को उसकी कानों-कान खबर नहीं हो, कैसी सरकार है यह? कैसा इकबाल है सरकार का? तीन साल से लगातार ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम पानी के लिए, राजस्थान में पेयजल हेतु 37 हजार करोड़ रुपये का स्पेशल पैकेज केन्द्र सरकार से लेकर आ रहे हैं। मिल गया क्या? कौनसा स्पेशल पैकेज पानी के लिए मिल गया? राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान को एक अलग से दर्जा, एक स्पेशल स्टेटस देने के बड़े जोर-जोर से आपने प्रयास किये। केन्द्र सरकार ने दे दिया क्या? अब तक आप पूर्ववर्ती सरकार पर रिफाइनरी को लेकर आरोप लगाते रहे, कितने दिनों से खुद चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम रिफाइनरी स्थापित करेंगे, कितनी बार आपकी बैठकें हो चुकीं पर मेरे खयाल से केन्द्र के नेताओं के अभी तक तो कान पर जूं रेंगी नहीं है। यहां तक कि गुर्जर आरक्षण में, देवासियों के आरक्षण के लिए इतने दिन से अधरझूल में मामला लटकाया हुआ है, उसमें भी केन्द्र सरकार का इनके साथ में कोई सकारात्मक रुख नहीं है।

बड़े जोर-जोर से इस बात का प्रचार किया कि हमने एनुअल बजट साइज बहुत बढ़ा दी, बहुत बड़ा एनुअल प्लान का साइज कर दिया। सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अब तक कोई ऐसा वर्ष, एनुअल प्लान आया है जो पिछले वर्ष के मुताबिक कम आया हो? हर वर्ष कुछ न कुछ बढ़कर आता है और इसमें आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया है।

(डा. दिगम्बर सिंह)

यह बात जरूर है कि योजनाओं के नाम परिवर्तन कर-करके एक नया नाम देकर अपने नाम से उसको प्रचारित करने का प्रयास इस सरकार ने जरूर किया है। मुझे याद है कि जब मैं खुद चिकित्सा मंत्री था तब जननी सुरक्षा योजना चालू की गई थी और उसका नाम दिया था जननी सुरक्षा योजना। हम भी चाहते तो अपनी पार्टी के किसी बड़े नेता के नाम पर चालू कर सकते थे, क्योंकि आप लोगों को उन सबको बदल-बदल कर अपने कांग्रेस के नेताओं के नाम पर योजनाओं के नाम बदलने का एक शौक है। उस जननी सुरक्षा योजना का पिछले बजट भाषण में आपने जिक्र किया और उसको जननी शिशु सुरक्षा योजना कर दिया। इस बार जो इस बजट में लिखा है कि सरकार ने मां जननी शिशु सुरक्षा योजना इस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ की है। सभापति महोदय, जो 2007-08 से चल रही हैं, उसके लिए लिख रहे हैं कि हमने इस वित्तीय वर्ष में मां जननी शिशु सुरक्षा योजना चालू की है। सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बिना शिशु के मां सुरक्षित है? अगर मां सुरक्षित है तो ही शिशु सुरक्षित है और मां एवं शिशु तो दोनों एक ही यूनिट हैं, दोनों की सुरक्षा करनी है और वह केवल नाम देने से नहीं होती है।

सभापति महोदय, मैं इनके आंकड़े बताना चाहता हूं। मैं एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं कि एन आर एच एम का प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो 2012 तक के लिए प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट को लागू करने के पीछे जो मंशा थी, केन्द्र सरकार की और राज्य सरकार की उसके पीछे मंशा यह थी कि हमारे मेडिकल के जो पैरामीटर्स हैं, जिनके कारण से राजस्थान बीमारू प्रदेशों की लाइन में खड़ा है, मेटरनल मोर्टेलिटी की रेट बहुत ज्यादा थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी की रेट बहुत ज्यादा थी और बर्थ रेट भी काफी यहां पर ज्यादा थी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन इंडिकेटर्स में जब तक परिवर्तन नहीं आये, तब तक आप राजस्थान का स्वास्थ्य कैसा है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसको सुधारने के लिए यह नेशनल रूरल हैल्थ मिशन चालू किया गया। इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें 60 से 70 प्रतिशत कम्पोनेंट री-प्रोडक्टिव चाइल्ड हैल्थ के लिए था, उसमें मां और बच्चे की सुरक्षा का था, बच्चा सुरक्षित पैदा हो, उसके बाद सुरक्षित रहे और मां का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। इसके लिए इन्होंने केवल इसमें नाम बदलकर कभी तो कहते हैं कि हमने पांच किलो घी देना शुरू कर दिया; आप लोग भी सब अपने विधान सभा क्षेत्र में जाते होंगे, एक बार पूछना तो सही कि कितनी महिलाओं को पांच किलो घी

(डा. दिगम्बर सिंह)

इसमें मिल रहा है। पिछले बजट में घोषणा कर दी कि हम जच्चाओं को, प्रसूताओं को गरम-गरम खाना देंगे। उस समय भी मैंने कहा था कि सब लोगों के घर में मां-बहनें हैं, डिलिवरी में किस तरह से क्या खाते हैं, क्या पिलाते हैं, इसका थोड़ा बहुत अंदाजा होता है और मैं तो खुद एक गायनोकोलोजिस्ट हूं, मुझे इसमें कुछ ज्यादा नालेज है। मैंने मुख्य मंत्रीजी को कहा था कि गरम-गरम खाना प्रसूताओं को नहीं दें पर उन्होंने घोषणा की और अब मान रहे हैं कि हम प्रसूताओं को गरम-गरम खाना दे रहे हैं। गरम खाने के नाम पर क्या मिल रहा है? आप पांच विधायकों की टीम बनाकर के पूरे अस्पतालों में जानकारी करवा लें कि एक पारले-जी का बिस्किट और एक गिलास दूध, उस दूध में कितना दूध और कितना पानी होता होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरह का खिलवाड़ उन प्रसूताओं के साथ किया जा रहा है।

सभापति महोदय, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट 2007-08 में 318 थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 55 थी। इसको कम करने की दृष्टि से जो मिलेनियम डवलपमेंट गोल्स हैं, उनके अनुसार 2015 तक राजस्थान के अन्दर हमें मेटरनल मोर्टेलिटी को 100 से कम लेकर आना था, इन्फेंट मोर्टेलिटी को 30 से कम लेकर आना था पर अभी हम कहां अटके पड़े हैं? अभी हमारी मेटरनल मोर्टेलिटी है 318 और इन्फेंट मोर्टेलिटी 55 है। 2015 का जो मिलेनियम डवलपमेंट गोल है, उसको कैसे हम पूरा करवायेंगे? इसको पूरा करने के लिए 2012 तक इस एन आर एच एम प्रोजेक्ट में राजस्थान सरकार के सामने यह लक्ष्य रखा गया था कि इसमें कम से कम हम मेटरनल मोर्टेलिटी को 148 पर ले आयें और इन्फेंट मोर्टेलिटी को 132 पर ले आये, परन्तु सरकार इसमें टोटल नाकाम रही है।

केवल नाम बदलने से, मैं समझता हूं, इसका कुछ भला होने वाला नहीं है। अगर वास्तव में प्रसूताओं की मदद करना चाहते हैं तो फिर आपको एक बार जोधपुर की तरफ झांकना पड़ेगा, सभापति महोदय। कितनी घोषणा यहां से मुख्य मंत्री, खुद निवासी, यहां से विधायक और जोधपुर वालों को इस बात का बड़ा गरूर हुआ कि हमारे यहां से मुख्य मंत्री एक बार फिर से बने हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि एन.आर.एच.एम. में जिस तरीके से फर्जीवाड़ा उत्तर प्रदेश में हुआ है और उस फर्जीवाड़े के कारण कितने लोगों के मर्डर हुए, कितने लोगों ने सुसाइड कर ली, आज राजस्थान के अन्दर वही स्थिति होने जा रही है अगर कंट्रोल नहीं करेंगे।

(डा. दिगम्बर सिंह)

चिकित्सा हैल्थकेयर लिमिटेड के बारे में पहले भी कई बार बात आ चुकी है। 108 एम्बुलेंस के संचालन में जिन बड़े नेताओं के लड़कों का, जिनके बेटों का हाथ है तो न तो मुख्य मंत्रीजी की हिम्मत है, न चिकित्सा मंत्रीजी की हिम्मत है जो उनके ऊपर कोई कंट्रोल कर लें। फर्जी बिलिंग मेडिसिन्स की, फर्जी ट्रिप हैं, उनके बना-बनाकर बिल उठा रहे हैं। मैं समझता हूं, यह भी हमारे राजस्थान के लोगों के साथ बहुत बड़ा एक अन्याय हो रहा है।

और तो और, मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट घोषणाएं पिछली बार की हैं राजस्थान में केवल घोषणा कर देना अगर मकसद है और उसकी मानिटरिंग नहीं करना कि कितनी घोषणाएं पूरी हुईं और कितनी नहीं हुईं इसको नहीं देखना तो मैं समझता हूं, यह जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है।

अब जोधपुर के लिए मैं बताना चाहूंगा कि गत बजट में महात्मा गांधी अस्पताल में आपातकालीन इकाई, ओ पी डी ब्लाक, संक्रामक अनुसंधान केन्द्र, मेडिकल कालेज में रिसर्च लैब, इनकी घोषणा की थी। सूर्यकान्ताजी बैठी हैं, सभापति महोदय, इनमें से एक भी घोषणा एक साल के अन्दर, एक भी इनकी घोषणा पूरी नहीं हुई जोधपुर के अन्दर।

उम्मेद अस्पताल के लिए, मुझे याद है, सूर्यकान्ताजी ने बहुत जोर से रो-रोकर विनती की थी, हाथ जोड़कर विनती की थी मुख्य मंत्रीजी से कि नेट मशीन की व्यवस्था जोधपुर के अन्दर करवा दें। थैलीसीमिया के कारण से, जो बच्चों को ब्लड चढ़ाते हैं, उसमें कई बच्चों को एच.आई.वी. एड्स हो चुकी है गलत ट्रांसफ्यूजन के कारण से, परन्तु घोषणा करने के बाद मुख्य मंत्री महोदय ने जोधपुर में भी यह व्यवस्था अभी तक नहीं करवाई है।

और तो और, कल माननीय राजेन्द्रजी ने भी इस बात को, प्रसूताओं की मौत की बात को उठाया था। गलत इंजेक्शन से जिस तरह से तबीयत खराब हुई, पहले गलत आये हुए फ्लूड के कारण से 29 प्रसूताओं की मौत जोधपुर के अन्दर हुई और मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आती है, शर्म की बात सरकार के लिए और मुख्य मंत्रीजी के लिए है कि 29 महिलाओं की मौत के बाद मात्र 16 महिलाओं को उन्होंने अभी तक आर्थिक सहायता दी है; मात्र 16 महिलाओं को दी है। 13 महिलाओं को अभी तक वह आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से नहीं गई।

जोधपुर का किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूं। एम.डी.एम. अस्पताल के अन्दर तीन मरीज केवल इस कारण से मर गये कि आक्सीजन

(डा. दिगम्बर सिंह)

सिलेंडर खाली पड़े थे। उनको आक्सीजन लगा रखी थी नाक में, सिलेंडर में आक्सीजन नहीं और तीन मरीजों की डैथ हो गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, एक मिनट, सर, पिछली बार भी आपने बजट में यह का यही बोला था, कुछ परिवर्तन तो करो इसमें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आपको सुनने में दिक्कत आ रही है क्या? अगली बार भी यही मुख्य मंत्रीजी बजट पढ़ेंगे तो हम यही बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: वैसे, मुख्य सचेतक जी, जो बात सच्ची है, उसको बार-बार कहा जाये और अगर आप समझ लें, तो उसमें सुधार कर लें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): एम.डी.एम. अस्पताल के अन्दर आक्सीजन की कमी के कारण से तीन मरीजों की मौत हुई और उसके बावजूद भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी। बड़ी शर्म की बात है। रघुजी, आप हंस तो लो, पर जब मरीज को चूहे काटते हैं अस्पताल के अन्दर...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): टाइप तो दुबारा करा लेते, डाक्टर साहब, मैं तो यह कह रहा हूं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आई.सी.यू. के अन्दर अगर गम्भीर मरीज को, बेहोश मरीज को चूहे काट जाये, मैं समझता हूं, सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती। (व्यवधान) और यह तो मैं आपको जोधपुर की बात बता रहा हूं। जोधपुर से बाहर तो क्या सत्यानाश हो रखा है सरकार का। अभी 26 मार्च की बात है...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): बाद में यह मुझे दे देना, मेरे काम आ जायेगा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): यह 26 मार्च की बात है, इसी उम्मेद अस्पताल के अन्दर बच्चों को बदलने की घटना हो गई। लड़का पैदा हुआ, लड़की पकड़ा दी। इसका कारण क्या, कि नर्सिंग स्टाफ को बच्चे को पहुंचाना चाहिए था, वह तो जो बाइयां काम करती हैं, जो सहायक कर्मचारी काम करती हैं, वे बच्चों को पहुंचा रही हैं उस महिला के पास, उस मां के पास क्योंकि विभाग में नर्सिंग स्टाफ की कमी है। जितना होना चाहिए, उतना नर्सिंग स्टाफ नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार के द्वारा अन्याय हुआ है।

(डा. दिगम्बर सिंह)

आपने पहले घोषणा तो कर दी, आपने बहुत बड़ी-बड़ी तारीफ की है मुफ्त दवा योजना की कि हम मुफ्त दवाई दे रहे हैं, मैं स्वागत करता हूं इस योजना का, अपने दिल से स्वागत करता हूं कि इसमें भावना बहुत अच्छी है, वास्तव में इसकी अगर आप क्रियान्विति ढंग से कर पाते तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता था परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया, उस इम्प्लीमेंटेशन के कारण से, आज अस्पताल में जाकर आप चार मरीज को पूछ लेना, लाइन में लगते है, पांच दवाई डाक्टर लिखता है, दो दवाई मिलती हैं, तीन मिलती नहीं हैं, कि इनको बाजार से ले लो। मरीज वही पर्ची फेंककर चला जाता है कि इसको धर रख, मैं तो बाजार से ही ले लूंगा। यह स्थिति हो रही है। अगर मुफ्त दवा देनी थी, इसको पूरा अच्छी तरह से एक बार प्लान कर लेते कि इसको कहां हमें लागू करना है, पहले कैसे लागू करना है, यह कर लेते और अब भी कह रहे हैं कि हम 400 दवाइयां दे रहे हैं, आज मेरे साथ किसी को भेज दो, सभापति महोदय, मैं चलता हूं जयपुर के अस्पताल के अन्दर और 400 दवाइयों में से मात्र 172 दवाइयां उपलब्ध हैं मात्र 172 दवाइयां। मैंने कल मालूम किया है और उन 172 में से अब पांच दवाइयां, 10 दवाइयां और शोर्ट हो रही हैं। अब तक वीकली दवाइयां सप्लाई होती थीं, अब कहते हैं कि हम फोर्टनाइटली करेंगे, 15 दिन के अन्दर सप्लाई करेंगे। ऐसा सत्यानाश अच्छे कार्यक्रम का गलत इम्प्लीमेंटेशन के कारण से हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी इस सरकार की होगी, माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारे चिकित्सा मंत्रीजी निश्चित रूप से इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे क्योंकि यह पिछले बजट भाषण में घोषणा थी।

रघुजी हमारे सामने बैठे हैं, प्रतापसिंहजी बैठे हैं, 50 पी.एच.सी. नई खोलेंगे और 35 पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करेंगे; कितनी खुल गईं, भई? खुल गईं क्या 50? सी.एच.सी. क्रमोन्नत हो गईं क्या? सभापति महोदय, एक साल के अन्दर मात्र 20 पी.एच.सी., 50 में से खोल पाये हैं और 35 में से 10 पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत कर पाये हैं। यह है सरकार का हाल। यह कछुआ चाल से सरकार चल रही है। इस बार फिर घोषणा कर दी, इस बार 100 पी.एच.सी. खोलेंगे और 25 पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करेंगे। कैसे करेंगे, भई? जब पिछले साल की नहीं कर पाये अब तक तो इस बार की क्यों कर रहे हो? काहे के लिए इनकी घोषणा करते हो? इससे तो अच्छा है, वही काम करो ना, जो आप कर सकते हो।

(डा. दिगम्बर सिंह)

जब आपकी दूसरी वर्षगांठ सरकार की मन रही थी, बहुत जोर-शोर से तैयारी हो रही थी कि हमने बहुत बड़े-बड़े काम कर दिये और उत्साह में आकर मुख्य मंत्रीजी ने खुद ने घोषणा कर दी कि एन.आर.एच.एम. के कर्मचारी हैं, उनको हम नियमित करेंगे। यह घोषणा किसी और ने नहीं की, यह घोषणा स्वास्थ्य मंत्रीजी ने नहीं की, यह घोषणा स्वयं मुख्य मंत्रीजी ने की और क्या हुआ इस घोषणा का? कितने एन.आर.एच.एम. कर्मचारी आप लोगों ने रेग्युलर कर दिये? उनमें कितनों को आप सही स्केल देने लग गये? अगर आप नहीं कर सकते हो तो घोषणा काहे के लिए करते हो? मैं भी जानता हूं कि एन.आर.एच.एम. एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट की एक सीमा होती है। मुख्य मंत्रीजी को या तो इस चीज की नोलेज नहीं है और वह घोषणा कर दी। अगर घोषणा की है तो कैसे भी करना पड़े, उनको नियमित करना चाहिए।

अब और तो और, जो नान-कम्यूनिकेबल डिजीजेज हैं, जैसे डायबिटीज है, हार्ट की बीमारियां हैं, एक्सीडेंट्स हैं, इनके लिए भारत सरकार से 30 करोड़ रुपये राजस्थान को मिले हैं और उन 30 करोड़ रुपयों से काफी कुछ व्यवस्था आप लोग कर सकते थे। अब तक मात्र 4-5 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाये हैं इन 30 करोड़ रुपयों में से।

(14.29 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सभापति महोदय, कुपोषण के ऊपर एक दिन यहां पर बहस हो रही थी, माल-नरिशमेंट पर प्रधान मंत्रीजी कह चुके हैं, भारत देश में राजस्थान के अन्दर 40 प्रतिशत बच्चे माल-नरिश्ड हैं। 40 प्रतिशत चिल्ड्रन माल-नरिश्ड हैं, यह प्रधान मंत्रीजी ने कहा और आपने बजट भाषण के अन्दर तो पूरा माल-नरिशमेंट का इंतजाम ही कर दिया। यह तो फोर्टिफाइड आटे का तो बता ही रहे हैं विधायक महोदय ब्यावर वाले, फोर्टिफाइड आटा तो आप खिला ही रहे हैं लोगों को, सेहत इस समय दुगुनी हो रही है परन्तु इस माल-नरिशमेंट का इलाज आप लोगों ने किया है कि हम डि-वर्मिंग करायेंगे। आधे से ज्यादा को तो यह पता ही नहीं है कि डि-वर्मिंग है क्या चीज? अब मैं यह कह रहा हूं कि सबसे पहले तो डि-वर्मिंग हमारे चीफ व्हिप की करवाया जाये। सभापति महोदय, डिवर्मिंग कराने से माल-नरिशमेंट खतम हो जायेगा? केवल एक सूत्र अपना लिया। इसमें किसने तो बजट को बनाया और किसने घोषणा करवाई है? और राज आटा, राज मसाला, फलाना, ढिकाना जाने क्या-क्या कर आ रहा है,

(डा. दिगम्बर सिंह)

इल्लियां पड़ी हुई हैं, सड़े गेहूं का सड़ा आटा। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, अगर थोड़ी सी भी गैरत है, थोडी सी आत्मा जिंदा है तो इस फोर्टिफाइड आटे का आप रेंडम सैम्पल चैक करने के लिए भेजिये, केवल एक बोरी बनाकर। उसमें फोर्टिफाइड आटा बढ़िया बनाकर उसका सैम्पल लैबोरेटरी से पास कराकर वह भेज देंगे परन्तु जो जनता के बीच में जा रहा है, उसका क्या करोगे? इस जनता को क्यों इस फोर्टिफाइड आटे में दुनिया भर की चीजें ऐसी खिला रहे हो जिससे कि उनके स्वास्थ्य के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है?

सभापति महोदय, एक बार सरपंचों ने हड़ताल की तो सरपंचों की पिटाई अच्छी तरह से; उसके बाद डाक्टर्स ने हड़ताल की तो डाक्टर्स ने जिस दिन मास सी.एल. एप्लाई की, उसी दिन धर दिया सबको अन्दर। यह कोई क्या है? सरकार है कि कोई डिक्टेटरशिप चल रही है। क्या किसी आदमी को, क्या किसी नागरिक को, राजस्थान के नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? अभी शिक्षा मित्र आये, उनके साथ जो जुल्म किया है, क्या वह आपने ठीक किया? अपनी बात कहने का अधिकार, आप दो न दो, आपके हक की बात है परन्तु मुंह बंद करने का काम अगर यह सरकार करेगी तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज किसान परेशान है, कल भी किसानों ने बड़ा जबरदस्त आंदोलन किया था, उनको समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। सरकार के अभी तो कोई ध्यान में है नहीं।

मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि इतनी घोषणाएं की, भरतपुर के अन्दर मेडिकल कालेज खुलना था, उसको तो खा ही गई यह सरकार, उसको डम्प करके पटक दिया। एक प्राइवेट किसी उसको कहा है कि तुम भरतपुर में जाकर मेडिकल कालेज खोलो, वह भी डेढ़ साल से लगा हुआ है, एक इंच जमीन अभी तक उसने ली नहीं है। कैसे वह भरतपुर में मेडिकल कालेज खुलेगा? मैं समझता हूं, भरतपुर संभाग और पूर्वी राजस्थान के साथ में यह बहुत बड़ा अन्याय इस सरकार ने किया है।

अल्पसंख्यकों के तो बहुत बड़े मसीहा हैं आप लोग, आप जैसा मसीहा, इस सरकार जैसा मसीहा, माननीय अलाउद्दीनजी, सुन लेना मेरी बात, इससे बढ़िया सरकार जो अल्पसंख्यकों की चिंता करती है, आप लोगों को आई आई टी, आई आई एम में जाने के लिए अल्पसंख्यक बच्चों के लिए एक लाख तक की फीस के पुनर्भरण की घोषणा कर दी, मैं पूछना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक वर्ग में कितने लोग आईआईटी, कितने लोग आई आई एम में जाते हैं? मेरे

(डा. दिगम्बर सिंह)

साथ चलिए मिस्त्री मार्केट के अन्दर, डेन्टिंग-वेल्डिंग का जो मार्केट है उसके अन्दर चलिये, यह गरीब लोग तो अपना पेट वहां से भर रहे हैं। इनके उत्थान की बात करनी थी तो वहां से इनकी बात को सोचना चाहिए था। आई आई टी और आई आई एम में जाने लायक हो जायेंगे फिर तो आपके मुंह की तरफ कोई नहीं देखेगा, फिर तो अल्पसंख्यक भी अपने पैरों पर खड़ा हो जायेगा। आपने बहुत बड़ा उदाहरण गोपालगढ़ में पेश कर दिया। कितने हमदर्द हैं आप, कितनी हमदर्दी अल्पसंख्यकों के साथ आपकी है, यह गोपालगढ़ कांड ने आपकी पूरी पोल खोल कर रख दी और इसका जवाब उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपको सबको इसका मिल गया है।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सभापतिजी, अभी घोषणा करते ही 49 छात्रों को छात्रवृति मिल चुकी है आई आई टी, आई आई एम की, 49 ।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): बहुत बढ़िया, आप लो ना। बधाई आपको, बहुत-बहुत बधाई, और लो आप।

अभी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र खोलेंगे, क्या खोलेंगे, धनलक्ष्मी महिला, सुनो पहलवानजी, धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र। पिछली सरकार ने भामाशाह महिला सशक्तिकरण योजना चालू की थी, उन गरीब बी पी एल महिलाओं के लिए, निम्न वर्ग की महिलाओं के लिए, उनके बैंक अकाउंट तक भी काफी लोगों के खुल गये और कितने करोड़ रुपये बैंकों में जमा हो गये। इस सरकार ने आते ही सबसे पहला काम तो यह महिला सशक्तिकरण का काम गलत कदम उठा, उस योजना को बंद किया और आज कहते हैं कि हम प्रत्येक जिले के एक ब्लाक में धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र स्थापित करेंगे। अगर आपको इतनी ही हमदर्दी है महिलाओं से, इतनी हमदर्दी गरीब महिलाओं से है तो मैं फिर यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलें तो जो भामाशाह महिला सशक्तिकरण योजना है, इसको लागू करने की एक बार हिम्मत करें, हौसला जुटायें, अगर वसुंधराजी ने की शुरू तो इसमें कोई बात नहीं, आप इसको कंटीन्यू करेंगे तो भी लोग आपकी सराहना करेंगे।

टेक्निकल एजुकेशन में भी आपने बहुत बड़ा इतिहास रच दिया, एक हजार छह सौ इंस्टीट्यूशंस है राज्य के अन्दर जिसमें मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, एम बी ए, बी बी ए, बी सी ए, एम सी ए, आई आई टी, सब

(डा. दिगम्बर सिंह)

में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और करीब दो लाख तीस हजार बच्चों के एडमिशन की कैपेसिटी है आज राजस्थान के अन्दर। मैं बधाई देता हूं मुख्य मंत्रीजी को कि आपने....

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप संक्षेप में करें, थोड़ा संक्षेप में करें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अभी शुरू किया है, साहब।

श्री सभापतिः नहीं, आपने दो बजकर छह मिनट पर शुरू किया है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): तो मैं इसके लिए तो बधाई देना चाहूंगा पर क्या ये लड़के, ये छात्र वहां से पास-आउट होने के बाद कहां जायेंगे, ये बेरोजगार किस चौराहे पर जाकर खड़े होंगे? आपने कभी यह प्रयास किया क्या कि यहां से इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन करने के बाद जो बच्चे निकल रहे हैं, एम बी ए, बी बी ए करने के बाद जो बच्चे निकल रहे हैं, आई आई टी करने के बाद बच्चे निकल रहे हैं, इनको कहां नौकरी, इनको कहां सहारा, इनको कहीं कोई सर्विस मिलती है क्या? आज राज्य में डवलपमेंट की बात बहुत कर रहे हैं, आप भी जिस जिले में विराजते हैं, जहां से आप आते हैं, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डवलपमेंट तो भिवाड़ी, टपूकड़ा, खुशखेड़ा, इस इलाके में हो रहा है, आप वहां जाकर मालूम करिये, मैंने खुद ने मालूम करा, अपनी व्यक्तिगत जानकारी के ऊपर मैं बता रहा हूं कि इन इंडस्ट्रीज के अन्दर राजस्थान के बच्चे मात्र सात प्रतिशत हैं। राजस्थान के टोटल एम्प्लायमेंट में से सात प्रतिशत राज्य के, बाकी सब बाहर के हैं। क्या फायदा आपके कालेज खोलने का, क्या फायदा आपके इंडस्ट्री खोलने का?

सभापति महोदय, आपने भरतपुर जिले के लिए घोषणा की थी पिछले बजट में कि खेल संकुल, 2010-11 में तब घोषणा की कि डे-बोर्डिंग वहां पर चालू होगा। पहलवानी के लिए बहुत अच्छा स्कोप है, भरतपुर में बच्चे पहलवानी का शौक रखते हैं। डे-बोर्डिंग में दस लड़के और दस लड़कियों का सलेक्शन होगा, पांच-पांच सौ रुपये स्टाइपेंड देंगे, एक-एक उनको ट्रेक सूट मिलेगा, कुश्ती का जो उनका सूट होता है वह मिलेगा। परन्तु दो साल बीतने के बाद आज तक भी एक बच्चे-बच्ची को नहीं मिला है, न कोई डे बोर्डिंग शुरू हुआ। उसके बाद पिछले साल घोषणा कर दी कि हम खेल संकुल भरतपुर में बनायेंगे। वह कहां गया खेल संकुल। मेरी तो समझ में आज तक नहीं आया?

(डा. दिगम्बर सिंह)

मुझे शर्म आती है कहते हुए कि भरतपुर का इंटरनेशनल प्लेयर हेमेन्द्र सिंह जो बालीबाल का बहुत बड़ा...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहूंगा और हाउस के लिए सूचना भी देना चाहूंगा कि एक वर्कशाप एच आई वी पर ठीक तीन बजे शुरू होने वाली है, जितना कृपया आपने टाइम लिया है, दूसरे सदस्य को मौका मिल जायेगा तो कृपया संक्षेप में करके समाप्त करें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): देखिये, सभापति महोदय, वर्कशाप में जिनको जाना है वे चले जायेंगे, मुझे भी जाना है, वह कोई बात नहीं, वह चीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी यह इम्पोर्टेंट है। (व्यवधान) चले जाना, किसी और को बैठा जाना सभापति महोदय, पर यह इम्पॉर्टेंट है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह कह रहे हैं कि आपकी प्रजेंस उसमें जरूरी है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): एक भरतपुर जिले का हेमेन्द्र सिंह नाम का बालीबाल का इंटरनेशनल प्लेयर, इससे ज्यादा शर्म की बात सरकार के लिए क्या हो सकती है कि टी.बी. की वजह से, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से उस आदमी की डैथ हो जाय, केवल पैसे के कारण अपना इलाज नहीं करवा पाये। मेरे इतने अनुग्रह, अनुनय-विनय करने के बाद पांच लाख रुपये अभी स्वीकृत करके भेजे हैं। अभी, सभापति महोदय, उसका छोटा भाई, उसकी छोटी बहन और मां बिलकुल मरने के कगार पर हैं, उनको कोई धनराशि अगर और नहीं मिली तो। तो मेरे ख्याल से, काहे का यह युवा मामले और खेल का प्रोत्साहन दे रहे हैं? मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अन्याय भरतपुर जिले में हो जायेगा।

एक किसानों की बात और कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, वह तो थोड़ी सी आपको भी अच्छी लगेगी। अभी राजीव गांधी कृषक साथी योजना शुरू की है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक सदस्य को और बुलवाउंगा और उसके बाद में श्री अभिषेक मटोरिया साहब को, जो आप ही के साथी हैं, उनका टाइम वह हो रहा है। यह आप समझौता कर लें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप किसी को मत बुलाओ, फिर बंद ही करो ना।

श्री सभापति: यहां पर जो...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): पहले व्यक्ति ने शुरू किया है।

श्री सभापति: आपने दो बजकर छह मिनट पर शुरू किया है। आप एक को तो मौका दें कम से कम, तीन बजे से पहले। तीन बजे हमको अच्छा संदेश देना है, हम सब लोगों को एच आई वी पर जाना चाहिए। अच्छा संदेश देना है। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अब इतना तो मेरा आपने वाद-विवाद में टाइम ले लिया सभापति महोदय। (व्यवधान) सभापति महोदय, आधे घंटे का समय तय हुआ है।

श्री सभापति: यह तय है, आप बोलिये लेकिन जरा पांच मिनट में खतम करें। आपके यहां से ही बोलेंगे अभिषेक मटोरिया इसके बाद, आप उनका टाइम ले रहे हैं। (व्यवधान) मैंने व्यवस्था दे दी, अब आप आपस में समझौता कर लें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप बंद हों, सभापति महोदय, तो मैं बोलूं। या तो आप बोलें या मैं बोलूं, दोनों में से एक। हम दोनों ही बोलते रहेंगे तो...

श्री सभापति: नहीं, आप बोलिये कृपया, आप बोलिए।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): पिछली सरकार ने, गत सरकार ने किसान कल्याण योजना शुरू की थी....

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, समय हो गया है। तीन बजे का तो आपका आदेश है, फिर समय हो जाएगा। 33 मिनट हो गए हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप चले जाइए। सबको नहीं जाना है, आप चले जाइए।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): मैं नहीं जाना चाहता, यह तो आसन का आदेश है। मैंने कहा ही नहीं है, यह तो आसन ने कहा है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आसन ने ही दिया है आधे घंटे का टाइम।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): राजीव गांधी कृषक योजना इसका नाम रख दिया, किसान कल्याण से हटाकर के, चलो, ठीक है, राजीव गांधी के

(डा. दिगम्बर सिंह)

नाम से रख दो, अच्छी बात है। इसमें अगर कोई सांप काटने से मर गया किसान, पहले पोस्टमार्टम जरूरी नहीं था, इनका एम ओ यू हुआ स्टेट इंश्योरेंस के साथ और उस...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मेडिकल की डिमांड भी आएगी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): एम ओ यू में यह तय हुआ कि जो सांप काटने से भी मरेगा तो उसका पोस्टमार्टम कराना जरूरी है। यह एम ओ यू हुआ 30.11.2011 को और इस एम ओ यू का इम्प्लीमेंट किया 1.4.2011 से। इस बीच में जितने लोगों ने भी एप्लाई किया, उनमें से किसी ने पोस्टमार्टम नहीं कराया, उनके सब कैसेज रिजेक्ट कर दिये गये। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप सरकार से कहें कि उन सारी एप्लीकेशंस को रिकंसिडर करें।

मैं एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि भरतपुर ज़िले के अन्दर एक तहसील कर दी, चार उप तहसील कर दी, इसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद। परंतु भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से और भरतपुर ज़िले की मांग के हिसाब से उच्चेन, यह मेरे खयाल से 1994 की सब-तहसील है, उसको तहसील में क्रमोन्नत करना चाहिए और भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए हलैना को उप-तहसील बनाया जाए। ये मुख्य मंत्रीजी अगर घोषणा करें तो बहुत अच्छी बात रहेगी।

हमारे यहां यूनिवर्सिटी खोल दी अलवर में, भरतपुर में और शेखावाटी में और इन यूनिवर्सिटीज में तीन साल के डिले के कारण, केवल अपने एक तरह से घमंड के कारण से, क्योंकि वसुंधराजी ने यूनिवर्सिटीज का डिक्लेरेशन किया था, तीन साल तक उसको लेकर के बैठे हुए हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): यह केवल भरतपुर क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ा अन्याय है और लास्ट में निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, मैं अगला नाम बोल रहा हूं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): यह टीचर्स की भर्ती आर पी एस सी के माध्यम से करवायें। अगर जिला परिषदों के माध्यम से करवाई तो इसके नतीजे क्या होंगे, इस बात को यह समझ सकते हैं। आपने इतना मेरे को टोका, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी द्वारा राजस्थान सरकार का 2012-13 का जो बजट पेश किया गया, मैं उसके पक्ष में बोलूंगा और सभी माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैं कोई व्यक्तिगत न तो आक्षेप लगाऊंगा लेकिन मैं जो बोलूं मेहरबानी करके टोका-टोकी नहीं करें। यह जो बजट, मुख्य मंत्री द्वारा चौथा बजट रखा गया है और जिस तरह से अशोकजी गहलोत ने जो बजट पेश किया है, उस बजट के दौरान लगभग 100 बार तालियां बजाई गईं। उस वक्त सदन के अन्दर एक उत्साह का वातावरण पैदा हुआ, इसी वजह से तालियां बजीं और उसके बाद जो हमारे समाचार पत्र हैं चाहे वह प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रोनिक मीडिया हो, जिस तरह से उन्होंने इस बजट का विश्लेषण किया। 'पत्रिका' ने लिखा 'गहलोत की ताल पर सब निहाल', एक समाचार पत्र 'नवज्योति' ने 'घोषणाओं की झड़ी, राहत की बारिश', 'भास्कर' ने लिखा 'वैट घटा पेट्रोल सस्ता' 'राष्ट्रदूत' ने, मेरे पास में जो समाचार पत्र आते हैं मैं उनके लिए निवेदन करुंगा। राष्ट्रदूत' ने उसको अलग तरीके से कि 'बजट विशेष थीम पर फोकस नहीं, सभी पहलुओं को छुआ गया।' 'कोई एक विषय नहीं, सभी विषयों को छुआ गया।' अन्य समाचार पत्रों में भी इसी तरह से आया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया ने उसको उसी तरह से कवर किया। जो आर्थिक विश्लेषक हैं, चाहे पूर्व के अन्दर अच्छे-अच्छे पदों पर नौकरियों में मुख्य सचिव स्तर तक रहे हों, उन्होंने भी इस बजट की खूब जमकर के तारीफ की। अगर मुख्य मंत्रीजी इस बजट के अन्दर कोई कमी रखते तो यह समाचार पत्र सबसे पहले सरकार को घेरते, आम जनता के बीच में मैसेज देते कि बजट अच्छा नहीं रखा गया। कई चीज़ें जिन लोगों ने टी.वी. नहीं देखा लेकिन जब समाचार-पत्र पढ़ा, तब उनको मालूम पड़ा कि मुख्य मंत्रीजी ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है।

यहां प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जिस तरह से 27, 28 और आज 29 तारीख है, तीसरा दिन है और प्रतिपक्ष नेता महोदय ने जिस तरह कहा कि विजन नहीं है, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि अगर विजन नहीं है तो यह विजन पूर्ववर्ती सरकार का नहीं रहा है जिसने जाते-जाते 2008 का बजट पेश किया। उसमें आनन-फानन में वह सब घोषणाएं कर दीं जो कभी पूरी होने वाली नहीं थीं। मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणाएं की, मैं बताना चाहता हूं, सभापति महोदय, जिस तरह की बात करेंगे विश्वविद्यालय हमने खोल दिए। इन्होंने सड़कों की भी घोषणाएं कीं, इन्होंने स्कूलों की भी घोषणाएं कीं और कोई ध्यान नहीं रखा कि शिक्षकों की भर्ती का क्या होगा? स्कूल कैसे चलेंगे।

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

इन्होंने यह ध्यान नहीं रखा विश्वविद्यालय की घोषणाएं कर दी, उनके लिए न जमीन और न पैसा। कोई घोषणाएं उनकी नहीं रही। इन्होंने सी एच सी क्रमोन्नत कर दी, पी एच सी खोल दी लेकिन कहीं डाक्टर की व्यवस्था नहीं की, कहीं नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था नहीं। सड़कों की इन्होंने जो पी एम जी एस वाई की सड़कें हैं, मुख्य मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जो इन्होंने घोषणाएं की हैं, इनका राज जाने के बाद में वे घोषणाएं पूरी हुईं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यह ऊपर डा. दिगम्बर सिंहजी बोल रहे हैं, अभी तक बोल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): मुख्य मंत्रीजी ने हर सरकार का समग्र विकास का जो विजन होता है वह विजन इसमें पेश किया है। सड़कें जो राज्य का सबसे बड़ा एक आधारभूत ढांचा होता है, सड़कों पर फोकस किया गया; इस राज्य की जो धुरी है गांव से लेकर के उद्योग तक, ऊर्जा पर फोकस किया गया; सिंचाई पर फोकस किया गया। पेयजल के ऊपर फोकस किया गया; कृषि पर फोकस किया गया; शिक्षा पर फोकस किया गया; चिकित्सा पर फोकस किया गया। राजस्व एवं न्याय पर फोकस किया गया; कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर फोकस किया गया; ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवाओं हेतु बेरोजगारी समाप्त हो उसके लिए फोकस किया गया; छह विश्वविद्यालय खोलने की उन्होंने घोषणा की, उस पर फोकस किया गया। विधान परिषद् जो एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम था, वह राजस्थान की जनता और सभी को इस विधान परिषद् बनने के बाद में महसूस होगा कि यह सदन कितना महत्वपूर्ण साबित होगा। 80 हजार नौकरियों की व्यवस्था की गई; पेट्रोल सस्ता किया गया, स्थानीय निकायों को मजबूत किया गया; प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान चलाने की घोषणा की और कोई टैक्स नहीं लगाकर के सिर्फ एक तम्बाकू को हतोत्साहित करने के लिए उन्होंने एक अपना विजन पेश किया है। अब ये कहते हैं कि विजन नहीं है, सड़कें लगभग 11 हजार 532 किलोमीटर इस राजस्थान के अन्दर बनेगी जिससे 2 हजार 900 वे गांव जो 250 से 500 तक की आबादी वाले हैं, उन गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। आज राजस्थान के अन्दर इतने...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सभापति महोदय, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। भाषण में आ गया है, कोई सुझाव दें आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजें। पहले यह व्यवस्था दे दी गई है कि सच्ची बात को अगर जितनी बार कहा जाए, उतना अच्छा है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): आप तो तीन साल पुराना भी रिपीटिशन कर रहे हो।

16 मेगा हाइवे उनके माध्यम से 2 हजार 630 किलोमीटर नई सड़कें बनेगी और 32 आर ओ बी बनने का पिछले बजट में फैसला हुआ जिसमें एक हमारा चित्तौड़ का भी आर ओ बी है, बनने शुरू हो गये, कुछ प्रक्रियाधीन हैं; 10 आर ओ बी इस बजट के अन्दर दिये गये हैं। इसी तरह से तीन हजार किलोमीटर राज्यमार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए साढ़े सात सौ करोड़ की व्यवस्था की गई है 2600 किलोमीटर जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, उनके लिए उन सड़कों को चौड़ा करने व सुदृढ़ीकरण के लिए प्रावधान रखा गया। पांच सौ किलोमीटर की जो इंटरस्टेट सड़कें हैं जो एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से जोड़ती हैं, पांच सौ करोड़ रुपये खर्च करके उनके माध्यम से प्रदेशों से जोड़ा जाएगा। तो राजस्थान की सरकार ने पहली बार इतने बड़े क्रांतिकारी फैसले किये हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 38 गांव जुड़ेंगे 250 से 500 तक की आबादी के। आज गांव में जाओ, सबसे पहले मांग यही उठती है कि हमारे गांव को आप सड़क से जोड़ दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए।

सभापति महोदय, ऊर्जा के अन्दर वार्षिक योजना की लगभग 38.4 प्रतिशत राशि खर्च की जाएगी जिसमें लगभग 12,726 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और पिछले तीन वर्ष के अन्दर सरकार बनने के बाद में मुख्य मंत्रीजी ने बिजली उत्पादन पर ध्यान दिया तो 3,380 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ और अब आगामी वर्ष के लिए उन्होंने 2,400 मेगावाट बिजली उत्पादन जो राज्य क्षेत्र और निजी क्षेत्र में होगा। उसका लक्ष्य करके उन्होंने योजनाएं तैयार की हैं। 1,320 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 14 विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी हेतु भारत सरकार को भेजा गया जिसमें 11,590 मेगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, गैस आधारित ऊर्जा का तंत्र हर तरह से राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर हो उसके लिए मुख्य मंत्रीजी ने योजनाएं बनाई हैं। मैं इसके लिए मुख्य मंत्रीजी को और हमारे ऊर्जा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। और तंत्र मजबूत हो, इसके लिए उन्होंने 765 के.वी. के दो ग्रिड, दो 400 के.वी. के ग्रिड, 132 के.वी. के 25 ग्रिड, 33 के.वी. के 200 ग्रिड उन्होंने आगामी वर्ष के लिए दिये हैं ताकि बिजली का जो प्रसारण तंत्र है, वह मजबूत होकर के आम आदमी को राहत मिले। ये बिजली के तंत्र को

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

मजबूत करने के लिए, मैं चित्तौड़ के लिए भी निवेदन करूं कि मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र, एक 400 के.वी. का ग्रिड अभी निर्माणाधीन है, एक 220 का, एक 132 से 220 के.वी. का ग्रिड अपग्रेडेशन का काम हो चुका है, 2 हमारे 132 के.वी. के ग्रिड मंजूर किये। लगभग सतरह 33 के.वी. के ग्रिड मंजूर किये। तो ऊर्जा का उत्पादन और ऊर्जा का किस तरह से वितरण सुनिश्चित हो, उसकी व्यवस्था ठीक ढंग से हो, वह व्यवस्था हमारी सरकार ने इस बजट में की है। केन्द्र को भेजा, लगभग पांच लाख बारह हजार बी पी एल व्यक्तियों हेतु आगामी वर्ष के लिए घरेलू कनेक्शन देने की योजना बना करके राजस्थान सरकार ने केन्द्र को भेजा कि केन्द्र उसको मंजूरी दे और पांच लाख से अधिक उन गरीब बी पी एल व्यक्तियों को ...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ...(व्यवधान) अब कितना ही बोल लो, डिप्टी स्पीकर तो बनाया नहीं। अब क्या, नाम तो छप गया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया शांति बनाये रखें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): भाटी साहब, मैं न तो डिप्टी स्पीकर के लिए आया इस सदन में। मैंने आपको निवेदन किया कि मैं मेरे नेता के प्रति पूरा लोयल हूं। उसकी नजर में रहना चाहता हूं नजर से उतरना नहीं चाहता और boss is always right. भाटी साहब, boss is always right.

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): जो खास होते हैं न, उनको यों ही धार देते हैं नीचे से।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): उसको फायदा भी बहुत मिलता है। अलग-अलग तरीके से फायदे मिलते हैं, भाटी साहब, और trust the leader and be safe. अपने नेता पर भरोसा करो और निश्चित तता से रहो।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): क्या बात है, क्या ज्ञान हुआ है आपको! (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया शांति बनाये रखें। इर्रिलेवेंट ... (व्यवधान) वार्ता कम करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): अगला सिंचाई का क्षेत्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंचाई के क्षेत्र में लगभग 5,649 करोड़ की राशि खर्च करके इंदिरा गांधी नहर, चम्बल नहर, बड़ी परियोजनाएं, लघु योजनाएं, मध्यम योजनाएं छोटी योजनाएं, उनका सुदृढ़ीकरण। जो योजनाएं पिछले वर्ष चालू की गई थीं, उनको पूरा करने का लक्ष्य और गंग नहर को मजबूत करने

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

के लिए, किस तरह से ज्यादा से ज्यादा सिंचाई का क्षेत्रफल बढ़ सके, उसके लिए मुख्य मंत्रीजी ने 5649 करोड़ रुपये की योजनाएं बना करके राजस्थान की जनता को दी हैं जिसमें हाड़ौती से लेकर के गंगानगर, भरतपुर से लेकर के डूंगरपुर और बांसवाड़ा तक की जहां-जहां से भी प्रस्ताव आये और जहां-जहां पर भी स्थितियां खराब थीं, वहां का सिंचाई तंत्र मजबूत करके लगभग एक लाख हैक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ाने का मुख्य मंत्रीजी ने लक्ष्य रखा है। आशा की जानी चाहिए कि इसके ऊपर शीघ्र विभाग कार्यवाही करके और मुख्य मंत्रीजी की मंशा के अनुरूप यह कार्यवाही अवश्य पूरी होगी।

इसी तरह से पेयजल योजना, आम आदमी को शुद्ध पेयजल मिले और वो गांव और ढाणियां जो वंचित रह गईं उनके अन्दर पानी पहुंचे, उसके लिए मुख्य मंत्रीजी ने 4,474 करोड़ रुपये की बीस पेयजल योजनाएं जिनके माध्यम से 2,627 गांव जुड़ेंगे, ऐसी बड़ी-बड़ी परियोजनाओं को उन्होंने स्वीकृति दी है जिस पर 3,796 करोड़ रुपया खर्च होगा। इसके साथ लगभग 11,368 गांव जो अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उन गांवों हेतु शुद्ध पेयजल की योजना बनाने का और उसकी राशि स्वीकृत करने का काम मुख्य मंत्रीजी ने किया है। भीलवाड़ा के लिए जो चम्बल से पानी देने की योजना है, उसके ऊपर उन्होंने 728 करोड़ रुपये की योजना नाबार्ड को भेज करके, उसकी स्वीकृति का प्रस्ताव भिजवा करके आगामी वर्ष में वह कार्य शुरू हो जाए उसके लिए उन्होंने कार्य किया है और बूंदी शहर के लिए 80 करोड़ रुपया; नावां तहसील के 72 गांवों को 125 करोड़ रुपये की राशि से बीसलपुर बांध का पानी पहुंचाने की योजनाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट के अन्दर दी हैं। यह निवेदन है। फिर तो, सभापति महोदय, दो-तीन मिनट बाकी हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सुझाव दे दो।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सुझाव नहीं, साहब, आप जब सब बोले हो तो मेरे को भी बोलने दो आप। मैं तो वैसे भी बहुत कम बोलता हूं।

चिकित्सा में मुख्य मंत्रीजी की जो 6 फ्लैगशिप योजनाएं हैं और जो उन्होंने पिछले बजट में मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना बनाई और आज जो उसका फायदा पूरे राज्य को मिल रहा है, वह अपने-आप में ऐतिहासिक है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि चित्तौड़गढ़ जिले में पहले आउटडोर था

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

2,628 का और अब आउटडोर हो गया 4,276 का, लगभग 62 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के तहत। मध्य प्रदेश के लोग जहां भाजपा का शासन है वहां के लोग इलाज कराने के लिए चित्तौड़गढ़ के हास्पिटल में आ रहे हैं। प्रभारी मंत्री जब पहुंचे चित्तौड़ के हास्पिटल के अन्दर तब लोगों से पूछताछ करके पहुंचे थे। एक मध्यप्रदेश का आदमी था, उसने कहा, साहब, दवाइयां वहां बहुत महंगी हैं यहां सस्ती मिल रही है इसलिए मैं यहां पर इलाज कराने आया हूं। तीन व्यक्ति उस दिन उस वार्ड में मिले। रोज मध्य प्रदेश के लोगों का राजस्थान में आना-जाना शुरू हुआ इस दवा की योजना की लोकप्रियता को देखते हुए। चित्तौड़गढ़ के अन्दर इन 6 माहों में 5,89,476 लोगों को अब तक नि:शुल्क दवाएं उपलब्ध करायी जा चुकी हैं जिसमें चित्तौड़गढ़ विधान सभा क्षेत्र में 1,68,581 लोग लाभान्वित हुए हैं।

सभापति महोदय, ये चिकित्सा का तंत्र मजबूत करने के लिए तीन हजार सब सेंटर खोलना, ऐसा क्रांतिकारी कदम आज तक कोई सरकार नहीं उठा सकी है। पी एच सी खोलीं, पी एच सी को सी एच सी में क्रमोन्नत करने की बात कही, 108 एम्बुलेंस 200 और अतिरिक्त उन्होंने देने की घोषणा की, यह चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन्होंने किया है और इसकी लोकप्रियता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। हर योजना में कमी रहती है, किस योजना में कमी नहीं होती, धीरे-धीरे वे कमियां पूरी होंगी और चार सौ की जो घोषणा है कि चार सौ दवाइयां दी जाएंगी, मुख्य मंत्रीजी का लक्ष्य है। अगर दवाई कम्पनियां दवा आपूर्ति नहीं कर रही है तो सरकार इसके अन्दर क्या करे लेकिन शीघ्र उम्मीद है कि वे सारी की सारी दवाइयां राजस्थान की जनता को

(15.00 बजे)

मिलेंगी जिनकी राजस्थान की जनता के लिये मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की, कैंसर से लेकर सर दर्द तक की दवाइयां नि:शुल्क मिलेंगी, यही मुख्य मंत्रीजी का लक्ष्य है और उसको वे पूरा कर के रहेंगे।

मुख्य मंत्रीजी ने आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपेथी चिकित्सा को आगे बढ़ाने की दिशा में भी काम किया है, उन्होंने यूनिवर्सिटी स्थापित करने की भी बात की है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आप एक एलोपेथी पर ही निर्भर मत रहो, हमारी स्वदेशी चिकित्सा है, आयुर्वेद है, यूनानी है, चाहे होम्योपेथी है,

उनको भी साथ में बढ़ावा दो। दस हजार की साल भर में एक संस्थान में दवा मिलती है। क्या होता है उससे? खोलने से क्या होता है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया सदन की कार्यवाही को गम्भीरता से लें। आपको बोलने की इजाजत मैंने नहीं दी है। कृपया।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): भाटी साहब, कांग्रेस की फिर से सरकार बनेगी तो अगला बजट आपकी सलाह पर बनायेंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, तीन बज गये।

घोषणा

विधान सभा सचिवालय में एच आई वी एड्स-संक्रमण व उसके बचाव विषय पर कार्यशाला का आयोजन

श्री सभापति: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी के सहयोग से आज गुरुवार, दिनांक 29 मार्च, 2012 को मध्याह्न पश्चात् 3 बजे विधान सभा के विधायक कक्ष में H.I.V. एड्स संक्रमण एवं उसके बचाव विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आपसे निवेदन है कि आप कृपया कार्यशाला में उपस्थित होने का श्रम करें। इस अवसर पर पूर्वी प्रवेश द्वार के ऊपर प्रथम तल पर एक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा किया जायेगा। धन्यवाद।

अतः सदन की बैठक 4.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.02 बजे 16.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(16.00 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, कंटिन्यू।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर, शिक्षा का विस्तार हो, स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक एक नई सोच के साथ उन्होंने राजस्थान के इतिहास में पहली बार 6 विश्वविद्यालय राजस्थान को दिये और वे विश्वविद्यालय हर सम्भाग के ऊपर उन्होंने खोले। आज उप नेता महोदय यहां विराजमान हैं,

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

पिछली सरकार के अन्दर बहुत ज्यादा प्रभावशाली थे, अपने क्षेत्र में विश्वविद्यालय की औपचारिक घोषणा करा दी लेकिन जमीनी हकीकत के ऊपर कुछ नहीं करा पाए। खोला ही जाते-जाते वर्षों में न जमीन, न उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर, न उसके लिए कोई राशि का आबंटन।

इसी तरह से हमारे उदयपुर से हमारे वरिष्ठ नेता हैं कटारिया जी, उस वक्त गृह मंत्री हुआ करते थे, जब परिवर्तन यात्रा निकाली आदिवासी क्षेत्र में तो खूब घूमी लेकिन मुख्य मंत्री बनने के बाद में वसुन्धराजी राजे उस क्षेत्र को भूल गईं। मैं आज मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ट्राइबल यूनिवर्सिटी वहां पर खोली। दिगम्बर सिंहजी बहुत प्रभावशाली मंत्री थे लेकिन बृज विश्वविद्यालय गहलोत साहब ने खोला उसकी पूरी व्यवस्था करके सौंपा। अलवर के अन्दर भी मत्स्य विश्वविद्यालय, यह वर्तमान मुख्य मंत्रीजी की देन है।

जयपुर के अन्दर जर्नलिज्म, आज की जो हमारी स्थिति है उसके अन्दर बहुत आवश्यक है कि अच्छे पत्रकार अच्छी सोच के साथ आए और सरकार की कमियों की, जो राजनेता है, जो हमारा समाज है, उनमें क्या कमियां है उन कमियों को ढंग से अच्छे तरीके से उजागर करें, यह आज के परिवेश के अन्दर बहुत आवश्यक है। उसकी यूनिवर्सिटी भी जयपुर के अन्दर खोली गई।

6 विश्वविद्यालय खोलना, जोधपुर के अन्दर, जिस तरह से आज कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए, किस तरीके से आतंकवाद बढ़ रहा है, किस तरह से तस्कर लोग, किस तरह से लुटेरे, किस तरह से चोरियों के आधुनिक तरीके अपनाये जा रहे हैं, किस तरह से हमारा संचार तंत्र, पुलिस का आधुनिक तंत्र मजबूत हो सके, उसका विश्वविद्यालय उन्होंने जोधपुर में खोला है ताकि वहां पर पूरी तरह से हमारा सुरक्षा बल अच्छे तरीके से उसके अन्दर ट्रेनिंग लेकर और इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की हैं। आप अगले बजट तक देखना, इसके अच्छे परिणाम आएंगे।

जो प्रतिभाशाली हैं, 10-10 हजार लैपटाप। सभापति महोदय, हम तो अभी विधान सभा में आए तब हमने लेपटॉप की शक्ल देखी लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने 10-10 हजार, जो मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, 20 हजार तो 10वीं और 12वीं तक के बच्चों के लिए जिसमें छात्र और छात्राएं दोनों शामिल है। लगभग 24 हजार वे बच्चे जो आठवीं पास करके उनको लर्निंग लैपटाप ताकि वे अभी से

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

ही लैपटाप। लैपटाप आज की स्थिति के अन्दर, वर्तमान हमारी जो स्थितियां हैं उसमें आगे बढ़ने के लिए, कम्प्यूटर जिस गति से आगे बढ़ रहा है, जो सूचना क्रांति आ रही है उसके अन्दर हमारे उन बच्चों हेतु जो आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं खरीद पाते हैं, उनके लिए मुख्य मंत्रीजी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है और आगामी समय के अन्दर उसका परिणाम सामने आएगा।

किस तरह से हमारे स्कूलों के अन्दर, 7310 स्कूलों के अन्दर कम्प्यूटर खरीदने का निर्णय हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट के अन्दर किया है। लगभग 12 हजार स्कूलों के अन्दर पुस्तकालय होने चाहिये, पुस्तकालय की व्यवस्था उन्होंने की है। 1 हजार नये प्राथमिक स्कूल खोलने का उन्होंने निर्णय किया है, 600 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है, इसके अन्दर 5 स्नातक से स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने किया। इसी तरह से 142 महाविद्यालयों में कम्प्यूटर और इंग्लिश लैंग्वेज, उनकी लैब की स्थापना के लिए मुख्य मंत्रीजी ने व्यवस्था की है, 20-20 लाख रुपये वहां दिये जाएंगे।

इसी तरह से खेलों को प्रोत्साहन के लिए मुख्य मंत्रीजी ने पहली बार, कोई सरकार नहीं कर पाई, दस गुणा बढ़ोतरी; जिनको 50 हजार रुपये मिलते थे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में, उनको 5 लाख रुपये तक की व्यवस्था हमारे मुख्य मंत्रीजी ने की। इसके माध्यम से खेलों को नया प्रोत्साहन मिलेगा। अन्तरराष्ट्रीय प्रतिभाओं में भी आत्मबल जाग्रत होगा कि सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान दे रही है और खेलों के विस्तार के लिए उन्होंने लगभग 8 जगह खेल संकुल बनाने का फैसला किया, जहां 2-2 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे जिसमें चित्तौड़ भी शामिल है। इसी तरह से स्टेडियम के निर्माण के लिए उन्होंने ढाई करोड़ रुपये की व्यवस्था की है कि जो स्टेडियम बनें, उनके रखरखाव तथा कहीं दुरुस्त किया जा सके, उसकी व्यवस्था उन्होंने की है।

इसी तरह से बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लगभग एक लाख और तीन लाख, दो कैटेगिरी उन्होंने की हैं, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं है ऐसे बच्चों को लगभग 450 करोड़ रुपये की योजना बनाकर लाभान्वित किया जाएगा। इसी तर्ज पर शहरी बी पी एल जो बच्चे हैं, उनके लिए भी और जो शहरी क्षेत्र में जो नौजवान तबका रहता है, उनके रोजगार के लिए भी, जिनकी वार्षिक आय एक लाख

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

रुपये से अधिक नहीं है उनके लिए भी उन्होंने व्यवस्था की है कि निश्चित रूप से आठ महीने का रोजगार उनको कम से कम मिले।

तो कहने का अर्थ है कि शिक्षा के क्षेत्र का दायरा बढ़ाते हुए एस.सी., एस.टी., माइनोरिटी, ओ बी सी, एस सी बी सी, उनके बच्चों को ए आई ई ई ई, पी एम टी, आर पी ई टी, आल इंडिया मेडिकल इन्स्टीटयूट के एग्जाम, यू पी एस सी के एग्जाम, आर पी एस सी के एग्जाम के अन्दर किसी तरह से वे अपनी फीस अगर उपलब्ध नहीं करा सकते तो फीस की व्यवस्था, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए छात्रावास, सम्भागीय स्तर पर, जिला स्तर पर, हर जगह उन्होंने देकर साबित किया है कि आज की नौजवान पीढ़ी जो पढ़ना चाहती है लेकिन आर्थिक अभाव की वजह से नहीं पढ़ पा रही है, उसके लिए मुख्य मंत्रीजी ने द्वार खोले हैं। कृषि के अन्दर जो छात्राएं पढ़ रही हैं, बी एस सी, एम एस सी, उनके लिए भी उन्होंने प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है। कृषि महाविद्यालय भी उन्होंने पाली और जोधपुर में खोले।

सभापति महोदय, कहने का अर्थ है कि राजस्थान के अन्दर हर वर्ग का ध्यान रखते हुए वे कोई कमी नहीं रख रहे हैं और इसी के साथ वे एक सपना लेकर चल रहे हैं राजस्थान के समग्र विकास का, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं राजस्थान सरकार का ट्रस्टी हूं, मैं राजस्थान की जनता का ट्रस्टी हूं और एक सरकार का मुखिया होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक-एक पैसे का उपयोग राजस्थान की जनता के हित में करूं। मैं यह निवेदन आपसे करना चाहता हूं।

इसी तरह से कृषि, किसानों के लिए, जिसे कह सकते हैं हमारा अन्नदाता है, उस अन्नदाता के लिए सिंचाई का क्षेत्र, मैंने आपको निवेदन किया, किस तरह से सिंचाई, एक लाख हैक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई देने का संकल्प, नहरों के सुदृढ़ीकरण के और दूसरे माध्यमों से उन्होंने किया है। उसी तरह से कृषि का उत्पादन बढ़े और ऋण उसके लिए बाधक नहीं हो, पिछले वर्ष उन्होंने सात हजार करोड़ का प्रावधान किया, इस बार उन्होंने आठ हजार करोड़ के फसली ऋण का प्रावधान किया। एक सबसे बड़ा उन्होंने काम किया कि जो किसान एक लाख तक का ऋण लेकर समय पर चुका देगा, उसका शत-प्रतिशत ब्याज माफ हो जाएगा। यह पहली बार राजस्थान के इतिहास में हुआ है।

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

इसी तरह से पशुपालन, जो कृषि के साथ किसानों के लिए बहुत बड़ा वरदान होता है, पशुपालन के लिए, आज पशुओं के लिए मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना, जिस तरीके से उन्होंने मनुष्यों के लिए लागू की, उसी तरह से उन्होंने पशुओं के लिए लागू की। नि:शुल्क दवाइयां पशुओं के लिए भी मिलेंगी। इसी तरह उन्होंने 400 सब-सेंटर्स खोलने का निर्णय किया, पशु केन्द्र खोले; लगभग 200 सब-सेंटर्स को क्रमोन्नत करने का फैसला उन्होंने किया। इसी तरह से डेयरी के अन्दर समग्र विकास हो, उसके लिये डेयरी प्लांट लगाया; जो मिल्क पाउडर का प्लांट लगता है उसके लिये उन्होंने जयपुर चिह्नित किया। पाली के अन्दर कैटल फीड, ताकि अच्छा पशु आहार मिले, ताकि अच्छे दुधारू पशु हो सकें। उसका मुख्य मंत्रीजी ने फैसला किया।

बेरोजगार युवकों के लिये कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, सभापति महोदय। आज बेरोजगार युवक घर के अन्दर बहुत बड़ा बोझ होता है। वह जब कभी भी परीक्षा के फार्म के लिये पैसा मांगे, तो मां-बाप को गुस्सा आना स्वाभाविक है। उस बेरोजगार युवक, जो बी.ए. पास हो गया है, जिसको माता-पिता ने बड़ी मुश्किल से पढ़ा-लिखा कर बी.ए. तक कर दिया, उसको सम्बल देने के लिये एक बेरोजगारी भत्ता उन्होंने शुरू किया। जिसका अमलीजामा पहनाने की उन्होंने पूरी व्यवस्था की है कि जिसके रजिस्ट्रेशन को एक साल हो जाएगा, उसको हाथों-हाथ पांच सौ रुपये हर माह पैसा मिल जाएगा ताकि वह नौजवान अपने परिवार के ऊपर बोझ नहीं बन सके।

इसी तरह से मुख्यमंत्री बी.पी.एल. ग्रामीण आवास जो उन्होंने योजना लागू की, इसी तर्ज पर शहरों के अन्दर लगभग एक लाख बी.पी.एल. परिवारों के लिये, 50 हजार रुपये देकर के उन लोगों को भी एक आशियाना उपलब्ध कराने की मुख्य मंत्रीजी ने बहुत बड़ी महती योजना तैयार करके उन्होंने बजट के अन्दर प्रावधान किया है।

उसी तर्ज पर जिस तरह गांवों में चला और गांवों की जनता को फायदा मिला, उसी तरह से 'प्रशासन शहरों-के-संग-चले' और वहां पर जो कमियां दिखने को मिलीं, जिन वार्डों के अन्दर, मूलभूत आवश्यकता जो उन वार्डों में हो, उसके लिये साढे तीन सौ करोड़ रुपये का उन्होंने प्रावधान किया है, उन स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराये जाएंगे ताकि 'प्रशासन-शहरों-के-संग' केवल औपचारिकता नहीं रह जाए बल्कि अमलीजामा उनको पहनाया जाए। उसके लिये उन्होंने किया। जिला मुख्यालयों की 17 हमारी नगर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

पालिकाएं थीं, उनके अन्दर नगर परिषदें उन्होंने बना दीं और एक सम्बल प्रदान किया। चित्तौड़ की नगरपालिका को भी नगर परिषद् उन्होंने कर दिया।

मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि पूरे राजस्थान में जिस तरह से घोषणाएं हुईं बजट की और लोगों ने सुबह समाचार-पत्र पढ़कर जब अपने-अपने क्षेत्र के विकास को देखा, मेरे विधान सभा में भी उन्होंने खूब दिया, जो मांगा वह उन्होंने दिया। पहली बार हुआ है कि पूरे राजस्थान में, पूरे राज्य में एक साथ दीपावली का माहौल हुआ और पटाखे छोड़े हैं, अलग-अलग योजनाओं के ऊपर कि मुख्य मंत्रीजी ने क्या-क्या योजनाएं अलग-अलग दी हैं। चाहे वह तिवाड़ी साहब आते हों शेखावाटी के अन्दर भी यही स्थिति थी, मेरे चित्तौड़ के अन्दर भी यही थी। उप-तहसील उन्होंने दे दी, उन्होंने मुझे थाना दे दिया; नगर-परिषद् दे दी; मेरे लिये उन्होंने न्यायालय दे दिया। मेरे यहां पर उन्होंने अंडर-ब्रिज दे दिया चन्देरिया के अन्दर; मेरे यहां पर उन्होंने खेल स्कूल दे दिया; मेरे यहां पर उन्होंने अपने उन विमंदित बच्चों को, जिनको हेय दृष्टि से समाज के अन्दर देखा जाता है, उनका एक अपना गृह बनाने का, उन्होंने 50-50 विमंदित बच्चों के लिये भी फैसला किया। उन्होंने यह भी फैसला किया, जो अपने निराश्रित लोग हैं और जो उम्रदराज हो जाते हैं, जिनको घर में कोई सम्भालने वाला नहीं है, उनके लिये भी उन्होंने केन्द्र खोलने का फैसला किया।

सभापति महोदय, मैं आज आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किस तरह से कानून-व्यवस्था और किस तरह से न्याय मिले, उसके लिये आज मुख्य मंत्री महोदय ने हमारे पांच तो न्यायालयों को अलग-अलग जगह खोला है। कहीं एस.सी., एस.टी. के लिये जहां आवश्यकता थी, वहां खोला, कहीं अपने मोटर वाहन प्राधिकरण न्यायालय खोलने की आवश्यकता थी, वहां खोला। इसी तरह से उन्होंने 24 नई तहसीलें दी हैं, 8 अतिरिक्त तहसीलों को तहसीलों में क्रमोन्नत किया। 34 उप-तहसीलें जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के वक्त, जिसमें बस्सी भी आता है, बंद कर दी गयी थीं, उन 34 उप-तहसीलों को वापस मुख्य मंत्रीजी ने पुनर्जीवित करके एक सौगात राजस्थान को दी है ताकि न्याय मिले, आम आदमी को राजस्व का न्याय मिले, कानून का न्याय मिले। उसके लिये हमारे मुख्य मंत्रीजी ने पूरी व्यवस्था की।

इसी तरह उन्होंने आर.यू.आई.डी.पी. के माध्यम से 1,800 करोड़ की योजना उन शहरों के लिए, जो शहर वंचित रह गये, उनके लिये उन्होंने योजना

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

बनाई जिसमें 550 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार का अंशदान होगा, ताकि उनका समग्र विकास हो सके। उसके लिये एक योजना बनाकर उन्होंने सौंपी है।

इसी तरह से स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के बारे में ध्यान नहीं जाता है, हमारे मुख्य मंत्रीजी का ध्यान उधर भी गया। हमारे मुख्य मंत्रीजी का ध्यान पत्रकार साथियों की तरफ भी गया। जहां पहले एक लाख रुपये तक उनको बीमा सुरक्षा कवच मिला हुआ था, जो इलाज की व्यवस्था के लिये था, जो दुर्घटना व्यवस्था के लिये था, उसको बढ़ाकर उन्होंने दो लाख किया। साथ ही अंशदान जो 75 प्रतिशत था, उसको बढ़ाकर उन्होंने सरकार का 90 प्रतिशत कर दिया। अब पत्रकार महोदयों को 10 प्रतिशत ही अंशदान देकर अपना काम चलाना पड़ेगा।

इसी तरह से सेवानिवृत्त जो कर्मचारी थे, उनकी भी पेंशन के अन्दर इजाफा किया। इसी तरह से वह तबका जो बहुत कमजोर तबका है सरकारी सेवाओं के अन्दर, मैस भत्ता हो, चाहे उनके कपड़े की धुलाई का हो, उन सबके अन्दर उन्होंने हर जगह बढ़ोतरी का काम किया। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनका वेतन बढ़ाने का काम किया।

सभापति महोदय, आज पिछले वर्ष की मुख्य मंत्रीजी की बी.पी.एल. के मकान की बात कही जा रही है कि बी.पी.एल. के मकान की आपने घोषणा कर दी, लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में 569 मकानों की स्वीकृति जारी हुई और उनमें से 549 मकान निर्माणाधीन हैं। उसके अन्दर चाहे तो विधान सभा की कमेटी के कोई माननीय सदस्य आकर के अवलोकन कर लें, वह योजना बराबर अच्छी तरह से चल रही है।

मुख्य मंत्रीजी की दवाई योजना का भी आकर के अवलोकन कर लें, यह भी व्यवस्थित चल रही है। यह बार-बार कह देना कि पिछले बजट में घोषणा हुई और उसके अन्दर नहीं हुआ। 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था भी बहुत अच्छी चल रही है। पिछले बजट भाषण में 108 एम्बुलेंस उप खण्ड स्तर तक देने की बात कही, आज सारे उप-खण्ड स्तर के ऊपर 108 की व्यवस्था हो गयी। कोई एक-आधा उप-खण्ड स्तर रह गया हो तो मुझे नहीं मालूम, बाकी हर उप-खण्ड स्तर के ऊपर कर दी। 200 नई एम्बुलेंस भी दी जा रही हैं।

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

इसी तरह से प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य यह बार-बार कहते हैं कि जो घोषणाएं होती हैं वे लागू नहीं होती हैं, मैं, सभापति महोदय, बताना चाहता हूं कि मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में उन्होंने बर्न यूनिट की घोषणा की, वह बनकर तैयार हो गयी, रिहैबिलिटेशन सेंटर का कहा, वह बनकर तैयार हो गया, पुलिस थाना, सदर चालू हो गया; आर.ओ.बी. शुरू हो गया; गोसुन्दा बांध की पेयजल योजना शुरू हो गयी। उप-खण्ड कार्यालय भदेसर के अन्दर उन्होंने खोल दिया; ग्राम न्यायालय उन्होंने खोल दिया। जो उनके समय में छह पंचायत मुख्यालय रह गये थे, वे उन्होंने खोल दिये। उर्जा के क्षेत्र में सारे का सारा काम, जितना मेरे बाकी था, सारा उन्होंने कर दिया। मिसिंग लिंक्स जो थीं, वे मिसिंग लिंक्स बनना शुरू हो गयीं; धार्मिक सड़कें जो थीं वे धार्मिक सड़कें बनकर तैयार हो गयीं...(व्यवधान)

श्री सभापतिः कृपया आप शांति बनाये रखें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): आप सुनें तो सही। अब मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि नजरिया अच्छा रखो।

श्री सभापतिः कृपया शांति बनाये रखिये। माननीय सदस्य, आपसे निवेदन है, सदन की गरिमा के मुताबिक जरा सुनिये माननीय विधायक महोदय को।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं, उनको यह चाहिए कि इतनी अच्छी-अच्छी योजनाएं जो दी हैं, उनमें कमियों के बारे में सुझाव दें। मुख्य मंत्रीजी हमेशा वेलकम करते हैं, कोई अदना सा आदमी भी उनको कोई सुझाव दे कि इस योजना में यह अच्छा हो सकता है, उसको वे वेलकम करते हैं। तो आप कम-से-कम सुझावों के साथ, आप अपना आलोचनात्मक दृष्टिकोण अवश्य रखें, क्योंकि आप प्रतिपक्ष में हैं, आपका दायित्व है, लेकिन उसके साथ-साथ सुझाव भी दें। राजस्थान की जनता को फायदा हो रहा है। आपको और मेरे को हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन यह योजना जिस गरीब के लिये बनाई गई है, उस गरीब आदमी को कैसे फायदा मिले, उसके लिये सुझाव आने चाहिए। यह सदन उसके लिये ही है।

अब मैं समाप्त करता हुआ आपसे निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): हमें भी 40 मिनट चाहिए, इनको भी 40 मिनट दिये गये हैं।

श्री सभापतिः कृपया शांति बनाये रखें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा के क्षेत्र में पांचवीं दे दी, आठवीं दे दी लेकिन कम से कम...अब मैं मुख्य मंत्रीजी को आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं और मांग करना चाहता हूं कि पिछले तीन साल में हमें स्कूलें नहीं मिलीं, क्योंकि मुख्य मंत्रीजी की प्राथमिकता थी कि पहले शिक्षक भर्ती हो और उसके बाद में नई स्कूलें खोलें। अब 41 हजार अध्यापकों की भर्ती होने जा रही है, 20 हजार उन्होंने और भर्ती करने का फैसला कर लिया। सेकंड ग्रेड की प्रक्रिया चल रही है, तो कहने का अर्थ है कि शिक्षकों की भर्ती तो पूरी हो जाएगी, इसलिए मेरा निवेदन है कि पांच आठवीं से दसवीं और पांच ही दसवीं से बारहवीं स्कूल कम से कम खोली जाएं। साथ ही, जो ढाई सौ से पांच सौ तक की आबादी के गांव दो चरणों के अन्दर जिनको पूरा करने का लक्ष्य रह गया, उनको एक ही चरण में और अगले मई माह के अन्दर ही उनकी निविदाएं आमंत्रित करके क्योंकि सड़क बनने में समय लगता है और आजकल ठेकेदार राजस्थान का न मालूम क्यों पांच साल की जब से गारंटी लागू की है उसकी तब से वह अपने हाथ खेंचता जा रहा है इस सड़क निर्माण के अन्दर। इस वजह से हमारी सड़क परियोजना समय पर पूरी हों, इसके लिए भी मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

मैं मुख्य मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि श्मशान और कब्रिस्तान के लिए जिस तरह से उन्होंने 35 करोड़ रुपये का प्रावधान पिछले बजट में किया, यह प्रावधान नाकाफी है और यह उनकी योजना बहुत जो है, गांव-गांव के अन्दर उसको सराहा जा रहा है। क्योंकि श्मशान और कब्रिस्तान, ये दोनों ऐसी जगह हैं, ऐसी चीज है जिनकी थोड़ी सी भी जमीन का अगर दायां-बायां हो जाए तो न जाने क्या, वहां पर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए जरूरी है कि इसके लिए राशि 50 करोड़ रुपये नहीं करके कम से कम इसके लिए 75 करोड़ रुपया उनको करनी चाहिए ताकि पूरे राजस्थान के श्मशान और कब्रिस्तान, जहां पर अब अतिक्रमण भी बढ़ने लग गये हैं, वे अतिक्रमण समाप्त हों और उनको सुरक्षा दी जा सके।

तीसरा मेरा सुझाव, बेरोजगारों के लिए 80 हजार की भर्तियां तो आपने कर दीं कि यह शिक्षकों की, पुलिस की सब भर्तियां होंगी लेकिन मेरा निवेदन है कि इन भर्तियों का दायरा और ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि उस नौजवान को रोजगार मिल सके।

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

चौथा मेरा निवेदन है कि पत्रकारों का जो आपने 10 प्रतिशत, क्योंकि पत्रकार वह आइना और चौथा स्तम्भ भी है हमारा, उसके लिए भी, माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि यह 10 प्रतिशत का, आपने यह जो दो लाख रुपया बढ़ाया उसका तो धन्यवाद, लेकिन यह 10 प्रतिशत अंशदान से इनको मुक्ति दे दी जाए ताकि इनको यह लगे कि राजस्थान की सरकार उनके प्रति भी पूरा संवेदनशील रुख रखते हुए... और उनको किसी तरह से समझौते करने के लिए विवश नहीं होना पड़े; स्वतंत्र पत्रकारिता, स्वतंत्र उनकी कलम चल सके। इसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह 10 प्रतिशत का, उन्होंने 75 से 90 कर दिया, तो 90 से अब 100 प्रतिशत ही उनको देने का मुख्य मंत्रीजी करें, 10 प्रतिशत अंशदान उनसे नहीं लें।

गांवों के अन्दर भी राजस्व शिविर वापस लगाए जाएं क्योंकि गांवों के अन्दर मांग आने लग गई है। शहरों में आप लगा रहे हैं तो गांवों के अन्दर भी आप लगायें, यह भी मेरा निवेदन है।

विधायक कोटा। आर्थिक व्यवस्था मजबूत है राजस्थान की, पैसे की कोई कमी नहीं है, मुख्य मंत्रीजी कई बार कह चुके हैं, और जिस तरह से बजट दिया है, उससे साफ जाहिर हो गया है राजस्थान की जनता को कि बजट की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो विधायक कोटा भी बढ़ जाएगा तो हम सभी को, पूरे सदन को और पूरी राजस्थान की जनता को फायदा मिलेगा।

एक, डी.एल.सी. दरों पर, क्योंकि सबसे ज्यादा मार मकान पर जो डी.एल.सी. दर बढ़ाई गई है, उसमें मध्यम और गरीब तबके के ऊपर पड़ेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस पर पुनर्विचार करके, जिस तरह से उन्होंने पेट्रोल सस्ता किया, जिस तरह से रसोई गैस सस्ती की, डीजल सस्ता किया, एक रुपया टैक्स उन्होंने नहीं लगाया तो यह भी मुख्य मंत्री महोदय इसके अन्दर भी कर-करा दें ताकि यह भी एक बहुत बड़ा काम राजस्थान के लिए हो जाएगा।

मैं सी.एच.सी. और पी.एच.सी., इनकी संख्या भी जो इन्होंने बताई है, सब-सेंटर तीन हजार दे दिये, खूब हैं लेकिन पी.एच.सी. और सी.एच.सी. की भी संख्या दुगनी की जाए।

मैं इस बजट के लिए जो एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बजट राजस्थान के इतिहास में उन्होंने मील का पत्थर साबित किया है, मुख्य

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

मंत्रीजी के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ अपनी बात को और मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में जो मांगा, वह उन्होंने दिया, उसका भी साधुवाद प्रकट करते हुए, धन्यवाद जो मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री सभापतिः श्री अभिषेक मटोरिया।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार का बजट वर्ष 2012-2013 33,500 करोड़ रुपये का है जो कि वर्ष 2011-12 की अनुमोदित योजना 27500 करोड़ से 21 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में राज्य सरकार का कर राजस्व 24 प्रतिशत बढ़ा है और गैर-कर राजस्व 54 प्रतिशत बढ़ा है। इसके विपरीत प्रतिस्पर्धा के इस दौर में पड़ोसी राज्यों की तुलना में पेट्रोलियम वैट दर की मात्रा राजस्थान सरकार ने मात्र दो प्रतिशत कम की है, जबकि हरियाणा और पंजाब में पेट्रोलियम पदार्थों पर 12 से लेकर 14 प्रतिशत तक वैट दर लागू है। इस असमानता की वजह से हमारे यहां पर हनुमानगढ़ और गंगानगर के बोर्डर जिलों में तेल की ब्लैक होती है, युवा भ्रमित होते हैं। आये दिन झगड़े-फसाद होते हैं और एफ.आई.आर. की संख्या बढ़ गई। अच्छा होता या होगा मुख्य मंत्रीजी अपने बजट के इस जवाब में इस वैट दर को कम से कम 10 प्रतिशत कम करें और समानता दिखाये।

बजट 2012-2013 में राजस्व व्यय 55,670 करोड़ पर अधिक ध्यान दिया गया, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट पर अगर हम बात करें तो पूंजीगत व्यय मात्र 12,852 करोड़ रुपये है। आधुनिकता के इस दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट और इकोनामिक प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अधिक होना चाहिए था परन्तु उनके प्रावधानों में कमी की गई है। इनमें भी बढ़ोतरी की जाए।

सरकार का वित्तीय प्रबंधन इस बात से झलकता है कि सरकार ने तीन वर्ष के कार्यकाल में अगर सबसे अधिक राशि कहीं दी है तो वह पावर सेक्टर में, ऊर्जा के क्षेत्र में दी है। वर्ष 2010-2011 में विद्युत ऊर्जा पर 12,434 करोड़ रुपये पूरे वर्ष भर का, यानी 52 प्रतिशत राशि। उसके बाद वर्ष 2011 में विद्युत पर खर्च 12,068 करोड़ रुपये, यानी बजट का 42 प्रतिशत। तीसरा, इस साल के बजट में 12,726 करोड़ रुपये, यानी 38.4 प्रतिशत। कुल मिलाकर 37,268 करोड़ रुपये इस सरकार ने तीन सालों में 45 प्रतिशत बजट का खर्चा

(श्री अभिषेक मटोरिया)

विद्युत पर किया है परन्तु धरातल पर विद्युत की क्या कंडिशन है, क्या हालत है, वह मैं आपको बताना चाहूंगा।

विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का कुल मिलाकर इस साल का घाटा, पिछले सालों का जोड़कर, 47,800 करोड़ का हुआ है। इस घाटे की ओर मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान नहीं गया। ये निगम लिमिटेड हर साल-दर-साल घाटे की ओर बढ़ रहे हैं। इनको घाटे से उबारने के लिए मुख्य मंत्री महोदय अगर कोई प्रावधान करें, यह इतनी भारी भरकम राशि अगर उस पर खर्च करें तो हमारे प्रसारण निगम और उत्पादन, तीनों विद्युत इकाइयां निश्चित रूप से अग्रणी राज्यों में आएंगी।

(16.27 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

इसके अलावा आज राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, जो केन्द्र सरकार की योजना थी, उसमें दस ढाणियों का समूह बनाकर, ढाणियों में विद्युत देने की स्कीम थी। यह स्कीम 2011 में बंद हो गई। हमको उम्मीद थी कि इस योजना के बंद होने के बाद राज्य सरकार इस योजना का अनुसरण करके दस के बजाए पांच ढाणियों का समूह बनाकर विद्युत देगी परन्तु ऐसा नहीं हुआ। सर्दियों में विद्युत कटौती तीन माह पूर्व छह से आठ घंटे हुई, हम सबने देखा। 500 मीटर का जो दायरा था, उसको बढ़ाकर सभी माननीय सदस्यों को उम्मीद थी कि यह एक किलोमीटर का दायरा होगा, अर्थात् गांव के बाहर ही ट्रांसफार्मर से लेकर किसान के खेत तक एक किलोमीटर तक अगर कोई विद्युत कनेक्शन लेना चाहता है तो उसको विद्युत कनेक्शन उपलब्ध होगा। एक किलोमीटर तो दूर, 500 मीटर का दायरा था उसको भी खतम कर दिया। उसमें भी कृषि भूमि पर वह बसता है तो उसको सेक्रेटरी से, ग्राम पंचायत से और पटवारी से रिपोर्ट करने के बाद विद्युत उपलब्ध होगी यह अड़चन इस योजना में आ गयी।

माननीय सभापति महोदय, कृषि कनेक्शन की यह हालत है, मेरे स्वयं के तीन कनेक्शन 2007 में जो मैंने एप्लाई किये थे, उनका नम्बर अब आया है। मेरा नम्बर 150 में 42 और 43 है। साढ़े चार महीने बीत जाने के बावजूद भी न तो ट्रांसफार्मर है, न ट्रांसमीटर है, न पोल है, न केबल है, और न तार है और न मीटर है। जो सामग्री विद्युत विभाग में इतनी घटिया स्तर की आती है,

(श्री अभिषेक मटोरिया)

बार-बार मीटर खराब होते हैं; नये मीटर लाये जाते हैं, नये मीटर का एक बी.पी.एल. परिवार का बिल, एक पंखा और एक बल्ब जलाने वाले का बिल साढ़े चौबीस हजार रुपया आता है; और वह मीटर की क्या कंडिशन है, उस कंडिशन के ऊपर भी यहां विधान सभा में बहस हो चुकी है। परन्तु 37 हजार करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी विद्युत सामग्री आज तक किसानों को गांवों में उपलब्ध नहीं हो रही, इस पर भी मुख्य मंत्री अपना वक्तव्य दें।

बजट में सर्वप्रथम सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत सड़क तंत्र का सुदृढ़ीकरण करने के लिए 2,630 किलोमीटर लम्बाई के 16 मेगा हाई-वे आपने मंजूर किये, आपको बधाई। सड़क किसी भी राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। आपने इसमें एक चतुराई की और सौभाग्यवश मैंने पन्द्रह दिन पूर्व उसी के ऊपर विधान सभा में एक मुद्दा उठाया था। बजट आम तौर पर भावी और भविष्य की योजनाओं का दर्पण होता है। आपने इसमें रावतसर-नोहर-भादरा का मेगा हाई-वे 118 किलोमीटर की लम्बाई है, इस पर आपने 226 करोड़ रुपये दिये हैं। माननीय सभापति महोदय, कुछ समय पूर्व जब इन योजनाओं का जिक्र हुआ था तो मैंने स्वयं ने विधान सभा में यह मुद्दा उठाया और उसमें मुझे जवाब आया, इसके तहत इस जवाब में इस योजना के लिए 226 करोड़ रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई। यह कार्य हमारे वहां पर चल रहा है, यह कार्य प्रोग्रेस में है, उसको पुनः इस बजट में दे दिया। बदला भी नहीं, उसी को दे दिया। नहीं, कर दिया पिछले में, दे दिया अगले में।

इसके बाद आपने जल संसाधन विभाग की घोषणाओं के तहत प्रदेश की महत्वपूर्ण इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर इस वर्ष में 1,086 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। प्रावधान अच्छा है, परन्तु यह किस कार्य के लिये उपयोग में लिया जायेगा, कहां उपयोग में लिया जायेगा, प्रथम चरण में होगा जो 223 किलोमीटर लम्बा है या 256 किलोमीटर के द्वितीय चरण में इसका उपयोग होगा, पटड़ों के लिये होगा, क्रोस-रेग्यूलेटर के लिये होगा, हैड के लिये होगा या इसकी मरम्मत के लिये होगा, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। मैं इसलिये इसको अंकित कर रहा हूं क्योंकि पूर्व बजट में भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में आपने 152 करोड़ का प्रावधान किया था, खर्च हुए मात्र 17 करोड़। उसके बाद इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान फीडर पर आपने 401 करोड़ रुपये का केन्द्रीय जल आयोग (CWC) मंजूरी के लिये भेजा था; वह मंजूर हो

(श्री अभिषेक मटोरिया)

गया, खर्च हुआ जीरो। आज तक इस राशि का राजस्थान फीडर में एक रुपये का उपयोग नहीं हुआ।

राजस्थान की जीवनदायिनी और महत्वाकांक्षी योजना का स्वरूप इतना बिगड़ चुका है, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। नोहर और भादरा की सिंचाई सुविधा किसानों को उपलब्ध कराने की दृष्टि से अमरसिंह और सिद्धमुख कैनाल सिस्टम वहां पर लागू है। इस सिस्टम के तहत सन् 1996 से लेकर 2010 तक लम्बी लड़ाई लड़ने वाले एक ठेकेदार ने अपर जिला एवं सैशन न्यायालय में जल संसाधन खण्ड भादरा के विरुद्ध एक अपील दायर की थी। उसका फैसला हो गया उसके तहत 14 साल की लम्बी लड़ाई के बाद इस ठेकेदार को डेढ़ लाख रुपये के लिये कोर्ट ने कहा है कि उसका भुगतान किया जाये। जब केस हारने के बाद जल संसाधन खण्ड भादरा ने इसकी अपील के लिये ऊपर अर्जी दायर की तो उच्चाधिकारियों ने उस अर्जी को खारिज कर दिया। जब उसने अग्रिम राशि मांगी, निचले स्तर के अधिकारियों ने, तो राशि रिजेक्ट हो गयी। इसका परिणाम क्या हुआ, इसके परिणामस्वरूप कोर्ट ने यह आदेश दिया कि भादरा एक्स.ईएन. की जीप की नीलामी हो, उसकी कुर्की हो, मेज की, कुर्सी की, आलमारी की और भादरा एक्स.ईएन. के दफ्तर के सारे सामान की नीलामी और कुर्की की जाये। इसके तहत ये डेढ़ लाख रुपये वसूले जायेंगे और इसके बाद बड़े-बड़े अखबारों में इस प्रकार की फोटो आई, जिसके तहत उस जीप के ऊपर यह नोटिस चस्पा किया गया और ठेकेदार को वह चाबी सौंपते हुए भादरा एक्स.ईएन. की फोटो बड़े-बड़े अखबारों में आई। इससे बड़ी शर्मसार करने वाली बात क्या होगी? 14 साल के लम्बे कार्यकाल के बाद डेढ़ लाख के भुगतान के लिये आपने अनुमति नहीं दी। राशि देना बहुत दूर की बात है, और आप बात करते हो 4,168 करोड़ रुपये की! इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता, मैं चाहूंगा, आप इस ओर ध्यान दें। जिस एक्स.ईएन. के जिम्मे निगरानी करना, वितरण करना, पानी को सुनिश्चित टेलों तक पहुंचाने का कार्य है। अगर उसकी जीप नीलाम हो जाये, उसकी आलमारी नीलाम हो जाये और आप उसे डेढ़ लाख की अनुमति ना दो, इससे बड़ा-जल संसाधन के साथ नहीं हो सकता।

इसी तरह सरकार ने साहवा लिफ्ट परियोजना में क्षमता अनुरूप पानी उपलब्ध कराने की दृष्टि से आर डी 108-109 पर एक क्रोस-रेग्यूलेटर मंजूर किया। यह बहुत बढ़िया बात है लेकिन फिर इसमें आपने एक चतुराई कर दी।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

वास्तविकता में यह कार्य 2008 में पूर्ववर्ती सरकार ने टी.एफ.सी. के तहत साढ़े 12 करोड़ की राशि के साथ मंजूर किया। इस साढ़े 12 करोड़ में से ढाई करोड़ का डायवर्जन कार्य पूरा हो चुका है; बाकी का जो कार्य था, उसके लिये दुबारा टेंडर किये गये। वह राशि लैप्स हो गयी और पुनः केन्द्र सरकार को चली गयी। उसके बाद में जब मैंने अपने पूर्व के भाषणों को टटोला, तो आप मानोगे, सभापति महोदय, मैंने स्वयं ने इस विषय के ऊपर 23.7.2009 में चार मिनट बोला था, इस क्रोस-रेग्यूलेटर पर और यह क्रोस-रेग्यूलेटर की राशि लैप्स हो गयी। अब पुनः उसको घुमा-फिराकर इस बजट में दे दिया कि इसका तो ढ़ाई करोड़ का काम हो गया। जिन अधिकारियों ने इस राशि का दुरुपयोग किया रि-टेंडर में, उनको आपने सज़ा देने के बजाय पुनः इसमें गुणगान करने का काम किया। मैंने स्वयं ने 23.7.2009 को, दो साल पूर्व इस क्रोस-रेग्यूलेटर की बात उठाई थी।

इसी प्रकार, सभापति महोदय, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना की तर्ज पर राजकीय पशु चिकित्सालयों को पशुधन की चिकित्सा हेतु सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवाओं के लिये आपने पहल की है, यह सोच अच्छी है। अगर आप इन आंकड़ों पर गौर करो तो आपको कुछ और भी करने की आवश्यकता है। मुख्य मंत्रीजी को इन सब पहलुओं पर भी गौर करने की आवश्यकता है। वर्तमान में राजस्थान में पशुधन की संख्या 6 करोड़ 3 लाख है, जिसमें से अधिकांश पशुधन उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में है। प्रदेश की विशाल एवं बहुमूल्य पशुधन की सम्पदा को बनाये रखने के लिये इसके विकास और इसकी अभिवृद्धि के लिये प्रयास जरूरी है। 7.5 प्रतिशत राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में इनका हिस्सा है और 33 प्रतिशत लघु और सीमान्त कृषकों की आय इनसे होती है। इसके बावजूद हमारे राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 8 हजार से अधिक पशु चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े हैं। सभापति महोदय, तीन साल बाद मात्र 200 पशु चिकित्सकों की भर्ती आपने निकाली है, जिसमें से 118 बैकलाग से भरे जाने हैं 1,716 पशु चिकित्सकों के पद रिक्त स्वीकृत हैं, उसमें से 432 रिक्त पड़े हैं। एन.ए.सी. की सिफारिश के अनुसार 5 हजार पशुओं पर एक चिकित्सक होना चाहिये। राजस्थान में इनकी संख्या 15,430 है। जाड़ावतजी बता रहे थे, 400 नये पशु चिकित्सा केन्द्र स्वीकृत किये, 200 पशु उप-केन्द्रों को चिकित्सालयों में

(श्री अभिषेक मटोरिया)

क्रमोन्नत किया। मैं बताना चाहूंगा, राजीव गांधी कृषि व पशुपालन मिशन, डेयरी उद्यमिता विकास योजना, पशु प्रजनन नीति, स्वास्थ्य कार्ड योजना, पूर्व में इतनी सारी नीतियां चल रही हैं तो अब आपने एक नई पशुधन विकास नीति की घोषणा की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस घोषणा से पहले इन सब पशु चिकित्सकों की भर्ती की जाये। धरातल पर पशुधन को मजबूत करने के लिये, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिये पशुधन की एक अहम भूमिका है। इन सबकी भर्ती के बाद ये नये उप-केन्द्र खोले जायें। तब ही हमारा तंत्र सुदृढ़ होगा।

युवा मामले एवं खेल की दृष्टि से राजस्थान का गौरव बढ़ाने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों हेतु आपने पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की है। यह कदम भी स्वागत योग्य है। इससे निश्चित रूप से खेल जगत का माहौल बनेगा। पर अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, बढ़ती हुई मंहगाई में इन खिलाड़ियों का दम बढ़ने के बजाय दम घट रहा है और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर इनके दैनिक एवं परिवहन भत्तों में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। राजस्थान में राज्य स्तर पर खेलने वालों को 50 रुपये प्रतिदिन और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वालों को 100 रुपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता मिलता है। इस दैनिक भत्ते के अन्दर उनका भोजन, चाय, नाश्ता, खाना-पीना, फल-फ्रूट, सब कुछ शामिल है। हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में यह राशि राज्य स्तर पर 110 और राष्ट्रीय स्तर पर 165 रुपये प्रतिदिन है। पंजाब में यह राशि 90 रुपये प्रतिदिन और 165 रुपये राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को दी जाती है। नौकरी के साथ-साथ अगर इन दैनिक भत्तों में बढ़ोतरी की जाये तो निश्चित रूप से खिलाड़ियों को अच्छी डाइट मिलेगी तो वे खेल में सुधार कर पायेंगे।

आपने पिछले बजट में खेल की दृष्टि से खेलों को बढ़ावा देने के लिये झुन्झुनूं में एक खेल विश्वविद्यालय, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोटर्स यूनिवर्सिटी तथा भरतपुर में कुश्ती अकादमी की स्थापना करने की घोषणा की थी। आज तक वह अकादमी, वह यूनिवर्सिटी वहां पर धरातल पर स्थापित नहीं हो पाई।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में आपने लिंग परीक्षण पर प्रभावी नियन्त्रण के लिये एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने की इस बजट में घोषणा की है। टास्क फोर्स गठित करना अच्छी बात है, सभापति महोदय, परन्तु देश में पी.सी.पी. एंड डी.टी. एक्ट के तहत पी.सी.पी. एंड डी.टी. सेल में एक टास्क फोर्स पहले से गठित है, वह राजस्थान में कार्य कर रही है, उसने अब तक

(श्री अभिषेक मटोरिया)

तीन साल में सैकड़ों की संख्या में छापे मारे हैं परन्तु अफसोस की बात है कि मात्र 22 प्रतिशत केसों में प्रभावी कार्यवाही हुई। बाकी में प्रभावी कार्यवाही नहीं होने की वजह से सबूतों के अभाव में वे मुजरिम चाहे वह अल्ट्रा साउंड मशीन के हों, सोनोग्राफी मशीन के हों, लिंग परीक्षण के हों, किसी भी बात के हों, वे छूट गये।

राजस्थान में 2,900 चिकित्सा अधिकारियों को नियमित किया जायेगा। आपको बताऊं, राजस्थान में वर्तमान में 8,936 लोगों पर एक चिकित्सक है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 2,500 पर एक चिकित्सक होना चाहिये। डाक्टर साहब, आप जानकर हैरानी करोगे, हनुमानगढ़ में इसका रेशो सबसे खराब है, 15,193 लोगों पर एक चिकित्सक है। दूसरा नम्बर आता है जालौर का, 15,106 लोगों पर एक चिकित्सक है। तीसरा नम्बर बाड़मेर का, 13,837 पर एक चिकित्सक है। चौथा नम्बर नागौर का, 12,737 लोगों पर एक चिकित्सक है। पांचवां नम्बर भरतपुर का आता है जहां पर 12,201 लोगों पर एक चिकित्सक है। यह बहुत लम्बी लिस्ट है। इतने लोगों पर एक चिकित्सक, और आप बात कर रहे हो 2,980 की। खाली पड़े हैं 8,936, इनको तुरन्त भरा जाये ताकि हमारे स्वास्थ्य केन्द्र और मजबूत हो सकें। महिला रोग विशेषज्ञ तथा शिशु रोग विशेषज्ञ के 540 पद रिक्त पड़े हैं जिसकी वजह से राजस्थान की बाल एवं मातृ मृत्यु दर सातवें स्थान पर पूरे भारत में पहुंच गयी।

शिक्षा। राज्य में शिक्षा का अधिकार कानून को लागू हुए दो वर्ष हो गये। छह माह बीत जाने के उपरान्त, यह प्रावधान उस कानून में था कि शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर हो। आपने 57 हजार रिक्त पदों के विरुद्ध में, जो दो साल में आपको भरने थे, मात्र 14 हजार नियुक्तियां की हैं, बाकी नियुक्तियां शेष पड़ी हैं। इस कानून के अनुसार राज्य में एक लाख 18 हजार नये कक्षा-कक्षों की आवश्यकता है जिसके लिये 4,800 रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी। आपने इस बजट में राइट-टू-एजुकेशन एक्ट के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहा। इसमें राशि का प्रावधान नहीं किया। नये कक्षा कक्षों के निर्माण के ऊपर आपने ज्यादा जोर नहीं दिया। न कोई जिक्र किया और न कोई फिक्र। राजस्थान में आज भी 1,097 स्कूल बिना कक्षा कक्ष के हैं; राजस्थान में आज भी 1,870 स्कूल एक कमरे में चल रहे हैं; राजस्थान में आज भी 23 हजार 500 स्कूल मात्र दो कमरों में चल रहे हैं। आर टी ई के

(श्री अभिषेक मटोरिया)

तहत इस प्लान आफ एक्शन को सुधारने की आवश्यकता है, यहां निर्माण की आवश्यकता है। इस पर मुख्य मंत्रीजी बतायें।

कुपोषण की दृष्टि से राजस्थान में 11 हजार 570 बच्चों पर 2 करोड़ 88 लाख रुपये राजस्थान की सरकार ने खर्च किये। एक हैरतअंगेज बात इसमें देखने को यह मिली कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नोहर-भादरा में जीरो बच्चों के कुपोषण उपचार पर 74 हजार रुपये का खर्चा हुआ और तीन सालों एक भी बच्चे का उपचार नहीं हुआ। न रावतसर में, न नोहर में। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर हुआ 143 बच्चों का, राशि खर्च हुई 9 लाख 83 हजार रुपये। सभापति महोदय, हम बच्चों के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वामी विवेकानन्दजी ने कहा था कि देश तब मजबूत होगा जब बच्चे मजबूत होंगे और बच्चे तब मजबूत होंगे जब उनकी नींव मजबूत होगी। यहां नींव कमजोर होती जा रही है। कुपोषित बच्चों का उपचार नहीं हो पा रहा, एन टी सी सेंटर पूर्ण रूप से नहीं खुले। उन पर भी राज्य सरकार विशेष जोर दे।

सभापति महोदय, जैसा कि जाड़ावतजी बता रहे थे, उनका काम सुझाव देने का है, उसके साथ-साथ उन योजनाओं को पढ़ना है। हमारा कार्य उन योजनाओं की सफल क्रियान्विति और क्रियान्विति के साथ-साथ इन योजनाओं, परियोजनाओं, नीतियों और घोषणाओं को पूरा करवाने का है। अब मैं उन योजनाओं का जिक्र करूंगा जो पिछले एक साल से लम्बित पड़ी हैं।

बीकानेर सम्भाग में जल को संरक्षित करने के लिए, जल की महत्ता समझने हुए वाटर रिसोर्स एंड हाइड्रोलाजी मैनेजमेंट इंस्टिट्यूशन की स्थापना करने की घोषणा की थी। वह आज दिनांक तक स्थापित नहीं हुआ। देवी सिंहजी यहां बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से स्थापना नहीं हुई। अजमेर में भाषाई अल्पसंख्यक राजकीय एस टी सी को पुन: शुरू करने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है, लेकिन शुरू नहीं हुई। अनिताजी यहां बैठी हुई हैं शायद नहीं हुई। कोटा में अल्पसंख्यकों के लिए कन्या छात्रावास स्थापित हो गया लेकिन भवन निर्माण आज तक नहीं हुआ, किराये के भवन में वह कार्य चल रहा है। राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा का गठन और गांव का मास्टर प्लान अभी भी अधरझूल में हैं। बारां जिले की 2,334 करोड़ रुपये की पेयजल एवं सिंचाई योजनाएं केन्द्रीय जल आयोग के यहां प्रक्रियाधीन एवं विचाराधीन हैं, डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद। हनुमानगढ़ में हवाई पट्टियां बनाने की आपने घोषणा की थी, एक भी पट्टी नहीं बनी; पता नहीं, पट्टियां कब बनेंगी। नोहर-भादरा के सिंचाई से वंचित 24

(श्री अभिषेक मटोरिया)

गांवों का सर्वे कराने की आपने घोषणा की थी, आज दिनांक तक सिंचाई सुविधा से जुड़ना तो दूर, उसका सर्वे तक नहीं हुआ। इस पर भी गौर करें। पीपीपी माडल द्वारा सभी पंचायत मुख्यालयों को दो वर्ष और तीन वर्ष की अवधि में बसों से जोड़ा जाएगा। मात्र 18.6 प्रतिशत पंचायत मुख्यालय आज तक एक साल में बसों से जुड़ पाये हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए अनुकृति योजना, इस योजना का कहीं कोई अता-पता नहीं। राजस्थान जल प्रबन्धक नियामक प्राधिकरण का गठन नहीं हुआ। राजस्थान भूजल नियंत्रण एवं प्रबन्धन कानून नहीं बना।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, आपने घंटी बजा दी, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी बात समाप्त करने से पहले... (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जितना बोले हैं इनको उतना समय दे दो आप।

एक माननीय सदस्य: माननीय सदस्य को बोलने दिया जाए। (व्यवधान)

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): आपने ज्ञान वृद्धि के दृष्टिकोण से 12 हजार स्कूल्स में पुस्तकालय खोलने की घोषणा की। यह अच्छी घोषणा है परन्तु इसके विपरीत हनुमानगढ़ जिले में एक साल पहले, अब तो एक और खुल गया, एक साल पहले तक एक मात्र राजकीय महाविद्यालय में एक पुस्तकालयाध्यक्ष का पद था। वह रिक्त नहीं हुआ, आपने समाप्त कर दिया। इस प्रकार से यदि आप पद ही समाप्त कर देंगे तो आप मानकर चलें, आपने 12 हजार पुस्तकालयों की घोषणा की है, उन पर पुस्तकालयाध्यक्ष कब लगेंगे और पुस्तकों का ज्ञान उन बच्चों को कब मिलेगा, यह बहुत दूर की बात है।

राजस्थान में शिशु और मातृ मृत्यु दर में 65 प्रतिशत महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं। इन दोनों के खाने की एवं पोषक तत्वों की व्यवस्था समायोजन के लिए इस बजट में और प्रावधान किये जाने चाहिए थे।

राजस्थान की आन, बान और शान-पर्यटन उद्योग इस वैश्विक मन्दी में बुरे दौर से गुजर रहा है। उसको उबारने के लिए, उसमें बूम लाने के लिए केवल ग्रामीण पर्यटन और हेरिटेज वाक नाकाफी है। हेरिटेज प्रोपर्टी की जीर्ण-शीर्ण अवस्था को सुधारने के लिए और ज्यादा बजट की आवश्यकता है।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

इसके अलावा, बजट आम तौर पर समानता, सरलता और संतुलन का मिला-जुला सिद्धान्त होता है। इसके विपरीत बजट निर्माताओं ने जोधपुर के प्रति अपना विशेष लगाव किस प्रकार दिखाया है, सभापति महोदय, यह यहां मैं जरूर बताऊंगा। (व्यवधान) नहीं, जीजी का विरोध नहीं है, मैं जीजी को हकीकत बताऊंगा।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): वह सारा सरदारपुरा में ही है, सूरसागर में नहीं है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): आप जोधपुर से हो, वह आप देखो।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में मेड़ता, गोटन, पीपाड़, जोधपुर-73 करोड़। दूसरा, ऊर्जा विभाग, आगामी वर्ष बलड़ा-जोधपुर में सोलर पार्क। उम्मीद की जा रही थी कि उदयपुर या जैसलमेर में सोलर पार्क लगेगा ...(व्यवधान)

श्री ओम जोशी (फलौदी): जोधपुर से बहुत दूर है। जिले के नाम पर बात मत करो, वह तो जोधपुर से ढाई सौ किलोमीटर दूर पड़ता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): है तो जोधपुर में ही। जोधपुर में नहीं है? डिविजन कौनसा है? जिला भी जोधपुर है। (व्यवधान) अभी तो दूसरा ही पढ़ा है, सत्रह और हैं शायद।

पेयजल, शहर की योजनाओं का विस्तार-550 करोड़ रुपये जोधपुर। चिकित्सा और स्वास्थ्य, बीकानेर और उदयपुर तथा जोधपुर में औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। जिला चिकित्सालय, बीकानेर तथा जोधपुर में क्रिटिकल केयर यूनिट। आयुर्वेद, मेडिकल, यूनानी कालेज की स्थापना जोधपुर में। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता-जयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर व जोधपुर में विद्या आश्रम। भरतपुर, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा तथा जोधपुर में कालेज स्तर के छात्रावास। अल्पसंख्यक कल्याण-भरतपुर, उदयपुर तथा जोधपुर में बालिका छात्रावास संचालित होंगे। जोधपुर में कृषि महाविद्यालय....

श्री ओम जोशी (फलौदी): जोधपुर क्या राजस्थान में नहीं है क्या? राजस्थान में है, माननीय सदस्य।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): हम भी राजस्थान के हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): किसी भी संस्था प्रधान का दायित्व और कर्तव्य बनता है कि निर्वाचित होने के उपरान्त जब वह देश और प्रदेश का मुखिया बनता है तो सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। जोधपुर राजस्थान का अभिन्न अंग है। जोधपुर सम्भाग है हमें गर्व है, जोधपुर को उसका हिस्सा मिलना चाहिए परन्तु सिर्फ जोधपुर को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरे सम्भागों की अनदेखी हो, इस पर हम जरूर बोलेंगे। (व्यवधान) आप सुनते जाओ।

जोधपुर में कृषि महाविद्यालय। कृषि महाविद्यालय की आवश्यकता बीकानेर में है, हनुमानगढ़ में है। जोधपुर में पशुपालक प्रशिक्षण केन्द्र। शिक्षा के क्षेत्र में अनाथ व निराश्रित बच्चों हेतु कोटा व जोधपुर में एक-एक आवासीय विद्यालय स्थापित किये जाएंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): जोधपुर ने दिया है मुख्य मंत्री। क्या हो गया यदि कर भी दिया तो? कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं है। वहां का जाया जन्मा है, मुख्य मंत्री ने वहां दे दिया। बार-बार कह रहे हैं। इधर वाले भी बोले और उधर वाले भी बोले। क्या बात हो गई? जोधपुर में सब कर दिया। दिया है तो क्या हो गया? कोई लम्बी-चौड़ी बात हो गयी क्या? क्या दिया है? मण्डोर में दिया है। (व्यवधान) मण्डौर में दिया है, यह कह सकते हो।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): जीजी, बैठो एक बार, मेरा खतम होने वाला है। जीजी, सूरसागर में कुछ नहीं दिया।

तकनीकी शिक्षा में इनोवेशन एंड इन्क्युबेशन सेंटर की स्थापना जोधपुर में। युवा मामले एवं खेल में जोधपुर स्पोर्टस काम्पलेक्स में सिंथेटिक ट्रैक हेतु पांच करोड़ रुपये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करो।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): बस लास्ट है।

उद्योग के क्षेत्र में जोधपुर में नेशनल मैन्यूफेक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट जोन, जिसकी उम्मीद अलवर और अजमेर में थी। पेट्रोलियम एवं खनिज में खनिज क्षेत्रों के दृष्टिगत विस्तार हेतु नागौर डूंगरपुर तथा जोधपुर में माइनिंग सड़कों का बीओटी बेसिस पर 513 करोड़ रुपये। परिवहन सुजानगढ, (चूरू), आबू (सिरोही), बालोतरा (बाड़मेर), चौमूं, (जयपुर) तथा फलौदी (जोधपुर) में प्रदेश परिवहन उप-कार्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा। (व्यवधान) सरदार पटेल यूनिवर्सिटी भी जोधपुर में चली गयी।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

जोधपुर छोड़ दूं? यह सारा ही जोधपुर का है। चलो, छोड़ देते हैं।

सभापति महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा ड्राप-आउट जोधपुर जिले से आये हैं, उनके ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान दें। मेरे प्रश्न में यह जवाब आया।

श्री सभापति: श्री ओ पी यादव।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): यह तो पूरा कर लूं मैं। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री ओ.पी. यादव।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय ...

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सभापति महोदय, एक मिनट की प्रार्थना है। एक बार इनको निर्दलीय लड़वा दो। क्या होता है, इनके चन्द्रभान से पूछो। हम निर्दलीय हैं, इनको निर्दलीय चुनाव लड़वा कर बता दो, मैं भगवान मान जाऊंगा। (व्यवधान) और हमारी हकीकत यह हो रही है, सुबह पर्ची देते हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराज जाओ, मैं आपको बुलवाऊंगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): निर्दलीयों को सम्मान देना चाहिए सदन में। दम से जीत कर आये हैं न हम, सभापति महोदय।

श्री सभापति: आपको बुलवाऊंगा, माननीय सदस्य, विराजो तो सही आप।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): और नहीं पता हो तो आपके अध्यक्ष से पूछ लें एक बार। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपको बुलवाया जायेगा, आप विराजो तो सही।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय रात्रि आठ बजे तक बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति: क्या सदन का समय रात्रि आठ बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आठ बजे तक बढ़ाया गया।

मेजर ओ.पी. यादव।

आय व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

मेजर ओ.पी. यादव (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, इस बजट में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धजनों, नि:शक्तजनों, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ.बी.सी. स्पेशल ओ.बी.सी., अल्पसंख्यक, किसानों एवं कमजोर वर्ग के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह माननीय मुख्य मंत्रीजी का भागीरथी प्रयास है। मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना की तर्ज पर पशुओं के लिए भी दवाई उपलब्ध करवाने की घोषणा एक अभिनव प्रयास है एवं पशुओं के प्रति सहृदयता का प्रतीक है।

सभापति महोदय, मेरे साथी माननीय सदस्यों द्वारा बजट की प्रशंसा की गयी है चूंकि यह बजट वास्तव में ही प्रशंसा के योग्य है। यह बजट अभूतपूर्व बजट है this is an excellent budget.

श्री सभापति: माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य बोल रहे हैं, कृपया आप थोड़ा शांति रखें। हां, मैं इधर भी ... (व्यवधान)... मुख्य सचेतक महोदय, सचेतक महोदय, कृपया।

मेजर ओ.पी. यादव (मुण्डावर): This is a budget which has been admired and appreciated by each segment of society and even the bureaucrats have also said in a very loud voice that this is a budget which is for everyone. मुख्य मंत्रीजी की नजर वहां तक पहुंची है जहां तक पूर्व में किसी की भी नहीं पहुंची। और क्यों ना पहुंचे? क्योंकि वे एक आम आदमी से जुड़े हुए मुख्य मंत्री हैं। समाज के हर व्यक्ति, क्षेत्र को बजट से लाभान्वित करने का जो प्रशंसनीय प्रयास किया गया है, इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसे मुख्य मंत्री की हम जितनी प्रशंसा करें वह कम है।

सभापति महोदय, मेरे साथी कुछ माननीय सदस्यों द्वारा बजट को बनाने के बारे में टिप्पणी भी की गयी है; बजट कैसे बनाया जाता है, की व्याख्या बजट की बहस पर की गयी है। मैं समझता हूं, हम सब माननीय सदस्य जानते हैं कि बजट एक बहुत सिम्प्लिफाइड प्रोसीजर है। हम लोग घरों में भी बजट बनाते हैं, हमारी बहनें, हमारी बीबियां, हमारे सब बड़े लोग बजट बनाते हैं और सीधा-सादा क्या कैपिटल है, आपके पास में क्या रिसोर्सेज हैं, क्या एडिशनल रिसोर्सेज हैं, क्या एक्सपेंडीचर है जब भी कोई डवलपिंग कंट्रीज होते हैं, समाज होता है, प्रदेश होता है तो राज्य के अन्दर जब भी डवलपमेंट

(मेजर ओ.पी. यादव)

होता हैं तो कुछ न कुछ घाटा बजट में आता है लेकिन यहां पर, सभापति जी, मैं बताना चाहता हूं कि टैक्स और नान-टैक्स रेवेन्यू में भारी वृद्धि हुई है। इसी का परिणाम है कि राजस्व खाते में सरप्लस की स्थिति है, जो आपके सामने है। अगर आप देखें, वर्ष 2009-10 में 4 हजार 787 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा था, अगर हम 2010-11 से तुलना करें तो पाते हैं कि एक हजार 55 करोड़ रुपये रेवेन्यू सरप्लस आता है। यही इस बजट की विशेषता है। हमारा राजकोषीय घाटा कम हुआ है, वर्तमान में यह घाटा फिस्कल रेस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट की निर्धारित सीमा में ही है। इसका मतलब लिमिटेशंस में ही है, जो पैरामीटर्स हैं वे लिमिटेशंस में हैं। हमारे समग्र ऋण 2005 में घरेलू उत्पाद के 47 प्रतिशत थे जबकि चालू वर्ष के अंत में यह केवल 29 प्रतिशत ही रह गये।

जैसा मैंने पहले कहा कि डवलपिंग राज्यों के बजट में राजकोषीय घाटा होता ही है। विगत तीन बजटों के माध्यम से अगर हम देखें, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड सोशल सेक्टर्स में अच्छा काम हुआ है जिससे एम्प्लायमेंट बढ़ा है तथा राज्य में आय के साधन भी बढ़े हैं। मैं समझता हूं इसमें कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, माननीय सदस्य, आपके सामने कि रेवेन्यू सरप्लस होना राज्य की प्रगति का द्योतक है क्योंकि राज्य सरकार ने अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसी योजनाएं जो आम आदमी, समाज हर के वर्ग से जुड़ी हुई हैं, जैसे मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना, मां जननी शिशु योजना, अन्न सुरक्षा योजना और इनके अलावा, जो एक बहुत ही बुद्धिजीवी समाज के हर पढ़े-लिखे वर्ग, हर पिछड़े वर्ग और उस दु:खी को जिसको बहुत सी इन्फोर्मेशन नहीं मिल पाती थी, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम के तहत जो शुरू किया गया, लागू होने के पश्चात् फरवरी, 2012 तक 31 लाख 10 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे और इनका निस्तारण देखा जाए तो 30 लाख 33 हजार प्रकरणों का निस्तारण किया गया। मैं समझता हूं कि अपने आप में इस अधिनियम की सार्थकता की ओर यह इंगित करता है। अपने आप में it is a very big achievement and that means it has been really appreciated by every-one, rather people have benefited by this.

(मेजर ओ.पी. यादव)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि मनुष्य की तीन प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, भोजन, कपड़ा व मकान। हर व्यक्ति पहले अपना पेट भरता है, इसके बाद अपना तन ढंकने के लिए उद्यम करता है जिसको हम गीता में कर्म कहते हैं एवं तत्पश्चात् सिर ढंकने के लिए एक छत बनाने की कोशिश करता है। सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना द्वारा जनता को रोजगार दिया गया, अन्न सुरक्षा द्वारा उनका भोजन सुनिश्चित किया गया; आवास योजना के माध्यम से ग्रामीण बी.पी.एल. परिवारों को आवास एवं इस बजट के माध्यम से शहरी बी.पी.एल., जिसके बारे में अक्सर यह टिप्पणी होती थी कि रूरल सैक्टर की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया है लेकिन आपके सामने है, यह मुख्य मंत्रीजी की सोच थी, शहरी बी.पी.एल. परिवारों को भी आवासीय सुविधा योजना इस जन प्रिय माननीय मुख्य मंत्रीजी का अभूतपूर्व प्रयास रहा है।

माननीय सभापति महोदय, अगर हम वार्षिक योजना का आकार देखें तो राजस्थान की वर्ष 2012-13 की वार्षिक योजना का आकार बढ़ाकर 33 हजार 500 करोड़ रुपये का निर्धारित किया है, जो कि पिछले साल की अनुमोदित योजना से 21.8 परसेंट अधिक है, जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं उनकी टीम की जितनी प्रशंसा की जाए, कम है। इसका लाभ राजस्थान की जनता को मिलेगा और राजस्थान द्रुत गति से प्रगति की ओर अग्रसर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

बजट में किस सम्भाग को, किस क्षेत्र में क्या दिया गया, इसका सभी मेरे साथी पूर्व वक्ताओं ने जिक्र किया है मैं उनको दोबारा बोलकर सदन का समय जाया नहीं करना चाहूंगा। मैं सदन को यह कहना चाहूंगा, माननीय सदस्य, यह बजट बिना किसी भेदभाव के, बिना पक्षपात के, बिना क्षेत्रवाद के राजस्थान राज्य की प्रगति एवं जनता के हित का बजट है; यकीनन हित का बजट है।

जहां तक आदरणीय मुख्य मंत्रीजी के धन्यवाद का सिलसिला है, मैं समझता हूं कि यह कहीं रुकता नहीं है। नेशनल मैन्यूफेक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट जोन की स्थापना, विशेष तौर से मेरे मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र में नीमराना में जापानी जोन, दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कारिडोर परियोजना के अन्दर खुशखेड़ा-भिवाड़ी में नेशनल मैन्यूफेक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट जोन की स्थापना की घोषणा ने क्षेत्र की जनता को एक सुखद अनुभूति दी है।

(मेजर ओ.पी. यादव)

माननीय सभापति महोदय, एक और नया काम किया हमारे मुख्य मंत्री जी ने, जिसके बारे में पहले कभी सोचा नहीं गया। एक ऐसा निगम जिसने हमेशा उन लोगों को ऋण दिया जो कि और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनके बारे में बहुत डिफिकल्टीज जाहिर करते थे, उनके डेटाज उनके पास मैच नहीं हो पाते थे, उन लोगों को, और वह हुआ, हमारा राजस्थान वित्त निगम जिसको दस करोड़ रुपये से अंश पूंजी उपलब्ध करवाकर 15 करोड़ से 65 इक्विटी कैश पूंजी में परिवर्तित करने की घोषणा करना अति प्रशंसनीय एवं दूरदर्शी कदम है। राजस्थान वित्त निगम द्वारा उस समय में उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराया, दिया गया जबकि बैंक व वित्तीय संस्थाएं छोटे, मध्यम उद्योगों को पहले नहीं देते थे। मैं समझता हूं, उद्योगों के लिए यह उत्साही कदम उठाया मुख्य मंत्रीजी ने, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। इस प्रकार की संस्था को सुदृढ़ करना राजस्थान के विषय में मील का पत्थर साबित होगा। हम धन्यवाद देते हैं पारीक साहब को भी इसके लिए।

(17.40 बजे)

अलवर में विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना, बहुत-बहुत धन्यवाद मुख्य मंत्रीजी का। अलवर में खेल संकुल और खेल स्टेडियम के निर्माण के संसाधन उपलब्ध कराने की घोषणा, नीमराना में जापानी जोन, गिलोट अलवर में भूमि उपलब्ध कराने की घोषणा, दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कारिडोर परियोजना में नेशनल मैन्यूफेक्चरिंग इंवेस्टमेंट जोन बनाने की घोषणा, पर्यटन को बढ़ावा देने की कड़ी में अलवर में हेरिटेज वाक विकसित करने की घोषणा, नीमराना जैसे भारत के उद्योग जगत में बढ़ते हुए क्षेत्र में नई तहसील सृजित करने की घोषणा के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत का विशेष धन्यवाद एवं मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र की समस्त जनता की तरफ से आभार प्रकट करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत से मुण्डावर की जनता की तरफ से जो महत्वपूर्ण योगदान की अपेक्षा मैं करता हूं, उसके लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में कोई भी महाविद्यालय नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि इस सत्र में मुण्डावर में महाविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की जाए। पच्चीस किलोमीटर तक वहां कोई विद्यालय नहीं है, इस हिसाब से यह पिछड़ा क्षेत्र है। इसके करने से युवा लाभान्वित हो सकेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में एक गति आएगी।

(मेजर ओ.पी. यादव)

मुण्डावर में ए डी जे न्यायालय की स्थापना होना बहुत जरूरी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों को कोर्ट केसेज के सन्दर्भ में किशनगढ़ बास जाना पड़ता है, जबकि किशनगढ़ बास न्यायालय में मुण्डावर क्षेत्र के सत्तर प्रतिशत से अधिक केसेज होते हैं इसलिए this is the justification that the ADJ court should be shifted and established in Mundawar, instead of Kishangarh which is a very justified demand of us, and request the Hon'ble Chief Minister for it, which we have done earlier also. क्षेत्र की जनता को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए इस सत्र में मुण्डावर में ए डी जे न्यायालय की स्थापना करने की घोषणा की जाए। इस सन्दर्भ में पहले भी हमने, वकीलों ने सबने मिलकर मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन किया हुआ है।

फसलों के नुकसान की एवज में किसानों को मुआवजा, मैं समझता हूं, इसको बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है मुझे भी, मेरे और भी साथी यहां बैठे हुए हैं, मुण्डावर एक ऐसा पिछड़ा क्षेत्र है जहां पर आय के स्रोत केवल मात्र दो हैं- खेती और एक वहां खनन होता था, क्योंकि पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है। अब क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से खनन करना उचित नहीं है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए केवल मात्र कृषि आधारित क्षेत्र रह गया। वहां पर जो साहवी नदी आती थी, 15-20 साल से वह साहवी नदी नहीं आ रही है। तो वहां पर जल का स्तर 500 से 700 फीट नीचे चला गया है जिससे हमारे क्षेत्र में अत्यधिक नुकसान हुआ है। यह नगदी फसल जो सरसों होती है, कैश क्राप बोलते हैं, इसी में सब लोगों का, जो भी उनके उत्सव होते हैं, शादी-ब्याह होते हैं, उसमें वे अपनी प्लानिंग करते हैं जैसे हम बजट की प्लानिंग का जिक्र कर रहे हैं। यह किसान का अपने घर का बजट होता है और जब वह यह सब करता है तो उससे पहले वह इंतजाम कर लेता है और वह इस पर निर्भर करता है कि मेरी फसल, मेरी सरसों जो कैश क्राप है, उसका पैसा मुझे इतना मिलेगा। लेकिन उसके बाद अगर उसकी फसल बरबाद हो जाती है तो जो सेठों से वह कर्जा लेता है, उसके ऊपर बहुत भार पड़ जाता है। क्योंकि कोई भी बैंक इतनी जल्दी पैसा नहीं दे पाता। इसलिए मेरा यह विनम्र निवेदन है कि कुछ न कुछ मुआवजे का ऐसा इंतजाम किया जाए और किसानों को मुआवजा देने के साथ-साथ कुओं का बिजली का बिल भी माफ किया जाए जिससे कुछ उन लोगों को राहत मिल सके।

मेरा एक और निवेदन है, यहां पर आदरणीय कृषि मंत्री हरजीराम जी बुरड़क साहब भी बैठे हुए हैं, पानी का स्तर तेजी से घट रहा है। कुओं में पानी

(मेजर ओ.पी. यादव)

का स्तर, जैसा मैंने बताया 500-700 फीट नीचे गया है। इस समस्या के निस्तारण के लिए मेरा एक सुझाव है मंत्रीजी को कि किसानों को कांट्रेक्ट फार्मिंग की तरफ उत्साहित किया जाए क्योंकि इस फसल में कम पानी की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी फसलें हैं जैसे जौ है, कम समय लगता है और मुनाफा अधिक होता है। इसलिए कृषि क्षेत्र में सरकार के कृषि विभाग द्वारा राजफैड जैसे पब्लिक सैक्टर से सुविधाओं सहित अनुमति मिलनी चाहिए जिससे किसानों को अच्छी किस्म के बीज व अन्य संसाधन उपलब्ध कराये जा सकें। कांट्रेक्ट फार्मिंग की तरफ, जिससे कि पैदावार बढ़ेगी। ऐसी खेती में पानी की कम आवश्यकता होती है, समय कम लगता है और कांट्रेक्ट फार्मिंग द्वारा मिनिमम प्राइस की गारंटी भी मिलती है। मैं समझता हूं मुख्य मंत्रीजी के माध्यम से हमारे आदरणीय कृषि मंत्री जी इस बात पर ध्यान देंगे।

भूमि अधिग्रहण। हमारे यहां भूमि अधिग्रहण की अक्सर चर्चा रहती है क्योंकि वहां पर जितनी जमीनों का विस्तार हो रहा है, जमीन घटती जा रही है, अधिग्रहण ज्यादा हो रहा है क्योंकि डवलपमेंट हो रहा है तो इसके लिए आज बहुत जरूरी है कि कृषि असन्तोष को कम करने के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में तर्क संगत एवं फार्मर्स-फ्रैंडली अधिनियम बनाया जाए, और बनाया जाकर इसको क्रियान्वित भी किया जाए। क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि किसान अपनी जमीन दे देता है और आजकल जो देख रहे हैं आप, सिमट कर जमीन कम रह गयी है और किसान के यहां जो उनके बच्चे हैं, वे ज्यादातर इतने विकासशील नहीं हो पाते कि उनकी जो पढ़ाई-लिखाई का दायरा रहता है, सारे आई एफ एस, आई आई टी कर लें। तो वे लोग जो वहां रह जाते हैं, उनके लिए जरूरी होता है कि उनको रोजगार मिले। जो वहां पर लोकल इण्डस्ट्रीज हैं वे रोजगार नहीं दे पातीं; उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, कोई कंडिशन नहीं होती। तो मेरा कहना यह है कि ऐसे राइट मिलें, उनको एक किस्म का हक मिले और यहां तक कि यह जमीनों का जो अधिग्रहण हो रहा है तो सीधा किसान के साथ वे कम्पनियां क्यों ना बात करें, विभाग बात करे जिससे वह अपनी जमीन की सही कीमत ले सकें? तो मैं समझता हूं कि यह अच्छा, किसान के लिए उपयोगी साबित होगा।

एक बात और कि पेंशन शब्द के बारे में अक्सर बात हुई है, सभी माननीय सदस्यों ने इसके बारे में बात की। मैं समझता हूं, विधवाओं की पेंशन, आज की जो हम समाज की संरचना देख रहे हैं, माननीय सदस्य

(मेजर ओ.पी. यादव)

महोदयों से भी अर्ज करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, आपका ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा कि विधवा जब किसी सैनिक के यहां होती है तो उस पर तो हम समझते हैं, वहां से तो उसको मिलती है लेकिन विधवाएं तो अक्सर बगैर सैनिक के भी होती हैं। वहां पर पच्चीस साल का बच्चा हो जाता है तो उसको नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज की संरचना ऐसी है कि पच्चीस साल और बीस साल के बच्चे कोई ऐसा नहीं कर पाते।

मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि साठ साल या पैंसठ साल, जो भी सरकार उचित समझे, जैसा कि कुछ पड़ोसी राज्यों में है, जो भी हमारे सीनियर सिटिजंस हैं साठ और पैंसठ के ऊपर, उन सबको पेंशन दी जाए, जो भी राशि तय की जाए, जिससे आने वाले समय में यह जो संरचना बनी है, मैं आर्मी से आता हूं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे आर्मी में जब एक्स सर्विसमैन को पेंशन आती है, तो पेंशन आने से दस दिन पहले हमारा मान-सम्मान बढ़ जाता है, खाने में, पीने में, पिताजी को दस बार नमस्कार करने में और जब तक वह पेंशन की गरमी रहती है तब तक और भी होता रहता है। यह पेंशन एक ऐसी चीज है कि आज के जमाने में, जैसे दूसरे देशों के अन्दर भी जो सीनियर सिटिजंस हैं उनका एक मान सम्मान है, अब यह जरूरी हो गया है कि हमारे समाज की संरचना को देखते हुए बच्चों की अपने बड़ों के प्रति जो भी जिम्मेदारी है उसकी कमी को देखते हुए और एक संरचना इस तरह की है कि सब लोग माडर्न हो गये, काम करने का तरीका अलग हो गया। तो कोई भी मां-बाप चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, चाहे कोई ले या ना ले लेकिन हर आदमी को साठ और पैंसठ के बीच में एक पेंशन निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा मेसेज जाएगा, सन्देश जाएगा और आने वाले समय में हमारे प्रदेश की एक अलग हवा बनेगी। यह मैं जरूर कहना चाहूंगा।

ज्यादा आपका समय न लेते हुए एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने हमारे यहां पर जितनी भी फैसिलिटीज दी हुई हैं, वे बहुत हैं इसमें कोई शक नहीं है, सन्तोषजनक हैं लेकिन फिर भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन की कोई भी सुविधा हमारे पास नहीं है। इसके लिए हमें जाना पड़ता है गुजरात में और पड़ौसी राज्य में। इसके अन्दर बहुत ज्यादा खर्चा होता है। हमारे कर्मचारी और जो हमारे स्पेशली बी पी एल के भाई हैं, वे वहन नहीं कर पाते इस खर्च को। तो उसके लिए मेरा कहना यह है कि राज्य कर्मचारी और बी पी एल वाले, सबको कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाने के

(मेजर ओ.पी. यादव)

लिए बिलों के पुनर्भरण की सुविधा प्रदान की जाए और ऐसे अस्पतालों को पुनर्भरण की सूची में शामिल किया जाए। जिससे किडनी के जो पेशेंट हैं, किडनी से जो मौतें होती हैं पैसे के अभाव में, उनको रोका जाए। इसके लिए मेरी विशेष तौर से विनती है मुख्य मंत्री महोदय से और हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय से।

एक और बात, टीचर्स, हमारे देश के उत्थान में इतिहास गवाह है कि उनका बहुत बड़ा सहयोग है लेकिन हम यह देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों का मशरूम हमारे टीचर्स पर, सरकारी जो स्कूल हैं उनके ऊपर कुछ हावी होता जा रहा है। हमारा सोच भी ऐसा है क्योंकि उनको अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वहां टाई और अच्छी ड्रेसेज भी दी जाती हैं। पर साथ-साथ यह भी सही है कि चाहे वह बिहार हो, चाहे वह हमारा और कोई पिछड़ा प्रदेश हो, वहां से जितने आई पी एस और आई ए एस निकले हैं, वे सब ग्रामीण अंचल से निकले हैं, वे इन टीचर्स के माध्यम से निकले हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे जो सरकारी स्कूलों के टीचर्स हैं इनको मान-सम्मान देने के लिए जरूरी हो गया है क्योंकि आज इनका सब जगह महत्व है; राजनीति में भी महत्व है, हम सब जानते हैं इस बात को। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि हम इन टीचर्स के ऊपर इतना बोझ न डालें क्योंकि चुनाव ड्यूटी हो, पोषाहार हो, कोई भी ड्यूटी हो, उसमें उनको लगाते हैं और क्यों न लगायें, क्योंकि हमारा यकीन उन पर है। हमारे राज्य के साथी हैं वे। कोशिश यह की जाए कि उन पर कम से कम भार दिया जाए जिससे अपनी जिम्मेदारी शिक्षा के प्रति वे निर्वाह कर सकें। यह मेरा एक सुझाव है। राज्य कर्मचारियों को जो बाहर जाकर, मैं कहना यही चाह रहा हूं कि पोषाहार जैसे बेगार के काम हैं जिन्हें आप दूसरों को भी दे सकते हैं। इनको बचाना चाहिये।

अन्त में बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि स्कूल के मामले में थोड़ा और सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, क्रमोन्नत करने के बारे में। दसवीं से बारहवीं तक के स्कूल्स के लिये भी, क्रमोन्नत करने की हमारी बहुत बड़ी मांग है। इसके प्रति जरूर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये।

साथ ही साथ मेरा आप लोगों से भी यह कहना है कि जो भी सुझाव आप देना चाहें, सकारात्मक रूप से दें। यह बात बिलकुल सही है, जो मेरे साथी ने भी कहा कि मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत हमेशा ओपन प्लेटफार्म से

(मेजर ओ.पी. यादव)

यह बात कहते रहे हैं that you come out with the suggestions rather than the criticism. और अगर वह कंस्ट्रक्टिव सजेशन आपका है, if you can come out with something which really has got a sense to improve the status and upliftment of the society. मैं समझता हूं कि ऐसा अशोक गहलोत जो आपके सामने है, जुड़ा हुआ है आम आदमी से और जिसने एक ऐसा बजट पेश किया है। मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत का धन्यवाद करता हूं और इस बजट का मैं पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री रणवीर पहलवान।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सभापति महोदय, विकास की तो बहुत बात हो गयी, मेरे खयाल में अब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, यह सारे दु:खी हो रहे हैं, मैं छोटा सा दो लाइन का चुटकुला बताता हूं। एक बार एक नेता पागलखाने में चला गया और भाषण देना लगा तो एक पागल कान के हाथ लगाकर बड़ी गौर से सुनने लग गया। नेताजी को यकीन हो गया, पागल ही प्रभावित हो गया, तो बहुत बड़ा वक्ता हो गया मैं। और तेज बोलने लगा तो पागल ने दोनों कानों के हाथ लगा लिये। नेताजी और तेज बोलने लग गये। फिर वह पागल डाक्टर प्रिंसिपल के कान में कुछ बोलकर चला गया। नेताजी भाषण समाप्त करके डाक्टर के पास आकर बैठकर बोले बता मेरे बारे में क्या कह रहा था। डाक्टर ने कहा, छोड़ो जी ये बातें। उसने कहा, जैसलमेर दिखा दूंगा, बाड़मेर दिखा दूंगा, बताना पड़ेगा। उसने कहा, जी, वह यह कह रहा था, यह कब तक आ जायेगा। मैं भी इतना ही बोला करता था। कब तक आ जायेगा यह पागलखाने में। तो ख्वामखाह बकबक करने से कोई फायदा नहीं, मैं 2-4 काम की बात, प्रार्थना ही करूं। आपसे मैं आशा करता हूं, ये तीन बार की किताबें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दी हैं...

एक माननीय सदस्य: चार।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): बहुत खुशी की बात है। चलो, चार की हैं तो ठीक है, खुशी है। यह किताब मुख्य मंत्रीजी को देने का यह हक, यह अधिकार राज्य की 6 करोड़ जनता ने दिया था। यह अधिकार लेने से पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने, सारी पार्टी ने एक बहुत बड़ा पवित्र कुरान और गीता की तरह एक शपथ पत्र, घोषणा पत्र छपवाया था और राज्य की जनता को यकीन दिलाया था कि हम ये काम करेंगे। आप एक भी काम एक बार के बजट के

(श्री रणवीर पहलवान)

मत करो, सिर्फ घोषणा पत्र के ही काम कर दो जो आपने चुनाव में वायदे किये थे। अगला एक ही बजट का काम मत करो। क्योंकि उससे जनता में बड़ा रिएक्शन हुआ था। जैसे राज्य के कर्मचारियों को भारत सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन देना। इससे राज्य के कर्मचारी प्रभावित हुए और सरकार को वोट देने के लिये जितने भी कर्मचारी थे, उन्होंने ताकत लगा दी।

नम्बर दो, किसानों को 8 घण्टे बिजली दी जायेगी। मेरे ख्याल में तो हम सब 200 के 200, पूरे राजस्थान के गांव हमसे जुड़े हुए हैं, 8 घण्टे को तो छोड़ो, घरेलू बिजली 2 घण्टे नहीं आती। राजस्थान जैसे राज्य में शहरों में 4-4 घण्टे बिजली कटती है जबकि आपने घरेलू बिजली की 24 घण्टे की कही थी और किसानों की 8 घण्टे बिजली की कही थी घोषणा पत्र में।

आपने फिर एक बहुत बड़ा वायदा किया उस चुनाव के टाइम में, भारत सरकार ने घोषणा की थी कि 60 हजार करोड़ किसानों के माफ किये जाते हैं। राजस्थान के ही नहीं, पूरे भारत के किसान ने सोची 60 हजार करोड़ रुपये बहुत ज्यादा होते हैं, प्रत्येक किसान की मौज हो जायेगी, क्या-क्या हो जायेगा, लेकिन उसके ठीक 5 दिन बाद डीजल, पेट्रोल पर 5 रुपये बढ़ा दिये थे। भारत में एक दिन में 17 हजार करोड़ लीटर की खपत है जो 85 हजार करोड़ कोष में जाने शुरू हो गये। उन्हीं की जेब से लेना शुरू कर दिया। इस राज्य में एक भी किसान के पैसे माफ हुए हों तो मेरी गारण्टी है।

आपने बात कही कि 1 लाख नौजवान प्रत्येक वर्ष भर्ती किये जायेंगे। इससे प्रत्येक मां-बाप का ध्यान अपने पढ़े-लिखे बेरोजगार बेटे की तरफ गया और उन्होंने सोचा, अगर कांग्रेस को वोट दे दिया गया तो हमारे इस बच्चे का भी नम्बर आ ही जायेगा। 300 पटवारी की भर्ती के लिये हमारे टौंक जिले के अन्दर 59 हजार नौजवानों ने फार्म भरकर एग्जाम दिये हैं। कमल जी यहीं बैठे हैं, उनमें से 2 तो बस में आते हुए मर ही गये, एक्सीडेंट हो गया।

ये 5 बात पूरी नहीं करना, ये कर्मचारी-अधिकारी यहां बैठे हैं, कहते हैं कि विधान सभा में गलत उत्तर देने पर हजारों प्रकार की चीजें लागू होती हैं विशेषाधिकार, फलां अधिकार; जब ये नेता असत्य बोलते हैं, इन पर कोई अधिकार लागू नहीं होता? मुकदमा दर्ज होना चाहिये और गिरफ्तार करना चाहिये राज्य की जनता 6 करोड़ के साथ धोखाधड़ी करके यह सरकार हड़पी गयी है। जनता को एक तरह से गुमराह करके यह सरकार बनायी गयी है। अन्यथा, ये वायदे पूरे नहीं करते हैं तो वे जनता के समक्ष माफी मांगें कि

(श्री रणवीर पहलवान)

हमने असत्य बोलकर यह घृणित कार्य किया। इसे पवित्र सदन, पवित्र सदन बोलते हैं। यह ट्रांसफार्मर बन गया सबसे बड़ा असत्य बोलने का। असत्य इतनी सफाई से बुलता है, कि बड़े-बड़े ट्रांसफार्मर बिजली जनरेट करते हैं ना, वैसा यह सदन हो गया। अब अपन कर लेते हैं इसके आगे की बात।

राज्य के अन्दर और कर्मचारी तो भर्ती करोगे कि नहीं करोगे, बहुत से कर्मचारी पैराटीचर्स के रूप में काम कर रहे हैं जिनकी तनख्वाह मात्र 3 हजार रुपये है। वे भी बच्चे पढ़ाते हैं और सरकारी स्कूल में 30 हजार मास्टर की तनख्वाह है, वह भी बच्चे पढ़ाता है। पैराटीचर वाला बच्चा पढ़कर पांचवीं से आठवीं में, दसवीं में और वह भी नौकरी लग जाता है और सरकारी कर्मचारी स्कूल वाला भी नौकरी लग जाता है। वह 3 हजार रुपये में नौकरी कर रहा है, वह 30 हजार में कर रहा है। बच्चे वह भी पढ़ा रहा है। अगर टीचर कमजोर है तो उसे हटाइये, बच्चों को धोखा मत दिलवाने दो और अगर टीचर ठीक है तो उस टीचर के साथ अन्याय करना, यह बहुत बड़ा गलत कार्य है एक ही राज्य में। मातृवान, पितृवान और आचार्यवान पुरुषो बोध; बच्चे के 3 ही देवता अथवा भगवान होते हैं, माता, पिता और अध्यापक। इन बच्चों के साथ इतना, पर उन अध्यापकों के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है।

अभी मेजर साहब कह रहे थे कि उन मास्टर्स से कभी वोटर्स के, कभी राशन कार्ड के, कभी किसके नाम काउंटिंग में लगा देते हैं। दो-दो, तीन-तीन महीने मास्टर स्कूल में नहीं जाते। एक तो यह सुनिश्चित कर लो कि बच्चा दसवीं करेगा ही नहीं और नौकरी मांगेगा ही नहीं। उसे यूं ही फेल करते रहो, पास करते रहो। यह बड़ा भारी जुल्म है भविष्य के साथ। बच्चे भविष्य होते हैं। वे पैराटीचर्स तीन-चार बार यहां जूत खा-खाकर चले गये। और तो 1 लाख भर्ती करोगे कि नहीं करोगे, कम से कम जो 20 वर्ष से काम कर रहे हैं उनको तो पक्का कर दो। वह तो अपना काम करना शुरू कर दे।

और बड़े-बड़े 'तूफान मेल' असत्य बोल रखे हैं, 1 हजार प्राइमरी स्कूल खोल देंगे, 500-600 दसवीं से बारहवीं कर देंगे। पहले बजट भाषण में हमारे विधान सभा क्षेत्र में 5 स्कूल क्रमोन्नत किये थे दस से बारह क्लास के। आज 3-4 वर्ष में बजट तक नहीं गया है। वहां टीचर ही नहीं। वह बच्चियों के स्कूल हैं, वे बच्चियां दसवीं, बारहवीं की बैठी रहती हैं। टीचर हैं नहीं। बिना बजट के जाये कौन? तनख्वाह दें कहां से? दे देंगे, कर देंगे, करा कुछ भी नहीं। आखिर कब कर दोगे? 2014-15 में तो कोई आपको करने देगा नहीं और उससे पहले

(श्री रणवीर पहलवान)

आप करोगे नहीं। कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे, कुछ करा कि नहीं, वह तो बता दो। आपने जितने भी बजट्स की घोषणा की है, उसमें अब आगे की मत बताओ; पहले क्या-क्या कर दिया, वह बता दिया करो ताकि हमारे इन पत्रकारों के माध्यम से जनता की समझ में आ जाये कि यह-यह तो कर दिया। हर चीज कर देंगे। 34 हजार करोड़, 60 हजार करोड़, वहां सेण्ट्रल में घोटालों की फैक्टरी चल रही है, यहां असत्य की फैक्टरी चल रही है। इसका रिएक्शन जनता किस रूप में दे रही है, बिहार में आपने देख लिया, उत्तर प्रदेश में देख लिया, पंजाब में देख लिया, उत्तराखंड में देख लिया। दो राज्य ही ले- देकर बचे हैं, यह हरियाणा और राजस्थान। चुनाव की जरूरत है, फिर सारा जनता ही कर देगी। आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सफाया जो होता जा रहा है। यह विचारणीय बिन्दु है।

मैं आपका विरोध करके बड़ा नहीं बन जाऊंगा और मेरे विरोध करने से आप छोटे नहीं बन जाओगे पर जनता तो एक छालनी की तरह है। छान करके आटा और कचरा अलग-अलग वह करने लग रही है, करती आ रही है। पूरे राष्ट्र में जिस ढंग के परिणाम आ रहे हैं, अभी मुख्य मंत्रीजी हमारे पीपलू में गये थे और माननीय कमल जी बैरवा हमारे वहां टौंक से विधायक हैं, पिछली बार जब हमारी उड़द, मूंग, तिल, सब बरबाद हुई...(व्यवधान) तो मेरे को तो बुलाते ही नहीं कांग्रेस का प्रोग्राम हो तब। पर अख़बार तो पढ़ने को मिल जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि उड़द, तिल, मूंग का मुआवजा तुरन्त दे दिया जायेगा, वह तो दिया ही नहीं गया है। पांच दिन पहले के अख़बार में आया कि अब की बार शीतलहर से बरबाद फसलों के भी 200 करोड़ पास कर दिये हैं मुख्य मंत्रीजी ने। एक रुपया इसमें से दे दिया जाये तो मैं इस सदन से इस्तीफा भी दे दूंगा और गारंटी लेता हूं, क्योंकि प्रत्येक कलक्टर, एस डी एम को निर्देशित कर रखा है कि 50 प्रतिशत से कम भेजो रिपोर्ट को, फसल को 70 प्रतिशत बरबाद होना दिखाओ ही मत। तो 200 करोड़ आपने गलत कहे, 2 लाख हजार करोड़ कह देते इसको। कितना ही बड़ा कह दो, कौन मना कर रहा है? प्रत्येक किसान को एक-एक हैक्टेयर पर पचास-पचास हजार रुपये दिये जायेंगे ताकि किसान भी खुश रहे, देना-लेना कुछ है ही नहीं। एक तांगे के घोड़ा जुड़ गया, घोड़ा कमजोर था और सवारी ज्यादा हो गयी। पुल पर तांगा चढ़ा तो वह तांगा और घोड़ा दोनों ही उलटे होने लगे। तो डंडे मारते हुए, चाबुक मारते हुए उसने कहा कि तुझे बीस किलो घी

(श्री रणवीर पहलवान)

देना ओट रखा है, फिर भी तांगे को नहीं खींच रहा है। ओट ही रखा है, दिया तो नहीं ना। कब तक ओटने से, कब तक, वह नहीं चलेगा ऐसे। जनता बहुत गड़बड़ा रही है।

सभापति महोदय, अभी कहा कि 40 हजार लैपटाप विद्यार्थियों को दिये जायेंगे। इसमें अगर पारदर्शिता है तो इसको ऐसे करो कि 200 विधायक हैं, कोई होशियार विधायक चित्तौड़गढ़ में और उदयपुर में तो होते नहीं होंगे। सभी एम एल ए के क्षेत्रों में बराबर लैपटॉप दे दो और हम छाती ठोक कर कहेंगे कि आपने 40 हजार दिये। यह असत्य बात है, कोई पांच-दस हजार देकर फोटो खिचवा लिये जायेंगे और 40 हजार दे दिये और यह कर दिया। सभी विधायकों को समान दृष्टि से कह दो कि आपके हिस्से में दो-दो हजार आ गये और आप बांट दो, उनका अनुपात देखकर के कि कौन विद्यार्थी होशियार है और कौन कमजोर है। मैं जानता हूं कि विद्या का क्षेत्र सीकर, झुंझुनूं में सबसे ज्यादा है, अगर 40 हजार अकेले वहीं बांटने हों तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले उनके बराबर आयेंगे नहीं। अदरवाइज सभी विधान सभा क्षेत्रों में समान दृष्टि से कर दिये जायें, ताकि हम कह सकें इस सदन में कि यह चीज तो दी है, हम गवाह हैं। कहां दी जाती है, कहां ली जाती है, हमारे क्षेत्रों में तो हमें पता नहीं चलता है। बाकी घोषणाएं अरबों, खरबों की जैसे मशीन लगा ली हो कोई नकली नोट छापने की। कहां से दे रहे हो आप और यह कहां से आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है इस चीज का।

सभापति महोदय, हवा, पानी और भोजन आवश्यकताएं हैं। आवश्यकता और सुविधा में बहुत बड़ा अंतर है। मैं साइकिल पर चलूं, सुविधा हो गयी; फिर मोटर साइकिल, फिर कार और उसमें भी ए.सी. चाहिए, लेकिन पैदल तो चलना पड़ेगा, जूती तो चाहिये। 64 वर्ष की आजादी के बाद जनता पानी को तरस रही है। 38 टी एम सी का बांध हमारे पास बीसलपुर डैम है, जिसका पानी जयपुर में, अजमेर में, दूदू में, केकड़ी में, भीलवाड़ा में, ब्यावर में, नागौर तक भी मांग है। भगवान करे हमारा बांध भरे और पानी नागौर भी जाये, हमें आपत्ति नहीं है, राज्य सरकार सबको दे। टोंक जिले ने इतनी बड़ी कुर्बानी उस बाँध के लिए दे दी कि उसमें से करीब 188 गांव उस बांध की तलहटी में से उजाड़े गये। उन गांवों ने उठने से मना कर दिया, तब अखबारों में बड़ी-बड़ी एड दी कि यह बांध भरेगा तो प्रत्येक खेत में सिंचाई होगी, प्रत्येक घर में फोर व्हीलर होंगे। तो वे जो 188 गांवों के रिश्तेदार जो टोंक जिले के थे, वे जा-जाकर उन लोगों को समझाने लगे कि भाई, तुम इन गांवों में से

(श्री रणवीर पहलवान)

उठने को तैयार हो जाओ, तुम्हारे फोर-व्हीलर हुआ करेंगे, मारूति कार हुआ करेगी। यह सपने, झांसे, रबड़ के बोबे मुंह में दे दिये, दूध था नहीं; उसमें कुछ था ही नहीं, कब तक चूसे उसको बच्चा चूसे भी तो। उसका परिणाम यह निकला कि वे गांव उठने को तैयार हो गये और विस्थापित करने के लिए दुबारा उनको फिर जमीन चाहिए थी। इस पर दूसरा आदेश दिया गया कि टौंक जिले के अन्दर जितने भी चरागाह हैं उन्हें अलाट कर दिया जाये; 60 प्रतिशत अलाट कर दो और 40 प्रतिशत उस गांव में रहने दो। वे चरागाह जाने से पशु धन भी चला गया।

पानी की बारी आयी तो जयपुर, अजमेर, केकड़ी, भीलवाड़ा, ब्यावर चला गया। पहले बजट में मुख्य मंत्रीजी ने इस टेबल से घोषणा की थी कि मालपुरा को पानी पीने का, समझ लो, अगली गर्मी से पहले दे दूंगा। मैंने सोचा कि मुख्य मंत्रीजी बड़े मेहरबान हो गये, कहीं रात को ही नहीं भेज दें। मैं साहब को फोन करके थोड़ा प्रार्थना करूं कि दिन में करना यह काम। यह चौथी किताब है ना, आज तक तो किसी गांव में आया नहीं है और छठी कोई पढ़ने देगा भी नहीं, यह मेरी गारंटी है। पांचवीं तो पढ़नी मजबूरी है जनता की, वह क्या करे? वह तो पांच वर्ष से पहले चुनाव होते नहीं। यही तो दुर्भाग्य है आज, साल में हों तो काम करना ही सही शुरू कर दें। अब टौंक जिले के अन्दर कमल जी की 20 पंचायतों में पानी आया है, जो पिछली सरकार के समय पर वह काम हो गया था, उसी में आया है। घबराओ मत, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बी जे पी अच्छी है और आप गंदे हो। मैं यह कह रहा हूं कि आज बी जे पी सत्ता में नहीं है, दु:ख तो आपके सामने ही रोयेंगे।

अभी जाड़ावत जी कह रहे थे कि अच्छी सलाह दो ताकि आप जल्दी से जल्दी उनको लागू कर दो। अभी कर्नल साहब कह रहे थे कि मैं सलाह दे रहा हूं। सरकार भी तुम्हारी, आप तो सलाह घर में दे लिया करो ना, सदन में तो हम सलाह देंगे। आप भी सलाह यहीं देने लग गये, हम भी सलाह यहीं देने लगे, मुख्य मंत्री भी सलाह देने लग गये तो फिर जनता का क्या होगा? हमारी सलाह सुनो और उनको क्रियान्वित करो, तब तो बात हुई। सभापति महोदय, वे भी कह रहे हैं कि विधवा पेंशन बच्चा 25 वर्ष का होने के बाद भी मिलनी चाहिए; अध्यापकों की ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, सरकार आपकी है, आप रोको इसको। अगर कुछ कमी रह जायेगी तो बहस का विषय तो यही होता है। आपने जो प्रणाली, नियम, कानून लागू किये, अगर 200 सदस्यों के बीच उसकी चर्चा हो जाये कि वे ठीक-ठीक लागू हुए हैं कि नहीं,

(श्री रणवीर पहलवान)

कोई कमी है तो हमारे जैसे रो-पीट कर बता दें आपको और आप उसको सुन लें। लेकिन मुझे तो लगा कि आप ही दु:खी दिख रहे हो। सरकार है कहां, मुझे यह बताओ। मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं विचार करूंगा, आप कह रहे हो विचार करूंगा, यह कोई अच्छी चीज नहीं है। जवाबदारी लो और उस जवाबदारी को निभाओ, नहीं तो दुर्भाग्य है जनता का।

सभापति महोदय, अभी आपने कितनी बढ़िया बात कही है, रेन वाटर स्टोर जो होते हैं, ताकि हम बारिश के पानी को स्टोर कर लें। इसमें 861 करोड़ रुपए मंजूर करे। अब यह कौन बता सकता है कि बारिश जोधपुर में ज्यादा आयेगी और टौंक में नहीं आयेगी, कोटपूतली में नहीं आयेगी, झालावाड़ में नहीं आयेगी। इन 200 एम एल ए को बांटकर यह पैसे दे दो और वह एम एल ए अपने-अपने क्षेत्र के अन्दर जल स्रोत, रेन वाटर स्टोर बनवा ले। बनवा आप दो, इंजीनियर आपके रखो, हमें कुछ नहीं, हम तो गवाही दे देंगे कि यह काम कर दिया। यह पता नहीं, कहां बनेंगे कागजों में। ये जमीन पर कोई बनेगा नहीं और यूं कहने को अखबारों में छप ही गया कि इतने करोड़ रुपये का बजट कर दिया गया।

सभापति महोदय, पिछले बजट की बात, पहले वाले की दूसरे में दोहरा दी गयी, दूसरे की तीसरे में दोहरा दी गयी। अब की बार हमारे मालपुरा का पानी बंद करके बजट में उसको टौंक का कर रखा है। वही भूल गये। एक बार भजनलाल जी के मैंने भाषण सुने थे, माफ करना, दो ही मिनट का है, वे बोले कि झूठा तो मैं भी हूं, देवीलाल जी भी झूठे हैं और बंसीलाल जी भी झूठे हैं लेकिन मेरे में और उनमें एक फर्क है। हम जब चुनाव आते हैं तो कहते हैं कि यहां से नहर निकलवा देंगे; देवीलाल और बंसीलाल जी दुबारा भूल जाते हैं और वे सड़क निकलवाने की कह देते हैं, मैं उसको नहर ही रखता हूं। बाकी निकलवाते हम तीनों ही नहीं हैं। मैं नहर ही रखता हूं कि नहर पक्का ही निकलवाऊंगा। अब की बार उसमें टौंक लिख दिया, मालपुरा का तो तीन साल में इंतजार करके वह तो खतम हो ही गया, अब की बार देवली, टौंक, चलो, आप पी लेना पानी। पानी तो जनता पिला देगी थोड़े दिनों में यह गारंटी है मेरी।

सभापति महोदय, जब भी चुनाव होते हैं, भारत में एक सबसे बड़ा उदाहरण, रेल लाइनें बिछी हैं, भारत का विकास हुआ है। लंदन में एक अख़बार छपा, उस अख़बार की कापी तिवाड़ी साहब मैं आपको दूंगा। उसमें छपा कि एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया तो आगे से कुम्हार गधे लेकर आ रहा था। उस कुम्हार ने राजा से कहा कि वापस जाओ, 30 मिनट बाद

(श्री रणवीर पहलवान)

भयंकर तूफान आयेगा। राजा ने कहा कि तुम क्या काम करते हो; उसने कहा कि गधे चराता हूं। तुम्हे कैसे पता, कि मेरी यह गधी है जब यह पिछले दोनों पैर एक साथ चलाती है तो तूफान आ ही जाता है। उसके 30 मिनट बाद तूफान आ गया। तो राजा ने कहा कि इस गधी को गिरफ्तार करके कैबिनेट में मौसम विभाग की मंत्री बनाकर के शामिल कर दो। 64 वर्ष की आजादी के बाद हमारे यहां अनपढ़ मंत्री और मुख्य मंत्री बनते हैं तो वह अंग्रेज चर्चिल ठीक ही कह रहे थे कि आपने क्या खाक देश की आजादी के बाद विकास कर लिया। 64 वर्ष बाद में अनपढ़ मंत्री, मुख्य मंत्री, चीफ सेक्रेटरी और पढ़े-लिखे डी.जी. को ज्ञान दे रहा है। गहलोत साहब ने यहां पर कहा कि आठवीं पास से कम ड्राइवर नहीं होगा, गोलमा बहन जी अनपढ़ मंत्री थीं। मैंने कहा, कि यह सरकार चला लेंगी और वह ट्रैक्टर नहीं चला लेगा। यह भी दुर्भाग्य है, गड़बड़ है यह तो। कमाल है। ब्लैकमेल हो रही है भारत की सरकार और ब्लैकमेल हो जायेगी यह भी। आज कलकत्ता से एक मुख्य मंत्री फोन करती हैं कि इस मंत्री को हटाओ और इसको लगाओ और 125 करोड़ की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की सरकार उनका आदेश मानती है। तो उस सरकार के साथ पता नहीं, क्या-क्या हो रहा होगा। 22 है लालू के एम.पी. और 18 ममता के हैं। चुनाव करवाते ही उनके 80 में से आयेंगे 50 और उनका सब कुछ बिगड़ जायेगा सिस्टम। जो भी चाहता है, वह लूट कर ले जा रहा है और वे खुद चाह रहे हैं कि राज दुबारा आयेगा कि नहीं, लूट-लाट लो।

सभापति महोदय, जिन राज्यों के अन्दर कांग्रेस की सरकार नहीं है, वे राज रिपीट कर रहे हैं राज्य। गुजरात में कोई 34 हजार करोड़ नहीं दे दिये, बिहार में नहीं दे दिये, पंजाब में नहीं दे दिये। हरियाणा और यहां वेंटिलेटर पर बैठे हो, चुनाव होते ही शमशान घाट सीधा मुर्दा जायेगा। यह तो मैं नहीं कह रहा हूं, यह तो जनता कह रही है। बाहर जाकर देख लेना। 6 करोड़ राजस्थान की जनता जिसने आपके इस घोषणा-पत्र को पढ़कर वोट दिया था, उसके साथ क्या बीत रही है? वह रोती है।

अब मेरी प्रार्थना है, जगह-जगह आपने दवाइयां भर रखी हैं, रोडों पर भी पड़ी मिलती हैं हमारे को, अस्पताल भर दिये दवाइयों के; दो रुपये किलो में गेहूं शुरू कर दिया। यह आ कहां से रहा है, कौन सी फैक्टरी से आ रही हैं और यह गेहूं किस राज्य से खरीदा जा रहा है और क्या भाव में खरीदा जा रहा है? अगर यह हमारे समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है तो गंगानगर का गेहूं झालावाड़ में और झालावाड़ का गेहूं बीकानेर में भेजने की आवश्यकता नहीं

(श्री रणवीर पहलवान)

है, उसके पड़ोस के जिले में अगर नहीं होता है तो पड़ोस वाले जिले से प्रत्येक तहसील के अन्दर...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरी दो-चार बातों पर, एक घण्टा तो निर्दलीयों का ही है। उसमें तो गड़बड़ है, वह तो लिखवा रखा है। हमारा तो कम से कम यूज करने दो हमें।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): मेरा टाइम भी इनको दे दो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): टाइम है ही कहां?

यह गेहूं का इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। हमारे समर्थन मूल्य की दुकानें खुलनी चाहिए। उस जिले का गेहूं उसी जिले में और दो रुपये किलो में दे दो उस किसान से खरीदकर। इससे किसान को भी बच जाएगा और उसी गेहूं को दूसरे जिले में ट्रांसपोर्ट करने के पैसे भी बचेंगे और बहुत अच्छी रकम बचेगी। हर जिला हैडक्वार्टर पर आपका एक अनाज का स्टोर बना दो, गोदाम बना दो। अगर गोदाम होगा, आजकल तो बड़े-बड़े तिरपाल आते हैं और बांटने की स्पीड आपकी इतनी तेज है कि आप तो थोड़े ही दिन में उसको बांट देंगे। जब राज्य का गेहूं खतम हो जाए तो दूसरे राज्यों से ले लेना।

यह बेरोजगारी मिटाने के लिए मेरी एक प्रार्थना है। मेरी प्रार्थना तो यादव साहब पहले भी नहीं सुना करते थे, सन् 1980 में भी; मैं सिपाही था और साहब मेरे कम्पनी कमांडर थे, सुनेंगे तो आज भी नहीं। तब भी डांट-डपट थी। अपनी जो पुलिस फोर्स है इसके अन्दर एक प्रार्थना है, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक तहसील में या पूरे राज्य में एक एलान करवा दिया जाए कि नेशनल प्लेयर की ही सिपाही की भर्ती की जाएगी। इससे एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा कि भारत में क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर होते हैं और भारत के अन्दर प्रत्येक गांव में क्रिकेट का बैट लिए खड़े हैं। जब उन्हें नौकरी का पता चलेगा तो प्रत्येक गांव के अन्दर वालीबाल, कबड्डी, कुश्ती और अखाड़े चालू हो जाएंगे। वे जवान स्वस्थ रहेंगे, आपको अस्पताल नहीं बढ़ाने पड़ेंगे और वहां नौजवान सिपाही तो कम से कम स्वस्थ ही भर्ती करना चाहेंगे न। मैं यह कह रहा हूं कि आरक्षण कर दो, 50 प्रतिशत नेशनल खेला हुआ जवान ही भर्ती किया जाएगा। सिपाही को तो, साहब, कम्प्यूटर चलाना है नहीं, भाग-दौड़ का ही काम है, उसको तो पकड़ना है तो यह अगर माना जाए और इसको लागू कर दिया जाए तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम यह भी रहेगा और प्रत्येक जगह पर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आएगी।

(श्री रणवीर पहलवान)

बाकी तो मैंने बता दिया, इसको विकास समझोगे या विनाश समझोगे, मैं तो नहीं समझ रहा हूं लेकिन यह जनता क्या कह रही है, यह राज्यों के चुनाव क्या कह रहे हैं, गांवों में जाते हैं तो वह जनता आपको भी कहने लगी होगी। चित्तौड़ एक बार हम साथ चलना चाहेंगे; जितना काम बतायेंगे इनका देखेंगे और एक बार हमारा भी दिखायेंगे। अभी यह रोडों की पहले बजट में घोषणा की थी, रघुजी, रघुजी, एक मिनट, साहब, आपका ध्यान चाहिए मामूली सा। इस रोड से तो जाड़ावतजी भी जाएंगे, आप भी इसी रोड से जाते हो, सीपी जोशी साहब भी इसी रोड से जाते हैं। पहले बजट में घोषणा करके टेंडर छोड़कर ठेकेदार बैठा दिया गया। उस रोड के 10 करोड़ रुपये ले रही हैं सरकार रिश्वत के, किस तरकीब से, आप एक मिनट में समझ जाएंगे। अगर हम किशनगढ़ होकर, नसीराबाद होकर भीलवाड़ा जाते हैं और हम फागी और सीधा यहां से जाते हैं तो 60 किलोमीटर का अंतर है। यह रोड अगर आपने जो भी इसका टेंडर-वेंडर छोड़ दिया, यह रोड ढाई-तीन वर्ष हो गये टेंडर छूटे, रघुजी, यह बात सच्ची है, तीन वर्ष हो गये, हमने जमीन किराये पर दे रखी है मालपुरा में उनको, ढाई वर्ष से तो जमीन ही किराये पर है, यह रोड अगर बन जाती है तो आज किशनगढ़ जो ट्रैफिक जाता है, उसका दस प्रतिशत तो अजमेर और जोधपुर की तरफ, नब्बे प्रतिशत भीलवाड़ा, चित्तौड़ और महाराष्ट्र की तरफ जाता है, उसका नब्बे प्रतिशत सांगानेर, फागी और यहां से जाना शुरू हो जाएगा। जिस काम का वह टेंडर ले रखा है...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): केकड़ी का नहीं बोल रहे हो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): केकड़ी का भी आ गया, उसमें शामिल ही है। उस कम्पनी को जिसने टेंडर रोड बनाकर टोल ले रखा है, उसको 30-40 करोड़ रुपये महीने का घाटा होता है। 10 करोड़ रुपये सीधा पैक करके एक सूटकेस में आते हैं। और सबूत चाहिये तो पहले बहुत दिखा चुका हूं, अब आगे भी दे दूंगा। यह फायदे की चीज, नहीं समझने की चीज है? अब यह इतना बड़ा काम, चार वर्ष से सरकार ने एक ठेकेदार...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह 10 करोड़ जो आप बोल रहे हो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ठीक है, साहब, इसको नौ-दस कर लेता हूं। फिक्स नहीं बताऊंगा।

श्री सभापति: यह एक्सपंज करूंगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): 10-11 करोड़ कर लूंगा। फिर मुझे उत्तर दे दो कि तीन वर्ष से...

श्री सभापति: इसके लिए आप विधिवत रूप से आओ। यह इस तरह का आरोप सरकार के ऊपर...

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): आरोप तो तथ्यात्मक ही लगाये हैं मैंने जिन्दगी में। यहां देख लो, मैं तो फिल्म में भी दिखा दूंगा चाहें तो। परन्तु मैं तो, साहब, एक चीज कह रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप इसमें रुपये मत बोलो, आप बोलो अटैची आ जाती है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): हां, ठीक है, साहब। चलो, कोई बात नहीं है। परन्तु यह बात बताओ कि आज तक किसी ठेकेदार को टेंडर दिया गया हो और टेंडर तीन वर्ष तक काम नहीं करने पर कैंसिल नहीं किया हो और उसके बजाय उसमें 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाता है और टेंडर में 5-10 करोड़ रुपये और बढ़ा दिये जाते हैं। ऐसी मेहरबानी है तो, साहब, हम भी ठेका लेना चाहेंगे। एम एल ए पना गया भाड़ में, हम सब दो सौ के दो सौ को ठेकेदार ही बना दो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप तो इस घण्टी से ही बैठा देंगे पर इतने बड़े, ढाई-ढाई फीट के रोड में गड्डे हैं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको 22 मिनट हो गये, 22 मिनट।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): माननीय सभापति महोदय, एक घण्टा तो निर्दलीयों का बताया था न यहां पर और हमारे निर्दलीय तो दो हैं, साहब। दूसरे का आप एफिडेविट ले लो।

श्री सभापति: वह आज है नहीं, उनका नाम आज बोलने में नहीं है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): केवल 22 मिनट में सरकार को डर हो गया मेरे से।

श्री सभापति: अब आप थोड़ा सा...

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): आप तो कह रहे थे कि यह विकास करवा दिया, गंगा बहा दी, यह कर दिया; गांव वाले कुछ और कह रहे हैं, यहां आप कुछ और कह रहे हैं। मैं तो दोनों के बीच में हूं। मैं तो कोई आरोप नहीं

(श्री रणवीर पहलवान)

लगा रहा, मेरी जो प्रार्थना है, चलो, मैं बैठ जाऊंगा, मैं आपका विरोध नहीं करूंगा।

अब इस पर क्या करें? यह जो ठेका है, कम से कम लोग गाली देते हैं पूरी सरकार को। एक तो मंत्री बाबूलालजी नागर बैठे हैं, सी पी जोशी साहब बैठे हैं, नमोनारायणजी बैठे हैं, यह वादा किया था इन्होंने चुनाव से पहले कि भीलवाड़ा से केकड़ी और मालपुरा होते हुए जो रेल लाइन आ रही थी, भारत आजाद होने के बाद पूरे भारत में रेल लाइनें बिछाई जा रही थीं परन्तु वह रेल लाइन उखाड़ी गई हमारी। क्या गुनाह कर दिया उस जनता ने? आज सवाई माधोपुर से 11 रुपये में जयपुर आते हैं, टौंक से 100 रुपये लगते हैं, मालपुरा से 100 रुपये लगते हैं। 5-5 रुपये में वह भी तो रेल से आ सकते हैं। नमोनारायणजी के चुनाव भाषण की सीडी ला दूंगा, जैसे ही मैं शपथ लूंगा, भाइयों, मैं रेल का इंजन...

श्री सभापति: आपके क्षेत्र में आये तब पूछना, माननीय सदस्य1

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): क्षेत्र तो, साहब, दूसरों ने भी कह रखा था। हमारे चुनाव कैम्पेन में जो बातें कही गई थीं, वे बातें तो याद दिलाऊं न।

श्री सभापति: यहां इस सदन में नमोनारायणजी मीणा, आप जान रहे हैं, वे केन्द्रीय मंत्री हैं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): हम राजस्थान के हैं सारे के सारे, नमोनारायणजी भी हमारे मंत्री हैं।

श्री सभापति: वे लोक सभा के माननीय सदस्य हैं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): लोक सभा में वोट लिया है टौंक जिले का। ऐसे थोड़े कह रहे हैं।

श्री सभापति: आप उनसे बात कर लेना।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): वह तो बिलकुल सही बात है, कड़ी से कड़ी जिन राज्यों में नहीं जुड़ रही है वे सुखी हैं, कड़ी जुड़ गई वे लुट गए हैं। यह दो-दो लाख करोड़ के घोटाले, दस हजार करोड़ के घोटाले, घोटालों की प्रैक्टिस कर ली, अब बरबाद देश हो गया। मेरे ख्याल में तो वे अंग्रेज 250 सालों में हमसे 2 लाख करोड़ नहीं ले गये; बेटी के बापों, तुमने तो एक-एक साल में ही यह काम कर दिया। यह मैं थोड़े कह रहा हूं, सब अखबारों में छप गया, सब चीज हो गई। यह दबाने की चीज नहीं है। (व्यवधान) फिर यह कह

(श्री रणवीर पहलवान)

देते हैं, इनका बिगड़ता भी कुछ नहीं है, गांधीजी भी गये थे, इन्दिरा गांधी भी गई थी और फिर यह गांधीजी हमारे तो कुछ थे ही नहीं। जिस कांग्रेस ने इनके घर के एक व्यक्ति को आज तक पंचायत का मेम्बर नहीं बनने दिया, कांग्रेस वालों ने, जबकि परिवार इनके भी तो है। नरेन्द्र मोदी को हटवा कर उनको बनवा दो न मुख्य मंत्री। इनके परिवार वालों को जब इतनी ही परवाह है और अच्छा मानते हो, तो इनके घर का तो एकाध बनने देते। गौत्र पहुंचा दिया कहां का कहां तक, परन्तु इनके परिवार को तो वहीं का वहीं दबा कर रखा है। इन्होंने भी तो कुर्बानी दी थी। यह मेरी आपसे प्रार्थना है, यह बात आप ऊपर तक पहुंचा दो।

श्री सभापति: गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, तब आप प्रचार के लिए पधारना वहां पर।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): तीन बार तो करा लिया हमने चुनाव, तीन बार वहां देख लिया। मैं कोई भगवान तो हूं नहीं जो बता दूं, चौथी बार क्या होगा। तीन स्टेटों में क्या हुआ, उसको देख लो न आप। यह फिर ऊपर से क्या होता आ रहा है, और साउथ में कुछ है नहीं। कुछ बचा-खुचा है, वह भी, भाई, यहां है, तो वापस आ जाओ। गलती को माफ करना।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करें।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): एक तो अपने शब्द वापस लेता हूं और अशोभनीय हो तो, मेरी तो कोई माफी मांगने वाला भी नहीं है, मैं ही मांग लेता हूं। लेकिन आप कब मांगेंगे माफी? इतना बड़ा झूठ बोल रखा है। हमारे से एक शब्द भी निकल जाए उल्टा तो माफ करो और आपने पूरे की पूरी पूरा 6 करोड़ जनता से झूठ बोल रखा है; एक लाख भर्ती करेंगे, यह कर देंगे, कड़ी से कड़ी जोड़ देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे, वह ला देंगे; ये सपने दिखा दिये, इनकी माफी कहां से मांगेंगे? मान लो, चलो, भड़ाना ने माफी मांग ली और अब मैं भी मांग लूंगा, लेकिन 6 करोड़ जनता के सामने यह घोषणा पत्र, यह किताब पहुंचा देते हो, अरबों-खरबों रुपये की इनका क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति: अब आप...

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): चलो, फिर जनता ही इलाज करेगी आपका।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, किसी भी सरकार का बजट उसका प्रतिबिम्ब होता है। राजस्थान की सरकार के मुखिया..., उप नेता महोदय, मैं आपके ही कारण से इतनी देर से बोल रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 33,500 करोड़ की वार्षिक योजना के साथ में बजट प्रस्तुत किया। पहले भी तीन बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, हमारी सरकार ने प्रस्तुत किये। मैं इनके बजट के समर्थन में विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हमारी सरकार ने आते ही उस गरीब जनता की सुध ली जिसके बलबूते पर हमें सरकार मिली। माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच रही कि गरीब को ऊपर उठाना है; जो दुःख-तकलीफें हैं, उनको दूर करना है; हमारे किसान भाई हों, चाहे हमारे युवा बेरोजगार हों, चाहे एस सी, एस टी के भाई लोग हों, चाहे मां-बहनें हों, उन सबके कल्याण के लिए हमें कार्य करना है और उस योजना में माननीय मुख्य मंत्रीजी लगे, हमारी सरकार लगी। आप और हम सबने देखा कि पांच वर्ष तक किसान के कृषि विद्युत बिल नहीं बढ़े, उनकी दर नहीं बढ़ी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, दो रुपये किलो हमारे बी पी एल के भाइयों को और जो बी पी एल के वंचित रह गये, बाद में स्टेट बी पी एल मानते हुए उनको गेहूं देने का कार्य किया, वे सुख-सुविधाएं जो भारत सरकार से बी पी एल के लोगों को मिलती हैं, वे सुख-सुविधाएं भी राजस्थान में उन गरीब लोगों को मिलें, जो किन्हीं तकनीकी कारणों से बी पी एल में बाद में नहीं आये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी की यह सोच रही कि आमअवाम के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक छह करोड़ से अधिक हमारी जनता को शुद्ध खाने के लिए मिलना चाहिए, उन्होंने शुद्ध-के-लिए-युद्ध भी चलाया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी की यह सोच रही कि प्रत्येक नागरिक को दवा मुफ्त में मिलनी चाहिए, उन्होंने मुफ्त में निःशुल्क दवा वितरण करने की योजना लागू की। मां, जननी शिशु सुरक्षा योजना, इसके पीछे भी मुख्य मंत्रीजी की यह सोच रही कि हमारी मां-बहनें चाहे वह दवाइयों के कारण चाहे उनको ब्लड नहीं मिलने के कारण, किसी प्रकार से नवजात शिशु या वह जच्चा किसी प्रकार से सुविधाओं के अभाव में दम नहीं तोड़े; उन्होंने मां जननी शिशु सुरक्षा योजना लागू की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गरीबों को छत मिले, बी पी एल के हमारे भाईयों को 20-25 साल तक इंतजार नहीं करना पड़े, वे अपनी छत के नीचे सोयें, इस सोच के साथ में मुख्य मंत्री बी पी एल आवास योजना का शुभारम्भ किया गया। मैं निवेदन

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

करना चाहता हूं, राजस्थान के लोगों की सुख-सुविधाओं के लिए नई सड़कें भी बनें, जो सड़कें बनाई और भारतीय जनता पार्टी के शासन में टूटकर के डेढ़-डेढ़, दो-दो फीट के गड्ढे हो गये थे, उन सड़कों का भी नवीनीकरण हो, चाहे वे कृषि उपज मंडी से बनें, चाहे वे पी डब्ल्यू डी डिपार्टमेंट से बनें, उन सड़कों के रिन्यूअल का और नई सड़कें बनाने का काम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भाई रेल से आ-जा सकें, उनको रेलवे की सुविधा मिले, इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने व्यवस्था की।

भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक यूनिट भी बिजली नहीं बनाई, एक मेगावाट भी विद्युत उत्पादन नहीं किया। आने वाला समय विद्युत का है, चाहे हमारी घरेलू हो, चाहे कृषि के लिए हो, चाहे उद्योगों के लिए हो, उन्हें बिजली मिले इसके लिए तीन साल में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 3,800 मेगावाट बिजली के उत्पादन का काम किया। नीतियां, भारतीय जनता पार्टी के शासन में न कोई नीति थी और न कोई रीति थी, कोई रीति-नीति बनाने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का नाम बी जे पी, बी का मतलब भगाओ, जी का मतलब जीमो और पी का मतलब पीकर के सो जाओ। मैं निवेदन कराना चाहता हूं, इन्होंने कोई काम करने का काम नहीं किया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने, हमारी सरकार ने जल नीति बनाई, खनिज नीति बनाई, कृषि पशुधन विकास नीति बनाई और मैं निवेदन करना चाहता हूं, आबकारी नीति भी बनाई। ये सारी की सारी नीतियां बनाने का काम ओर इस बजट में आपने देखा, सौर ऊर्जा नीति भी बनाने का हमारी सरकार ने काम किया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो गांव का बच्चा पढ़कर इंटरव्यू में आर पी एस सी में शहर के बच्चे से आगे नहीं जाता था और वह वापस फेल होकर के, निराश होकर के अपने गांव में लौट जाता था। सेकंड ग्रेड तक उन बच्चों को साक्षात्कार से मुक्ति दिला करके, गांव के बच्चों को शहर के बराबर समानता का अधिकार दिलाकर वे भी नौकरी पा सकें, इस प्रकार का काम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया।

निश्चित रूप से इस बजट में भी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी घोषणाएं, इतना शानदार बजट कि हमारे विपक्ष के पास में एक बात भी कहने को नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

महोदय को कि उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण में यहां खड़े होकर के कहा कि नीतियां, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपने तीन साल से शानदार बनाईं लेकिन क्रियान्विति हो, तब बहुत शानदार बात है। क्रियान्विति पर इनको शंका हो रही है, वह शंका इसलिए हो रही है कि पांच साल में आपने जितने भी वादे किये, चाहे आपके घोषणा पत्र में वादे किये हों, चाहे आपने जो बजट प्रस्तुत किया, उसमें वादे किये हों, एक भी वादा सही तरीके से आपने पूरा करने का काम नहीं किया। मैं निवेदन कराना चाहता हूं, अब की बार आप देख लीजिए, इधर कितने लोग बैठे हैं, उधर कितने लोग बैठे हैं। इसी से, सभापति महोदय, अंदाजा लगा लीजिए, इनके पास, ना पक्ष के पास, ना पक्ष के पास बोलने के लिए बात नहीं है। प्रत्येक वक्ता एक बात बोल रहा है, लागू नहीं होंगी, बजट लागू नहीं होगा, बजट लागू नहीं होगा। यह इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने इनके कार्यकाल में जो बजट हुआ, वह लागू नहीं किया था, इसलिए इनको शंका हो रही है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, फरवरी, 2008 में महामहिम राज्यपाल से इन्होंने कहलवाया था कि 8 लाख लोगों को रोजगार देंगे; दे दिया 8 लाख लोगों को रोजगार? इन्होंने फिर कहलवाया था कि 518 लघु परियोजनाओं का पुनरुद्धार हम करेंगे, पेयजल में, सिंचाई में; इन्होंने कर दिया 518 का? इन्होंने कहा था कि 18 हजार नये गांवों को 24 घंटे बिजली देने का करेंगे, कितना दे दिया? यह नहीं कर पाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन्होंने कहा था कि 365 चिकित्सा संस्थाओं को 24 घंटे चिकित्सा एवं प्रसूति सुविधाओं से जोड़ा जाएगा; इन्होंने करने का काम, वादा तो किया लेकिन नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जयपुर के मानसरोवर में अन्तरराज्यीय बस डिपो बनाएंगे; बना दिया बस डिपो? इन्होंने कहा था; मुख्य मंत्री ने कि मेरी प्रतिबद्धता है कि मैं हज हाउस बनाऊंगी; माननीय उप नेता महोदय, बन गया हज हाउस? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में घोषणा की है कि पैसा दिया है, हम बनाएंगे हज हाउस। न आपको हज हाउस बनाना था, न कोई काम करने की बात थी। इन्होंने 2008 के बजट में यह भी कहा था कि 6 मेडिकल कालेजों में टेली-मेडिसिन सुविधा देंगे, शुरू करने का वादा किया, आज तक नहीं हुआ। इन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय से द्वारिकापुरी में 2976 आवास उपलब्ध कराने की बात की थी, निश्चित रूप से वह कार्य भी इन्होंने नहीं किया। 50 हजार ग्रामीण में और 50 हजार शहर में आवास उपलब्ध कराने की बात की

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

थी, वह भी नहीं किया। इन्होंने किसान आयोग के गठन की बात की थी, वह भी इन्होंने नहीं किया। प्रत्येक जिले में कन्या विद्यालय करेंगे क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री उस वक्त महिला थी, महिलाओं को आगे लाने के लिए इन्होंने घोषणा की थी, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन्होंने क्या किया, दारू का समय भी बढ़ाया और सूखा दिवस, मैं निवेदन करना चाहता हूं, महावीर जयंती हो, शिवरात्रि हो, इनको भी सूख- दिवस घोषित नहीं करने का काम किया।

इसलिए इनकी शंकाएं बिलकुल जायज हैं क्योंकि इनकी महारानी ने एक भी काम जिसकी घोषणा की और घोषणा पत्र में, फिर तो वादे कितने किये, इस पर तो मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में 6-6 विश्वविद्यालयों की घोषणा करके ऐतिहासिक काम किया और हमारे शेखावाटी का शेखावाटी विश्वविद्यालय का जो सपना था, ये जाते-जाते नौटंकी करके गये थे, एक लेक्चरार को एसके कालेज से वहां बैठाने का काम किया था, तनख्वाह लेगा वहां से। जमीन है नहीं, पैसा है नहीं। इसी प्रकार से ट्रौमा यूनिट का भी नाटक किया था। वे नाटक सारे के सारे नहीं हुए। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि अलवर हो, चाहे भरतपुर हो, सीकर हो, जयपुर हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो, सब में विश्वविद्यालय देने का काम किया है। हमारे बजट हमारे वक्ता इतने शानदार प्रस्तुति देना चाहते हैं, आपने देखा, सभापति महोदय, आप विराज रहे हैं, आपने एक घंटा 10 मिनट दिया, आप देखिए, क्योंकि बोलने के लिए हमारे पास सामान है। इतना ही नहीं किया, सभापति महोदय ने एक घण्टा 10 मिनट बोलने के लिए इसकी कीमत भी ली और ओ.पी. यादव साहब को मुझसे पहले बुलाकर, क्योंकि सबके एक जुनून है कि हम बोलें, हम बोलें और आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में केवल कमीशन ही नहीं बढ़ाया बल्कि उनको कंप्यूटराइज्ड करने का काम किया। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शहरी बी पी एल योजना लागू करने की बात की है, शहरी बी पी एल के लोगों को आवास उपलब्ध कराने की भी बात की है। पशुओं, व्यक्तियों के लिए नहीं, बल्कि पशुओं के लिए निःशुल्क दवा योजना लागू करने की बात की है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, भर्तियों का पिटारा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने खोला, 40 हजार प्रक्रियाधीन हैं, 20 हजार और खोलेंगे। आपने न तो उर्दू

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

में विषय खोले, अल्पसंख्यकों के साथ में चाहे आप हज हाउस को ले लीजिए, चाहे उर्दू विषय खोलने को ले लीजिए, चाहे ऋण वितरण की बात ले लीजिए, आपने सौतेला व्यवहार किया और इसी का कारण यह रहा कि आपको ना पक्ष में बैठना पड़ा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, निश्चित रूप से पेट्रोलियम रिफाइनरी हमारी आवश्यकता है, माननीय मुख्य मंत्रीजी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए दो कदम आगे बढ़ाकर काम कर रहे हैं। पहले डीजल का पैसा कम किया, रसोई गैस का पैसा कम किया, अभी पेट्रोल का पैसा कम किया। ग्रामों में सब ग्राम पंचायतों को परिवहन सुविधा देने की बात कर रहे हैं; जी एस एस, सहकारी समितियों को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं।

एक काम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया, सभी मंत्रियों और अधिकारियों से उनकी सम्पत्ति की घोषणा कराने का काम किया। यहीं नहीं रुके, माननीय मुख्यमंत्रीजी की सोच है, यह गरीब का पैसा है, हम ट्रस्टी हैं; हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधाएं दें, उस पैसे का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग हो और यह भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी का सोच है। आपका क्या सोच है, मैं ज्यादा उस विषय पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपका जो सोच रहा उसी के मुताबिक आपको ना पक्ष में बैठना पड़ रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट के माध्यम से राजस्थान विशेष न्यायालय बिल, 2012 लाने की बात कही है। इसके पीछे मंशा यही है कि जो भ्रष्टाचारी है, चाहे वह कोई भी नेता हो, कर्मचारी हो, उनकी सम्पत्ति जब्त होनी चाहिए और वह पैसा जनता में जाना चाहिए क्योंकि जनता का पैसा है।

कर्मचारियों के बारे में भी, चाहे हमारी आंगनबाड़ी बहनों की बात हो, चाहे शिक्षा मित्र या विद्यार्थी मित्र हो उनके 25 परसेंट मानदेय बढ़ाने की बात हो, चाहे कुष्ठ रोगियों को दो रुपये किलो बी पी एल के समान गेहूं देने की बात हो, चाहे लोक कलाकारों को, निश्चित रूप से लोक कलाकारों को 90 परसेंट अनुदान देकर बीमा देने की बात हो, चाहे हमारे पत्रकार बंधुओं को सुविधा देने की बात हो, निश्चित रूप से ये सारे के सारे काम उस सोच के तहत किये कि हम ट्रस्टी हैं, हमें जनता ने सेवा करने के लिए भेजा है, निश्चित रूप से हम सेवा करें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

ऊर्जा के क्षेत्र में 12,726 करोड़ रुपये का प्रावधान करके माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक सोच प्रदर्शित की कि हम ज्यादा से ज्यादा उद्योग चलायें, ज्यादा से ज्यादा हमारे लोकल कारखाने लगाए, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर से किसान भाई उत्पादन करें और निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़े। सौर ऊर्जा के माध्यम से भी हम लोगों को लाभान्वित करें और निश्चित रूप से 60 हजार घरेलू कनेक्शन देने की बात की है जो हमारी गांव-ढाणियों में बैठे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 1,086 करोड़ रुपये इंदिरा गांधी परियोजना की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए रखने का प्रावधान किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को इससे 13,700 हैक्टेयर सिंचाई का काम होगा। यह किसान के आंसू पोंछने का काम करेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं एस सी, एस टी, माइनोरिटी के बारे में। आपने 5 साल तक सोचा तक नहीं। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट में हमारे एस सी, एस टी के भाइयों को पानी पिलाने की बात की, फ्लोराइड से मुक्ति दिलाने की बात की। निश्चित रूप से 3,796 करोड़ रुपये 20 परियोजनाओं को पूर्ण करने में तीन साल में लगेंगे। यह बजट में प्रावधान करके प्रत्येक व्यक्ति को पानी मिले, बिजली मिले, उसको खाने के लिए अन्न मिले, उसको रहने के लिए छत मिले, इस तरह का काम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया।

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से एक मांग करूंगा कि पिछले बजट में आपने हमें तोहफा दिया था। लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर के 283 गांव और 3 नगरपालिका क्षेत्रों को फ्लोराइड का पानी पीना पड़ रहा है, उसे मुक्ति मिले। आपने सर्वे कराया, डी पी आर बन गयी, 832 करोड़ रुपये की योजना, माननीय मुख्य मंत्रीजी, कल आप अपने जवाब में अगर हमें सौगात दे दें तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे एरिया की तरफ से, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, पूरे सीकर के वासियों की तरफ से, क्योंकि उनकी आवश्यकता है और यह इसलिए सम्भव है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी यह चाहते हैं कि हमारे प्रत्येक गांव को पानी मिले और शुद्ध पानी मिले, फ्लोराइडमुक्त मिले।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बीच में वार्ता मत करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप दो मिनट रुक जाइये, आपको कहने को कुछ नहीं है। आप केवल इतना कह पाओगे कि हमारी महारानी बहुत जोरदार, क्योंकि आपको टिकट पक्का कराना है। यह कह पाओगे कि यह क्रियान्विति नहीं होगी, क्योंकि आपकी आदत है पुरानी सरकार की कि वह क्रियान्विति नहीं करती थी। इसके अलावा बोलने को नहीं है। डिस्टर्ब काहे को करते हो? क्योंकि 1 घण्टा 20 मिनट तो सभापति जी ने ले लिया, फिर मेजर ओ.पी. यादव जी ने 50 मिनट ले लिया; इनको धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने सरकार की उपलब्धियों को बहुत तरीके से बताया। इसलिए इनको समय मिल गया, बहुत अच्छी बात है। आपको समय उपलब्धियां बताने के लिए नहीं मिलेगा, आगे भी नहीं मिलेगा। आपको वहीं बैठना पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सीकर जिले में, चूरू और झुंझुनूं में, ये सुंदर काका जान बचा जाए आपकी तो भले ही, बाकी एक भी भारतीय जनता पार्टी की सीट उधर आने वाली नहीं है। इसलिए कि ये भले आदमी हैं। (व्यवधान) माननीय उप नेता महोदय, आप तो जयपुर में आते हैं, इसलिए सीकर की बात ही काहे को करते हैं? आपकी तो मैं बात ही नहीं करता, आपको तो गुरु मानता हूं, सलाम करता हूं।

निश्चित रूप से ये सारे के सारे काम, पंचायती राज को मजबूत करने का काम राजस्थान की सरकार और माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने किये। पहले 5 विषय दिये, आपने जो विषय पहले दिये थे वे ही हटा लिये थे। उसके बाद में 10-10 लाख रुपये से राजीव गांधी भवन बनें और 25 लाख रुपये से पंचायत समिति पर भवन बनें। यही नहीं, यह कारवां रुका नहीं विकास का। मुख्य मंत्रीजी की यह सोच है, गांव का जीवन स्तर बढ़ना चाहिए, गांव के लोगों को ऊपर उठाना है। इन राजीव गांधी भवनों पर नाबार्ड से लोन लेकर उनका और विस्तार करने का काम माननीय मुख्य मंत्रीजी करने जा रहे हैं। 23 पद पंचायत राज में सृजित करने की बात कही है। निश्चित रूप से जितने पंचायत भवन हैं, 115 में नहीं हैं, 307 में जीर्ण-शीर्ण हैं। 422 ग्राम पंचायतों के लिए आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा, आपके दिमाग में ही नहीं आया क्योंकि आप तो भूमि वाले अड़ंगे में लगे रहे, आपका समय निकल गया, बंटवारे में, पांति में। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 43 करोड़ रुपये का इस बजट में प्रावधान करके पंचायती राज के बैठने का स्थान, पंचायतों को मजबूत करने का काम किया है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी की सोच देखिए, एक मिनट सोचिए घर जाकर रात को, हमारे कब्रिस्तान, हमारा शमशान जहां प्रत्येक व्यक्ति को आखिर में जाना है उनमें चारदीवारी हों। अब की बार बजट बढ़ाकर यह कर दिया कि वहां पीने के पानी की व्यवस्था हो, वहां पर छाया की व्यवस्था हो। यह वही व्यक्ति कार्य कर सकता है जो प्रत्येक गरीब के बारे में सोचता है, जो जमीन से गांव-ढाणी, झोंपड़ी में बैठा हुआ है उस व्यक्ति केलिए सोच सकता है। यह करने का काम किया। हमारे गांवों में जहां पर इर्रिगेटेड एरिया नहीं है। वहां पर वाटरशेड के माध्यम से 604 परियोजनाओं में 4,861 करोड़ रुपये का प्रावधान, जिसके माध्यम से 3.84 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र होगा, यह करने का काम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ग्रामीण रोजगार योजना चालू करने की बात बजट में कही। 150 करोड़ का प्रावधान करके एक लाख आय वाले युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण देने की बात कही। निश्चित रूप से राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका योजना शुरू करने की बात कही जिसके माध्यम से 3 लाख बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार दिलाने की चेष्टा की जाएगी। हमें राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच देखिए कि पर्यावरण अगर ठीक रहेगा तो हम ठीक रहेंगे, पर्यावरण अगर दूषित हो गया तो निश्चित रूप से सारे के सारे बीमार होंगे। हालांकि दवा तो आप सबको फ्री में दे दी, लेकिन फिर भी मुख्य मंत्रीजी का सोच है कि दवा खानी नहीं पड़े इस प्रकार की व्यवस्था करें। उन्होंने राजीव गांधी पर्यावरण के 5 लाख, सेकंड को तीन लाख और दो लाख रुपये का जो पुरस्कार देने का किया, यह इस सोच को प्रकट करता है कि प्रत्येक क्षेत्र में काम किया गया है, प्रत्येक क्षेत्र में बजट में प्रावधान किया गया है।

निश्चित रूप से ट्राइबल भाइयों के लिए राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी का काम किया गया है। वे शहीद जो आजादी में 1500-1500 शहीद हो गये थे, वहां पर स्मारक बनाकर उनकी याददाश्त को चिर-स्थायी बनाने

(18.00 बजे)

का काम भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पिछले बजट में भी प्रावधान किया, इसमें भी प्रावधान किया। संबल ग्राम, जहां पर एस सी, एस टी के 51 प्रतिशत लोग रहते हैं, ऐसे गांवों में 20-20 लाख रुपये देने का जो काम किया वो माननीय मुख्य मंत्रीजी की यह सोच प्रकट

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

करता है कि प्रत्येक गांव में जहां हमारे एस सी, एस टी, युवा, बी पी एल भाई बैठे हैं उनका विकास होना चाहिए, वे आगे बढ़ने चाहिए। इस सिस्टम में जो हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि दो भारत नहीं होने चाहिए, एक भारत होना चाहिए; गरीबों और अमीरों का एक भारत बने, इस सोच के साथ में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने काम करने का काम किया है।

आप देखिये कि खिलाड़ियों के बारे में 10-10 गुणा बढ़ाया है। आप बढ़ा देते, किसने मना किया था आपको? आप तो झगड़ों में लगे रहे। कोई कह रहा था कि किरोड़ी जी को सुलटायेंगे, कोई कह रहा था कि घनश्याम जी को सुलटायेंगे, कोई किसको सुलटाने में लगा हुआ था। निश्चित रूप से जो मंत्री अच्छा काम कर रहे थे उनके पर कतरने का काम आपके शासन में, ना पक्ष के शासन में हुआ, इसलिए आपको ना पक्ष में बैठना पड़ा। हमारे मुख्य मंत्री जी का यह सोच है कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, अगर वे बेरोजगार हों तो उनको बेरोजगारी भत्ता मिले और निश्चित रूप से इसका काम भी किया है। राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के माध्यम से हमारे 10वीं, 12वीं के ही नहीं, बल्कि 8वीं के बच्चों को भी लर्निंग लैपटाप मिलें, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम किया है। इन्दिरा गांधी प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना में अब तक एस सी, एस टी, माइनोरिटी और बी पी एल थे, वहां पर सामान्य विद्यार्थियों को जोड़कर एक ऐतिहासिक काम करने का काम किया है।

आप देखिये, पांच साल में आपने कितनी तहसीलें खोलीं, कितनी उप – तहसीलें खोलीं, आपने कितने पटवार सर्किल बनाये? एक भी नहीं। एक तहसील नहीं, एक उप-तहसील नहीं और किसी प्रकार का काम नहीं किया। केवल पैसा बटोरते रहे, बटोरते रहे और एक सोच थी कि हम पैसों के बल पर चुनाव जीतकर आ जाएंगे। लेकिन यह जनता सब जानती है, वह यह समझती है कि यह हमारा पैसा है और ये लोग ट्रस्टी हैं, इनको काम करना पड़ेगा। आज 24-24 तहसीलें, उप-तहसीलें, पटवार सर्किल बनाने का काम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है। माननीय प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय, आप जानते हैं कि नेछवा से अगर लक्ष्मणगढ़ जो जाता था, वह पहले सीकर आता था और सीकर से फिर लक्ष्मणगढ़ जाता था। एक विद्यार्थी अपने मूल निवास प्रमाण पत्र या ओ बी सी के प्रमाण पत्र के लिए जाता था तो कितनी तकलीफ होती थी? लेकिन आपके शासन में यह काम नहीं हुआ। माननीय मुख्य मंत्री ने इस

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

प्रकार की शानदार व्यवस्था करके उप-तहसील नेछवा में दी, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

यही नहीं, माइनोरिटी के लोगों को आपने बहुत उपेक्षित रखा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना चालू करने की बात कही है। यही नहीं, आपने तो बहुत सी ऐसी योजनाएं कीं जिनमें बजट ही नहीं था, चाहे वे यूनिवर्सिटी वाली बात हो, चाहे और कोई बात हो, चाहे सिंचाई परियोजनाएं हों पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 10 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया कि मदरसों का विकास भी होना चाहिए। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे भाई-भाई हैं, इस सोच के साथ में काम किया है। मैंने बी जे पी का नाम तो पहले बता दिया और कांग्रेस का नाम, 'का' से मतलब काम करने से है, 'ग' का मतलब गरिमा से है, 'रे' का मतलब मर्यादा की रेखा से है और 'स' का मतलब सम्मान से है। कांग्रेस में इस प्रकार की व्यवस्था है और भाजपा की उस बात में मैं दुबारा नहीं जाना चाहता।

जिस प्रकार से कम्प्यूटर देने की बात हो, चाहे हमारे मुसलमान भाइयों को हो, चाहे हमारे दूसरे भाइयों को हो, जो हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़कर आई आई टी में, आई आई एम में, इंजीनियरिंग में, चाहे स्टेट में हों चाहे बाहर हों, एक लाख रुपये तक की आय वाले इन बच्चों की फीस का पुनर्भरण का काम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है।

आप महिलाओं की बात ले लीजिये, धनलक्ष्मी समृद्धि योजना, अभी हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि मुख्य मंत्रीजी ने धनलक्ष्मी योजना में यह कर दिया, वह कर दिया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई भी ऐसी योजना नहीं लाये। कभी तनसिंह जयंती मनाने में आपको समय नहीं मिला, कभी विश्वकर्मा जयंती मनाने में समय नहीं मिला, कभी देवनारायण जयंती मनाने में नहीं मिला, कभी महाराजा सूरजमल जयंती मनाने में नहीं मिला, आपने केवल जाति को जाति से लड़ाने का काम किया है। वे संगठित नहीं हो जाए, एक जगह नहीं हो जाए, अगर एक जगह हो गए तो हमारा राज नहीं आयेगा। इस प्रकार का काम करने का काम किया है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चिकित्सा में अभी कह रहे थे कि पी एच सी नहीं खुलीं, सीएचसी नहीं खुलीं। खुलीं, खुल भी रही हैं, खुली भी हैं और और भी खुलेंगी। लेकिन आप अपने समय का बता दीजिये कि आपके समय में एक भी पशु चिकित्सालय, पशु उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोला क्या? नहीं

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

खोला। इसलिए नहीं खोला कि आप तो व्यक्तियों के लिए ही नहीं कर सकते थे तो पशुओं के बारे में तो आपकी सोच ही नहीं थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2,980 डाक्टर्स की भर्ती की गई। बिजली के ए.ईएन. आफिस खोले गये, ओ एंड एम आफिस खोले गये, जे.ईएन. आफिस खोले गये, जे.ईएन. की भर्ती की गई, इंजीनियरों की भर्ती की गई, पुलिस में 20 हजार पहले की गई और 10 हजार की अभी घोषणा की गई है। आप देखिये कि 750 कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती की बात की है। हमारे चिकित्सा विभाग में 21 हजार लोगों को नियमित करने की बात की है। आपने ये काम कर दिये होते तो निश्चित रूप से हम आपको भी धन्यवाद देते लेकिन आपने ये सारे के सारे काम नहीं किये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप देखिये, अभी 3000 सब-सेंटर का किया है, बाकी जननी सुरक्षा को आगे करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, सुविधाएं देने के लिए महिलाओं की शय्याओं में वृद्धि करने की बात कही है, महिला चिकित्सकों की बात कही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारा का सारा काम माननीय मुख्य मंत्रीजी गरीब को ऊपर उठाने के लिए कर रहे हैं जो आपने नहीं किया।

सहकारी संस्थाओं के माध्यम से एक लाख रुपये तक फसली ऋण समय पर चुकाने पर सम्पूर्ण ब्याज अनुदान के रूप में देकर के 200 करोड़ रुपये देने की बात माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के लिए की है। मैं कहना चाहता हूं कि 200 करोड़ रुपये किसानों को पाले से बचाने के लिए दिये गये हैं। निश्चित रूप से 15 हजार परिवारों को राजस्थान सहकारी आवासीय संघ से जो ब्याज, मूल रकम 15-15 साल से चुका नहीं पा रहे थे; उनके लिए किया है। आपका समय आया था, आप भी उन गरीब परिवारों के लिए कर देते। ब्याज पर वो ही कर्ज लेता है जिसके रोजी-रोटी का सवाल होता है; जिसका घर नहीं चलता है, बाल-बच्चों को पढ़ाना दूभर हो जाता है, वह कर्ज लेता है और 15 साल तक जो कर्ज नहीं चुकाता है इसका मायना यह है कि वह सक्षम नहीं है, उसको हमें ऊपर उठाना पड़ेगा। यह करने का काम माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत ने किया। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

आप सड़कों के काम को देखिये, आप भी थे, आप कर देते। कोटपूतली से लेकर कुचामन तक हमारे सीकर में से होकर सड़क जाएगी। निश्चित रूप से उस सड़क को चालू कराने की बात भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मैं ज्यादा लम्बाई में नहीं जाकर केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे किसानों में जो खेत के आये दिन झगड़े होते थे, आपकी सोच नहीं थी, आपकी सोच यह थी कि किसान आपस में लड़ता रहे, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से लड़ता रहे पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने केन्द्र सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भेजकर खेतों से रास्ता दिलाने का काम भी किया है। निश्चित रूप से हमारी बच्ची जो पढ़ती है उसको अनुदान देने का काम भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है।

तीन-चार सुझाव और देना चाहूंगा क्योंकि मेरा समय तो, माननीय सभापति महोदय, आपने ही ले लिया था, तो आपका घंटी बजाना भी बहुत वाजिब है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तीन-चार मेरे सुझाव हैं। मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध रहेगा कि लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर के गांवों के लिए पिछले बजट में आपने सर्वे कराया था और अब 832 करोड़ की वह योजना बनकर तैयार है। उसकी सौगात देकर वहां के लोगों को फ्लोराइड से मुक्ति दिलायें।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों के लिए जो भटनागर समिति बनी थी, उस भटनागर समिति की रिपोर्ट आ चुकी है और उसको लागू कराने का काम माननीय मुख्य मंत्रीजी करें।

एक सबसे बड़ी थोड़ी सी दिक्कत यह हो गई कि पंचायतों को मजबूत किया, अनटाइड फंड दिया, बहुत अच्छी बात हुई, उसका बिजली का बिल ग्राम पंचायतों को देने के लिए कहा लेकिन उस बजट का डिवाइडेशन नहीं किया कि ये बिजली का बिल देंगे। उसको 16 कामों की लिस्ट दे दी कि आप चाहें जो करा सकते हैं। अगर वे 16 काम चाहें जो करा सकते हैं, तो बिजली के बिल जमा कराने को प्राथमिकता हमारे सरपंच नहीं देंगे। इसलिए इसके लिए अलग से बजट होना चाहिए, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

एन आर एच एम के चिकित्सा कर्मियों को नियमित करने के लिए भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। क्योंकि एक संविदा पर रहने वाला कर्मचारी ओवर-एज होने के बाद कहीं का नहीं रहता है। यह हम सब की सोच है और माननीय मुख्य मंत्रीजी की यह सोच है इसीलिए एन आर एच एम के संविदा कर्मियों के बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी सोचें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

तीसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड में जो अभियंता हैं, वो आधे जोइन कर रहे हैं, आधे नहीं कर रहे हैं; डाक्टर आधे कर रहे हैं, आधे नहीं कर रहे हैं। इसलिए इनके साथ में एक एम ओ यू हो और इनकी तनख्वाह बढ़ाने का काम भी हम करें ताकि किस प्रकार से हम बिजली के इंजीनियरों का, डाक्टरों का ज्यादा से ज्यादा काम ले सकें, ज्यादा से ज्यादा वे हमारी सरकार में आयें, इस प्रकार का निवेदन भी मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं।

दूसरा, जो नि:शुल्क दवाइयां भी आ रही हैं और लोग कई नकली दवाइयां भी बेच रहे हैं, उसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर्स के पद भी बढ़ाये जायें। राज्य में ड्रग टैस्टिंग लैब की स्थापना भी होनी चाहिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी यह कर सकते हैं, करेंगे मुझे आशा है क्योंकि उनकी एक सोच है कि गरीब को खाने के लिए शुद्ध मिले, इसके लिए शुद्ध-का-युद्ध चलाया। अच्छी दवा मिले, बहुत अच्छी दवा दे रहे हैं, 200-300 दे रहे हैं, 400 तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से सब-सेंटर्स खोल रहे हैं, पी.एच.सी. खोल रहे हैं, सी.एच.सी. खोल रहे हैं, पशुओं के लिए खोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह कार्य भी होना चाहिए। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

हमारे एस सी एस टी के जो भाई हैं, उनके लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत काम किया है।

श्री सभापति: मंत्रीजी, आप विराजो, विराजो। आपके रिलीवर आ जायें तो आप चले जाना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...निश्चित रूप से आप शायद, माननीय सभापति महोदय, दुबारा घंटी बजाने के मूड में हैं लेकिन जो हमारे श्रमिक मजदूरी करते थे, उन्होंने 29,000 समथिंग साइकिलें उनको देने का, जो निर्माण के श्रमिक हैं, उनको भी देने का काम किया है।

इसलिए मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्रीजी को एक अच्छे शानदार बजट के लिए, एक गरीब, गांव झोंपड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को ऊंचा उठाने के लिए, गरीब को छत मुहैया कराना, उसको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, सारी की सारी व्यवस्थाएं जिनसे गरीब ऊपर उठकर और जो लोग पैसे वाले हैं, उनके बराबर आ सकें, इस प्रकार की सोच का यह जो बजट पेश किया है, इसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं, इनका समर्थन करता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी को पुन: यूनिवर्सिटी, कोटपूतली से कुचामन की सड़क,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

उप तहसील, धोद तहसील, खण्डेला तहसील, रामगढ़ तहसील, इन सबको बनाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्रीजी, हमारे लक्ष्मणगढ़ के लोगों को फ्लोराइड से मुक्ति दिलाने का कार्य कल की तारीख में शायद, मैं निवेदन करूंगा और कर रहा हूं सदन के माध्यम से, वह करने का काम भी करेंगे। वह प्रोजेक्ट भी अगर इस साल चालू हो जाये ताकि आने वाले समय में हम यह कह सकें कि हमने फ्लोराइड से मुक्ति दिलाने का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां रैलियां कर रहे हैं, नदी से नदी जोड़ देंगे, फ्लोराइड से मुक्ति के लिए नहर का जो पानी है, वह ला देंगे, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपका समय था, आपने किया नहीं, अब हमारा समय है और माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच है कि प्रत्येक व्यक्ति को पीने के लिए शुद्ध पानी मिले, उसको दवा मिले, निश्चित रूप से उसको पढ़ने के लिए चाहे छात्रवृत्ति मिले, चाहे लैपटाप मिले, चाहे उच्च अध्ययन करने के लिए उनको कोचिंग की व्यवस्था हो, यह सारे के सारे काम करने का काम माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारी सरकार कर रही है।

इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने समय प्रदान किया, मुझे तसल्ली से सुना। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकान्ता जी व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी व वित्त मंत्रीजी ने 26 तारीख को 2012-2013 का बजट पेश किया। उस बजट के अन्दर सभी ऐसी घोषणाएं और बहुत ही अजब सी बातें मेरे सामने आईं, मैं हालांकि इसको बहुत स्टडी करके और बहुत समझ करके और सारा बनाकर लाई हूं मगर मैं जानती हूं कि आप मुझे इतना समय नहीं देंगे, लेकिन मैं मुख्य-मुख्य बात जरूर कहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, जो बजट पेश किया है वित्त मंत्रीजी ने और मुख्य मंत्रीजी ने, मैं स्पष्ट रूप से कहती हूं कि बजट निर्माण में मूल भावना की जमकर अवहेलना की गई है। लगातार तीन वर्षों से बजट घोषणा में रात और दिन का अंतर रखते हैं, अनावश्यक रूप से बजट प्रावधानों का मानस बनाया गया है। मैं स्पष्ट रूप से यह भी कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, सभापति महोदय, इस बजट में सारी

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

घोषणाएं, थोथी घोषणाएं की हैं। पिछले बजट में जो थीं, वे भी घोषणाएं पूरी नहीं की हैं तो हम इस बजट की तो क्या उम्मीद करके चलें? इतने पढ़े-लिखे लोग, इतने समझदार लोगों ने बैठकर इस बजट को बनाया, उन्होंने यह नहीं देखा कि पीछे वाला बजट क्या था और आज के बजट में क्या है।

माननीय सभापति महोदय, आम जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। मुख्य मंत्रीजी बजट बना रहे हैं परन्तु बजट के 80 प्रतिशत हिस्से को हमने कर्जा लेने वाला बनाया है। अगर कर्जा लेकर ही आप बजट बना रहे हो, फिर तो मतलब ही क्या हुआ? मैं घर चलाऊं, मैं आज कर्जे से घर चलाऊं तो फिर मैंने घर भी क्या चलाया? आप राजस्थान चला रहे हो और मैं घर चला रही हूं, बात तो वह की वही है, मगर आप कर्जा लेकर जो काम कर रहे हो, उससे हम तो कोई संतुष्ट नहीं हैं। भारत सरकार की शर्तों से 550 करोड़ रुपये का ऋण लेकर आप पानी देने के लिए कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या हो रहा है और उनकी शर्तों के ऊपर आप चल रहे हो, यह मेरी समझ के बाहर है।

माननीय सभापति महोदय, मैं जितने बिन्दु लिखकर लाई हूं, उन सबके ऊपर नहीं जाकर, मेरी मूल भावना के ऊपर आऊंगी क्योंकि अभी जोधपुर, जोधपुर, बहुत सामने वाले भी चिल्ला रहे हैं, सत्ता पक्ष कह रहा है, मैं विपक्ष में हूं तो हम भी कह रहे हैं मगर मैं यह समझना चाहती हूं कि जोधपुर को दिया क्या है? आपको मालूम है, मेरे पूर्व वक्ता, मेरे पहले एम.एल.ए. साहब बोल रहे थे, उनको मालूम नहीं है, खाली जोधपुर का नाम लिया है, जोधपुर को दिया नहीं है। यह पता ही नहीं है किसी को। मैं यह आपको बताना चाहूंगी, विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के लिए इन्होंने क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। जबकि सूरसागर ऐसा क्षेत्र है, तीन विधान सभा क्षेत्र हैं जोधपुर के अन्दर सरदारपुरा, सूरसागर और शहर, अब आप देखिये, इन तीनों में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला सूरसागर क्षेत्र है, जहां पर माइन्स हैं और सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है। आप रिकार्ड देख लेना मगर सूरसागर के अन्दर कुछ नहीं दिया है। इन्होंने कहां दिया है, वह भी मैं आपको बता दूं। तीन वर्षों से जोधपुर पत्थर में संलग्न व्यवसाय को, गतिविधियों को मैंने मांग की थी कि आप इनको उद्योग का दर्जा दें। आप खुद मान रहे हो कि माइन्स खतम होती जा रही हैं तो फिर आप उद्योग का दर्जा क्यों नहीं दे रहे? मगर वह मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा नहीं की। मैंने इतने पत्र व्यवहार किये हैं। इतने पत्र व्यवहार करने

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

के बावजूद भी मुख्य मंत्रीजी की पावती आती है, रसीद आ जाती है कि मैंने यह सचिव को भेज दिया है। मगर मैं, सभापति महोदय, यह बताना चाहूंगी, यहां घनश्यामजी बैठे हैं और गुलाबजी बैठे हैं, मैं आपको यह कहना चाहूंगी, अगर एम.एल.ए. के पत्र का कोई सचिव या अधिकारी जवाब नहीं देता है तो इससे ज्यादा शर्म की कोई बात ही नहीं हो सकती है। मैं यह खुले तौर पर कहना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, आपने अपने विधान सभा क्षेत्र सरदारपुरा के लिए बजट में भारी प्रावधान किये हैं। जैसे गत बजट में आपने पावटा को सैटेलाइट किया जबकि महिलाबाग सैटेलाइट हो चुका था माननीय वसुन्धरा जी के राज के अन्दर। उसे तो प्राथमिकता नहीं दी और आपने पावटा के अन्दर सैटेलाइट किया। इस बार आपने मण्डोर सी सी यू का निर्माण... और सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय प्रबुद्धानन्द अस्पताल के लिए मैंने मांग की, मैंने इनको बाकायदा सारी डिटेल भेजी है कि इतने लोग यहां रह रहे हैं और आप इसको सैटेलाइट करो, उन्होंने उसको नहीं करके, इन्होंने मण्डोर को किया।

माननीय सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र सूरसागर में विशाल वन भूमि और पहाड़ी क्षेत्र है, अत: भूतेश्वर खण्ड जन सेवा का सिटी पार्क विकसित किया जाये और इस हेतु संशोधित प्रावधान बजट में सम्मिलित किया जाये। आपकी महानरेगा और नरेगा स्कीम में श्रम दिवस सृजन और कार्यों में गत दो वर्षों में कमी आई है। विभाग इस हेतु अच्छी बारिश का बहाना बना रहा है। मेरा अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्र से सटे नगरीय क्षेत्र में भी नरेगा और महानरेगा योजना को एक्सटेंड कर मूलभूत सुविधाएं विकसित करने का कार्य करवायें।

माननीय सभापति महोदय, मेरी मांग है कि सूरसागर क्षेत्र में प्राइवेट रिटेल काउंटर खोले जायें। माननीय सभापति महोदय, मैंने कमला नेहरू नगर ई.एस.आई. अस्पताल को, वह तो सरकार का अस्पताल है, उस अस्पताल के अन्दर एक ही काम होता है कि रेफर कर दो बस; और कुछ काम नहीं होता है, सुविधा नाम की चीज नहीं है। मैंने इसकी सारी डिटेल और हर बात के लिए मुख्य मंत्रीजी को पत्र भेजती हूं और सारी जानकारी लेती हूं। आप इंग्लिश में क्या कहते हो, मैं तो यह कहूंगी कि मैंने मेरी राय दी है, मैं राय भी देती हूं, फिर भी उन्होंने इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

मेरे पूर्व, मेरे पहले एम.एल.ए. साहब ने जो बोला है, उसका मैं विवरण देना चाहूंगी। आपने सरदारपुरा क्षेत्र में गौशाला और चैनपुरा, दो बड़े स्टेडियम बना दिये, जबकि बरकतुल्ला खां स्टेडियम है, उसको कोई एक पैसा देने का सवाल नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मेरी मांग है कि सर्वाधिक और विशाल जनसंख्या वाले और सरकार को सर्वाधिक राजस्व देने वाले सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में स्कूली स्तर पर खेल सुविधाओं की उपलब्धता हेतु प्रत्येक विद्यालय में अलग-अलग खेल कोर्स का निर्माण करवाया जाये। वहां नहीं सोच रहे हैं ये, वहां सिर्फ जायेंगे तो एक ही बात है कि मण्डार में क्या होना चाहिए। यह जोधपुर का अगर हवाला कोई भी, उधर वाले बैठे हुए हैं और इधर वाले दें तो आपकी मर्जी है, मैंने यह सारा आपको मण्डोर का हवाला दिया है। (व्यवधान) आप बोले तब मैं तो बोली नहीं; आप मेरी बात सुन लो, मैंने गलत कहा नहीं है, कागज सब सामने पड़े हैं। (व्यवधान) मैं मेरे क्षेत्र की डिमांड तो करूंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से आपके द्वारा यह कहना चाहूंगी कि चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर सड़कों का प्रस्ताव राज्य सरकार स्तर पर लम्बित है, इस बजट राशि का प्रावधान करवायें क्योंकि सारी सड़कें ऐसी स्थिति के अन्दर हैं मैं चाहूंगी, भले ही आप एक कमेटी बना दें और इस सूरसागर क्षेत्र का सर्वे करा लें, आपको यह पता चलेगा कि वहां पर क्या स्थिति है। सिर्फ एक काम आपने अच्छा किया है, यह सामने स्वायत्त शासन मंत्रीजी बैठे हैं, सूरसागर में काम यह किया है जो इन्होंने अच्छा किया है, कालीबेरी के अन्दर एक गांधी नगर योजना बनाई, वह अच्छी बनाई है। इसकी तो मैं आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा करूंगी और बधाई भी दूंगी। बाकी तो कालोनाइजर्स ने कितनी कालोनियां काटी हैं सूरसागर के अन्दर, जाकर देखो, न तो कोई सीवर लाइन की व्यवस्था है, न कोई पानी की व्यवस्था है, न कोई सड़कों की व्यवस्था है। कालोनाइजर अपनी-अपनी सड़क, अपने-अपने प्लाट बेचकर चले गये, अब जनता बहुत तकलीफ पा रही है। मैं आपको भी हर समय पत्र द्वारा मेरे सुझाव भी देती हूं।

अब मैं शिक्षा के ऊपर बात कहना चाहूंगी। माननीय सभापति महोदय, जहां तक यहां सामने वाले बोले कि शिक्षा के ऊपर मुख्य मंत्रीजी ने यह दिया है, मुख्य मंत्रीजी ने यह दिया है, मैं शिक्षा का स्तर आपको बताऊं तो आपकी

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

आंखों में आंसू आ जाये। आप लैपटाप किसको दोगे, आपके सरकारी स्कूल के अन्दर बच्चे पढ़ेंगे तब लैपटाप दोगे। आप तो जो नीचे पढ़ने वाले बच्चे हैं, पहली से लेकर पांचवीं तक के बच्चों की स्कूल जाकर देखो आप, एक कमरे के अन्दर स्कूल चल रही है पहले से लेकर पांचवीं तक की। न तो छत है, न कोई बात है। बगीचों के अन्दर स्कूल चल रही हैं, मंदिरों के अन्दर स्कूलें चली रही हैं, ऐसे खाली प्लाटों के अन्दर स्कूल चल रही है और एक टीचर पढ़ाने वाला। एक से पांचवीं तक बच्चों को एक टीचर पढ़ाने वाला, अब आप कहते हैं कि हमने इतनी भर्ती कर दीं, इतना वह कर दिया।

मैं तो आपको अब यह कह दूं कि अगर ये अच्छा काम करेंगे तो मेरे को तारीफ करने में कोई शर्म ही नहीं है; हमारी कोई पार्टी वाले हमें रोक थोड़े रहे हैं कि आपने तारीफ क्यों की; अच्छा काम करें तो तारीफ करूं। तो यह करें तब तारीफ करूं, यह करें ही नहीं तो क्या तारीफ करूं? तो इन्होंने जैसे मैंने कालीबेरी का हवाला दिया, किया तो मैं इनको भरी मीटिंग के अन्दर भी धन्यवाद किया कि आपने एक अच्छी कालोनी बनाई है, आज भी अगर उनके प्लाट खुल जाते हैं तो वे भले ही मकान बनाना कल शुरू करें। तो ऐसी कालोनियां बनें तब तो कोई बात है। अच्छा काम करो तो हो। सड़कों का नामोनिशान नहीं।

तो स्कूल के लिए, शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगी कि आप किसे लैपटाप दोगे, किसको दोगे? आप क्या प्राइवेट स्कूल वाले को देंगे? आप कालेज खोल रहे हैं, कालेज में कौन जायेगा? नीचे स्तर, आपकी जमीन के नीचे देखो अपन कहां पर खड़े हैं, वह आपने बात नहीं देखी है वह देखो, कि आपके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, टाट पट्टी तक बैठाने को नहीं है, बोरी के तापड़िये के ऊपर बच्चे बैठते हैं और बहनजी एक स्टूल के ऊपर बैठकर पढ़ाती है। मैं इसकी आपको फोटो कहें तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी-ऐसी गंदगी में बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। यह देख लो आप, सारी मैं स्कूलों की लायी हूं, सब लेकर आई हूं, ऐसे बच्चे बैठते हैं ऐसी गंदगी के अन्दर, तो शिक्षा में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सामने वाले बोल रहे थे, हम भी सुन रहे थे, हां भई, ठीक है, क्या बच्चे पढ़ेंगे और आप लैपटाप किसको देंगे। खैर, कोई बात नहीं, आपने कह दी, मैंने आपकी बात सुन ली।

अब चिकित्सा के ऊपर मैं कहना चाहूंगी कि कितनी प्रसूताओं की मौत हुई? अभी कुछ समय पहले ऐसे गलत इंजेक्शन लग गये, उससे कितनी

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

गम्भीर हालत हुई महिलाओं की। मैं स्वयं जाकर आई, कभी बच्चों को बदल देते हैं, हास्पिटल की स्थिति देखो तो अच्छी नहीं। डाक्टर पूरे नहीं; नर्सिंग स्टाफ पूरा नहीं; सफाई कर्मचारी सफाई करते नहीं। अब आपको क्या-क्या एक-एक बात का बतायें। आप क्यों इतनी बातें कर रहे हैं? सिर्फ आप इसलिए करते हैं कि हम मुख्य मंत्री को खुश करें। आप ऐसे हां में हां मिला करके खुश मत करो, जो बात है वह वास्तविकता करो।

(18.24 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

हमारे जमाने के अन्दर, मैं भैरों सिंहजी के कार्यकाल के अन्दर भी एम एल ए थी, मैंने एक आयोडिन क्रिस्टल का सवाल उठाया। यह घनश्यामजी बैठे हैं और गुलाबजी बैठे हैं, भैरोंसिंहजी ने मेरे को बुलाया, पहले तो जोर से डांट लगाई थी और फिर कहा, धन्यवाद दिया, मेरी पीठ थपकारी, मैंने कहा साहब, मैं गलत हूं तो आप मेरे को जूत मारना, नहीं तो आप मेरे को धन्यवाद देना। चार आई ए एस अफसर लगाकर उसकी इन्क्वायरी करवाई और वह इन्क्वायरी, जितने जो-जो मैंने पोइंट्स दिये थे, वे सारे निकले।

सरकार में है तो क्या मतलब हो गया? सरकार गलत काम करे, उसको भी आप बरदाश्त कर रहे हो, आप मर्जी आये जैसे बोल रहे हो, इतनी स्कूलें खोल दीं, इतना धन दे दिया, इतना ऐसे कर दिया; फालतू ही वाहवाही लूटने के लिए बातें करते हो, सही बात है वह करो न।

हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधराजी ने जब जोधपुर के अन्दर कैबिनेट की मीटिंग की, हमने उनके सामने रखा हमारा पक्ष कि भाई, यहां पर जे डी ए बनाने का था और कुछ हुआ नहीं; विधान सभा में बोली कि यह पुराने स्टेडियम के नाम से कहा जाता है, तो अब आप क्या करेंगे। तो देखिये, आपके पुराने स्टेडियम का नाम महाराजा उम्मेदसिंहजी के नाम से किया, जे डी ए की घोषणा वसुंधराजी ने जोधपुर के अन्दर की।

तो हम हमारी कोई मांग रखते हैं तो हम चाहे विपक्ष में हैं और सत्ता में नहीं हैं, जो मुख्य मंत्रीजी को सही लगे और जोधपुर की यह जायज हमने, हमें इसके ऊपर बड़ा गर्व था कि मैं तो कोई भी काम डंके की चोट कराकर ले आऊंगी, मैं तो इनको पत्र दूं उसकी पावती जरूर आ जाती है, इसमें मैं खुश हो जाऊं कि मेरे को उन्होंने उत्तर दे दिया, होना-जाना कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ। इन्होंने सात-आठ महीने पहले चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के अन्दर

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

हास्पिटल था, उसको इन्होंने सैटेलाइट कर दिया, कर दिया पर आज की तारीख तक ईमानदारी से आप जाकर देख लें, कुछ भी वहां नहीं हुआ है। कोई डाक्टर लगाये नहीं, फाइनल सैंक्शन तक आ गई, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। यहां तक कि हाउसिंग बोर्ड वहां उनको जमीन देने को तैयार नहीं है, जमीन पड़ी है फिर भी नहीं दे रहे हैं।

तो यह आप किस तरीके से अपने को साबित करते हैं कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया? मैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। मैं तो बात है वह कह ही देती हूं। अगर आप कुछ करो तो मैं कहने में राज़ी होकर कहती हूं। मैं तो चाहूं कि अगर मुख्य मंत्रीजी जो-जो मैंने मांग की हैं और मंत्री महोदय, आप सामने बैठे हैं, कालीबेरी के अन्दर आपका खुद का सवाल था, मैंने पांच मांग रखी, आपने कहा कि मांगना है जितना मांग लें, बाद में महारानी आपको क्या देगी। इसका मतलब, महारानी का राज तो आयेगा ही, अगला राज महारानी का है। मगर आप इस राज में, मैं मांग रही हूं, वह तो दो। मैं मांगू, वह भी आप नहीं दे रहे हो। आपने खुद ने यह कहा था, फिर भी मेरे को कुछ भी नहीं दिया। मैंने चिकित्सा के बारे में कहा।

अभी कुछ लोगों ने पत्रकारों के बारे में बात कही। मेरे को मालूम है, पत्रकारों के आप बड़े भारी हिमायती कि हम पत्रकारों को यों कर देंगे, वह कर देंगे, आपने किया क्या है? पत्रकार बेचारे धक्के खाकर बसों के अन्दर आते हैं। उनको वोल्वो बस का फ्री पास क्यों नहीं करते हैं, उनको एसी बस का फ्री पास क्यों नहीं करते हैं? तो आप अब फालतू की बातें, घोषणाओं पर घोषणाओं का अम्बार लगा दिया। वह लाखों-करोड़ों रुपये, भई, करोड़ों रुपये हैं तो जाते कहां हैं करोड़ों रुपये।

माननीय सभापति महोदय, मैं सूरसागर के बारे में यह भी कहना चाहूंगी कि सूरसागर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर, मैं तो अब गई हूं, पहले इनका राज रहा है, इनके दो-दो मंत्री रहे हैं, नरपत सिंहजी, क्या नाम, नरपत रामजी या क्या नाम है, मेरे को याद नहीं, हां, बरबड़ साहब, वह मंत्री, रेवेन्यू मंत्री रहे, मगर कोई सोचा नहीं था किसी ने भी। वह भंवरजी भले ही रहे और हमारे भी मोहनजी मेघवाल रहे, मगर आज की तारीख में, मैं मेरी भागदौड़ से किसी के घर जाकर इस मंत्री से मिली, उनसे मिली, छोटे-मोटे जो काम करा लिये वह करा लिये, बाकी काम का नामोनिशां नहीं है। सूरसागर एक बेकवर्ड एरिये की तरह है और इतनी कच्ची बस्तियां हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी कच्ची

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

बस्तियों की वकालत करते हैं और आप सब करते हैं, आपने क्यों नहीं कच्ची बस्तियों के पट्टे के लिए या उनको रेग्यूलराइज करने की बात कही। आप रावटी के अन्दर जाओ, आप सूरसागर के अन्दर जाओ, आप राजीव गांधी के जाओ, आप देखो तो सही कच्ची बस्ती वालों का क्या हाल है। आप कहते हैं, हम पचास हजार रुपये देंगे; क्या पचास हजार रुपये में मकान बनेगा? यह कौन सोच सकता है, आप बताइये। कोई मकान बनने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, मैंने कच्ची बस्तियों की बात कही है। (व्यवधान)

मंत्री महोदय सामने ही बैठे हैं, शिक्षा के बारे में कहा तब मैं एक बात भूल गई थी। माननीय सभापति महोदय, रूपावतों का बेरा है सूरसागर के अन्दर, रूपावतों के बेरे के अन्दर बेरे के पास स्कूल है बहुत बड़ा और वहां के सारे के सारे लोग दानदाता हैं। ज्यादा से ज्यादा धनराशि देने वाले हैं मगर वहां पर भी कोई स्कूल को क्रमोन्नत आज तक नहीं किया। वहां पर सी एच सी, पी एच सी जो हैं, वे भी ऐसे ही रूलिट खाने की तरह पड़ी हैं, उन्हें भी कोई देखने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, जोधपुर के अन्दर, सूरसागर के अन्दर अशोक उद्यान है, आज अशोक उद्यान के लिए भी इन्होंने कोई धनराशि की घोषणा नहीं की है। माननीय सभापति महोदय, मेरा यह भी कहना है कि इन्होंने जो गंगरावल तालाब है, एक तो अपन पानी के लिए कितना कर रहे हैं, गंगरावल तालाब है उसको सुधारने के लिए या उसको किस तरीके से संवारने के लिए, कोई इन्होंने इस बारे में अपने बजट के अन्दर प्रावधान नहीं रखा है। इसी तरीके से बायजी का तालाब है वह भी गंदगी से भरा है, गटर का पानी जा रहा है। स्टेट के टाइम में राजा महाराजाओं ने, महाराजा उम्मेद सिंहजी की लड़की ने इस तालाब को बनाया था। उसी जगह पर उन्होंने एक स्कूल भी बनाई थी और यह तालाब बनाया था। आज उस तालाब की यह स्थिति है कि मैं आपको क्या वर्णन करूं? मेरे पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं हैं। खाली सिर्फ मंडोर के अन्दर देने से ही कुछ नहीं होता है। पूरे जोधपुर शहर के अन्दर तीन विधान सभा क्षेत्र हैं, शहर है, सूरसागर है। मगर शहर और सूरसागर को इन्होंने बिलकुल एक तरफ ऐसे रख दिया, एक पैसे का बजट के अन्दर प्रावधान नहीं रखा है।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

मैं यह चाहूंगी कि सूरसागर के अन्दर सूरजमल नाम से एक डिस्पेंसरी है वहां पर जाकर के देखें तो ऐसी स्थिति है कि जिस तरफ भी अपन आंख डालेंगे तो बुरा हाल है। इस तरीके से काम करके यह जो बजट का हवाला दे रहे हैं मैं समझती हूं कि इनका क्या बजट है? माननीय मुख्य मंत्रीजी मंडोर वालों में और सूरसागर वालों में फर्क क्यों समझते हैं? फर्क नहीं समझना चाहिए इनको। जबकि सबसे ज्यादा, पहले भी मैंने कहा, रेवेन्यू वे देते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो-तीन बातों का जिक्र करना चाहूंगी। मुख्य मंत्रीजी आवास योजना को इस बार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। गरीब के नाम पर सरकार और सरकार के हितबद्ध भू-माफिया। भू-माफिया की तो बात छोड़ दो आप, बिल्डर ऐसे हो रहे हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। जो मर्जी आये, वह भू-माफिया कर रहे हैं। जमीन निःशुल्क बड़े-बड़े लीडरों को दी गई है। अगर इसी तरीके से गरीब आदमियों का एक-एक, दो-दो कमरा भी बन जाता तो गरीब आदमियों के लिए मकान की क़ीमतों का बढ़ाया जाना अच्छा और रहता।

पारदर्शिता, आनलाइन और राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी प्रदान करने वाला अधिनियम, 2011 से वाहवाही लूटी जा रही है परन्तु इस विषय पर मैं सम्पूर्ण विधान सभा के सदस्यों का सहयोग चाहूंगी कि मैंने सैकड़ों पत्र अपने क्षेत्र की जन समस्याओं के निराकरण एवं विकास कार्यों के लिए मुख्य मंत्रीजी को लिखे। मुख्य मंत्रीजी ने उनकी रसीद भेजी है, आपका पत्र अमुख अधिकारी को भेजा गया है। परन्तु अधिकारियों ने मुख्य मंत्रीजी के निर्देश के बावजूद अब तक पत्र का जवाब अथवा अंतिम निस्तारण की सूचना मुझे उपलब्ध नहीं कराई है। मान्यवर, जिस प्रदेश में विधान सभा सदस्य के पत्र पर मुख्य मंत्रीजी के निर्देश होने के बावजूद कार्यवाही नहीं होती है तो अब आगे तो मुझे क्या कहना है।

मुख्य मंत्रीजी ने अपने स्वयं के जन्म दिन पर मिसिंग लिंक्स के नाम पर प्रत्येक विधायक की अनुशंसा पर डेढ़ करोड़ रुपए की सड़क बनाने का ऐलान किया था, हमने प्रस्ताव भी भेजे थे, मेरे एक साल पहले के प्रस्तावों का क्या हुआ? यह भी बतायें कि एन आर एच एम के नाम पर कितना भ्रष्टाचार हुआ है और क्या भ्रष्टाचार हुआ है?

माननीय सभापति महोदय, पहले राज्यपाल अभिभाषण में और बजट भाषण में ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की बात की गई है। आम जनता प्रश्न पूछती

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

है कि आत्मनिर्भरता की ओर जाने वाली सरकार साल भर विद्युत कटौती क्यों कर रही है? आप स्वयं पैरा 21 में मान रहे हैं कि गत दो वर्षों में विद्युत कनेक्शनों के आवेदन अभी तक लम्बित हैं और बड़ा प्रश्न तो यह है कि आपने बिना घोषणा किए चुपके से बिजली के दाम बढ़ा दिये हैं। राज्य की योजना की 38 प्रतिशत राशि अधिक खर्च करने के बावजूद साल भर कटौती झेलनी पड़ी तो यह सरकार की विफलता मानी जाएगी। माननीय सभापति महोदय, आपने आने वाले समय में विद्युत दरों में तीन गुना तक बढ़ोत्तरी की तैयारी कर ली है और छुपा लिया है। आप आमजन को बतायें। सौर ऊर्जा को बिजली के एम ओ यू में बिजली खरीदने की अपेक्षित दरें आज भी अधिक तय की हैं। तो आमजन सावधान हो जाए, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सौर ऊर्जा के नाम पर आपको तीन गुना महंगी बिजली देना तय कर दिया है।

मुख्य मंत्रीजी बतायें क्यों हमारे गृह नगर जोधपुर में भू-जल स्तर बढ़ने की समस्या ज्यों की त्यों है? कीमती परम्परागत जल स्रोतों से निकाला जा रहा करोड़ों गैलन पेयजल रोज सीवरेज लाइन में बहाया जा रहा है। इस समस्या का निदान आप इस बजट में भूल गए हैं।

मैं यह कहना चाहूंगी कि मुख्य मंत्रीजी सब कुछ अपने निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा को ही दे रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में आपने अपने विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सैटेलाइट अस्पताल पावटा को जिला अस्पताल बनाया। इस वर्ष मण्डोर सैटेलाइट को बनाया। यहां तक हुआ है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण है, माननीय मंत्रीजी, आप बड़े गौर से सुनना, उसका नाम भी चेंज कर दिया है, वह सरदारपुरा विकास प्राधिकरण हो गया है। अब एक टेंडर निकला है, ये कम से कम 12-13 ऐसे टेंडर हैं, वे सरदारपुरा क्षेत्र के निकले हैं और जब हम पत्र भेजते हैं तो वहां से लिखकर के आते हैं कि यह योजना के अन्दर नहीं आता है। सूरसागर और शहर तो योजना के अन्दर नहीं आता है और सरदारपुरा योजना के अन्दर आ जाता है। आप चाहेंगे तो मेरे पास पत्र भी हैं, मैं कल सुबह आकर वह सारा पुलिंदा दे दूंगी कि आपके अधिकारी हमें क्या लिखते हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी घटना बता रही हूं, मैं हालांकि कल उस पर बोलूंगी लेकिन मैं आज आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूं, आयुर्वेद औषधालय है मसुरिया के अन्दर, उसको सैटेलाइट का दर्जा दिलाने के लिए मैंने मुख्य मंत्रीजी से आग्रह किया है।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

एन आर एच एम में राजस्थान में जमकर घोटाले सामने आ रहे हैं। पहले 108 एम्बुलेंस के ठेके में केन्द्रीय मंत्रियों के रिश्तेदारों को मनमर्जी से ठेका दे दिया गया है। मेरे यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके से काम कैसे होगा। माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बडी विडम्बना है, हमारे एम एल ए लैड का पैसा होता है, हम छह-छह महीने तक हमारे जूते फाड़ते हैं जब जाकर के हमें सैंक्शन मिलती हैं। सैंक्शन मिलने के बाद, आप मजे की बात देखिए, मैं कोई भी काम होता है तो देखने जाती हूं। मेरे कोई ठेकेदारी नहीं, मेरे कोई माइन्स नहीं, मैं कोई भूमि का काम करती नहीं हूं। मेरे पास तो एक ही काम है कि मैं सूरसागर की जन-प्रतिनिधि बनी हूं तो इसका कैसे ज्यादा से ज्यादा काम करा सकूं। मैं रोज की तीस-चालीस किलोमीटर मेरी गाड़ी लेकर के घूमती हूं। मेरे क्षेत्र के अन्दर जाती हूं, सबसे मिलती हूं और जितना पैदल चल सकती हूं, हर घर में जाकर मिलती हूं। मैं गई एक भट्टी की बावड़ी में, मंत्रीजी, इस बात को आप हंसी में मत लेना, बहुत सीरियसली लेना। मुझे इस बात से बड़ी तकलीफ हुई थी, हालांकि मैं इंजीनियर नहीं हूं मगर मैं इंजीनियर की मां हूं, मैं वहां गई पार्क देखने के लिए और मैंने देखा पार्क को, तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे कर दिया पार्क को? ऐसा काम किसने किया है? कौन है यहां ठेकेदार वगैरह? मैंने इंजीनियर को फोन किया। मैं तो किसी का नाम भी नहीं जानती हूं, मैं तो लैटर भेज देती हूं और काम देखने चली जाती हूं। मैंने पूछा कि काम ऐसे कैसे किया है? तो उसने कहा कि साहब आपने दो लाख रुपए दिए थे, दो लाख रुपए का काम कर दिया। इतनी सी दीवार करके दो लाख का काम कर दिया। क्या बात करते हो आप? मैंने फोरन मेरे लड़के को कहा कि फाइल निकाल, फाइल निकालकर देखकर देखा कि मैंने इनको कितना दिया? मैंने इनको पांच लाख रुपए दिए और वह इंजीनियर कह रहा है कि दो लाख रुपए दिये हैं। अब आप बताइए, ऐसे लोगों का क्या करें? अब उनको यही पता नहीं कि कितना काम हुआ और कितना नहीं हुआ। यह काम करके छोड़ दिया कि आपका तो काम हो गया, दो लाख आपने दिए थे। जब मैंने पत्र सेक्रेटरी के पास भेजा, मैंने कहा, देखिए, साहब, इस तरीके से काम कैसे होगा? ये ऐसे-ऐसे काम करते हैं, बेवकूफ बना देते हैं। अगर मैं देखने नहीं जाऊं तो बस वह काम तो हो गया दो लाख में। चलो, जयराम जी की। मैं ऐसे नहीं करती हूं मैं स्वयं मानिटरिंग करती हूं। आपके काम में शिथिलता आने का और काम देरी से होने का कारण यह है कि आपके

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

अधिकारियों की आप लोग कोई मानिटरिंग नहीं कर रहे हो। इसलिए काम के अन्दर तकलीफ आ रही है। छः-छः महीने, साल-साल भर तक हमारी सैंक्शन नहीं निकलती है। अगर मेरे जैसे बार-बार घूमने के बाद, जाने के बाद, कलक्टर साहब से मिलने के बाद, डिविजनल कमिश्नर से मिलूं, तब ये सैंक्शन निकालते हैं और काम होता है। तो ऐसे थोड़ी होता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं भी 1952 से पार्टी में काम कर रही हूं और मुझे भैरोंसिंह जी के राज में कभी काम में कोई तकलीफ नहीं आयी, वसुन्धरा जी के राज में भी कभी काम में तकलीफ नहीं आयी लेकिन हमें इन तीन सालों के अन्दर काम में ऐसी तकलीफ आ रही है। वह पैसा तो एम एल ए लैड का है। हमारी अनुशंसा पर भी आप नहीं काम करते हो, मत करो। अभी एक सड़क बनी, माननीय सभापति महोदय, सूरसागर के अन्दर। पी डब्ल्यू डी ने बनाई और पी डब्ल्यू डी ने प्रोमिज किया कि हम इसकी फुटपाथ बनायेंगे, वह करेंगे। कुछ भी नहीं किया, सड़क बना कर छोड़ दी, न वहां से मिट्टी हटाई। वहां के लोगों ने हजार-दो हजार रुपये खर्च करके मिट्टी हटवाई। हम ऐसे नहीं है मैं भी नहीं जाऊं तो मेरे को यह भी पता नहीं चले कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं हर जगह जाकर के सारी बात की जानकारी करती हूं, इसलिए मेरे को दर्द हो रहा है। ऐसे काम कैसे चलेगा? आप बतायें।

मैं आपको सही कह रही हूं कि बाई जी के तालाब, धनलाव तालाब, अगर मुख्य मंत्रीजी आप अपने क्षेत्र में करते हो तो हम आपके नहीं हैं क्या? हम भी जन प्रतिनिधि हैं, हमें भी जनता ने वोट दिया है, हम जीत कर आये हैं। आप कोई भी जगह जाइये, पार्कों की जमीन होती है, वहां पट्टा काट देते हैं कोई देखने वाला नहीं है। मैं इतना पत्र व्यवहार करती हूं मगर कोई भी देखने वाला नहीं है। पार्कों की जमीन में पट्टे काट देते हैं, रहवास के पट्टे। पार्कों की ऐसी हालत कि मैं आपको क्या बताऊं? जो कोई भी हाउसिंग बोर्ड का था, मैं उसको धन्यवाद दूं कि पार्क इतने बड़े-बड़े बनाये हैं सूरसागर में कि आपको क्या बताऊं, मगर सारे कचरे के ढेर हैं। मेरी तो जितनी क्षमता है, एम एल ए लैड का जितना मिलता है उसमें से मैंने कुछ पैसा खर्च करके काफी कुछ पार्क ठीक करवाये हैं। तो अब आप क्या बजट दे रहे हो? आप ऐसा टारगेट तो बनाओ कि हम इस तरीके से काम करके इतने विधान सभा क्षेत्र में ऐसे करेंगे जैसे अभी पहलवान साहब ने कहा कि आप लैपटाप दे रहे हो, तो आप एम एल ए को बता दो कि लैपटाप ऐसे जाएंगे तब तो काम होगा, नहीं

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

तो कोई काम होने का कोई सवाल ही नहीं। आपकी मानिटरिंग नहीं है इसलिए काम में तकलीफ आ रही है।

आज आप आकलिया से लेकर चौपासनी तक जाओ, सड़क की क्या हालत है। 8 महीने हो गये, सड़क में कभी थोड़ा काम किया, कभी सौ फिट किया, कभी पचास फिट किया। कोई देखने वाला नहीं। माननीय सभापति महोदय, दो मिनट। देवनगर वाली रोड जाओ, पाल लिंक रोड तो वह ही हाल है, नाले खुले पड़े हैं। नाले बना दिये नाले कचरों से भरे पड़े हैं, नहरें कचरों से भरी पड़ी है मैं ये सारी फोटो लाई हूं, आपको टेबल कर दूं भले ही। आप देखना इसमें एक-एक जगह। सभापति महोदय, मंत्रीजी बैठे हैं मैं यह चाहूंगी कि मंत्री चार आदमियों की कमेटी बनायें और कमेटी बना करके मेरे साथ चलें और मैं एक-एक जगह का उनको निरीक्षण करवाऊं तो इनको पता लगेगा कि कैसे काम हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, पैरा 127 में कम्प्यूटर शिक्षा के नाम पर आपने 4,310 विद्यालयों में कम्प्यूटर स्थापना का आंकड़ा दिया है। इस वर्ष में आपने किन-किन को कम्प्यूटर दिया और कौन-कौन सी जगह दिया, यह तो बताएं। कम से कम एरियावाइज तो हमें दो। आपने तो आंकड़ा दे दिया। आंकड़े से हमें क्या मतलब हुआ। आंकड़ों में तो मैं यह कह दूं कि मैं जोधपुर का किला लूंगी, मैं उम्मेद भवन ले लूं, उससे क्या हुआ? लेऊं कहां से? अब आपने विद्यालयों में लाइब्रेरी की है लेकिन पुस्तकालय चलाने के लिए कौन है? कौन करेगा?

जननी सुरक्षा योजना की आपने जो अभी बात कही है, अभी सामने वालों ने, तो यह तो वसुन्धरा जी के टाइम की है जननी सुरक्षा योजना। उसमें आपने क्या किया? आपने तो कुछ भी नहीं किया है। ये सारे जो कुछ काम थे, आप यह जानो कि एक की तारीफ करें और एक की बुराई करें, उससे कोई मतलब नहीं है। मगर जो किया है वह बताओ। मुख्य मंत्रीजी के अपने बजट भाषण के पैरा 6 को याद करो, आपने कहा था कि जल्दी ही रिफाइनरी प्रदेश को मिलेगी। कड़ी से कड़ी जोड़ने का नारा तो आपको याद होगा, पर क्या हुआ? तीन वर्ष की लम्बी अवधि के पश्चात् रिफाइनरी के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। इस बजट भाषण में भी केवल आश्वासन ही दिया है।

राज्य में स्थानीय स्तर पर विकास की जिम्मेदारी नगर निकायों की है परन्तु स्थिति क्या है कि हमारे गृह नगर जोधपुर में...

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जोधपुर विकास प्राधिकरण के पास गत तीन वर्ष से बजट नहीं था। अब बजट है तो पूरा यह आपके विधान सभा क्षेत्र सरदारपुरा में सम्मिलित है। बाकी कोई बजट नहीं है।

मैं आपसे यह मांग रखना चाहूंगी कि जो-जो मैंने बातें रखी है। इन बातों का आप जब कल अपना उत्तर दें तो उसमें जरूर लें नहीं तो हम आ गये हम बोल दिये आपने सुन लिया उससे तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। अब आप अभी नहीं करोगे, तो डेढ़ साल मत करो हमारा राज आने वाला है, हम करायेंगे फिर और तो क्या है? अभी आप नहीं कराओगे तो बाद में करायेंगे। मगर मेरी आपसे यह उम्मीद है कि आप करें। विशेष तौर पर सूरसागर और रूपावतों का बेरा और वहां की जो स्कूल है उसको क्रमोन्नत करें या कालेज वहां कहीं खोले ताकि उधर के बच्चे उधर जा सके।

मैं, माननीय सभापति महोदय, दस मिनट बोली हूं, दस मिनट से ज्यादा तो मैं बोली भी नहीं हूं। क्योंकि मैं जितनी स्टडी करके लाई हूं वह तो कोई भाषण दिये ही नहीं हैं। मैंने तो मेरी मुद्दे की बात कही है। मैंने सोचा कि मेरे तो ये सारे रह जाएंगे। तो मैंने मेरी बात तो कुछ ऐसी कही नहीं, फिर भी आपने घंटी बजा दी है तो मैं आपका आदर करते हुए मैं इस बजट की घोर निन्दा करती हूं और मैं चाहती हूं कि अगर आपको लैपटाप देना है तो मैं आपको सही बता रही हूं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जब मैं नीचे तबके के बच्चों को जमीन के ऊपर बैठकर पढ़ते हुए देखती हूं तो मेरा जी बड़ा दुःख पाता है। (व्यवधान) और पानी के लिए मैं एक मिनट, पानी की बात जरूर कहना चाहूंगी कि पानी तो आपने कर दिया मगर पानी आप प्रेशर से देओ, नहीं तो जनता में त्राहि-त्राहि मच जाएगी। हमारा लैड का भी पैसा लेते हो आप, फिर भी आप कुछ नहीं कराते हो। (व्यवधान) क्या है?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): आश्वासन।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगी कि माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, आज सड़कों के बारे में या जो कुछ मैंने यहां बात कहीं, उनके बारे में मेरे को आश्वासन जरूर दें, नहीं तो मेरे को 9 तारीख को यहां भूख-हड़ताल करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, मेरे को तो मरना ही है, आज नहीं तो कल सही। मैं यहां बैठ करके मरू तो मैं अमर हो जाऊंगी।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

मंत्रीजी मेरे को जवाब दें, नहीं तो मैं 9 तारीख को यहां भूख-हड़ताल पर बैठूंगी।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मंत्री महोदय, या तो आश्वासन दो, नहीं तो डेढ़ साल इंतजार करने के लिए कहो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मेरे को पता है, आप कितने काम करवाओगे। मैं काम नहीं करवाऊं, तो मैं कैसे जाऊं जनता के अन्दर?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मंत्री महोदय, या तो आश्वासन दो, नहीं तो डेढ़ साल इंतजार करने के लिए कहो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मैं सन् 1952 से पार्टी में काम कर रही हूं। मैं 1970 में म्युनिसिपेलिटी में मेंबर रही हूं, 1980 में म्युनिसिपेलिटी में मेंबर रही हूं। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मंत्री महोदय, या तो आश्वासन दें सूरसागर के लिए, नहीं तो डेढ़ साल इंतजार करने के लिए कहें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मेरे को जवाब दिलवायें। मैं आपको सही कह रही हूं कि मैं तो 9 तारीख को यहां पर भूख-हड़ताल पर बैठूंगी। मेरे को आप जवाब दिलवायें।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप विराजें तो सही।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं तो जवाब तो दिलवाओ आप।

श्री सभापति: आप विराजो तो सही।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): लो बैठ गयी, अब आप जवाब दिलवायें।

श्री सभापति: वैसे तो बजट जो सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया आप उस पर...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं-नहीं, साहब, मंत्रीजी सामने बैठे हैं, कुछ तो कहेंगे कि हां मैं इतना दे रहा हूं या ये कर रहा हूं। कुछ तो कहेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप विराजें तो सही।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं-नहीं, ये क्या बात हुई? हां, तो मैं बैठ गयी।

श्री सभापति: आसन को अपनी बात कहने का तो आप मौका दें। आपकी कृपा होगी, अगर आसन को आप अपनी बात कहने दें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं बैठ गयी।

श्री सभापति: मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि जिस बजट पर आप चर्चा कर रही हैं, अच्छा तो यह है कि इन सारी चर्चाओं के उपरांत जब कल मुख्य मंत्रीजी अपनी बात रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी बात की सम्पूर्ण जानकारी लेते हुए आपको भी आश्वस्त करेंगे। मेरे खयाल से एक मुख्य मंत्री के मुख से आश्वस्त होना आप ज्यादा पसंद करेंगी, बनिस्बत किसी मंत्री के।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, नहीं, मैं तो इनसे ही खुश हो जाऊंगी। मैं तो ये बोलेंगे तो भी खुश हो जाऊंगी।

श्री सभापति: धन्यवाद। अब आप विराज जाएं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं-नहीं, माननीय सभापति महोदय, मेरे को भले ये दो शब्द ही कहें। ये दो शब्द ही कहें मगर ये कहेंगे।

श्री सभापति: कृपा करके आप विराज जाएं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): कहेंगे, कहो आप। बोलो, आप कुछ तो बोलो।

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्या।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बात कर लेंगे अपन।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ऐसे क्या बात कर लोगे?

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, पाइंट आफ आर्डर पर आप।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): पाइंट आफ इन्फोर्मेशन पर बोलना चाहता हूं, साहब, मैं।

श्री सभापति: हां।

सूचना

बामनवास ग्राम, विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में संसाधन उपलब्धि के पश्चात् भी बोरिंग नहीं होने दिया जाना

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): थैंक यू। सभापित महोदय, मेरे खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में बामनवास एक ग्राम है, उसके अन्दर जलदाय विभाग ने एक सिंगल फेस बोरिंग सैंक्शन किया था, बलाइयों के मोहल्ले नीयर कुमावतों के मोहल्ले के अन्दर। उस बोरिंग के अन्दर, बलाइयों के मोहल्ले में

(श्री बंशीधर खण्डेला)

दो दफे बोरिंग हुआ, उसमें पानी फेल हो गया, पानी नहीं आया। तीसरा कुमावतों के मोहल्ले में बोरिंग कर रखा है और बोरिंग का 75 परसेंट काम हो गया। आज दस दिन से बोरिंग की मशीन वहां खड़ी है, वहां के स्थानीय सरपंच की हठधर्मिता के कारण बोरिंग नहीं हो रहा। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बलाइयों की बस्ती में पानी पिलाने के लिये उस मशीन को वहां चालू करवायें। यदि वहां अव्यवस्था होती है तो सरकार के द्वारा वहां व्यवस्था की जाये। हमारे माननीय प्रभारी मंत्रीजी उस समय कहकर आये थे लेकिन आज तक वह मशीन वहां खड़ी है और पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है। कृपया मशीन को चालू करायें।

श्री सभापति: सदन को आपने सूचित कर दिया है।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): थैंक्यू साहब।

श्री सभापति: श्री ओम प्रकाश जोशी।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री ओम जोशी (फलौदी): सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के बजट वर्ष 2012-13 एक ऐसे कुशल व्यक्तित्व और साधुता पूर्ण मस्तिष्क रखने वाले सदन के नेता और हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी की ओर से 26 तारीख को प्रस्तुत किया गया है। वह अशोक गहलोत जी जिनका राजनीति का स्वच्छ एवं सरल, लम्बा 35 वर्ष का कार्यकाल है और 35 वर्ष के कार्यकाल में निरन्तर उनके विचारों की वजह से, आम आदमी के प्रति उनकी सोच की वजह से वह विभिन्न पदों पर आसीन रहे। पूर्व में भी मुख्य मंत्री पद पर आसीन रहे और उस समय के कार्यकाल की राजस्थान की जनता ने भूरि-भूरि प्रशंसा की। उनके मन में आम आदमी के लिये भाव, मैं इन शब्दों के माध्यम से जो कि सनातन परम्परा में एक सोच देती है, उसका समस्त उसमें समावेश करते हुए

'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया,

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिद् दुःख भागभवेत्।'

यह जो सोच, यह जो भाव, जो एक सात्विक भाव है, इस भाव को मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट को प्रस्तुत किया है।

(श्री ओम जोशी)

उसी दृष्टिकोण के आधार पर चाहे युवा हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे कर्मचारीगण हो, चाहे हमारे ओबीसी के भाई हो, चाहे खेल और खिलाडी हों, चाहे छात्र हों, कोई ऐसा क्षेत्र अनछुआ नहीं रखा जिनको कि समय रहते अपना हक मिलना चाहिये, उन सभी को हक प्रदान करने की कोशिश की गई। मुझे यह कहते हुए अत्यन्त हर्ष है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये इस बजट को सभी क्षेत्रों में भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए सराहा गया। न केवल राजस्थान की जनता ने, बल्कि हमारे राजस्थान और देश के मीडिया ने, इलेक्ट्रोनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने अपने शब्दों के माध्यम से सभी प्रकार से परिपूर्ण बजट इंगित करते हुए इस बजट का उल्लेख किया है। मैं उन सभी भावों को नमन करता हूं।

हां, विपक्ष का एक रोल है, विपक्ष का एक सोच है, वह है आलोचना करने का। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि माननीय कटारिया साहब के उद्बोधन में भी सुंदर बजट, सुंदर छपाई, सभी बातें सुंदर कही गईं। मैं कवि बिल्हड़ की उक्ति को यहां पर निवेदन करना चाहता हूं । कश्मीर में वर्षों पहले संस्कृत के विद्वान बिल्हड़ हुए हैं, उन्होंने एक ऊंट की प्रकृति के संदर्भ में अपने भावों को संस्कृत के श्लोक के माध्यम से उद्दत किया है, वह मैं आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूं, कलोह नक कंटक: जाल मेव:। इसका आशय यह होता है, एक शानदार बग़ीचा है जिसमें सुगंधित फल, फूल और स्वादिष्ट फल लगे हैं लेकिन जब उष्ट उस बगीचे में प्रवेश करता है तो सदैव कांटा ढूंढने की कोशिश करता है और अपना मुंह कांटे में ही देता है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, चूंकि विपक्ष की भूमिका को निभाना है, उस भूमिका को निभाने के लिये उन्होंने इस बजट के संदर्भ में अपने भाव प्रस्तुत किये, विभिन्न सदस्यों ने अपने भाव प्रस्तुत किये लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया यह बजट अपने आप में पूर्ण बजट है, आम आदमी के कल्याण का बजट है, आम आदमी के भले का बजट है और आने वाले समय में शानदार निर्माण की नींव स्थापित करने वाला बजट साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।

इस बजट की योजना का आकार 21.8 प्रतिशत बड़ा प्रस्तावित हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, प्रस्तावित योजना हमारी 33,101 करोड़ की थी, उसके स्थान पर योजना आयोग ने 33,500 करोड़ की योजना को अनुमोदित किया जो कि हमारी सरकार के लिये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

(श्री ओम जोशी)

मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा हमारे माननीय सदस्यों ने विभिन्न आंकड़ों के द्वारा यह साबित करने की कोशिश की कि ऋण के माध्यम से राजस्थान के आम नागरिक पर कर्जा स्थापित करने की कोशिश की गई है और चार वाक्य का उदाहरण भी दिया ऋणं कृत्वा घृतम् पीवेत। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एफ आर बी एम एक्ट के तहत जो भी सीमाएं हमारी सरकार पर निर्धारित है इस बजट में उन सीमाओं की पूर्ण रूप से पालना की गई है। जिससे यह कहा जा सकता है कि वर्ष 2005-06 में जहां सकल घरेलू उत्पाद का 47 प्रतिशत था वह वर्तमान में 29 प्रतिशत ही रह गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस पूरे देश में ऐसी महती योजनाएं उद्घोषित कीं और क्रियान्वित कीं जो कि अपने आप में मील का पत्थर साबित हो गई हैं। आप और हम सभी यह जानते हैं कि मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना शायद विश्व की पहली योजना है जो कि अपने आप में एक अनूठी योजना साबित हो चुकी है। अभी कुछ समय पहले ही हमारे अल्पसंख्यक भाई उमराह हज के लिये गये थे और वहां सउदी अरब में हज के समय यात्रियों से आपस में चर्चा होती रहती है, तब मेरे क्षेत्र के भाइयों ने यह बात उल्लिखित की कि हमारा राज्य ऐसा राज्य है जहां पर किसी भी व्यक्ति के कोई भी बड़ी बीमारी होने पर उसको अस्पताल में जाने पर उसको नि:शुल्क दवा उपलब्ध होती है। तो उन सभी भाइयों ने जिनमें कि हमारे पड़ोसी देश के भी थे, उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि नहीं, यह सम्भव हो ही नहीं सकता लेकिन चूंकि यह सत्य था इस पर उन्होंने सुखद आश्चर्य व्यक्त करते हुए उस पवित्र जगह पर ईश्वर से प्रार्थना की कि यह सुविधा सभी देशों के शासक लागू करने का प्रयास करें। जब हम सोचते हैं कि एक गरीब आदमी अपने जवान बेटे को अस्पताल में ले जाता है और उसे 200, 400 रुपये की पर्ची थमा दी जाये और उसकी जेब में केवल 5 रुपये ही हों, वह मर्यादित व्यक्ति जाकर किसी से पैसे नहीं मांग सकता, किसी से जाकर उधार नहीं मांग सकता। आज मुख्य मंत्री महोदय ने एक अधिकार दे दिया है कि वह अपना इलाज अधिकारपूर्वक उस अस्पताल में जाकर करवायेगा और उस माता-पिता को अपने युवा बेटे की बीमारी का पूर्ण उपचार कराने का अधिकार प्राप्त होगा, मां को अपने बच्चे का पूर्ण उपचार कराने का अधिकार प्राप्त होगा।

(श्री ओम जोशी)

मां और बच्चा स्वस्थ रहें, इस दृष्टिकोण से मां जननी शिशु सुरक्षा योजना अपने आप में एक महत्वपूर्ण योजना दी जिसमें कि हर प्रकार की सुविधाएं एक जननी को दी गई हैं। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले हम सभी सदस्य जानते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जब प्रसव पीड़ा होती है तो एक आम आदमी को, एक आम महिला को कितनी बड़ी पीड़ा होती है। जब 60-70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर अस्पताल से दूर आदमी इस पीड़ा से पीड़ित होता है, तो समय पर अस्पताल पहुंचकर और जच्चा-बच्चा को सुरक्षित रूप से सभी सुविधाएं प्रदान की जायें, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यह नवरात्रि का समय है, यह पवित्र और पावन समय है, इस समय मैं यह कह सकता हूं कि उन हजारों-हजारों मांओं का आशीष माननीय मुख्य मंत्री को और राजस्थान की सरकार

(19.00 बजे)

को लग रहा है। मुख्य मंत्री निःशुल्क दवा योजना के साथ मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री सहायता कोष, अन्य कई ऐसी योजनाएं जो हमारे ऐसे लोगों के लिए जो बी पी एल के परिवार नहीं हैं, जो कम आय के लोग हैं, उन सभी को यह सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

निश्चित रूपेण क्रियान्विति की बात आई। हमारे विपक्ष के विद्वान माननीय सदस्यों ने क्रियान्विति के बारे में अपना भाव रखा, मैं भी इस बात से सहमत हूं। सरकार नियम बनाती है, सरकार अपना पूरा दृष्टिकोण रखती है, सरकार पैसे की व्यवस्था करती है लेकिन धरातल स्तर तक क्रियान्विति की जिम्मेदारी हमारी कार्यपालिका की है। निश्चित रूपेण हो सकता है कि क्रियान्विति में कोई न्यूनता रही हो, कोई छिद्र रहा हो उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता माननीय मुख्य मंत्रीजी ने महसूस की और उसी के तहत राजस्थान में अनूठा कानून लागू किया; राजस्थान लोक सेवा जो कानून दिया है, वह अपने आप में पूर्ण कानून है। उसके तहत हमारे राज्य कर्मी इस बात के लिए पाबंद हो जाते हैं, उनको सेवा देने के लिए बाध्य किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर, अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनके ऊपर दंड भी निर्धारित किया जाएगा। यह प्रावधान करना, क्रियान्विति को सुनिश्चित करने का सबसे बड़ा जरिया है। इसी दृष्टिकोण को रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान लोक सेवा गांरटी आयोग के भी गठन करने की घोषणा की है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जो क्रियान्विति के लेवल पर साबित होगी।

(श्री ओम जोशी)

अभी हमारे निर्दलीय विधायक जिस तरीके से नौटंकी कर रहे थे, जिस तरह से अटैची की बात कर रहे थे, उनको मर्यादित होकर यह सोचना चाहिये कि जिस पवित्र सदन में हम बैठे हैं, दो लाख के आस-पास की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है, हम सत्यता के आधार पर अपनी बात को रखें तो ज्यादा बेहतर होगा।

अन्य बातें हमारे माननीय सदस्यों ने विस्तार से बताई हैं, मैं ज्यादातर विषयों को यहां दोहराना नहीं चाहता, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में नई 24 तहसीलें लोकतंत्रीय प्रक्रिया और प्रशासन के विकेन्द्रीकरण के दृष्टिकोण से खोली हैं मैं उनका साधुवाद देना चाहता हूं। 34 उप-तहसील खोली है, वह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो 24 तहसीलें खोली हैं, उनमें मेरे विधान सभा क्षेत्र की बाप उप-तहसील को तहसील का दर्जा दिया गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का हार्दिक साधुवाद मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता की ओर से व्यक्त करना चाहता हूं।

इसके साथ ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी पहल की है और वह पहल सकारात्मक पहल है। जब हम प्रशासन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम प्रशासन को शहरों की गलियों में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय जिला स्तरीय व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह से जिलों का गठन है, उसमें नये जिले बनने की निरन्तर प्रबल सम्भावनाएं हैं और नये जिले बनाने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सोच को मद्देनजर रखते हुए पैरा नम्बर 216 में नये जिले गठन के लिए समिति गठित करने का जो फैसला किया है, वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। चूंकि यह फैसला मेरे क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस अवसर का उपयोग लेना चाहता हूं और अनुरोध करना चाहता हूं कि बरसों से फलौदी को जिला बनाने की मांग हम करते आ रहे हैं। हमारे राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे स्वतंत्रता सेनानी श्री बालकृष्ण जी थानवी ने समय रहते कई बार जिले के लिए आंदोलन किये और चाहे सरकार इधर से रही या उधर से रही, विभिन्न कारणों से फलौदी जिला घोषित नहीं हो पाया। तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी, बहनजी हमारी फलौदी गई थीं और वहां पर बालकृष्ण जी थानवी जो मरण शैय्या पर थे, उनके सिराहने बैठकर उनको इस बात का आश्वासन दिया था कि अगर राजस्थान में कोई जिला बनेगा तो फलौदी पहला जिला बनेगा। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख है कि कथनी और

(श्री ओम जोशी)

करनी में अंतर रखने वाले लोग कभी भी सकारात्मक सोच के साथ यह काम नहीं कर सकते; उन्होंने जिला बनाया लेकिन फलौदी को जिला नहीं बनाकर प्रतापगढ़ को जिला बनाया।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि फलौदी का जिला बनने का जो हक है, उसके पीछे निश्चित रूपेण आधार हैं। माननीय सभापति महोदय, फलौदी, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बालोतरा और नागौर के मध्य 160 किलोमीटर दूरी पर स्थित सभी प्रकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं से युक्त, बिजली, पानी और सड़क और अन्य सभी भौगोलिक दृष्टिकोणों से उपयुक्त स्थान है, जिला बनने के काबिल। फलौदी में एल.बेस स्टेशन स्थापित हो चुका है, एयर फोर्स स्टेशन फलौदी कुण्डल में 17 किलोमीटर दूर स्थापित हो चुका है; फलौदी में सौर ऊर्जा का सोलर पार्क मुख्यमंत्री जी ने घोषित कर दिया है, फलौदी में सीमांत दृष्टिकोण से। आप जानते हैं बीकानेर से लेकर जैसलमेर तक हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की सीमा लगती है और उस सीमा में बी ए डी पी का बजट आता है सीमांत जिलों के लिए; बीकानेर, जैसलमेर तक के जो क्षेत्र है वह 300 किलोमीटर पर स्थित है। यह आवश्यकता महसूस की जा रही है, केन्द्र सरकार में भी की जा रही है और माननीय अशोक जी गहलोत ने भी यह आवश्यकता महसूस की है कि 300 किलोमीटर के बीच 150 किलोमीटर के मध्य फलौदी को जिला बनाया जाए। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से हमारी क्षेत्र की जो जनता है, इसे जिला बनाने से करीब 11 लाख की जनसंख्या का क्षेत्र लाभान्वित होगा और मैं समझता हूं कि 2,200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इससे लाभन्वित होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र का बारूटेकरा, नूरे की भुर्ज भडला, ढूंगरी, रोहिणा और खिदरत गांव, जिला मुख्यालय वर्तमान में हमारा जोधपुर है, उससे 200 से 250 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक आम ग्रामीण, आम किसान अपनी समस्या को लेकर जोधपुर पहुंचेगा और उसको वह कितना महंगा पड़ेगा, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जिले को बनाने के लिए तीन साल में माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने जिस तरीके से कदम-दर-कदम हमें विभिन्न तोहफे दिये हैं, वे यह इंगित करते हैं कि हमारा अधिकार निश्चित रूपेण पूर्ण होगा।

(श्री ओम जोशी)

आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि फलौदी में एडिशनल एस.पी. का पद दिया। फलौदी में ए डी एम का पद दिया; फलौदी की कृषि मण्डी को मुख्य मण्डी में घोषित किया; फलौदी में अण्डरब्रिज दिया; फलौदी में सौर ऊर्जा का हब दिया। फलौदी में मेगा हाइवे जोधपुर वाया ओंसियां दिया और इसी बजट में फलौदी में वाया नागौर-कुचामन-जोबनेर होते हुए और एक मेगा हाइवे दिया जिससे हमारे जयपुर से फलौदी की दूरी करीब 80 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस मेगा हाइवे के बनने से हमारे जिले की मांग को और ज्यादा समर्थन मिलेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि लोहावट, पोकरण और फलौदी विधान सभा को सम्मिलित करते हुए, बीकानेर क्षेत्र के कुछ क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए फलौदी को सीमांत जिला बनाया जाए, यह मेरा आपसे सादर अनुरोध है।

इसके संबंध में जो भी विस्तृत विवरण है, वह समय रहते जो कमेटी गठित की गई है, उस कमेटी के समक्ष हम अपना दावा पेश करेंगे। लेकिन इस पवित्र सदन के माध्यम से मुझे जो आज अवसर मिला है, वह अवसर मैं खोना नहीं चाहता और आपके माध्यम से पुरजोर शब्दों में फलौदी की जनता की भावना को देखते हुए, हमारा स्वतंत्रता सेनानी क्षेत्र है, उस भावना को देखते हुए फलौदी को सीमांत जिला बनाने के लिए मैं सादर अनुरोध करता हूं, विनम्र अनुरोध करता हूं। जिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फलौदी को बहुत कुछ दिया है, मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि आने वाले समय में हमें फलौदी निश्चित रूपेण जिले के रूप में मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, सौर ऊर्जा का फलौदी क्षेत्र में विपुल भण्डार है। केन्द्र सरकार ने 873 मेगावाट की 72 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, उसमें फलौदी को बहुत बड़ा कार्य मिलेगा, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे बाप क्षेत्र में होगा। हमारे भडला को जो सोलर पार्क घोषित किया है, उसमें दस हजार एकड़ जमीन पर विभिन्न प्रकार की सोलर की इकाइयां स्थापित होगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक हजार एकड़ जमीन पर रीको इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करने की भावना भी प्रकट की है, उस वजह से उस औद्योगिक क्षेत्र को विकास की प्रबल सम्भावनाएं बढ़ी हैं।

मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहता हूं। निजी कम्पनियां हमारे क्षेत्र में आती हैं, निजी कम्पनियां अपना काम करती हैं

(श्री ओम जोशी)

लेकिन सरकार के साथ जब उनके एम.ओ.यूज. होते हैं तो सामाजिक सरोकार की कुछ व्यवस्थाएं निजी कम्पनियां पूरा करने के लिए वादा करती हैं। मैं आशा करता हूं कि इस सन्दर्भ में भी पारदर्शिता रखी जाकर हमारा जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, जहां पर ये निजी कम्पनियां काम करेंगी, वहां पर उन निजी कम्पनियों की ओर से उस गांव के विकास के लिये, पेयजल के विकास के लिये, सड़क के विकास के लिये, उस क्षेत्र में चिकित्सा के विकास के लिये अपना सामाजिक दायित्व निभाएंगी और एम.ओ.यू. में निर्धारित किये गये जो प्रावधान हैं, उसको निश्चित रूपेण पूरा करें।

माननीय सभापति महोदय, पेयजल की विभिन्न योजनाएं आपके समक्ष रखीं। चूंकि फलौदी क्षेत्र में बाप इलाका मेरा पेयजल के लिये बहुत ही पीड़ित क्षेत्र है, वहां पर खारा पानी है, मेरी एक विलम्बित योजना है कानसिंह की सिड, माननीय पेयजल मंत्रीजी विराजे हैं, मैं आग्रह करना चाहूंगा, मेरी एक योजना है, 36 करोड़ की योजना, कानसिंह की सिड, सोडा दड़ा की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना है, उस योजना को, जब कल माननीय मुख्य मंत्रीजी उत्तर दें तो निश्चित रूपेण उसको स्वीकार कराएंगे। एक और मलार, रिण और गोदड़ली की जो क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना है, वह 24 करोड़ की योजना है, उसको भी स्वीकृति प्रदान करें। इसके साथ-साथ फलौदी शहर की करीब 50 करोड़ की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना है, उसकी भी स्वीकृति के लिये मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से समय-समय पर मैंने आग्रह किया है।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्रावधान रखे हैं, जो कि पूरे राजस्थान को लाभान्वित करेंगे। इस सन्दर्भ में मांग करता हूं, आदरणीय तिवाड़ी साहब का ध्यान आकर्षित करते हुए भी मांग करना चाहता हूं कि तीन सौ संस्कृत स्कूल, क्योंकि इस बजट में संस्कृत के नाम पर एक भी पैराग्राफ नहीं है, मैं चाहता हूं कि तीन सौ संस्कृत स्कूल नये खुलने चाहिए और कम से कम सौ-सौ प्रवेशिका और मध्यमा स्कूलों को क्रमोन्नत किया जाना चाहिए ताकि संस्कृत शिक्षा को भी बढ़ावा मिल सके।

(श्री ओम जोशी)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि फलौदी में एक शानदार राजकीय विद्यालय भवन का भामाशाह के द्वारा निर्माण कराया गया। उसका उद्‌घाटन माननीय मुख्य मंत्रीजी के कर-कमलों से सम्पादित हुआ। फलौदी की जनता की एक ही मांग थी कि यह स्नातक राजकीय महाविद्यालय है, वहां पर पी.जी. कॉलेज घोषित हो। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमें आश्वस्त किया था कि राजस्थान में जब भी पी.जी. कालेज बनाये जाएंगे तो फलौदी को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बजट में पांच पी.जी. कालेज बनाने का प्रावधान रखा गया है, मैं आपके माध्यम से पुरजोर शब्दों में मांग करना चाहता हूं कि जो राजकीय महाविद्यालय फलौदी का है, उसको पी.जी. कालेज में क्रमोन्नत करने की सौगात प्रदान करें।

साथ ही जो चिकित्सा के क्षेत्र में पी.एच.सी. और सी.एच.सी. का जो प्रावधान रखा है, मान्यवर, मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, मेरे क्षेत्र की सदैव उपेक्षा रही है, लम्बे समय से हम राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़े हैं, स्थानीय प्रतिनिधि नहीं जीतने की वजह से हमारे क्षेत्र में कई ऐसे काम हैं जो लम्बित रहे हैं, इसलिये जो सौ पी.एच.सी. और 25 सी.एच.सी., इसके साथ ही तीन हजार सब-सेंटर जो चिकित्सा के क्षेत्र में खोले जाएंगे, इसमें समुचित रूप से जो वंचित क्षेत्र हमारा है, उसमें हमें केन्द्र मिलने चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में लूणा-चाकू, नेनठ और बेंग कला में पी.एच.सी. और फलौदी में सांवरीज क्षेत्र में सी.एच.सी. की स्थापना होनी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कमठा मजदूरों के लिये जो सहृदयता दिखाई है और उनको एक साल रजिस्ट्रेशन के होने पर जो साइकिल देने की घोषणा की है, वह अपने-आप में बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी।

सेवण घास, जो माननीय देवीसिंह जी भाटी, हमारे कोलायत क्षेत्र से सदस्य पधारते हैं, हमेशा वे सेवण घास की चर्चा करते हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सेवण घास का महत्व है। जैसलमेर विधान सभा क्षेत्र में भी इस सेवण घास का महत्व है। चार हजार हैक्टेयर में सेवण घास के उत्पादन को प्रोत्साहन देने का जो निर्णय किया गया है, वह अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा है। उसको लेकर जो गोड़ावण पक्षी है, वह गोडावण पक्षी जो विलुप्त प्राय: है, उस सन्दर्भ में जो बात कही गई है, वह पक्षी हमारे खारा में देखा गया है। इस सेवण घास की योजना से उस पक्षी को सुरक्षा मिलेगी।

(श्री ओम जोशी)

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक हजार नये विद्यालय और छह सौ मिडल स्कूल खोलने का प्रावधान रखा है लेकिन राजस्थान की आम जनता की मांग है, उच्च शिक्षा के लिये मांग है। माननीय मुख्य मंत्रीजी से अपेक्षा है कि हमारे दसवीं, माध्यमिक का क्रमोन्नयन और उच्च माध्यमिक शालाओं का क्रमोन्नयन, अधिकतम हमारे राजस्थान में करने की घोषणा की जाए। मैं समझता हूं, मेरे सभी माननीय सदस्य भाई भी मेरे इस सुझाव से सहमत होंगे।

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से करबद्ध अनुरोध करता हूं। (व्यवधान) आपसे एक निवेदन है, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सड़क के क्षेत्र में हम पीछे हैं। हमें पी.एम.जी.एस.वाई. की करीब 36 सड़कें मिली हैं। लेकिन फिर भी मेरा बहुत लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है जिसमें सड़क की सदैव कमी रही है। आप आश्चर्य करेंगे कि 21-21 किलोमीटर तक आदमी को पैदल चलने के लिये कोई सड़क की सुविधा नहीं है। डामर सड़क तो दूर रही, वहां पर ग्रेवल सड़क भी नहीं है। इसलिये मेरे 295 के तहत 180 किलोमीटर सड़क के लिये 36 करोड़ रुपये का प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है, सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। वह मेरी मांग वाजिब है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं कि फलौदी विधान सभा क्षेत्र, जो कि पिछड़ा क्षेत्र है, उसमें सड़क के निर्माण के लिये, सड़क सुविधा दिलाने के लिये एक विशेष पैकेज 36 करोड़ रुपये का 180 किलोमीटर सड़कों के लिये दिया जाना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे मंदिरों में और हमारी जो दरगाह हैं। वहां पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं करने के लिये यह प्रावधान इस बजट में रखा है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे मुख्य मंत्रीजी का। उन पर यह तोहमत लगाई जाती है कि ये तो केवल अल्प संख्यकों की बात करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वे समानता की बात करते हैं। उन्होंने अपने इन प्रावधानों में जैन समाज के मंदिर, हमारे शिव मंदिर, दरगाह, सभी के लिये जो आवश्यक जन सुविधाएं हैं, उनके लिये इसमें प्रावधान रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, मेरे फलौदी में दो ऐसे स्थान हैं जो कि इस सुविधा की अपेक्षा रखते हैं। एक, फलौदी शहर में मां लटियाल देवी का मंदिर है, जो शक्ति पीठ है, उस शक्ति पीठ के आस-पास क्षेत्र में सुविधाओं की आवश्यकता है। वह शहर के बीच में पुराना मंदिर, जो छह सौ साल पुराना

(श्री ओम जोशी)

मंदिर है, आज भी वहां पर अखण्ड ज्योत केशर की आज प्रवाहित हो रही है जो आप हम सभी जाकर देख सकते हैं। उस मंदिर के उद्धार के लिये, उसके पुनरुद्धार के लिये, उसके विकास के लिये आवश्यक राशि प्रदान कराई जानी चाहिए। साथ ही विश्नोई समाज के लोग मेरे विधान सभा क्षेत्र में वहां बड़ी संख्या में विराजते हैं और जाम्बा जो गांव है, जाम्बा ग्राम पंचायत मुख्यालय है, वहां पर जाम्भोलाव धाम करके मंदिर स्थापित है। उस जाम्भोलाव मंदिर का अपने पूरे देश में एक महत्व है, मुकाम और जाम्बा का महत्व है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि जाम्भोलाव मंदिर के लिये भी इसमें राशि प्रदान की जाए।

केवल एक-दो बिंदु ही हैं, एक-दो बिंदु मैं बोल दूंगा। पैरा नम्बर 189 में, प्राचीन जो इमारतें हैं, जो हमारे प्राचीन खण्डहर हैं,....

श्री सभापति: वैसे, सम्मानीय सदस्य, जब मांगें होंगी, तकरीबन आपके कई ऐसे मामले हैं जो मांगों के सन्दर्भ में हैं।

श्री ओम जोशी (फलौदी): एक ही है। शायद बोलने का मौका नहीं मिले, इसलिये आज मौका ले रहा हूं।

मेरा निवेदन यह है, हुकुम, कि प्राचीन महत्व के जो अनेक स्मारक हैं जिनके जीर्णोद्धार के लिये प्रावधान रखा गया है, मेरा फलौदी शहर का किला जो राव हमीर के समय का बना हुआ है, वह निरन्तर टूट रहा है और मरम्मत की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस किले की मरम्मत के लिये भी पूर्ण प्रावधान रखा जाए।

मैं अन्त में, चूंकि आपने समय की पाबन्दी रख दी है तो मैं अन्त में यजुर्वेद के एक मंत्र के साथ मेरी बात को समाप्त करना चाहता हूं। इस बजट में जो भाव है, जो हम लोग भाव रखते हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी भी भाव रखते हैं, उसमें यह भाव स्पष्ट है-

'विश्वानि देव सवित दुरतानि, परासुव यद्य भद्रम तन आसुव।'

सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, आनन्द इस राजस्थान प्रदेश को प्राप्त हों और इस राजस्थान प्रदेश के सब दुःख, सब पीड़ा माननीय मुख्य मंत्रीजी के हाथों हरण हों, इसी भाव को निवेदन करते हुए मैं पुनः आपके समक्ष यह अनुरोध करना चाहता हूं कि 21 हजार का संस्कृत युवा पुरस्कार जो राजस्थान सरकार ने दिया है, वह पूरे देश में अपने आप में एक अनूठी पहल है। मैं चाहता था

(श्री ओम जोशी)

कि ऐसी पहल तत्कालीन सरकारें करतीं, लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी के कर -कमलों से यह पहल हुई है।

चूंकि समय की न्यूनता है, अन्त में एक बहुत ही अहम सुझाव है जो आपके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूं। अग्नि पीड़ित होते हैं हमारे क्षेत्र में, जो रेगिस्तानी इलाका है, अग्नि पीड़ित होने से राहत नहीं मिलती। ढाणियां जल जाती हैं और जो राहत मिलती है वह भी नाम मात्र की होती है। इससे जो बेघर हुए लोग हैं, उनको काफी परेशानी होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अगर अग्नि पीड़ित को तत्काल सहायता एक पूरी दे तो ठीक, नहीं तो विधायक कोष से एक जो बेघर हुआ आदमी है, जो अग्नि पीड़ित से बेघर हो चुका है, उस आदमी को विधायक कोष से उस छप्पर को बनाने के लिए कम से कम 25 हजार रुपये की राशि देने का प्रावधान अगर इसमें रखना चाहिए जिससे कि उस पीड़ित आदमी को राहत मिल सके। मैं समझता हूं कि पूरा सदन इससे सहमत है।

विधायक कोष की राशि वर्तमान में कम है। जिस तरीके से हमारी जनता हमारे से मांग करती है, आप भी, माननीय सभापति महोदय, इस बात को जानते हैं, विधायक कोष की राशि हमें दुगनी करनी चाहिए ताकि हम हमारे क्षेत्र में पूरे विकास के कार्य करवा सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और एक अंतिम सुझाव, 'प्रशासन-शहरों-की ओर' का जो निर्णय लिया गया है, वास्तव में उसके लिए मुख्य मंत्रीजी साधुवाद के पात्र हैं। 'प्रशासन-गांवों-की ओर' का जो निर्णय लिया गया था, उसका बहुत बड़ा लाभ ग्रामीणों को मिला। मैं यह आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि 'प्रशासन-गांवों-की ओर' पहले जो अभियान चला था, वह अभियान पुनः वर्ष 2012-13 में एक बार पूरे राजस्थान में चलायें ताकि गांवों में प्रशासन जाकर वह बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है।

इन्हीं भावनाओं के साथ जो यह शानदार बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और तहेदिल से राजस्थान की जनता का दिल जीतने वाले बजट को मैं अपने यहां पर अनुपम बजट घोषित करता हूं और यही निवेदन करता हूं कि ईश्वर सदैव वर्षों तक माननीय मुख्य मंत्रीजी को ऐसे शानदार बजट पेश करने का मौका देता रहे। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती कमसा मेघवाल।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया। विधान सभा के अन्दर चौथी बार यह बजट पेश हो रहा है और बहुत ही बड़ा आकार बताया गया है। बजट है, पेज इसके हैं 97 और पैरा हैं 257 ।

सभी खड़े हो-होकर बहुत वाहवाही दे रहे हैं; पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, अपने मुखिया को बधाई देने की और धन्यवाद देने की होड़ लगी हुई है कि बहुत बड़ा बजट है लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि बहुत बड़ा तो वह होता है, 'बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर', इसके फल तो बहुत दूर हैं। इतना बड़ा बजट देकर आप खुश मत हो कि राजस्थान की जनता का भला हो जाएगा।

तीन साल बीत गये, कोई भी गांवों के अन्दर जाकर देख लो, किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। मुख्य मंत्रीजी ने जो नि:शुल्क दवाइयों की राजस्थान में पहल की है, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि नि:शुल्क दवाइयां मिल जाएंगी आम आदमी को और आम गरीब को तो उसका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा क्योंकि गरीब होता है, उसको बीमारी भी सबसे ज्यादा लगती है। गरीबी में भी बीमारी, गरीबी में आटा गीला होना ही होता है। तो जब गरीब आदमी हास्पिटल के अन्दर जाता है और वहां जाकर डाक्टर से दवाई लिखवाता है माननीय सभापति महोदय, तो दवाइयां भी आधी-अधूरी मिलती हैं। न ही उसका पूरा इलाज हो पाता है और वह गरीब बाहर बैठा रहता है डाक्टर के भी हाथ बंधे हुए हैं। यह तो वह वाली कहावत हो गयी कि अगर बच्चा रो रहा है और मां से गुड़ मांग रहा है कि मां, गुड़ दे दे, अगर घर में गुड़ नहीं है तो मां उस बच्चे को छज्जे के ऊपर बैठा देती है कि तू यहां पर बैठा रह। तो उसी तरह डाक्टर के भी सरकार ने हाथ बांध दिये। वे बाहर से दवाई लिखने में भी डरते हैं क्योंकि सरकार के आदेश ही ऐसे हैं कि नि:शुल्क दवाइयां देनी हैं। तो वे बाहर से दवाई भी नहीं लिख पाते हैं। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि अगर ऐसी योजना आपने लागू की है तो दवाइयां भी भरपूर होनी चाहिए, पूरी मात्रा में हास्पिटल के अन्दर दवाइयां होनी चाहिए कि उस गरीब के साथ खिलवाड़ नहीं हो।

दूसरा यह है कि 'जननी सुरक्षा योजना', यह पिछले कई सालों से चल रही है और अभी मुख्य मंत्रीजी ने इसका थोड़ा-सा नाम फेर-बदल किया है। नाम फेर-बदल करने से कुछ नहीं होता है। इसमें जो बी.पी.एल. की महिलाएं हैं, उनको पांच किलो घी देने की व्यवस्था की गयी है। लेकिन मैं

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

चाहती हूं कि महिलाओं के प्रसव हो, चाहे वह बी.पी.एल. की हो और चाहे न हो, सामान्य महिला हो, सबको ही पांच किलो घी मिले, मैं मुख्य मंत्रीजी से मांग करती हूं। वे इस बजट में यह भी घोषणा करें कि सभी महिलाओं को समान प्रक्रिया में पांच किलो घी की सुविधा मिलेगी।

राजीव गांधी सेवा केन्द्र पूरे राजस्थान के अन्दर बने हैं। सभी मुख्यालय पर, ग्राम पंचायत पर भी बने हैं और पंचायत समितियों पर भी बने हैं और उम्मीद यह है कि आने वाले समय में इसकी अच्छी पहल होगी। जैसा सब लोग आप भी कह रहे हैं, जो बन गये हैं वे काम ही आएंगे। लेकिन मैं यह चाहती हूं कि जो 'जननी सुरक्षा योजना' है, जो चली, चलने के बाद हास्पिटल में महिलाओं की इतनी भीड़ बढ़ गई। पहले प्रसव घर पर ही होता था लेकिन आजकल ऐसा हो गया कि दवाइयां, सब सुविधा हास्पिटल में हैं तो सब गरीब आदमी चाहता है कि हास्पिटल के अन्दर जाएं। तो प्रसव करवाने के लिए वहां पर कक्ष नहीं है। इतनी भीड़ रहती है, माननीय सभापति महोदय, एक कमरे के अन्दर 25-30 महिलाएं इतनी लेटी रहती हैं। मैं कई बार हास्पिटल के अन्दर जाती हूं और देखती हूं तो बड़ा दुख होता है कि महिलाओं को लेटने के लिए, देखने के लिए जगह नहीं है। तो सरकार ने जैसे यह राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर पैसे खर्च किये हैं वे तो काम आएंगे, पता नहीं, कब, बड़े गर्व की बात है लेकिन यह जननी सुरक्षा के तहत यह शिशु गृह हर हास्पिटल में, हर ग्राम पंचायत में जहां पर पी.एच.सी., बड़ा हास्पिटल है, वहां बनाने का कष्ट करें। इस बजट के अन्दर यह भी प्रावधान होना चाहिए कि महिलाओं को हास्पिटल में आने के बाद किसी तरह की दुविधा नहीं हो, किसी तरह की परेशानी नहीं हो। वह सीधे-सीधे अपना प्रसव, अन्दर जाकर आराम से लेट सकें, यह ऐसी सुविधाएं करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि शिक्षा के मामले में अभी बजट में भी घोषणा की है कि गांव की बालिकाएं पढ़ेंगी। एस.सी., एस.टी. के बच्चे पढ़कर शहर की तरफ आएंगे तो वहां पर अच्छी कालेजेज मिल जाएंगी, लेकिन माननीय सभापति महोदय, गांव के अन्दर जाकर देखो, एक स्कूल के अन्दर एक या दो टीचर ही है। वहां वह उनकी अगर नींव ही कमजोर हुई तो वे शहर तक कैसे पहुंच पाएंगे? गांवों के अन्दर शिक्षकों की इतनी बड़ी कमी है कि जो एक-एक, दो-दो टीचर लगे हुए हैं, उनको भी राज्य सरकार ने जो भी सरकार की छोटी-मोटी गिनती करने की

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

योजनाएं हैं, चाहे किसी तरह की हों, तो सीधे ही टीचरों के ऊपर आती हैं और उनको भेज दिया जाता है। तो गांव के बच्चे हर टाइम देखते हैं और मां और बाप तो सोचते हैं कि बच्चे स्कूल चले गये लेकिन वहां पर जाने के बाद शिक्षक के अभाव में उन बच्चों को शिक्षा ग्रहण नहीं हो पाती है। तो यह जो बार-बार सरकार की तरफ से आदेश निकलते हैं और उन मास्टरों को, जो सारी सरकारी योजनाओं को लेकर उन टीचरों को भेज देते हैं तो सरकार को चाहिए कि पहले ही स्कूलों में मास्टरों की कमी है, टीचरों की कमी है तो उनके ऊपर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थोपें कि उस स्कूल में टीचरों की कमी हो जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि पिछली बार हर विधायक को पांच-पांच, आठ-आठ, पहले तो सोलह किलोमीटर सड़कें मांगीं और फिर दी हमें पांच किलोमीटर ही। लेकिन इस बजट में मैं चाहती हूं कि ऐसा नहीं हो, हर विधायक को सड़क मिलनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, पिछली बार जैसा आपने कहा था कि हर विधायक को आठ किलोमीटर सड़क मिलेगी तो मैं अबकी बार यह चाहती हूं कि हर एम.एल.ए. को 25 या 30 किलोमीटर सड़क दें। यह इस बजट में जब मुख्य मंत्रीजी अपनी रिप्लाई दें तो जरूर घोषणा करें कि हर विधायक को 25 या 30 किलोमीटर सड़क जरूर मिलेगी। तो हर विधान सभा क्षेत्र टच हो जाएगा, नहीं तो ये चले जाएंगे अपने मुख्य मंत्रीजी के पास और दूसरे बैठे ही रह जाएंगे। तो यह एक अनिवार्य हो जाना चाहिए कि सभी विधायकों को बराबर सड़क मिले।

माननीय सभापति महोदय, गांवों के अन्दर देखा है कि सड़कें बहुत खराब हैं। अभी मुख्य मंत्रीजी गांवों के अन्दर आये हुए थे 'प्रशासन-गांवों-के संग' के समय, तो उस टाइम भी मैंने मुख्य मंत्रीजी से कहा था कि यह भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र है, वैसे तो पूरे राजस्थान की सड़कें टूटी हुई हैं लेकिन भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की हालत इतनी खराब है और भोपालगढ़ जोधपुर जिले में ही आता है। तो मैं यह कहना चाहती हूं कि सड़कों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि गांव का आदमी सड़कों के ऊपर चलने की स्थिति में ही नहीं है। पता ही नहीं चलता है कि यह सड़क है या गड्ढा है, इतनी खराब हो रखी हैं सड़कें और पेच-वर्क भी नहीं हुआ है। पिछले दो-तीन साल से मैंने देखा है कि पेच-वर्क के पैसे भी राज्य सरकार से उपलब्ध नहीं हुए हैं। जो थोड़े-बहुत हुए हैं तो आगेआगे पेच वर्क हुआ है और पीछे-पीछे

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

उखड़ता गया है। तो ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जो भी काम हो वह अच्छा हो।

माननीय सभापति महोदय, भोपालगढ़ क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत है, वसुन्धराजी के टाइम में वहां पर कालेज खुल गई थी, लेकिन वहां पर अभी बच्चियों के लिए छात्रावास नहीं है। तो गांवों की बच्चियां अगर गांवों में पढ़कर कालेज जाए तो कालेज में रहने की सुविधा नहीं है। वे सुबह अगर कालेज में आती है और शाम को घर पहुंचते-पहुंचते उनको देर हो जाती है तो मैं चाहती हूं भोपालगढ़ ग्राम पंचायत में जो कालेज खुली है वसुन्धराजी की टाइम में, उसमें एक बालिका हास्टल खोल दिया जाए तो बच्चियों के लिए सुविधा हो जाएगी। वे अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकें, घर पर नहीं बैठ सकें, मैं यह भी मांग करती हूं।

मैं यह भी चाहती हूं कि पंचायती राज में वसुन्धराजी ने महिलाओं को पचास परसेंट आरक्षण दिया था, महिलाएं सरपंच, जिला परिषद की सदस्य, जिला प्रमुख और प्रधान तो बन गईं। लेकिन अभी थोड़ा उनमें, वे पिछली बार जो पुरानी महिलाएं हैं, जो शिक्षा के अभाव में पढ़ नहीं पाई थीं, लेकिन अब आगे के लिये ऐसा नहीं हो कि महिलाएं अनपढ़ रह जायें, बच्चियां अनपढ़ रह जायें। तो हर ग्राम पंचायत के अन्दर 12वीं की स्कूल बच्चियों के लिये अलग होनी चाहिये जिससे गांव की बच्चियां पढ़-लिखकर आगे आयें और विकास के अन्दर भागीदारी बन सकें, मैं यह भी चाहती हूं।

सभापति महोदय, नरेगा एक ऐसी योजना है, करेगा जो भी मरेगा और नहीं करेगा वह भी मरेगा। नरेगा के अन्दर पिछली बार भी मुख्य मंत्री महोदय ने जो श्मशान घाट की चारदीवारी थी, उसके लिये सहभागिता योजना लागू की थी, 10 प्रतिशत राशि अगर गांव के लोग जमा करवा दें तो 90 प्रतिशत राज्य सरकार देती थी! अभी एक साल से ग्राम पंचायतों द्वारा जिला परिषदों के अन्दर किसी ने एक लाख रुपये जमा करवाये, किसी ने डेढ़ लाख रुपये जमा करवाये, किसी ने दो लाख रुपये जमा करवाये, एक साल से वह पूरा पैसा जमा है लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ एक या दो ग्राम पंचायत को ही पैसा मिला है। उन सरंपचों के पास एक साल से पैसा जमा करवा रखा है और अभी तक श्मशान घाट की जो चारदीवारी का पैसा है, वह नहीं मिला। इस बजट में जरूर बढ़ाया है, लेकिन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर ये योजनाएं लागू नहीं होती हैं तो ऐसी योजनाओं को नहीं चलाया जाना चाहिये।

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

क्योंकि एक-एक साल से सरपंच लोग पैसे जमा करवाये, उनका ब्याज भी लगता है और गांव के लोग भी परेशान करते हैं कि पैसे जमा करवाये हुए हैं, क्या हुआ? ऐसी योजनाएं लागू करने से पहले सोच लेना चाहिये कि आगे इसका आकार क्या होगा, चलेगी कि नहीं चलेगी, यह भी एक बार देख लेना चाहिये। शमशान घाट तक जाने वाला मार्ग गांव के अन्दर खराब है। बारिश के अन्दर तो लोग चल भी नहीं पाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे जोधपुर के प्रभारी मंत्री पारीक साहब को भी घेर लिया था शमशान घाट का वहां रास्ता खराब था। ये भी कहीं गये थे। मैं यह चाहती हूं कि शमशान घाट राजस्थान के चाहे किसी कोने में हों, सभी जगह शमशान तक जाने का रास्ता सही हो, वह प्राथमिकता से पूरा हो। अगर नरेगा के अन्दर पैसा देना ही है तो श्मशान घाट की चारदीवारी और शमशान घाट तक जाने के लिये सड़क का निर्माण अच्छी तरह से होना चाहिये।

गांवों के अन्दर जो मास्टर प्लान बना था, तो गांवों के अन्दर लोगों ने अपने-अपने तरीके से लोगों ने जिला परिषद को प्रस्ताव भेजा कि फलाने घर से उस घर तक सी.सी. रोड, तो राज्य सरकार द्वारा वहां पता नहीं, क्या कमी रही, उसकी सैंक्शन निकली मात्र ढाई मीटर। अगर साइड में जगह रहती है तो कलक्टरों के पास में ऐसे आदेश हैं मुड डाल दो। सभापति महोदय, यह भी बहुत गलत है। अगर गांव में ढाई मीटर की सड़क बनेगी तो साइडों के अन्दर जो घर बसे हुए हैं, वे आगे आयेंगे, अतिक्रमण होगा। एक तरफ तो कहते हैं, अतिक्रमण हटाओ, गलियां चौड़ी होनी चाहिये, लेकिन दूसरी तरफ अगर ढाई मीटर में ही वह सी.सी.रोड बनी है तो फिर साइड वाली जगह छूट जायेगी। मैं यह भी चाहती हूं, जितनी सड़क गांव की है, जितना गांव का प्लान है, जैसे वह सरपंच चाहे, उस गांव के अन्दर जितना भी एरिया है, वह उस आधार पर ही सैंक्शन होनी चाहिये। ऐसा जिला कलक्टर को आदेश दे देना चाहिये। आप चाहे काम थोड़ा ही करो, लेकिन वह काम पूरा होना चाहिये।

सभापति महोदय, आज शहरों के अन्दर देखो, 24 घंटे शहरों के अन्दर बिजली रहती है और गांव के अन्दर, गांव का आदमी ढाणी और कस्बों में 25-30 सालों से बसा हुआ है, उसका बच्चा आज भी अंधेरे में बैठा है, क्योंकि राज्य सरकार ने ऐसा आदेश निकाल दिया है कि कृषि भूमि पर घरेलू कनेक्शन नहीं होगा। सभापति महोदय, यह भी एक बहुत गलत आदेश हुआ है। क्योंकि उन गांव, ढाणी के अन्दर घर बसे हुए हैं और वहां बिजली नहीं है

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

तो वहां का बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा? कैसे आगे पढ़ाई करके शहर तक पहुंच पायेगा? सरकार को ऐसे आदेश को हटा देना चाहिये। घरेलू कनेक्शन कृषि भूमि पर हों। अगर वह 20-25 साल से रह रहे हैं तो उनको घरेलू कनेक्शन मिलना चाहिये। अगर आज वह गांव का बच्चा पानी और बिजली के लिये तरस रहा है तो आप इतनी बड़ी-बड़ी योजनाएं बना-बनाकर क्या करोगे? जितनी बड़ी योजनाएं बनती जा रही हैं, उतना गांव और गरीब नीचे दबता ही जा रहा है। पता नहीं, यह कब ऐसा होगा कि आज गांव पूरा सही होगा।

आज 65 साल हो गये, सिर्फ दो बार बी जे पी का राज आया और लोगों को पता चल गया, विकास कैसे होता है और विकास किसको कहते हैं। पांच साल वसुन्धराजी रहीं तो आपने भी देखा कि पिछली बार कहते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, एक चीज तो यह भूल गये यह कहना कि अब हमारे पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है। अब तो यह कह रहे हैं कि पैसा खूब है, हमारे पास खूब पैसा है क्योंकि इनको पता चल गया कि राज कैसे करते हैं, वह मैडम को देखकर सीख गये। अभी देखा कि ग्राम पंचायतों में, राजस्थान में सब जगह, केन्द्र में कांग्रेस का राज है, कड़ी से कड़ी जुड गयी है, फिर भी आज हर विधायक, उधर से भी जो खड़े होते हैं, वह भी मांग करते हैं और हम भी मांग करते हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं पैसों की कमी है। अब मैं देखती हूं कि मामा रो ब्याह और मां पुरसने वाली। अगर अब कमी रह गयी तो फिर राजस्थान में कभी विकास होने का तो सोच नहीं सकते, क्योंकि केन्द्र और राज्य और नीचे ग्राम पंचायत तक पूरी कड़िया जुडी हैं और अगर अब पीछे रह गये तो बहुत पछताने वाली बात हो जायेगी। वह तो वह लोग हैं जो अंधा आदमी चला और मंदिर में चला, इस कोने से रवाना हुआ और उस कोने तक आया और जैसे ही गेट आया तो सिर में खाज हो गयी और गेट पीछे रह गये और आगे चले गये। मैं यह कहना चाहती हूं कि ऐसा नहीं हो कि अब फिर पछताना पड़े। जो भी खड़ा होता है, वह यही कहता है कि हमारा राज वापस आयेगा, राज वापस आयेगा। तो आपको काहे की इतनी चिन्ता; अगर राज वापस आयेगा तो आयेगा। इतने क्यों डर रहे हैं? इतने एलान करके क्यों कह रहे हो कि राज आयेगा? वह तो समय बतायेगा कि किसका राज आयेगा और कैसे आयेगा।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। हास्पिटल के अन्दर डाक्टर नहीं हैं, कहीं भी चले

(श्रीमती कमसा मेघवाल)

जाओ गांवों के अन्दर। इतनी परेशानी हो रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब भी हम वहां से आते हैं तो पहले तो हम सोचते थे कि विधान सभा में जाने के बाद सब समस्याओं का हल हो जाता है, लेकिन यहां आकर तो देखा कि इधर से कहते तो अलग बात है, लेकिन उधर से मीठे-मीठे दाम देते हैं। मारवाड़ी में कहते हैं न मीठे-मीठे दाम-दाम, पहले तो वाहवाही और फिर अपनी पूरी मांग की लिस्ट रखते हैं कि हमारे यह कमी है, हमारे वह कमी है। सभापति महोदय, मैं यह चाहती हूं कि विकास हो और अच्छी तरह से विकास हो, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिये। फिर इनको पछताने का भी समय नहीं मिलेगा।

सभापति महोदय, भोपालगढ़ क्षेत्र में पानी की व्यवस्था है। वसुन्धरा के टाइम में वह योजना बना दी गयी थी, लेकिन अब तक तीन साल हो गये, कछुए की चाल की तरह वह योजना चल रही है। मैं यह चाहती हूं कि मेरे भोपालगढ़ क्षेत्र में पानी की जो योजना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा बजट देकर अभी गर्मी के दिनों में गांव तक पानी पहुंच जाये, कोई भी ढाणी पानी से वंचित नहीं रहे। पी एच ई डी मंत्री विराजमान हैं, इनसे मेरा अनुरोध है कि भोपालगढ़ की जनता के साथ न्याय करे और ज्यादा से ज्यादा बजट देकर जो भी पी एच ई डी की योजनाएं हैं, वे जल्दी पूरी हो जायें, मैं यह भी चाहती हूं।

सभापति महोदय, गांव के अन्दर जो बच्चियां हैं, नरेगा में पहले जो बच्चियां जाती थीं 100 दिन काम करने के लिये, उनके लिये मैडम ने एक स्कीम बनाई थी कि जो महिलाएं 100 दिन पूरे कर लेंगी, उनको ड्रेस मिलेगी। वे तो महिला थीं इसलिये कर दी, लेकिन अशोकजी गहलोत, मुख्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि महिलाओं के लिये वह योजना वापस लागू करें; उनको जो ड्रेस मिलती थी, वह ड्रेस मिले।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पदमाराम।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ा दिया जाए?

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे बढ़ाया गया।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री पदमाराम (चौहटन): सभापति महोदय, 26 मार्च, 2012 को राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोतजी साहब द्वारा राजस्थान सरकार का चौथा बजट सदन में पेश किया गया। आज तीन दिन हो गये पक्ष और विपक्ष द्वारा बजट पर बहस हो रही है। जब माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा बजट पेश किया, उसी दिन प्रतिपक्ष के वरिष्ठ माननीय सदस्यों द्वारा यह चर्चा की गयी कि यह बजट चुनावी बजट है; इस बजट में हमने जो घोषणाएं की थीं, उसी का वर्णन किया गया है। प्रतिपक्ष की माननीय नेता साहिबा ने यहां तक कह दिया कि इस बजट के अन्दर, तीन साल के कारनामों की लीपापोती करने के लिये यह बजट पेश किया गया है। इससे विदित होता है कि लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उससे राजस्थान विकास की ओर अग्रसर होगा; उसके अन्दर जो योजनाएं और नीतियां हैं, वे विकास दर्शाती हैं। सभापति महोदय, लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा हर समाज का, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए बजट में प्रावधान किया गया है।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तो उनके और आसन के बीच में नहीं आयें।

श्री पदमाराम (चौहटन): सभापति महोदय, माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी द्वारा सभी वर्गों का अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ बी सी, एस बी सी, किसान, विद्यार्थी, उद्योगपति, व्यापारी सभी का ध्यान रखते हुए इस बजट में प्रावधान किया गया है जिससे कि राजस्थान का विकास हो। राजस्थान का हर नागरिक खुश हो, भारत के अन्दर राजस्थान का नाम रोशन हो।

सभापति महोदय, हम सुन रहे हैं कि तीन सालों के अन्दर के बजट की घोषणाएं जो हुई हैं, वे थोथी हुई हैं। धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ है, गांवों के अन्दर जांकर देखो, कुछ नहीं हुआ है। कोई कुछ कह रहा है। कोई फरमा रहा है कि ये आंकड़े गलत हैं, आंकड़ों का मायाजाल है, कोई कहता है कि कोई काम हुआ ही नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय

(श्री पदमाराम)

मुख्य मंत्रीजी ने जिस दिन से शासन संभाला, उसी दिन से लगाकर आज दिन तक जिन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की हैं, उनकी हर गांव के अन्दर, हर जगह, हर गली में चर्चा होती है, उनकी प्रशंसा होती है। हर गरीब सुखी है, हर व्यापारी सुखी है, विकास करने वाला हर आदमी सुखी है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उनकी सोच है, उनकी भावना है कि राजस्थान का विकास कैसे हो।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना की चर्चा हुई, हर माननीय सदस्य द्वारा इसका विरोध किया गया। अगर योजना बहुत अच्छी है तो फिर क्या कमी रह गयी? दवाइयां कम मिलती हैं। जो योजना चालू होती है, बच्चा मां के पेट से जन्म लेते ही मोट्यार नहीं होता है, वह जवान नहीं हो जायेगा। वह भारत का नागरिक नहीं बन जायेगा; योजना का क्रियान्वयन तो हो रहा है और अभी जो योजनाएं चल रही हैं, आम गरीब के लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं। अस्पताल में जब गरीब आदमी जाता है, उसके जेब में पैसे नहीं होते हैं, वह आराम से दवाई लेकर घर पहुंचता है। उसका बच्चा ठीक हो जाता है, उसकी बीबी ठीक हो जाती है। उसकी मां ठीक हो जाती है। वे हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हमेशा राजस्थान का मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत हो।

मेरा निवेदन है कि इस बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दो सौ करोड़ की जगह तीन सौ करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। उनकी सोच है कि जो दवाइयां हास्पिटल में नहीं मिल रही हैं, उनको उनके लिए बाहर स्टोर पर जाना पड़ता है। उसका समाधान करने के लिए यह तीन सौ करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। मेरी तो यह सोच है कि जो माननीय सदस्य नि:शुल्क दवा योजना का विरोध कर रहे हैं, या तो उनका मेडिकल स्टोर होगा या कोई बड़ी कम्पनी होगी। वरना तो ऐसी शानदार योजना का विरोध नहीं किया जाए।

कल माननीय डाक्टर साहब फरमा रहे थे कि यह योजना अच्छी है, परन्तु मैं भरतपुर के हास्पिटल में गया तो वहां 177 दवाइयां मिलीं। 177 दवाइयां। जो बीमार आता है, उनको सब दवाइयां एक साथ नहीं दी जाती हैं। जब आपका राज था, डाक्टर साहब स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने यदि ऐसी योजना लागू की होती, यदि वे गरीबों के लिए ऐसी योजना लागू करते, उन गरीबों की भावना सुनते तो आज उनको उधर नहीं बैठना पडता।

मेरा निवेदन है, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी की भावना है कि ग्राम में रहने वाले, ढाणी में रहने वाले एक आम गरीब को सुविधा किस प्रकार

(श्री पदमाराम)

पहुंचे, इसलिए उन्होंने सौ पी एच सी का प्रावधान किया, 35 सी एच सी का प्रावधान किया, 29 सौ डाक्टर्स लगाये, तीन हजार उप-स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रावधान किया। एन आर एच एम में 2100 का मेडिकल स्टाफ लगाया जाएगा। उनकी सोच है कि एक गरीब, मजदूरी करने वाला; पूंजीपति लोगों को तो परवाह नहीं है, वे अहमदाबाद चले जाएंगे, बाम्बे भी चले जाएंगे, बड़े हास्पिटल में भी चले जाएंगे परन्तु यह गरीब जो गांव में रहने वाला है जिसके बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, बच्चे का पालन-पोषण करने के लिए उसको पैसे की जरूरत होती है, उसके लिए यह योजना बहुत लाभकारी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने जो पी एच सी का प्रावधान रखा है, ग्रामीण इलाकों के अन्दर दूर दराज के इलाकों में, बहुत दूरी पर जो लोग रहते हैं, उन्हीं स्थानों पर ये संस्थान खोलें। वहां पी एच सी खोलें और गरीब जनता को आप सौगात दें, तो जनता आपको हर जगह याद करेगी।

एक और मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री आवास योजना, इस योजना के अन्दर एक बी पी एल परिवार का आदमी है, उसका बीस सालों में कभी नम्बर आता है और जो बी पी एल की सूची आती है, 2001 के अन्दर सर्वे हुआ था परन्तु उसका अनुमोदन आपके राज में 2004 में हुआ, उसके अन्दर आपने भाई-भतीजावाद पैदा किया, जो बहुत बड़े पूंजीपति लोग थे, उनको चयनित कर दिया; गरीब आदमी को आपने वंचित रख दिया। इसलिए आपको अहसास हो रहा है कि पचास हजार से क्या होता है। जो गरीब है, उसको रहने के लिए छपरा ही नहीं है। उनके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दस लाख मकान बनाने की जो घोषणा की है, वह बहुत सराहनीय कदम है। एक गरीब आदमी है। वह मजदूरी करके सौ रुपये-दो सौ रुपये लाकर अपने परिवार का भरण-पोषण मुश्किल से करता है, उसके लिए यह सौगात है। उनके बच्चों को रहने के लिए, बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में अपना सिर ढकने के लिए उनके लिए मकान बनाने की योजना मुख्य मंत्रीजी ने लागू की है, यह बहुत अच्छी योजना है। हर गांव के अन्दर, गरीब के अन्दर यह चर्चा है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो यह योजना चालू की है, गरीब के लिए, किसान के लिए एक सौगात है।

दूसरा मेरा निवेदन है, मातृ जननी सुरक्षा योजना। माननीय डाक्टर साहब फरमा रहे थे कि योजना हमने लागू की। हम मानते हैं कि आपने लागू की, आपके समय की बात थी परन्तु इस योजना के अन्दर जो अस्पताल में

(श्री पदमाराम)

डिलिवरी कराने के लिए मां बहन जाती थीं, उसको हजार रुपये मिलते थे, उसमें से कमीशन देना पड़ता था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस योजना के अन्दर उस मां को, बहन को घर से हास्पिटल तक और हास्पिटल से वापस घर तक उनके इलाज का पैसा पूरा फ्री किया। यह बहुत सराहनीय कदम है। उनके खून की व्यवस्था की है, इसके साथ-साथ उस बच्चे को एक महीने तक दवाई की फ्री व्यवस्था की है और उस माता और बहन को हास्पिटल में खाने की व्यवस्था की है। माननीय मुख्य मंत्रीजी को हम बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि गांव के गरीब, किसान, मजदूर और एससी, एसटी के लोगों को बहुत फायदा हुआ है। पूंजीपतियों को फायदा होने का सवाल ही नहीं है क्योंकि वह तो गरीब हास्पीटल के अन्दर जाना पसन्द ही नहीं करते हैं। वे एसी में रहना चाहते हैं। उनके घर पर डाक्टर आ सकते हैं, गरीब के घर कोई नहीं आ सकता है।

इस कारण से यह कह रहे हैं कि हमने लागू कर दी। आपकी भावना है, आपने चाहा है। जो योजना अच्छी होती है, उसके लिए तो कह देते हो कि हमने चालू की है और जो खराब होती है उसके लिए कहते हैं कि यह कांग्रेस ने लागू की है। यह आपकी हमेशा की भावना है। आप हमेशा रोड के ऊपर शो करने वाले हो, दिखावा करने वाले हो; करते कुछ नहीं हो, कहते बहुत हो। यह आपकी भावना रही है।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ग्रामीण सड़क योजना की सौगात दी है। कल विपक्ष के माननीय वरिष्ठ सदस्य फरमा रहे थे कि यह योजना हमारे समय में लागू की गई थी, यह भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी ने लागू की थी। हम मानते हैं कि वाजपेयीजी ने लागू की। आपके समय में आपने यदि सड़कों की व्यवस्था कर दी होती तो 2,900 गांव कैसे वंचित रह गये? आपने जरूर व्यवस्था की होगी। आपका जो हितैषी होगा, आपका मेन कार्यकर्ता होगा, जहां एक भी ढाणी होगी; वहां आपने सड़क ले जाकर बना दी होगी। ऐसा मामला हमारे क्षेत्र में है। हमारे एक गांव के अन्दर एस सी के लोग छह महीने तक सड़कों के अन्दर पड़े रहे, लुगाइयों ने 6 महीने तक, औरतों ने सड़कों के ऊपर हड़तालें कीं, भूख-हड़तालें कीं परन्तु आपका राज था, नहीं चला। हमारे क्षेत्र के एम.पी. साहब ने मेहनत की परन्तु आपकी चली। हमारे एक कार्यकर्ता ने एक जगह, एक साइड के अन्दर दस रोड चला दीं परन्तु एक एस.सी. का गांव

(श्री पदमाराम)

रोड से नहीं जुड़ा। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी की यह भावना है कि सब को समानता का अधिकार मिले, सब को समानता मिले। हम किसी से सौतेला व्यवहार नहीं करते हैं, हम सब को समानता देते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 1,400 करोड़ का प्रावधान रखा, हर एम.एल.ए. को सात करोड़ रुपये दिये, मिसिंग लिंक की रोड दीं, 40 किलोमीटर सुदृढ़ीकरण की रोड दीं।

जल संसाधन के अन्दर हमारे क्षेत्र के अन्दर माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने नर्मदा नहर के पानी की जो व्यवस्था की है, इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को हम बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। यह योजना माननीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी वसुन्धराजी ने चुनाव के समय में नर्मदा के अन्दर सीलू के अन्दर शिलान्यास किया पाइपों के अन्दर, दस किलोमीटर पाइप लगाये, वहां से पानी लाये। शिलान्यास कर दिया, जनता मान लेगी, क्षेत्र के लोग जान लेंगे कि हम विकास कर रहे हैं और हमको वोट दे देंगे और हम वापस राज में आ जायेंगे। आपकी भावना विकास करने की नहीं है, जनता की सेवा करने की आपकी भावना नहीं है, आपकी भावना है राज करने की। राज कैसे करें? किसी भी टाइम में, कैसा भी हो, चाहे जनता को मरा दें, झगड़ा करा दें, कुछ भी दंगा करा दें, फसाद करा दें परन्तु राज हमारा आये, हम आराम से, शानो-शौकत से राज में रहें। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने नर्मदा नहर के अन्दर...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

साहब, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है।

श्री सभापति: 15 मिनट हो गये। 15 मिनट हो गये।

श्री पदमाराम (चौहटन): 225 करोड़ का प्रावधान किया है और 1100 हैक्टेयर जमीन को सिंचित करेंगे जिससे मेरे 50 वंचित गांवों को यह जल मिलेगा। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

दूसरा, शिक्षा के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो हजार नयी स्कूलें खोलने का प्रावधान किया है, 600 जो प्राइमरी स्कूलों को क्रमोन्नत करने का प्रावधान किया है, इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं।

(श्री पदमाराम)

माननीय कालीचरण जी सराफ साहब फरमा रहे थे कि हमारा राज था, हमने स्कूलों की बयार वहां पर बहा दी, पंचायत लेवल पर हमने स्कूलें खोल दीं सीनियर सेकंडरी की। माननीय सराफ साहब से मेरा निवेदन है कि गत साल बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 1,900 स्कूलें ग्राम पंचायतों के अन्दर दीं। आपने जरूर स्कूलें खोली होंगी, आपकी उस ढाणी में स्कूल खोल दी होगी जहां आपका मेन कार्यकर्ता है, जहां बच्चा आये या नहीं आये। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गत बजट के अन्दर 1,900 स्कूलों का प्रावधान किया, हर ग्राम पंचायत लेवल पर स्कूल खुली। जिस ग्राम पंचायत लेवल पर आपने जो गलत स्कूलें खोली थीं, जो पंचायतें वंचित रह गयी थीं, उनके लिए यह अभी प्रावधान रखा है कि सेकंडरी स्कूल खोली जायेगी। हमारा निवेदन है कि सीनियर सेकंडरी स्कूल खुल जाए, कुछ सेकंडरी स्कूल खुलें, इसके साथ-साथ सीनियर सेकंडरी स्कूल खुलें।

शिक्षा का कानून लागू हुआ, उसके अन्दर प्रावधान है कि एक किलोमीटर के अन्दर प्राइमरी स्कूल, दो किलोमीटर के अन्दर मिडल स्कूल और तीन किलोमीटर और पांच किलोमीटर के अन्दर सीनियर सेकंडरी स्कूल खुलनी चाहिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे सभी माननीय सदस्यों का निवेदन है कि सीनियर सेकंडरी स्कूल ग्रामों के अन्दर खुलावें जिससे आप शिक्षा को जो संबल दे रहे हो, ग्रामीण बच्चों को आप लैपटॉप दे रहे हो, आठवीं के फर्स्ट डिवीजन पास होने वाले बच्चे को आप लैपटॉप दे रहे हो, वह आपका सपना तब साकार होगा जब ग्राम पंचायतों के अन्दर पांच किलोमीटर की परिधि के अन्दर सीनियर सेकंडरी स्कूल होगी और उसके अन्दर साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए।

आप कल फरमा रहे थे, आपने तीन साल के अन्दर एक ही मास्टर की भर्ती नहीं की, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 8,900 सेकंड ग्रेड के टीचर्स की भर्ती की 11 हजार टीचर्स की अभी परीक्षा हो गयी, सिर्फ उनको नियुक्ति देनी बाकी है, 11 हजार टीचर्स की भर्ती प्रक्रियाधीन है और 20 हजार मास्टर और लगाये। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा निवेदन है कि अनुसूचित जनजाति विकास क्षेत्र के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो योजना लागू की है, इसलिए हम माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहेंगे परन्तु मेरा एक निवेदन है कि मेरा एक

(श्री पदमाराम)

विधान सभा क्षेत्र है जो सीमावर्ती क्षेत्र है, पाकिस्तान की सीमा बहुत नजदीक है, वहां एस.टी. के हमारे भील भाई रहते हैं, जो बिलकुल आदिवासी के समान हैं, उनकी व्यवस्था के लिए वहां एक छात्रावास की व्यवस्था करायी जाए और जो टाडा और माडा के अन्दर इनको सुविधा दे रहे हैं, उतनी सुविधा नहीं देते हुए उनके लिए एक विशेष पैकेज की व्यवस्था की जाए जिससे वे समानता की धारा के अन्दर आवें, वे अपने बच्चों को पढ़ावें, आगे बढ़ावें।

हमारे राजस्व मंत्री माननीय हेमारामजी चौधरी साहब और हमारे माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत साहब को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस क्षेत्र के अन्दर हमेशा रास्ते के अन्दर झगड़ा रहता था। धनवान आदमी एक गरीब को अपने खेत से दूसरे खेत में जाने नहीं देता था वह अपनी उस गरीबी के कारण, उस खेत के अन्दर जाने के कारण उस गरीब को गुलामी सहन करनी पड़ती थी। इस रास्ते का प्रावधान किया है और रास्ता गवर्नमेंट के कानून के आधार पर निकालेंगे, इसलिए इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, पंचायती राज के अन्दर जो मुख्य मंत्री रोजगार गारंटी योजना लागू की है, डेढ़ सौ करोड़ की व्यवस्था की है और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए तीन सौ करोड़ की व्यवस्था की है, यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में, जो दूर-दराज में, ढाणी में रहने वाले आम गरीब के लिए एक साधन मिलेगा, बेरोजगार को एक धंधा मिलेगा। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, आपने मेरे को बोलने का समय दिया, मेरे को बोलना था लेकिन आपने टोक दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रविन्द्र सिंह बोहरा।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, मैं सब का ध्यान चाहता हूं स्वामी विवेकानन्द का एक कपलेट सुना कर- 'जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है लेकिन जिससे जितने रिश्ते हों, उसमें जीवन होना जरूरी है।' जीवन होना चाहिए इन रिश्तों में। आप और हम दोनों साइड के लोग...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एक बात मैं बताऊंगा आपको,... (व्यवधान) रस्म-ए उल्फत को निभाऊं तो निभाऊं कैसे? मनाऊं तो मनाऊं कैसे? चारों तरफ आग लगी है, दामन को बचाऊं कैसे? (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): क्या बात है, क्या बात है। इसके साथ, श्रवण कुमार जी, सुनाऊंगा- The best lesson in life can be learnt from a pair of walking legs. The foot that is forward has no pride, the foot which is behind has no shames because both of them know that their situation will change.

(19.58 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

इसलिए आप भी समझ लीजिए और हम भी समझ लें, इधर और उधर होते रहे हैं लेकिन अपनी मानवीयता को अपन खतम कर दें, मूल्यों को खतम कर दें, यह सम्भव नहीं होना चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया, निश्चित तौर पर उसके अन्दर दिशा बहुत अच्छी थी, अच्छी रही है। चार बार हमने बजट सुना है, बड़ी उम्मीद से आकर सुना है...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इस बार अच्छी है। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं भी आपकी बात सुनूंगा। हम पहली बार एम.एल.ए. हुए हैं तो बड़े जोश से आते हैं बजट सुनने के लिए और जब इस गेट से जाते हैं तो बड़ी निराशा में जाते हैं।

33 हजार 500 करोड़ के बजट में मेरे क्षेत्र के लिए एक-एक हजार रुपये का प्रावधान है, एक-एक हजार का। वह भी तीनों साल से चल रहा है, चौथा साल है। यह चम्बल बैराज की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, चम्बल लिफ्ट की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चुनाव के घोषणा पत्र में, जब मुख्य मंत्री नहीं थे तब वादा किया था। आज तक इन योजनाओं पर कोई प्रगति नहीं हुई है। मुझे बड़े

(20.00 बजे)

भारी मन से, पीड़ा से एक बात कहनी पड़ रही है, वे सारे राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं। अभी मैंने जाड़ावतजी का, ओमजी का भाषण सुना, उनके यहां क्या काम हुए और हमारे यहां क्या काम हुए, आप हमसे कहते हैं कि तारीफ करें हम, हमको प्यासा मार रहे हो आप। मेरे घर के बगल में चम्बल बहती है और मेरे को पीने का पानी नहीं मिलेगा, हैंड पम्प से पानी लूंगा। भीलवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर अब नया सुना है अलवर, बूंदी के लिए आप पानी ले जाने की तैयारी कर रहे हो। मेरे घर में पानी बहता है, मुझसे कह रहे हो, आप बोरिंग का पानी पीओ। मैं अपनी पीड़ा कह रहा हूं ...(व्यवधान)

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

अब मैं आपको बताता हूं, मेरे क्षेत्र में मेरे प्रश्न के जवाब में सरकार ने मंजूर किया है, चम्बल के कई किनारों पर कोई मगरमच्छ नहीं रहते। जब मगरमच्छ नहीं रहते तो वहां से रेते के खनन में क्या दिक्कत है? सरकार अपना करोड़ों का राजस्व खो रही है और अनादि काल से जो काम होता था, मकान बनते थे धौलपुर में चम्बल के रेता से, वह बंद है। एक अच्छा एस पी लग गया, मैं उसकी तारीफ करूंगा, उसने अपना काम गलत नहीं किया, उसने रेता खनन बिलकुल बंद कर दिया लेकिन हमारे को कितना कष्ट हो गया। आज चोरी से कोई रेता निकाले तो रेता मिल सकता है। मेरे यहां तो रेता ही नहीं है। कह दिया गया हमारे जिले में कि लाल बजरी निकलती है जिससे कोई सी सी कन्स्ट्रक्शन नहीं हो सकता। तो गरीब लोग क्या करें, कहां से लाएं? इसे कोई समझने वाला है क्या? गवर्नमेंट खुद मंजूर कर रही है, माइनिंग डिपार्टमेंट का जवाब आया है असेम्बली के फ्लोर पर कि मगरमच्छ नहीं रहते, तो आप किसी एक जगह से हमें रेता मुहैया करा दें और हमसे पैसे ले लीजिए। यह करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर की भी दिक्कत है। अब करौली वालों के मुंह बंद हो गये, मंत्री हो गये, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हो गये। आज हम तो अपनी बात कहेंगे, पीड़ा कहेंगे, उनका तो मुंह बंद है।

इसी तरह कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम कृषि के लिए पानी देंगे, चम्बल लिफ्ट देंगे, चम्बल बैराज बनायेंगे, एक-एक हजार रुपये बजट के अन्दर उनके लिए दिये जाते हैं। क्या आप हमसे उम्मीद करते हो कि गोलियां चलवाएं, रास्ता रोकें। रास्ता रोकना कानूनन जुर्म, अपनी बात कहना कानूनन जुर्म तो लोगों को क्या प्यासा मारोगे? मेरे पास नौ हजार लोग हैंड पम्प मांग रहे हैं, मेरी कांस्टीट्यूएंसी में। पांच साल में पूरा पैसा खर्च करूंगा तब एक हजार लगा पाऊंगा। पैंतालीस साल का हिसाब मांग रहे हैं मुझ से। प्यासे हैं, सुनोगे तो आयेंगे; नहीं सुनोगे तो आप भी रवाना कर दिये जाओगे। जनता का आदमी हूं, जनता के बीच में बैठता हूं। इस पीड़ा को कौन से मंच पर कहें? सरकार बूंदी के लिए ले जाए मुझे कोई एतराज नहीं; भरतपुर पिलाए, अलवर पिलाए, एतराज नहीं; प्यासे हैं वे लोग, लेकिन ऐसा तो मत करिए जिसके घर में चम्बल बहती है उसको पानी नहीं पीने दोगे।

विद्युत मंत्रीजी बैठे हुए हैं, बहुत संवेदनशील हैं, धौलपुर के प्रति उनका एक अच्छा भाव है, मेरे प्रति भी है लेकिन इस मौके पर मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैं ही पहला व्यक्ति था जिसने मैसर्स डी-कंट्रोल के अन्दर

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

सबसे ज्यादा शैतानी बताई थी, उसको बुलाकर समझाया था मैंने कि गवर्नमेंट की बदनामी मत करो। वरना हमारे लिए तो और अच्छा है, गवर्नमेंट की बदनामी होती है। लेकिन मैं इतना ओछा नहीं हूं कि यह सोचूं कि गवर्नमेंट की बदनामी हो और काम नहीं हो। जनता का काम हो, सरकार की तारीफ हो, हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन उस आदमी ने क्या किया, किसी एक नेता के आदमी को लगा लिया और उस आदमी ने पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया ए पी एल से, बी पी एल से और उनसे कह दिया, तुम खम्भे लाओ, गड्ढे खोदो, खम्भे गाड़ो, बिजली के तार खींचो। मतलब पैसे भी ले लिये उनसे, मजदूरी करा ली और हालात यहां तक, मंत्री महोदय, जिनके कनेक्शन नहीं थे, उनके कनेक्शन हो गये और कनेक्शन वाले ताकते रह गये। कपड़े लोग हमारे फाड़ते हैं। तो यह पीड़ा कहने के लिए, सबके लिए कौनसी जगह है? हमारे पास यह असेम्बली है। आप और हम यहां रोज बदलते रहेंगे।

जो मैंने आपको एक स्टेंजा सुनाया, आगा पैर और पीछा पैर, आगे-पीछे होते रहेंगे लेकिन अगर हम जनतंत्र के अन्दर किसी भी पार्टी, किसी भी शहर के हों, अगर प्रजा की, आम आदमी की तकलीफ में शामिल नहीं हो सकते, उसको दूर नहीं कर सकते तो हम भी घूरे में फेंक दिये जायेंगे। मैं कांग्रेस के भाइयों को चेताता हूं, कोई बुराई नहीं करता मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, जितने आप लोगों के शायद नहीं होंगे बहुतों के, सामने बैठने वालों को छोड़कर बता रहा हूं, कोई राजनीतिक कारण होगा। आज मैं वसुन्धराजी की मेहरबानी से, सांसद दुष्यन्त सिंहजी की मेहरबानी से मेज पर खड़ा हूं, अपनी बात कह रहा हूं। मुझे फख्र है उनका, फिर भी मैं मुख्य मंत्रीजी के प्रति कोई ऐसी भाषा नहीं बोल सकता लेकिन यह जरूर चाहता हूं कि हमारे साथ न्याय हो। प्यास के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, प्यास की कोई राजनीति नहीं होती और जिस तरह के लोग दिन भर मेरे पास आते हैं, मैं आपसे विवेचना नहीं कर सकता कि किस तरह लोग प्यासे हैं। सरकार को एक रोड-मैप बनाना चाहिए आने वाले दिनों में। चाहे वह कांग्रेस की सीट हो, चाहे बी जे पी की सीट हो, पानी का परमानेंट इंतजाम करना पड़ेगा वरना लड़ाइयां होगीं। आप हम कोई भी सुरक्षित नहीं हैं। सब जगह मैंने तारीफ सुनी है मुख्य मंत्रीजी की और कहीं न कहीं पानी की भी पुकार सुनता हूं मैं।

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

मेरा अपना मानना यह है कि आप आगे बढ़े चले जा रहे हैं लेकिन पीछे का इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आपका है, इसको कौन संभालेगा? आज बिजली की कम्पनियां पैंतालीस हजार करोड़ के कर्जे में डूबी हैं। कल के राजस्थान की लाइफ लाइन हैं ये बिजली कम्पनियां। आपने ही बनाई थीं, अपने बनाये हुए बच्चे को इस तरह यतीम होते हुए देखकर आपको कैसे नींद आती है? अधिकारियों के प्रति हम तरह-तरह की बात करते हैं। हुक्म भी तो आप ही देते हो, इसको इतने में बिजली दो, इतने में बिजली दो। जब वह घाटा होता है बिजली कम्पनी का तो किसके मत्थे मंढेगा वह? उनकी और कोई इनकम थोड़े ही है। जितने सोर्सेज से उनके पास पैसा आ सकता है उतने से ही आएगा। आपने कभी यह सोचा यह पैंतालीस हजार करोड़ क्या एक दिन में ही इकट्ठा हो गया? इसका इलाज जब तक नहीं सोचेंगे, आने वाला अगला साल और भी खराब होगा।

माननीय सभापति जी, मैं आपके मार्फत एनर्जी मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहूंगा, मेरी जानकारी में जितने सब-स्टेशन इस साल बन गये, मेरे यहां छह रह गये हैं अभी बनने को और मुझे जो उनकी माली हालत दिख रही है, उसमें बनने में संकट दिख रहा है मुझे। आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आर जी जी वाई के ठेकेदार द्वारा धौलपुर जिले में जो दो साल पहले काम हो जाना चाहिए था आपके कार्यकाल में। एक हट गया अपनी शैतानी की वजह से, दूसरा आया है वह जयपुर का है। सुना यह है उसने अपना काम अभी तक शुरू नहीं किया लेकिन सामान भेजना शुरू कर दिया है। लिहाजा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस पिछड़े जिले के अन्दर आम आदमी को बिजली मुहैया कराने की चेष्टा करें।

दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहां सारे जिले में, मेरी कांस्टीट्यूएंसी में ही नहीं, सारे जिले में, हो सकता है सारे राजस्थान में हो, यह स्थिति है कि किसानों से आप फ्लैट रेट पर बिल ले रहे हो क्योंकि मीटर आप जले हुए बदल नहीं रहे और मीटर इसलिये नहीं बदले जा रहे हैं कि मीटर आपके पास नहीं हैं, ऐसा बताया जाता है। हमारे यहां स्पेशली, मेरे जिले में किसान केवल रबी की फसल के ऊपर बिजली जलाता है। उसके पास 6 बिल आते हैं। ज्यादा से ज्यादा डेढ़ बिल का वह देने का जिम्मेदार है और बाकी उससे फर्जी लिया जा रहा है। उसकी गलती क्या है किसान की ? बिजली के उसने पैसे भर दिये, मीटर के उसने पैसे भर दिये, जले के, अब मीटर लगाने का आपका काम है, उसका थोड़ी है।

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

ये सब चीजें ऐसी हो रही हैं कि प्रजातंत्र के अन्दर आम आदमी का विश्वास आपसे उठता जा रहा है। चाहे आप हों, चाहे हम हों, किसान की अगर वाजिब पीड़ा को हम दूर नहीं कर सकते तो हमें चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिये। राजस्थान किसान प्रधान प्रदेश है। आप सत्ता में आये हैं, किसान की वजह से आये हैं; हम सत्ता में आये थे, किसान की वजह से आये थे। जिस दिन किसान नाराज हो जायेगा, सत्ता पलट जायेगी। किसान आज किस कदर परेशान है। बिजली की सप्लाई से परेशान, कनेक्शन से परेशान, मीटर से परेशान। बिजली का मीटर नहीं मिलता, घरों के कनेक्शन नहीं मिलते और खाद कहां से कहां पहुंच गयी। वह भी मिली नहीं, वक्त पर नहीं मिली।

सर, मैं पी एच ई डी मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि मेरे यहां जितनी रीजनल स्कीम्स हैं जिले के अन्दर, सरकार का करोड़ों रुपया लगा हुआ है, उनमें से दो या तीन चालू हैं। बाकी कोई मोटर की वजह से नहीं चालू, कोई पाइप लाइन फट गया नहीं चालू, कोई टंकी में लीकेज है नहीं चालू। टंकी के नीचे रहने वाले लोग मुझसे हैंड पम्प मांग रहे हैं। बोलिये, कितने शर्म की बात है। राजाखेड़ा 35-40 हजार की आबादी का शहर है...(व्यवधान) एक मिनट साहब, एस डी एम हैडक्वार्टर है, नगरपालिका है, चम्बल कुछ 6 और 7 किलोमीटर दूर है, कृपया उसकी स्कीम जितनी जल्दी हो सके, बनाने की चेष्टा की जाए।

नगरपालिका की स्थिति यह है कि डेढ़-डेढ़ साल से नगरपालिका तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं है, सफाई मजदूरों की तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं है।

मैं जो बात कहना चाहता था इस हाउस में, 3-4 मंत्री महोदय बैठे हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब, इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब, आप भी सरकार के पार्ट हैं, सरकार हैं, मेरा कहना केवल यह है कि अपनी जो पुरानी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे एक बिजली वाला है, दूसरा नगरपालिका है, सप्लाई है, ये सब आपकी लड़खड़ा रही हैं आज की तारीख में। आप बहुत बड़ी योजनाएं बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कल के राजस्थान के लिये। लेकिन यह पुराने जो मंदिर हैं ना आपके, मंदिर कहूंगा इनको, मंदिर, बिजली का हो, चाहे नगरपालिका हो, चाहे सप्लाई डिपार्टमेंट हो, इनको लड़खड़ाने से आप बचा लीजिये। इनकी स्टाइल आफ वर्किग को री-राइट करना पड़ेगा। वरना यह होगा आप आगे बढ़ते जायेंगे, पीछे सड़क खुदती जायेगी। इस तरह का सोच अगर रहा तो सरकार जितनी डवलपमेंट की बात कर रही है वह डवलपमेंट तो आगे होगा और पीछे खतम

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

हो जायेगा। राजस्थान को बचाना आज सरकार का काम है। हम तो आपको इंगित कर सकते हैं। आपकी कोई बुराई करने खड़े नहीं हुए हम। हम आपको चेताने खड़े हुए हैं।

आपको जानकर के ताज्जुब होगा, मेरी नेता माननीय वसुन्धराजी हमसे हर दो-तीन महीने बाद पूछती हैं अपनी कांस्टीट्यूएंसी का काम करते हो? एक हैडमास्टर की तरह पूछती हैं और हमें जवाब देना पड़ता है। यह नहीं हम सब मार दें कि हमने क्या किया। मैं चाहता हूं कि यह...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट, साहब। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जो भी कुछ कर रहे हैं ना, मेहरबानी करके जिलेवार विधायकों से बात करें चाहे वे बी जे पी के हों, चाहे कांग्रेस के हों। मानना, नहीं मानना, उनका काम है लेकिन क्या आफिसर हमसे अच्छा फीडबैक दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हमारी, आपकी एक ही जाति है, रास्ते आगे जाकर बदलते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आती हो बात दो महीने, चार महीने, छह महीने में, अब रहा भी कितना सा है, डेढ़ साल रह गया है। अगर हमसे कुछ पूछोगे तो हम कोई जवाब देंगे। कोई आपको असत्य तो नहीं बोलेंगे। रचनात्मक विरोध के लिये खड़े हैं हम। आपको लगता है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है यह, हमेशा जब बात शुरू करते हैं उधर से..

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): एक मिनट, साहब, एक मिनट करने दो। तो वसुन्धराजी की कमी निकालते हैं। यह कमी से कोई फायदा नहीं होने वाला। सिस्टम में डवलपमेंट कराना, सिस्टम में फर्क लाना, उसका उचित तरीका निकालना, यह तो जरूरी है सरकार के लिये, लेकिन विरोध से कुछ नहीं होगा।

मैं बहुत-बहुत आभारी हूं माननीय सभापति जी, और इन कारणों से इस बजट का मुझे विरोध करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी कांस्टीयूएंसी में कुछ बजट का लाभ नहीं गया।

श्री सभापति: श्री संतोष कुमार सहारण।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): माननीय सभापति जी, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा 2012-13 का कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किये

(श्री संतोष कुमार सहारण)

जाने पर अपनी बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रस्तुत बजट आम जन का हितैषी, काबिले तारीफ है। विपक्ष का फर्ज है आलोचना करना, जो वे कर रहे हैं।

माननीय सभापतिजी, सरकार की मंशा कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दूर गांव में, ढाणी में बैठे गरीब के हक को उस तक पहुंचाना है। इस बजट में सिवाय समग्र विकास के ऐसा नहीं लगता कि कोई राजनीति हो रही है। एक जन हित का ध्यान रखने वाली सरकार द्वारा जिम्मेदारी निभाने के तहत यह नायाब बजट पेश किया गया है जिसमें विपक्ष खाली आलोचना के अलावा कोई कमी नहीं निकाल सकता। कोई रचनात्मक सुझाव हों, राजस्थान की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए विपक्ष को भी देने चाहिये, खाली आंकड़ों से राजनीति नहीं करनी चाहिये।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो उप-तहसील लालगढ़ जाटान, मिर्जेवाला स्वीकृत करने, सादुलशहर पंजाब बोर्डर से एलनाबाद हरियाणा तक मेगा हाइवे स्वीकृत करने, ड्रिप व स्प्रिंकलर के लिए बनाई जाने वाली डिग्गियों पर अनुदान 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किये जाने के जो तोहफे दिये हैं, उनके लिए सैकड़ों गांवों के हजारों किसानों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। सभापति महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी, माननीय कृषि मंत्रीजी व पी डब्ल्यू डी मंत्रीजी का भी आभार प्रकट करता हूं।

सभापति महोदय, बजट में सरसों व दूसरी फसलों का पाले की चपेट में आने से जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा व अन्य ऋणों के चुकाने पर जो राहत दी गयी है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर व हनुमानगढ़ व पूरे राजस्थान में सरसों एक कैश क्राप के रूप में ली जाती है, हमारे यहां बहुत से क्षेत्र में अगेती व मध्यम बुवाई की सरसों में पाले से 60 से 90 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। लेकिन गिरदावरी 20 से 30 प्रतिशत की की गयी है, जबकि कृषि विभाग ने 60 से ऊपर का खराबा बताया है। अतः गंगानगर व हनुमानगढ़ के प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलवाया जाये, यह मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं।

सभापति महोदय, मैं फसली बीमा के बारे में कहना चाहूंगा कि इसका भी लाइफ इंश्योरेंस की तरह, व्यक्तिगत व्हिकल आदि की तरह बीमा किया जाये व नुकसान का आंकलन भी व्यक्तिगत नुकसान पर कर मुआवजा देने का

(श्री संतोष कुमार सहारण)

प्रावधान किया जाये ताकि किसान इस प्रकार की प्राकृतिक व अन्य आपदाओं से राहत पा सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय यातायात मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में ...।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, थोड़ा विराजें आप।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): रोडवेज बसों की सुविधा उपलब्ध कराकर क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करायें। सड़कों के लिए मुख्य मंत्रीजी ने हजारों करोड़ रुपयों की व्यवस्था की है। राजस्थान के लोगों को इससे आवागमन में सुविधा मिलेगी।

मेरा विधान सभा क्षेत्र जो कि दो तहसीलों श्रीगंगानगर, जो कि पहले केसरीसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र में थी, व सादुलशहर तहसील, जो पहले संगरिया विधान सभा क्षेत्र में थी, को मिलाकर नया क्षेत्र सादुलशहर विधान सभा क्षेत्र बना। चुनाव जीतने के बाद जब हम लोग क्षेत्र में गये तो मालूम पड़ा कि क्षेत्र में 400 किलोमीटर की मिसिंग लिंक्स हमारी बननी बाकी हैं, 100-150 किलोमीटर सड़कों का सुदृढ़ीकरण होना बाकी है, करीब 100 किलोमीटर के ऊपर सड़कों का डामरीकरण करने का काम बाकी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रत्येक विधायक को 7 किलोमीटर की सड़क बनाने का अपने विवेक से बजट दिया था। जिस विधान सभा क्षेत्र में 13 किलो मीटर बाकी है उसमें भी 7 किलोमीटर और जिसमें 400 किलोमीटर मिसिंग लिंक्स बाकी हैं उसको भी 7 किलोमीटर। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस हिसाब से मेरे यहां सड़कों को पूरा होने में कम से कम 50-60 वर्ष लगेंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र को सड़कें बनाने में विशेष दर्जा देकर कम से कम 200 किलोमीटर में लिंक्स रोड बनाने का प्रावधान करवाया जाये।

सभापति महोदय, सिंचाई में मुख्य मंत्रीजी ने बहुत बड़े बजट का प्रावधान किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो सिंचाई सिस्टम काम करते हैं, भाखड़ा सिस्टम व गंग कैनाल। नहरें कच्ची होने से टेल के किसानों तक पानी नहीं पहुंचता है। हमारे यहां दो नहरें भाखड़ा में एस डी एस नहर पक्की हो गयी है व पी टी पी नहर पक्की हो रही है, इससे निश्चित रूप से टेल तक पानी पहुंच रहा है व पहुंचेगा। इससे किसान खुशहाली की ओर अग्रसर हो रहा है। क्षेत्र की भाखड़ा की बची हुई केएसबी बड़ी नहर व छोटी नहरें के आर

(श्री संतोष कुमार सहारण)

डब्ल्यु, बी एन डब्ल्यु, बी जी एस को पक्की कराने का बजट में प्रावधान करायें। गंग नहर की फीडर लाइनों के लिए ए आई बी पी मद में 40 करोड़ का बजट आबंटित हुआ है, इसमें 10 करोड़ प्रो-रेटा चार्जेज व 30 करोड़ के कार्य कराये जायेंगे। उसमें 8 हैड का निर्माण होने वाला है। लेकिन लाइनिंग का एक ही टेंडर आया, वह भी ऊंची रेट का, जिसको प्रमुख शासन सचिवजी ने कैंसिल कर दिया। टेंडर पास ना होने के कारण नहर की लाइनिंग का काम नहीं हो पायेगा और केवल 8 हैड जो बनने हैं, वही बनेंगे। मेरा इसमें सुझाव है कि इसमें राय करके कोई रास्ता निकाला जाये जिससे फीडर की लाइनिंग व बचे हुए कार्य कराये जा सकें, नहीं तो 40 दिन की बंदी में जो काम होने चाहिंए, वे नहीं हो पायेंगे। कार्य की प्रगति के लिए स्टाफ की भी बहुत कमी है। ए ईएन के 7 पद खाली हैं और जे ईएन के 9 पद रिक्त हैं, इनकी भी व्यवस्था की जाये। गंगानगर के बीच में बहने वाली 'ए' माइनर पर छत लगाकर उसमें बहने वाले पानी को शुद्व रखने की जो व्यवस्था की गयी है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को साधुवाद देता हूं।

सभापति महोदय, सिंचित क्षेत्र में पानी की बचत के लिए बनने वाली डिग्गियों पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2 लाख से 3 लाख का अनुदान किया, उसके लिए उनका धन्यवाद लेकिन डिग्गियों से पानी उठाकर के जो ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम चलाना पड़ता है, उसके लिए डीजल पंप सेट बहुत महंगा पड़ता है। मेरा एक सुझाव है कि जिन किसानों ने अपने टयूब-वेल्स के कनेक्शंस के लिए अपनी प्रायोरिटी निर्धारित कर रखी है विभाग में, उस प्रायोरिटी को डिग्गी के कनेक्शन के लिए कन्वर्ट कर दिया जाये। माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय विराज रहे हैं, मेरा निवेदन है कि उसमें इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए कि टयूब-वेल की प्रायोरिटी टयूब-वेल के लिए ही, यह भी पानी लिफ्ट करना है, वह भी पानी लिफ्ट करना है। डिग्गी कनेक्शन का जो है, उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया जाये। सौर ऊर्जा के अन्दर भी अनुदान देकर के 3 एच पी के सिंगल फेज के सौर ऊर्जा पंप लगाये जा रहे हैं। मेरा इसमें निवेदन है कि किसान को 5 एच पी की सौर ऊर्जा के पंप लगवाने की व्यवस्था करायी जाये, उसको 90 प्रतिशत अनुदान देकर के राहत प्रदान की जाये ताकि किसान का बड़ा स्प्रिंकलर और बड़ा यूनिट सिस्टम उससे चल सके।

सभापति महोदय, इसी प्रकार ढाणियों के कनेक्शन भी पहले एम एल ए लैड से हम लोग करवा दिया करते थे। मैंने पहले भी अर्ज किया कि

(श्री संतोष कुमार सहारण)

प्रजातंत्र के 64 वर्ष के इतिहास में आज भी हमारी ढाणियों में दीये टिमटिमाते हैं, चिमनियां जलती हैं। यह हमारे लिए शर्म की बात है। हमने एक कोशिश की, एम एल ए कोटा भी सरकार का पैसा है, सरकार अपने पैसे से चाहे वह राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्दर करें ढाणियों में कनेक्शन देकर, लेकिन पंचायत राज के अधिकारियों ने उस पर बैन लगा दिया, व्यक्तिगत लाभ का मानते हुए उस पर बैन कर दिया। मेरा यह निवेदन है कि उस बैन को हटाया जाये। गांवों में जब जाते हैं तो लोगों के फौरी विकास के लिए, जिसका कोई प्रोजेक्ट नहीं बन सकता, छोटे-छोटे कामों के लिए एम एल ए लैड काम आता है। महंगाई बहुत बढ़ गयी है। तो सभी साथियों की तर्ज पर मेरा भी निवेदन है कि एम एल ए लैड को 1 करोड़ की बजाय 3 करोड़ किया जाये। यह मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं।

सभापति महोदय, इसी प्रकार सौर ऊर्जा में ढाणियों के कनेक्शन के लिए एक के वी का 100 प्रतिशत अनुदान नहीं, तो 90-95 प्रतिशत अनुदान देकर के एक के वी की सौर ऊर्जा की व्यवस्था की जाये ताकि उसमें 10-15 हजार रुपये भरकर किसान अपनी ढाणी में लाइट जला ले, पंखा चला ले। इस तरह की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, पशुपालन में पशुओं के लिए मुफ्त दवाइयों का प्रावधान किया गया है। यह किसान को बहुत बड़ी राहत दी गयी है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यूनिवर्सिटीज, कालेज खोलकर बहुत बड़ी सौगात प्रदेश को दी है, उनको साधुवाद। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सेकंडरी स्कूलों को हायर सेकंडरी स्कूलों में क्रमोन्नत कराया जाए, क्षेत्र के प्राइमरी बालिका स्कूलों को क्रमोन्नत करके मिडल तक किया जाए ताकि बालिका शिक्षा को गांवों में प्रोत्साहन मिल जाए, जो कि समय की मांग है। मेरे क्षेत्र में लालगढ़ में 30-40 किलोमीटर तक कोई कालेज नहीं है, अत: सरकारी डिग्री कालेज के लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत ही कल्याणकारी योजनाएं जारी की हैं। इसी के तहत श्रीगंगानगर का जिला अस्पताल जो कि 300 बेड का है, वहां पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है, वहां मेडिकल कालेज खोलने की मांग मुख्य मंत्रीजी से करता हूं।

(श्री संतोष कुमार सहारण)

क्षेत्र के लोगों को न्यायिक राहत दिलाने के लिए सादुलशहर में ए डी जे कोर्ट की स्थापना कराई जाए। लोगों को अपर कोर्ट के लिए श्रीगंगानगर जाना पड़ता है जो कि करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं यही कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आम राजस्थानी के हित का, उसकी बहबूदी का बजट दिया है जिससे निश्चित तौर पर राजस्थान प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। धन्यवाद, आपने समय दिया।

श्री सभापति: श्री पूराराम चौधरी।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): माननीय सभापति महोदय, आज बजट 2012-2013 पर चर्चा हो रही है, इसमें मैं भाग लेता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा पूरे राजस्थान की गाथा नहीं गाते हुए, सिर्फ जालौर जिले की बात कहूंगा। जालौर जिले को मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह से बजट दिया है, मुख्य मंत्रीजी बता रहे हैं कि हमारी संवेदनशील सरकार है, पिछले तीन वर्षों में, मैं भीनमाल से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि हमारा जालौर जिला वैसे भी बहुत प्रसिद्ध रहा हुआ है। बहुत जमाने पहले, राजा-महाराजाओं के जमाने में भी सर्वप्रथम भीनमाल, जैसे युग चेंज होता है, वह जमीन में जाता है, इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। वहां श्रीमाली ब्राह्मणों का पहले फर्स्ट में शासन रहा है। बाद में पराक्रमी राजा पाटन के सिद्धराज सोलंकी बहुत ही अच्छे शासक हुए। जालोर में परमार और सवान वंशजों का, वीर वीरमदे सोनगरा, कांधलदेव जैसे राजा हुए। लेकिन उसके साथ-साथ ही जब पति का वध हो गया, तब उनकी पत्नी एक शासिका भी रही है, उसका नाम था पोपाबाई। (व्यवधान) हां, हकीकत बात है। हां, जालोर की ही थी, और किधर की थी?

माननीय सभापति महोदय, पोपाबाई का राज इसलिए कहा जाता है कि माननीय सड़क मंत्रीजी, भरतसिंहजी पधारे थे, उनको सड़क बताई थी। हमारे प्रभारी मंत्री थे माननीय हेमारामजी चौधरी, एक बार मैंने सड़क की बात कही तो उन्होंने कहा कि पूरारामजी, आप असत्य बोल रहे हो; मैंने कहा, चलो मैं असत्य ही बोल रहा हूं, आप बाड़मेर जा रहे हो; उन्होंने कहा कि हां; तो मैंने कहा कि आप बागोड़ा की सड़क से जाना, उन्होंने कहा कि एक ही रास्ता है क्या; मैंने कहा कि हां, आप जाओ आराम से। माननीय मंत्रीजी, आप यहां विराज रहे हो, यह बात गलत है या सही है?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): गलत है।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): सब सड़कें टूटी हुई हैं, माननीय मंत्रीजी ने माना। पिछले तीन साल के अन्दर एक भी सड़क, ये बता रहे हैं कि 46000 किलोमीटर सड़क देंगे, पूरे भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में 46 किलोमीटर सड़क भी तीन वर्षों में नहीं बनी हैं। यह वास्तव में स्थिति है।

माननीय भरतसिंहजी, जो सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी हैं, वे भीनमाल पधारे थे। भीनमाल में पधारने के बाद उसी सड़क से आए थे, बाड़मेर से, सोसनिया फाटक होते हुए भीनमाल में आए थे, उनको कोई एक सड़क का उद्‌घाटन करना था, बोले सड़क ठीक नहीं है, कंकरीट है; वे बोले, बाड़मेर या इधर आबू रोड के ठेकेदार करते तो सड़क सही बनती, बाकी सड़क सही नहीं बनती है। सड़क टोटल 1996, 1997, 1998 में, उस समय सड़क मंत्री थे ललित किशोरजी चतुर्वेदी, मैं भी सदन का सदस्य था उस समय, भैरोंसिंहजी शेखावत सदन के नेता थे, प्रतिपक्ष के नेता परसरामजी मदेरणा थे, उस समय जो सड़कें बनी थी उसके बाद में उन सड़कों का सुदृढ़ीकरण, रिन्यूअल अभी तक नहीं हुआ है। यह हकीकत की बात है, अगर मैं असत्य बोलता हूं तो आप कमेटी बना दो। या तो सड़क मंत्री इस्तीफा दे दें, नहीं तो मैं हमेशा के लिए इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। क्लीयर-कट स्थिति है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।

सड़क के बाद मैं बिजली की स्थिति पर कहूंगा। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी आप भी किसान के बेटे हैं, आपने कनेक्शन तो दे दिये। हमारे दो सब-डिविजन लगते हैं, पूरे जालौर जिले में सायला, भीनमाल और जसवंतपुरा, सांचोर और रानीवाड़ा, वहां पर ज्यादा हैं ट्यूब-वेल। 430 किसानों के आपने 9 महीने पहले पैसे ले लिये, 9 महीने पहले। किसानों ने 5-5 लाखा रुपये कर्ज लिया और ट्यूब-वेल खुदवाये, क्योंकि हमारे यहां पानी 600-700 फीट नीचे है, 550 से नीचे है, इतना गहरा पानी है उनमें। आपने नोट क्लीयर-कट, पूरा लिखा है कि 90 दिन के अन्दर हम आपको कनेक्शन देंगे किसानों को। आपने 9 महीने में नहीं दिये। यदि कोई कोर्ट में चला गया तो क्या हाल होगा आपका बताओ। आप 90 दिन में क्या 9-9 महीने में कनेक्शन नहीं दे रहे हो। इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात होगी। 430 कनेक्शन में से सब-डिविजन दुबड़िया में 130 कनेक्शन हुए हैं। आप बताओ, 430 कनेक्शन कब तक चालू करवाओगे? भीनमाल में मैंने पूछा कि कितने आ गये तो उन्होंने कहा कि 72वां नम्बर चल रहा है। कभी ए ईएन या एक्स ईएन के लेवल के आदमी को फोन कर रहे हैं।

(श्री पूराराम चौधरी)

मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि 38 प्रतिशत बजट आपने इस बार ऊर्जा का दिया है। यह बहुत बढ़िया बात है। मैं यह नहीं कह रहा हूं, सही काम किया है आपने पहली बार, पहली बार सही काम किया है, कम से कम उनके कनेक्शन तो होंगे। यदि ट्रांसफार्मर जल जाये तो किसानों को एक महीने से दूसरा ट्रांसफार्मर मिलता है, जबकि 72 घण्टे का क्लीयर-कट आर्डर है कि 72 घण्टे में हम जला हुआ ट्रांसफार्मर बदल देंगे। कोई इन्सूलेटर या कोई भी तार लेने जाएं, तो बिजली बोर्ड में है ही नहीं। यह स्थिति है बिजली बोर्ड की। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अभी से अपनी व्यवस्था सुधार लो तो ठीक रहेगा, नहीं तो हमारे मारवाड़ में एक कहावत है, 'जातां क पड़गी, कहज्यो मती आप' (व्यवधान) वह तो मैं अपने आप बताऊंगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय नहर मंत्रीजी बैठे हैं, शायद सबसे बड़ी समस्या पानी की है। जब एक योजना बनी नर्मदा की, जालोर जिले में सांचोर की, तो जालोर जिले के जितने भी गांव हैं उनमें पीने का पानी नहीं है। लेकिन जब से यह सरकार चेंज हुई है, उस योजना में जालोर तक पाइप लाइन, अभी भी माननीय रेवेन्यू मंत्रीजी बैठे हैं, पाइप वहां के वहां पड़े हैं, रास्ते हैं, सारे के सारे पाइप रास्ते में पड़े हैं, उन पाइप लाइनों को कोई सम्भाल नहीं रहा है। अभी भी आपके पास समय है।

मैंने मुख्य मंत्रीजी को कहा था, मैं उनको मिला था, उनसे बात भी की कि इस बार नर्मदा के लिए कुछ करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं बजट में विचार करूंगा। कोई विचार नहीं किया है। जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, रानीवाड़ा से हमारे उप मुख्य सचेतकजी भी हैं माननीय रतनजी, उनको भी पता है, मैंने उनको कहा था कि यदि नर्मदा का पानी बाण्डी सिणधरा बांध के अन्दर डाल दिया जाए, सरल योजना है, इसमें कम खर्चे में काम होगा। बाण्डी सिणधरा में डालकर, 3 छोटे-छोटे वहां बांध बने हुए हैं, जैसे भीनमाल में, बालसमंद में डाल दिया जाए तो एक तो अतिक्रमण लोग नहीं करेंगे, एक तो वह मगजमारी हट जाएगी, यदि ज्यादा बरसात होगी तो बाण्डी नदी बह रही है, बेरे और वे सारे रिचार्ज हो जाएंगे और आसपास के किसानों के कुएं भी रिचार्ज हो जाएंगे। जसवंतपुरा, भीनमाल, रानीवाड़ा, सबको पीने का पानी कम खर्चे में उपलब्ध हो जाएगा; यह है नर्मदा योजना। लेकिन पता नहीं, आपको काम करना ही नहीं है, तीन वर्ष के अन्दर यह नर्मदा जहां थी वहीं की वहीं है, एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी है। जालोर जानी थी पूरे सायला होते हुए, बागोड़ा में इसका पूरा बांध

(श्री पूराराम चौधरी)

बना हुआ है लेकिन जब से माननीय अशोकजी गहलोत साहब की गवर्नमेंट बनी है, उसके बाद से एक भी काम नहीं हुआ है।

शहरी विकास में, इस समय शहरी विकास मंत्री, धारीवाल जी साहब हैं नहीं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट सिर्फ। मैं सिर्फ दो मिनट ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा।

सीवरेज की सबसे ज्यादा हमारे वहां भीनमाल के अन्दर समस्या है, उसका समाधान करें।

लास्ट में, माननीय सभापति महोदय, सब जगह, माननीय मुख्य मंत्री जी 22 फरवरी को जसवंतपुरा में पधारे थे, मैं भी था उस मीटिंग में, माननीय हमारे सचेतक जी और सारे भीनमाल के और सारे जालोर जिले के हमारे विधायक और एम पी साहब, सभी थे। सबसे ज्यादा यदि कोई नुकसान हुआ है तो जालौर जिले में हुआ है क्योंकि जालौर में सबसे कास्टली फसल जीरा, इसबग़ोल, बिरयाली, ये किसानों की सारी की सारी नष्ट हो गई, ये कम्पलीटली नष्ट हो गई। हमने मुख्य मंत्रीजी को ज्ञापन भी दिया, सब बताया, तो मुख्य मंत्रीजी वहां आश्वासन भी देकर आये थे कि हम जालौर जिले में इसको लेंगे। सबसे कास्टली, पूरे विश्व की, पूरे हिन्दुस्तान की कहें, पूरे विश्व में तो इसबगोल पकता ही नहीं है लेकिन पूरे जालोर जिले में पूरे हिन्दुस्तान का यदि इसबगोल पकता है तो सिर्फ जालोर जिले में 40 परसेंट है। इस बार ज्यादातर लोगों ने अरंडी की फसल बोई थी कि अरंडी में हमको कुछ मिलेगा लेकिन जालोर जिले को, पता नहीं, यह समझ लिया कि यहां तो पोपाबाई का राज है इसलिए आगे चले जाओ। यह हिसाब-किताब हो गया। तो, माननीय सभापति महोदय, इसलिए उन किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए।

सभापति महोदय, आपने समय दिया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे मेन पाइंट थे वही कहे मैंने, ज्यादा नहीं कहा। समय दिया इसलिए, सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री सूरजभान धानका।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने बजट भाषण पर बोलने का काफी देर से समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

देखिए, बजट को देखा जाए तो बहुत ही उम्दा किस्म का है। वैसे पक्ष वाले बहुत वाहवाही कर रहे हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है

(श्री सूरजभान धानका)

लेकिन हम बीच वाले जैसे बंदर और बिल्लियों की जो तकड़ी तौलते थे, तो हम बीच वाले इसका निर्णय करते हैं। बजट वास्तव में ...(व्यवधान) विपक्ष में बोला गया था, दो तीन दिन पहले कि चुनावी बजट जैसा लगता है तो इसका मतलब चुनावी बजट तो अच्छा ही होता है। इसलिए तो सही है कि हमारे विपक्षी भाइयों ने भी माना है कि बजट तो अच्छा ही है। उसके बाद, इसमें मानव ही नहीं, पशु-पक्षियों तक को जगह दी गई है। डा. अम्बेडकर ने कहा था, जब संविधान लागू किया गया तो सभी देश, विदेशों से बधाइयां आ रही थीं और डा. साहब उदास बैठे थे; तो बोला, डा. साहब, आपने इतना अच्छा संविधान दिया है और आप उदास क्यों बैठे हैं; तो उन्होंने यह कहा था, भाई, संविधान तो मैंने बना दिया अच्छा लेकिन यह लागू करने वाले की नीति पर लागू होता है। अगर ये सभी घोषणाएं पूरी होती हैं तो वाक़ई में इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता; नहीं होतीं तो फिर जैसा है, वैसा है ही।

पेयजल के बारे में काफी कुछ घोषणाएं की है जिनमें चम्बल नदी से अलवर के लिए फीजिबिलिटी सर्वे प्रस्तावित है। मेरा राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र डार्क जोन में आ गया है तो मुख्य मंत्रीजी से मेरा आग्रह है कि यह फीजिबिलिटी सर्वे वाया राजगढ़ होते हुए करने की कृपा करें, रायपुर, मंजपा, सोराया आदि मेरे ऐसे गांव हैं जिनमें खारा पानी है, जिसको पीना तो दूर, पशु भी नहीं पी सकते। इसलिए जल संसाधन मंत्री से आग्रह है कि थोड़ी दूर, पर जाकर अच्छा पानी मिलता है तो वहां से पाइपलाइन लेकर पानी पहुंचाएं। (व्यवधान) उनको भी रिकार्डेड चीज तो होनी चाहिए न। ये तो कह देंगे, ये तो अच्छी मीठी गोली दे देते हैं, कि हां, हो जाएगा, हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। (व्यवधान) तो कई छोटी-छोटी चीजों के लिए हैंड पम्प, वाशर के लिए हैंड पम्प नाकारा घोषित कर दिये जाते हैं। तो पानी की जो गर्मी में किल्लत आ रही है, उसको देखते हुए युद्ध स्तर पर इनका संधारण करें। हमें जो सिंगल फेस की मोटरें और बोरिंग दी गई थीं, उनमें अभी तक कनेक्शन नहीं हुए। गर्मी का सीजन ऊपर आ रहा है तो उनका कनेक्शन जल्दी से जल्दी दिलाएं।

ऊर्जा। ऊर्जा में 3,380 मेगावाट की वृद्धि की है जिसमें 220 के वी ए के और 132 ग्रिड-स्टेशन, 28 का पूर्ण काम हो गया, 25 नये सब-स्टेशन प्रारंभ कर दिये गये हैं। मेरे राजगढ़ में 132 के वी ए का होते-होते काफी दिन हो गये, अभी तक उसको चालू नहीं किया गया है। चूंकि दौसा, मंडावर से बिजली आती है, गढ़ी सवाईराम वगैरह में तो सौतेला व्यवहार करते हैं और

(श्री सूरजभान धानका)

उसकी वजह से हमें दूसरे जिले से आ रही है। तो निश्चित रूप से वे अपने को देते हैं, हमारे वहां ट्रिपिंग वगैरह चलती है तो बहुत परेशानी आती है तो इसको जल्दी से जल्दी चालू करवाएं।

दूसरा, ढाणियां जो काफी वर्षों से बसी हुई हैं, उनको गैर-आबादी घोषित कर रखा है, उनको बिजली नहीं दी जाती है। तो उनका भी कोई न कोई क्राइटेरिया कि भाई, इतनी आबादी हो या इतने घर हों, तो इसके बाद कनेक्शन दिये जाएं। अर्थिंग वगैरह की वजह से, जो मतलब बढ़िया क्वालिटी के अर्थिंग नहीं किये जाते और बताते हैं, 8 पत्ती वाला है और तार लगा कर कर देते हैं। अभी एक महीने में तीन गांवों में घर-घर में बिजली का करंट आ गया जिसकी वजह से तीन आदमी मर गये। अभी हाल ही एक महीने के अन्दर- अन्दर की बात है। बल्लिपुरा, कांदेली और प्रेमपुरा गांव में अभी हाल ही मरे हैं। पीछे भी कुछ तार ढीले हो गये हैं, लाइनें पुरानी हो चुकी हैं, तो उन लाइनों की भी बदली करें और ढीले तार हैं, उनको कस कर दुर्घटनाओं से सुरक्षा करें।

स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में जननी सुरक्षा योजना, मां-जननी सुरक्षा योजना, फ्री दवा बहुत अच्छी योजनाएं हैं कि गरीब आदमी तिल-तिल कर मरता रहता था और पैसों के अभाव में उसका इलाज नहीं हो पाता था तो मुख्य मंत्रीजी की सोच सभी के लिए बहुत अच्छी साबित हुई इसके साथ-साथ महिलाओं व जननी सुरक्षा योजना तो दे दी लेकिन जब बच्चा होने के लिए जाते हैं तो वहां सफाई वाले या अन्ट्रेंड डाक्टर करवाते हैं तो वह भी जीवन से खिलवाड़ होता है जननियों के साथ। तो ज्यादा से ज्यादा महिला डाक्टर भर्ती करें, नर्सिंग स्टाफ लगाएं जो पी एच सी, सी एच सी में क्रमोन्नत की गई हैं, कुछ नई पी एच सी, एक हजार के करीब नई खोल रहे हैं, सब-सेंटर तीन हजार, यह स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लेकिन खाली भवन बनाने से ही कुछ नहीं होता, उनमें डाक्टर भी बैठने चाहिए, स्टाफ भी होना चाहिए।

मेरे राजगढ़ क्षेत्र में मेगा हाइवे निकला है जिससे आये दिन एक्सीडेंट होते हैं। वहां एनेस्थेसिया डाक्टर की वजह से आपरेशन थियेटर चालू नहीं हो रहा है। 108 एम्बुलेंस गढ़ी सवाईराम में जो 200 एम्बुलेंस दे रहे हैं, उसमें एक गढ़ी सवाईराम में भी दी जाय। रेणी पी एच सी है, उसे सी एच सी का दर्जा दें क्योंकि वहां बहुत ज्यादा जनता का घनत्व है।

(श्री सूरजभान धानका)

शिक्षा में राइट-टू-एजुकेशन, 2009 के परिप्रेक्ष्य में एक हजार नये प्राथमिक विद्यालय व 600 क्रमोन्नत किये गये हैं। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहता हूं सेकंडरी से सीनियर हायर सेकंडरी का भी कुछ प्रावधान होना चाहिए। मेरे बीछगांवा बहुत पहले का सेकंडरी स्कूल है, लेकिन आज तक सीनियर सेकंडरी में क्रमोन्नत नहीं हुआ जिससे बच्चों को दूर जाना पड़ता है। अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय जिसकी बहुत दिनों से डिमांड थी, वह मुख्य मंत्रीजी ने देकर हमें उपकृत किया है।

शिक्षा में मुख्य मंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना, बेरोजगारी भत्ता,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बहुत देर से तो नम्बर आया, मैं एक ही तो हूं, मुझे भी इतना टाइम नहीं दोगे। नहीं तो फिर हमें ज्यादा टाइम लेना पड़ेगा। (व्यवधान) अबकी बार ज्यादा आ जाएंगे।

पिनाण गर्ल्स स्कूल ...(व्यवधान) राजगढ़ गर्ल्स कालेज की बहुत दिन से मांग थी, क्योंकि हमारे एस टी बाहुल्य क्षेत्र है तो वहां लड़कियों को 50 किलोमीटर दूर जाने में दिक्कत होती है। गर्ल्स कालेज की भी बहुत दिन से मांग है। शिक्षा मित्र, विद्यार्थी मित्र, ये पीछे भी यहां हुड़दंगबाजी करके गये हैं, हक मांगने आये थे। वे इतने दिन से काम कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद वे ओवरएज हो जाएंगे। तो उनको भी पक्का करने की कोशिश करें।

गृह में 300 कांस्टेबल की भर्ती की जा रही है क्योंकि हमारा राजस्थान पुलिसकर्मियों की कमी से जूझ रहा है, सुरक्षा तंत्र कमजोर होता जा रहा है। अच्छे-अच्छे अधिकारी हैं, उनको केन्द्र में भेज दिया गया है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप बोलना, मैं रोक नहीं रहा। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 10.30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति: क्या सदन का समय 10.30 बजे तक बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय 10.30 बजे तक बढ़ाया गया।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-13 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्षमणगढ़): थानों में नफरी बढ़ा रहे हैं, शहरी में 60, ग्रामीण में 45 की गयी है। मेरे गढ़ी सवाईराम चौकी है, वह बहुत दूर है, जो किराये की धर्मशाला में चल रही है। वहां भी भवन निर्माण कराएं। अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन राशि, गैलेंट्री अवार्ड, प्रमोशन दिया जाय ताकि वे अच्छा काम कर सकें और अपराध पर अंकुश लगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: हो गया, माननीय सदस्य।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): एक मिनट। थोड़ा सा बोलने दो। दो-तीन ही है, ज्यादा नहीं है।

श्री सभापति: और बोल लेना, अभी 19 तारीख तक चलेगा सदन।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): सामाजिक अधिकारिता में नि:शक्तजनों को 18 से घटाकर 8 वर्ष कर दिया गया है, स्वागत योग्य है। ट्राइसाइकिल, साइकिल, निराश्रित संबल योजना, छात्रावास, एस बी सी आदर्श छात्रावास, आवासीय विद्यालय, अल्पसंख्यक मेवात विकास बोर्ड की 15 करोड़ से 25 करोड़ करना स्वागत योग्य है।

मेरा एक सुझाव है कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसको पैसा देना तो दूर, रोटी देना भी मुश्किल होता है। बहन-बेटी आती है तो उसकी इच्छा होती है कि वह कुछ उनको दे। तो मेरा विचार है कि 65 वर्ष के दूसरे राज्यों में अच्छी-अच्छी लग्जरी गाड़ियों में आते हैं और पेंशन लेकर जाते हैं। इसको भी इसमें सम्मिलित करें।

दूसरा, 1976 में धानका समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था और अब तक प्रमाण-पत्र बनते आ रहे थे, लेकिन पिछले 13.7.10 को एक गैर आधिकारिक चिट्ठी की वजह से गुमराह कर दिया गया और समाज को आज पौने दो साल हो गये, सर्टिफिकेट नहीं बनाये जा रहे हैं। जबकि गजट नोटिफिकेशन पार्लियामेंटरी प्रोसीजर से गुजरकर बनता है। यह कितना भी बड़ा अधिकारी हो उसकी चिट्ठी से नहीं हो सकता। गजट नोटिफिकेशन की काट गजट नोटिफिकेशन करेगा। तो जो भी अधिकारी है जिसने ऐसा कृत्य किया है, उसको निश्चित रूप से सज़ा दिलाने का काम करें।

श्री सभापति: अब थोड़ा सा संक्षिप्त कर दें, माननीय सदस्य।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): और समय बढ़ा दो।

श्री सभापति: बढा दिया, 10.30 कर दिया।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): सार्वजनिक निर्माण विभाग में 250 से 500 की आबादी को सड़क से जोड़ रहे हैं। यह यातायात के लिए, आवागमन के लिए बहुत अच्छा कदम है। लेकिन मेरा गांव लेकड़ी बानसूर में है और वहां आज तक सड़क नहीं बनी है, अब लोग-बाग़ भी कहने लग गये कि आप एम एल ए बन गये। तब भी नहीं बना पाये। तो कम से कम ऐसे स्पेशल केस में एक तो दे दो।

लक्ष्मणगढ़ बाइपास, लक्ष्मणगढ़ में आये दिन भीड़ हो जाती है तो वहां बाइपास निकलवाएं। लक्ष्मणगढ़ चिमरावली मोड़ से कठूमर, लक्ष्मणगढ़ से गोविंदगढ़ तक सड़कों की स्थिति जर्जर बनी हुई है। राजगढ़ बाइपास खड़कड़ा मार्ग पर चौराहा है, जहां क्रोस करते हैं तो आये दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो वहां सर्किल या ब्रेकर बनाएं ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

सैनिक कल्याण। चूंकि मैं सैनिक रहा हूं, इसलिए इस पर मेरा बोलना आवश्यक है। राजस्थान एक्स, सर्विसमेन कार्पोरेशन का जो गठन किया गया है, बहुत दिनों की मांग पर हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इसको योजना में लेकर हमें उपकृत किया है। पूर्व सैनिक एवं स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ायी है, 1200 से 3 हजार, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन 15 से 17 हजार, चिकित्सा एक हजार से 3 हजार किया गया है। स्वरोजगार में भी सैनिकों को आरक्षण देना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सुबह की 5 बजेगी यदि यह रफ्तार चलेगी। कम से कम 20-22 सदस्यों को और बोलना है।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): एक मिनट, धन्यवाद दे दूं।

श्री सभापति: धन्यवाद दे दो।

(21.00 बजे)

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): राजस्व में मेरी रैणी उप-तहसील को तहसील बनाया, इसलिए मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं, हेमाराम जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। (व्यवधान) अब

(श्री सूरजभान धानका)

ये तीसरे मोर्चे की कह रहे हैं तो यह तो जनता जानेगी। अपने बताने और न करने से क्या है। (व्यवधान)

अभी सहृदय, सादगी के प्रतीक मुख्य मंत्रीजी जो कर्मठ भी हैं, मुझे नहीं पता कि वे कब सोते हैं, जब देखता हूं तब जगते हुए ही देखता हूं सुनता हूं कि अभी यह कर रहे हैं तो उन्होंने जो बजट पेश किया है उसकी प्रशंसा करता हूं। जो सुझाव थे, वे मैंने दे दिये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नवल किशोर मीणा।

श्री नवल किशोर (बामनवास): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

हमारे मुख्य मंत्री महोदय चार साल से लगातार जो बजट पेश कर रहे हैं, वह गरीबों के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, एस सी, एस टी, ओ बी सी, हर वर्ग के उत्थान का बजट हमारे मुख्य मंत्रीजी ने दिया है। हमारे पक्ष के जितने भी माननीय सदस्य हैं, मैं बजट के बारे में वहां नहीं जाना चाहता कि बजट में क्या घोषणाएं हुईं, बजट के आंकड़े कितने अच्छे हैं, उनकी क्रियान्विति कितनी अच्छी हैं, क्योंकि इनके बारे में हमारे पक्ष के जितने भी माननीय सदस्य हैं उन्होंने बता दिया है, मैं तो सिर्फ इस बात पर जाना चाहता हूं कि बजट में जो भी घोषणा और प्रावधान हमारे मुख्य मंत्रीजी ने किये हैं, उनमें हमारे मुख्य मंत्रीजी की सोच क्या है? उनकी कितनी गहरी सोच है। उनकी सोच सिर्फ इस बजट की एक साल की क्रियान्विति की नहीं है, बल्कि उनकी आगामी वर्षों तक की सोच है। उन्होंने शिक्षा के अन्दर यूनिवर्सिटीज खोलीं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने जा रहे हैं, उनकी सोच सिर्फ शिक्षा के विकास या शिक्षा के उत्थान की ही नहीं है बल्कि हमारे मुख्य मंत्रीजी की यह सोच है कि जो पढ़ेगा वह आगे बढ़ेगा; हमारे नेताओं की, हमारी पार्टी की सोच यह है कि जो देश, जो राज्य, जो गांव और जो परिवार पढ़ गया, वह आगे बढ़ गया; जो शिक्षित हो गया, वह विकसित हो गया। हमारे नेता की सोच यह है कि अब गांवों में, हम ग्रामीण इलाके से आते हैं, हमारा किसानों का क्षेत्र है, गांव के लोगों के पास जमीन थोड़ी-थोड़ी 5-5, 10-10 बीघा रह गई, तो उनकी माली हालत कैसे ठीक हो। तो उन्होंने हर ग्राम के अन्दर, हर पंचायत के अन्दर सेकंडरी स्कूल खोल दी, हर हायर सेकंडरी स्कूल में साइंस और कामर्स का सब्जेक्ट खोल दिया जिससे कि गांव का और किसान का बेटा वहीं पर बैठकर डाक्टर और इंजीनियर की पढ़ाई कर

(श्री नवल किशोर)

सके। लेकिन अभी सारे स्कूलों में कामर्स और साइंस नहीं खुलें; पाई, इसलिए मुख्य मंत्रीजी से यह मांग रखना चाहूंगा कि सभी में खोलें; जो सेकंडरी, हायर सेकंडरी स्कूल हैं वहां भी हमें इस प्रावधान में दें। आपकी सोच है, जिसके कारण अगर एक परिवार का कोई एक भी बच्चा पढ़ गया और नौकरी लग गया तो उसकी माली हालत ठीक हो गई, उसका घर पल गया, उसका उत्थान हो गया।

दूसरा इस बजट के तहत हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो हमको तोहफा दिया है, उस तोहफे को हमारा आदिवासी वर्ग कभी भी नहीं भूलेगा। जो तोहफा हमारे मुख्य मंत्रीजी ने आज दिया, उसको 60 साल के इतिहास में कोई भी पार्टी नहीं दे पाई। यह तोहफा सिर्फ कांग्रेस ही दे सकती थी, अशोकजी गहलोत ही दे सकते थे। हमारे आदिवासियों के लिए, हमारे आदिवासी बच्चों के पढ़ने के लिए बहुद्देश्यीय छात्रावास खोल रहे हैं, उनके उत्थान के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए कई तरह की रियायतें दे रहे हैं। जो सबसे बड़ा तोहफा दिया, वह यह दिया कि पहली बार अगर कोई घोषणा की तो उदयपुर में ट्राइबल यूनिवर्सिटी की हमारे मुख्य मंत्रीजी ने की। एस टी वर्ग, आदिवासी वर्ग इसके लिए जिंदगी भर हमारी कांग्रेस पार्टी और हमारे मुख्य मंत्री का एहसान कभी नहीं भूलेगा।

इससे भी बड़ी बात मैं यह कहना चाहूंगा, जिसको यूनिवर्सिटी से भी बड़ी बात मानता हूं; मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं, हिस्टरी में आनर्स किया है मैंने, मैंने कहीं भी स्वतंत्रता संग्राम के अन्दर पढ़ा तो 13 अप्रैल, 1919 याद किया जाता है, जलियांवाला बाग़ कांड याद किया जाता है, 13 तारीख को पूरा हिन्दुस्तान अशुभ मानता है लेकिन उससे भी बड़ा जलियांवाला कांड जो हमारे आदिवासियों का हुआ, वह बांसवाड़ा के मानगढ़ में हुआ। वहां 1,500 से ज्यादा हमारे आदिवासी मरे। जलियांवाला कांड से बड़ी घटना थी स्वतंत्रता सेनानियों की लेकिन उसका इतिहास में कहीं नाम नहीं था। इस बजट में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने यह इतिहास बना दिया कि मानगढ़ धाम एक बहुत बड़ा आदिवासियों का स्वतंत्रता संग्राम का धाम है, 4 करोड़ रुपये देकर उसका स्मारक चिन्ह बनाया। इसके लिए आदिवासी वर्ग कभी नहीं भूल पायेगा।

हमारे मुख्य मंत्रीजी की गरीबों के प्रति ऐसी सोच है कि गांव में हम रहते हैं, जब बरसात होती है, कच्चे घरों के झोंपड़ों में रात को गरीब सोते हैं तो पानी टपकता रहता है और अगर उनके लिए 10 लाख मकान बना दिये तो

(श्री नवल किशोर)

हमारे मुख्य मंत्रीजी ने क्या बुरा कर दिया? गांव में एक गरीब जब बीमार हो जाता था तो वह झाड़ा-झपट्टा लगवाकर अपना इलाज करवाता था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। जब वह ज्यादा बीमार हो गया तो अस्पताल में जाता, मेडिकल वाले के पास अपने बहू-बेटियों के गहने रख आता; ज्यादा बीमार हो जाता तो उनको छुड़ा नहीं पाता। उसके लिए जो निःशुल्क दवा योजना हमारे मुख्य मंत्रीजी ने चलाई, यह उनकी बहुत बड़ी सोच है।

जो हमारी विपक्षी बहनें जननी शिशु योजना के लिए बोल रही थीं तो मुझे बड़ा दुःख हो रहा था। यह एक ऐसी योजना है जिसको हम गांव में जापा योजना कहते हैं, बहन-बेटियां जब डिलिवरी में होती हैं तो कभी बच्चा मर जाता है, कभी जच्चा मर जाती है, कभी बच्चा और जच्चा दोनों मर जाते हैं। तो उनका घर खराब हो जाता है। आज हमारे मुख्य मंत्रीजी, हमारी कांग्रेस पार्टी और हमारी नेता सोनिया गांधीजी की इतनी बड़ी सोच है कि उन्होंने जब देखा कि गांव में हमारी बहनों के साथ क्या हो रहा है तो हमारी नेता सोनिया जी ने, हमारे मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत साहब ने इस योजना का विस्तार किया, इसको बढ़ाया और आने-जाने का पूरा खर्चा, ले जाने का, 30 दिन का खर्चा, दवाई में एक हजार से पचास हजार का खर्चा हो तो पूरा खर्चा सरकार दे रही है, हमारी कांग्रेस पार्टी दे रही है, हमारी नेता सोनियां गांधी दे रही हैं। इसके साथ-साथ 1400 रुपये दे रही है। मैं गांव की भाषा में कहना चाहूंगा कि पहले गांव में जब डिलिवरी हो गई, जापा हो गया तो सास सूखे आटे में लड्डू बनाकर दे देती पर अब 1400 रुपये हमारे मुख्य मंत्रीजी दे रहे हैं, हमारी सरकार, हमारी कांग्रेस पार्टी दे रही है, 5 किलो घी लो और गोंद का लड्डू खाओ। जापा का मतलब यह है कि पहले बहन-बेटी को डिलिवरी के लिए पीहर भी जाना पड़ता था लेकिन अब जापा के लिए बहन-बेटी को न तो पीहर वालों की जरूरत है, न ससुराल वालों की जरूरत है और कांग्रेस सरकार की, अशोक गहलोत की जापा करवाने की जिम्मेदारी है। इतनी बढ़िया यह योजना बनाई।

मुख्य मंत्रीजी ने गांवों में प्रशासन-गांव-के-संग अभियान चलाया जिसमें 18 विभागों को लाकर बिठाया। उसमें गरीबों का उद्धार हुआ है। मैं तो मुख्य मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि दुबारा से प्रशासन-गांव-के-संग अभियान चलायें। 18 विभाग लेकर के गरीबों के बच्चे जो तहसील और जिला हैडक्वार्टर

(श्री नवल किशोर)

पर नहीं जा पाते, उन बच्चों के विकलांग सर्टिफिकेट बने, उनके कइयों की रजिस्ट्री बनीं, जो बेचारे वहां पर जाकर अपना देख नहीं पाते थे कि कैसा अपना खसरा नम्बर है, क्या खातेदारी है; जिन विकलांग बहिनों के सर्टिफिकेट बनें, विधवाओं की पेंशन बनीं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा, विधवाओं के बीच में जो राइडर 25 साल के लड़के का लगा रखा है, मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, उसको हटाया जाये।

मैं किसान का बेटा हूं, किसान की बात करूंगा। किसान के लिए हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि किसान को पानी, बिजली और खाद की जरूरत पड़ती है। किसान के इस बार बिजली का संकट जरूर रहा लेकिन यह संकट हमारे राजस्थान में ही नहीं था। भारी बरसात हो गई, कोयले की खादानें भर गईं, बिजली बनना बंद हो गया। हमारी राजस्थान की सरकार तो कांग्रेस की सरकार है, इसमें बिजली का संकट नहीं था, गुजरात और एम.पी. में इससे भी ज्यादा संकट था लेकिन इन्होंने हल्ला मचा दिया क्योंकि वहां पर कोयले की खदानों में पानी भर गया और उत्पादन हो नहीं पाया। लेकिन अब तो बिजली का संकट ठीक होता जा रहा है। खाद की कमी रही। खाद, डीएपी, यूरिया के हमारे राजफैड से भण्डारण जो हमारे मुख्य मंत्रीजी कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है, इस तरीके का भण्डार रहना चाहिए वरना यह गांवों में हल्ला कर दिया था कि खाद महंगा कर दिया कांग्रेसियों ने, 960 रुपये का कट्टा कर दिया। इनको यह मालूम नहीं कि यह खाद कहां से आ रहा है। हिन्दुस्तान में खाद नहीं बन रहा, यह खाद विदेश से आ रहा है। 2,000 रुपये का कट्टा आ रहा है, यहां पर आकर किसान को 960 रुपये में दे रहे हैं। 1200-1100 रुपये कौन दे रहा है, हमारी कांग्रेस सरकार सब्सिडी दे रही है, हमारी सोनिया गांधीजी दे रही हैं यह। (व्यवधान) नया सदस्य हूं, सुनने की कोशिश करें, साहब।

दूसरा, किसान के पास जनसंख्या बढ़ने से जमीनें कम हो गईं। किसान दूसरे किसान की बुवाई-कटवाई करने के लिए जमीनें करने लग गया। उसको फसल ऋण बीमा का फायदा, और फायदा नहीं मिल पा रहा था, उसका प्रावधान हमारे अशोकजी गहलोत साहब ने किया।

एक पुलिस प्रशासन, कानून प्रशासन को मजबूत करने के लिए जो अकादमी हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जोधपुर में बनाई, यह बहुत अच्छी बात है। कानून व्यवस्था बिलकुल सुदृढ़ रहनी चाहिए।

(श्री नवल किशोर)

पुलिस की भर्ती में जो एक गरीब आदमी सिपाही की भर्ती में खड़ा होता है, वह इंटरव्यू में भ्रष्टाचार के लिए पैसा कहां से लाये? लेकिन हमारी राजस्थान की सरकार, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने वह इन्टरव्यू पुलिस भर्ती में खतम कर दिया। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उस सिपाही के लिए जरूर कहना चाहूंगा जिसके लिए आज तक कोई नहीं कहता, वह एक प्रहरी होता है। उसके उत्थान और उसके विकास के लिए किसी ने नहीं सोचा। जब 20-20 दिन तक आन्दोलन चलता है और वह सिपाही खड़ा रहता है, उसकी बनियान पीली हो जाती है लेकिन वह अपनी ड्यूटी देता रहता है। उसकी तनख्वाह के बारे में आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा, उसके बच्चे-बच्चियों के उत्थान के बारे में किसी ने नहीं सोचा। उनका विकास हमारे मुख्य मंत्रीजी जरूर करेंगे।

अब सिर्फ मैं मेरे क्षेत्र की मांग के बारे में कहना चाहूंगा। मैं पहला एम.एल.ए. हूं बामनवास से, जो सरकार के साथ सत्ता में आया हूं। बड़ा दुर्भाग्य है मेरे क्षेत्र का, जब-जब वहां पर एम.एल.ए. बना, यहां सरकार दूसरी पार्टी की बनी। कांग्रेस का एम.एल.ए. बना, बी जे पी की सरकार बनी; बी जे पी का एम.एल.ए. बना, कांग्रेस की सरकार बनी। पहली बार मैं सरकार का एम.एल.ए. बना। बड़ी उम्मीद लेकर मैं मुख्य मंत्रीजी के बीच में हूं। थोड़ा दुःख हो रहा है, मेरे क्षेत्र को इस बजट में छुआ तक नहीं। मैं मेरे मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं और आशा करता हूं कि बिलकुल मेरे क्षेत्र की मेरी मांगों पर गौर करेंगे और उनके लिए मुझे जरूर कुछ न कुछ देंगे। मेरे क्षेत्र के अन्दर बहुत होनहार लड़के हैं, किसान के बेटे हैं, गरीब जरूर हैं लेकिन पढ़ने में बहुत होशियार हैं। वह गरीब अपने माथे पर अनाज का कट्टा रखकर जयपुर तक लाकर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, आर ए एस और आई ए एस बना रहा है। पूरे देश और राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मेरे क्षेत्र के लोग सेवा दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे वहां पर कोई भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। मैं बार-बार मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं कि वहां पर मेरे यहां एक राजकीय महाविद्यालय खोलें क्योंकि मेरा क्षेत्र पहले से ही पिछड़ा जिला है। कांग्रेस और बी जे पी, दोनों ही गरीब को गणेश मानती हैं। जब पूरी केन्द्र सरकार और सोनियाजी ने मेरे जिले को ही गरीब घोषित कर रखा है तो उस जिले के अन्दर क्यों नहीं इन चीजों की मांग पूरी की जाये? हर चीज की शुरुआत गरीब से ही करनी चाहिए। कोई भी, किसी भी विभाग ने मेरे क्षेत्र को नहीं छुआ।

(श्री नवल किशोर)

दूसरी बात, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने हर पंचायत पर रोडवेज देने की हमारी सुविधा का प्रावधान रखा है लेकिन मैं सच कहना चाहूंगा, मेरे मुख्यालय, तहसील हैडक्वार्टर पर उप खण्ड एस डी एम, पंचायत समिति बामनवास, दो-दो पंचायतें हैं लेकिन एक भी बस न तो जयपुर से जाती है और न सवाई माधोपुर जिले से आती है। कोई रोडवेज की बस नहीं चलती। मैंने जरूर यहां पर सवाल लगाये हैं, हमारे मंत्रीजी ने कहा कि राजस्व आय नहीं है। जयपुर के अन्दर फ्री गाड़ियां घूम रही हैं, उनमें दो-दो आदमी भी नहीं बैठते हैं। आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, उनकी राजस्व आय कहां से आ जाती है? इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसी सत्र में इसकी घोषणा करके रोडवेज की बस जरूर चला दी जाये।

सर, मैं एक-दो मांग ही कर रहा हूं बस। मेरे क्षेत्र में एक तहसील बौंली पड़ती है, उसके अन्दर पानी की इतनी गम्भीर समस्या है। बीसलपुर बांध जो बनास नदी पर बन रहा है, वह बिलकुल मेरे बौंली तहसील के नजदीक होकर निकलती है, बनास नदी लेकिन उसका बांध ऊपर टौंक में बना दिया। पानी के लिए त्राहि त्राहि मच रही है। मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि पानी के 155 टैंकर तो जब बरसात के दिन होते हैं, उस समय भी हमारे उस कस्बे में लगातार चलाने पड़ते हैं। ऐसा घोर संकट हमारे यहां पानी का है। वहां पर मोरेल डैम है जो हमेशा सूखा रहता है। इसलिए मैं मांग करता हूं, चम्बल से या बनास से, जो बीसलपुर की योजना से है, उससे, कहीं से भी कोई योजना बनाकर मेरे बौंली क्षेत्र की पानी की मांग पूरी करें।

सड़कों की हालत खराब है। निवाई से बौंली और मित्रपुरा से पीपल्दा तक सड़क बिलकुल खराब हो रही है। किसानों के लिए बिजली की जरूरत है, इसलिए 132 के वी का जी एस एस... सभापति महोदय, मैं बौंली-बामनवास के लिए कुछ मांगना चाहता हूं, एम.एल.ए. लैड को डबल करने की मांग करता हूं।

देवनारायण योजना के तहत, मेरे क्षेत्र में गुर्जरों का बाहुल्य है, वहां पर लोग बहुत पिछड़े हैं। उन लोगों के लिए भी देवनारायण बोर्ड का विस्तार मुख्य मंत्रीजी ने किया है। उसके तहत मेरे बौंली और बामनवास में आवासीय विद्यालय खोले जायें। उसकी मैं मांग करता हूं।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बोलना तो और चाहता था, महोदय, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा, अगर मेरी यह मांग पूरी हो गई तो डाक्टर रवीन्द्र नाथ टैगोर साहब हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं...

श्री सभापति: श्री अशोक परनामी।

श्री नवल किशोर (बामनवास): ...उन्होंने यह कहा है, सर, मैं सोया और स्वप्न देखा कि जीवन आनन्द है; मैं जागा और देखा कि जीवन सेवा है; मैंने सेवा की और पाया कि सेवा आनन्द है। तो यह मेरे क्षेत्र के लिए सार्थक हो जायेगा। हमेशा मैं मुख्य मंत्रीजी का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अशोक परनामी।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): आदरणीय सभापति महोदय, ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बस आप संक्षिप्त में और सारगर्भित बोल सकें, मेहरबानी करके बोलें क्योंकि प्रतिपक्ष के 20 माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सभापति महोदय, आप कह दें तो वैसे ही बैठ जाते हैं। अभी बोला है नहीं और आपने तो...

श्री सभापति: नहीं, मैंने आपको टोका नहीं है, मैंने आपको निवेदन किया है कि आप समय का ध्यान रखें। 10.30 बजे तक का हाउस है।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): 20 मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री सभापति: 20 मिनट बहुत ज्यादा होंगे, माननीय सदस्य। नहीं होंगे इतने।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ज्यादा नहीं है, सबको आपने आधा-आधा घंटा दिया है। 20 मिनट से पहले आप मत बोलें, टोकें नहीं।

आदरणीय सभापति महोदय, यह कांग्रेस की सरकार का चौथा बजट है और चारों बजट का यदि विश्लेषण किया जाये तो यह देखने को मिलता है कि सदन में जयपुर की जनता की आकांक्षाओं को बजट में सम्मिलित किया जाता है। उस जनता की आकांक्षाओं को सम्मिलित किया जाता है जो जनता हमें चुनकर यहां पर भेजती है। फिर यहां पर बजट के माध्यम से घोषणाएं होती हैं, दूसरे दिन अखबारों में घोषणाएं छपती हैं, राजस्थान प्रदेश की जनता उन घोषणाओं को पढ़ती है और हर्ष महसूस करती है कि यह सरकार राजस्थान प्रदेश के लिए कुछ करना चाहती है। परन्तु इस बात का दुःख है, मैंने अभी 2011-12 के बजट को देखा, वित्त विभाग की वेबसाइट पर जाकर मैंने जब बजट के आंकड़े देखे तो स्थिति बिलकुल विपरीत थी। सभापति महोदय, जो 2011-12 के बजट में घोषणाएं की गईं, उसमें से 82 घोषणाएं तो ऐसी हैं जिनकी अभी तक वित्त विभाग ने स्वीकृति भी नहीं दी और आज हम कहते हैं कि हम राजस्थान प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, राजस्थान प्रदेश की

(श्री अशोक परनामी)

जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हम खरा उतरना चाहते हैं। सभापति महोदय, मुझे यह भी बताते हुए दुःख हो रहा है कि 123 घोषणाएं ऐसी हैं जो वित्त विभाग में नहीं जातीं, परन्तु डिफरेंट-डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाती हैं। उन घोषणाओं का क्या हुआ? उसकी कोई जानकारी आपके इस बजट में नहीं है। केवल मात्र 255, 52 घोषणाओं को वित्त विभाग ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। अब ये अपने गिरेबान में खुद झांककर देख लें कि बजट में जो घोषणाएं की गई थीं, उनको कितना पूरा किया गया।

घोषणा की गई कि किसानों को उनकी फसल का पूरा लाभ मिले, उसके लिए किसानों के लिए भरतपुर में एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना की जायेगी परन्तु स्थापना नहीं की गई। जो किसान सपना देख रहे थे कि मैं टमाटर को पैदा करूंगा और टमाटर को सीधा बाजार में न बेचकर के उसकी सास बना कर, कैच-अप बनाकर बेचूंगा और ज्यादा कमाऊंगा, उसके सपने को इस सरकार ने धूमिल कर दिया। सभापति महोदय, पी पी पी मोड पर कोटा में आई आई टी, आई आई आई टी की स्थापना होनी थी, मंत्री महोदय बैठे हैं, इनका जिला, इनका क्षेत्र है, परन्तु उसमें भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। विकलांगों के लिए राजस्थान पुनर्वास संस्थान की स्थापना होनी थी परन्तु इस सरकार को विकलांगों की भी कोई चिंता नहीं है। यह घोषणा भी घोषणा रह गई। पी पी पी मोड पर शारीरिक शिक्षा और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे; सभापति महोदय, यह सरकार जिसकी जिम्मेदारी है शिक्षा देना, वह सरकार भी पी पी पी मोड पर इसको लाना चाहती है परन्तु उस घोषणा को भी पूरा नहीं किया गया। यह सरकार है। तीन सालों में पंचायत मुख्यालयों को बसों से जोड़ा जायेगा, इस घोषणा में कुछ नहीं किया गया। सरकार कहती है हम गरीब के हैं, हम गांव से जुडे हुए लोग हैं परन्तु इस घोषणा को भी पूरा नहीं किया गया। अल्पसंख्यकों के लिए उर्दू, सिंधी, पंजाबी भाषाओं के लिए अजमेर में एस टी सी प्रारम्भ करना, प्रारम्भ नहीं किया। राज्य सेवा डिलिवरी गेटवे की स्थापना ताकि सात विभागों में 42 सेवाओं के लिए घर बैठे आवेदन कर सकेंगे, यह घोषणा भी थोथी घोषणा रह गई। 311 करोड़ की लागत से बांसवाड़ा, फतेहपुर, गंगानगर, नाथद्वारा, बालोतरा, डीडवाना, मकराना में सीवरेज योजना लागू करेंगे, यह घोषणा भी आपकी रह गई। भरतपुर में खेल संकुल की स्थापना करेंगे, यह घोषणा भी आपकी रह गई। रोडवेज के बेड़े में एक हजार नई बसें शामिल करेंगे ताकि ट्रांसपोर्ट की

(श्री अशोक परनामी)

व्यवस्था को सुधारा जा सके, यह घोषणा भी घोषणा रह गई। रोडवेज का रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, वह कब करेंगे, पता नहीं, यह घोषणा भी घोषणा रह गई। विश्व बैंक के सहयोग से राज्य कृषि प्रतिस्पर्धा योजना लागू की जायेगी, यह भी किसानों की योजना थी, इस योजना को भी छोड़ दिया आप लोगों ने। मुख्य मंत्री बी पी एल आवास योजना, दो लाख अस्सी हजार आवास निर्मित किये जायेंगे, यह बहुत बड़ी घोषणा थी कि गरीबों को मकान मिलें, उनको छत मिलें परन्तु दुर्भाग्य है, सभापति महोदय, अभी तक एक मकान भी बनकर धरातल पर नहीं आया, वित्तीय स्वीकृति दे दी परन्तु धरातल पर अभी तक मकान नहीं बने। एक भी गरीब व्यक्ति को यदि इस स्कीम के अन्दर मकान दे दिया हो तो मुख्य मंत्रीजी अपने बजट भाषण में जब जवाब दें तो उसमें घोषणा कर दें। (व्यवधान) घोषणा कर देंगे; क्या दिक्कत है, घोषणा कर देंगे। 17 से 21 वर्ष के बच्चों के लिए मुख्य मंत्री हुनर विकास योजना प्रारम्भ की जायेगी; मुख्य मंत्रीजी, यदि आप इस योजना को भी लागू नहीं कर सकते तो आप युवा पीढ़ी के साथ अन्याय कर रहे हैं। राज्य में झीलों के संरक्षण हेतु झील विकास प्राधिकरण का गठन किया जायेगा, गठन नहीं किया गया। राज्य में चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की स्थापना की जायेगी, वह भी आप लोगों ने नहीं किया। दो सौ मदरसों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा, वह भी आप लोगों ने नहीं किया। राजस्थान भूजल नियंत्रण एवं प्रबंधन कानून बनाया जायेगा, वह भी आपकी सरकार के द्वारा नहीं किया गया।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): कर दिया, दो सौ इक्यावन मदरसों को क्रमोन्नत कर दिया।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): बता देना, उसमें क्या बात है? मेरे पास जो है, बता देना।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): बता दिया। आप कहो तो लिस्ट दे दें।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): जयपुर में रिंग रोड बनाने वाले, वह बनेगी जब हमारी सरकार आयेगी। अभी तक तो आप लैंड एक्विजिशन भी पूरा नहीं कर पाये। अभी तक नहीं किया आपने। चलो, और आपके पौने दो

(21.27 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

(श्री अशोक परनामी)

साल बाकी है; उसमें देख लेते हैं, साढ़े तीन सालों में तो नहीं किया, अब आप आगे कर दें, देख लेंगे। शैक्षणिक रूप से पिछड़े 146 ब्लाक्स में से..(व्यवधान) अभी तो यही तय नहीं कि 190 मीटर...। शैक्षणिक रूप से पिछड़े 146 ब्लाक्स में से 134 में माडल स्कूल निर्मित किये जायेंगे; सोच बहुत अच्छी है, माडल स्कूल बनने चाहिए, गांवों में भी माडल शिक्षा मिलनी चाहिए परन्तु दुर्भाग्य कि आपकी सरकार द्वारा अभी तक इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन हेतु आम जन हेतु टोल फ्री 104 चिकित्सा परामर्श सेवा प्रारम्भ की जायेगी, 108 तो हमने शुरू कर दी थी, यह 104 आपको शुरू करनी थी परंतु यह भी थोथी घोषणा रहकर के रह गई।

सभापति महोदय, कुछ इन्होंने घोषणा की थी, नौकरियां तो बहुत देंगे परन्तु कुछ स्पेसिफाई नौकरियों की इन्होंने घोषणा की थी, ये बेचारे भी सोच रहे हैं कि ये घोषणाएं कब पूरी होंगी। अभी तक तो इनकी वित्तीय स्वीकृति भी आपके द्वारा जारी नहीं की गई। अध्यापक तृतीय श्रेणी के पांच सौ पदों पर उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की जाय, कर दी हो तो बता दें, साहब। एक हजार नर्स ग्रेड सेकंड एवं नौ सौ पिचहत्तर नर्स ग्रेड-सेकंड एवं जीएनएम की नियुक्तियां की जायेंगी; अस्पताल में नर्से नहीं है, सही देखभाल हो नहीं रही, वहां पर मरीजों को चूहे कुतर रहे हैं परंतु आपके द्वारा ये भर्तियां नहीं की जायेंगी। 299 आयुर्वेद, 40 यूनानी, 40 होम्योपेथी डाक्टर और 392 आयुर्वेद नर्सों की नियुक्तियां की जायेगी परन्तु आपकी सरकार के द्वारा इतना पुनीत काम भी नहीं किया गया। (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आज इस बारे में सुझाव भी देना चाहूंगा। बजट की घोषणा करना और उस बजट को पूरा करना, यह दोनों जिम्मेदारियां सरकार की हैं। यदि वह उनको नहीं पूरा कर पाती तो यह सरकार की निष्क्रियता है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आउटकम बजट की एक्शन टेकन रिपोर्ट यहां पर भी जारी की जाए। जिससे पता तो चले राजस्थान प्रदेश की जनता को कि आपके बजट में घोषणाएं क्या थीं और उस घोषणा को आपने पूरा किया या नहीं किया? इस सदन में नेता कम से कम यदि यह लायें तो उसमें बहुत अच्छा होगा, कम से कम आने वाले समय में इस प्रकार की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी।

बजट के लिए बहुत बड़ी-बड़ी बातें बोली गईं कि बजट इतना बढ़िया कर दिया, बजट का हमने प्लान बढ़ा दिया। बजट का प्लान आपने नहीं

(श्री अशोक परनामी)

बढ़ाया, बजट का प्लान तो केन्द्र सरकार ने बढ़ाया है। आपने तो कम करके ही भेजा था। बजट को बढ़ाने के लिए यदि किसी ने सहारा दिया तो राजस्थान प्रदेश की जनता ने सहारा दिया जिन्होंने आपको रेवेन्यू के रूप में इतना इजाफा दिया।

सभापति महोदय, इस बात को कहते हुए मुझे बहुत ही दु:ख हो रहा है कि सेन्ट्रल स्पोंस्न्ड स्कीम केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं, यह पैसा केन्द्र सरकार से आता है। जब आप चुनाव में गए थे तब आपने कड़ी से कड़ी मिलाने की बात कही थी, केन्द्र में आपकी सरकार है और प्रदेश में आपकी सरकार है फिर भी बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2011-12 में 2,304 करोड़ का बजट था आपका और रिवाइज एस्टिमेट कितना कर दिया, केन्द्र सरकार से कितना पैसा लेकर के किया है, 2,201 करोड़ रुपया; 103 करोड़ रुपये का आपने राजस्थान प्रदेश की जनता का नुकसान कर दिया। ऐसी योजनाओं में जहां पर दूसरे प्रदेश इस योजना के अन्तर्गत ज्यादा खर्च करते हैं और वहां से ज्यादा पैसा लेकर के आते हैं, आपसे तो यह पैसा भी खर्च नहीं किया गया जिसके कारण से वहां से पैसा कम आया। इसमें मैं आपको सबसे बड़ा हैड बता दूं, आपको सुनकर के ताज्जुब होगा कि इस योजना के तहत 49 करोड़ रुपया आयुष चिकित्सालयों के लिए केन्द्र सरकार ने आपको दिया था। आपके द्वारा ये औषधालय भी नहीं बनाये गये और यह 49 करोड़ रुपया लैप्स हो गया।

सभापति महोदय, किसी ऐसे गांधीवादी मुख्य मंत्रीजी की हम बात कर रहे हैं जिसका कोई विजन नहीं है, जिसकी कोई सोच नहीं है राजस्थान प्रदेश के विकास में। सभापति महोदय, राजकोषीय घाटा 1 लाख 85 हजार करोड़ रुपए बढ़ गया। 2010-11 में 1.27 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद में आपका घाटा था, 2011-12 में आपने इसको बढ़ाकर के 2.09 प्रतिशत कर दिया और 2012-13 में आपने इसको बढ़ाकर के 2.14 प्रतिशत कर दिया, जबकि केन्द्रीय सहायता में बढ़ोतरी हो रही है।

किसी भी प्रदेश की वित्तीय स्थिति तभी सुधर सकती है जब उसके अपने संसाधन मजबूत हो, अपनी रेवेन्यू, अपना जनरेशन हो। इस सरकार ने राज्य की आर्थिक वृद्धि दर में भी गिरावट कर दी। 2008 और 2009 में जब हमारी सरकार थी, आदरणीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी थीं, उनकी एक सोच थी, उनका एक विजन था। उन्होंने 9.09 प्रतिशत वृद्धि दर छोड़ी थी। अब 2011-12 में आपकी सरकार ने, मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि कोई विजन नहीं है,

(श्री अशोक परनामी)

सोच नहीं है, वित्तीय प्रबंधन भी ठीक नहीं है, 5.41 प्रतिशत लाकर के खड़ा कर दिया। यदि इसी प्रकार से आप आर्थिक वृद्धि प्रदेश की रोकेंगे तो जो इतना बढ़ा कर्जा ले रहे हो, इतना बढ़ा लोन ले रहे हो, तो इसका चुकारा कहां से करोगे, यह सोचने की बात है।

रेवेन्यू सरप्लस की बात हो रही है, बहुत-बहुत बड़ी बातें कीं कि हमने 352.62 करोड़ पर लाकर के छोड़ दिया। परन्तु पिछले आंकड़े भी देख लें जब आपकी सरकार थी 2003-04 में; जब गई सरकार आपकी तो आप 2142 करोड़ का राजस्व घाटा छोड़ करके गए थे। हमने 2005-06 में इसको 660 करोड़ पर लाकर के खड़ा कर दिया; 2006-07 में इसको सरप्लस पर लेकर के आ गए 638 करोड़ कर दिया और जब हमने आपको सरकार दी 2007-08 में, 1652.98 करोड़ हमने रेवेन्यू सरप्लस इस सरकार को दिया था। परन्तु फिर इस वित्तीय कुप्रबंधन में 2009-10 में जब आपने सरकार संभाल ली नवम्बर में, तो इसको लाकर के 4747 पर खड़ा कर दिया, जो 2010-11 में (-) 888 पर लाकर कर दिया। अब यदि 352 पर लेकर के आये तो बहुत आप अच्छी शेखियां बघार रहे हो।

सभापति महोदय, ऐसे आंकड़े आपके समक्ष रख रहा हूं जिसको पूरा सदन देखेगा। इस वर्ष 29,291 करोड़ का आपने प्लान आउटले बनाया, आपने रिवाइज्ड एस्टिमेट बजट दिया और जनवरी के खतम होने तक कितना खर्च किया आपने, केवल मात्र 18,575 करोड़ रुपया; टोटल बजट का 63.5 प्रतिशत अभी तक आपने खर्च किया। क्या इन दो वर्षों में यह राज्य सरकार 10 हजार 500 करोड़ रुपया खर्च करेगी? यह राज्य सरकार इसमें भ्रष्टाचार करना चाहती है। जिस प्रकार से कामनवैल्थ गेम्स में हुआ था, कम समय में ज्यादा पैसा खर्च करना, यह भ्रष्टाचार को न्योता देता है और मैं यह मानता हूं कि दो महीने में यदि यह 10 हजार 500 करोड़ खर्च करती है तो निश्चित रूप से यह सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त होगी। मैं आपको पुराने फिगर भी देना चाहता हूं। जब हमारी सरकार थी, 2003-04 में हमने बजट का 109 प्रतिशत अचीवमेंट किया था। 2004-05 में 97 प्रतिशत अचीवमेंट किया था; 2005-06 में 94 परसेंट अचीवमेंट किया था; 2006-07 में 102 परसेंट का अचीवमेंट किया था; 2007-08 में 100 परसेंट का अचीवमेंट किया था। आपकी सरकार ने 2009-

(श्री अशोक परनामी)

10 में 97 प्रतिशत का, 2010-11 में 91 परसेंट का और अभी तक भगवान ही मालिक है कि आप कितना करेंगे।

यह सरकार अपने आपको किसान की हितैषी कहती है, किसानों की सरकार कहती है। 2007-08 में मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजेजी थीं तो सिंचित जो क्षेत्र था, 80 लाख 88 हैक्टेयर भूमि को हमने सिंचित किया था। इसको घटाकर के, 2009-10 में कांग्रेस सरकार ने इसको घटाकर के 73 लाख 9 हजार हैक्टेयर, 9 प्रतिशत कम सिंचित कर दिया। इतना ही नहीं किया, 2007-08 में हमारा जो सिंचित क्षेत्र का बजट था, वह 973 करोड़ रुपया था। परन्तु इस कांग्रेस की सरकार ने 2011-12 में 871 करोड़ पर लाकर के खड़ा कर दिया और बड़ी शर्म की बात है कि इस 871 करोड़ में से अभी तक केवल मात्र 491 करोड़ खर्च किया गया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैंने तीन बार आपसे निवेदन कर दिया है घंटी बजाकर। कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): मैं समाप्त कर रहा हूं। सड़क पर ले लीजिए। राजस्थान प्रदेश को विकास की गति देनी है तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आपको बढ़ाना पड़ेगा। मैं सड़कों के आंकड़े आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार के कार्यकाल में पांच वर्षों के दौरान 28 हजार 566 किलोमीटर की हमने सड़कें बनाईं। जिसका औसत प्रति वर्ष 5 हजार 713 किलोमीटर होता हैं। आपकी सरकार ने तीन वर्षों में केवल मात्र 3,596 किलोमीटर सड़कें बनाईं। हमारे एक वर्ष की सड़कें भी आपके तीन वर्षों की सड़कों से ज्यादा बनीं। आज हम कहते हैं कि राजस्थान प्रदेश को हम विकास की ओर ले जा रहे हैं, यही कारण है कि आपकी आर्थिक ग्रोथ रेट गिरी है।

सभापति महोदय, मैं कुछ तुलना भी करना चाहूंगा। हमारे राजस्थान प्रदेश की भारत वर्ष में 17...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): मैं सम-अप कर रहा हूं, साहब।

श्री सभापति: आप कृपया विराजिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): मैं सम-अप कर रहा हूं, साहब।

श्री सभापति: आप कृपया विराजिये। मेरी बात सुनिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ठीक है, मैं लास्ट...

श्री सभापति: मेरी बात तो सुनिये, कृपया विराजिये मैं आपको मौका दूंगा, कृपया विराजिये। देखिये, हमारे पास में 24 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और अगर आसन के कहने के बाद आधा घंटे से ज्यादा एक-एक सदस्य लेंगे, सब लोग अच्छे वक्ता हैं, तो मैं समझता हूं कि 12 घंटे आपको यहां चाहिए। उस हिसाब से आप व्यवस्था देख लें।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): मैं केवल पांच मिनट में..

श्री सभापति: आपको पूरा 37 मिनट हो जाएंगे। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, फिर भी आप मान नहीं रहे हैं।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): मैं केवल मात्र पांच मिनट। बस एक लास्ट बात कह कर खतम कर रहा हूं।

श्री सभापति: अगर सभी लोग ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा?

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सभापति महोदय, बस लास्ट बात कहकर मैं खतम कर रहा हूं।

अभी दस परसेंट डीएलसी दरों में वृद्धि की गई। जबकि जिला स्तरीय कमेटी बनी हुई है, उसमें जन-प्रतिनिधि भी शामिल हैं, वह इस डी एल सी की दरों को तय करती है परन्तु इस कांग्रेस की सरकार ने वह अधिकार भी छीन लिया। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जहां पर बीस परसेंट डी एल सी दरें बढ़नी चाहिए थीं, वहां पर आपने दस परसेंट बढ़ाई और जहां पर दो परसेंट बढ़नी चाहिए थीं, वहां पर आपने दस परसेंट बढ़ा दीं। आपने बराबरी नहीं की। यदि जिला स्तरीय कमेटी इसको तय करती तो वह पूरा सोच करके, समझ करके इसको तय करती।

जयपुर शहर को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए आदरणीय राहुल जी ने, आदरणीय सोनिया जी ने घोषणा कर दी। नैचुरली उन्होंने घोषणा की आपके वे नेता हैं तो आप लोगों ने भी जयपुर शहर को विश्व स्तरीय बनाने की ठान ली है। परन्तु बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, 2011 की जनगणना के जो आंकड़े कहते हैं, वे जयपुर शहर को विश्व स्तरीय शहर नहीं बना पाये। आज जयपुर शहर में पानी की समस्या खड़ी है; आज जयपुर शहर में ड्रेनेज की समस्या खड़ी है; आज जयपुर शहर की सड़कों का बुरा हाल हो रहा है; आज जयपुर शहर में पूरी सीवरेज लाइन नहीं डली। सभापति महोदय,

(श्री अशोक परनामी)
इस प्रकार जयपुर शहर की अनदेखी जिस प्रकार से हो रही है, जयपुर शहर की जनता इसको बरदाश्त नहीं करेगी।

आप मेट्रो लेकर के आइये, हम मेट्रो का स्वागत करते हैं परन्तु हम मेट्रो का स्वागत उसी शर्त पर करते हैं कि जयपुर की आधारभूत मूलभूत सुविधाओं को नजरअंदाज करके यदि आप जयपुर मेट्रो को लेकर के आएंगे तो जयपुर की जनता इसको बरदाश्त नहीं करेगी। मुझे कहते हुए दुःख हो रहा है, आज मैंने अख़बार में पढ़ा, जे डी ए के प्रोजेक्ट अटके। जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के विकास की बात करता है, उसमें लिखा है कि 733 करोड़ रुपये जे डी ए ने दूसरी मद पर खर्च कर दिये। जिसके कारण जयपुर के प्रोजेक्ट्स सफर कर रहे हैं। उन्होंने डेढ़ सौ करोड़ तो मेट्रो को दे दिया। जब मुख्य मंत्री महोदय जी ने यहां पर घोषणा की थी कि जब मेट्रो लेकर के आएंगे तो उसका अलग से बजट होगा, अलग से उसका प्रावधान होगा तो फिर एक सौ पचास करोड़ रुपये जयपुर विकास प्राधिकरण से क्यों लिये गये? इस एक सौ पचास करोड़ के कारण आज जयपुर शहर नरक शहर बन करके रह गया। आज जयपुर शहर में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। पानी की व्यवस्था पूरी नहीं है। उसका एक ही कारण है कि जिस प्रकार से आप इस पैसे को स्थानांतरित करते हो...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं अंत में इसको सम-अप करूंगा और इतना ही निवेदन करना चाहूंगा मुख्य मंत्री महोदय से कि जयपुर शहर की दशा जो बिगड़ रही है, उसको सुधारें। आज जयपुर शहर में जिस प्रकार से फुटबाल की गेम हो रही है मुख्य मंत्री महोदय, मेयर, मंत्री महोदय और सी ई ओ के बीच में, इसको सुधारिये वरना जयपुर शहर की जनता इस कांग्रेस की सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: देखिये मेरा, हाउस में सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है और आह्वान है कि अशोक परनामी जी ने 9.17 बजे बोलना शुरू किया था और मैं समझता हूं कि अभी ...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप टाइम क्यों बता रहे हो, साहब?

श्री सभापति: इसलिए बता रहा हूं कि मैंने केवल मात्र बीस मिनट लिये थे, अगर मेरी बात करें तो आप। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप

(श्री सभापति)

लोग अपनी व्यवस्था खुद देख लें। सभी वक्ता अच्छे बोलने वाले हैं, अपने सुझाव दें और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव बात करें। वरना तो मैंने जैसा बताया कि 12 घंटे इस हिसाब से लगेंगे इसलिए यह कहना, अपने तरीके से चलें, सभी लोग चलेंगे तो आप लोग देख लें, 12 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। अब आप अपनी व्यवस्था खुद ही अपने-आप में जो भी ठीक समझते हैं, कंस्ट्रक्टिव सुझाव दे दें, अपनी-अपनी कांस्टीट्यूएंसी के बारे में। यही सबका कहना है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): मैं तो यह पूछना चाह रहा था, 12 घंटे की बात तो ठीक है, ये तो बोल-बोल करके निकलते जा रहे हैं।

श्री सभापति: श्री जाकिर हुसैन।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर वादविवाद में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं।

जिस तरह आपको मालूम है कि हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी श्री अशोकजी गहलोत साहब ने 26 मार्च को राजस्थान का चौथा बजट पेश किया था, उस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, युवा वर्ग, किसानों, बेरोजगारों, अल्पसंख्यक भाइयों, सवर्ण जाति, सभी लोगों की भावना के अनुसार बजट पेश किया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह बजट पेश किया है। हरेक जिले, हरेक गांव, हरेक तहसील को छूकर, हरेक की भावना के अनुसार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह बजट पेश किया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपना बजट भाषण 2 घंटे 38 मिनट में 264 पैराग्राफ का पढ़ा और 33,500 करोड़ का बजट पेश किया।

राजस्थान की 6 करोड़ जनता माननीय मुख्य मंत्रीजी का बजट भाषण सुन रही थी टेलीविजन के मार्फत, रेडियो के मार्फत लेकिन जो हमारे सामने विपक्ष के लोग बैठे हैं, वे देख भी रहे थे। माननीय मुख्य मंत्रीजी जो 264 पैरा थे, उनमें एक-एक क्षेत्र का विकास गिना रहे थे और एक-एक क्षेत्र, एक-एक वर्ग के लोगों के लिए अनेक सारी योजनाएं सुना रहे थे लेकिन सामने बैठे हुए हमारे विपक्ष के नेता ने एक पर भी ताली नहीं बजाई, न उनका ज़मीर गवारा किया। मैं आपको इसलिए यह बात कहना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पैरा नं. 261 में जो घोषणा की विधान परिषद् की, तो उसमें विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने बहुत टेबलें बजा-बजा कर अपनी खुशी व्यक्त की। इससे यह जाहिर होता है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी का 264 पैरा का जो

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

भाषण था, उसमें उन्होंने खुशी जाहिर नहीं की क्योंकि जो विधान परिषद् की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, उनका खुद का स्वार्थ था इसके अन्दर, क्योंकि इनको गांव की जनता की कोई चिन्ता नहीं थी।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में अनेक सारी योजनाएं की हैं। बजट के पहले भी मुख्य मंत्रीजी हर दो-तीन महीने में अलग-अलग तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करते रहे हैं। इस तरह आपको मालूम है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अन्न सुरक्षा योजना का जो कार्य चलाया चालीस लाख परिवारों को दो रुपये किलो में अन्न देने का जो कदम उठाया, राजस्थान हिन्दुस्तान में पहला राज्य है जहां इतना बड़ा कदम उठाया गया है। उसके बाद में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा के वितरण की योजना चलायी, उसका भी प्रतिदिन दो लाख व्यक्तियों को फायदा होता है। आज गरीब किसान गांव में बैठा फट से रवाना हो जाता है। उसको दु:ख तकलीफ होती है तो हास्पिटल जाने के लिए पहले वह सोचता था, उसकी जेब में पैसा है या नहीं, कभी ब्याज पर लेता था या कभी कोई चीज गिरवी रख कर वहां हास्पिटल पहुंचना पड़ता था लेकिन आज गरीब किसान जब ढाणी से निकलता है तो हास्पिटल जाने के बाद उसका उपचार हो जाएगा। यह बहुत ही सराहनीय कार्य माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है।

उसके बाद मां जननी शिशु सुरक्षा योजना की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की। उसमें भी 3,70,000 महिलाओं ने उसका लाभ लिया, शहरी क्षेत्र की महिला को हजार रुपये और ग्रामीण क्षेत्र की महिला को चौदह सौ रुपये का लाभ भी मिल रहा है। जो महिला गांव से हास्पिटल आती है, उसके आने-जाने का खर्चा मिल जाता है। छोटे गांवों में हास्पिटल में उसका इलाज नहीं होता है और अगर वह बडी सिटी में जाती है तो उसके आने- जाने का खर्चा भी हमारी सरकार वहन कर रही है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो ग्रामीण बी पी एल आवासीय योजना की घोषणा की है, उसका 10 लाख गरीब किसानों को फायदा हुआ है। यह पहली ऐसी योजना है जिसमें जो मकान बना रहा है उसी को डायरेक्ट पैसा दिया जा रहा है, वरना जो अन्य योजनाएं होती हैं, वे अधिकारी के हिसाब से योजनाएं बनती हैं या सरपंच के मार्फत से या विकास अधिकारी के माध्यम से खर्चा होता है। यह पहली ऐसी योजना है जिसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फैसला लिया कि जो गरीब बी पी एल अपने हाथों से मकान बनाये उसे सीधा

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

पैसा दिया जाये। उसके लिये पहली किश्त 25 हजार रुपये की दे भी दी गई है और बाकी के 25 हजार की किश्त भी दे दी जायेगी।

राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम भी लागू किया गया। उसमें भी 31 लाख 10 हजार आवेदन प्राप्त हुए और 30 लाख 33 हजार प्रकरणों का निस्तारण भी हुआ। यह भी राजस्थान में एक ऐतिहासिक काम हुआ है क्योंकि जो अधिकारी काम नहीं करते थे आज इस अधिनियम के लागू होने के बाद सभी लोगों को एक टारगेट बनाकर काम करना पड़ता है, चाहे वह हैंड पम्प का काम हो या विकास का कोई भी काम हो।

ये सारी योजनाएं बजट से पहले जारी की गई थी हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्रीजी हर दो-दो, तीन-तीन महीने में, आपको मालूम है, पूरे प्रदेश में इनका प्रचार हुआ। ये योजनाएं जब चालू हुई थीं, उनकी मानिटरिंग हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत साहब और जो हमारे प्रभारी मंत्रीजी हैं या प्रभारी सेक्रेटरी साहब हैं, सारे के सारे इन योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसमें हमारे पक्ष और विपक्ष के एम एल ए भी थे, वह भी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। उस समय तो यह लोग बहुत तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छी योजनाएं चल रही हैं, आज जब यह वाद-विवाद का समय आ रहा है तब आज ये कह रहे हैं कि यह योजना ऐसी है, वैसी है, फिजूलखर्ची हो रही है, यह इनके सोच की बात है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हाल ही के बजट 2012-13 में जो घोषणा की है, उसमें जो सडकों का कार्य किया है वह बहुत ही सराहनीय है। पिछले बजट में भी जो सड़कों की घोषणा की थी, हरेक विधान सभा क्षेत्र में 7-7 करोड़ रुपये की सड़कों का कार्य एम एल ए की अभिशंसा पर होगा, उसका भी कार्य मैं समझता हूं, 75 परसेंट हो चुका होगा क्योंकि जो 16 किलोमीटर की मिसिंग लिंक की सड़कें थीं; उसका 8 किलोमीटर का फर्स्ट फेज का कार्य करीब-करीब पूरा हो चुका है और सेकंड फेज का कार्य अगले, चालू वर्ष में होगा 30-40 किलो मीटर का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण का कार्य भी एम एल ए की अभिशंसा के हिसाब से हो रहा है। राजस्थान में पहली बार सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी की एक सोच है।

अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, उसमें भी अनेक सडकों की योजनाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दी हैं। मनरेगा योजना में जो रोड बने हैं, उनको सभी को डामरीकरण करने की माननीय मुख्य मंत्री जी

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

ने 2012-13 के बजट में घोषणा कर दी है। 250 से 500 की आबादी के 2900 गांवों को भी डामर की सड़कों से जोड़ने की योजना की घोषणा भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में की है। नाबार्ड से 800 करोड़ की लागत से 3,302 किलोमीटर में 1,500 गांवों को लाभान्वित किया जायेगा। यह भी माननीय मुख्य मंत्रीजी की ग्रामीणों के प्रति एक बहुत अच्छी सोच है। विश्व बैंक के सहयोग से 1,400 गांवों को डामर की सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभारी हूं कि इस बजट में हमारे नागौर जिले को और मेरे मकराना क्षेत्र को बहुत सारी सौगातें दी हैं। राज्य में 16 मेगा हाइवे का जो कार्य इस बजट में लिया गया है, उसमें हमारे नागौर जिले की दो सड़कें भी आती हैं। एक तो जयपुर से जोबनेर, कुचामन, फलौदी की जो सड़क है, जो कि 366 किलोमीटर की है और जिसकी लागत 529 करोड़ रुपये की है, अगर यह सड़क शुरू हो जायेगी तो उससे हमारे मकराना से जयपुर आने में कम से कम 40 किलोमीटर कम हो जायेंगे, जिसका फायदा हमारे मकराना के लोगों को मिलेगा और हमारे जिलेवासियों को भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। दूसरी सड़क माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दी है कोटपूतली से कुचामन के लिये। इस सड़क से हमारे क्षेत्रवासियों को बहुत फायदा होगा। इससे हमें दिल्ली जाने के लिये जयपुर आने की जरूरत नहीं पडेगी, सीधे ही मकराना से कुचामन, कुचामन से नीमकाथाना, कोटपूतली होते हुए सीधे दिल्ली जा सकेंगे।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने खनन क्षेत्र में भी विशेष तौर से बी ओ टी के हिसाब से 500 करोड़ की योजना इस बजट में प्रस्तावित की है। इसमें पांच जिलों को जोडा गया है, जोधपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, नागौर और भीलवाड़ा। इसमें हमारे नागौर क्षेत्र में मकराना में जो खनन होता है, 500 करोड़ में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे को 100 करोड़ रुपये मिलेंगे, इससे हमारे गांवों के खनन क्षेत्र की सड़कों का बहुत ज्यादा विकास होगा और इससे हमें बहुत मदद मिलेगी।

पानी की योजना में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारे मकराना के लिये बहुत सारी सौगातें दी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं 20 पेयजल योजनाओं में, जिनकी कुल लागत 3,796 करोड रुपये है, उसमें मकराना के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक योजना डाली है, शहरी जल परियोजना, 21 करोड़ रुपये की, जो हमारी बहुत लम्बे समय से लम्बित पडी हुई थी, इस योजना में 20-25 करोड़

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

का तो हमारा काम भी हो चुका था, यह 21 करोड़ रुपये हमारे मकराना में देकर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मकराना को बहुत बड़ी सौगात दी है। इसके लिये मैं पूरे क्षेत्र की तरफ से माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। इसके अन्तर्गत हमारी तीन तो बड़ी-बड़ी पानी की टंकियां बनेंगी और 120 किलोमीटर की पूरी पाइपलाइन चेंज होगी।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इंदिरा गांधी सेकंड फेज के लिये भी 3000 करोड़ का इसमें प्रावधान रखा है। 60 साल से हमारी डिमांड थी इंदिरा गांधी नहर का पानी पीने की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारे सपनों को पूरा किया है। इसमें देशनोक से जायल, लाडनूं, डीडवाना, मकराना और नावां के क्षेत्र में इंदिरा गांधी सेकंड फेज का कार्य होगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इंदिरा गांधी सेकंड फेज में भी हमारे नागौर जिले को बहुत सी सौगातें दी हैं। फर्स्ट फेज में मूंडवा, कुचेरा और मेड़ता हैं, उसके लिये 431 करोड़ रुपये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिये। यह योजना 2002 में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जब जोधपुर से बीकानेर अकाल के दौरे पर आई थीं, उस वक्त हमारे पूर्व नेताओं ने मांग की थी कि इंदिरा गांधी नहर का पानी हमारे यहां पिला दिया जाये तो हमारी सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो जायेगा। उस समय इस योजना का सर्वे भी हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से बी जे पी की सरकार आने से इस योजना का कुछ कार्य नहीं हुआ, मुश्किल से 100-150 करोड़ रुपये लगाये। उसके बाद में जब माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत 2008 में आये उसके बाद में इस योजना का कार्य पूरा हुआ आज इस योजना में 431 करोड़ रुपये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिये, वह भी एक सराहनीय काम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारे जिले के लिये किया।

वर्षों से चली आ रही मांगों में से 24 तहसीलों और उप-तहसीलों की जो मांग थी, उसकी भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की उसके लिये भी मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने खेल के स्टेडियमों के लिये 8 शहरों में 16 करोड़ रुपये की जो स्वीकृति दी है उसमें 2 करोड़ रुपये मकराना को दिये हैं, आठ में बूंदी, चूरू, झुंझुनूं, पाली, अलवर, मकराना, चित्तौड़, हनुमानगढ़; आठ शहरों में से 2 करोड़ हमारे मकराना में हैं। उसके लिये भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का तहेदिल से आभारी हूं। उन्होंने युवाओं का, खेल-खिलाडियों की भावना अनुसार जो यह घोषणा की है उसके लिये मैं तहेदिल से आभारी हूं।

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह से ग्रामीण बी पी एल आवासीय योजना चालू की थी, इस बजट में मुख्य मंत्री शहरी बी पी एल आवासीय योजना की घोषणा की है एक लाख मकान बनाने के लिये उसके लिये 50-50 हजार रुपये दिये जायेंगे इसके लिये भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का तहेदिल से आभारी हूं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मकराना में 5 करोड का स्पेशल पैकेज दिया है, जो शहर के विकास के लिये है। उसमें मकराना, किशनगढ़, राजसमंद में खनन के कारण पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है उसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 5 करोड का विशेष पैकेज दिया है। उसके लिये भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का तहेदिल से आभारी हूं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट 2011-12 में 32 आरोबी की घोषणा की थी जिनमें से 6 R.O.B पूरे हो गये थे और 10 R.O.B का कार्य इस बजट में हाथ में लिया है। उसमें हमारे नागौर जिले के 3 ROB हैं, मकराना, नागौर, नावां। यह भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारे मकराना को सौगात दी है, इसके लिये भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभारी हूं।

चिकित्सा के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है, वे बहुत ही सराहनीय है, उसके लिये भी मैं चिकित्सा मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभारी हूं। उन्होंने 25 पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है और 100 नये पीएचसी खोले जायेंगे, 3000 नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे, 2980 नये डाक्टर्स की भर्ती की

(22.00 बजे)

जाएगी। ये बहुत अच्छी घोषणाएं की हैं। उसके साथ ही विभिन्न चिकित्सालयों के लिए सी एच सी में 1 हजार बेडों की वृद्धि भी होगी। वह भी बहुत-बहुत सराहनीय कदम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उठाया है। हमारे राजस्थान के अन्दर जो कार्य 108 कर रही हैं, उसमें बहुत से गरीबों का, पैसे वालों का, सभी का उसमें बहुत उपयोग हो रहा है। कभी भी एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटनाएं हो जाए तो 108 पहुंच जाती है। इनकी आवश्यकता ज्यादा होने की वजह से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 200 और 108 की घोषणा की है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अल्पसंख्यक विभाग के लिए जो घोषणाएं की हैं, राजस्थान के इतिहास में पहली बार घोषणाएं हुई मैं माननीय मुख्य

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

मंत्रीजी का तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने अल्पसंख्यक विकास सहकारी निगम में 15 करोड़ रुपया ऋण, लेने की उन्होंने डिमांड रखी है, उसमें अल्पसंख्यक लोगों के लिए चार प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। इससे अल्पसंख्यक लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा।

सबसे बड़ी घोषणा उन्होंने हज हाउस के लिए की है। बरसों से हमारे अल्पसंख्यक लोगों की बहुत डिमांड थी। क्योंकि हज के समय हमारे दूरदराज से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या बीकानेर से लोग जयपुर आते हैं, यहां रहने के लिए उनको उचित सुविधा नहीं मिलती। बहुत वर्षों से यह डिमांड थी। इसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दो करोड़ रुपये देकर एक बहुत बड़ी खुशी का इजहार किया है। इसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं। पिछली सरकार ने, वसुन्धराजी की सरकार ने सांगानेर में हज हाउस बनाने की घोषणा की थी, उसकी तैयारी हुई थी लेकिन कुछ आरएसएस के लोगों द्वारा इसको खोलने नहीं दिया गया। उनकी मानसिकता ऐसी ही है, आपको मालूम है, सभापतिजी।

उसके बाद में वक्फ बोर्ड की स्थापना की है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने। यह भी बहुत ही सराहनीय कदम है क्योंकि इसमें 5 करोड़ रुपये उसमें सरकारी कार्यालयों का किराया होता है। 5 करोड़ में से 3 करोड़ रुपये वक्फ बोर्ड में दिये जायेंगे। यह भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है।

मदरसा बोर्ड के अन्दर भी मुख्य मंत्रीजी ने बहुत घोषणा की है। मुख्य मंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना संचालित की जाएगी जिसमें चालू वर्ष के अन्दर 500 कम्प्यूटर पैरा-टीचर और साढ़े तीन हजार शिक्षा सहयोगियों की भर्ती की गई है, यह बहुत ही अच्छा कदम है। आगामी वर्ष के अन्दर 1 हजार कम्प्यूटर पैरा-टीचर और 1 हजार शिक्षा सहयोगीयों की भर्ती की जाएगी। मदरसा भवनों के लिए, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आवास के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है यह भी हमारे मदरसों के लिए बहुत अच्छी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सौगात दी है।

उसके बाद में बचे हैं, हमारे इंजीनियर और मेडिकल शिक्षा के लिए अल्पसंख्यक विद्यार्थी की फीस एक लाख रुपये प्रति वर्ष तक पुनर्भरण करना बहुत ही सराहनीय कार्य है। एक लाख रुपये इनको अनुदान दिया जाएगा और बाहर पढ़ने वाले बच्चों को एक हजार रुपये का उसमें किराया भी सरकार की

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

तरफ से ही दिया जाएगा यह भी बहुत अच्छा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कदम उठाया है। और भी कई सारी योजनाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की हैं।

यह राजस्थान सरकार का चौथा बजट है, यह खुशी की बात है। माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं बहुत आभारी हूं कि हर बजट के अन्दर मकराना को चार-चार, पांच-पांच एक अलग से सौगातें दी हैं। बजट 2009-10 के अन्दर भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने साढ़े बारह परसेंट का चार परसेंट वैट टैक्स कम किया था। यह उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। हमारे माइंसों के अन्दर भी, माइंस के अन्दर सेग्मेंट वगैरह थे, उसके अन्दर भी 4 परसेंट करने की घोषणा की थी। एक हमारे 18साल से लंबित था मामला, परबतसर-मकराना रेल का मामला था, उसमें पिछले बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 7 करोड़ रुपये देकर के एक स्पेशल सौगात दी थी। पिछले बजट 2010-11 के अन्दर रायल्टी के अन्दर भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 325 से 300 रुपये की थी यह भी मकराना को एक अच्छी सौगात उन्होंने दी। मकराना के इतिहास में यह पहला कदम है कि मकराना का नाम हर बजट में 5-6 बार यहां पुकारा जाता है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का तहेदिल से आभारी हूं।

समय की बहुत कमी है, इसलिए मैं मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं आपको बताना चाहता हूं। एक तो मेरा मकराना क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र है। वहां पर जिला परिवहन का कार्यालय मकराना में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि नागौर जिले में सबसे ज्यादा व्हीकल्स हैं, मोटर साइकिल्स है, फोर-व्हीलर्स हैं। इसलिए यहां पर जिला परिवहन कार्यालय खोलने की आप बजट भाषण के अन्दर घोषणा करें।

दूसरी है, गच्छीपुरा को उप-तहसील बनाने की आप घोषणा करें। क्योंकि गच्छीपुरा क्षेत्र मेरा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर 17-18 ग्राम पंचायतें उसके आस पास हैं और मकराना से गच्छीपुरा आने पर 70-80 किलोमीटर का फासला है इस कारण से ग्रामीणों को इसका फायदा मिले। गच्छीपुरा के अन्दर पी एच सी को सी एच सी में क्रमोन्नत करने की घोषणा करें और मकराना सी एच सी को रेफरल हास्पिटल बनाने के लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसकी भी घोषणा करें।

एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मकराना के अन्दर आज तक महाविद्यालय नहीं खोला गया है। मकराना एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, 12वीं की कम से कम 32 स्कूलें चलती हैं लेकिन कालेज नहीं होने की वजह से वहां के हमारे बच्चे दो-ढाई हजार 12वीं पास करते हैं। कालेज नहीं होने की वजह से मात्र

(श्री जाकिर हुसैन गैसावत)

200-300 बच्चे ही मकराना से बाहर कालेज में जाते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री को बार-बार निवेदन करता हूं कि आप मकराना के अन्दर कालेज इस बजट में खोलने की पूरी-पूरी घोषणा करें।

दूसरी मांग यह है कि मेरे मकराना के अन्दर ए डी जे कोर्ट नहीं है। हमारे ए डी जे कोर्ट लगता है परबतसर के अन्दर, पबरतसर ए डी जे कोर्ट के अन्दर 90 परसेंट मामले हमारे मकराना के चलते हैं, वाद विवाद के, उसके अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी एडीजे कोर्ट खोल दें तो हमारे को बहुत बड़ी सौगात मिल जाएगी।

इसके साथ ही बात यह है कि हमारे वेस्टेज माल की जो रायल्टी लगती है, क्योंकि यह रायल्टी हम तैयार माल के रूप में 300 रुपये के हिसाब से देते हैं, यूं तो बल्ब की रायल्टी 175 रुपये है लेकिन वेस्टेज माल की मुफ्त रायल्टी इस बजट में हमारे को यह मदद दी जाए।

आठवीं बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो जन सहभागिता योजना शहरों में और ग्रामों में शमशान/कब्रिस्तान के अन्दर इस बजट में 90 परसेंट का अनुदान देने की घोषणा की है, मेरा आपके मार्फत माननीय मुख्य मंत्रीजी को कहना है कि इसके अन्दर जो 10 परसेंट पैसा है, एम एल ए, एम पी लैड का पैसा इसमें लगाएंगे तो इसमें हमारे को भी इसका बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और काम काम के हिसाब से हो भी जाएगा।

नवीं बात यह है कि पिछले दो साल में जो मिसिंग लिंक रोड 16 किलोमीटर सड़कें दी थी, इस बजट के अन्दर भी 10 किलोमीटर की मिसिंग लिंक सड़के दी जाएं ताकि और भी गांवों के अन्दर काम हो सके, विकास हो सके।

दसवीं मेरी मांग यह है कि सभी माननीय सदस्य डिमांड रख रहे हैं, मैं भी यह डिमांड रखना चाहता हूं कि एम एल ए लैड का पैसा कम से कम 3 करोड़ होना चाहिये ताकि इस महंगाई के जमाने के अन्दर हम तरीके से गांवों में घूम सकें और उनके पूरे काम हो सकें।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं और इस बजट के लिए मैं माननीय मुंख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: डा. गोपाल जोशी।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि नम्बर आए, समय भी बहुत ज्यादा हो रहा है।

श्री सभापति: कृपया शांति बनाये रखे। बोलने का मौका दीजिए विधायक को।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है मेरा, सदन में कोरम भी पूरा नहीं हो रहा है, 10 परसेंट का प्रोविजन है, यहां 20 मेम्बर भी नहीं हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप कंटिन्यू करें। माननीय सदस्य, कृपया आप शुरू करें। आपका टाइम जा रहा है।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): मेरा टाइम जा रहा है, कोई बात नहीं। ट्रैजरी बैंचेज से यह बहुत कहा गया है कि आप तो इसकी बुराई करोगे और वे इनकी अच्छाइयां गिनाएंगे। एक बात आप देखिये, आपने वहां पर लिख रखा है 'हां पक्ष' और यहां पर लिख रखा है 'ना पक्ष'। तो आप यहां पर अच्छाई की उम्मीद ही क्यों करते हो? 'ना पक्ष' तो आपने पहले ही बना दिया और टाइम इम्मेमोरियल, जब से भी आपको याद हो तब से देखिये, दो ग्रुप हमेशा रहते हैं एक हां करता है और एक 'ना' करता है और आपस में यह चलता रहता है। तो इसमें किसी का कुछ भी लेना-देना नहीं है।

मैं अपने विधान सभा क्षेत्र पर ही सीमित रहूंगा क्योंकि अब इतना समय नहीं है। हमारे 'लोकप्रिय मुख्य मंत्री महोदय' सभी लोग कह रहे हैं, लोकप्रिय तो हैं ही क्योंकि मुख्य मंत्री बन गये और सदन के नेता हैं तो हमारे भी नेता हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है, लेकिन जब मैं यह देखता हूं कि इस बजट के अन्दर बीकानेर के लिये क्या किया, बीकानेर के लिये क्या किया और दूरबीन लेकर देखता हूं, आगे-पीछे शायद मुझे दिखाई दे जाए, बीकानेर के लिये, तो बीकानेर में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति है कि वहां देखने पर मुझे कुछ भी नहीं लगता है लेकिन एक बात लगती है, जहां कहीं अच्छी बात आने को हो, वहां पर मुख्य मंत्री महोदय आड़े आ जाते हैं। वहां वह, जैसे कोई सीन देख रहा हूं अच्छा-सा, लेकिन वहां पर आड़े जैसे कोई आदमी आकर खड़ा हो जाए, वैसे मुख्य मंत्रीजी हमारे कहीं न कहीं आड़े आ जाते हैं। तो यह बड़ा, वैसे तो मुख्य मंत्रीजी सारा काम करते हैं, बीकानेर व जोधपुर एक ही बताते हैं, एक ही बात है। हम आपकी बात भी करेंगे, नहीं क्यों? लेकिन क्या कहते हैं, हे, भगवान। जैसे आपने कहा, क्योंकि बजट दिया है, तो वह यह कहते हैं कि हे भगवान, सबका भला कर परन्तु, शुरुआत मेरे से कर, हां, जोधपुर से, शुरुआत मेरे से कर, जोधपुर से कर। जोधपुर से शुरुआत करते हैं। तो श्रीमानजी, यह बजट है तो राजस्थान का, 2012-13 का, लेकिन यह बजट

(डा. गोपाल जोशी)

जोधपुर का ही है। जोधपुर का इसलिये, जोधपुर वाले खुश रहें। देखिये, जोधपुर वाले नाराज नहीं होने चाहिए, इस हिसाब से कि मैं कोई ऐसी-वैसी बात कर रहा हूं; आपके लिये अच्छा है तो अच्छा है। मेरे को कोई बुराई नहीं लगती है। तो है जोधपुर का बजट।

अब आप देखिये, हमारी उन्नति में क्या बाधा पड़ी कि बजट में तो कोई राहत नहीं है हमको।

(कोरम सम्बन्धी घंटी)

एक बात जरूर है, मुख्य मंत्री महोदय को कोई पत्र देते हैं तो उसकी पावती दे देते हैं। उसके बाद कोई एक्शन हो या न हो, उसकी उनको कोई परवाह नहीं है। एक बात आपको याद होगी, सबको कि उन्होंने एक व्यास कमेटी का गठन किया था और उन्होंने बीकानेर के लिये एक नेशनल यूनिवर्सिटी का प्रावधान किया कि बीकानेर को यह दी जाए। लेकिन कोई न कोई बहाना करके उसको अजमेर टाल दिया, काम नहीं किया। रेल के मामले में भी, हालांकि रेलों का मामला, यहां पर कोई औचित्य नहीं है लेकिन फिर भी, क्योंकि मुख्य मंत्रीजी आड़े आते हैं ना हमारे, तो जब कभी भी रेल की कोई बात आती है तो जोधपुर से रेल चलती है। बीकानेर से जो रेल चलती है और वह चलकर जोधपुर होकर के जाती है। तो ए.सी. जो है, बीकानेर में नहीं लगता है, सेकंड ए.सी. बीकानेर से नहीं लगता, वह लगता है आपके जोधपुर से, जोधपुर से ए.सी. लगता है। तो देखिये बीकानेर से चलने वाली गाड़ी का ए.सी. जोधपुर से चलता है। हवाई अड्डे का फाउंडेशन उन्होंने वहां लगा दिया, दो साल हो गये करीबन, हवाई अड्डा अभी तक तो नहीं चल रहा है। चोखुंटी पर, बीकानेर की चोखुंटी पर आर.ओ.बी. का पिछले बजट के अन्दर उन्होंने अनाउंस किया था, एक कंकर भी वहां से नहीं हिला-डुला है और अभी तैयारी कर रहे थे कि मुख्य मंत्रीजी आयें और उसका फाउंडेशन रखें। लेकिन न तो मुख्य मंत्रीजी आये, न फाउंडेशन रखा, न आर.ओ.बी. का वर्क स्टार्ट हुआ। तो आर.ओ.बी. भी नहीं हुआ। यह देखिये, वे अब नहीं हैं तो नहीं सही, बीकानेर है। इसमें क्या बात है?

बीकानेर के अन्दर पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के लिये बात हुई थी। बड़ी मुश्किल से, हमने तो कहा था कि पानी की कोई योजना है क्या, क्योंकि वहां पर जो जलाशय लगा हुआ है, भरा हुआ है, सोभासर के अन्दर वह 2011 तक के लिये सफिशिएंट है, ऐसा कहकर के बनाया गया था। कई जगह

(डा. गोपाल जोशी)

टूट भी गया, पानी भी बह गया और उसे रिपेयर भी किया। उससे नुकसान भी हुआ। ये हमारे डाक्टर विश्वनाथजी बैठे हैं, इनको मालूम है क्योंकि इनके क्षेत्र में पानी चला गया था। वह रिपेयर हो गया। अब 2011 तक के लिये सफिशिएंट था, उसके आगे पानी की कोई योजना नहीं है। बड़ी मुश्किल से, 2-3 दफे कोशिश की, तब कहा कि एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगा देते हैं। मैंने कहा, फिल्टर किसका करेंगे; पानी नहीं होगा तो फिल्टर किसका करेंगे? पानी चाहिए, फिल्टर करने के लिये। वह भी अभी तक तो नहीं लगा।

अब देखिये, यह फुटबाल की एकेडमी चलने वाली थी। हमारे यहां 4-4 आपके अर्जुन अवार्डी हैं, मगन सिंह राजवी इंडिया के कैप्टेन रहे हुए हैं, अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है; महाराजा करणीसिंहजी को अर्जुन अवार्ड मिला, राज श्री कुमारी को अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है; राज्यवर्द्धन सिंह को अवार्ड मिला हुआ है लेकिन एकेडमी तो गयी जोधपुर में। साइकिल ट्रेक, 1972 में जब मैं एम.एल.ए. था, उस समय बनवाया था, जो इंडिया के अन्दर दूसरे नम्बर का था। पटियाला के अन्दर पहला, दूसरा बीकानेर के अन्दर। क्योंकि बीकानेर वाले इतने ज्यादा जीत-जीत करके, चैम्पियन बनकर के आते थे, मेडल लाते थे। मैं यह समझता हूं कि उन सब मेडल्स को अगर एक साथ रखा जाए तो एक आदमी को उनको उठाने में मुश्किल होगी, इतने ज्यादा मेडल आते थे। लेकिन वहां नहीं होकर के यह एकेडमी जोधपुर के अन्दर चली गयी।

अब यह क्या-क्या कहें। यह एक मेगा हाई-वे, बीकानेर का नाम कहीं भी नहीं है। क्योंकि मेगा हाई-वे इतने सारे लगाये जिनके अन्दर 3590 करोड़ रुपये लगने वाले हैं। एन.एच-11 के अन्दर रोज एक्सीडेंट होते हैं। सीकर से लेकर बीकानेर तक कई तरह के एक्सीडेंट हो चुके हैं। ये श्रीमानजी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये इसको वाच करेंगे, बताएंगे आपको। हमारे माननीय सदस्य, देवीसिंहजी के बच्चे, लड़का और वाइफ इनकी डैथ भी उसी जगह पर वहां पर एक्सीडेंट के अन्दर हुई है। लेकिन हम यह चाहते हैं, मेगा हाई-वे तो जाने दें, लेकिन फोर-वे डिवाइडर के साथ तो कर दो, तो ही काम चल जाएगा। मेगा हाई-वे दुनिया के अन्दर चल रहा है लेकिन बीकानेर एक ऐसी जगह है जहां कोलायत से बीकानेर और सीकर से बीकानेर, इस बीच के अन्दर, एक्सीडेंट-प्रोन ये जगह है। लेकिन यहां पर कुछ भी होने वाला नहीं है। बीकानेर के अन्दर सड़कें टूटी-फूटी सारी पड़ी हुई हैं। कोई किसी को सम्भालने वाला नहीं है।

क्योंकि वहां पर बहुत लम्बे समय से कांग्रेस के रिप्रजेंटेटिव आते थे, अब वे हार गये। हार गये तो हम जैसा आदमी, पुराना आदमी आ गया। तो

(डा. गोपाल जोशी)

देखा, इसको क्या जरूरत है। मेरे को नहीं जरूरत है। मैं तो घर पर बैठे रहूंगा, कैसे ही चल लूंगा। लोगों को जरूरत है। लोगों को जरूरत है, तब तो सड़कें बननी चाहिए ना, साहब। लेकिन वे जब तक नहीं कहेंगे तब तक नहीं बनेंगी। यह तो अच्छा हुआ कि वे साहब यहां आये नहीं। मैंने तो आफत टाली है मुख्य मंत्रीजी की, क्योंकि वे यहां आते ना तो मुख्य मंत्रीजी को ही तकलीफ देते। तो मैंने तो उनको राहत पहुंचाई है। फिर भी चलो, मुख्य मंत्रीजी हमारे आड़े आते हैं। मुख्य मंत्रीजी लेकिन मिलते बहुत अच्छे ढंग से हैं, हंस कर मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं जोरों से। कभी पीछे से आएंगे तो चुटकी भी भरेंगे। सब कुछ करेंगे, राज़ी रखेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। काम का नाम नहीं लेंगे, एक भी काम नहीं करेंगे। यह मैंने कह दिया उनको कि काम तो करते नहीं हो।

आदमी को क्या चाहिए, साहब? देखिये, मकान चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोटी चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए। अब इस जगह पर दुनिया के अन्दर जब तक पोल्यूशन-फ्री जब तक वातावरण नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी आराम से नहीं जी सकता है। तरह-तरह के रोग आपको होते रहेंगे। बीकानेर के अन्दर थ्री-व्हीलर और दूसरे जिस ढंग से चल रहे हैं, अनाधिकृत रूप से, वहां पोल्यूशन बुरी तरह से फैला हुआ है। अब यह तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब अभी बता सकते हैं, बाद में बताएंगे, अभी तो क्यों बताएं? लेकिन यह बात मैं ठीक कह रहा हूं। देखिये, पानी प्रदूषित हमेशा बनता है, क्योंकि नीचे जो सीवर लाइन जाती है, सीवर लाइन में से पानी टपकता रहता है। जयपुर का तो यह हादसा बहुत मशहूर है यहां पर तो बहुत दिनों तक यह झगड़ा चला था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक बार इधर तो देखिये कृपया, एक बार तो देखिये आसन की तरफ।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): क्या करूं, साहब?

श्री सभापति: एक बार देख लीजिए, आसन की तरफ, अच्छा रहेगा। बस अब बोलिये।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): साहब, थोड़ी देर हुई है अभी तो। (व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): उधर, आसन की तरफ देखने के लिये बोल रहे हैं।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): ऐसा क्या है, साहब? ये तो घर के आदमी हैं। कोई ऐसी हमारे झगड़े वाली बात नहीं है, साहब।

श्री सभापति: घर नहीं है, यह सदन है।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): नहीं, सदन तो है लेकिन सदन की यह भी परम्परा है कि यह सब चलता है।

श्री सभापति: अच्छा, कृपया शांत हो जाइये।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): आपकी आज्ञा हो तो नहीं करेंगे। कोई बात नहीं है।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, कृपया बोलिये।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): लेकिन ये घर के आदमी हैं, इसलिये। इनके पिताजी के साथ भी मैं एम.एल.ए. रहा हुआ हूं। यह ऐसा सम्बन्ध है। ऐसी कोई बात नहीं है। रघुजी से भी अच्छे सम्बन्ध हैं। सबसे अच्छे सम्बन्ध हैं। बात कहने की है तो कह देते हैं। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। खैर, जाने दीजिए।

जमीन मंहगी होती जा रही है। जमीन में दो तरह की मार हो रही है। डी.एल.सी. वाली भी तो। डी.एल.सी. दर यहां पर विधान सभा में भी बढ़ा दी, यूं समझिये और डी.एल.सी. की एक कमेटी बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, वह और बढ़ा देती है। या तो साहब, सिर्फ विधान सभा बढ़ाये या वह कमेटी बढ़ाये। तो अभी विधान सभा ने बढ़ाया है और थोड़े दिनों में वहां की मीटिंग होगी न, तो वे बढ़ा देंगे। तो ऐसा नहीं हो। यह दोहरी मार कम से कम मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह दोहरी मार जो है, शहरों पर नहीं पड़नी चाहिए। यह तो बड़ा शहर है, जयपुर के अन्दर तो कीमतें बहुत बढ़ती जा रही हैं, हमारे बीकानेर के अन्दर दोहरी मार करवाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।

शिक्षा के अन्दर, मैं शिक्षा पर जोर किस बात पर देना चाहता हूं कि प्री-प्राइमरी और प्राइमरी, इस सेक्शन के अन्दर जब तक लड़का उस जगह पर, प्राइमरी में अगर लड़का बहुत तेज निकल गया और बहुत अच्छी शिक्षा मिल गयी तो आगे बढ़कर बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लायक हो सकता है। उसका डवलपमेंट हो सकता है, वरना इतना नहीं होगा। कोई भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई डवलपमेंट होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(डा. गोपाल जोशी)

खैर, आपने अल्पसंख्यकों को चार परसेंट का ब्याज का अनुदान दिया, अच्छा किया, बुरा नहीं किया लेकिन जो भी आर्थिक दृष्टि से कमजोर हों, उन लोगों को भी मिले, मैं यह चाहता हूं इसके अन्दर। यह बीकानेर के तो उन्होंने कहा कि जोधपुर और बीकानेर के अन्दर क्रिटिकल केयर यूनिट भी लगा देंगे, वह लगा देंगे लेकिन माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने मनोरंजन को रोटी से ऊपर रखा है। मनोरंजन तो देखिये, हो या नहीं हो, रोटी जरूरी चीज है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): एक मिनट, सर। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए, सदन की इजाजत हो तो?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-13 पर सामान्य वाद विवाद

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): हां, बढ़ जाएगा यह तो। किसी को इनकार ही नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह समझता हूं कि मनोरंजन को कर-मुक्त करना एक बात है, भले ही करो लेकिन रोटी को जो है, कर-मुक्त ज्यादा करना चाहिए। गेहूं को कर मुक्त किया लेकिन आटा? रोटी बना लो और उसको बेचो, तो वह कर-मुक्त नहीं है। रोटी-सब्जी यह इन सब चीजों का, रोटी -सब्जी पर वैट लगा हुआ है 14 परसेंट, किसी पर 5 परसेंट लेकिन गेहूं पर माफ। रोटी पर वैट लगा दिया है। मेरा एक ही निवेदन है कि मनोरंजन चाहे हो या नहीं हो लेकिन रोटी मिलनी आवश्यक है। इसलिए मनोरंजन का कर तो आप माफ करो या नहीं करो लेकिन रोटी पर जो है, कम से कम आपको माफ

(डा. गोपाल जोशी)

करना चाहिए । एक दूसरी बात जब सभी लोगों ने बताया है और कहा भी है, अभी आपने देखा कि ये जो टीचर्स पढ़ाते हैं, उनको सिर्फ पैराटीचर्स जो आये थे, उन लोगों को सौ रुपया। सबने कहा कि नरेगा के अन्दर 133 रुपया मिलता है और इनको सौ रुपया। उसके बाद में भी इनको लाठी-भाटी खानी पड़ी, सब भागा-दौड़ी हुई, यहां पर इतना हंगामा हुआ। यह भी कोई अच्छी बात अपने लिए कोई शोभा-दायक बात अपने यहां पर नहीं हुई। नरेगा के अन्दर देखिये, कई तरह के भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं, नोटेड हुए हैं, केसेज हुए हैं। तो अब यह है लेकिन टीचर्स को पैसे ज्यादा मिलने चाहिए। वह पढ़ाता है, समझता है और पढ़कर उसके बाद में उस पर खर्च करता है वरना नरेगा में तो कोई जाए या नहीं जाए, सरकार उधार लेकर नरेगा जैसी स्कीमों पर खर्च

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कर रही है ऐसा भी अखबारों में नितनया आता है। गांवों में बढ़ता हुआ निठल्लापन पैदा हो रहा है और किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान देना बहुत आवश्यक है।

जल की उपलब्धता और मांग का बढ़ता हुआ असंतुलन, असंतुलन जो है वह इतना बढ़ गया है कि पानी का स्रोत कहां से लाओ? आपके करीबन 198 ब्लाक भूजल के क्रिटिकल हैं और उनमें 31 तो आपके सेलाइन हैं। तो पानी कहां से आएगा? आई.जी.एन.पी. है, चम्बल है, बीसलपुर है, ये सोर्सेज हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): अभी समाप्त कर देता हूं थोड़ी देर में। अब पांच मिनट और बोलूंगा, साहब। यह है आधारभूत। एक तो यह है कि चम्बल वगैरह से पानी आता है लेकिन यह पानी का असंतुलन है, असंतुलन है इसका, इसके लिए भी जरूरी व्यवस्था करनी चाहिए।

खनिज के बारे में भी, अभी मैं इतनी ज्यादा बात कहूंगा तो अच्छी बात नहीं लगेगी लेकिन अपार खनिज भण्डार हमारे राजस्थान के अन्दर हैं। राक-फास्फेट है, लिग्नाइट है, आपके जस्ता है, सीसा है, यह सब कुछ है। इसका इंफ्रास्ट्रकचर बढ़ाया जाए तो लोगों को रोटी-रोजी का यह सब कुछ हो सकता है। कृषि को गतिशील दिशा नहीं दे पा रहे हैं, इनको किसानों को पैदावार का भरपूर मूल्य नहीं मिल रहा है।

(डा. गोपाल जोशी)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कृषि अधिकतर बारिश पर आधारित है, जो एक समान कभी नहीं रहती।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं अगला नाम बोलने जा रहा हूं, कृपया समाप्त करें।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): किसानों के लिए पशुपालन और चारे की व्यवस्था करनी चाहिए। और बाकी की बात तो देखिये, मुफ्त दवाइयां

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मिल रही हैं, वह ठीक नहीं हो रही है। अभी तक यह काम व्यवस्थित नहीं है। इसलिए इसको भी व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है। झोंपड़-पट्टी वगैरह विकसित जो हो रहे हैं, इसको डिस्करेज करना चाहिए, पलायनवाद को डिस्करेज करना चाहिए। यह सारा और लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज जो आपने किया, वह काम अब थोड़ा ढीला पड़ रहा है।

लेकिन सारा बजट जो है, यह घोषणाओं का बजट है यह। यह बजट मात्र घोषणाओं का है। इन घोषणाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने का कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया है। वह करना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि आगे पाट और पीछे सपाट, यह हो रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

रात गई, बात गई। नई घोषणा होती रहेगी, कोई क्या करेगा हमारा? इस ढंग से करते हैं क्या? आपने जो सपना दिखाया है, अपने रवीन्द्र नाथ ठाकुर के उसमें से कि हमें एक सपना आया तो सपनों की बात तो, साहब, सच्ची कभी होती नहीं है, सपने तो सपने ही होते हैं। सच्चे मान लो, आपकी मर्जी है; कहते हैं कि हमको जन्नत की हालत मालूम है लेकिन दिल बहलाने को गालिब खयाल अच्छा है। यह कहते हैं। और एक बात और भी है मैं तो कहता हूं कि यह जो सारा गड़बड़ घोटाला है, ये सारी जो घोषणाएं हैं, उनका मतलब, लब्बो-लुआब जो मुझे लगता है, वह यह है, एक मैंने पढ़ा था कहीं, गळ पुरानी ही रह्या, मिटे न मन को मैल; बेमतलब की बातां करें, नहीं तिला म तेल। जय हिन्द।

श्री सभापति: मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अभी हमारे पास में वक्ता 24 माननीय सदस्य हैं। अगर इसी ढंग से हम चलेंगे तो ... (व्यवधान) कृपया ... (व्यवधान) आधा घंटा लेंगे, जैसे अभी डाक्टर साहब ने भी लिया तो उस हिसाब से बारह घंटे लगेंगे, अगर सब वक्ता बोलेंगे तो। पन्द्रह मिनट देंगे तो मैं समझता हूं कि छह घंटे लगेंगे। तो आपसी अगर आपकी व्यवस्था हो जाए, दोनों सचेतक महोदय तो यहां पर हैं नहीं, इसलिए तो यह है कि मैं अपनी व्यवस्था दे दूं। दो-दो मिनट सब लोग बोल लें। (व्यवधान) चलिये, दो-दो मिनट नहीं तो पांच-पांच मिनट। पांच मिनट से ज्यादा कोई न लें। अगर पांच मिनट से ज्यादा लेंगे तो मैं समझता हूं कि बाकी वक्ता नहीं बोल पाएंगे। एक घंटे का टाइम बढ़ाया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि हाउस में व्यवस्था रखने के लिए जो मैं व्यवस्था दे रहा हूं, पांच मिनट, उससे ज्यादा कृपया नहीं लें। धन्यवाद।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है लेकिन पांच मिनट में हम क्या बोल पाएंगे? आप पहले तो बीस मिनट और चालीस मिनट दे रहे हो और हमसे कह रहे हैं कि दो मिनट का समय लीजिए, पांच मिनट का समय लीजिए। मेरा आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन है कि हमारे क्षेत्र की बात तो कहने दीजिए आप।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): तीन दिन से बैठे सुन रहे हैं सबकी साहब।

श्री सभापति: श्री कमल बैरवा।

श्री कमल बैरवा (निवाई): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से दिनांक 26.3.2012 को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया, उसके समर्थन में अपनी बात कहना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने आम जन को, मजदूर को, किसान को, अल्पसंख्यक भाइयों को, एस.सी. के भाइयों को, एस.टी. के भाइयों को और सामान्य लोगों को, सबको मध्य-नजर रखते हुए उन सबको इस बजट में सम्मिलित किया है और उन सबके लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश की।

माननीय सभापति महोदय, हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी हाल ही में जो योजनाएं दी हैं, मैं उनके बारे में जिक्र करना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी हाल ही में मुफ्त दवाई योजना पूरे राजस्थान के लिए की। आम जन को, गरीब को जो गांव में रहता है जिसको हमेशा इस

(श्री कमल बैरवा)

बात की चिन्ता रहती थी कि बीमार होने पर पैसा कहां से आयेगा; शहर में जायेंगे तो निश्चित तौर से पैसे की आवश्यकता होगी। वह वहीं पर काढ़ा पीकर या गोली लेकर वहां रह जाता था और कभी-कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती थी। मगर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने सम्पूर्ण राजस्थान के लोगों के लिये, आम गरीब और मजदूर के लिये ये दवाइयां फ्री कीं। इससे निश्चित रूप से राजस्थान के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उस गरीब का सपना भी पूरा करने की कोशिश की जिसकी कई पीढ़ियां ऊपर आसमान की तरफ देखती रहती थीं और यह देखती थीं कि कभी हमारे सिर के ऊपर भी छत होगी, कभी हम लोग भी मकान बना पायेंगे। क्योंकि वे कई पीढ़ियों से झोंपड़ी में रहकर जब बरसात होती थी और पानी टपकता रहता था, तो देखते रहते थे और यह सपना देखते थे कि कभी हमारे भी छत होगी। उस सपने को पूरा करने के लिये हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने मुख्यमंत्री आवास योजना चालू की और इन तीन सालों में 10 लाख मकान बनाकर देने की घोषणा की। निश्चित तौर से हमारे राजस्थान के गरीब भाइयों को इसका लाभ मिल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, एक जननी शिशु सुरक्षा योजना लागू की। हमारी जो बहनें हैं, जिनके जापे के टाइम में कहना चाहिये कि जो असुविधा होती थी या दवाइयों के अभाव में, शिक्षा के अभाव में उनकी मृत्यु भी हो जाया करती थी और अस्पताल नहीं जा पाती थीं या कभी-कभी बच्चा मर जाया करता था दवाई के अभाव में, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने जननी शिशु सुरक्षा योजना चालू की। निश्चित तौर से इसका लाभ हमारी लाखों बहनों को मिल रहा है। उनको गांव से शहर तक, अस्पताल तक आने की और वापस वहां पहुंचाने कीं सारी सुविधाएं हमारी राज्य सरकार ने और हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने की और उनकी वहां जो दवाइयां हैं, उनको भी उन्होंने फ्री किया और उनको गांव में 1,400 रुपये और शहर में 1,000 रुपये देने की घोषणा की। निश्चित तौर से इससे हमारी बहनों को लाभ मिल रहा है।

मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अन्न सुरक्षा योजना उन्होंने चालू की। निश्चित तौर से बी पी एल भाइयों को दो रुपये किलो का अनाज

(श्री कमल बैरवा)

देकर, यहां उन लोगों को पूरा लाभ देने की कोशिश की गयी है, जिससे हमारे बी पी एल भाइयों को लाभ मिल रहा है।

अभी हाल ही में उन्होंने बजट में सार्वजनिक निर्माण विभाग में सड़कों में नाबार्ड के सहयोग से 800 करोड़ रुपये की लागत से 3,302 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का डामरीकरण कराने की घोषणा की, जिसमें करीब 1,500 गांवों को फायदा होगा। निश्चित तौर से यह एक सराहनीय कदम है।

ऊर्जा के क्षेत्र में आगामी वर्ष 2012-13 में योजना मद के अन्तर्गत 12,726 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, जो कि प्रदेश की वार्षिक योजना का 38.4 प्रतिशत है। निश्चित तौर से यह एक ऐसी घोषणा है जिसके तहत हमारे यहां राजस्थान की जो बिजली की स्थिति है उसमें सुधार आयेगा। निश्चित तौर से हमारे किसान भाइयों को इसका लाभ मिलेगा।

मैं जल संसाधन में कहना चाहूंगा कि आगामी वर्ष की योजना में उन्होंने इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित राज्य की विभिन्न परियोजनाओं में, जो करीब 20 योजनाएं हैं, उनके तहत 1,086 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे कि वहां से जल लाकर उनको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा।

मैं चिकित्सा के क्षेत्र में कहना चाहूंगा कि हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने 25 पी एच सी को सी एस सी में क्रमोन्नत करने और 100 नई पी एच सीज खुलवाने की जो घोषणा की है, निश्चित तौर से यह एक सराहनीय कदम है। इससे हमारे ग्रामीण भाइयों को लाभ होगा। आगामी दो वर्षों में 3000 नये उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे, यह भी एक सराहनीय कदम है। जो हमारे यहां 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई है, उसमें भी 200 अतिरिक्त और एम्बुलेंस और लाकर वे राजस्थान की जनता को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। मैं मुख्य मंत्री महोदय को इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री महोदय ने रोजगार के लिये भी मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना लागू की है, मुख्यमंत्री शहरी बी पी एल रोजगार योजना की घोषणा की है। निश्चित रूप से शहरी भाइयों को भी इससे लाभ मिलेगा।

हमारे मुख्य मंत्रीजी ने निश्चित तौर से इस बजट में आम जन को, गरीब को, मजदूर को, हर वर्ग के लोगों को मद्देनजर रखते हुए उनको छूने की कोशिश की है और उनके लिये कुछ न कुछ करने की उन्होंने कोशिश की है। निश्चित तौर से हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने ऐसा बजट पेश किया है, इससे

(श्री कमल बैरवा)

हमारे राजस्थान के विकास में गति आयेगी और हमारे राजस्थान के लोग निश्चित लाभान्वित होंगे।

किसानों के लिये भी उन्होंने फसली ऋण समय पर चुकाने पर सम्पूर्ण ब्याज की राशि अनुदान के रूप में देने की घोषणा की है। कृषि पर्यवेक्षकों के, सहायक कृषि अधिकारियों के 750 पद नवीन पद सृजित किये हैं। निश्चित रूप से इससे हमारे किसान भाइयों को फायदा होगा।

100 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यालय खोलने की घोषणा की और गोदामों के निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये का इसमें अनुदान देने की घोषणा की है।

पशुपालन, निश्चित तौर से हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार आमजन को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई हैं, उसी प्रकार आम किसान भाइयों के पशुधन के लिये भी उन्होंने वहां जो दवाइयां हैं, उनको भी उन्होंने मुफ्त किया है। यह भी एक सराहनीय कदम है।

शिक्षा के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 1000 नये प्राथमिक स्कूल खोलने की घोषणा की और 600 उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। निश्चित तौर से यह एक सराहनीय कदम है। मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि यहां पर 10वीं से 12वीं क्लास की भी वे घोषणा करें, जिससे कि वहां गांवों में लोगों को लाभ मिल सके।

गरीब परिवारों के लिये मुख्य मंत्री शहरी बी पी एल आवास योजना की घोषणा की है। महिला एवं बाल विकास की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, साथिनों को, आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 2012 से 10 प्रतिशत की वृद्धि की है, जो सराहनीय कदम है। 01 जून, 2012 से महिला हैल्पलाइन की स्थापना की जायेगी, यह भी एक सराहनीय कदम है।

ये सब घोषणाएं हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की जनता के लिये की हैं, हर वर्ग के लिये की हैं, एक सराहनीय कदम है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस शानदार बजट के लिये धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं इस मौके पर अपने क्षेत्र की कुछ मांगें हैं, वे भी कहना चाहूंगा। जिस प्रकार उन्होंने पेयजल में 20 परियोजनाएं लागू करके सब लोगों को पानी उपलब्ध कराने की कोशिश की है, टौंक जिले को भी बीसलपुर का पानी देने की बात कही है, इसमें मेरे निवाई क्षेत्र के 191 गांव रह रहे हैं, उनकी भी घोषणा करें, सेकंड फेज में उनकी घोषणा करनी थी, वह घोषणा इसमें नहीं हो पाई। मेरा निवेदन होगा

(श्री कमल बैरवा)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कि वे निवाई क्षेत्र के 191 गांव, जो सेकंड फेज में चालू होने थे, उनको चालू कराने का श्रम करें।

साथ ही मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी हमारी शिक्षा पर बहुत विशेष तौर से ध्यान दे रहे हैं। हमारे आम गरीब बच्चे, महिलाएं और बहिनें सब पढ़ेंगी-लिखेंगी, यह उनकी सोच है। मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र क्षेत्र निवाई जो टौंक जिले में आता है, टौंक जिले की सभी तहसीलों में कालेज खोले गये हैं मगर मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई में कालेज नहीं है। कालेज नहीं होने की वजह से हमारे वहां की छात्राएं दूरदराज जा नहीं पाती हैं और उनको अपनी शिक्षा अधूरी छोड़नी पड़ती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप वहां निवाई में एक गवर्नमेंट कालेज खुलवायें, जिससे कि हमारे वहां के गरीब बच्चे वहां शिक्षा प्राप्त कर सकें।

मैं इस मौके पर एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि आपने खुले दिल से उप-तहसीलें खोली हैं। मेरे दतवास पंचायत में एक उप-तहसील खोलने के लिये मैंने भी निवेदन किया था जो कि निवाई से करीब 25-30 किलोमीटर दूर पड़ता है और वहां से लोगों को आने-जाने में असुविधा होती है। मेरा निवेदन रहेगा कि मेरे क्षेत्र में भी उप-तहसील खोलें जिससे कि वहां के लोगों को लाभ हो सके।

पुनः मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्री महोदय को, जिन्होंने इतना शानदान बजट पेश किया। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री शिवजीराम मीणा।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 26 मार्च को वर्ष 2012-2013 का जो बजट पेश किया गया, उस पर सभी माननीय सदस्य चर्चा में भाग ले रहे हैं। मैं भी अपने आपको उस वादविवाद में शामिल करते हुए अपनी बात निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, एक चुनावी वर्ष की तर्ज पर कई घोषणाएं करके वाहवाही लेने का प्रयास किया है। फिर भी यदि इस बजट में जो घोषणाएं की गयी हैं, उनको अमलीजामा पहनाने का प्रयास करेंगे, उनको मूर्त रूप देंगे तो निश्चित रूप से कई लोगों को इससे लाभ होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि समय कम है, आप अभी घंटी बजा देंगे। 2009-10 के बजट में माननीय मुख्य

(श्री शिवजीराम मीणा)

मंत्रीजी ने भीलवाड़ा जिले के लिए उनके बजट के बिन्दु संख्या 48 में यह व्यवस्था की थी कि भीलवाड़ा जिले को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिये चम्बल के पानी की व्यवस्था की जायेगी; इसके लिये वर्ल्ड बैंक से 1020 करोड़ की व्यवस्था की जायेगी; वित्त पोषित किया जायेगा वर्ल्ड बैंक से। उसमें 7 नगरपालिकाओं सहित 1,600 गांवों में पेयजल व्यवस्था कराने की बात की गई थी। सभापति महोदय, उसके बाद 2010-11 के बजट के बिन्दु संख्या 36 में यह व्यवस्था की कि भीलवाड़ा जिले के लिए चम्बल से पानी लाने के लिए 1,020 करोड़ रुपये की नाबार्ड में, विश्व बैंक में प्रस्ताव भेज दिये गये हैं। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बजट के बिन्दु संख्या 37 में लिखा है कि भीलवाड़ा जिले को चम्बल का पानी उपलब्ध करवाने हेतु 728 करोड़ रुपये की संशोधित योजना का नाबार्ड एवं राज्य आयोजना से वित्तपोषण करवाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 473 करोड़ रुपये की लागत से मेन ट्रांसमिशन लाइन का कार्य आगामी वर्ष हाथ में लिया जायेगा। सभापति महोदय, इस प्रकार से इस बजट को छोटा करके केवल भीलवाड़ा शहर के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बजट में तो कहा गया है कि 473 करोड़ की व्यवस्था करेंगे लेकिन आपका यह जो आय व्यय पत्रक है, 'आय व्यय एक दृष्टि में', इसमें आपने यह बताया है, पृष्ठ संख्या आठ पर, कि इस साल में केवल चालीस करोड़ की व्यवस्था करेंगे। सभापति महोदय, पहले तो यह व्यवस्था की गई थी कि पूरे जिले के 1,600 गांवों को पानी देंगे लेकिन अब आपने केवल भीलवाड़ा शहर के लिए पानी की व्यवस्था की है। चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि भीलवाड़ा को चम्बल का पानी दिया जा रहा है, चम्बल से पानी लाने की व्यवस्था की गई है लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले के साथ धोखा किया गया है। पूरे 1,600 गांवों को पानी देने की बात वर्ष 2010-11 के बजट में की गई थी। इस बजट में मात्र 728 करोड़ की व्यवस्था करके और उसमें से भी इस साल केवल 40 करोड़ रुपये दिये जाएंगे। तो किस प्रकार से हमारे जिले को पानी पिलाने की व्यवस्था की जाएगी?

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में कई योजनाएं हैं जो पिछली सरकार के समय स्वीकृत की गई थीं। जहाजपुर-पण्डेर-शाहपुरा के नाम से योजना स्वीकृत की गयी थी लेकिन चम्बल का जो पानी आने वाला है, उसके कारण से उसको

(श्री शिवजीराम मीणा)

ड्राप कर दिया गया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे गांवों को इससे पानी नहीं मिलने वाला है मेरा आपसे निवेदन है कि जहाजपुर तहसील में जो गांवो को पानी देने के लिए योजना बनाकर भेजी गयी है, उसको स्वीकृत करवाने का कष्ट करें।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बिन्दु संख्या 12 में उल्लेख किया है कि 2 हजार 630 किलोमीटर लम्बाई के 16 मेगा हाइवे के कार्य हाथ में लिये गये हैं। इसमें से पांच रोड्स के जो कार्य चल रहे हैं, इसमें उनको भी शामिल कर लिया गया है। बिन्दु संख्या 16 नम्बर पर जो लिखा है जयपुर, फागी, मालपुरा, केकड़ी, शाहपुरा, इस रोड की व्यवस्था 2008-09 के बजट में पूर्ववर्ती सरकार के समय 220 करोड़ रुपये से की गई थी। केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य, अभी फरवरी में इसका उद्‌घाटन हुआ है। इसका कार्य पहले से चल रहा है, आपने शिलान्यास किया है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): राशि बढ़ायी है, 282 करोड़ हो गया 220 करोड़ से बढ़कर।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): लेकिन यह तो पहले ही व्यवस्था हो गई थी।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): लेकिन पैसा तो बढ़ाया है न, 62 करोड़ रुपये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): इसी प्रकार से पैरा नम्बर 7 में जो रोड मेरे यहां से निकलेगी, नसीराबाद, केकड़ी, देवली, जहाजपुर, माण्डलगढ़, इसमें भी हमारे यहां तो काम चल रहा है। आपको पता है कि 72 किलोमीटर में तो काम चल रहा है और सड़क मंत्रीजी ने 14 जनवरी, 2012 को उसका शिलान्यास किया है। काम पहले ही चल गया, शिलान्यास किया है 2012 में। इसी प्रकार सड़क कीर की चौकी से सलूम्बर, आसपुर, डूंगरपुर, सरतना, इसमें भी पहले से ही काम चल रहा है। भादरा से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि रावतसर, नोहर, भादरा, इसमें भी काम चल रहा है। इसी प्रकार रतलाम से बांसवाड़ा में भी काम चल रहा है, फिर भी बजट में शामिल किया गया है।

सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में आपने कई घोषणाएं की हैं। आपने 2009-10 के बजट में कहा है कि हम 17,229 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती

(श्री शिवजीराम मीणा)

करेंगे; 2010-11 में आपने कहा कि पचास हजार टीचर्स की भर्ती करने का काम हाथ में लिया गया है; अब आपने कहा कि 41 हजार टीचर्स की भर्ती की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है, बीस हजार अगले साल और भर्ती करेंगे; 2009-10 के बजट में आपने यह भी कहा था कि जो दस हजार हर साल टीचर्स रिटायर होते हैं, उनको भी रेगुलर भर्ती के साथ में भर्ती करेंगे लेकिन आज तक आपने एक भी भर्ती नहीं की है। आपने 8,365 सेकण्ड ग्रेड टीचर्स की भर्ती की है। उसकी भी पूर्ववर्ती सरकार के समय विज्ञप्ति निकली थी, आपने तीन साल तक उसको रोके रखा, अब आपने नियुक्ति दी है।

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि विद्यार्थी मित्रों के लिए उन्होंने कहा कि हम 31 मार्च, 2010 को उनको जो मानदेय मिल रहा था उसमें 25 परसेंट की वृद्धि करते हैं। रघुजी, बड़ी चतुराई से मुख्य मंत्रीजी ने दस परसेंट पैसा बचा लिया। आपने जुलाई, 2010 में 10 परसेंट पैसा पहले ही बढ़ा दिया। आपने कहा कि 31 मार्च, 2010 को जो मानदेय मिल रहा था, उसमें 25 परसेंट की वृद्धि करते हैं। आपने उनकी जेब से दस परसेंट तो पहले ही निकाल लिया, आप तो उनको 15 परसेंट ही दे रहे हैं। अगर वास्तव में देने की इच्छा है तो आप व्यवस्था कीजिए, 31 जुलाई के बाद 25 परसेंट कीजिए।

गांवों के स्कूल्स में विद्यार्थियों को सब्जेक्ट चुनने का मौका नहीं मिलता है। जहां सीनियर सेकंडरी स्कूल्स हैं वहां केवल आर्टस की कक्षाएं चलती हैं और उसमें भी उसको केवल तीन सब्जेक्ट मिलते हैं चुनने के लिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि गांवों में भी साइंस विषय खोला जाए, और भी सब्जेक्ट खोले जाएं ताकि योग्य विद्यार्थियों को मौका मिल सके।

सभापति महोदय, इस बजट में कहा गया है कि पिछले तीन सालों में 3,380 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ाया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिजली कहां गयी? गांवों में बिजली नहीं है। काश्तकार को बिजली नहीं मिल रही है। आपने कहा कि स्टेट सरप्लस होने वाला है, राज्य इसमें आत्मनिर्भर बनने वाला है लेकिन गांवों में आज भी बिजली नहीं मिल रही है। आपने 2009-10 के बजट में यह व्यवस्था की थी कि आगामी तीन वर्षों में 800 नये जी एस एस 33 केवी के खोलकर सुदृढ़ व्यवस्था की जाएगी लेकिन आज एक भी जी एस एस नहीं खुला है। तो मेरा निवेदन है कि सरकार ने केवल घोषणा की है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है।

(श्री शिवजीराम मीणा)

सभापति महोदय, आपने हमारे यहां एक नया टैक्स लगा दिया है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, दो मिनट लूंगा। भीलवाड़ा जिला वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। आपने इस बजट में स्थानीय उद्योगों को संरक्षण देने के उद्देश्य से एक एंट्री टैक्स की व्यवस्था की गयी है, जो पांच प्रतिशत देय है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा में जो कपड़ा मिलें हैं, उनमें सारा का सारा यार्न बाहर से आता है। यहां कोई लोकल उत्पादन नहीं है। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है, यदि पांच परसेंट टैक्स लगेगा तो निश्चित रूप से 10 से 11 रुपये प्रति किलो यार्न पर उनकी कीमत बढ़ जायेगी और लोगों में रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। आज भी भीलवाड़ा के उद्यमी स्ट्राइक पर थे। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है, आपने यह जो प्रवेश कर, एंट्री टैक्स लगाया है, उसको विथड्रा कराने का कष्ट करें।

मैं अन्त में, सभापति महोदय,

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री सभापति: पांच मिनट की व्यवस्था थी, आपको बोलते हुए बारह मिनट हो गये हैं।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): सभी ने 40 मिनट लिये हैं, सभापति महोदय, आपको पता है। चलो, कोई बात नहीं। सभापति महोदय, मैं तो मेरी बात को समाप्त करता हूं। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में जो घोषणाएं की गयी हैं, यदि उनको निश्चित रूप से क्रियान्वित करेंगे तो लोगों को फायदा होगा। यदि पहले की बजट की तरह आप घोषणाओं को घोषणाएं रखेंगे तो इस बजट से कोई फायदा नहीं है। यह आम आदमी के विरोध का बजट है, युवा लोगों के विरोध का बजट है, व्यापारियों के विरोध का बजट है।

आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सी.एल. प्रेमी।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): माननीय सभापति जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

(श्री सी.एल. प्रेमी)

वर्ष 2012-13 की वार्षिक योजना हेतु 33,500 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं, जो वर्ष 2011-12 की अनुमोदित योजना से 21.8 प्रतिशत अधिक हैं। हमारे मुख्य मंत्रीजी द्वारा इस बजट में गरीब, किसान और मजदूरों का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है इसलिए मैं हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान को दी हैं जिनकी मैं समझता हूं कि हमारे कांग्रेस के कई विधायकों ने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। उसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना है, मुख्यमंत्री बी.पी.एल. आवास योजना भी है जो गरीबों का एक सपना होता था कि गरीबों को मुफ्त में दवाई मिले, उनको रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो, तो मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस तरह की योजनाएं गरीबों के लिए दीं।

अब मैं चूंकि बूंदी डिस्ट्रिक्ट से आया हूं और बूंदी जिले में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने वहां चम्बल से पानी के लिए 80 करोड़ रुपये की लागत की एक ट्रांसमिशन पाइपलाइन स्थापित करने का निर्णय लिया है, इसलिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

जब देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद हमारे प्रथम प्रधान मंत्री नेहरू जी ने, जो आज चम्बल की भीलवाड़ा वाले भी बात करते हैं, बूंदी वाले भी बात करते हैं, उस चम्बल नदी पर चार जगह कांग्रेस की सरकार ने बांध बनवाया। सबसे पहला बांध नेहरू जी ने गांधी सागर बनाया, उसके बाद राणा प्रताप सागर बनाया, उसके बाद जवाहर सागर बनाया, उसके बाद कोटा बैराज बनाया। उस कोटा बैराज के बनने से हमारे कोटा-बूंदी और बारां जिले के लगभग दो लाख 29 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में चम्बल नदी से सिंचाई की जा रही है। यह नहर सन् 1964 में शुरू हो गयी थी, उसके बाद आज तक किसी भी सरकार ने उसके शुद्धीकरण का कार्य, सफाई का कोई प्रावधान नहीं रखा लेकिन इस बार हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में 1274 करोड़ का प्रावधान रखा है। इससे यह होगा कि ये नहरें, जो काफी पुरानी हैं, जिसमें कई तरह के पेड़ और मिट्टी है, क्योंकि यह नहर जो बनी हुई है वह कच्ची बनी हुई है, तो जो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने 1,274 करोड़ रुपये का इन नहरों की सफाई करने का पैसा दिया है, मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह पैसा इस 2012-13 में लगे ताकि जो नहर में 1,500 क्यूसेक्स पानी जाता है, सिंचाई के लिए जो पानी जाता है, मैं

(श्री सी.एल. प्रेमी)

समझता हूं कि 50 परसेंट पानी इनके रख-रखाव के अभाव की वजह से, खराब होने की वजह से वेस्टेज जाता है। तो यह जो पानी है, वह वेस्टेज होने से बचेगा; ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका फायदा होगा; पानी की गति तेज होगी तो ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका फायदा होगा। इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

एक निवेदन यह करना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक चाकल परियोजना के नाम से एक डैम बना हुआ है। डैम तो बन चुका है, सभापति जी, लेकिन उसमें अभी नहरें नहीं बनी हुई हैं। नहरें नहीं बनने की वजह से पिछली बार बहुत सारा पानी आया, उससे दो गांव, एक तो चमनगंज और एक बावई उसमें डूब में आ गये। आज भी यह स्थिति है कि चमनगंज और बावई, की जो दूरी है, वह मुश्किल से एक किलोमीटर है लेकिन चमनगंज के बच्चे जब वहां बावई में पढ़ने जाते हैं तो वहां सात फीट पानी है। तो मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा, मैं मुख्यमंत्रीजी से भी मिला, इर्रिगेशन मिनिस्टर हेमाराम चौधरी जी से भी मिला और भरत सिंह जी से भी मिला, तो मेरा यह निवेदन है कि उस पुलिया की ऊंचाई बढ़ायें ताकि बच्चों को बावई में पढ़ने की सुविधा मिले।

मेरे विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन में एक शुगर मिल हुआ करती थी लेकिन किन्हीं कारणवश वह बंद हो गयी। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने वहां के 400 एम्प्लाइज को दूसरे डिपार्टमेंट में भेज कर उनको सर्विस दी। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन इसकी जगह एक-एक हजार मेगावाट का प्लांट बारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत किया गया था, उसकी जमीन शुगर मिल से ऊर्जा विभाग को ट्रांसफर हो गयी है, 450 बीघा लेकिन अभी तक भी, मैं बारबार हमारे ऊर्जा मंत्री से भी मिला, मुख्य मंत्रीजी से भी मिला लेकिन गैस नहीं मिलने की वजह से वह प्लांट अभी चालू नहीं हो पाया है। मैं हमारे मुख्य मंत्रीजी से और ऊर्जा मंत्रीजी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि चूंकि यह प्लाण्ट स्वीकृत है तो इसको भी चालू कराने की कोई ऐसी योजना बना दी जाए ताकि यह प्लांट जल्दी से जल्दी चालू हो और मैं समझता हूं कि ऊर्जा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में हमें उसका फायदा मिले। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री सी.एल. प्रेमी)

कोटा एक औद्योगिक नगरी है और मैं समझता हूं कि कोटा औद्योगिक नगरी ही नहीं, शैक्षणिक नगरी भी है, बिजली की नगरी है, पानी की नगरी है। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने हमें वहां ट्रिपल आई.टी. दिया है इसलिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ शिक्षा के लिए, एस.सी., एस.टी. के छात्रों को शिक्षा के लिए, मैं समझता हूं, कोचिंग सेंटर कोटा में और जयपुर में उपलब्ध कराने का जो सराहनीय निर्णय लिया गया है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

बस-बस, मैं थोड़ा ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा।

सभापति महोदय, यह पिछले उठाये गये कदमों का फल है कि राजस्थान में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या 34 प्रतिशत से घटकर 24 प्रतिशत हो गयी है और जिसकी प्रशंसा योजना आयोग ने भी की है, साथ ही राजीव गांधी पेयजल मिशन में राजस्थान क्रियान्विति में प्रथम रहा है।

वर्ष 2012-13 में 33 हजार 500 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गयी जो कि गत वर्ष से छह हजार करोड़ रुपये अधिक है, जिससे हमारा प्रदेश प्रथम रहा है। यह मुख्य मंत्रीजी द्वारा लिये गये सटीक निर्णयों का ही परिणाम है कि आज राजस्थान प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मेरे विचार से यह बजट राज्य में विकास के नये अवसर प्रदान करेगा।

सभापति महोदय, मैं आपको दो-तीन बातें निवेदन करना चाहूंगा। मैंने हमारे करवर में, मेरी विधान सभा क्षेत्र में करवर के लिए, जो कि वहां चौकी है, उसके लिए मैंने हमारे गृह मंत्रीजी से भी निवेदन किया था और मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन किया था कि इस बजट में उसको थाना बनाया जाय। तो मेरा गृह मंत्रीजी से और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि वहां थाना बनाने की इसी बजट में घोषणा करें।

सभापति महोदय, एक आपसे निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लाखेरी एक बहुत बड़ा कस्बा है, 50 हजार की पापुलेशन है वहां। राजस्थान में वहां सीमेंट का 1971 में प्लांट लगा है, ए.सी.सी. नाम का सीमेंट है, आप भी जानते हैं। इतना बड़ा कस्बा है। मैंने निवेदन किया था, मुख्य मंत्रीजी को भी किया, हेमाराम चौधरी जी को भी मैं देकर आया हूं, तो मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां भी एक उप-तहसील खोली जाए।

(श्री सी.एल. प्रेमी)

इसके साथ, सभापति जी, मैं यह निवेदन करूंगा कि लाखेरी एक बहुत बड़ा कस्बा है, वहां से लड़के और लड़कियां पढ़ने कोटा आते हैं या फिर बूंदी पढ़ने जाते हैं, या सवाई माधोपुर पढ़ने जाते हैं। तो मैं पुनः उनको यह निवेदन करूंगा कि वहां पर कालेज की स्थापना की जाए और इसी बजट में वहां कालेज की घोषणा हो।

मैं इसी आशा और विश्वास के साथ इस शानदार बजट के लिए हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी का पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री राजकुमार रिणवां।

(23.00 बजे)

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): सम्माननीय सभापति महोदय, रात को 11 बजे भी बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, सुबह 10 बजे के आए हुए हैं। काफी लोगों को, सुरक्षा कर्मचारियों को, स्टाफ को बड़ी दिक्कत हो रही है। मन में एक भावना है कि माई का लाल है मुख्य मंत्री, रात में दो-तीन बजे तक भी बोलो, एक-एक आदमी की देखेंगे और कोई बढ़िया बात लगेगी तो वह निश्चित रूप से निर्णय लेंगे। तो जनता के पास जो सामान है सबसे बड़ा वह है वोट का, वह देकर के हमको यहां भेजा है। मेरे बोलने से, मेरी चेष्टा से अगर उस जनता को कोई रिलीफ मिले तो मेरा धर्म है, चाहे कितना भी समय हो, पांच-चार ही तो रातें होती हैं साल के अन्दर। उसका लाभ मिल जाए जनता को, तो उससे बड़ा पुण्य और कोई हो नहीं सकता। तो उसके अन्दर हम हमारी चेष्टा कर रहे हैं।

सम्माननीय सभापति जी, बहुत शानदार बजट पेश किया है मुख्य मंत्री जी ने। तीन बजट पहले देखे हैं, तो जो आशा पहले थी वह परिणत नहीं हुई, सफलता नहीं मिली। सबसे बड़ी चीज होती है आदमी के जीवन में पानी, बिजली। उसकी भी क्या परिस्थिति है? अभी मैं देख रहा था, राज्यपाल के अभिभाषण पर घनश्याम जी, गुलाबचन्द जी कटारिया जी बोले, बहुत बढ़िया बोले। जादुई ढंग से गहलोत साहब ने ऐसा आंकड़ों से काटा दोनों को, एकदम से विचित्र स्थिति कर दी, कमाल है, मुख्यमंत्री की होनी चाहिए यह क्षमता। बाकी वो जो उन्होंने आंकड़े बताएं, हो सकता है, हमारे गलत हों, उनके सही हों; बाकी एक बात है, राजस्थानी में कहावत है, बोले, सुल्तान जी थ्हे; बोले, हां; बोल्या, थ्हाने तो म्हे मरयां सुणया म्हे तो; बोले, नहीं, जीऊं हूं न; बोले जी

(श्री राजकुमार रिणवां)

ही कोनी सको थ्हे, कहण्यो आदमी पुख्ता हो। तो उसने कहा कि मैं वह रहा हूं वह तो पुख्ता नहीं है और कहने वाला आदमी पुख्ता है। तो स्थिति यह है, सभापति जी, आंकड़ें क्या बतायेंगे, यह पता नहीं है पर धरातल पर स्थिति क्या है?

आज हमारे यहां बिजली वाले एक्स ईएन को टेलीफोन करो, पूछो कि आपके पास कोई मीटर है क्या, कोई खम्भा है क्या, केबल है क्या; इधर हमारे पानी वाले एक्स ईएन को पूछो कि आपके पास कोई ज्वाइंट है क्या, वॉल है क्या, मोटर है क्या। तो वास्तविक स्थिति में जाओ। आज परिसीमन में सुजानगढ़ क्षेत्र के चालीस गांव मिले हैं, उन गांवों में चालीस महीने की सरकार से पूछो कि चालीस दिन पानी मिला है क्या उनको। जैसे सेठां की ढाणी है, सिकराय ताल है उन योजनाओं की क्या स्थिति हो रही है। ऐसे निकम्में वे अधिकारी हैं।

मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, दो-तीन बात बोलूंगा दो-दो मिनट। खाली झलकियां दो मंत्रियों की दिखाऊंगा यहां आपको। मैं जितेन्द्र जी के पास गया, माननीय दुरू मियां जी के पास गया, ऐसे सज्जन मंत्री आपको बताऊं, देवता जैसे मंत्री। जाकर कहा कि साहब, पांच-सात ट्यूबवेल चाहिए, बहुत समस्या हो रही है; तुरन्त ही ऐसी सैंक्शन, बाकायदा सैंक्शन कर अपने चीफ इंजीनियर को टेलीफोन किया कि यह होना चाहिए और उस चीफ इंजीनियर ने कहा कि राजकुमार जी, 110 परसेंट हो जाएगा। अब उनके वे निकम्मे एक्स ईएन, उनका कल पत्र आ गया कि यहां फीजिबिलिटी नहीं है। हम तो किसी वक्त सुना करते थे कि राजा-रजवाड़ा ने अगर कोई आदेश कर दिया फांसी का और कोई सूली का भी कर दिया तो चाहे मोम की चढ़ाओ, आर्डर तो पूरा होता है। सैंक्शंड करे हुए उनके आदेशों को वापस भेज दें, एक एक्स ईएन की, एस ई की इतनी मजाल हो गयी। धिक्कार है, मैं आपको बताऊं। सी एम एच ओ साहब उनका कहना नहीं मान रहे। दुरू मियां जी, इकबाल जी, डायरेक्टर, सारों ने कह दिया कि रिटायर्ड को लेने का गवर्नमेंट का नियम है, क्यों नहीं ले रहे हो आप; आपके पास डाक्टर हैं नहीं; कहा कि नहीं, नहीं मानीं।

हमने तो सुना है, यहां मंत्री हुआ करते थे कुम्भाराम जी, एक दिन जा रहे थे तो कागज नहीं था तो हाथ पर लिख दिया कुम्भाराम और कहा कि जाकर अधिकारी को दिखा देना। मजाल है कि काम नहीं हो। देवीसिंह जी भाटी, एक गांव में ढाणी के अन्दर मैं पशु चिकित्सालय देखकर दंग रह गया

(श्री राजकुमार रिणवां)

कि यहां पशु चिकित्सालय, तो कहा कि एक बार देवीसिंह जी यहां आए थे, हमने कहा कि यहां ढाणी तो है पर पांच-सात सौ गाये और पशु आते हैं, अगर आप कोई पशु चिकित्सालय खुलवा दें तो निहाल हो जाएं। तो आर्डर कर गये, आज चल रहा है। तो मंत्री होने के लिए विल-पावर बनाओ।

अभी मैं दिल्ली गया, हमारे ऐसी समस्या हो रही रेल की, जिसकी मत पूछो बात। हम दिनेश त्रिवेदी, रेल मंत्री से मिले। मैं आपको बताऊं, नाज करना चाहिए, भगवान, कि कुछ ऐसे मंत्री दो हमारे देश को, लोकतंत्र जिन्दा रहे, लोग गर्व करें कि क्या कहना। मैं और एम पी गये उनके पास, रामसिंह कस्वां, तो रेलवे बोर्ड का चेयरमैन मुझसे बहस करने लगा कि भई, अब संभव नहीं है दुबारा इसका सर्वे होना। आपको बताऊं, दिनेश त्रिवेदी कहने लगे, मिस्टर चेयरमैन, किससे बात करते हो आप; ये आम आदमी नहीं हैं, ये एम पी और एम एल ए हैं, लोकतंत्र के स्वरूप हैं। आप इनकी बात सुनों; अपना पर्सनल काम लेकर नहीं आए हैं, जनता का काम लेकर आए हैं; I will do it;, इस पर आर्डर करो दुबारा सर्वे करने का। तो वे भी हैं।

हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा, पी एम के बाद कैबिनेट मंत्री था, उनको पता था कि बजट पेश करते ही अपने को इस्तीफा देना पड़ेगा, कोई बात नहीं, अपने डिपार्टमेंट के लिए कुर्बान तो कुर्बान, कोई बात नहीं। इस-इस तरह के लोग हुए। आज क्या स्थिति है? कहना नहीं मानें, आज क्या औकात है उनकी? कैबिनेट मंत्री के करे हुए आर्डर को एक्स ईएन निरस्त कर रहा है। इसलिए मैंने यह झलक बताई है आपको।

अब एक-एक मिनट की बात, बोलने की तो बात रही नहीं क्योंकि टाइम नहीं रहा, कुछ सुझाव हैं जो मैं देना चाहता हूं। बिजली, पानी का टाइम है, यह बोलकर, माननीय सभापति जी, चार महीने जो आ रहे हैं, हाहाकार मच जाएगा क्षेत्र में पानी के बिना। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मंत्रीजी को कहोगे, कहोगे कि हर सम्भाग की महीने में एक मीटिंग लेवे, सारे अधिकारियों को खींचकर लेंगे, करेंगे तो, इन ब्यूरोक्रेट्स की लगाम खींचकर नहीं रखेंगे तो आपके शासन रूपी रथ को उलट देंगे। आज की भी स्थिति आपकी क्या है प्रदेश में? आप निगाह करो। खाली कागजी घोड़े दौड़ाने से कुछ नहीं होता है, जनता का दुःख-दर्द समझो आप। तो एक तो बिजली, पानी के लिए कहना है।

चिकित्सा के लिए तो बोलने की क्या जरूरत है, चिकित्सा के लिए तो माननीय मुख्य मंत्रीजी खुद कड़ाई से, नरमाई से, हर तरह से देख लिया, पार

(श्री राजकुमार रिणवां)

पड़ नहीं रही क्योंकि डिमांड और सप्लाई वाली बात है। जितनी डिमांड है डाक्टरों की, उतने डाक्टर अपने पास नहीं हैं। कोई बात नहीं, मजबूरी है अपनी। बाकी जैसे भी हो यह एम बी बी एस, पी एम टी इनकी रेटें कम करवाकर डाक्टर ज्यादा बनाओ। रिटायर हुए को, कैसे भी लेकर, किसी भी प्रकार से जनता की कोई व्यवस्था करो तो बढ़िया रहेगा।

बिजली के मामले में एक बात और कहूं। अभी मैं सूरत गया था तो एक लाइजनिंग का काम करने वाला एक आदमी बैठा था, दिखा रहा था कागज अरबों के, करोड़ों के, लोगों के, पार्टियों के काम करवाए हुए, कई कम्पनियों के और के। उसको पता चला कि एम एल ए हूं तुरन्त ही बातचीत करने लगा कि मेरा कोई ऊर्जा का काम करवा सकते हो क्या आप; मैंने कहा कि क्या; तो उसने कहा कि चाइना पन्द्रह हजार करोड़ का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना चाहता है राजस्थान में। तो मैंने कहा कि मैं तो विपक्ष में हूं और अगर विपक्ष में नहीं भी होता तो इसका बहुत बड़ा विरोध करता क्योंकि चीन अपने दुश्मन राष्ट्रों में है। अगर किसी भी तरह के सामरिक महत्व के बिजली, पानी के काम अपन ने उनको दे दिये। वह किस तरह काम ले रहा है, नुकसान के अन्दर। मैं आपको बताऊं, बड़ी देश की स्थिति खराब है, नुकसान उठाकर भी हिन्दुस्तान में वह काम ले रहा है। कभी भी युद्ध हुआ तो वह उनको भी हथियार के रूप में काम में ले सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऊर्जा के अन्दर कभी भी चाइना को यहां काम नहीं देओ।

एक एन जी ओ के बारे में भी कह रहा हूं, एन जी ओ खूब लग रहे हैं कि सौर ऊर्जा का काम हम ले लें। भयंकर भ्रष्टाचार हो जाएगा। तो मेरी इसके अन्दर भी यह राय है।

उसके बाद शिक्षा के बारे में मेरी एक राय है। सभापति महोदय, आठवीं क्लास के अन्दर जो फेल नहीं करने की स्थिति है, भय बिना प्रीत नहीं, हम लोग स्कूल नहीं जाते थे तो हमारी मां कहती थी हमको कि स्कूल नहीं जाओगे तो फेल हो जाओगे, यह बोलकर कि अगर भय नहीं रहेगा तो क्यों स्कूल जायेंगे। आपको बताऊं आज अमेरिका और यूरोप जैसे देश टेंशन में आ गये भारतीय विद्यार्थियों की कुशाग्रता देखकर कि क्या करेंगे यह लोग। उनकी चिन्ता मिटा दी भारत सरकार ने, आठवीं तक फेल नहीं होगा। अगर ब्रेन डवलपमेंट की उम्र है तो पांच से पन्द्रह है, उस समय अगर बच्चे को डफर रख दोगे तो टेंशन मिट गयी उनकी। आज उनके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है?

(श्री राजकुमार रिणवां)

इधर पुलिस में देखते हैं, दो-दो सौ लड़के दौड़ के अन्दर बेहोश हो रहे हैं। खाने को उनको मिलता नहीं है। दूध मिलता नहीं, सब चीजें नकली आ रही हैं, जंक फूड, फास्ट फूड। अपने चिन्ता करो, अपन यहां कोई व्यापार करने, उद्योग-धंधा करने नहीं आए हुए हैं। अपन यहां उद्योग धंधा करते तो अपन व्यापार कर सकते हैं। अपन जनता की सेवा, किस तरीके से अपन प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं; जनता की जो समस्या है, जो कष्ट है, उनको दूर करने के लिए यहां आए हैं। कोई ऐसा रास्ता बैठाओ कि किस तरह यह समस्या दूर हो।

इधर खेल के बारे में क्या स्थिति हो रही है। सभापति महोदय, आप देखिए, दस-दस परसेंट बढ़ा दिया। जबकि वास्तविक क्या स्थिति है, मैं आपको बताऊं, मेरे रतनगढ़ की एक लड़की है जिसको 3 तारीख तक रुपये भरने थे बी ए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए; गरीब थी, पैसे की व्यवस्था नहीं हो सकी; तीन तारीख को वह गयी, उसको एडमिशन नहीं मिला। वो लड़की कौन थी, डिस्ट्रिक्ट खेली हुई नहीं, स्टेट खेली हुई नहीं, वह लड़की नेशनल प्लेयर थी। इतनी बड़ी दुःख की बात है कि नेशनल प्लेयर को एडमिशन पैसों के टोटे के कारण नहीं मिल रहा है, जबकि उसकी तो फीस फ्री करनी चाहिए। मैंने सबको कह दिया, लास्ट में जितेन्द्र जी उस समय मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री, उनसे आदेश लेकर उसका एडमिशन करवाया। पहले टूर्नामेंट हुआ करते थे, आजकल टूर्नामेंट होते हैं, तो ब्वायज फंड से तो सभी रह गये। तो इनके कोई टूर्नामेंट वगैरह की व्यवस्था करो।

सड़कों की जो स्थिति है, सड़कों के अन्दर, माननीय सभापति जी, सड़कों से ऐसा लगता है कि हम कोई एम एल ए हैं? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि कोई मिसिंग लिंक है, कोई कृषि की और कोई धार्मिक पर्यटन की सड़कें दीं, उनसे हमें यह लगा कि हम एम एल ए हैं, नहीं तो हमें यह लगता था कि हमसे तो सरपंच ही अच्छे हैं, उनको क्लस्टर मिल रही है, नरेगा मिल रही है और करोड़ों का बजट मिल रहा है। यहां तो एक करोड़ की फुलड़ी मिलती है और वह तो बीस एक गांवों में पूरी हो जाती है। तो इसलिए इन सड़कों के लिए, मिसिंग लिंक के लिए कोई रिकमंड करने दो ताकि ठीक रहे।

एक मेरा यह है कि नरेगा में गर्मियों के अन्दर टाइमिंग, 4 महीने हैं तो कम से कम 6 बजे से 10 बजे तो करो। लोग वह कुण्डा नहीं उठा सकते, ऐसी विचित्र स्थिति रहती है।

(श्री राजकुमार रिणवां)

बी पी एल के आवास के बारे में, या तो इनकी संख्या कम करो, नहीं तो आपको बताऊं, आप उसमें एक-डेढ़ लाख करो। इन मकानों में मिट्टी में ही पट्टियां लगाते हैं जो बरसात में गल गयी। लोगों की जान-माल की सुरक्षा को खतरा होगा। तीन रुपये प्रति सैकड़े लोग लेकर लगा रहे हैं, फिर भी उनकी जान-माल को खतरा है तथा दूसरी ओर वे कर्ज में दब रहे हैं। इस मामले में मेरा यह निवेदन है। रेलवे...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 12.00 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन की इजाजत हो तो सदन का समय 12.00 बजे तक के लिये बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय 12.00 बजे तक बढ़ाया गया।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-13 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): सभापति महोदय, बांसवाड़ा, रतलाम, डूंगरपुर रेल के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी 1,200 करोड़ रुपये दे रहे हैं। मेरे रतनगढ़ की भी एक समस्या है। रतनगढ़ को दो भागों में विभक्त किया है। सरदारशहर ब्रोडगेज, उसके लिये तो उनको केवल इजाजत देनी है, हम लोगों की रतनगढ़ की दुर्दशा हो रही है। अर्थी भी उस पुलिया के नीचे से नहीं ले जा सकते, दूल्हा भी इसके नीचे से जा नहीं सकता, एम्बुलेंस भी उसके नीचे से नहीं जा सकती। नारकीय जीवन जी रहे हैं। हम लोग भी इसी स्टेट के नागरिक हैं, इन्हीं की सन्तान हैं, इन्हीं के राज में हम जी रहे हैं। एक इजाजत अगर वह दे देते हैं तो...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें अब।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): हमारी समस्या तो कम से कम दूर हो जायेगी। कितनी बड़ी बात है।

लास्ट में बोल दूं। लीबिया प्रकरण में मैंने यहां मैटर उठाया, 20 राजस्थान के मजदूरों के लिये। गहलोत साहब, अध्यक्ष महोदय, यहां विपक्ष के नेता और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं मीडिया को देता हूं, इतना तगड़ा मीडिया ने प्रकरण को उठाया कि 20 आदमियों के चलते 10 हजार लोग लीबिया से आये। इतना बड़ा काम अपने यहां हुआ है। आज वही राजस्थान की सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या को दूर करने वाले, फोरेन करेंसी कमाने वालों की क्या दुर्दशा हो रही है। 6-6, 5-5 महीने में भी उनकी डैड बाडीज नहीं आतीं। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वहां कुछ भी नहीं है1 राजस्थान सरकार व्यवस्था करे, मेरा यह निवेदन है।

लास्ट यह है कि हिन्दी साहित्यकार पुरस्कार इस बार दिया गया है 1 लाख रुपये का नागर साहब के नाम से। इसके लिये मैं उनका बहुत आभारी हूं, बहुत बढ़िया बात है। राजस्थानी के लिये भी वे चेष्टा कर रहे हैं। तो राजस्थानी के लिये भी किशोर कल्पना कान्त एक बहुत बड़े मूर्धन्य कवि और साहित्यकार हुए हैं, उनके नाम से राजस्थानी का पुरस्कार किया जाए।

आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पानाचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री प्रेमचन्द।

श्री प्रेमचन्द नागर (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 26 मार्च को राजस्थान में जो अपना चौथा बजट पेश किया है, वह गरीब, बेरोजगार, किसान एवं व्यवसायियों के लिये लाभदायक है। यह बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने महिला, युवा, वृद्धजन, एस सी, एस टी, ओ बी सी, अल्पसंख्यक, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, हर वर्ग को छूते हुए, हर नागरिक को संतुष्ट करते हुए दिया है राजस्थान की जनता को। उसके लिये मैं तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 23 तहसील व 33 उप-तहसील खोलने की घोषणा की है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के कस्बा सुलतानपुर में उप-तहसील खोलने की घोषणा कर क्षेत्रवासियों को राहत दिलायी है। इसके लिये मैं व मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करती

(श्री प्रेमचन्द नागर)

है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के कस्बे खातोली में भी जो तहसील मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और रिमोट एरिया है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि खातोली में भी अगर उप-तहसील की घोषणा आप कर दें तो क्षेत्र की जनता व रिमोट एरिये के लोग आपके अहसानमंद रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे।

आगामी वर्ष में 250 से 300 की आबादी वाले ग्रामों को सड़कों से जोड़ने का बीड़ा जो राजस्थान की सरकार ने उठाया है, जिसकी घोषणा बजट में की गयी है, इसकी क्रियान्विति के बाद काफी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के गांव जो आज भी सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं और उनको, उनके विकास को इस वजह से गति नहीं मिल पा रही थी, तो मैं कहना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि आपका जो यह सराहनीय कदम है, इससे गांव, ग्रामीण क्षेत्र और ढाणियों का जो विकास सम्भव हो पायेगा, वह एक बहुत बड़ी देन गांव के लोगों को आपकी होगी।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने चम्बल कैनाल की बायीं व दायीं मुख्य नहर के लिये, मेंटीनेंस के लिये 1,274 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। हमारे देश के प्रथम प्रधान मंत्री माननीय नेहरू के समय में चम्बल कैनाल बनायी गयी थी और तब से इसका कोई मेंटीनेंस का कार्य नहीं हुआ है। तो मैं कोटा जिले के किसानों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी का जिन्होंने किसानों के लिये सोच रखी और इस मेंटीनेंस के कार्य के लिये 1,274 करोड़ का प्रावधान किया है।

एक बात और किसानों के हित में आपने की है। खरीफ और रबी की फसल के टाइम पर जो उर्वरक की समस्या उत्पन्न होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, उससे निजात दिलाने के लिये आपने जो व्यवस्था दी है, खरीफ की, रबी की बुआई के समय किसान को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये राजफैड के माध्यम से आपने जो भण्डारण करने की व्यवस्था की है, उसके लिये समस्त किसान आपके कृतज्ञ रहेंगे।

सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं से भी कृषकों को, जो 1 लाख रुपये का फसली ऋण किसान लेता है और उसका समय पर भुगतान करने पर उसके सम्पूर्ण ब्याज की राशि अनुदान के रूप में सरकार देगी, यह एक बहुत बड़ा कदम है जो आपने किसानों के लिये, किसानों के विकास के लिये उठाया है।

(श्री प्रेमचन्द नागर)

बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारे राज्य की जनता के लिये दी हैं। शिशु जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बी पी एल योजना,... अभी कल भी यह बात सुनने में आयी थी माननीय विपक्ष के सदस्यों के द्वारा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 50 हजार रुपये में आवास नहीं बनवाये जा सकते हैं। अभी भी सम्माननीय परनामी जी इस बात को कह रहे थे कि मकान का कार्य किसी भी क्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शुरू नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह ग्रामीण क्षेत्र की योजना है, सम्माननीय परनामीजी शहर के विधायक हैं, उन्हें ग्रामीण क्षेत्र की शायद अधिक जानकारी नहीं है, लगभग हर व्यक्ति ने जिनका मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत है, प्रत्येक व्यक्ति के आवास का निर्माण कार्य प्रगति पर है और निश्चित ही समय पर वह निर्माण कार्य पूर्ण करवा लिया जायेगा।

सभापति महोदय, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, सबसे पहला, सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया का और इस सुख को देने के लिए सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, सदन के नेता ने जो पहल की है, आम आदमी के सुख के प्रति उनकी जो सोच बनी है, वह एक सराहनीय कदम है। निश्चित ही इससे गरीबों को, जनता को फायदा हुआ है क्योंकि पहले जो आउटडोर था, उससे आज की तारीख में हर जगह तीन गुणा आउटडोर हो गया है। 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करना, 100 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 3 हजार उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाना, 200 नयी एम्बुलेंस की खरीद की जाना, एक बात मैं और इंगित करना चाहूंगा कि सम्माननीय सदन के नेता की सोच रही है उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार में जो एड-पोस्टें ग्रामीण क्षेत्रों में थीं, उनको तोड़ा गया है और वहां पर स्थिति ऐसी विकट हो गयी है कि आज की तारीख में उन रिमोट के इलाकों में कोई चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था वहां पर नहीं है।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की एक अहम समस्या है, मेरा विधान सभा क्षेत्र जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर है और वहां पर राजकीय महाविद्यालय का अभाव है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के इटावा कस्बे में राजकीय महाविद्यालय अगर आप देते हैं तो एक बहुत बड़ा एहसान वहां के छात्रों पर होगा।

(श्री प्रेमचन्द नागर)

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से एक कृषक होने के नाते आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि गेहूं के खरीद मूल्य पर किसानों को आप 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अनुदान राशि देने के बारे में विचार करें क्योंकि पूर्व में भी केन्द्र के द्वारा उर्वरक पर से सब्सिडी हटायी गयी थी, उसकी वजह से किसान दबा हुआ है। इसको अगर आप करते हैं तो यह एक बहुत अच्छा किसानों के हित में सरकार के द्वारा किया गया काम होगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा किया गया बहुत बड़ा फैसला होगा।

सभापति महोदय, मैं एक बात और विधायक निधि के बारे में भी कहना चाहूंगा कि एक करोड़ की जो विधायक निधि है, वह बहुत कम है। इसको भी बढ़ाकर 3 करोड़ किया जाये क्योंकि यह सभी माननीय सदस्यों की भावना है। इस पर जरूर माननीय मुख्य मंत्रीजी विचार करें।

इतना अच्छा बजट जो आपने पेश किया है, गरीब, किसान, आम जन, विद्यार्थी, बेरोजगार, सबको छूते हुए, सबको लाभ देते हुए जो बजट आपने राजस्थान की जनता को दिया है, उसके लिए मैं तहेदिल से आपका आभारी हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री बहादुर सिंह जी कोली।

श्री बहादुर सिंह (वैर): सभापति महोदय, पहले तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमारे लोग ही अत्याचार करते हैं, आपसे मैं हाथ जोड़कर के निवेदन करता हूं कि आप मुझ पर अत्याचार ना करें, कुछ बोलने दें।

सभापति महोदय, यह 2012-13 का जो बजट पेश हुआ, सत्ता पक्ष के लोगों ने 26, 27, 28 और 29 तारीख को बड़े-बड़े किले तोड़े, बड़ी वाहवाही की कि बहुत अच्छा बजट है, हर समाज के लिए दिया है, युवाओं के लिए दिया है, फिर भी सत्ता पक्ष के विधायक बाद में अपनी मांग करते हैं। यह चौथा बजट जो पेश हुआ है, तीन बजट पहले पास हो चुके हैं। सभापति महोदय, जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग बजट की वाहवाही कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था और उसको एक किलो रूई मिलती थी डेली कातने के लिए और उसके बाद में किसी साहूकार ने उसको कहा कि हम तुम्हें दस क्विंटल रूई देते हैं। उसको सुनकर वह घर पर आ गया और वह कहने लगा कि इसको कौन कातेगा, कौन बुनेगा, इसको कौन कातेगा, कौन बुनेगा, वह कहते-कहते पागल हो गया। एक पड़ोसी आया और

(श्री बहादुर सिंह)

उसने कहा कि उस रूई में तो आग लग गयी। इस प्रकार से सत्ता पक्ष की अब तक जो झूठी घोषणाएं हुई हैं तीन बजट में, इसी प्रकार से यह चौथी घोषणाएं हैं। यह कहते-कहते ही पूरे पांच साल निकाल देंगे। ये जो घोषणाएं हैं, वे थोथी घोषणाएं रह जायेंगी।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार आंकड़ों पर चल रही है, जुगाड़ से चल रही है। यह आंकड़ों की ही सरकार है, आंकड़ों का ही बजट पेश किया है। यह आंकड़ों से और जुगाड़ से दुबारा तो आने वाले नहीं हैं। कुछ हमारे भी लोग हैं जो आंकड़ों पर ही बोलते हैं, वे भी कुछ ऐसे ही रह जायेंगे। जो जमीनी आधार है, जो जनता की आवाज है, उस आवाज को इस सदन के अन्दर कहें। आज जिस तरीके से पक्ष के सदस्य मांग कर रहे हैं, यह मांग नहीं करनी पड़ती। सभापति महोदय, प्रभारी मंत्री हर जिले में जाते हैं, शहरों और गांवों की ओर प्रशासन गया, वहां पर मंत्री गये, वहां के विधायक, वहां के सरपंच, वहां के प्रधान, वहां की जनता ज्ञापन देती है कि हमारे यहां पर स्कूल क्रमोन्नत होना है, हमारे यहां पर हास्पिटल खोलना है, यहां पर और भी काम होने पर हैं, पीने के पानी की समस्या है या हमारे यहां पर बिजली की समस्या है। उन ज्ञापनों के आधार पर बजट बनाया जाता तो न तो पक्ष वालों को मांग करनी पड़ती और न विपक्ष वालों को मांग करनी पड़ती।

पहले राजाओं का राज हुआ करता था, माननीय सभापति महोदय, आज जो हमारे मुख्य मंत्री हैं, वे राजस्थान के राजा हैं; जो प्रधान मंत्री होता है, वह देश का राज होता है। राजा ही काम करेगा और राजा के पास ही फरियाद करने वाले आयेंगे। तो इस प्रकार से बजट बनाया जाता। जिस तरीके से यह बजट बना है, यह आम आदमी के हित का बजट नहीं है। उसकी जो मूलभूत समस्याएं थीं, उन मूलभूत समस्याओं से सरकार भटक गई।

माननीय सभापति महोदय, पिछली बार हमारी भी सरकार थी, हमारे भी प्रभारी मंत्री जाते थे, मगर माननीय सभापति महोदय,...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बोलना ही स्टार्ट किया है। हमारी भी सरकार थी, वहां पर प्रभारी मंत्री जाते थे, ...(व्यवधान) क्यों नहीं जाते थे? प्रभारी मंत्री जाते थे, प्रशासन भी जाता था तो वहां पर जो ज्ञापन आते थे, उनकी समस्याएं आती थीं, वे सारी इकट्ठी सी एम ओ में होती थीं, वे वहां कम्प्यूटर में फीड की जाती थीं। आज जो सरकार की दशा है, दुर्दशा है, खराब है, यह आपके सामने है, जनता के सामने है। माननीय

(श्री बहादुर सिंह)

सभापति महोदय, सी एम की गाड़ी रोकी जाती है, मंत्रियों के कपड़े फाड़े जाते हैं, मंत्रियों को काले झण्डे दिखाये जाते हैं। बजट में अच्छा कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति क्यों आई? यह स्थिति क्यों आ रही है? यह स्थिति हमारी सरकार में नहीं आई थी। हमारे मंत्री जाते थे तो जनता उमड़ पड़ती थी। माननीय वसुन्धराजी किसी क्षेत्र में जाती थीं या आज भी चली जाएं, अचानक भी चली जाएं तो वहां पर हजार-दो हजार आदमी तो ऐसे ही इकट्ठे होने में टाइम नहीं लगेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जनता इनसे ऊब चुकी है, चाहे किसी गांव में चले जाएं, चाहे किसी शहर में चले जाएं, चाहे किसी कस्बे में चले जाएं।

माननीय सभापति महोदय, जब हनुमानजी भजन करा करते थे, हे राम, हे राम, हे राम, तो उनसे किसी ने पूछा कि आप राम-राम करते हो, राम कहां हैं? हनुमानजी ने कहा कि राम मेरे हृदय के अन्दर हैं, जब सीना फाड़ा तो भगवान राम निकले। इसी प्रकार आज आम आदमी, आम जनता, वसुन्धराजी उनके मन में है, उनके दिल के अन्दर है, आज आप कुछ भी करें, जनता के मन में, और हृदय में वसुन्धराजी हैं क्योंकि वसुन्धराजी की पिछली सरकार ने जो काम किये थे, वे सराहनीय काम हैं। उनके समय में बिजली की कोई कमी नहीं आई, जहां स्कूल क्रमोन्नत करने थे वहां स्कूल क्रमोन्नत हुए, जहां पानी की समस्या थी वहां पानी की समस्या पूरी हुई।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से जो राज होता है, उसको राज के तरीके से चलाना चाहिए, चाहे कोई भी मुख्य मंत्री हों। जिस तरीके से इस सरकार की दशा खराब है, यह सरकार आगे आने वाली नहीं है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मुझे कुछ बोलने दो, दो मिनट और दे दो।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको सुझाव दूंगा और आपसे मांग भी करना चाहता हूं। मेरे वैर विधान सभा क्षेत्र में अब तक कांग्रेस का ही जो सबसे बड़ा, वहां से सी एम भी रहा है, कैबिनेट मंत्री भी रहा है, राज्यपाल बिहार भी रहा है, राज्यपाल हरियाणा भी रहा है। जिस क्षेत्र से मुख्य मंत्री होता है, हाउस के अन्दर कल से ही यह हो रहा है, जोधपुर के लिए, जोधपुर के लिए सारी घोषणाएं; उस वैर क्षेत्र से मुख्य मंत्री रहा, वह इतना पिछड़ा हुआ विधान सभा क्षेत्र है, माननीय सभापति महोदय, आप भी आएंगे तो आंख से आंसू आ जाएंगे, इस प्रकार का क्षेत्र है। सड़कों की हालत खराब, पीने का पानी नहीं, पशुओं के लिए पानी नहीं, विद्यालय नहीं।

(श्री बहादुर सिंह)

तो, माननीय सभापति महोदय, मेरा सुझाव है, मेरी मांग है कि एक तो पांचना बांध है, वहां चम्बल से पानी लिफ्ट करके पांचना बांध में डाला जाए। पानी डालने के वक्त से उसका भराव ज्यादा हो जाएगा, भराव ज्यादा होने से गम्भीरी नदी में चला जाएगा और उसमें पानी चला जाएगा तो उससे करौली जिले को भी फायदा होगा, भरतपुर जिले का भी फायदा होगा। इससे कम से कम सैकड़ों पंचायतों को फायदा होगा, उसका जल स्तर बढ़ेगा, किसानों के लिए फायदा होगा, पीने का पानी भी मिलेगा। पीने के पानी का जो पैसा आया है, वह इस नहर योजना में लगाया जाए, माननीय सभापति महोदय, मेरी मांग है।

दूसरी मांग है कि वैर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर महाविद्यालय नहीं है। वहां से बच्चों को 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो वहां महाविद्यालय बनाया जाए। माननीय सभापति महोदय, वैर के अन्दर एक ऐतिहासिक किला है, उस किले की हालत खराब हो गई है। उसके चारों तरफ नहर है। उस किले के लिए और उस नहर के लिए बजट दिया जाए तो वहां पर पर्यटन से लोगों को आमदनी होगी। वैर क्षेत्र के अन्दर सबसे ज्यादा बावड़ियां हैं, ऐतिहासिक बावड़ियां हैं, कई हजारों साल पुरानी बावड़ियां हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री बहादुर सिंह (वैर): इसके लिए भी बजट दिया जाए, यह मेरी मांग है। माननीय सभापति महोदय, वैर क्षेत्र के अन्दर सबसे ज्यादा बागवानी होती है। वहां के अमरूद पूरे क्षेत्र में जाते हैं, आंवला पूरे देश में जाता है, नींबू देश से लेकर विदेश तक जाता है, देशी आम पैदा होता है जिसका अचार डालते हैं, वह वहां पैदा होता है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री बहादुर सिंह (वैर): वैर अचार के लिए विख्यात है। माननीय सभापति महोदय, वहां पर एक फलों की मण्डी स्थापित की जाए, यह मेरी मांग है।

माननीय सभापति महोदय, वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या है सड़कों की। सारी खराब पड़ी हैं, गड्ढे हो रहे हैं। मैंने 295 भी लगाया था। इतने-इतने गड्ढे हो रहे हैं, गाड़ी लेकर जाएं तो कभी एक्सल टूट जाता है तो कभी सस्पेंशन खराब हो जाता है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, वहां की सड़कों की मरम्मत कराई जाए।

(श्री बहादुर सिंह)

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है कि जिस तरीके से इस सरकार ने घोषणाएं की हैं, यह निराशाजनक बजट है, यह युवा विरोधी, किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी बजट है। तो मैं इसका विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री आदराम मेघवाल।

श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा): सभापति महोदय, आपने मेरे को टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट दिया है, गरीब, अमीर, महिलाएं, पशु, सभी को, सब मिलाकर बहुत अच्छा बजट दिया है। दूसरी मेरी मांग है कि मेरे पीलीबंगा क्षेत्र से बड़ोपल बिरानी, वहां का ऐसा है कि जो बारानी एरिया है, खसरा नम्बर है, बहुत ज्यादा खसरा नम्बरों में लोगों की जमीनें हैं। एक दूसरे का झगड़ावाद होता है, एक दूसरे का कब्जा करते हैं। तो मेरा कहना है तकबंदी, मुरब्बाबंदी, किल्लाबंदी होनी चाहिए। असल में रेवेन्यू मंत्रीजी को यह अर्ज कर रहा हूं, जब भी कभी हो, जमीनें जितनी भी हैं, सेम में हैं, पक्षी विहार में हैं और नाजायज भी हैं, जायज भी हैं, कई लोगों ने किश्तें भी भर दीं, उनको पट्टे भी नहीं मिले। तो उनसे मेरा निवेदन है कि भाई, सेटलमेंट में उनको ले जाकर, बनाकर जमीनें अलग-अलग कर दी जावें तो सब लोगों को राहत मिले।

दूसरा, मेरे क्षेत्र में सेम नाला है, सेम नाले में मशीनें लग रही हैं, पानी चकने की मशीनें, मोटरें लग रही हैं। उनके लिए कोई बजट नहीं दिया गया है। तो उसका भी बजट मिलना चाहिए।

तीसरा, अपन लोगों ने पक्के खालों के लिए 60-40 के रेशो में पैसे जमा करा दिये, उन खालों की अभी तक मंजूरी नहीं मिली, दो तीन साल हो गये। लोगों के पैसे भी जमा पड़े हैं। तो उनको मंजूरी मिल जानी चाहिए, वे खाले पक्के होने चाहिए।

मेरे क्षेत्र में गोलूवाला उप-तहसील नहीं खोली गई। 20 किलोमीटर दूर पड़ती है पीलीबंगा से। तो वह उप-तहसील खुलनी चाहिए ताकि सब लोगों को वहां राहत मिले। कभी मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो 25-30 किलोमीटर आना पड़ता है पीलीबंगा इसलिए वह उप-तहसील जरूरी है।

दूसरा, अपने गोलूवाला, आसलिया, पीलीबंगा की 25 किलो मीटर, 10-15 साल हो गये,, सड़क नहीं बनी। खड्डे पड़े हैं। उसकी मरम्मत होनी चाहिए।

(श्री आदराम मेघवाल)

सरदारपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी, उसका मतलब सरदारपुरा के 18 एस बी डी से 10 किलोमीटर आगे नहर खतम हो गई, उस पानी से, सेम नाले के पानी से, 10 साल पानी पड़ा रहा, इसलिए खतम हो गई। जमींदार, 10 किलोमीटर नहर नई और चाहते हैं। तो वह नहर बननी चाहिए। मेरा यही निवेदन है सारा, ओर मांग भी। अशोक जी गहलोत ने जो बजट दिया है, वह सबसे बढ़िया दिया है।

श्री सभापति: श्रीमती संजना आगरी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय सभापति महोदय, बजट भाषण 2012-13 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत में पेयजल के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि बजट 2010-11 में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पेयजल के अन्दर जो पूर्व में योजना चलाई थी, उसको सुचारु रखा और मैं धन्यवाद देना चाहती हूं पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी को जिन्होंने पाली जिले के लिए पांच पैकेज में जवाई पाइपलाइन योजना बनाई थी। उस योजना को सुचारु रख उसके तीसरे फेज का कार्य शुरू करवाया व बजट 2012-13 में पाली जिले के 111 गांवों के लिए क्लस्टर कार्य की घोषणा की, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं और निवेदन करती हूं कि थर्ड फेज का जो कार्य आपने शुरू करवाया, वह किसी कारणवश बंद पड़ा है। उसे अतिशीघ्र शुरू करवाया जाए ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके।

इसके साथ ही मैं बताना चाहती हूं कि सोजत विधान सभा क्षेत्र में आज भी 96 घंटे से पानी की सप्लाई हो रही है। पूरे सोजत शहर और सोजत के आसपास के गांवों के अन्दर जितने भी हैंडपम्प लगे हुए हैं, सारे खराब पड़े हैं। उन हैंडपम्पों के ऊपर जो सिंगल फेज की मोटरें लगी हुई हैं, वह जो भी अधिकारी वहां पर जाते हैं, कर्मचारियों को जब सूचना दी जाती है कि ये हैंडपम्प खराब हैं, क्योंकि हमारे वहां पर पानी का कोई भी स्थाई स्रोत नहीं है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये सिंगल फेज की जो मोटरें अधिकारी ठीक करने के लिए लेकर आते हैं, ये मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र की शिकायत है, विशेष तौर से सोजत रोड जो क्षेत्र है उसमें 10 मोटरें लेकर आए हैं लेकिन आज दिन तक अधिकारी न तो उन मोटरों को ठीक करवाते हैं और न ही वापस उनकी जगह दूसरी लगवाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस समस्या को आप दूर करें।

(श्रीमती संजना आगरी)

इसके साथ ही जिन गांवों और ढाणियों के अन्दर पानी की समस्या है, वहां पर मई और जून की गर्मी को देखते हुए आप टैंकरों के माध्यम से या अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था वहां पर की जाए ताकि वहां का जनजीवन पानी की व्यवस्था से अव्यवस्थित नहीं हो। क्योंकि मई-जून की गर्मी तो बहुत दूर की बात है, मैं यह चाह रही हूं कि जब अब सर्दी का टाइम है और आज के दिन वहां पर अगर 96 घंटे में पानी की सप्लाई होती है, तो मैं मानती हूं कि यह जनता के हित में नहीं है। तो यह पेयजल का जो इम्पोर्टेंट इश्यू है, इसको आप, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि आप जल्दी से जल्दी, अतिशीघ्र गांवों के अन्दर टैंकरों के माध्यम से पानी शुरू करवाएं। माननीय मुख्य मंत्रीजी...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्या, मेरा निवेदन है कि आप सब लोग दो दो मिनट बोल लें। आसन की मंशा है कि एक और हमारी माननीय सदस्या बैठी हुई हैं, इधर भी लोग बाकी हैं, सबको बुलवा दिया जाए। क्योंकि टाइम जो है, उसके हिसाब से दो मिनट से ज्यादा बोलेंगी तो सबको मौका नहीं मिलेगा।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): आप पांच मिनट का मौका दें।

श्री सभापति: दो मिनट बोल लीजिए बस।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): मेरा मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि जिन गांवों, ढाणियों और शहरों के अन्दर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, आगे गर्मी को देखते हुए, सोजत विधान सभा क्षेत्र के अन्दर मेरा रायपुर कस्बा आता है जहां पर बहुत सारे कुएं हैं, उन कुओं का पानी भी सूख गया है, तो वहां भी उन कुओं के ऊपर आप टैंकरों के माध्यम से व्यवस्था कराएं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट घोषणा 2011-12 में की थी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एफ आर यू के संचालन हेतु आगामी वर्ष में 335 कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद सृजित किये जाएंगे, उसमें 106 स्त्री विशेषज्ञ के थे लेकिन मेरे सोजत विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, अस्पताल के अन्दर आज भी 19 पोस्टें रिक्त हैं, वे आज भी खाली पड़ी हैं। मैंने माननीय मंत्रीजी से निवेदन किया था और मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद भी देती हूं कि उन्होंने 19 डाक्टरों की पोस्टिंग की लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि मंत्रीजी के आदेश करने के बाद भी आज दिन तक एक भी डाक्टर ने वहां पर ज्वाइन नहीं किया। विशेष तौर पर वहां गाइनी डाक्टर की परेशानी है क्योंकि मेरे सोजत विधान सभा क्षेत्र के आसपास में रायपुर, जैतारण और मारवाड़ जंक्शन विधान

(श्रीमती संजना आगरी)

सभा क्षेत्र के सारे पीड़ित हैं, वे सोजत राजकीय अस्पताल में आते हैं। तो अतिशीघ्र वहां पर डाक्टरों की व्यवस्था की जाए। रायपुर मेरा जो क्षेत्र है, उसके अन्दर एक गाइनोकोलोजिस्ट की व्यवस्था की जाए तो मैं मानती हूं कि स्त्रियों के लिए यह बहुत अच्छा होगा। पूर्व में ट्रोमा यूनिट की जो स्वीकृति हो चुकी थी सोजत के अन्दर, मैं मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि उसकी भी आप अतिशीघ्र घोषणा करें।

मैं मेरे मगरा क्षेत्र के बारे में आपको अवगत कराऊंगी, मुख्य मंत्रीजी ने डांग, मगरा एवं मेवात विकास योजनाओं के लिए 10-10 करोड़ से बढ़ाकर 20-20 करोड़ रुपये किये हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं वसुंधरा राजे जी को जिन्होंने मगरा विकास बोर्ड की व्यवस्था की थी और योजना ऐसी बनायी थी जिसमें आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो, ताकि गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान मिल सकें। मेरे रायपुर, जो पूर्व में विधान सभा क्षेत्र रहा है, वहां के कई गांवों को इस योजना का लाभ मिला है लेकिन सोजत विधान सभा क्षेत्र के जो गांव इस योजना से वंचित रह गये हैं, मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि आप डांग विकास योजना में इन्हें लें ताकि क्षेत्रवासियों को मूलभूत आवश्यकता, सड़क, पानी, बिजली, चिकित्सा की व्यवस्था हो। इसके साथ ही इन लोगों का जो मुख्य धंधा है, वह लकड़ी काटना और पत्थर बेचना है। मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि इनकी आजीविका के जो साधन है पत्थर निकालना, खेती करना या लकड़ी काटना, तो इन लोगों को भी रियायती दर पर लाइसेंस दिये जाएं ताकि ये लोग अपना जीवनयापन कर सकें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में मैं अवगत कराना चाहूंगी कि 250 से 500 की आबादी में आने वाले लगभग 9 हजार गांवों और ढाणियों को जोड़ने की योजना की बजट 2012-2013 में घोषणा हुई। मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि सोजत विधान सभा क्षेत्र में पाली से सोजत जो नेशनल हाईवे है, वह 40 से 80 किलोमीटर सड़क नेशनल हाइवे की है, वह सड़क टूटी हुई, जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। जो सड़कें टूटी हुई हैं, उनकी रिपेयरिंग नहीं हुई और न अभी तक पैचवर्क हुआ है। आये दिन वहां दुर्घटनाएं होती हैं और हजारों लोगों की मौतें होती हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन सड़कों का रख-रखाव और मरम्मत अतिशीघ्र कराएं। इसके साथ ही सरकार जो स्टेट हाइवे बनाने जा रही है, मेरे क्षेत्र में जो स्टेट हाइवे बन रहा है,

(श्रीमती संजना आगरी)

सोजत-रूपावास और रूपावास से राजोला और राजोला से जोधपुर, मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्या, 5 मिनट से भी ज्यादा हो गये हैं।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): प्लीज, दो मिनट। जो स्टेट हाइवे बन रहे हैं, वहां खड्डे खोदकर तीन साल से उन सड़कों को शुरू करके छोड़ दिया है। वहां तीन-चार व्यक्तियों की मौतें हो गई हैं और आये दिन उन खड्डों में दुर्घटनाएं होती हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कार्य के जो टेंडर हो गये हैं और तीन साल से यह काम आज दिन तक नहीं हुआ है...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। मैं आगे नाम बोलने जा रहा हूं, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): एक मिनट। मैं उच्च शिक्षा के बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी को अवगत कराना चाहूंगी कि आपने बजट में 5 स्नातक महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। मेरा आपसे निवेदन है कि सोजत नगरपालिका के अन्दर 25 से 30 हजार तक की पापुलेशन है, वहां एक राजकीय महाविद्यालय और दो अन्य महाविद्यालय हैं, वहां छात्र-छात्राएं अध्ययन करने के बाद वहां से 40 से 80 किलोमीटर दूर जाते हैं, आपसे निवेदन है कि मेरे इस क्षेत्र के अन्दर आप इस बजट में, सोजत राजकीय महाविद्यालय में बिल्डिंग हमारे पास बनी हुई है, वहां एक पी.जी. कालेज और खोलने की घोषणा करेंगे तो हम आपके बहुत-बहुत आभारी रहेंगे।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। कृपया बैठ जाएं। श्री महावीर प्रसाद जीनगर।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): इसके साथ ही रायपुर विधान सभा क्षेत्र में, जहां मेरे क्षेत्र का एरिया आता है, वहां पर एक कालेज की व्यवस्था कराएंगे तो, माननीय मंत्री महोदय जी, यह छात्रों के हित में रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घण्टा बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घण्टा बढाया जाय, सदन की इजाजत है?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घण्टे के लिए बढ़ाया गया।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): किसानों की समस्या रह गई है सभापति जी, 5 मिनट तो और दे दें।

श्री सभापति: महावीर प्रसाद जी, मेरा निवेदन है, कृपया बैठिए। आप माननीय सदस्या, दो मिनट और बोल लीजिए।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि बिजली की सबसे बड़ी परेशानी जो राजीव गांधी विद्युतीकरण की योजनाएं चल रही हैं, उसके कनेक्शन कई गांवों और ढाणियों के अन्दर जहां नीचे के तबके के लोग रहते हैं, उनको आज तक डिपार्टमेंट वालों ने कनेक्शन नहीं किये। जब उनको कहा जाता है कि हमारे मगरा क्षेत्र में जो गरीब लोग होते हैं उनके कनेक्शन कर दिये जायं तो वे कहते हैं कि हमारे पास खंभे नहीं हैं, हमारे पास वायरिंग नहीं है, केबल नहीं है। आपसे निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में जितने भी विद्युतीकरण के कनेक्शन हैं, वे अतिशीघ्र किये जाएं। राजीव गांधी विद्युतीकरण के नाम से जिन लोगों के कनेक्शन नहीं हुए, मीटर नहीं लगे, दुर्भाग्य की बात है कि उनके भी बिजली के बिल उनके घरों में आने लगे। तो इस समस्या का भी समाधान कराएं।

दूसरी बात है, मेरे क्षेत्र में कई गांवों और ढाणियों में डिमांड नोटिस भरे गये हैं सिंगल फेस कनेक्शन के लिए। डिमांड नोटिस भरने के बाद दो-दो वर्ष होने को आये हैं, उन लोगों को आज दिन तक कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। ऐसे अधिकारी जो लापरवाही करते हैं, आप उनके खिलाफ कार्यवाही करें कि कब इन्होंने फार्म जमा करवाये हैं और आज दिन तक इनके डिमांड नोटिस क्यों नहीं निकाले गये, क्या कारण रहे हैं।

इसके अलावा पूरे प्रदेश का जो किसान है, वह किसान बहुत दुःखी हालत में है। हम जिस एरिये से आते हैं, वह रूरल एरिया है, पूरे काश्तकार

(श्रीमती संजना आगरी)

लोग रहते हैं तो अभी जो शीत और पाले से फसलों को खराबा हुआ था और इससे पहले जो खरीफ की फसलों का खराबा हुआ था, मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि जो लोग फसल का बीमा कराते हैं, उनको पता नहीं कि वह पैसा आपदा से दिया जाता है या उनको फसली बीमा दिया जाता है। तो जो मौसमी बीमा दिया जाता है, अभी मैंने अवगत कराया था तो इन्होंने बताया था कि इसको आपदा के तहत दिया गया। आपदा के तहत नहीं, बीमा के जो पैसे मिले थे, वे क्लेम के पैसे दिये थे और 300-300 लोगों से 50-50 हजार एक-एक शिड्यूल में वसूल किया था।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): 300 लोगों को 900 रुपये बीमा के दिये गये। मेरा आपसे निवेदन है कि काश्तकारों की जो समस्या है, इसको ध्यान में रखकर इनको मुआवजा दिलाया जाय।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। श्री महावीर प्रसाद जीनगर।

श्री महावीर प्रसाद जीनगर (शाहपुरा): माननीय सभापति जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने 2012 -13 का अपना चौथा बजट जो इस सदन में रखा करीब 33,500 करोड़ रुपये का, उन्होंने इस बजट के अन्दर सभी वर्गों को, महिलाओं को, युवाओं को, वृद्धजनों को, एस सी, एस टी, ओ बी सी, एस बी सी, अल्पसंख्यक वर्ग तथा किसानों व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के साथ-साथ आधारभूत संरचना के साथ-साथ, हर क्षेत्र के अन्दर शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, सड़क, आवास, बिजली इत्यादि अनेक ऐसे क्षेत्रों को छूते हुए बजट रखा। वास्तव में यह बजट लोक कल्याणकारी और विकासोन्मुखी बजट है। मैं इसके पक्ष में बोल रहा हूं।

आदरणीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने जो लोक कल्याणकारी जन-नीतियां इस राजस्थान को दी हैं, हम सब लोग गांवों में जाकर उनकी नीतियों को हर गांव और ढाणी तक पहुंचाने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना में दो लाख लोगों को दवाइयां प्रतिदिन वितरित की जाती हैं। प्रदेश में आम गरीब, काश्तकार जो बीमारी के कारण परेशान होता था, पैसे के अभाव में तनावग्रस्त हो जाता था और उसकी आर्थिक स्थिति डगमगा जाती थी, ऐसे गरीब व्यक्ति के लिए राजस्थान के

(श्री महावीर प्रसाद जीनगर)

मुख्य मंत्री ने पूरे राजस्थान के अन्दर नि:शुल्क दवाइयां वितरित करके बहुत बड़ा नाम कमाया है।

दूसरा, केन्द्र सरकार द्वारा मां जननी शिशु सुरक्षा योजना में ग्रामीण क्षेत्र में 1,400 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में एक हजार रुपये की वित्तीय सहायता तथा परिवहन, भोजन, आवश्यक सुविधा, सारा का सारा पैसा जननी शिशु सुरक्षा योजना के अन्दर दिया जाता है। जब प्रसूता हास्पिटल में जाती है तो उसका सारा का सारा इलाज और पैसा फ्री दिया जाता है। यह राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री की सोच है।

तीसरा, मुख्यमंत्री बी पी एल आवास योजना यह पूरे राजस्थान के अन्दर ऐसे गरीब व्यक्ति जिनके पास पैसा नहीं और जिनके पास रहने के लिए झोंपड़ी नहीं उन गरीबों को छत देने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हुडको से करीब 3,400 करोड़ रुपये की सहायता लेकर पूरे राजस्थान के अन्दर 10 लाख ग्रामीण बी पी एल परिवारों को तीन वर्षो में आवास उपलब्ध कराने की बहुत अहम योजना हाथ में ली है।

चौथा, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी, यह एक ऐसी गारंटी है जिसमें करीब 25 विभाग इसमें लिये गये हैं, उनकी समय सीमा तय की ताकि वे अधिकारी पाबंद रहें और आम गरीब, किसान का समय पर काम हो जाय।

(24.00 बजे)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने अनेक विभागों में, जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग में नरेगा के अन्तर्गत ढाणियों एवं बसावटों को ग्रेवल रोड बनाकर जोड़ रहे हैं तथा साथ ही साथ डामरीकरण का कार्य संपादित किया जाएगा। इसके लिए 250 से 500 की आबादी के 2,900 गांवों को डामर की सड़क से जोड़ने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है।

सभापति महोदय, मैं दूसरा एक निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने पूरे राजस्थान के अन्दर 16 मेगा हाइवे का कार्य हाथ में लिया, उसमें मेरा विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा भी है और करीब 80 किलोमीटर मेगा हाइवे शाहपुरा में आयेगा जिसमें जयपुर से फागी, मालपुरा, केकड़ी, शाहपुरा, मांडल होते हुए उसकी करीब 212 किलोमीटर की लम्बाई होगी और 282 करोड़ रुपये लगेंगे।

(श्री महावीर प्रसाद जीनगर)

ऊर्जा के क्षेत्र में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार प्रदेश की ऊर्जा उत्पादन क्षमता के विकास हेतु प्रतिबद्ध है। तीन वर्ष में ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 3,380 मेगावाट की वृद्धि हुई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मांग के अनुरूप विद्युत उत्पादन सुनिश्चित करने की दृष्टि से 11,590 मेगावाट क्षमता की 14 परियोजनाएं स्वीकृत की जा रही हैं। अक्षय ऊर्जा की विपुल संभावनाओं को देखते हुए पवन और सौर ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

पेयजल के अन्दर आगामी वित्तीय वर्ष में 2,569 गांव व ढाणियां, 7,500 अनुसूचित जाति, 300 एस टी एवं 120 अल्पसंख्यक बाहुल्य गांव, ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। शहरी क्षेत्र में 839 एस सी और 40 एस टी बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में नि:शुल्क दवा के साथ-साथ 2012-13 में 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा, साथ-साथ 100 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे तथा दो वर्षों में 3000 नये उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का लक्ष्य रखा है। आगामी वर्ष में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 1000 शय्याओं की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। 100 शय्याओं वाले सभी चिकित्सा संस्थानों में न्यू बोर्न स्टेबिलाइजेशन यूनिट की स्थापना का लक्ष्य रखा है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता के क्षेत्र में नि:शक्त बालक को 8 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर नि:शक्त पेंशन देय है। अब 8 वर्ष से कम आयु वाले नि:शक्त बालक-बालिकाओं को प्रति माह 250 रुपये पेंशन स्वीकृत की जाएगी। एच आई वी एड्स से ग्रसित बच्चों की देखभाल हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से 50-50 की क्षमता के दो किशोर गृह संचालित किये जाएंगे। वृद्ध एवं निराश्रित व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा करने हेतु एक निराश्रित संबल योजना प्रारम्भ की है। 40 प्रतिशत से अधिक एस सी की आबादी वाले 100 संबल गांवों में समग्र विकास कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम के माध्यम से आगामी वर्ष 15 करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। अल्प आय वर्ग के अल्पसंख्यकों को उद्यम स्थापित करने हेतु चार

(श्री महावीर प्रसाद जीनगर)

प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। वक्फ बोर्ड की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा 2009-10 में 45 लाख रुपये, 2010-11 में 50 लाख रुपये, 2011-12 में 50 लाख का अनुदान दिया गया है। मदरसा शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चालू वर्ष में मदरसों हेतु 500 कम्प्यूटर पैरा-टीचर और 3,500 शिक्षा सहयोगियों की भर्ती की गई है। मदरसों हेतु आगामी वर्ष में 1,000 कम्प्यूटर पैरा-टीचर तथा 1,000 शिक्षा सहयोगियों की भर्ती करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही मुख्य मंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना संचालित होगी। जयपुर शहर में हज हाउस निर्माण हेतु 2012-13 में दो करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, पशुपालन हमारे किसानों की आजीविका का साधन है। इस वर्ष हमारी लोकप्रिय सरकार द्वारा पशुओं के लिए भी नि:शुल्क दवा वितरण योजना लागू करने का किया है। इस विभाग को और बेहतर बनाने के लिए 400 नवीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोले जाएंगे एवं 200 पशु चिकित्सा उप-केन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।

शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर शिक्षा के स्तर में विकास से ही राजस्थान के विकास को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार ने गत तीन वर्षों में 20 हजार भर्तियां की हैं एवं 20 हजार इस वित्तीय वर्ष में करेगी। 24 हजार विद्यालयों में प्रत्येक में आठवीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को लैपटाप का पुरस्कार दिया जाएगा।

साथ-साथ मेरे शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांग आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। मेरे वहां फूलिया उप-तहसील है, शाहपुरा क्षेत्र से बहुत वर्षों से डिमांड होती आई है कि उस उप-तहसील को तहसील बनाया जाए और उसको तहसील बनाने की मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं। साथ ही साथ हमारे वहां एडिशनल एस.पी. की जगह है, एक्स.ईएन. की पोस्ट है, ए डी जे की पोस्ट भी है लेकिन ए डी एम की पोस्ट नहीं है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मैं ए डी एम की पोस्ट की मांग करता हूं। इसके अलावा बोरणा तहसील के अन्दर रायला बहुत बड़ा पंचायत समिति क्षेत्र है, 10-12 हजार की आबादी का क्षेत्र है, उसमें 14-15 पंचायतें लगती हैं। तो मेरा निवेदन है कि वहां उप-तहसील खोलने की, बजट में दिलाने का प्रयास करावें।

(श्री महावीर प्रसाद जीनगर)

पानी के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2.5 करोड़ रुपये सैंक्शन करके शाहपुरा क्षेत्र में टंकी और स्टेट टाइम से जो पुरानी लाइन बिछी हुई थी, उसके नवीनीकरण के लिए पैसा दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): सभापति महोदय, यह जो बजट मुख्य मंत्रीजी ने पढ़ा, उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि चाकसू को हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता है। अब तक चार बजट पेश किये गये हैं लेकिन चाकसू का नाम यदि मोमबत्ती लेकर भी देखूं तो कहीं दिखाई नहीं देगा। मेरे क्षेत्र में पानी की इतनी गंभीर समस्या है, बीसलपुर की पाइपलाइन उधर से जा रही है और बीसलपुर का पानी सेकंड फेज में देने की घोषणा की थी लेकिन वह बीसलपुर का पानी भी अभी तक सिवाय नगर के हमारे क्षेत्र में नहीं पहुंचा।

दूसरी बिजली की बात कहना चाहूंगी कि बिजली आती है तो करंट ही मारती है। जैसा कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, 200-250 बसें लेकर के बारां-कोटा से शक्ति परीक्षण करने के लिए आये थे तो उनसे यह कहा गया था कि हम परवन सिंचाई परियोजना जो है, उसके तहत आपके क्षेत्र को पानी मिलेगा। उसमें तीन एक्सपायर हुए थे। उनके लिए भी मैं कह सकती हूं कि सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। मैं प्रमोद भाया जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने अपने सामाजिक संगठन के तहत उनकी घोषणा तो की, लेकिन सरकार ने एक रुपये की भी घोषणा नहीं की।

तीसरी बात सड़क की कहना चाहूंगी कि जिसे अपन स्टेट हाइवे 2 कहते हैं, वह सड़क 20-25 सालों पहले जब से बनी है, उसके बाद से अब तक दुबारा नहीं बनी है और उस पर सिर्फ एक गाड़ी ही पार हो सकती है, दूसरी गाड़ी बराबर में चल नहीं सकती। यह तो हमारे स्टेट हाइवे 2 का हाल है।

(00.08 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

चिकित्सा के सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगी कि डाक्टरों के हाल बहुत बुरे हैं। चिकित्सक अस्पतालों में बैठते नहीं है, एक फोर्थ क्लास डिलिवरी कराती है और जच्चे-बच्चे की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इलाज के लिए उनको प्राइवेट हास्पिटल में जाना पड़ता है। 108 एम्बुलेंस की बात करना

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

चाहूंगी कि 5 किलोमीटर रास्ता है, उसको 40 मिनट में तय करती है चाहे वह हार्ट-अटैक का पेशेंट वहां मर ही जाए।

सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में मैं यही कहना चाहूंगी कि एग्जाम चल रहे हैं लेकिन हरसूलिया गांव के अन्दर तीन महीने से दो टीचर्स को यहां नगर निगम में डेपुटेशन पर लगाया हुआ है। तो वे बच्चे पास होंगे या फेल होंगे यह आप ही बता दें।

बजट के सम्बन्ध में मैं एक बहुत बड़े व्यापारी वर्ग के लिए एक बात कहना चाहूंगी कि मुख्य मंत्रीजी ने जो कर प्रस्तावों का जिक्र किया है, उसका अध्ययन करने से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सरलीकरण के नाम पर आप कर निर्धारण की प्रक्रिया को और जटिल बना रहे हैं, जिससे व्यापारी वर्ग में खासा रोष है। उदाहरण के तौर पर आपने 2012-13 का बजट पेश करते समय तिमाही विवरणियां एवं वार्षिक विवरणियां, फार्म वैट 10 और वैट 10ए को इतना जटिल और लम्बा कर दिया है कि आम व्यवसायी बिना कर सलाहकार की मदद से इन फार्मों को भर ही नहीं सकते। इसके अतिरिक्त, आपके द्वारा प्रस्तावित रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में नियम 12 (3) में भी संशोधन प्रस्तावित किए हैं लेकिन प्रस्तावित संशोधन स्वयं में ही विरोधाभासी हैं। उप नियम 4 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर व्यवसायी द्वारा बैंक अकाउंट का नम्बर वैट रजिस्ट्रेशन फार्म में नहीं लिखा गया तो फार्म अधूरा माना जाएगा एवं उस व्यवसायी को वैट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगी कि एक तरफ तो बैंक व्यवसायी से बिना टिन नम्बर के बैंक खाता नहीं खोलता और दूसरी तरफ वाणिज्यिक कर विभाग बिना बैंक एकाउंट नम्बर के वैट के तहत व्यापारी का रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। अतः आप द्वारा प्रस्तावित संशोधन पूरी तरह से विरोधाभासी हैं और व्यापारी वर्ग के हितों के विपरीत हैं।

गत वर्षों में बजट प्रस्तुत करते समय आप द्वारा व्यापारियों को राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2003 एवं केन्द्रीय बिक्री कर नियम, 1956 के तहत प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा-पत्र के लिए समय दिया जाता रहा है लेकिन वर्ष 2012-2013 का बजट प्रस्तुत करते समय इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया जिसके कारण व्यापारियों को बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एवं वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारी आये दिन व्यापारियों के बैंक खाते सीज करके, व्यापारियों की गाढ़ी कमाई

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

निकालकर राज्य के राजकोष में जमा कर रहे हैं। यहां पर यह कहना उचित होगा कि माननीय अदालतों का यह मत रहा है कि अगर घोषणा प्रपत्र माननीय अपील अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत भी किया जाता है तो उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए। अतः मेरा निवेदन है कि मात्र तकनीकी खामियों का सहारा लेते हुए व्यापारियों को बेवजह परेशानी से बचाने के लिए वर्तमान बजट में घोषणा प्रपत्रों को पेश करने की समय सीमा को बढ़ाने का प्रावधान करना चाहिए था।

मुख्य मंत्रीजी द्वारा बजट में यह भी घोषणा की गई कि वर्ष 2010-12 की बकाया विवरणियां और 30 अप्रैल, 2012 का जमा करा देते हैं, उसके साथ बनने वाला कर एवं उसका ब्याज भी जमा करा देते हैं तो ऐसे व्यवसायी को डीम्ड कर निर्धारण का लाभ मिल सकेगा। इस सम्बन्ध में पूर्व के बजट प्रावधानों को देखने से मालूम होता है कि इस वर्ष में आपने व्यवसायियों को रियायत देने में बहुत कंजूसी की है। पिछले वर्ष के बजट में जो प्रावधान किया गया था, उसमें व्यवसायी को केवल कर जमा कराने की शर्त पर डीम्ड कर निर्धारण का लाभ दिया गया था जबकि इस बार व्यापारियों पर ब्याज का भार भी लाद दिया, जो कि इस मंदी के दौर में व्यापारियों के लिए कोढ़ में खाज का काम करेगा।

पिछले वर्ष में आपने टैक्स सेटलमेंट बोर्ड की स्थापना की घोषणा की थी जिससे कि मामलों का निस्तारण कोर्ट के बाहर किया जा सके। इस संस्था पर गत एक वर्ष में करोड़ों रुपयों का व्यय किया जा चुका है लेकिन उसके बावजूद आज दिन तक मामलों का निस्तारण इस संस्था द्वारा नहीं किया गया, जो कि जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों की बरबादी है। इस संस्था में केवल वे ही प्रकरण जाते हैं जो कि 10 वर्ष पुराने हैं और वाद दायर करने के लिए रुपये 10,000/- की फीस जमा करानी पड़ती है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि पिछले वर्ष में पुराने वादों का निपटारा हो चुका है, ऐसा कोई भी प्रकरण लम्बित नहीं है। जहां तक फीस का प्रश्न है, वह इतनी ज्यादा है कि व्यापारी जाने की भी नहीं सोच सकते। आपसे मेरा निवेदन है कि इन दोनों पर पुनर्विचार करें।

जहां तक मैं समझती हूं, मैं महिला हूं, महिलाओं की बात करके, इन महिला उद्यमियों के लिए इस बजट में कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई भी छूट नहीं है, किसी भी प्रकार से उनको कुछ देने का लिखा हुआ नहीं है। आपने

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

बजट पेश करते समय वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अर्जित राजस्व के सम्बन्ध में बहुत तारीफ की लेकिन, मुख्य मंत्रीजी, इसमें वाणिज्यिक कर विभाग से ज्यादा तो पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों का बड़ा योगदान है। अगर आप पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त राजस्व एवं अन्य वस्तु से प्राप्त राजस्व की तुलना करेंगे तो यह आपको स्वतः ही स्पष्ट हो जायेगा।

हाल ही के दिनों में यह देखने में आया कि वाणिज्यिक कर विभाग में पदस्थापित उपायुक्त (अपील्स) जो कि एक निष्पक्ष संस्था है, को वाणिज्यिक कर विभाग के आला अधिकारियों ने कठपुतली बनाकर रख दिया है जिससे वे स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष न्याय नहीं कर पा रहे हैं। दो अधिकारियों ने न्याय करने का प्रयास किया तो उन्हें तुरन्त ए पी ओ कर दिया गया, जिससे कि पूरे राज्य के जितने उपायुक्त (अपील्स) हैं, उनमें भय व्याप्त है एवं वे निष्पक्ष रूप से कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। अतः इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करके, या तो उपायुक्त के पदों को खतम कर दें अन्यथा उन्हें निष्पक्ष न्याय करने के लिए स्वतंत्र कर दें।

पिछले बजट में आप द्वारा जो घोषणा की गई थी कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय निम्न अधिकारियों पर बाध्यकारी होंगे लेकिन स्थिति यह है कि आज भी रेवेन्यू बोर्ड के निर्णयों को कोई भी निम्न अधिकारी नहीं मानता। अतः मैं आपसे निवेदन करती हूं कि राजस्व मण्डल की तरह राजस्थान कर बोर्ड को भी कैट के अधिकार दिये जायें जिससे कि वह आदेशों को एग्जीक्यूट करा सके।

मैं यही कहना चाहूंगी अंत में कि यह महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है और कलाकार विरोधी है। कुल मिलाकर सारे ही विरोधी, विरोधी है क्योंकि इसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। पिछली बार तो बेलन में वैट कम किया गया था, बड़ा हंगामा किया गया था, सारे माननीय सदस्य चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे थे कि कम कर दिया...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय प्रोमिलाजी, बहुत टाइम हो गया है आपको। अब समय भी कम है।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): ...मतलब, वैट नहीं लगाया लेकिन मैं कहती हूं कि अब तालियां बजाओ, क्योंकि महिलाओं के लिए...

श्री उपाध्यक्ष: बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): ...इस बजट में क्या दिया है? मुझे तो नहीं लगता। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं को इस बजट में कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैं तो विशेषकर इसको महिला विरोधी बजट कहूंगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री गणेशसिंह जी परमार।

श्री गणेश सिंह परमार (कुम्भलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा एक लोक कल्याणकारी और ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है। मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद अर्पित करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी के द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विगत तीन वर्षों में एक आम आदमी को बिन्दु मानकर जो उत्थान के कार्य किये गये हैं, इसके सार्थक परिणाम साफ दिखाई दे रहे हैं। हमारी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। गांव, गरीब और किसान को विकास के साथ जोड़कर प्रदेश को खुशहाली की ओर अग्रसर करने का काम किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2012-13 की वार्षिक योजना का आकार बढ़ाते हुए 33,500 करोड़ रुपये पर निर्धारण किया गया है जो कि 2010-2011 की अनुमोदित योजना से 21.8 प्रतिशत अधिक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री महोदय द्वारा आम जनता को एक बहुत बड़ी सौगात दी गई है। मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना प्रारम्भ की गई जिसका फायदा आम गरीब व्यक्ति को मिला और यह योजना एक गरीब के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। निःशुल्क दवा वितरण योजना के अन्तर्गत प्रतिदिन लगभग दो लाख रोगियों को दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी के द्वारा जननी सुरक्षा योजना लागू की गई जिसका फायदा आम व्यक्ति को मिला, जिसका फायदा आम वर्ग के लोगों को मिला। इस योजना के प्रारम्भ होने से पूर्व ग्रामीण इलाकों में रहने वाली 40 से 50 प्रतिशत महिलाओं की डिलिवरियां घरों में होती थीं क्योंकि उनके पास अस्पताल जाने के लिए पैसे तक नहीं मिलते थे। मां और बच्चे की जिंदगी सुरक्षित नहीं थी। इस योजना के लागू होने के बाद मातृ और शिशु की मृत्यु दर में कमी आई है। फरवरी, 2012 तक 3.70 लाख

(श्री गणेश सिंह परमार)

महिलाओं को इस योजना के अन्तर्गत लाभ मिला है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी के द्वारा बी पी एल आवासों की लम्बित मांग को अगर इन्दिरा आवास की तर्ज पर पूरा किया जाता तो 22 से 23 वर्ष लगते थे। ऐसी स्थिति में मुख्य मंत्रीजी ने निर्णय लेकर तीन वर्ष में 10 लाख मकान बनाकर गरीब, बी पी एल परिवारों को देने की जो योजना बनाई है, वह गरीबों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के द्वारा लोक गारंटी अधिनियम, 2011 पारित किया गया है। इसमें 15 विभागों की 126 लोक सेवाओं की गारंटी को सम्मिलित किया गया है जिसका फायदा आम व्यक्ति को मिला। फरवरी, 2012 तक 31.10 लाख आवेदन मिले, जिसमें से 30.33 लाख के आवेदनों का निस्तारण किया गया है। यह एक बहुत बड़ा कदम है।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, नरेगा योजना के अन्तर्गत ढाणी एवं बसावट को ग्रेवल से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है, चरणबद्ध रूप से इसे डामरीकरण से जोड़ा जायेगा। आगामी वर्ष में 250 से 500 की आबादी के सामान्य क्षेत्र में आने वाले 2900 गांवों को डामरीकरण से जोड़ने की योजना है। राजमार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं मेगा हाइवे का काम भी सरकार ने हाथ में लिया है, जो यह एक बहुत बड़ा कदम है।

उपाध्यक्ष महोदय, गत तीन वर्षों में ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 3,800 मेगावाट की वृद्धि की गई तथा आगामी वर्ष में 1,860 मेगावाट एवं निजी क्षेत्र में 540 मेगावाट की क्षमता की वृद्धि का लक्ष्य है। गत तीन वर्ष में एक लाख 95 हजार कृषि कनेक्शन तथा 12 लाख 74 हजार ग्रामीण घरेलू कनेक्शन दिये गये। आगामी वर्ष 2012-13 में योजना मद के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र हेतु 22,726 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि प्रदेश की वार्षिक योजना का 38.4 प्रतिशत है।

शिक्षा के बारे में देखा जाय तो गत तीन वर्षों में 8395 द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति की गई और वर्तमान में 11865 द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त, 41 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। एक हजार नये प्राथमिक विद्यालय खोलने एवं छह सौ प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार का दायरा

(श्री गणेश सिंह परमार)

एस टी, एस सी, ओ बी सी और अल्पसंख्यकों से बढ़ाकर सामान्य बालिकाओं को भी उसमें सम्मिलित किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, पशुपालन को अगर देखा जाय तो मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना की तर्ज पर आगामी वर्ष से सभी राजकीय पशु चिकित्सालयों में पशुओं के लिए नि:शुल्क दवा योजना लागू की गई है।

गृह को देखा जाय तो गत वर्ष बारह हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती की घोषणा की गई, जो प्रक्रियाधीन है। आगामी दो वर्षों में दस हजार और पुलिसकर्मियों की भर्ती की जायेगी। उच्च स्तर की शिक्षण व्यवस्था के लिए सरदार पटेल पुलिस एवं सुरक्षा विश्वविद्यालय स्थापित करने की भी घोषणा की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल के बारे में देखा जाय तो राज्य सरकार द्वारा पेयजल समस्या के स्थायी निराकरण हेतु पेयजल स्रोतों को टिकाऊ बनाने की नीति अपनाई गई है। पुरानी व जर्जर पाइप लाइनों को बदलकर नई पाइप लाइन डालकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए भी मुख्य मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि एक वेड़िस पेयजल योजना जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में बनी थी, बदकिस्मती से सरकार बदल गई और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार के कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये, जिससे यह योजना पड़ी रही, लटक गई। अब इसकी एन ओ सी सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राप्त हो चुकी है। इसको तत्काल चालू कराने की मांग मुख्य मंत्री महोदय से मैं करता हूं।

सहकारिता के बारे में देखा जाय तो सहकारी संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के किसानों को आगामी वर्ष में स्वीकृत किये जाने वाले एक लाख रुपये तक के ऋण को समय पर चुकाने पर पूरा सम्पूर्ण ब्याज अनुदान के रूप में दिया जायेगा।

वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में बारह लाख से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है और महिला सशक्तिकरण में दो लाख बीस हजार महिला समूह बनाये गये हैं। पालनहार योजना के अन्तर्गत 43 हजार पालकों को लाभान्वित किया गया है।

इसी तरह जल संसाधन में विभिन्न सिंचाई परियोजना हेतु एक हजार छियासी करोड़ का प्रावधान है।

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

चिकित्सा शिक्षा सुविधा हो, चाहे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता का मामला हो, महिला बाल विकास में लक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र स्थापित करने का मामला हो, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना हो, कृषि का मामला हो, मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल रोजगार योजना लागू करना हो, चाहे युवा मामले एवं खेल-खिलाड़ियों को देय पुरस्कार में दस गुना वृद्धि का मामला हो या मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास हो, मुख्य मंत्रीजी के द्वारा जो इस बजट भाषण के प्रारम्भ से लेकर अंत तक प्रत्येक बिन्दु में लोक कल्याण योजना समाविष्ट की गई है, मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ जो विपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों के द्वारा इस बजट का जो विरोध किया जा रहा है, वह बेबुनियाद है, निराधार है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कान सिंहजी कोटड़ी। कृपया आपके पास चार मिनट बाकी हैं, उसमें समाप्त करना है।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): मैं तो पहली बार ही बोल रहा हूं, हुकुम, आने के बाद।

श्री उपाध्यक्ष: बोल दीजिये, बोल दीजिये। चार मिनट हैं आपके पास, बोल दीजिये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण में जो जन-आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए समग्र विकास को दर्शाया है, इस संबंध में मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र सिवाना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सिवाना-बाड़मेर जिला पानी व कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र था परन्तु इन वर्षों में अपर्याप्त वर्षा, नदियों के प्रवाह क्षेत्र में अवरोध के कारण हमारे क्षेत्र में पेयजल की समस्या है। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इस समस्या का समाधान करने के लिए दो वृहत योजनाएं बनाई गई, उम्मेदसागर-धवा-समदड़ी-खंडप जिसके लिए 364.93 करोड़ रुपये और दूसरी योजना थी पोकरण-फलसूण्ड जिसके लिए 1,084.83 करोड़। इसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के उम्मेदसागर-धवा-समदड़ी में 56 गांव और एक समदड़ी कस्बा था। गत वर्ष के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा समदड़ी की इस योजना के अन्दर बजट में प्रावधान किया और इस बजट में कंटिन्यू रखते हुए इस वर्ष भी बजट के अन्दर है। इस उम्मेदसागर-धवा-समदड़ी-खंडप के अन्दर जो प्रावधान किया है उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं तथा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि हमारे समदड़ी के अन्दर

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

6 फरवरी को पानी मीठा पहुंचा है, आगे हमारे 56 गांव हैं जहां की स्थिति बहुत ही विकट है, वहां पर पानी बहुत ही खारा है। जिस तरीके से बालोतरा के अन्दर इमरजेंसी योजना बनाकर बालोतरा को पानी की सप्लाई की गई है, मेरा भी यह निवेदन है, इस संबंध में मैंने माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय से भी निवेदन किया था कि आप हमारा जो खंडप क्षेत्र है, 56 गांव हैं, वहां पर आप इमरजेंसी योजना बनाकर के हमारे इस क्षेत्र को मीठा पानी उपलब्ध करायें। इस क्षेत्र के अन्दर तालाब के अन्दर भी पानी नहीं है, खारा है, इसलिए मैं पुनः जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि हमारे इन गांवों को मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिए आप इमरजेंसी योजना बनायें।

दूसरी हमारी जो योजना है, वह है पोकरण-फलसूण्ड योजना, जिसके अन्तर्गत भी हमारे इस बजट के अन्दर प्रावधान किया गया है। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। 590 करोड़ रुपये इसके अन्दर स्वीकृत किये हैं। इसके अन्तर्गत हमारे बाड़मेर, जैसलमेर का पोकरण, सिवाना, बालोतरा और 171 गांव हैं। तो मैं यह निवेदन करता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत भी शीघ्र काम शुरू किया जाय ताकि हमारे क्षेत्र के अन्दर जो एक समृद्ध क्षेत्र था, परन्तु कंटिन्यू बरसात अपर्याप्त होने के कारण पानी की विकट समस्या है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इन योजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित किया जाय ताकि हमारे क्षेत्र को मीठा पानी उपलब्ध हो।

दूसरी हमारी क्षेत्रीय योजनाएं हैं, सिणदरी क्षेत्र के अन्दर हैं, वहां पर भी पानी बहुत खारा है। इसलिए यह जो क्षेत्रीय योजना है, जलदाय मंत्रीजी से निवेदन है कि वहां पर भाटा से सिणदरी की जो योजना है, उसके अन्दर पानी खारा है, 60 लाख रुपये हैं, पाढरू से भाटा को जोड़ा गया है, परन्तु अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। माननीय जलदाय मंत्रीजी से निवेदन है कि आप यह जो कार्य है इसको शीघ्र पूरा करायें। वहां पर भी पाइपलाइन जर्जर हैं, टंकिया जर्जर हैं जिसके कारण सिणदरी क्षेत्र के अन्दर हर समय पानी की दिक्कत रहती है। माननीय जलदाय मंत्रीजी से निवेदन है कि वहां पर कर्मचारियों की कमी है, इसलिए आप अधिकारियों को निर्देशित करें ताकि सही मानिटरिंग हो और वहां के लोगों को यह जो पानी है, वह उपलब्ध हो ताकि काफी उनको राहत मिले।

मैं मेरे क्षेत्र की प्रमुख समस्या के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र की प्रमुख समस्या है, माननीय अटल बिहारीजी का सपना था कि नदियां जुड़ें, परन्तु इस संबंध के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी का जब बाड़मेर

(श्री कानसिंह कोटड़ी)

पधारना हुआ था, हमने इस प्रमुख मांग के बारे में यह निवेदन किया था कि हमारे जो गांव हैं, समदड़ी क्षेत्र है, वहां पर हमारी जो पंचायतें हैं....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कान सिंहजी, समय।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): नदी किनारे आई हुई हैं। इसलिए हमारे यहां पर किसानों की जो खेती है, उस पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। हमारे दो फ़सली गांव हैं, वे एक फ़सली होते जा रहे हैं। इसलिए आप इस प्रकार का इसके अन्दर विचार कीजिए। नदियां आना तो बहुत ही मुश्किल है। उच्चतम न्यायालय भी चाहता है, हाई कोर्ट के द्वारा भी आपको इस 15 तारीख के अख़बार के अन्दर, उसमें जो है किस प्रकार की अवरुद्धता है उसको हटाने की बात कही है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हमारे नदियां किनारे जो गांव आये हुए हैं...

श्री उपाध्यक्ष: आपको धन्यवाद, समय सीमा है।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): संक्षेप में मेरी बात पूरी कर रहा हूं। इसलिए यह प्रमुख जो समस्या है इसके अन्दर, बांधों के अन्दर भी दो साल के बाद में एक सीमा निश्चित की जाए ताकि हमारी इन नदियों के अन्दर भी पानी छोड़ा जाए। इस प्रकार का मेरा यह माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: अब नहीं, अब आप समाप्त करें।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने 38, 66, 68, जितने भी हाइवे हैं, एक हाइवे में काम मंथन गति से चल रहा है। आपसे यह निवेदन है कि जो 66 हाइवे पर हमारा समदड़ी कस्बा आया हुआ है, उसके अन्तर्गत हमारी स्कूल आई हुई है, हास्पिटल आये हुए हैं, बस स्टैंड आया हुया है, उसको जो आपने 3.66 स्वीकृत किया है, उसमें मेरा निवेदन है कि इसको डबल किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, आप समाप्त करें। अब आपका भाषण समाप्त माना जाता है। क्योंकि चार मिनट का टाइम था, आपने छह मिनट ले लिए। आप विराजें। प्लीज, आप विराजें। आपका भाषण समाप्त।

सदन की बैठक आज शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च, 2012 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 00.30 बजे दिनांक 30 मार्च, 2012 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

विराट नगर में पशु चिकित्सा सुविधा

162. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) गांवों में पशुधन की स्वास्थ्य रक्षा हेतु कौन-कौनसी सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं?

(2) विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में वर्तमान में किस-किस गांव में किस-किस प्रकार की पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवायी जा रही है ?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक कितने पशुधन केन्द्र खोले गये तथा कितनों को क्रमोन्नत किया गया ?

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांवों में पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कितने?

(5) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशुधन संख्या अनुरूप पशु चिकित्सा केन्द्र की सुविधायें उपलब्ध करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) प्रदेश के गांवों में पशुधन की स्वास्थ्य रक्षा हेतु पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय एवं पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों के माध्यम से पशु चिकित्सा, टीकाकरण, पशु रोग निदान, पशु रोग नियंत्रण सुविधायें उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के निम्नांकित गांवों में वर्तमान में विभागीय पशु चिकित्सा संस्थायें कार्यरत हैं, जिनके द्वारा पशु चिकित्सा, टीकाकरण, पशु रोग निदान कार्य, पशु रोग नियंत्रण की सुविधायें उपलब्ध करवायी जा रही हैं-

प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	पशु चिकित्सालय	पशु औषधालय	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र
विराट नगर	आतैंला	बीलवाडी	बडनगर
	मैढ		बागावास अहिरान

(पशुपालन मंत्री)

प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	पशु चिकित्सालय	पशु औषधालय	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र
	पावटा		छापडाखुर्द
	पांचूडाला		छितौली
	राजनौता		जयसिंहपुरा
	बाड़ी जोड़ी		कुनेड
			नौरंगपुरा
			प्रागपुरा
			तुलसीपुरा
			जवानपुरा

जिन ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा संस्था कार्यरत नहीं है, वहां पर पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार योजनान्तर्गत प्रतिमाह एक शिविर नजदीक के पशु चिकित्सालय के माध्यम से आयोजित कर पशु चिकित्सा सेवायें उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक नये पशु चिकित्सा उपकेन्द्र नहीं खोले गये हैं। वर्ष 2010-11 में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र बीलवाडी को पशु औषधालय में क्रमोन्नत किया गया है।

(4) प्रदेश में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र आवश्यकता एवं उपलब्धता अनुसार खोले जाते हैं ।

(5) जिस ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सा संस्था कार्यशील नहीं है, वहां नजदीक के पशु चिकित्सालय द्वारा पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार योजना अन्तर्गत प्रत्येक माह एक शिविर आयोजित कर पशु पालकों को चिकित्सा उपलब्ध करवायी जा रही है।

कोटा जिले में "मनरेगा" में करवाये गये कार्य

163. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

जिला कोटा में वर्ष 2011 में मनरेगा योजना अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कितने कार्य स्वीकृत हुए? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 2011 में महानरेगा योजना के अन्तर्गत कोटा जिले में 33 व्यक्तिगत लाभ के कार्य स्वीकृत हुए हैं। स्वीकृत सभी 33 कार्य विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के हैं।

स्टोन क्रेशर श्रमिकों हेतु चिकित्सा सुविधा

164. श्री शंकर सिंह (ब्यावर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि स्टोन क्रेशर्स में कार्यरत श्रमिकों के क्षय रोग जैसी बीमारियों से ग्रसित होने के कारण उनकी मृत्यु दर काफी अधिक है?

(2) क्या सरकार स्टोन क्रेशर श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई विशेष योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) जी नहीं। स्टोन क्रेशर्स में कार्यरत श्रमिकों के क्षय रोग ग्रसित होने के कारण उनमें मृत्यु दर अन्य क्षय रोग ग्रसित व्यक्तियों के समान ही होती है। जिलेवार नये स्मीयर पाजिटिव केसेज में वर्ष 2008 से 2010 तक वर्षवार मृत्यु दर की सूची परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) वित्तीय वर्ष 2011-12 में आदेश दिनांक 26.5.2011 के द्वारा राज्य के प्रमुख खनन क्षेत्र वाले 19 जिलों के श्रमिक जो खनन क्षेत्रों में कार्य करते हैं उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 34 चिकित्सा संस्थानों में उपकरण, दवाईयां, प्रचार-प्रसार इत्यादि हेतु राशि रूपये 25 करोड़ 16 लाख 18 हजार की स्वीकृति जारी की गई। आदेश दिनांक 26.5.2011 के द्वारा राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर को 50 शैय्याओं में क्रमोन्नत कर स्टाफ के पद स्वीकृत करने हेतु राशि रुपये 41 लाख 94 हजार की एवं राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी सूरसागर जोधपुर में उपकरण एवं स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए राशि रुपये 23 लाख 50 हजार की स्वीकृति जारी की गई है। इस प्रकार कुल राशि रुपये 25 करोड़ 81 लाख 62 हजार की स्वीकृति जारी की गई है।

परिशिष्ट-अ

Revised National TB Control Programme, Rajasthan
Districtwise Annual Physical Achievements-(Year 2008 to 2010)

Indicator	Annual Death Rate		
District	**Year 2008**	**Year 2009**	**Year 2010**
1	**2**	**3**	**4**
Ajmer	4%	4%	4%
Alwar	3%	3%	4%
Banswara	3%	3%	3%
Baran	3%	3%	3%
Barmer	4%	4%	3%
Bharatpur	4%	3%	3%
Bhilwara	4%	4%	5%
Bikaner	4%	3%	3%
Bundi	4%	4%	4%
Chittorgarh	4%	5%	4%
Churu	2%	2%	3%
Dausa	5%	4%	3%
Dholpur	3%	3%	3%
Dungarpur	3%	4%	3%
Ganganagar	6%	5%	4%
Hanumangarh	3%	4%	4%
Jaipur	2%	2%	3%
Jaisalmer	2%	2%	5%
Jalor	3%	3%	3%
Jhalawar	4%	4%	4%
Jhunjhunu	4%	4%	5%
Jodhpur	4%	4%	4%
Karouli	1%	1%	1%
Kota	1%	3%	3%
Nagaur	3%	3%	4%

1	2	3	4
Pali	5%	5%	4%
Raj Samand	6%	5%	6%
S. Madhopur	3%	3%	4%
Sikar	4%	4%	4%
Sirohi	3%	5%	3%
Tonk	3%	4%	4%
Udaipur	3%	3%	3%
RAJASTHAN	3%	3%	4%

सलूम्बर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

165. श्रीमती बसन्ती देवी मीणा (सलूम्बर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की तहसील सराड़ा में उच्च शिक्षा हेतु राजकीय महाविद्यालय संचालित नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार जनजाति के बालक-बालिकाओं को सस्ती एवं सुलभ उच्च शिक्षा दिलाने हेतु तहसील सराड़ा में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हुए तहसील सराड़ा में राजकीय महाविद्यालय खोला नहीं जा सका है।

(2) जी नहीं। तहसील सराड़ा में निजी क्षेत्र का काव्यांजलि कन्या महाविद्यालय, चावण्ड तहसील सराड़ा में वर्ष 2009 से संचालित है।

वर्तमान में राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हुए तहसील सराडा में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

विद्युत दरों में अघोषित वृद्धि

166. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विद्युत दरों में अघोषित रूप से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वृद्धि की गई है? यदि हां, तो वर्ष 2008 से 2011 तक घरेलू, व्यवसायी व कृषि की किस दर से वसूली की जा रही है? वर्षवार उक्त तीन वर्गों का पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपभोक्ताओं को जारी विद्युत बिलों में सरकार द्वारा किस-किस मदनाम से राशि वसूल की जाती है? वर्ष 2008 से 2011 तक उक्त मदों में कितनी-कितनी राशि वसूल की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक अलग-अलग विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या कितनी-कितनी है तथा इनसे प्राप्त होने वाली आय वर्षवार कितनी है? क्या यह वृद्धि मात्र उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने से हुई या संख्या के साथ-साथ दर बढ़ने से आमदनी बढ़ी है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उपभोक्ताओं को जारी विद्युत बिलों में विभाग द्वारा मुख्यतः निगम राशि, विद्युत कर, जल संरक्षण उपकर एवं नगरीय उपकर मदों में राजस्व निर्धारण कर वसूली की जाती है।

वर्ष 2008 से उक्त मदों में वर्षवार राजस्व निर्धारित राशि के अनुसार निम्न प्रकार से है:-

(रु. करोडों में)

वर्ष	निगम राशि	विद्युत कर	जल संरक्षण उपकर	नगरीय उपकर
2008-09	8350.66	643.16	प्रभावी नहीं	प्रभावी नहीं
2009-10	9266.09	689.92	63.34	प्रभावी नहीं
2010-11	10312.10	788.20	132.53	97.94
2011-12 (दिसम्बर, 11 तक)	8967.93	641.82	105.79	131.73

(3) राज्य में अलग-अलग श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या का विवरण वर्षवार प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

उनसे प्राप्त होने वाली आय का वर्षवार विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक राजस्व में वृद्धि का कारण मात्र उपभोक्ताओं की बढ़ी संख्या ही है।

माह सितम्बर, 2011 से विद्युत वितरण की नयी दरों के कारण वर्ष 2011-12 में उपभोक्ताओं की बढ़ी संख्याओं के अलावा दरों में वृद्धि के कारण भी आमदनी बढ़ी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगित प्रश्न

गुरुवार, दिनांक 01 मार्च, 2012

हरित राजस्थान योजनान्तर्गत वृक्षारोपण पर व्यय

50. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास [नरेगा] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में हरित राजस्थान के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वृक्षारोपण हेतु विभिन्न नर्सरियों में पौधारोपण किया गया है? यदि हां, तो जिलेवार किस-किस नर्सरी में किस-किस किस्म के कितने-कितने बीजों से कितने पौधों का पौध रोपण किया गया व नहीं, तो वृक्षारोपण हेतु पौधे कहां से लाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पौधारोपण हेतु नर्सरियों पर कितनी भूमि पर कितनी राशि व्यय कर पौधारोपण किया गया? नर्सरीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पौधों को किस-किस विभाग/संस्थाओं को आबंटित किया गया एवं कहां-कहां पर वृक्षारोपण किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नर्सरियों में पौधारोपण नहीं किया जाता है, बल्कि बीजारोपण द्वारा पौध तैयार की जाती है। यह सही है कि हरित राजस्थान के तहत विभिन्न नर्सरियों में बीजारोपण द्वारा पौध तैयार की गई है। जिलेवार सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। वृक्षारोपण हेतु अधिकतर पौधे विभागीय नर्सरियों/पौधशालाओं में तैयार किये गये हैं। कुछ जिलों में नर्सरी विकसित नहीं करने अथवा कम मात्रा में पौधों की उपलब्धता की स्थिति में निजी नर्सरियों से भी पौधों का क्रय किया गया है।

(ग्रामीण विकास (नरेगा) मंत्री)

(2) पौधारोपण हेतु व्यय राशि एवं भूमि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) नर्सरियों में तैयार पौधों के आबंटन एवं वृक्षारोपण विभिन्न विभागों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, गृह विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सिंचाई विभाग इत्यादि द्वारा अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में यथा पुलिस थाने, सडकों के किनारे, चरागाह भूमि, राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों, आंगनबाडी केन्द्रों आदि में कराया गया है। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(सूचना व विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजसमन्द जिले के दुग्ध अवशीतन केन्द्र

167. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला राजसमन्द में दुग्ध अवशीतन केन्द्र कहां-कहां स्थित हैं और उनकी क्षमता क्या है?

(2) क्या उक्त जिले में उपभोक्ताओं को दूध विक्रय के लिये पैकिंग सुविधायें इन केन्द्रों पर उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

(3) उक्त जिले में दूध एवं दूध उत्पादों के विक्रय के लिये सहकारी क्षेत्र में क्या व्यवस्था है?

(4) क्या सरकार उक्त जिले में पृथक् सहकारी डेयरी स्थापना का विचार रखती है?

(5) सहकारी डेयरी प्रारम्भ करने के नियम/मानदण्ड क्या हैं?

उत्तर

(1) जिला राजसमन्द में दुग्ध अवशीतन केन्द्र ग्राम केरोट, पंचायत एमडी, मोही रोड पर स्थित है।

अवशीतन केन्द्र की क्षमता 20 हजार लीटर दूध प्रतिदिन है।

(2) जी नहीं। राजसमन्द जिले में पैक्ड दूध की मांग एवं आपूर्ति बढ़ने और वित्तीय सहायता की उपलब्धता के अनुसार विचार किया जायेगा।

(3) राजसमन्द जिले में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विपणन उदयपुर

(डेयरी मंत्री)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा विभिन्न विक्रय एजेंटों/वितरकों के माध्यम से किया जा रहा है।

(4) जी नहीं।

(5) जिला विशेष में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का गठन एवं पंजीयन राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम-2001 एवं राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम-2003 के प्रावधानों एवं प्रक्रियाधीन किया जाता है।

प्रस्तावित जिले में उपलब्ध अधिशेष दूध की मात्रा, स्थानीय बाजार में दूध की मांग, आधारभूत सुविधाएं, प्रस्तावित संघ के व्यवसायिक दृष्टि से सक्षम एवं आत्मनिर्भरता के आधार पर जिला दुग्ध संघ की स्थापना पर विचार किया जाता है।

मारवाड़ जंक्शन की क्षतिग्रस्त सड़कें

168. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड जंक्शन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में सड़कें क्षतिग्रस्त हैं एवं उक्त सड़कें गारन्टी अवधि से पूर्व ही खराब हो चुकी हैं? क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत एवं चौड़ाईकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या गारंटी पूर्व क्षतिग्रस्त सड़कों के दुरस्तीकरण के लिए सरकार द्वारा सम्बद्ध संवेदक के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की गई है? यदि हां, तो क्या व दुरस्तीकरण कब तक किया जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की कुल 74 सड़कें गारण्टी अवधि में हैं। जिनमें से 5 सड़कें क्षतिग्रस्त स्थिति में हैं। विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है, गारण्टी अवधि की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य पूर्ण करने बाबत् विवरण परिशिष्ट-1 के कालम संख्या 12 में अंकित है। इन सड़कों का चौड़ाईकरण सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(2) जी हां। गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त सड़कों के दुरुस्तीकरण हेतु अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार जमा राशि जब्त करने तथा पंजीयन नियमों के अन्तर्गत डिबार करने की कार्यवाही की गई है। विवरण परिशिष्ट-1 के कालम संख्या 10 व 11 में अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आबू रोड के बत्तीसा नाला नदी पर बांध हेतु सर्वे

169. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आदिवासी बहुल तहसील आबू रोड में बत्तीसा नाला नदी पर देलदर गांव के समीप सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला सिरोही में बारिश के समय बरसात के पानी का 52 प्रतिशत पानी बहकर राजस्थान से बाहर गुजरात में जाता है? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इसे सिरोही जिले के उपयोग हेतु रोकने के क्या प्रयास किये गये हैं और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2007-08 में सरकार द्वारा बजट आबंटित करते हुए किसी निजी फर्म द्वारा उक्त व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को रोकने के संबंध में सर्वे करवाया गया था? यदि हां, तो किस फर्म से तथा उस फर्म द्वारा सर्वे में क्या रिपोर्ट दी गई? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार को निजी फर्म से सर्वे रिपोर्ट प्राप्त हो गई लेकिन विभाग द्वारा समय पर उसे राज्य सरकार को क्रियान्विति हेतु नहीं भेजी गई? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

हनुमानगढ़ में पाले से प्रभावित फसलें

170. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला हनुमानगढ़ में वर्ष 2011 में रबी की फसल को पाला पड़ने से नुकसान हुआ है? यदि हां, तो किस-किस फसल को कितना-कितना नुकसान हुआ है? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त फसलों में अरण्ड की फसल को

(श्री अभिषेक मटोरिया)

सबसे ज्यादा क्षति हुई है? यदि हां, तो उक्त फसल कितने रकबे में और कहां-कहां बुआई की गई थी और इसे कितना नुकसान हुआ है? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त फसल के खराबे का सर्वे करवाकर प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला हनुमानगढ़ में वर्ष 2011 रबी फसल में हुई क्षति का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) अरण्ड की बुआई रबी मौसम में न होकर खरीफ मौसम में हुई है। अरण्ड की फसल में नुकसान का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) पाला एवं शीतलहर से फसलों के खराबे पर राहत देने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.3.2012 को राहत पैकेज जारी किया है जिसके तहत पात्र किसानों को सहायता प्रदान की जावेगी। उक्त पैकेज की प्रति परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखा गया)

नदबई के भवन रहित पशु चिकित्सालय

171. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा' (नदबई) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) की पंचायत समिति नदबई एवं सेवर और रूपवास के किन-किन गांवों में पशु उप केन्द्र संचालित हैं और इनमें से कितने बिना भवन के चल रहे हैं? भवन एवं बिना भवनों में चल रहे पशु उप केन्द्रों की सूची मय गांव के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र नदबई जिला भरतपुर की पंचायत समिति नदबई, सेवर एवं रूपवास में संचालित उपकेन्द्र एवं उनके भवन की स्थिति निम्न प्रकार है-

(पशु पालन मंत्री)

पंचायत समिति	उपकेन्द्र	भवन की स्थिति
1 नदबई	झारकई	भवन विहीन
	ढहरा नदबई	भवन विहीन
	खेरिया ब्राहमिन	भवन विहीन
	रोणिजा	भवन विहीन
	कटारा	पंचायत द्वारा उपलब्ध भवन
	शाहपुर	भवन विहीन
	होता	भवन विहीन
	जहांगीरपुर	भवन विहीन
2 सेवर	झारोली	भवन विहीन
	मुडोता	पंचायत द्वारा उपलब्ध भवन
	धोर	पंचायत द्वारा उपलब्ध भवन
	नांगला पंजाबी	दानदाता द्वारा उपलब्ध भवन
	धानोता	दानदाता द्वारा उपलब्ध भवन
	सिनपिनी	भवन विहीन
	खादेरा	पंचायत द्वारा उपलब्ध भवन
	मादोनी	पंचायत द्वारा उपलब्ध भवन
	सुखावली	भवन विहीन
	कासौदा	दानदाता द्वारा उपलब्ध भवन
3 रूपवास	खानुआ	राजकीय भवन
	भैंसा	पंचायत द्वारा उपलब्ध भवन
	बसेरी	राजकीय भवन

वैर में मनरेगा में वृक्षारोपण

172. श्री बहादुर सिंह (वैर) : क्या ग्रामीण विकास [नरेगा] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2010-11 में सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र वैर में हरित राजस्थान के तहत कितने वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया?

(2) उक्त लक्ष्य के तहत कितने वृक्ष कहां-कहां लगाये गये तथा उन वृक्षों को कहां से क्रय किया गया तथा उनका भुगतान किस दर से किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में लक्ष्य के अनुसार लगाये गये पौधों में से कितने जीवित हैं तथा कितने नष्ट हो चुके हैं और उसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं एवं सरकार उनके विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र वैर में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा 66476 पौधे लगाने का एवं वन विभाग द्वारा 65000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा विधान सभा क्षेत्र में उद्यानिकी विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग एवं भू-संरक्षण विभाग को विधान सभा वार लक्ष्य ना देकर विभागवार लक्ष्य आबंटित किये गये थे।

(2) उक्त लक्ष्य के तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत भैसीना, अलीपुर, भूतौली, सुहारी, निठार, छौकरवाडा, कमालपुरा, बाछरैन, चक्क धरसौनी, ललितामूडिया, सलैमपुरखुर्द, कैर एवं जसपुरा मोरोली में चरागाह भूमि पर 66476 पौधारोपण किया गया। वन विभाग द्वारा दुब्बी, जरखोर एवं पथैना (प्रथम) में 65,000 पौधारोपण किया गया, विभागवार आबंटित किये गये लक्ष्यों में पुलिस विभाग द्वारा भुसावर एवं हलैना थाने में 200, शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में 1,000 भू-संरक्षण विभाग द्वारा हाथौडी मालपुर (रणधीरगढ़), वरवटपुरा (गौगेरा) में 3600 एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा कृषकों के माध्यम से 66506 पौधारोपण किया गया। विकास विभाग, वन विभाग, भू-संरक्षण विभाग, शिक्षा विभाग द्वारा वन विभाग की नर्सरियों में उत्पादित पौधे ही लगाये गये एवं पौधे क्रय नहीं किये गये। उद्यानिकी विभाग द्वारा कृषकों को वितरित किये गये पौधे राजस्थान होर्टीकल्चर एण्ड नर्सरी सोसायटी 'राजहंस' नर्सरी से क्रय किये गये थे, जो कि जिला स्तर पर विभाग

(ग्रामीण विकास (नरेगा) मंत्री)

द्वारा क्रय किये। इन पौधों को स्वीकृति के अनुसार कृषकों को वितरित किया गया। पौधे खरीदने की दरें निम्नानुसार रहीं :-

1. नीबू कागजी रुपये 7.00 प्रति पौधा

2. बेर कलमी रुपये 10.00 प्रति पौधा

3. बील पत्र रुपये 20.00 प्रति पौधा

4. आवला कलमी रुपये 19.00 प्रति पौधा

5. अमरूद रुपये 16.00 प्रति पौधा

(3) लगाये गये पौधों में से ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के 34898, वन विभाग के 49000, उद्यानिकी विभाग के 53204, भू-संरक्षण विभाग के 2030, शिक्षा विभाग के 444, पुलिस विभाग के 70 पौधे जीवित हैं।

उक्त पौधों की कम जीवितता का कारण प्राकृतिक है एवं इसके लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। अत: किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही किया जाना विचारनीय नहीं है।

बयाना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध सुविधाएं

173. श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बयाना एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रूदावल के प्रसूति वार्ड में प्रसूताओं के लिये पलंगों पर फटे गद्दे प्रयोग में लाये जाते हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पलंगों पर चद्दर नहीं डाली जाती है?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रसूति वार्ड में फिनायल कीटनाशक से सफाई नहीं की जाती है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय की व्यवस्था में सुधार करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बयाना एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूदावल के प्रसूति वार्ड में सोडियम हाइपो क्लोराइड से सफाई की जाती है। जो फिनायल से ज्यादा असरदायक है।

(4) जी हां। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बयाना एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूदावल के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के संबंध में चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बयाना को दिनांक 10.02.2012 एवं 01.03.2012 तथा चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूदावल को दिनांक 18.02.2012 एवं 01.03.2012 को समुचित व्यवस्था करने हेतु पाबन्द किया। वर्तमान में उक्त दोनों चिकित्सा संस्थानों पर चिकित्सा सुविधाऐं सुचारु रूप से संचालित की जा रही हैं ।

चौमूं तहसील क्षेत्र में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना

174. श्री भगवानसहाय सैनी (चौमूं) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तहसील चौमूं से छात्राओं को अध्ययन के लिए जयपुर जाना पड़ता है? क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चौमूं में राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम कुशलपुरा (बांशा) व पंचायत समिति मुख्यालय गोविन्दगढ़ में छात्राओं की संख्या काफी तादात में है? क्या सरकार उक्त क्षेत्र कुशलपुरा, बांशा व गोविन्दगढ़ में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय खोलने के बारे में परिशिष्ट "अ" के अनुसार मानदण्ड निर्धारित है, जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई। राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने के लिए अलग से कोई और मानदण्ड नहीं है।

(2) जी नहीं। तहसील चौमूं में राजकीय क्षेत्र में राजकीय महिला

(उच्च शिक्षा राज्य मंत्री)

महाविद्यालय, चौमूं एवं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कालाडेरा संचालित है तथा चौमूं विधान सभा क्षेत्र में निजी क्षेत्र में कुल 8 महिला महाविद्यालय एवं 12 सहशिक्षा के महाविद्यालय संचालित हैं।

(3) ग्राम कुशलपुरा (बांशा) में निजी क्षेत्र में श्रीकृष्ण महिला महाविद्यालय वर्ष 2010 से संचालित है जिसमें छात्राओं की संख्या लगभग 100 है और पंचायत समिति गोविन्दगढ़ मुख्यालय पर संचालित ब्राइटमून गर्ल्स कालेज, गोविन्दगढ़ (स्थापना वर्ष 2003) में वर्तमान में छात्राओं की संख्या 1656 तथा स्व. कु. लक्ष्मी बघाला गर्ल्स कालेज, गोविन्दगढ़ (स्थापना वर्ष 2007) में वर्तमान में छात्राओं की संख्या 503 है। श्री कृष्ण महाविद्यालय, गोविन्दगढ़ (सहशिक्षा) को वर्ष 2011 से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए कुशलपुरा (बांशा) व गोविन्दगढ़ में राजकीय महिला महाविद्यालय वर्तमान में खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

परिशिष्ट-अ

महाविद्यालय आरम्भ करने के वर्तमान मानदण्ड

प्रदेश में नये महाविद्यालय आरम्भ करने के वर्तमान में निम्नलिखित मानदण्ड लागू किये जा रहे हैं :—

1. महाविद्यालय के लिए आवश्यक भवन आदि उपलब्ध हो।

2. प्रस्तावित स्थान के 20 किलोमीटर की परिधि में कम से कम 4 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल संचालित हों।

3. प्रस्तावित स्थान के 30 किलोमीटर की परिधि में कोई अन्य महाविद्यालय संचालित न हो।

4. प्रस्तावित स्थान अन्य सभी दृष्टियों से महाविद्यालय आरम्भ करने के लिए उपयुक्त हो।

उपरोक्त मानदण्डों के अतिरिक्त नया महाविद्यालय आरम्भ करते समय कतिपय अन्य बातों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे :- निजी महाविद्यालय आरम्भ करने पर संचालकों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशंषित वेतनमानों को लागू करना, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमानों के अन्तर्गत ही कर्मचारियों को

वेतन भुगतान करना, सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता की सभी शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करना, महाविद्यालय में छात्रोपयोगी गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को लागू करना, यथा :- खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक सेवा, एन.सी.सी. आदि-आदि।

महाविद्यालय खोलने की नीति :-

1. नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित मानदण्ड हैं। इन मानदण्डों में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं दी जाती है। निम्न परिस्थितियों में शिथिलता दी जा सकती है :-

   (अ) भौगोलिक कारण

   (ब) महिला महाविद्यालय

   (स) रोजगारोन्मुखी विषय

2. राज्य सरकार अपने संसाधनों को देखते हुए क्षेत्रीय दृष्टि को ध्यान में रखते हुए नवीन महाविद्यालय के निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाले स्थानों पर वार्षिक योजना में राजकीय क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करती है। इस नीति के अन्तर्गत कभी महाविद्यालय का भवन प्रस्तावित स्थान में जनसहयोग से ही निर्मित कराया जाता है।

3. यदि कोई दानदाता, स्वयंसेवी संस्था अथवा ट्रस्ट महाविद्यालय खोलना चाहे तो उसे महाविद्यालय का भवन बनाने तथा 3 वर्षों/महिला महाविद्यालय है तो 1 वर्ष का आवर्ती एवं अनावर्ती राजस्व व्यय राजकीय कोष में जमा कराने पर राजकीय क्षेत्र में महाविद्यालय प्रारम्भ करने पर विचार किया जा सकता है।

   महाविद्यालय के भवन का निर्माण निदेशालय, कालेज शिक्षा, जयपुर द्वारा निर्धारित नक्शे के आधार पर कराया जायेगा।

4. प्रस्तावित महाविद्यालय में कम से कम 250 छात्र होना आवश्यक हैं जिससे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आर्थिक सहयोग प्राप्त किया जा सके।

वर्तमान नीति :-

1. राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर एक महाविद्यालय होना आवश्यक है।
2. प्रत्येक जिले में एक पृथक महिला महाविद्यालय होना चाहिये।
3. नये महाविद्यालय के लिए भवन निर्माण करने एवं एक वर्ष का आवर्ती/ अनावर्ती व्यय दानदाता/स्वयंसेवी संस्था राजकीय कोष में जमा कराना चाहे वहां महिला महाविद्यालय खोलने को विभागीय आंकलन कर प्राथमिकता दी जावे।

निजी क्षेत्र में महाविद्यालय प्रारम्भ करना :—

1. निजी क्षेत्र में गैर सरकारी महाविद्यालय आरम्भ करने के लिए सम्बन्धित दानदाता, स्वयंसेवी संस्था अथवा ट्रस्ट द्वारा महाविद्यालय आरम्भ करने का निर्धारित आवेदन पत्र निदेशालय को प्रस्तुत करता है।

2. निदेशालय द्वारा प्रस्तावित स्थान का निरीक्षण कराया जाता है यदि महाविद्यालय प्रारम्भ करने के सभी मानदण्ड पूरे करता है तो इसकी अनुशंषा राज्य सरकार को की जाती है।
3. राज्य सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित स्थान पर महाविद्यालय प्रारम्भ करने के संबंध में निर्णय देती है।
4. निजी महाविद्यालय प्रारम्भ करने का अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार जारी करती है।

जयपुर शहर में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु कार्य योजना

175. **श्री मानसिंह** (परबतसर) एवं **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के कई हिस्सों में पेयजल पीने योग्य नहीं है? यदि हां, तो किन-किन हिस्सों में पानी पीने योग्य नहीं है और पानी में कौन-कौन से विषैले पदार्थ सम्मिलित हैं ?

(2) क्या सरकार शहर के उक्त हिस्सों में पानी को स्वच्छ बनाने के लिए कोई विशेष कार्य योजना पर अमल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कार्य योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं । जयपुर शहर में सतही जल स्रोत बीसलपुर बांध एवं स्थानीय भू-जल स्रोतों से पेयजल गुणवत्ता हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की जा रही है ।

(2) जी नहीं। उपरोक्तानुसार ।

मांगलियावास-रास (अजमेर) सड़क का सुदृढ़ीकरण

176. **श्री महेन्द्र सिंह** (नसीराबाद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा मांगलियावास से रास तक सड़क को 4 लेन में चौड़ा करने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य हेतु 295 करोड़ की स्वीकृति जारी हो चुकी है? यदि हां, तो सरकार उक्त कार्य को कब पूर्ण कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक एफ-7(1386) सैक्शन-II/2009/डी-180 दिनांक 27.08.2010 के जरिये मांगलियावास से रास तक सड़क को 4 लेन में चौड़ा करने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। उक्त कार्य हेतु राशि रुपये 294.83 करोड़ की स्वीकृति जारी हो चुकी है। इस स्वीकृति में सम्मिलित सड़क मेड़ता-लाम्बिया-रास कार्य प्रगति पर है, मेड़ता-रास-मांगलियावास सड़क पर सड़क के लिये भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगतिरत है। जिसके कारण रास से मांगलियावास तक की सड़क निर्माण कार्य की निविदायें आमंत्रित नहीं की जा सकी हैं। भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सड़क का निर्माण कार्य 1 वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना है।

(परिशिष्ट पुस्तकालय में रखा गया)

निकुंभ ग्राम पंचायत, बड़ी सादड़ी हेतु पेयजल योजना

177. श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बडी सादड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी की पंचायत समिति बड़ी सादड़ी की ग्राम पंचायत निकुंभ में चार से पांच दिन के अंतराल में एक बार पेयजल की सप्लाई की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत निकुंभ में लगभग 30 वर्ष पूर्व तत्कालीन आबादी परिस्थितियों के हिसाब से पेयजल सप्लाई लाइन डाली गई थी ? यदि हां, तो क्या तत्कालीन आबादी व वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार उक्त पेयजल सप्लाई लाइनें पर्याप्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पंचायत मुख्यालय निकुंभ की पेयजल समस्या के समाधान हेतु एवं नित्य प्रति पेयजल सप्लाई हेतु निकुंभ में वर्तमान आबादी, विस्तार, परिस्थितियों के हिसाब से नई पेयजल सप्लाई लाइन डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, बड़ी सादड़ी की पंचायत समिति, बड़ी सादड़ी के पाइप्ड जल योजना से लाभान्वित ग्राम निकुंभ (वर्तमान अनुमानित

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जनसंख्या=6100) में स्थानीय नलकूपों/खुले कुएं से पानी की आवक कम हो जाने के कारण जल उत्पादन में हुई कमी की पूर्ति, ग्राम में विभिन्न स्थानों पर मानदण्डों अनुरूप स्थापित एवं क्रियाशील 35 हैण्डपम्प एवं 2 सिंगल फेस नलकूपों से की जा रही है ।

(2) जी हां। उक्त योजना में समय-समय पर विस्तार होने एवं आबादी बढ़ने के फलस्वरूप बढ़ी हुई पेयजल मांग की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा कालांतर में पेयजल स्रोत संवर्धन एवं पाइप लाइन संबंधी कार्य पूर्ण कराये जाकर पेयजल आपूर्ति सामान्य एवं सुचारु बनाई रखी गई। वर्तमान में उपरोक्तानुसार जल उत्पादन में आई कमी एवं क्षेत्र के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए बनाई गई पुनर्गठित योजना के प्रस्तावों में पाई गई तकनीकी कमियों का निराकरण कर योजना के संशोधित प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।

(3) जी हां। उपरोक्तानुसार। आगामी वित्तीय वर्ष में योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने के पूर्ण प्रयास किये जायेंगे।

अनूपगढ़ में पाले से प्रभावित फसलों का मुआवजा

178. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में सर्दी (पाला) से कितने प्रतिशत सरसों एवं अन्य फसलों का नुकसान हुआ? क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की फसलों की गिरदावरी कराके मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में सर्दी (पाला) से फसल को करीब 17 प्रतिशत नुकसान हुआ है। पाला एवं शीतलहर से फसलों के खराबे पर राहत देने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.3.2012 को राहत पैकेज जारी किया है जिसके तहत पात्र किसानों को सहायता प्रदान की जावेगी। उक्त पैकेज की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग

पत्रांक एफ 1(2)आप्र एवं सहा/पाला/2010/3986-4042   जयपुर, दिनांक : 25-3-2012

समस्त जिला कलक्टर,

राजस्थान।

विषय :-शीतलहर एवं पाला से प्रभावित कृषकों के लिए सहायता पैकेज।

राज्य में रबी फसल, संवत 2068 (सन् 2012) में शीतलहर एवं पाले से हुई क्षति से प्रभावित कृषकों को राहत पहुंचाने हेतु राज्य सरकार ने निम्नानुसार सहायता पैकेज घोषित किया है :—

(अ) रबी गिरदावरी के आधार पर जिन काश्तकारों की बोई गई फसलों का 50 प्रतिशत एवं इससे अधिक नुकसान हुआ है उनमें सीमांत काश्तकारों को अधिकतम एक हैक्टेयर तक तथा लघु काश्तकारों को अधिकतम दो हैक्टेयर तक एवं सीमांत एवं लघु से अन्य 5 हैक्टेयर की जोत सीमा तक के वृहत काश्तकारों को भारत सरकार द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2012 को जारी एनडीआरएफ/एसडीआरएफ मापदंड अनुसार कृषि आदान अनुदान भूमि धारिता के अनुपातिक तौर पर देय होगा जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

असिंचित फसल पर—3000/- रुपये प्रति हैक्टेयर

सिंचित फसल पर—डीजल इंजन से सिंचित 8000/- रुपये प्रति हैक्टेयर

बिजली के कुओं व नहर से सिंचित—6000/- रुपये प्रति हैक्टेयर

(ब) बोई गई फसल में 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक खराबा वाले लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए 4 माह का बिजली का बिल माफ किया जायेगा।

(स) जिन गांवों में 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक का नुकसान है उन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जाकर भू-राजस्व स्थगित किया जायेगा तथा उपरोक्तानुसार प्रभावित काश्तकारों के अल्पकालीन सहकारी ऋणों को काश्तकारों द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर उसे मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किया जा सकेगा।

(द) 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक खराबा वाले प्रभावित काश्तकारों का सिंचाई विभाग द्वारा लिया जाने वाला आबियाना शुल्क माफ किया जायेगा।

(य) किसी काश्तकार द्वारा अपने स्वतंत्र रूप से नोशनल शेयर के आधार पर या स्वतंत्र रूप से धारित भूमि का कुल रकबा यदि सीमान्त एवं लघु कृषकों के लिए धारित रकबा के अनुसार हो, तो उसे लघु सीमांत कृषक के अनुसार कृषि आदान-अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

(र) राहत पैकेज में घोषित सहायता उन कृषकों को भी दी जायेगी जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है पर जिन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बांटेदारी से फसल की है। ऐसे किसान बोई गई भूमि के खातेदार से 5/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार की समस्या के निर्णय हेतु संबंधित तहसीलदार व पटवारी तथा ग्राम सेवक की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति इस प्रकार के बिन्दुओं पर निर्णय लेकर निर्धारण करेगी कि राहत किसे दी जानी है। इसके लिए कृषक को अपने खातेदार की लिखित सहमति इस समिति को देनी होगी।

(ल) जिला कलक्टर द्वारा कृषि आदान-अनुदान से संबंधित सहायता राशि जिलों में स्थित सहकारिता विभाग के सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के माध्यम से प्रभावित काश्तकारों के बैंक खातों में तथा जिन काश्तकारों का खाता नहीं हो उनका खाता खुलवाकर उसी में हस्तान्तरित की जायेगी।

सभी जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशानुसार कृषकों को नियमानुसार राहत प्रदान करें एवं इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

ह./-
शासन सचिव
आ. प्र. एवं सहायता

किसान आयोग के गठन हेतु जारी अधिसूचना

179. श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा बजट घोषणा की क्रियान्विति में राज्य में राजस्थान किसान आयोग का गठन कर दिया गया है? यदि हां, तो उक्त आयोग में कुल कितने सदस्य एवं कृषि वैज्ञानिक मय प्रगतिशील किसान सम्मिलित किए गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान किसान आयोग के गठन के पश्चात् आयोग द्वारा अब तक कितने प्रतिवेदन, सुझाव सरकार को भिजवाये गए हैं तथा सरकार द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन व सुझावों पर क्या कार्यवाही की गई है? प्राप्त प्रतिवेदन व सुझाव व सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

(3) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राजस्थान किसान आयोग का गठन करने की अधिसूचना जारी कर दी गई थी? यदि हां, तो कब? अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में राजस्थान किसान आयोग का गठन किया जा चुका है। आयोग में अध्यक्ष व सदस्य सचिव के अतिरिक्त 8 सदस्य हैं जिसमें से 6 विषय विशेषज्ञ, एक प्रगतिशील पुरुष कृषक व एक प्रगतिशील महिला कृषक सम्मिलित हैं। आयोग के सदस्यों की सूची संलग्न है।

(2) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.8 (4) कृषि-1/एमसी/2005 दिनांक 21.11.2011 से राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष पद पर श्री नारायण सिंह का मनोनयन किया गया एवं कृषि (ग्रुप-1) विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2012 से आयोग में अधिकारियों/कर्मचारियों का पदस्थापन किया गया।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.8 (4) कृषि-1/एमसी/2005 दिनांक 15.02.2012 से सदस्यों के मनोनयन के तत्काल बाद आयोग की प्रथम बैठक दिनांक 27.02.2012 को आयोजित की गई। जिसमें आयोग द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदन तैयार करने के लिये भावी रूप रेखा बनाई गई। आदेशों की प्रतियाँ संलग्न है।

(3) जी हां। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा आयोग गठित करने की अधिसूचना क्रमांक एफ. 8 (4) कृषि-1/एमसी/2005 दिनांक 13.04.2007 द्वारा जारी कर दी गई थी किन्तु आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन नहीं किया गया था। अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

(सूची व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

महानरेगा योजना के कार्मिकों की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया

180. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि महानरेगा योजना में कार्मिकों की नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गई है? यदि हां, तो नियुक्ति प्रक्रिया के क्या नियम हैं?

(श्री रामहेत सिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि महानरेगा योजना में राज्य सरकार द्वारा कार्मिकों की नियुक्ति प्रक्रिया नियमों की पालना कर दी गई है? यदि हां, तो नियुक्त कार्मिकों के मानदेय व परिलाभ देने के क्या नियम हैं?

(3) क्या महानरेगा योजना में नियुक्त कार्मिकों को राज्य सरकार नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार महानरेगा योजना में नियुक्त कार्मिकों के मानदेय में छठे वेतन आयोग के वेतन श्रृंखला के अनुसार मानदेय भत्ता देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। महानरेगा योजना में कार्मिकों की संविदा नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारित है। इसके तहत समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाकर आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं एवं प्राप्त आवेदन पत्रों से मेरिट सूची तैयार कर वरीयता अनुसार अनुबन्ध के आधार पर संविदा नियोजन किया जाता है।

(2) जी हां। महानरेगा योजना में संविदा कार्मिकों का नियोजन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई है। नियोजित कार्मिकों को मानदेय एवं परिलाभ उनके द्वारा सम्पादित कार्य की प्रकृति एवं वित्त विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के नरेगा अनुभाग द्वारा निर्धारित एवं अनुबन्ध के प्रावधान अनुसार देय है।

(3) जी नहीं। महानरेगा योजना में नियुक्त कार्मिकों को राज्य सरकार नियमित करने का विचार नही रखती है क्योंकि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है एवं केन्द्र सरकार के द्वारा इस संबन्ध में जारी दिशा-निर्देशानुसार कोई भी स्थाई एवं नियमित पद सृजित नहीं किया जा सकता है।

(4) जी नहीं। महानरेगा योजना में नियुक्त कार्मिकों के मानदेय में छठे वेतन आयोग के वेतन श्रृंखला के अनुसार मानदेय भत्ता देने का विचार नहीं रखती है क्योंकि संविदा कार्मिक नियमितकर्मी नहीं होने के कारण छठे वेतन आयोग के पात्र नहीं हैं। नरेगाकर्मियों को उनके द्वारा सम्पादित कार्य के अनुरूप मासिक मानदेय दिया जा रहा है एवं छठा वेतन आयोग संविदा

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री)

कार्मिकों पर लागू नही होता है अतः छठे वेतन आयोग के समकक्ष मानदेय भुगतान का विचार नहीं है।

जनरेटर खरीद हेतु निविदाएं

181. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा 15 KVA Air Cooled DG Sets खरीद के लिए निविदा जारी की गई है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या उक्त निविदा को जारी करने से पूर्व अंतिम रूप से State Level Store purchase कमेटी ने अप्रूव्ड कर दिया था? यदि हां, तो कब?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा फरवरी, 2012 में DG Sets खरीदने के आदेश DGS & D Rate Contract पर दिये हैं? यदि हां, तो कितने जनरेटर कितने रुपये के क्रय आदेश दिये एवं इनकी स्थापना, परिवहन DG Sets चालू करने तक कुल कितना व्यय आएगा?

(4) क्या DGS & D Rate Contract पर क्रय किये जाने वाले DG Set दर विभागीय निविदा की अनुमानित दर से अधिक है? यदि हां, तो कितनी?

(5) क्या विभागीय निविदा में समान Specification होने पर यदि आइटम की दर DGS & D दर से कम है तो क्या ऐसी स्थिति में DGS & D Rate Contract पर खरीदना सरकार को हानि पहुंचाने के समान नहीं है? यदि नहीं, तो किस प्रकार?

(6) क्या विभागीय निविदाएं की शर्तें DGS & D Rate Contract की तुलना में ज्यादा अनकूल थी? दोनों ही शर्तों का अभिलेख के साथ तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान, जयपुर के अधीन 15 के.वी.ए. डी.जी. सेट्स की दर संविदा (अवधि 2011-13) के लिये निविदा सूचना संख्या डीएमएचएस/एसपीओ/ ईएण्डआई/आरसी-11-13/एनआईटी-04/12/2603 दिनांक 01.02.2012 को जारी की गई जिसकी निविदा प्राप्ति दिनांक 15.03.2012 निर्धारित की गई ।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

दिनांक 15.03.2012 को स्थानीय अवकाश होने के कारण दिनांक 16.03.2012 को निविदाएं प्राप्त की गई हैं। निविदाओं के अनुसार तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण करा आगे कार्यवाही की जायेगी।

(2) निविदा सूचना जारी करने का निर्णय सम्बन्धित पत्रावली पर सक्षम अनुमोदन से दिनांक 01.02.2012 को लिया गया था। जिसका अनुमोदन आगामी राज्य स्तरीय भण्डार क्रय समिति की बैठक दिनांक 06.02.2012 में किया गया। (राज्य स्तरीय भण्डार क्रय समिति की बैठक दिनांक 06.02.2012 के कार्यवाही विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है)।

(3) जी हां। विभाग द्वारा दिनांक 03.02.2012 को डी.जी.एस. एण्ड डी. रेट कान्ट्रेक्ट पर डी.जी. सेट्स खरीदने के आदेश दिये गये हैं।

कुल 131 डी.जी. सेट्स राशि रुपये 2,90,63,922.00 का क्रयादेश दिया गया है।

मेडिकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से इन डी.जी. सेट्स के परिवहन एवं स्थापना का कार्य प्रगति पर है। जिसके वास्तविक व्यय राशि की जानकारी कार्य पूर्ण होने पर मालूम हो सकेगी।

(4) जी नहीं। डी.जी.एस. एण्ड डी. रेट कान्ट्रेक्ट पर क्रय किये जाने वाले डी.जी. सेट्स की प्रति सैट दर रुपये 221862.00 है, जबकि विभागीय निविदा में अंकित अनुमानित दर रुपये 225000.00 है। वास्तविक दर निविदा खुलने पर ही मालूम होगी।

(5) वर्तमान में डी.जी. सेट्स की कोई विभागीय दर संविदा उपलब्ध नहीं है । अतः डी.जी.एस. एण्ड डी. रेट कान्ट्रेक्ट से दरों की तुलना करना और इस प्रकार सरकार को हानि पहुंचाने जैसी स्थिति नहीं बनती है।

(6) दिनांक 01.02.2012 को आमंत्रित निविदाओं की शर्तें परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है। तथा डी.जी.एस. एण्ड डी. रेट कान्ट्रेक्ट की निविदाओं की शर्तों की प्रतियां परिशिष्ट-स पर प्रस्तुत है। सामान्यत इन शर्तो की तुलना नहीं की जा सकती है। क्योकि डी.जी.एस. एण्ड डी. रेट कान्ट्रेक्ट की शर्तें पूरे देश में क्रय के लिये निर्धारित की जाती है। जबकि विभागीय निविदाओं में शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के आधार पर निर्धारित की जाती है। मुख्य-मुख्य शर्तों का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट-द पर प्रस्तुत है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

राजकीय विश्वविद्यालयों में आरक्षित वर्ग के रिक्त पद

182. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में उच्च शिक्षा के लिए राजकीय क्षेत्र में कौन-कौन से विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है तथा इनमें किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद हैं? विश्वविद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विश्वविद्यालयों के लिए स्वीकृत पदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए किस-किस संवर्ग में कितने-कितने पद आरक्षित हैं तथा आरक्षित पदों में कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं? विश्वविद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आरक्षित पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उच्च शिक्षा के लिये राजकीय क्षेत्र में 15 विश्वविद्यालय स्थापित हैं। समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

इन विश्वविद्यालयों में संवर्गवार स्वीकृत पदों का विश्वविद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) स्वीकृत पदों में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों का संवर्गवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। जब भी विश्वविद्यालयों में पद रिक्त होंगे, उन्हें नियमानुसार भरा जायेगा।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भूतपूर्व सैनिकों को टोल टैक्स में छूट

266. श्री सूरजभान धानका (राजगढ-लक्ष्मणगढ़) : क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगने वाले टोल टैक्स में छूट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या सरकार ऐसे पूर्व सैनिक जिन्होंने द्वितीय विश्वयुद्ध में भाग लिया था, की विधवा व सैनिकों को मिलने वाली राशि 1200 रु. को बढ़ाकर 4000 रु. प्रतिमाह करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रश्न राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित है जो केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अधीन है। अतः प्रश्न का संबंध राज्य सरकार से संबंधित नहीं है।

(2) जी नहीं। बजट घोषणा वर्ष 2011-12 द्वारा द्वितीय विश्वयुद्व के नान पेंशनर पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को दी जा रही पेंशन में बढ़ोतरी 1200/- से 3000/- रुपये किये जाने की घोषणा कर दी गई है।

बायतू के क्षतिग्रस्त जलाशय

267. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बायतू में कई स्थानों पर पेयजल जलाशय क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सांभरा, पतासर, बणियावास की पानी की टंकियां पूर्णतया क्षतिग्रस्त एवं धराशाही होने की स्थिति में हैं? क्या सरकार उक्त टंकियों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बायतू में विभिन्न ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत 126 भू-तल जलाशय वर्तमान में क्षतिग्रस्त (आंशिक/पूर्ण रूप से) हैं। वांछित विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है ।

(2) जी नहीं। वर्णित ग्रामों में से ग्राम सांभरा का एक भू-तल जलाशय वर्तमान में पूर्णतया क्षतिग्रस्त है। ग्राम सांभरा, पतासर तथा बाणियावास स्थित क्रमशः 2, 5 व 1 भू-तल जलाशय आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण इनसे वर्तमान में पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

उक्तानुसार क्षतिग्रस्त भू-तल जलाशय के स्थान पर नया भू-तल जलाशय एवं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भू-तल जलाशयों की आवश्यक मरम्मत के प्रस्ताव बनाये जाकर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार स्वीकृति जारी की जाकर इनका क्रियान्वयन किया जावेगा। ग्राम पंचायतों के पास विभिन्न मदों (यथा टी.एफ.सी./एस.एफ.सी.) में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उपयोग कर उनके माध्यम से भी उक्त क्षेत्र के भू-तल जलाशयों की आवश्यक मरम्मत कराने के विभाग द्वारा प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर नगर में पेयजल वितरण हेतु उपयोग में लिये गए पाइप

268. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में पेयजल वितरण पाइप लाइनों को बिछाने में कितने तरह के पाइप काम में लिये जाते हैं? पाइपवार तकनीकी विशेषताओं, पाइप उपभोग अवधि, पाइप की लागत एवं पाइप को किस तरह से काम में लिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में जोधपुर नगर में पेयजल वितरण पाइप लाइन बिछाने के किस-किस कार्य में तकनीकी रूप से कौनसा पाइप काम में लिया जाने का मानदण्ड निर्धारित था एवं इसके विरुद्ध किस-किस तरह के पाइप काम में लिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) प्रदेश की विभिन्न जल योजनाओं/परियोजनाओं के लिये उपयुक्त पाइपों के चयन हेतु विभाग द्वारा नीति बनाई गई है जिसके अन्तर्गत विभाग

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

द्वारा योजनाओं में प्रयुक्त किये जाने वाले पाइपों के चयन में उनकी तकनीकी उपयुक्तता के साथ-साथ लागत को भी प्राथमिकता दी गई है।

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की जल योजनाओं में डाली जाने वाली राईजिंग (रॉ-वाटर एवं स्वच्छ जल हेतु) एवं वितरण लाइनों में प्रयुक्त किये जाने वाले पाइपों के संदर्भ में विभाग द्वारा जारी परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है ।

(2) जोधपुर शहर हेतु विगत दो वर्षों में स्वीकृत पेयजल योजनाओं में उक्त नीति के अनुसार ही पाइप उपयोग में लिये गये/जा रहे हैं । योजनावार वांछित विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है ।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बयाना के खराब हैण्डपम्प

269. श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उपखण्ड बयाना और रूपवास में विगत छः महीनों से सैकडों हैण्ड पम्प खराब हैं?

(2) विधान सभा क्षेत्र बयाना में वर्ष 2010-11 में खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराने हेतु कितनी-कितनी राशि आबंटित हुई? क्या सरकार उक्त खराब हैण्ड पम्पों को अविलम्ब सुधारने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं । विभाग द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे 36वें विशेष हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान के दौरान विगत छह माह (माह सितम्बर, 2011 से फरवरी, 2012 तक) में उपखण्ड बयाना एवं रूपवास के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमश: 643 एवं 833 मरम्मत योग्य खराब पाये गये समस्त विभागीय हैण्ड पम्पों को सुधारा जाकर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाई रखी गई।

(2) वितीय वर्ष 2010-11 में उपखण्ड बयाना एवं रूपवास के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मरम्मत योग्य खराब हैण्ड पम्पों को सुधारने के कार्य पर क्रमश: रुपये 6.83 लाख एवं रुपये 17.15 लाख की राशि व्यय की गई। उक्त मरम्मत अभियान में मरम्मत योग्य खराब हैण्ड पम्पों को सतत प्रक्रिया के रूप में सुधारने का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

भरतपुर की लम्बित पेयजल योजनाएं

270. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में पेयजल की योजनाओं हेतु धनराशि आबंटित की गई है? यदि हां, तो कब-कब, कहां-कहां और कितनी-कितनी? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त में से अधिकांश योजनाएं अभी भी अस्वीकृत तथा अपूर्ण हैं? यदि हां, तो प्रस्तावित व अपूर्ण योजनाओं का कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वर्ष 2012 में पेयजल की नई योजना तैयार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां । वांछित विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है ।

(2) उक्त क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाये रखने के लिए विगत पांच वर्षों में पेयजल संबंधी समस्त 446 कार्यों की स्वीकृति जारी की जाकर 379 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा 67 कार्य वर्तमान में विभिन्न कारणों से अपूर्ण रहे हैं। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' में निहित है।

(3) जी हां । वित्तीय वर्ष 2012-13 की प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना में उक्त विधान सभा क्षेत्र की स्वीकृत दो योजनाओं (कुल सम्मिलित 7 ग्राम) का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जावेगा।

इसके अतिरिक्त चम्बल-धौलपुर-भरतपुर वृहद् पेयजल परियोजना के अन्तर्गत उक्त विधान सभा क्षेत्र के 41 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए योजना की तकनीकी सहमति हाल ही में जारी की गई है। इस योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं तथा स्वीकृति उपरांत योजना के कार्यों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रारम्भ करने के प्रयास किये जावेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रोहट (पाली) तहसील क्षेत्र के ग्रामों हेतु आबंटित श्मशान भूमि

271. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(1) जिला पाली की तहसील रोहट में पूर्व में चलाये गये प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान श्मशान भूमि आबंटन के कितने प्रकरण स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए?

(2) उक्त में से किन-किन गांवों में श्मशान भूमि आबंटित कर दी गई एवं किन-किन गांवों में किन-किन कारणों से आबंटित नहीं की जा सकी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब शेष बचे गांवों में श्मशान भूमि कब तक आबंटित कर दी जायेगी?

(4) क्या सरकार ने गांवों में श्मशान भूमि को विकसित एवं सुविधाजनक करने हेतु किसी योजना में कोई प्रावधान रखा है? यदि हां, तो किस योजना में व नहीं, तो क्या अब कोई प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील क्षेत्र रोहट में पूर्व में चलाये गये प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान शमशान/कब्रिस्तान भूमि आबंटन के कुल 12 प्रकरण स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए।

(2) तहसील क्षेत्र रोहट में कुल प्राप्त 12 प्रकरणों में से 2 का निस्तारण कर दिया गया है व शेष 10 प्रकरण गोचर/ओरण भूमि के होने से जांच व समीक्षा हेतु प्रक्रियाधीन है जिसकी सूची संलग्न है।

(3) तहसील क्षेत्र रोहट में शेष 10 लम्बित प्रस्तावों की भूमि गै.मु. गोचर है एवं वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गोचर भूमि को आबंटन पर रोक लगाने के फलस्वरूप राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.4.11 की पालना में पेंडिंग है। गोचर भूमि की क्षतिपूर्ति करने के पश्चात भूमि आबंटन संबंधी कार्यवाही की जाएगी।

(4) जी नहीं।

श्मशान/कब्रिस्तान हेतु भूमि आबंटन की सूचना

क्र. सं.	नाम ग्राम	प्रस्ताव की संख्या	आबंटन हुई या नहीं	आबंटन नहीं होने का कारण
01	सिराणा	01	आबंटन कर दी गई। (कब्रिस्तान)	—
02	जैतपुर	01	आबंटन कर दी गई। (कब्रिस्तान)	—
03	चाटेलाव	02	नहीं	जांच व समीक्षा हेतु प्रक्रियाधीन है।
04	निम्बली ब्राह्मण	02	नहीं	जांच व समीक्षा हेतु प्रक्रियाधीन है।
05	चोटिला	02	नहीं	जांच व समीक्षा कर जिला कार्यालय में प्रेषित कर दिया गया है।
06	ढाबर	01	नहीं	जांच व समीक्षा हेतु प्रक्रियाधीन है।
07	बिठू	01	नहीं	जांच व समीक्षा हेतु प्रक्रियाधीन है।
08	सांजी	01	नहीं	जांच व समीक्षा कर जिला कार्यालय में प्रेषित कर दिया गया है।
09	निम्बली पटेलान	01	नहीं	जांच व समीक्षा हेतु प्रक्रियाधीन है।

नोट :— शेष लम्बित प्रकरण गौचर/ओरण भूमि के हैं जिससे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार गौचर/ओरण भूमि आबंटन हेतु प्रतिबंधित होने के कारण उक्त प्रकरण जांच व समीक्षा में लम्बित है जो शीघ्र निस्तारण हेतु जिला कार्यालय व राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये जायेंगे।

फलौदी के कार्यालयों में रिक्त पद

272. श्री ओम जोशी (फलौदी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी के उपखण्ड कार्यालय फलौदी, तहसील कार्यालय फलौदी एवं उप तहसील कार्यालय बाप में कितने पद कब से रिक्त हैं? पदनामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रिक्त पदों पर यथासमय पदस्थापन नहीं करने के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार अब उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी के उपखण्ड कार्यालय फलौदी, तहसील फलौदी एवं उप तहसील कार्यालय बाप के रिक्त पदों की सूचना निम्नानुसार है :-

उपखण्ड कार्यालय फलौदी

सामान्य प्रशासन मद

क्र. सं.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त हैं
1	कार्यालय सहायक	1	19/2/10
	शीघ्र लिपिक	1	नवसृजित 28/4/08

तहसील कार्यालय फलौदी

क्र. सं.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त हैं
2	कनिष्ठ लिपिक	3	वर्ष 2006 से
	च.श्रे. क	3	1 मार्च, 2010 2 मार्च, 2011 3 जनवरी, 2011

(राजस्व मंत्री)

उप तहसील कार्यालय बाप

क्र. सं.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त हैं
3	ना. तहसीलदार	1	सितम्बर, 2011
	वरिष्ठ लिपिक	1	जनवरी, 2010

भू-अभिलेख मद

क्र. सं.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त हैं
1	अति. आ. कानूनगो	1	फरवरी, 2005 से
	भू.अ.नि.	2	अगस्त, 2010 जुलाई, 2011
	पटवारी	10	जून, 08 अप्रैल, 10 वर्ष 08 मई, 10 अप्रैल, 10 अगस्त, 10 फरवरी, 10 सितम्बर, 09 अप्रैल, 10 अक्टूबर, 10
	अ.र. पटवारी फलौदी	1	जनवरी, 11
	कनिष्ठ लिपिक	1	जनवरी, 12
	बंडल लिफटर	1	मार्च, 2007 से

(2) उक्त रिक्त पदों पर यथासमय पदस्थापन नहीं होने के कारण कार्मिक उपलब्ध न होना तथा पदोन्नति वाले पदों पर पदोन्नति समय पर न होना रहा है।

(3) वर्तमान में रिक्त पदों को भरे जाने हेतु नवीन भर्ती की कार्यवाही

(राजस्व मंत्री)

जैरकार है तथा पदोन्नति वाले पदों को भरे जाने हेतु विभागाध्यक्ष को लेख किया गया है। पटवारियों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु 9 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है। पटवार परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को नवपदस्थापित पद पर नियुक्ति दी जावेगी।

लाडपुर (बून्दी) ग्राम पंचायत की विद्यालय भूमि पर अतिक्रमण

273. श्री अशोक डोगरा (बून्दी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राजस्व पटवारियों को एक स्थान पर निश्चित समय पर बैठकर कार्य करने के लिये निर्देशित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार पटवारियों को एक ही पटवार हल्का देकर कार्यों को सुगम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत लाडपुर पंचायत समिति तालेड़ा जिला बून्दी में राजकीय माध्यमिक विद्यालय के लिये खसरा संख्या 1143/717 रकबा 5 बीघा जमीन आबंटित है जिस पर विद्यालय चल रहा है?

(5) क्या सरकार उक्त जमीन पर हो रहे अतिक्रमणों को हटाकर जमीन को विद्यालय के उपयोग हेतु खाली कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बून्दी जिले में राजस्व पटवारियों को एक स्थान पर निश्चित समय पर बैठकर कार्य करने के लिये जिला कलक्टर बून्दी द्वारा परिपत्र दिनांक 17/12/05 आदेश दिनांक 23/5/05 एंव ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 14/2/2011 जारी किये गये हैं। उक्त परिपत्रों की छायाप्रतियां परिशिष्ट- अ, ब एवं स पर संलग्न है। उक्त परिपत्रों, आदेशों एवं अन्य स्थानीय कारणों से तहसील बून्दी, केशोरायपाटन, नैनवा, इन्द्रगढ़ व हिण्डौली में तहसील स्तर की बैठक प्रत्येक माह की दिनांक क्रमश: 7, 7, 6, 4 एवं 1 को आयोजित की जा रही है।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी हां। वर्तमान में पटवारियों की सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा का अयोजन किया जाकर परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है। सफल अभ्यर्थियों को 9 माह का पटवार प्रशिक्षण दिया जाकर प्रशिक्षण में उत्तीर्ण आशार्थियों को पटवारियों के रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जावेगा।

(3) गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकार दिये जाने की एक सतत प्रक्रिया है, जो निरन्तर जैरकार है।

(4) जी हां। ग्राम पंचायत लाडपुर पंचायत समिति, तालेड़ा जिला बून्दी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय लाडपुर के खेल मैदान के लिये आराजी खसरा संख्या 1143/717 में रकबा 5 बीघा भूमि आबंटित हुई है। वर्तमान में उक्त विद्यालय क्रमोन्नत होकर माध्यमिक विद्यालय हो गया है। उक्त भूमि पर विद्यालय नहीं चल रहा है।

(5) जी हां। उक्त भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु जिला कलक्टर बून्दी के स्तर से जिला शिक्षा अधिकारी व तहसीलदार बून्दी को निर्देशित किया जा चुका है। उक्त निर्देशों की पालना में नायब तहसीलदार, तालेड़ा द्वारा संबंधित पक्षकारान को नोटिस जारी किये जा चुके हैं। पक्षकारान को सुना जाकर नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी। जिला कलक्टर बून्दी के पत्र दिनांक 1/3/2012 की छायाप्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सिणधरी (बाड़मेर) उप तहसील का क्रमोन्नयन

274. श्री कान सिंह कोटड़ी (सिवाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उप तहसील को तहसील स्तर का दर्जा देने के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उप तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर को तहसील का दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त उप तहसील में कोई अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है? यदि हां, तो कौन-कौन व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उप तहसील को तहसील क्षेत्र बनाने हेतु राजस्व मण्डल द्वारा मापदण्ड निर्धारित हैं। जिसके अनुसार सामान्य क्षेत्र में नवीन तहसील हेतु 30 पटवार मण्डल तथा 6-8 पटवार मण्डल पर भू-अभिलेख निरीक्षण वृत्त का मापदण्ड निर्धारित है। तहसील व उप तहसील बनाने के संबंध में राजस्व मण्डल के पत्रांक 5098 दिनांक 19/4/07 की छायाप्रति संलग्न है।

(2) उप तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर को तहसील का दर्जा दिये जाने के संबंध में राज्य स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) उप तहसील सिणधरी में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	नाम पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	उप तहसीलदार	1	—	1
2	वरिष्ठ लिपिक	1	—	1
3	कनिष्ठ लिपिक	2	1	1
4	अति. आफिस कानूनगो	1	1	—
5	च. श्रे. क.	3	3	—

उप तहसीलदार का कार्य वैकल्पिक व्यवस्था के तहत श्री पेमाराम, नायब तहसीलदार पचपदरा, से सम्पादित कराया जा रहा है। वरिष्ठ लिपिक के पद पर श्री दुर्गसिंह, तहसील रामसर को प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है। उप तहसील में पदस्थापित श्री टीलसिंह, कनिष्ठ लिपिक की प्रतिनियुक्ति उपखण्ड अधिकारी गुढामालानी, मुख्यालय बाड़मेर के कार्यालय में की हुई है। अति. आफिस कानूनगो के पद पर श्री धर्मेन्द्र किशोर का पदस्थापन किया हुआ है। च.श्रे.क. के पदों पर श्री यार मोहम्मद, श्री छगन लाल व श्री बाबूलाल नियुक्त हैं।

राजस्थान सरकार

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : राम/भू.अ./जी-1/प-675/2006/5098   दिनांक 19.4.07

उपशासन सचिव,
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :—राजस्व इकाइयों के गठन के संबंध में।

प्रसंग :—आपका पत्र क्रमांक प-9(17)राज-1/06 दिनांक 29.3.07

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि आपके द्वारा तहसील एवं उपतहसीलों के सृजन हेतु नवीन मापदण्ड चाहे गये हैं। इस सम्बन्ध में मण्डल स्तर पर पूर्ण रूप से विचार-विमर्श किया जाकर निम्नांकित नवीन मापदण्ड तहसील/ उपतहसीलों हेतु उचित पाया गया व नवीन प्रस्ताव उसी अनुसार बनाये गये :—

अ-सामान्य क्षेत्र में :—

1– **तहसील हेतु** :— 30 पटवार मण्डल एवं 6-8 पटवार मण्डलों पर भू-अभिलेख निरीक्षक वृत।

2– **उपतहसील हेतु** :— 15 पटवार मण्डल एवं 6-8 पटवार मण्डलों पर भू-अभिलेख निरीक्षक वृत।

ब-कोर रेगिस्तानी क्षेत्र (जैसलमेर, बाड़मेर एवं जोधपुर) में :—

1– **तहसील हेतु** :—20 पटवार मण्डल एवं 5 पटवार मण्डलों पर भू-अभिलेख निरीक्षक वृत।

2– **उपतहसील हेतु** :— 10 पटवार मण्डल एवं 5 पटवार मण्डलों पर भू-अभिलेख निरीक्षक वृत।

स-जनजाति क्षेत्र/टी.एस.पी. क्षेत्र में :—

1– **तहसील हेतु** :—20 पटवार मण्डल एवं 5 पटवार मण्डलों पर भू-अभिलेख निरीक्षक वृत।

2– **उपतहसील हेतु** :— 10 पटवार मण्डल एवं 5 पटवार मण्डलों पर भू-अभिलेख निरीक्षक वृत।

मण्डल द्वारा दिनांक 1-11-06 के पत्र से प्रेषित प्रस्ताव उक्त नवीन मापदण्ड को ध्यान में रखकर ही भिजवायें गये हैं।

भवदीय,
ह.
उप-निबन्धक (भू.अ.)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

वैर के प्रस्तावित राजस्व ग्राम

275. **श्री बहादुर सिंह** (वैर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र वैर में कुल कितनी चरागाह भूमि हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्राम वांछित शर्तें पूरी करने के बाद भी राजस्व ग्राम घोषित नहीं किये गये हैं?

(3) क्या सरकार उक्त ग्रामों को राजस्व गांव घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र वैर में कुल 3025-81 हैक्टेयर चरागाह भूमि है। ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र वैर में ऐसा कोई ग्राम नहीं है, जो वांछित शर्तें पूरी करने के बाद भी राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया है।

(3) राज्य में नवीन राजस्व ग्राम घोषित करना एक सतत प्रक्रिया है। जो ढाणी/मजरा नियमानुसार निर्धारित मापदण्ड पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें नवीन राजस्व ग्राम घोषित कर दिया जाता है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी है)

प्रश्न संख्या-276

(स्थगित)

सहाड़ा के भवन रहित पटवार हल्का

277. **श्री कैलाश चन्द त्रिवेदी** (सहाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में कहां-कहां पटवार हल्का भवन एवं इंसपेक्टर भवन स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जहां पर उक्त भवन स्वीकृत नहीं है वहां नये भवनों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में निम्नलिखित इंस्पेक्टर भवन स्वीकृत हैं :-

हमीरगढ़, सहाड़ा, लाखोला, रायपुर, आशाहोली एवं मोखुन्दा ।

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में निम्नलिखित पटवार भवन स्वीकृत हैं :-

भोपालगढ़, दूडिया, सेथुरिया, कारोईकला, गुरलां, कोचरिया, गुंदली, रामपुरिया, सांगवा, हमीरगढ़ प्रथम, औज्याड़ा, बरडोद, देवली, खेराबाद, दरीबा, मेलोनीखेड़, डेलाणा, उल्लाई, कोसीथल, चावडीया, आमली, नांदसा, चीड़खेड़ा, सहाड़ा, पोटला, सरगांव, सुरावास, माजावास, नेगडीया, खेड़ा, सालेरा, खांखला, सातल्यास, कांगणी, लाखोला, अरनिया, भरक, सोनीयाना, भूणास, ढोसर, गणेशपुरा, शिवरती, महेन्द्रगढ़, रायपुर, बोराणा, भीटा, सरेवड़ी, बागोलिया, पालरा, पीथाकाखेड़ा, थला, आशाहोली, बोरियापुरा, नाहरी, नारायणखेड़ा, नाथड़ियास, सगरेव, नान्दशा, मोखुन्दा, झडोल, खेमाणा, देवरिया, गलवा, खाखरमाला, कोट एवं बागड़ ।

(2) बजट प्रावधानों की उपलब्धता के आधार पर उक्त स्थानों पर इंस्पेक्टर सर्किल एवं पटवार मण्डलों में भवनों का निर्माण करवाया जावेगा ।

धावास ग्राम जिला जयपुर की सीलिंग भूमि का नामान्तरकरण प्रकरण

278. श्री कालीचरण सराफ (मावलीय नगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम धाऊवास (धावास) तहसील जयपुर जिला जयपुर में सीलिंग की कितनी भूमि है? भूमि के खसरा नं. रकबा सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सीलिंग की भूमि पर कब्जा कर लिया गया है? यदि हां, तो वर्तमान में इस भूमि पर किन-किनका कब्जा है? कब्जेधारियों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि का नामान्तरण सरकार के नाम नहीं खोला गया है? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक नामान्तरण खोलकर अवैध कब्जों को हटा दिया जावेगा?

(4) ग्राम बास बदनपुरा तहसील जयपुर का खसरा नं 172 वर्तमान में किसके नाम दर्ज है?

(श्री कालीचरण सराफ)

(5) क्या यह सही है खसरा नं. 172 का नामान्तरण जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम खोले जाने के लिए प्राधिकरण द्वारा तहसीलदार जयपुर को पत्र भिजवाया गया है? यदि हां, तो कब? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या नामान्तरण खोल दिया गया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों व अब कब तक खोल दिया जावेगा?

उत्तर

(1) तहसील जयपुर में ग्राम धाऊवास (धावास) में कुल किता 22 कुल रकबा 97 बीघा 02 बिस्वा भूमि सीलिंग की है जिसके खसरा नं. व रकबावार विवरण निम्नानुसार है- खसरा नं. 34/263, 35/264, 36/265, 58, 60, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 237/271, 239/272, 240, 241/273 का रकबा क्रमशः 6.00, 2.17, 2.01, 10.03, 5.06, 5.00, 0.03, 0.01, 4.03, 3.14, 0.03, 7.17, 0.01, 2.10, 2.01, 2.03, 2.19, 0.08, 9.06, 5.19, 16.00, 8.07 कुल किता 22 कुल रकबा 97 बीघा 02 बिस्वा है। जो जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम है।

(2) यह सही है कि ग्राम धाऊवास की उक्त भूमि जो बिन्दु संख्या-1 में वर्णित है का कब्जा ले लिया गया था । तत्पश्चात् ग्राम धाऊवास के खसरा नं. 34/263/6.00, 35/264/2.17, 36/265/2.01, 58/10.03, 60/5.06, 68/5.00, 69/0.03, 70/0.01, 71/4.03, 72/3.14, 73/0.03, 74/7.17, 148/0.01, 149/2.10, 150/2.01, 151/2.03, 152/2.19, 153/0.08 कुल किता 18 कुल रकबा 57 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर पूर्व खातेदार भूरा के पुत्रगण श्री सूरजमल, कानाराम, कल्याण सहाय, हनुमान सहाय पि. भूराराम जाति गुर्जर सा. देह का कब्जा काश्त है। तथा इन्हीं का मौके पर कब्जा है। शेष खसरा नं. 237/271/9.06, 239/272/5.19, 240/16.00, 241/273/8.07 कुल किता 4 रकबा 39 बीघा 12 बिस्वा पर आबादी विस्तार हो चुका है।

(3) यह सही नहीं है। उक्त बिन्दु संख्या-1 में वर्णित भूमि का नामान्तकरण संख्या 103 दिनांक 31.05.1990 को सिवायचक लगानी में दर्ज किया गया है तथा नामान्तकरण संख्या 116 दिनांक 02.02.1998 से जयपुर

(राजस्व मंत्री)

विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम दर्ज किया है। वर्तमान में भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। कब्जा हटाने की कार्यवाही जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से अपेक्षित है।

(4) ग्राम बास बदनपुरा तहसील जयपुर का खसरा नं. 172 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा वर्तमान में भोरया, भरता, पांच्या पि. भोला हि. बराबर कौम धोबी सा. देह के नाम से है।

(5) यह सही है ग्राम बास बदनपुरा के खसरा नं. 172 का नामान्तकरण खोलने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा पत्र संख्या जविप्रा/जोन-2/2009/डी-952 दिनांक 24.04.09 द्वारा तहसीलदार जयपुर को पत्र भिजवाया गया था। (छाया प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है)

(6) खसरा नं. 172 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा का नामान्तकरण संख्या 181 दिनांक 18.06.2009 को पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया था जो तत्कालीन राजस्व अधिकारी द्वारा उक्त नामान्तकरण को मौका स्थिति अनुसार अधिकांश भाग पर राष्ट्रीय राजमार्ग के बन जाने व आदेश मौका मिलान नहीं होने से नामान्तकरण संख्या 181 को दिनांक 09.02.2011 को खारिज कर दिया गया । इस संबंध में तथ्यात्मक बिन्दु यह है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भी उक्त खसरा नं. 172 रकबा 1.06 बीघा में से 18 बिस्वा भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 जयपुर- दिल्ली हेतु अवाप्त की जाकर अवार्ड जारी कर दिया गया था । पुनः जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जल महल परियोजना हेतु दिनांक 19.04.93 को इसी खसरा नं. 172 के सम्पूर्ण रकबे 1.06 बीघा को अवाप्त कर अवार्ड जारी कर दिया गया जिसमें सा.नि.वि. द्वारा पूर्व में जारी अवार्ड दिनांक 9.05.73 को अवाप्त की गई 18 बिस्वा भूमि को भी शामिल कर लिया गया। अतः जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संशोधित अवार्ड जारी किये जाने एवं नामान्तकरण संख्या 181 जो 09.02.11 को खारिज हो चुका है। उसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील किये जाने पर ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव है।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा/जोन-2/2009/डी-952 दिनांक 24.4.09

तहसीलदार,
तहसील कार्यालय,
जयपुर।

विषय :—खसरा नम्बर 172, धोबीघाट, बास बदनपुरा जलमहल योजना के तहत अवाप्तशुदा भूमि का नामान्तकरण दर्ज करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जयपुर तहसील क्षेत्रान्तर्गत गांव बास बदनपुरा जलमहल योजना के तहत अवाप्तशुदा भूमि का नामान्तकरण जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम दर्ज करें। कृत कार्यवाही से लिखित में अवगत करावें।

संलग्न अवाप्ति आदेश।
मूल पत्र आफिस कानूनगो
श्री महेश सिंह तहसीलदार (भू.अ.)
जयपुर के कार्यालय में दिनांक 27-4-09 को दिया गया।

ह./-
उपायुक्त जोन-2
जविप्रा, जयपुर।

जोधपुर जिले की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

279. श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जोधपुर में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण है? यदि हां, तो कितनी भूमि पर?

(2) उक्त जिले में उक्त भूमि पर कब से अतिक्रमण किया हुआ है?

(3) गत दो वर्षों में कितनी भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला जोधपुर में कुल 2040.06 बीघा भूमि पर अतिक्रमण है।

(2) जोधपुर जिले में चरागाह भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमित भूमि का विवरण संलग्न है।

(3) गत दो वर्षों में कुल 1554.18 बीघा भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाई गयी। विवरण संलग्न है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

घिनोई ग्राम (जयपुर) में अनुसूचित जाति के परिवार को आबंटित भूमि

280. श्री गणेश सिंह परमार (कुम्भलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम घिनोई, तहसील-चौमूं, जिला-जयपुर में जमाबन्दी संवत् 2037 से 2040 में पुराना खसरा नम्बर-378/1 जिसका नया खसरा नम्बर-775/1950 खारडा बारानी (बारानी तृतीय) भूमि अनुसूचित जाति के परिवार को अपना जीवन निर्वाह करने हेतु आबंटित की गई थी? यदि हां, तो कब और किसे? संवत् 2037 से जमाबन्दी की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि का नामान्तरण संख्या 259 भी तस्दीक किया गया था ? क्या उक्त भूमि का नया पर्चा वर्ष 1991 में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा मिसल नम्बर-155/91 के आदेशानुसार जारी किया गया था? यदि हां, तो उक्त मिसल व नामान्तरण एवं पर्चा की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भूमि पर आबंटन के पश्चात् से किस-किसने, कब-कब, किस-किस किस्म की बुआई कर कृषि कार्य किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त अनुसूचित जाति की विधवा जो ग्राम कानरपुरा में निवास कर रही है, को भू-माफियाओं ने उक्त भूमि से बेदखल कर उसकी भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है? यदि हां, तो उक्त भूमि पर वर्तमान में कब से कौन व्यक्ति क्यों काबिज है और सरकार उसके विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही करेगी?

(5) क्या सरकार अब उक्त भूमि की पुनः पत्थर गढ़ी कराकर पुलिस इमदाद से अतिक्रमियों को बेदखल कर खसरा नम्बर-775/1950 का कब्जा अनुसूचित जाति के परिवार को संभलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उक्त बेदखली के लिये क्या-क्या कार्यवाही कब तक की जाकर उक्त भूमि का कब्जा अनूसूचित जाति के परिवार को संभला दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम घिनोई, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में जमाबंदी सम्वत 2037-2040 में पुराना खसरा नम्बर 378/1 जिसका नया खसरा नं. 775/1950 खारडा बारानी (बारानी तृतीय) भूमि अनुसूचित जाति के हीरालाल पुत्र पूरा जाति रैगर साकिन कानरपुरा को दिनांक 19.8.1978 को आबंटित की गई थी। जमाबंदी की छायाप्रति संलग्न है ।

(2) जी हां । उक्त भूमि का नामान्तरकरण सं. 259 तस्दीक किया गया था। उक्त भूमि का भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2046 से 2065 में ख.नं. 775/1950 रकबा 0.64 किस्म बारानी तृतीय खाता सं. 340 पर हीरालाल पुत्र पूरा जाति रैगर साकिन कानरपुरा गैर खातेदार दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तकरण सं. 259 व उक्त खतौनी बन्दोबस्त की खाता सं. 340 एवं संबंधित पर्चा खतौनी की छाया प्रति संलग्न है। मिसल नं. 155/91 भू अभिलेखागार हाजा में उपलब्ध नहीं है।

(3) उक्त भूमि पर आबंटन के पश्चात से बुआई की गई जिसका वर्ष वार विवरण पृथक से संलग्न है। बुवाई किसके द्वारा की गयी है। इसका अंकन रेकार्ड में करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त भूमि पर आबंटन के समय से ही रामगोपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति अहीर निवासी बाईका बास का कब्जा है। क्योंकि वर्तमान में प्रकरण जानकारी में आ गया है। अत: प्रकरण 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज कर लिया गया है। नियमानुसार निस्तारण कर दिया जावेगा।

(5) प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। यथाशीघ्र नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

कृषकों को विभिन्न फसलों पर देय अनुदान

281. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश के कृषकों को किन-किन मदों पर अनुदान दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

(2) उक्त अनुदान प्राप्त करने के लिये किसानों को क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है?

(3) उद्यान विकास के लिये किन-किन मदों पर कितना प्रतिशत अनुदान देय है?

उत्तर

(1) कृषि विभाग द्वारा किसानों को विभिन्न मदों में अनुदान राज्य योजना जिनके अन्तर्गत वार्षिक राज्य योजना तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आती है तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं जिसके अन्तर्गत तिलहन, दलहन एवं मक्का की समेकित योजना, कार्ययोजना,गहन कपास विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं आत्मा आती है, में दिया जाता है। उपरोक्त योजनाओं में विभिन्न मदों में देय अनुदानों का विवरण परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(2) कृषकों को उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाएं यथा-राज्य योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय बम्बू मिशन व राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन के अन्तर्गत अनुदान दिया जाता है। इन योजनाओं के विभिन्न मदों में कृषकों को देय सुविधाएं परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

कृषि विभाग अन्तर्गत चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में अनुदान प्राप्त करने के लिए कृषक द्वारा संबंधित क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक/ सहायक कृषि अधिकारी से सम्पर्क कर निर्धारित प्रपत्र पूर्ण कर प्रस्तुत किया जाता है। उसके उपरांत संबंधित कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा मांग की गयी अनुदान कार्यों का निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन किया जाकर अपनी अनुशंसा सहित प्रपत्र सहायक निदेशक कृषि उपखंड को भिजवाया जाता है। सहायक निदेशक/उप निदेशक कृषि द्वारा की गई अभिशंसानुसार अनुदान स्वीकृत कर अकाउंट पेयी चैक के माध्यम से कृषकों को भुगतान किया जाता है। उद्यान विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को सम्बन्धित जिला कार्यालय में आवेदन करना होता है। जिसकी सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) उद्यान विकास के लिये उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत विभिन्न मदों पर दिये जाने वाले प्रतिशत अनुदान की सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण, सूचना व सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

मेहन्दी के समर्थन मूल्य का निर्धारण

282. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार पाली जिले की मुख्य फसल मेहन्दी का समर्थन मूल्य 3500 रुपये करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) वर्तमान में सोजत मण्डी में प्रतिदिन किस-किस क्षेत्र से कितनी मेहन्दी आती है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर समर्थन मूल्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा मेहन्दी का समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(2) सोजत सिटी मण्डी प्रांगण में वर्ष 2008-09 से 2011-12 (जनवरी 12 तक) में प्रतिदिन औसत आवक सोजत तहसील क्षेत्र से 1064 बोरे, मारवाड़ तहसील क्षेत्र से 581 व अन्य स्थानों से 290 बोरे औसत मेहन्दी की आवक हुई है। विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

सोजत मण्डी में मेहन्दी सम्बन्धी सूचना

वर्ष	सोजत तहसील क्षेत्र से आवक			मारवाड़ तहसील क्षेत्र से आवक			अन्य लीज से आवक			कुल आवक		प्रतिदिन औसत आवक	
	क्वि.	बोरे	औसत प्रतिदिन आवक/ बोरे	क्वि.	बोरे	औसत प्रतिदिन आवक बोरे	क्वि.	बोरे	औसत प्रतिदिन आवक बोरे	क्वि.	बोरे	क्वि.	बोरे
2008-09	163870	409695	1123	89380	223470	613	44690	111730	305	297940	744900	816	2041
2009-10	138630	346555	950	75617	189030	518	37810	94515	260	252057	630100	690	1728
2010-11	148930	372295	1020	81224	203070	558	40610	101535	278	270788	771085	742	1856
2011-12 (जनवरी 12 तक)	169620	424097	1163	92520	231325	633	46260	115663	318	308434		845	2114
			4256			**2322**			**1161**				**7739**

भीलवाड़ा जिले में चम्बल नदी से पेयजल आपूर्ति

283. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चम्बल नदी पर गांधीसागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं कोटा डेम बांध बने हुए हैं? उक्त बांधों का पानी राजस्थान व मध्य प्रदेश के किसानों को खेती के लिए उपलब्ध कराने हेतु दाईं व बाईं मुख्य नहरें बनाई गई हैं जिसमें नियमानुसार पानी कृषि हेतु उपलब्ध कराया जाता है? यदि हां, तो किस-किस नहर से कितने-कितने दिन तक कितना-कितना पानी उपलब्ध करवाया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि चम्बल का पानी पेयजल हेतु भीलवाड़ा ले जाने की योजना है? यदि हां, तो यह पानी कौन से बांध पर इनटेक बाल बनाकर लिया जायेगा व कितना पानी कितने-कितने दिन में लिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जाने वाला पानी राजस्थान व मध्य प्रदेश के किसानों के हिस्से का पानी नहीं होगा? यदि हां, तो कौनसा पानी भीलवाड़ा जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सही है कि भीलवाड़ा जाने वाली लाइन से बूंदी शहर व बूंदी जिले के गांवों को भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? यदि हां, तो कैसे, किस प्रकार और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि चम्बल नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर व कोटा बैराज बांध बने हुये हैं। इन बांधो में एकत्रित जल को राजस्थान व मध्य प्रदेश के कृषकों को कृषि हेतु दांई व बांई मुख्य नहरों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। दांई व बांई मुख्य नहर में कृषि, सिंचाई हेतु जल का प्रवाह के दिवस प्रति वर्ष बांधों में एकत्रित जल की मात्रा पर निर्भर करते हैं। गत 5 वर्षों में दांई व बांई मुख्य नहरों में जल प्रवाह दिवस व उपलब्ध कराये गये जल का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। स्वीकृत चम्बल-भीलवाड़ा वृहद् पेयजल परियोजना में चम्बल नदी पर स्थित राणा प्रताप सागर बांध के डाउन स्ट्रीम में ग्राम भैंसरोडगढ़ (जिला चित्तौड़गढ़) में इनटेक वैल बनाकर पानी लिया जाना

(सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री)

प्रस्तावित किया गया है। स्वीकृत परियोजना में वर्ष 2030 की अभिकल्पित जल मांग 256.73 मिलियन लीटर प्रतिदिन निर्धारित है। योजना के पूर्ण क्रियान्वयन उपरान्त प्रतिदिन की आवश्यकतानुसार पानी लिया जायेगा।

(3) राज्य जल नीति अनुसार पेयजल को प्रथम प्राथमिकता दी गई है। राजस्थान अपने हिस्से में से पेयजल हेतु पानी लेगा।

(4) उक्त परियोजना में बूंदी शहर सम्मिलित नहीं है अपितु योजना की मुख्य ट्रांसमिशन लाइन के मार्ग में आने वाले बूंदी जिले के 23 गांवों की वर्ष 2030 हेतु अभिकल्पित जल मांग सम्मिलित की गई है। वर्तमान में चम्बल से भीलवाड़ा तक मुख्य आधारभूत संरचना कार्य विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

बूंदी शहर को चम्बल से पेयजल उपलब्ध कराने के लिये पृथक से 80.00 करोड़ रुपये राशि की प्रस्तावित योजना के कार्यों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रारम्भ किया जाना है।

परिशिष्ट-अ

विगत पांच वर्षों में जल प्रवाह दिवस एवं उपलब्ध कराये गये जल का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	दांई मुख्य नहर		बांई मुख्य नहर	
		जल प्रवाह दिवस	उपलब्ध कराया गया जल (मिलियन घन मीटर)	जल प्रवाह दिवस	उपलब्ध कराया गया जल (मिलियन घन मीटर)
1.	2006-07	223	2507.69	220	559.55
2.	2007-08	254	2690.32	235	703.54
3.	2008-09	113	1347.27	141	378.25
4.	2009-10	74	806.21	73	233.44
5.	2010-11	77	997.88	71	239.72

अधीक्षण अभियन्ता,
सिंचाई वृत्त सीएडी चम्बल, कोटा

शिशु व गर्भवती महिलाओं हेतु टीकाकरण योजना

284. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा बच्चों व गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण किये जाने की योजना चलाई जा रही है? यदि हां, तो क्या इस योजना के वर्ष 2011 के आंकड़े भारत सरकार को भेजे गये हैं? यदि हां, तो कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि इन आंकडों की जांच करने हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार ने बीपीओ को लगाया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में 90 प्रतिशत टीकाकरण किया जाना बताया गया है? यदि हां, तो राज्य में पिछले तीन वर्षों में शिशु मृत्यु दर क्या -क्या रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा बच्चों व गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किये जाने की योजना चलाई जा रही है। वर्ष 2011 के टीकाकरण के आंकड़े भारत सरकार को भेजे गये हैं। भारत सरकार को भेजे गये आंकड़ों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को दिये जाने वाले टीटनस टाक्साइड टीके के लक्ष्य 1861320 के विरुद्ध उपलब्धि 1566048 रही, जो 84.14 प्रतिशत है। बच्चों को दिये जाने वाले ऑरल पोलियो वैक्सीन-3 के लक्ष्य 1589266 के विरुद्ध उपलब्धि 1486483 जो 93.53 प्रतिशत, डीपीटी-3 के लक्ष्य 1589266 के विरुद्ध उपलब्धि 1492153 जो 93.89 प्रतिशत, बीसीजी के लक्ष्य 1589266 के विरुद्ध उपलब्धि 1520869 जो 95.70 प्रतिशत एवं मिजल्स के लक्ष्य 1589266 के विरुद्ध उपलब्धि 1450431, जो 91.26 प्रतिशत रही है।

भारत सरकार को भेजे गये जिलेवार आंकड़ों की सूची परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) टीकाकरण अनुभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के अनुसार राजस्थान प्रदेश के वर्ष 2011 के टीकाकरण के आंकड़ों के सत्यापन हेतु किसी भी बीपीओं को लगाने की जानकारी नहीं है।

(3) जी नहीं। वर्ष 2011 के टीकाकरण के आंकड़ों के अनुसार गर्भवती

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

महिलाओं को दिये जाने वाले टीटनस टाक्साइड की उपलब्धी का प्रतिशत 84.14 है तथा शेष टीकाकरण की उपलब्धि 90 प्रतिशत से अधिक रही है।

गत तीन वर्ष में सेम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) भारत सरकार के सर्वे के अनुसार शिशु मृत्यु दर के राज्य के आंकड़ें निम्नानुसार है:-

वर्ष	शिशु मृत्यु दर
2008	63
2009	59
2010	55

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से लाभान्वित राज्य/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकारी

285. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष के माध्यम से कितने मरीजों का इलाज करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मरीजों को किस-किस बीमारी के इलाज के लिए कितनी राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त मरीजों में से कितने मरीजों का इलाज राज्य के सरकारी अस्पतालों में किया गया तथा कितने मरीजों का इलाज राज्य अथवा राज्य के बाहर निजी व सरकारी अस्पतालों में करवाया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या राज्य में विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं (राज्य एवं भारतीय) के अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से इलाज करवाया है? यदि हां, तो किस-किस ने? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) उक्त अधिकारियों ने किन-किन संस्थाओं/अस्पतालों से इलाज करवाया तथा इसके लिए कितनी-कितनी राशि सरकार द्वारा वहन की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष योजना राज्य में 31.12.2008 तक चालू रही। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में (01.04.2008 से 31.12.2008 तक) 2409 मरीजों के इलाज हेतु स्वीकृति जारी की गई।

वर्ष 2009-10 व 2010-11 के संबंध में 1 जनवरी, 2009 से राज्य में मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना को एनआरएचएम के माध्यम से लागू किया गया। योजना के अन्तर्गत समस्त मेडिकल कालेजो से संबंधित चिकित्सालयों, जिला/सेटेलाईट/उपखण्ड चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, एचआईवी/एड्स मरीज, वृद्वावस्था/विधवा/विकलांग/पेन्शनधारी, नवजीवन योजना (जोधपुर शहर की चार नट व सांसी बस्तियों के लाभार्थी परिवार), अंत्योदय अन्न योजना में चयनित सहरिया परिवार के लाभार्थी, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी, कथौडी जनजाति के परिवार, मेहरानगढ़ दुर्ग दुखांतिका जोधपुर में मारे गये अथवा स्थायी रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के आश्रित माता-पिता सहित परिजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित तथा अनुमोदित अनाथालयों में निवास कर रहे अनाथ बच्चे, राज्य सरकार द्वारा संचालित तथा अनुमोदित विशेष विद्यालयों में अध्ययनरत शारीरिक रूप से विकलांग तथा मानसिक रूप से विमंदित बच्चे, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित महिला सदनों में निवासरत महिलाएं तथा प्रदेश के थैलेसीमिया व हिमोफिलिया रोग के उपचार की सुविधा रोगियों को नि:शुल्क प्रदान करवाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों की नि:संतान दंपतियों के यदि इलाज से संतान हो सकती है तो उसका खर्च सरकार द्वारा योजना के तहत वहन किया जाता है। आवश्यकता होने पर रोगी को नि:शुल्क इलाज हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली एवं स्नाकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र, चंडीगढ़ में रैफर भी किया जाता है।

(2) मरीजों को जिन बीमारियों के लिये राशि स्वीकृत की गई उसकी सूचना परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

दिनांक 1.4.2008 से 31.12.2008 तक इस योजनान्तर्गत राशि रूपये 4,00,18,194 रुपये (चार करोड़ अठारह हजार एक सौ चौरानवे रुपये) का भुगतान संबंधित चिकित्सालयों को किया गया।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य के किसी भी निजी अस्पताल में इलाज हेतु कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

राज्य के बाहर केवल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में वर्ष 2008-09 में 3 मरीजों के इलाज हेतु राशि स्वीकृत की गई है।

(4) मुख्य मंत्री जीवन रक्षा योजना से राज्य के किसी भी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का इलाज नहीं किया गया।

(5) मुख्य मंत्री जीवन रक्षा योजना से राज्य के किसी भी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का इलाज नहीं किया गया। अतः सूचना शून्य है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

सिरोही जिले के मृतक क्षय रोगी के आश्रितों को आर्थिक सहायता

286. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिला मुख्यालय पर राजकीय अस्पताल में टी.बी. की बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार टी.बी. के मरीज तहसील सिरोही के गुडगांव निवासी मृतक जयसिंह उम्र 40 वर्ष को सिरोही राजकीय अस्पताल द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर, 2011 को इलाज से मना करने वाले चिकित्सक व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

(3) क्या सरकार सरकारी स्तर पर हुई लापरवाही को ध्यान में रखते हुए मृतक आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितनी और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजकीय जिला चिकित्सालय सिरोही के आईसोलेशन वार्ड में टीबी की बीमारी का इलाज किया जा रहा है।

(2) मरीज श्री जयसिंह पुत्र श्री केसाराम को जिला क्षय निवारण केन्द्र सिरोही में क्षय रोग की जांच पश्चात राजकीय जिला चिकित्सालय सिरोही में रैफर किया गया था। श्री जयसिंह का क्रमांक 50562 दिनांक 15.10.2011 को ओपीडी में रजिस्ट्रेशन हुआ था। संबंधित फिजिशियन

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सक के द्वारा मरीज को प्रारम्भिक उपचार देने के बाद गम्भीर अवस्था होने के कारण हायर चिकित्सा संस्थान में इलाज के लिए मरीज को सलाह दी गई थी साथ ही नि:शुल्क एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया किन्तु उक्त मरीज बिना चिकित्सक को बताये स्वयं अपनी इच्छा से चिकित्सालय से चला गया।

अत: चिकित्सालय के किसी भी चिकित्सक के द्वारा श्री जयसिंह के इलाज हेतु मना नहीं किया गया था।

(3) उक्त प्रकरण में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं हुई है।

मृतक के आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाया जाना विचाराधीन नहीं है।

नरायना (जयपुर) के राजकीय चिकित्सालय हेतु एक्स-रे मशीन

287. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के नरायना स्थित चिकित्सालय में एक्स-रे मशीन हेतु वर्ष 2010-11 में विधायक कोटे से राशि स्वीकृत की गयी थी? यदि हां, तो कब एवं कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त एक्स-रे मशीन को क्रय करने हेतु मेडिकल रिलीफ सोसाइटी नरायना को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा? क्या उक्त मशीन चिकित्सालय में स्थापित कर दी गई? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त एक्स-रे मशीन को क्रय करने के संबंध में मेडिकल रिलीफ सोसायटी नरायना द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार उक्त एक्स-रे मशीन को क्रय करने में की जा रही देरी से जनता को हो रही परेशानी के संबंध में जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी नरायना में एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराने के लिए जिला परिषद्, जयपुर के आदेश दिनांक 26.07.2010 के द्वारा विधायक कोटे से राशि रुपये 1.50 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। राशि कम होने के कारण पुनः आदेश दिनांक 16.08.2011 के द्वारा राशि रुपये 1.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति और जारी की गई।

(2) जी हां। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर के आदेश दिनांक 26.07.2010 एवं 16.08.2011 के द्वारा सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी नरायना को कार्यकारी संस्था नियुक्त किया गया।

जिला परिषद, जयपुर के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के पश्चात् राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी नरायना के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति एवं कम्पनी का कोटेशन लगाकर दिनांक 01.02.2012 को वित्तीय स्वीकृति हेतु जिला परिषद जयपुर को भेजे गये।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर के आदेश दिनांक 22.03.2012 के द्वारा पूर्व में जारी प्रशासनिक स्वीकृतियों को निरस्त करते हुये पुनः दिनांक 22.03.2012 के द्वारा राशि रुपये 2.50 लाख की स्वीकृति जारी कर राशि रुपये 2.00 लाख राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी नरायना को राशि हस्तान्तरित करने के आदेश जारी किये गये।

(3) बिन्दु संख्या 2 के अनुसार उत्तर है।

(4) जी नहीं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर के आदेश दिनांक 22.03.2012 के द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

हनुमानगढ़ जिले के प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति

288. डा. [श्रीमती] परमनवदीप सिंह (संगरिया) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकित्सा संस्थानों के लिए स्वास्थ्य मानक निर्धारित किये हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्वास्थ्य मानकों के आधार पर सरकार द्वारा राज्य के

(डा. [श्रीमती] परमनवदीप सिंह)

प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति कर दी गयी है? यदि हां, तो राज्य के सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला हनुमानगढ़ में कितने सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उक्त मानकों के अनुरूप चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार उक्त जिले के सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपरोक्त मानकों के अनुरूप चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के चिकित्सा संस्थानों में राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार वर्तमान में स्टाफ के पद स्वीकृत कराये जाने का प्रावधान है। मापदण्ड की प्रति परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के पद निर्धारित मापदण्ड से अधिक स्वीकृत हैं। परन्तु पैरामेडिकल एवं नर्सिंग स्टाफ के पद कम स्वीकृत हैं उनको आगामी वित्तीय वर्षों में स्वीकृत कराये जाने के प्रयास किये जायेंगे। राज्य के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(3) जिला हनुमानगढ के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आवश्यक पद तथा स्वीकृत एवं रिक्त पदों का केन्द्रवार संख्या विवरण परिशिष्ट-स पर प्रस्तुत है।

(4) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नोहर में कनिष्ठ विशेषज्ञ का 1 पद एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांगरिया में चिकित्सा अधिकारी का 1 पद निर्धारित मापदण्ड से कम स्वीकृत है। जिला हनुमानगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निर्धारित मापदण्ड से नर्स

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

श्रेणी द्वितीय के 25 पद कम स्वीकृत हैं। आगामी वित्तीय वर्षों में उक्त पदों को स्वीकृत करवाने के प्रयास किये जायेंगे।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजसमन्द जिले के चिकित्सालयों में निःशुल्क दवा वितरण

289. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के राजकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क दवा वितरण योजना में अब तक कितनी औषधियां उपलब्ध करवाई गई?

(2) ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सालयों में कितनी औषधियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं?

(3) उक्त औषधियों का चिकित्सालयों में कितने दिनों के उपभोग के बराबर मात्रा का स्टाक रखा जाता है? क्या न्यूनतम स्टाक सीमा निर्धारित की गई है?

(4) राजसमन्द के जिला चिकित्सालय एवं उक्त विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों पर कितनी बार किन-किन औषधियों का स्टाक शून्य हो गया एवं उनकी आपूर्ति में कितना विलम्ब रहा और शून्य स्टाक की अवधि क्या थी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के राजकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क दवा वितरण योजना में अब तक 293 औषधियां तथा 42 सर्जिकल एवं सूचर्स कुल 335 आईटम उपलब्ध कराये गये।

(2) दवाओं का वर्गीकरण एवं संख्या का निर्धारण चिकित्सालय स्तर के अनुसार प्राईमरी, सेकण्डरी एवं टरशयरी केयर हेतु किया जाकर चिकित्सालय के स्तर के अनुरूप ही दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वर्तमान में औषधियों में ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सालयों में स्तर के अनुसार अनुमत दवाइयों व सर्जिकल आइटम की अधिकतम संख्या निम्न है:-

उप स्वास्थ्य केन्द्र- 28

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- 169

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- 307

जिला चिकित्सालय- 307

उपरोक्त दवाओं में से चिकित्सालय में आने वाले रोगियों की संख्या, चिकित्सालयों में कार्यरत विशेषज्ञों की उपलब्धता एवं स्थान विशेष के रोगियों की आवश्यकता के आधार पर दवाइयां जिला औषधि भण्डार से प्राप्त की जाती हैं।

(3) औषधियों का बफर स्टाक रखने के लिए निम्न निर्देश दिये गये हैं:-

1. जिला औषधि भण्डार- 4 माह
2. हास्पिटल सब स्टोर- 3 माह
3. दवा वितरण केन्द्र (डीडीसी)- 1 माह

औषधियों की न्यूनतम स्टाक सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(4) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द से प्राप्त सूचनानुसार राजसमन्द के जिला चिकित्सालय एवं उक्त विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों पर औषधियों का स्टाक शून्य नहीं रहा।

जिले में औषधियों के शून्य स्टाक की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देने के लिये दवाइयों की निरन्तर आपूर्ति हेतु स्थानीय स्तर पर क्रय हेतु कुल रु. 8.55 प्लस 19.09 कुल 27.64 लाख (8.55 लाख रु. निदेशक जन स्वास्थ्य द्वारा एवं 19.09 लाख रु. आर.एम.एस.सी. द्वारा) का बजट आबंटन किया गया।

बहरोड़ (अलवर) के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पद

290. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहरोड़ में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने पद कब से रिक्त चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहरोड़ में स्टाफ के कुल 59 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 55 पदों पर स्टाफ नियुक्त/पदस्थापित है तथा 4 पद रिक्त हैं। स्वीकृत एवं रिक्त पदों का रिक्ति अवधि सहित संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पद पदोन्नति से भरे जाने हैं। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर रिक्त पदों को यथा संभव प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

नेत्र सहायक का रिक्त पद सीधी भर्ती से भरा जाना है। जिसे नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने का प्रयास किया जायेगा।

दन्त टैक्नीशियन के रिक्त पदों को भरने हेतु सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

परिशिष्ट-अ

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहरोड़ में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का रिक्ति अवधि सहित संख्या विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ती की अवधि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	—	—	
2.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)	1	—	—	आदेश दिनांक 13.03.2012 के द्वारा ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी (स्नाकोत्तर ई.एन.टी.) का पद विरुद्ध पदस्थापन किया गया है।
3.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु)	1	—	—	कनिष्ठ विशेषज्ञ निश्चेतन पद विरुद्ध कार्यरत

1	2	3	4	5	6
4.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	1	1	11/2010	
5.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र)	1	—	—	चिकित्सा अधिकारी पद विरुद्ध कार्यरत
6.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि)	1	1	03/2011	
7.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी)	1	—	—	
8.	ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी (एल.आर.)	1	—	—	
9.	ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी (निश्चेतन)	1	—	—	
10.	चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1	—	—	
11.	ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी	4	—	—	
12.	नर्स श्रेणी-प्रथम	6	—	—	
13.	नर्स श्रेणी-द्वितीय	15	—	—	
14.	वरिष्ठ लिपिक	1	—	—	
15.	रेडियोग्राफर	1	—	—	
16.	वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन	1	—	—	
17.	लैब टैक्नीशियन	1	—	—	
18.	दन्त टैक्नीशियन	1	1	05/2006	
19.	नेत्र सहायक	1	1	वर्ष 2008	
20.	वाहन चालक	1	—	—	
21.	वार्डबाय	13	—	—	
22.	सफाई कर्मचारी	4	—	—	
	योग :—	**59**	**4**		

अजमेर जिला चिकित्सालय में रिक्त पद

291. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि अजमेर के सैटेलाइट चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय का दर्जा दे दिया गया है? यदि हां, तो जो सुविधायें जिला चिकित्सालय में होनी चाहिये क्या वो सेटेलाइट चिकित्सालय में उपलब्ध है? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा कब तक सुविधायें उपलब्ध करा दी जायेंगी?

(4) क्या यह भी सही है कि जिला चिकित्सालय अजमेर में पी. एम. ओ. का पद लम्बे समय से रिक्त है? यदि हां, तो क्यों व सरकार उक्त पद कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के कोई पद रिक्त नहीं हैं। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का पद केडर संवर्ग में अलग से स्वीकृत नहीं है। जिला, सैटेलाइट एवं सामान्य चिकित्सालयों के वरिष्ठतम चिकित्सक को कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के कार्य हेतु लगाया जाता है।

25 जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पदस्थापित हैं तथा 9 जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद का कार्य अन्य चिकित्सक कार्य व्यवस्था के तहत सम्पादित कर रहे है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के स्वीकृत, कार्यरत एवं पदस्थापित चिकित्सकों की सूची परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन उपरान्त भरे जायेंगे। वर्तमान में माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं हो पा रही है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर यथासंभव प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(3) जी हां। राजकीय सैटेलाईट जिला चिकित्सालय अजमेर में 50

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

शय्याएं स्वीकृत हैं। 50 शय्याओं वाले चिकित्सालय के स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार उक्त चिकित्सालय में चिकित्सकों के 4, फार्मासिस्ट एवं नेत्र सहायक का 1-1 तथा वार्ड बाय एवं सफाई कर्मचारी के 12 पद कम स्वीकृत थे जिनमें से वित्तीय वर्ष 2011-12 में फार्मासिस्ट के पद स्वीकृत कर दिये गये हैं, आगामी वित्तीय वर्षों में स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पद स्वीकृत करवाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

उक्त चिकित्सालय में 50 शय्याओं के अनुरूप चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।

(4) जी नहीं। राजकीय जिला चिकित्सालय अजमेर में डा. रमेश कुमार गुप्ता कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) दिनांक 12/01/2012 से प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहे हैं।

परिशिष्ट-अ

LIST OF CHIEF MEDICAL AND HEALTH OFFICERS

S. No.	DISTRICT	POST	SAN	NAME OF DOCTOR POSTED	REMARKS	DATE
1	2	3	4	5	6	7
1.	AJMER	CMHO	1	LAXMAN HARCHANDANI	ADDITIONAL CHARGE	06-01-11
2.	BHILWARA	CMHO	1	RAMESH CHAND SAMRIA		25-06-09
3	NAGOUR	CMHO	1	RATAN KUMAR MEENA		07-04-11
4.	TONK	CMHO	1	RAM PHOOL MEENA		25-09-08
5.	BIKANER	CMHO	1	DEVENDRA CHOUDHARY	ADDITIONAL CHARGE	13-10-11
6.	RATANGARH (CHURU)	CMHO	1	AJAY CHOUDHARY	ADDITIONAL CHARGE	07-02-12
7.	S.GANGANAGAR	CMHO	1	HARBANS SINGH BARAR		20-12-09
8.	HANUMANGARH	CMHO	1	SATYAPAL BADHIYA		22-09-11
9.	BARAN	CMHO	1	BHAGCHAND JAIN		04-08-09
10.	BUNDI	CMHO	1	O P VERMA	ADDITIONAL CHARGE	07-08-11
11.	JHALAWAR	CMHO	1	ACHAL MEHARSHI		25-06-09
12.	KOTA	CMHO	1	GAJENDRA SINGH SISODIA		24-10-11
13.	KARAULI	CMHO	1	B K AGARWAL		25-06-10
14.	S. MADHOPUR	CMHO	1	HARI SINGH MEENA	ADDITIONAL CHARGE	23-11-10
15.	BANSWARA	CMHO	1	HEERA LAL TAMBIYAR	ADDITIONAL CHARGE	05-10-11

1	2	3	4	5	6	7
16.	CHITTORGARH	CMHO	1	RAVI PRAKASH SHARMA		25-06-10
17.	DUNGARPUR	CMHO	1	KANTI LAL MOCHI		27-06-08
18.	PRATAPGARH	CMHO	1	MUSHTAQ KHAN KAYAMKHANI		01-02-12
19.	RAJSAMAND	CMHO	1	MOHAN LAL DEORA		22-10-09
20.	UDAIPUR	CMHO	1	R N BAIRAWA	ADDITIONAL CHARGE	01-01-11
21.	BARMER	CMHO	1	AZMAL HUSSAIN	ADDITIONAL CHARGE	01-10-11
22.	JAISALMER	CMHO	1	A G M PUROHIT	ADDITIONAL CHARGE	10-05-11
23.	JALORE	CMHO	1	D C PUNSAL		13-03-12
24.	JODHPUR	CMHO	1	RAMESHC MATHUR		13-03-12
25.	PALI	CMHO	1	YUDHVEER SINGH RATHORE		20-03-12
26.	SIROHI	CMHO	1	SANJEEV TAK		20-12-09
27.	DOUSA	CMHO	1	OM PRAKESH MEENA		25-06-10
28.	DHOLPUR	CMHO	1	ASHFAQ AHMED KHANJADA		25-06-09
29.	ALWAR	CMHO	1	CHATURBHUJ DHANAWAT		28-04-10
30.	BHARATPUR	CMHO	1	BRIJ MOHAN BAIRWA		25-06-10
31.	JAIPUR	CMHO-I	1	OM PRAKASH THAKAN		25-06-09
32.	JAIPUR	CMHO-II	1	YATENDRA KUMAR SINGH		25-06-10
33.	JHUNJHUNU	CHMO	1	MURLIDHAR SETHI		07-12-11
34.	SIKAR	CHMO	1	BABU LAL SAINI		07-12-11

शेरगढ़ तहसील हेतु ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत आबंटित राशि

292. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील शेरगढ़ में दिसम्बर, 2008 से 2011 तक ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कितनी-कितनी राशि का आबंटन किया गया? केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आबंटित राशि में से किस-किस केन्द्र द्वारा कितनी-कितनी राशि के कार्य करवाये गये व कितनी राशि के कार्य शेष हैं?

(3) क्या सरकार शेष रहे कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील शेरगढ़ के अन्तर्गत आने वाले उप स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत दिसम्बर 2008 से 2011 तक आबंटित राशि तथा स्वीकृत किये गये भवन निर्माण का केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त आबंटित राशि में से केन्द्रवार व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से उप स्वास्थ्य केन्द्र, पाबूनगर का कार्य माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण बन्द है एवं राशि रुपये 9.17 लाख का कार्य शेष है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शेरगढ़ पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है, एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चांमु पंचायत समिति बालेसर का कार्यादेश जारी कर दिया गया है।

(3) शेष कार्यों में से उप स्वास्थ्य केन्द्र, पाबूनगर का निर्माण माननीय न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चामु पंचायत समिति बालेसर का कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (राज्य बजट) के अन्तर्गत स्वीकृत है एवं कार्यादेश जारी कर दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 के लिये स्वीकृत पी.आई.पी. में प्रगतिरत कार्यों को पूरा करने के लिये ही बजट उपलब्ध करवाया गया था। पूर्व में स्वीकृत जो कार्य मई 2011 तक प्रारम्भ नहीं किये जा सके थे, उन्हें

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

प्रारम्भ न करने हेतु पाबंद किया गया था। अतः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शेरगढ का कार्य वर्ष 2012-13 में भारत सरकार द्वारा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रेवदर के उप स्वास्थ्य केन्द्रों का क्रमोन्नयन

293. श्री जगसीराम (रेवदर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने के मानदण्ड क्या हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र रेवदर में वर्तमान में संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्रों को कब कितनी आबादी एवं कितने मरीज प्रतिदिन आने की संभावनाओं को देखते हुए खोला गया था?

(3) क्या यह सही है कि उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र को खोले जाने के समय से लेकर आज तक यहां आने वाले रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है तथा इन उप स्वास्थ्य केन्द्र के गांवों कस्बों की आबादी विस्तार विकास भी काफी हो चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि क्षेत्रीय जनता, जनप्रतिनिधिगण, क्षेत्रीय विधायक ने सरकार को बार-बार पत्र लिखकर यहां के उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाने की मांग की गई है? यदि हां, तो इस बाबत गत पांच वर्षों में प्राप्त पत्रों की प्रति एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्र में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। प्रति परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 5 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्र में 3 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आवश्यकता/मांग के अनुसार ही विधान सभा क्षेत्र रेवदर में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं।

विधान सभा क्षेत्र रेवदर के अन्तर्गत आने वाले उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम एवं उनके स्वीकृति वर्ष का विवरण परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रेवदर के अन्तर्गत आने वाले उप स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने के पश्चात उनमें रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और गांव एवं कस्बों की आबादी में वृद्धि एवं विकास भी हुआ है। विवरण परिशिष्ट-स पर प्रस्तुत है।

(4) जी हां। विभाग में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर विधान सभा क्षेत्र रेवदर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम बाट एवं भटाना (उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

ग्राम का नाम	जनप्रतिनिधि का नाम
बाट	श्री जगसीराम कोली माननीय विधायक महोदय
भटाना	श्री नीरज डागी, महासचिव एवं प्रवक्ता राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं श्री भवानी सिंह भटाना प्रदेश संगठन सचिव, सदस्य 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति सिरोही

उक्त प्रस्तावों की छायाप्रति एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-द पर प्रस्तुत है।

(5) जी नहीं। ग्राम बाट एवं भटाना पंचायत समिति रेवदर के अन्तर्गत आते हैं। वर्ष 2001 की ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति रेवदर में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुल 6 चिकित्सा संस्थान स्वीकृत है। इसलिए उक्त ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-294

(स्थगित)

श्रीगंगानगर जिले में परिवार नियोजन आपरेशन हेतु निर्धारित लक्ष्य

295. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर जिले में नसबंदी के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो अप्रैल, 2011 से फरवरी, 2012 तक कितने आपरेशन महिला एवं पुरुष के किये गये? तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त नसबंदियों में महिला नसबंदी के मुकाबले पुरुष नसबंदी कम हुई है? यदि हां, तो क्यों व कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में संचालित परिवार कल्याण कार्यक्रम लक्ष्यविहिन (टारगेट फ्री एप्रोच) पद्धति पर आधारित है। सामुदायिक आवश्यकता अवधारण नीति (सीएनएनए) के तहत सम्बन्धित क्षेत्र की जनता की मांग के आधार पर परिवार कल्याण के साधनों के सम्भावित उपलब्धि स्तर का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए प्रतिवर्ष माह अप्रैल में स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा योग्य दम्पति सर्वे सम्पादित किया जाता है। इस सर्वे में योग्य दम्पति अपनी इच्छा के अनुसार परिवार कल्याण साधन अपनाने की इच्छा जाहिर करता है। सर्वे से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही सम्बन्धित क्षेत्र के वार्षिक सम्भावित उपलब्धि स्तर (ई.एल.ए) का निर्धारण किया जाता है, तथा इसी सम्भावित उपलब्धि स्तर के आधार पर श्रीगंगानगर जिले में अप्रैल, 2011 से 19.3.2012 तक हुये पुरुष व महिला नसबन्दी का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां, चूंकि यह एक स्वेच्छिक कार्यक्रम है। नसबन्दी पुरुष द्वारा करवायी जावे या महिला द्वारा इस बारे में दम्पत्ति के स्वंय के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। पुरुष व महिला नसबन्दी का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

विभाग द्वारा आई.ई.सी. एवं अन्य प्रेरणा प्रद कार्यक्रमों द्वारा प्रयास किया जाता है कि पुरुष सहभागिता में वृद्धि हो।

परिशिष्ट-अ

श्री गंगानगर जिले में 1 अप्रैल, 2011 से 19.3.12 तक हुऐ पुरूष एवं महिला नसबन्दी का तहसीलवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	तहसील का नाम	ब्लाक का नाम	आबंटित ईएलए	पुरूष नसबन्दी	महिला नसबन्दी	अर्जित उपलब्धि (कुल पुरूष व महिला नसबन्दी)
1.	अनूपगढ़	अनूपगढ़	1777	9	716	725
2.	सूरतगढ़	सूरतगढ़	2907	39	1528	1567
3.	सादुलशहर	सादुलशहर	1495	39	909	948
4.	रायसिंहनगर	रायसिंहनगर	2039	12	745	757
5.	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	5660	77	1944	2021
6.	पदमपुर	पदमपुर	1543	18	705	723
7.	विजयनगर	अनूपगढ़	1303	12	650	662
8.	करणपुर	करणपुर	1436	14	608	622
9.	घड़साना	घड़साना	1535	26	811	837
	कुल		**19695**	**246**	**8616**	**8862**

श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र की राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि पर स्थापित दूरदर्शन टावर

296. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि एन-एच 11 श्रीडूंगरगढ़ की भूमि पर दूरदर्शन टावर लगा हुआ है? यदि हां, तो कब से व किस अधिकारी द्वारा इसकी अनुमति दी गई?

(2) क्या सरकार उक्त टावर को अतिक्रमण मानकर हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(श्री मंगलाराम गोदारा)

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त भूमि पर टावर लगाने के लिए किसी व्यक्ति से अनुबंध कर रखा है? यदि हां, तो किससे व कब से व कितनी राशि पर?

(4) क्या यह सही है कि इस हेतु हर 5 साल में एग्रीमेंट किया जाता है? यदि हां, तो एग्रीमेंट किस व्यक्ति के नाम से किया जा रहा है? एग्रीमेंट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) एन.एच.-11 श्रीडूंगरगढ़ की भूमि पर दूरदर्शन टावर नहीं लगा हुआ है, लेकिन दूरदर्शन रिले केन्द्र का भवन आंशिक रूप से एन.एच.-11 की सीमा में वर्ष 1993 से पूर्व निर्मित है, जिसकी कोई अनुमति इस विभाग के किसी अधिकारी द्वारा नहीं दी गई है।

(2) जी हां। सरकार उक्त दूरदर्शन रिले केन्द्र को अतिक्रमण मानकर हटाने का विचार रखती है। इसे हटाने के लिए अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग रा.उ. मार्ग खण्ड चूरू के पत्र दिनांक 21.11.2011 द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ को निवेदन किया जा चुका है जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। इस विषय में अग्रिम कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ से अपेक्षित है।

(3) दूरदर्शन विभाग के पत्र दिनांक 30.08.2011 के अनुसार दूरदर्शन विभाग ने श्री किशनाराम नाई से 1 जनवरी, 1993 से भवन व परिसर किराये पर ले रखा है, किराया राशि की सूचना भी इस पत्र में वर्णित है जिसकी प्रति परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(4) दूरदर्शन विभाग के पत्र दिनांक 30.08.2011 के अनुसार अतिक्रमणकर्ता श्री किशनाराम नाई से दूरदर्शन विभाग ने उक्त भवन व परिसर किराये पर लिया है। दूरदर्शन विभाग के पत्र दिनांक 21.03.2012 द्वारा प्राप्त एग्रीमेन्ट की प्रति परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

बस्सी विधान सभा क्षेत्र के सड़क रहित ग्राम

297. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी जिला जयपुर के कितने गांव प्रधानमंत्री

(श्रीमती अंजू खंगवाल)

ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क बनवाने के लिए प्रस्तावित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) 500 से अधिक आबादी वाले कौन-कौन से गांव सड़कों से जोड़े जाने शेष हैं?

(3) जनवरी, 2009 से फरवरी, 2012 तक कितने गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ दिये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी जिला जयपुर में 2 गांव (आबादी समूह) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु प्रस्तावित हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी, जयपुर में 2001 की जनगणना के आधार पर 500 से अधिक जनसंख्या का कोई भी गांव सड़क से जोड़ा जाना शेष नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बस्सी, जयपुर में जनवरी, 2009 से अब तक कोई भी गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़क से नहीं जोड़ा गया है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क बनाने के लिये प्रस्तावित गांवों की सूची

क्र. सं.	जिला	विधान सभा क्षेत्र	सड़क का नाम	जोड़े जाने वाले गांवों की आबादी		आबादी समूह		प्रस्तावित लम्बाई (कि.मी. में)	अनुमानित लागत (लाखों में)
				गांव	जनसंख्या	गांव	जनसंख्या		
1.	जयपुर	बस्सी	एन.एच.-11 से ढाणी गुर्जरों की	ढाणी गुर्जरों की	697	लक्ष्मीपुरा ढाणी गुर्जर की	497 200	4.05	111.81
2.	जयपुर	बस्सी	मदनपुरा-घटोली से ढाणी बैरवों की	ढाणी बैरवों की	527	पीलारामा ढाणी बैरवा की	377 150	2.55	77.02
		योग						6.60	188.83

सिरसा-भादरा-सादुलपुर तक सड़क निर्माण कार्य

298. श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2009 से फरवरी, 2012 तक बी.ओ.टी. आधार पर सड़क निर्माण परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं? यदि हां, तो कुल कितनी? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सिरसा-भादरा, सादुलपुर (राजगढ़) तक उक्त योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि हां, तो उक्त परियोजना की कुल स्वीकृत राशि, टेण्डर प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या टेण्डर स्वीकृत हो गया है? यदि हां, तो किस फर्म को कार्य दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त मार्ग पर सिद्धमुख-भनाई के मध्य रेलवे लाइन पर ऊपरी (आर.ओ.बी.) पुल निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) उक्त सड़क निर्माण का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2009 से 2012 तक कुल 52 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। जिसकी जिलेवार सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। सिरसा-भादरा-सादुलपुर (राजगढ़) योजना की स्वीकृति राशि रुपये 4516 लाख प्राप्त हुई है एवं परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत राशि रुपये 7957 लाख है। संशोधित परियोजना की लागत स्वीकृति, निविदा उपरान्त वी.जी.एफ. के आधार पर प्राप्त की जायेगी। वर्तमान में इस परियोजना की निविदा आमंत्रित है, जो दिनांक 09.04.2012 को प्राप्त होनी है। निविदा प्राप्ति के पश्चात् टेण्डर की आगे की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी।

(3) जी हां। सिद्धमुख-भनाई के मध्य रेल्वे लाइन पर आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य संशोधित परियोजना में सम्मिलित है एवं संशोधित परियोजना की लागत रुपये 7957 लाख अनुमानित है। परियोजना की निविदा स्वीकृति के पश्चात् आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य लगभग 18 माह में पूर्ण होना प्रस्तावित है।

(4) उक्त सड़क निर्माण कार्य निविदा स्वीकृति के पश्चात् लगभग 18 माह में पूर्ण होना सम्भावित है।

परिशिष्ट-1

वर्ष 2009 से 2012 तक स्वीकृत जिलेवार बीओटी सड़क परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	जिला
1	2	3
1.	कोटा से झारेल के बालाजी वाया ताथेड-सुल्तानपुर-गणेश गंज-इटवा सड़क का कार्य	कोटा
2.	कोटा-धरनावदा सड़क	बारां
3.	झालावाड़ से झालावाड़ रोड	झालावाड़
4.	झालावाड़ से उज्जैन रोड	झालावाड़
5.	जयपुर से भीलवाड़ा वाया मालपुरा केकड़ी माण्डल सड़क	जयपुर, टोंक, अजमेर व भीलवाड़ा
6.	चौमूं से महला सड़क वाया रेनवाल-जोबनेर	जयपुर
7.	जयपुर-जोबनेर-कुचामन-नागौर	जयपुर व नागौर
8.	कोटपूतली-नीमकाथाना रोड	जयपुर, सीकर, झुन्झुनूं व नागौर
9.	अजमेर-नागौर (एन.एच.-89)	अजमेर व नागौर
10.	मेडता-रास-मांगलियावास सड़क	अजमेर, पाली व नागौर
11.	जहाजपुर-माण्डलगढ़	भीलवाड़ा
12.	लूनकरणसर से कालू-श्रीडूंगरगढ़-सरदार शहर	बीकानेर व चूरू
13.	अर्जुनसर-पल्लू सड़क	बीकानेर व हनुमानगढ़
14.	बीकानेर से सूरतगढ़ (एन.एच.-15)	बीकानेर व श्रीगंगानगर
15.	नागौर-बीकानेर (एन.एच.-89)	बीकानेर व नागौर
16.	सीकर-बीकानेर (एन.एच.-11)	बीकानेर, चूरू व सीकर

1	2	3
17.	सरदारशहर-तारानगर-राजगढ़ सड़क	चूरू
18.	सिरसा-हरियाणा-लूदेसर-भादरा-सिद्धमुख राजगढ़ रोड़	चूरू व हनुमानगढ़
19.	सादुलशहर (पंजाब राज्य सीमा) हनुमानगढ़-टिब्बी-ऐलनाबाद (हरियाणा सीमा)	हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर
20.	हनुमानगढ़-सूरतगढ़ सड़क	हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर
21.	हनुमानगढ़ से सांगरिया सड़क	हनुमानगढ़
22.	रावतसर-नोहर-भादरा (हरियाणा सीमा तक)	हनुमानगढ़
23.	श्रीगंगानगर-पदमपुर सड़क एस.एच.-3	श्रीगंगानगर
24.	सूरतगढ़-श्रीगंगानगर (एन.एच-15)	श्रीगंगानगर
25.	खण्डेला-श्रीमाधोपुर-रींगस-खाटूश्यामजी रोड़	सीकर
26.	लक्ष्मणगढ़-सालासर	सीकर
27.	झुन्झुनू-मण्डावा-फतेहपुर रोड	सीकर व झुन्झुनूं
28.	झुन्झुनू-उदयपुरवाटी-खण्डेला रोड	सीकर व झुन्झुनूं
29.	चिडावा-सिघांना-पचेरी सड़क	झुन्झुनूं
30.	बांसवाड़ा-उदयपुर सड़क	बांसवाड़ा, उदयपुर व डूंगरपुर
31.	बांसवाड़ा-रतलाम	बांसवाड़ा
32.	बाली-पिडवाड़ा सड़क	पाली
33.	जोधपुर-पाली (एन.एच-65)	पाली व जोधपुर
34.	रोहिट-जालोर सड़क	पाली व जालोर
35.	पाली-नाडोल-गोमती का चौराहा	पाली व राजसमन्द

1	2	3
36.	गोटन-पुन्डुलू-बोरूड़ा-रसीगांव-बिलाड़ा	पाली, जोधपुर व नागौर
37.	अलवर से भिवाड़ी	अलवर
38.	भरतपुर-डीग-अलवर	अलवर व भरतपुर
39.	अलवर-बहरोड़-नारनौल	अलवर
40.	मथुरा (यूपी बोर्डर)-भाडौती	भरतपुर, करौली व सवाईमाधोपुर
41.	महुवा-हिण्डोन करौली	करौली व दौसा
42.	नागौर से जोधपुर (एन.एच.-65)	जोधपुर व नागौर
43.	मेड़ता सिटी-गोटन-पिपाड़ सिटी-दातीवाड़ा (जोधपुर) सड़क किमी.	जोधपुर व नागौर
44.	जोधपुर-ओसियां-फलौदी	जोधपुर
45.	चित्तौड़गढ़ से नीमच (एन.एच.-79) एवं निम्बाहेड़ा से प्रतापगढ़ (एन.एच.-113)	चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़
46.	चित्तौड़गढ़ डबोक-मावली कपासन	चित्तौड़गढ़ व उदयपुर
47.	मंगलवाड़ से निम्बाहेडा	चित्तौड़गढ़
48.	सांचौर-माखुपुरा वाया पीर की जाल	जालौर
49.	जालौर-रामसीन-जसवन्तपुरा-रेवदर एवं जालोर बाईपास	जालौर
50.	फतेहनगर-दरीबा माइन्स	उदयपुर व राजसमन्द
51.	सलूम्बर-कीर की चौकी	उदयपुर
52.	आसपुर-डूंगरपुर सड़क	डूंगरपुर

खानुवा-चन्दनपुरा (भरतपुर) की क्षतिग्रस्त सड़क

299. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा' (नदबई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कस्बा नदबई (भरतपुर) में सरकारी गेस्ट हाउस नहीं है? क्या सरकार उक्त कस्बे में गेस्ट हाउस निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि खानुवा से चन्दनपुरा तक सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त है? क्या सरकार द्वारा उक्त सड़क मार्ग के डामरीकरण के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त सड़क मार्ग पर डामरीकरण का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

(3) क्या यह सही है कि कस्बा नदबई (भरतपुर) के मुख्य बाजार में रेलवे क्रासिंग का गेट अधिकांशतः रेलों के आवागमन के कारण बंद रहता है? क्या उक्त कारण आम जनता का आना-जाना कई घण्टों तक अवरूद्ध हो जाता है तथा कस्बे में जाम लग जाता है? यदि हां, तो उक्त समस्या से निजात पाने के लिए क्या सरकार रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कस्बा नदबई (भरतपुर) में सरकारी डाक बंगले का निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(2) जी हां। खानुवा से चन्दनपुरा तक ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित ग्रेवल सड़क है, जो कि क्षतिग्रस्त है। उक्त सड़क को डामरीकृत करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(3) जी हां। इस रेलवे क्रासिंग पर रेलवे ओवर ब्रिज (बाइपास) का निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

भीम में सड़क डामरीकरण में अनियमितताएं

300. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भीम की कुशलपुरा ग्राम

(श्री हरिसिंह रावत)

पंचायत को राष्ट्रीय राजमार्ग 8 से जोड़ने के लिए अभी हाल ही में डामर सड़क का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त सड़क का निर्माण पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो उक्त सड़क के रख रखाव की जिम्मेदारी किस विभाग को दी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क निर्माण के तुरन्त बाद ही पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है? क्या सरकार उक्त सड़क का पुनः भौतिक सत्यापन कर दोषी ठेकेदार/अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर उक्त सड़क का पुनः निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माह नवम्बर, 2011 में 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत उक्त सड़क के नवीनीकरण का कार्य किया गया।

(2) जी नहीं। उक्त सड़क का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। कुल स्वीकृत 3 कि.मी. के विरुद्ध 2 कि.मी. नवीनीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है। शेष 1 कि.मी. का कार्य प्रगति पर है। कार्य के रख रखाव की जिम्मेदारी कार्य पूर्ण होने की तिथि से 5 वर्ष तक संवेदक की रहेगी।

(3) जी नहीं। उक्त सड़क पर मोड़ पर करीब 60 मीटर लम्बाई में सीलकोट उखड़ गया था जिसे संवेदक द्वारा ठीक कर दिया गया है।

सीकर जिले में सड़क निर्माण में अनियमितताओं की जांच

301. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में दिनांक 1 जनवरी, 2009 से फरवरी, 2012 तक सड़क रिनोवेशन एवं नई सड़कें बनाने की कितनी स्वीकृतियां जारी की गयी हैं तथा उक्त स्वीकृतियां किस योजना में कितनी राशि की जारी की गई एवं कब तक पूर्ण की जानी है? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) गत तीन वर्षों में उक्त जिले में सड़क निर्माण में मानदण्डानुसार कार्य नहीं होने की शिकायतें कहां-कहां से प्राप्त हुई तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री अमराराम)

(3) उक्त जिले में संवेदक द्वारा बनाई गई सड़कें क्षतिग्रस्त होने तथा पुन: गारन्टी पीरियड में मरम्मत कराने की जवाबदारी किन अधिकारियों की है?

उत्तर

(1) जिला सीकर में दिनांक 01.01.2009 से अब तक (फरवरी, 2012) नवीनीकरण/नई सड़कों के स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) गत तीन वर्षों में सड़क निर्माण में मापदण्डानुसार कार्य नहीं होने की शिकायत लम्बित नहीं है।

(3) जिला सीकर में गारण्टी अवधि में सड़कों की आवश्यक मरम्मत कार्य सम्बन्धित संवेदक के अनुबन्धानुसार कराया जाना सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां जिले के डामरीकृत सड़क रहित ग्राम

302. श्री प्रमोद जैन 'भाया' (अन्ता-बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां के विधान सभा क्षेत्रवार कौन-कौन से गांव डामरीकृत सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त गांवों की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी कितनी-कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त गांवों में से कौन-कौन से गांवों को डामरीकृत सड़क मार्ग से जोड़ने हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है? स्वीकृति आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त में से जो गांव डामरीकृत सड़क मार्ग से नहीं जुडे हैं, उनमें से कौन-कौन से गांव को डामरीकृत सड़क से जोड़ने हेतु कितने-कितने किलोमीटर एवं कितनी-कितनी राशि के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बारां के जो गांव डामरीकृत सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हैं, का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार आबादी सरकार द्वारा प्रकाशित नहीं होने के कारण विवरण प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं है।

(3) बारां जिले के जिन गांवों को डामरीकृत सड़क मार्ग से जोड़ने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है उनका विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। स्वीकृति आदेशों की प्रति संलग्न है।

(4) राज्य सरकार के पास विचाराधीन बारां जिले के गांवों को डामर सड़क से जोड़ने के प्रस्तावों का भी विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नसीराबाद में प्रस्तावित विश्रान्ति गृह

303. श्री महेन्द्र सिंह (नसीराबाद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार समस्त उपखण्ड/पंचायत समिति मुख्यालय पर विश्रान्ति गृह खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के उपखण्ड पीसांगन व पंचायत समिति श्रीनगर में विश्रान्ति गृह खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। उपखण्ड/पंचायत समिति मुख्यालय पर विश्रान्ति गृह खोलने का नीतिगत निर्णय राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

(2) जी नहीं। पीसांगन एवं श्रीनगर में विश्रान्ति गृह खोलने का नीतिगत निर्णय राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

मारवाड़ जंक्शन की क्षतिग्रस्त सड़कें

304. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड जंक्शन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की पंचायत समिति मारवाड़

(श्री केसाराम चौधरी)

जंक्शन व रानी क्षेत्र में कौन-कौनसी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? सड़क का नाम, लम्बाई सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त सड़कों पर गत पांच वर्षों में कितना पेचवर्क का कार्य कब-कब करवाया गया तथा इस पर कितनी राशि व्यय हुई?

(3) उक्त पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन व रानी की कौन-कौनसी क्षतिग्रस्त सड़कों पर किस योजना के तहत पेच वर्क कार्य, सुदृढ़ीकरण या नवीनीकरण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन तथा रानी में कितने गांव/ढाणी ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जुड़ने का मानदण्ड पूरा करने के उपरान्त भी सड़कों से नहीं जोड़ा गया? क्या सरकार उक्त गांव/ढाणियों हेतु सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन व रानी में क्षतिग्रस्त सड़कों का नाम, लम्बाई सहित विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है।

(2) उपरोक्त सड़कों पर गत पांच वर्षों (वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 तक) में पेच कार्य पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 के कालम संख्या 8 से 12 तक अंकित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन एवं रानी की क्षतिग्रस्त सड़कों पर पैच मरम्मत कार्य साधारण मरम्मत मद से कराया जाता है तथा सुदृढ़ीकरण/नवीनीकरण हेतु परिशिष्ट-1 के क्र.सं. 9, 11, 18 एवं 19 पर अंकित 4 कार्य स्वीकृत तथा प्रगतिरत हैं। शेष सड़कों पर आवश्यकतानुसार सुदृढ़ीकरण/नवीनीकरण का कार्य राज्य की विभिन्न योजनाओं में सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकतानुसार कराया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(4) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन तथा रानी में 11 ढाणियों को डामर सड़क से नहीं जोड़ा गया है,

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

जिनमें से 500 से अधिक आबादी की 3 ढ़ाणियों की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा कार्यादेश दिये जाने की प्रक्रिया में है तथा शेष 8 ढाणियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनजातीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों के 250-499 आबादी की ढाणियों/मजरों के प्रस्ताव में शामिल कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा। सूची विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर-दिल्ली प्रस्तावित एक्सप्रेस मार्ग

305. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर-दिल्ली को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 का छह लेन का कार्य प्रगति पर है? यदि हां, तो प्रस्तावित छह लेन निर्माण में कौन-कौन से कार्य सम्मिलित हैं तथा इनमें से कौन-कौन से कार्य किये जा चुके हैं और कौन-कौन से कार्य शेष हैं व शेष कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे?

(2) क्या यह भी सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा भारी यातायात को देखते हुए जयपुर-दिल्ली के बीच एक एक्सप्रेस वे को मंजूरी दी जा चुकी है? यदि हां, तो उक्त एक्सप्रेस वे कहां से कहां तक व किस दिशा में बनना तय है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर-दिल्ली को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 का छह लेन का कार्य भारत सरकार के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अन्तर्गत प्रगति पर है। उनके अनुसार प्रस्तावित छह लेन निर्माण में मुख्य सड़क को छह लेनीकरण व दोनों तरफ करीब 220 कि.मी. लम्बाई की सर्विस रोड एवं परियोजना में कुल 88 फ्लाई ओवर एवं पैडेस्ट्रियन अण्डरपास का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 7 फ्लाई ओवर एवं पैडेस्ट्रियन अण्डरपास का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं करीब 133 कि.मी. छह लेनीकरण कार्य हो चुका है। 41 फ्लाई ओवर एवं पैडेस्ट्रियन अण्डरपास निर्माणाधीन हैं। लम्बित कार्य को पूर्ण करने की दिसम्बर, 2012 तक सम्भावना है।

(2) जयपुर-दिल्ली के मध्य एक्सप्रेस वे के लिए प्री-फिजीबिलिटी स्टडी

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

का कार्य भारत सरकार के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अन्तर्गत प्रगति में है। प्री-फिजीबिलिटी स्टडी पूर्ण होने पर एक्सप्रेस वे की दिशा निर्धारण तय होगी।

जुरावपुरा-मोधुनगर (हनुमानगढ़) क्षतिग्रस्त सड़क

306. श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड हनुमानगढ़ द्वारा जुरावपुरा बस स्टैण्ड से जुरावपुरा ग्राम व मोधुनगर हेतु ढाई किलोमीटर सड़क का मरम्मत कार्य करवाया गया था? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क के किनारे बबूल के पेड़ों की कटाई कर झाड़ियों के कांटे सड़क पर डाल दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों और कितने समय से कांटे पड़े हुए हैं?

(3) क्या सरकार उक्त सड़कों पर से बबूल के पेड़ों के कांटे हटवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। जुरावपुरा बस स्टैण्ड से जुरावपुरा ग्राम तक लम्बाई 0.800 कि.मी. (0/0 से 0/800 तक) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तथा 1.50 कि.मी. (कि.मी. 0/800 से 2/300 तक) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़क है, जो कि मोधुनगर ग्राम को जोड़ती है। आर.आई.डी.एफ.-14 के अन्तर्गत 0.80 कि.मी. लम्बाई के विरुद्ध 0.68 कि.मी. लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य 31.12.2009 को पूर्ण किया गया था। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़क संतोषजनक स्थिति में है तथा मरम्मत कार्य नहीं करवाया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। सड़क पर बबूल के पेड़ों के कांटे नहीं पड़े हुए हैं।

रायसिंहनगर में रिक्त पद

307. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में सिंचाई विभाग के अधिकारियों/

(श्री दौलतराज समेजा)

कर्मचारियों के कुल स्वीकृत पद कितने हैं व उनमें से कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में सिंचाई विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल 172 पद स्वीकृत है व इनमें से कुल रिक्त पदों की संख्या 61 है जिनका विवरण प्रपत्र 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में वर्तमान में पदोन्नति में राज्य सरकार की रोक है। रोक हटने के उपरान्त ही रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रतापगढ़ जिले के भू-जल की रासायनिक जांच

308. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ की तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद के अनुसूचित जाति के किसानों के कितने कुओं को विस्फोटक द्वारा गहरा किया गया है? पंचायत एवं वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला प्रतापगढ़ में सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के तहत कितने कुओं की जांच कर नमूनों का संरक्षण कर रासायनिक जांच की गई व जांच में ऐसे कितने कुएं पाये गये जिनका पानी न तो कृषि योग्य है और न पेयजल के उपयुक्त है? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में उक्त जिले में भू-जल पुनर्भरण एवं बरसात के पानी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये कितने भू-जल पुनर्भरण एवं जल एकत्रण संरचनाओं का निर्माण किया गया? पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद क्षेत्र की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2008-09 से 2011-12 की अवधि में प्रतापगढ़ एवं अरनोद

(भू-जल मंत्री)

तहसील में अनुसूचित जाति के किसानों के कुओं को विस्फोटक द्वारा गहरा करने की संख्या शून्य है ।

(2) प्रतापगढ़ जिले के भूजल सर्वेक्षण एवं भूजल एकत्रित करने हेतु कुल 89 आधारभूत कुओं का चयन किया गया है। भूजल नमूनों के रासायनिक विश्लेषण से प्राप्त आंकड़ों का अध्ययन करने पर निम्न निष्कर्ष निकलते हैं।

(अ) भूजल की कृषि कार्य हेतु गुणवत्ता-निम्न ग्रामों में स्थित अधारभूत कुओं के अलावा अन्य सभी आधारभूत कुओं का भूजल कृषि कार्य हेतु उपयुक्त है। निम्न आधारभूत कुओं के जल में क्षारीयता होने के कारण जिप्सम उपचार की कृषि कार्य हेतु आवश्यकता है ।

क्र. सं.	गांव का नाम	ब्लॉक
1.	चौहान खेड़ा	छोटी सादड़ी
2.	छोटी सादड़ी	छोटी सादड़ी
3.	खेड़ा	छोटी सादड़ी
4.	अखेपुर	प्रतापगढ़
5.	पलथन	प्रतापगढ़
6.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
7.	डूंगरवा	पीपलखूंट

उपरोक्त आधारभूत कुओं के भूजल की गुणवत्ता का प्रभाव सम्बन्धित ग्राम के सीमित क्षेत्र में है ।

(ब) पेयजल की गुणवत्ता- भूजल विभाग पेयजल की गुणवत्ता हेतु अलग से भूजल का रासायनिक विश्लेषण नहीं करता है किन्तु कृषि उपयोग हेतु किये गये रासायनिक विश्लेषण के घटकों में से पेयजल की गुणवत्ता हेतु दो घटकों फलोराइड एवं नाइट्रेट की मात्रा का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि सभी 89 भूजल नमूनों में फलोराईड की मात्रा पेयजल हेतु निर्धारित परमीसिबल लिमिट में है । तथा पेयजल हेतु निर्धारित निम्न आधारभूत कुओं के अलावा नाइट्रेट की मात्रा भी परमीसिबल लिमिट में है ।

(भू-जल मंत्री)

क्र. सं.	गांव का नाम	ब्लाक
1.	दालोत	अरनोद
2.	गौतमेश्वर	अरनोद
3.	मीनोर	अरनोद
4.	सालमगढ़	अरनोद
5.	दोलत पानी	छोटी सादड़ी
6.	निम्बावार	धरियावाद

(3) उक्त अवधि में उक्त जिले में विभाग द्वारा भूजल पुनर्भरण एवं जल एकत्रण में संरचनाओं का निर्माण नहीं किया गया। अतः सूचना शून्य मानी जावे ।

घग्घर नदी के पानी के उपयोग हेतु कार्य योजना

309. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या घग्घर नदी पर कोई इनटेक संरचना निर्मित है?

(2) क्या यह सही है कि घग्घर का पानी सीमा पार पाकिस्तान जा रहा है? यदि हां, तो कितना क्यूसेक? क्या सरकार इसका उपयोग करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार?

उत्तर

(1) जी हां। घग्घर नदी पर हरियाणा राजस्थान सीमा पर इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की आर.डी. 629 पर इनटेक संरचना निर्मित है।

(2) जी हां। घग्घर नदी से सीमा पार कर पाकिस्तान जाने वाले पानी की वर्षवार तालिका संलग्न है। वर्ष 1999 में इस पानी के उपयोग की एक परियोजना बनाई गई थी परन्तु पानी की उपलब्धता अनिश्चित होने के कारण आर्थिक दृष्टि से अधिक उपयोगी नहीं पाये जाने के कारण इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। विगत 7-8 वर्षो में केवल तीन बार ही अतिरिक्त पानी की उपलब्धता रही है।

(तालिका पुस्तकालय में रखी गयी)

नाथद्वारा में सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त अपीलें

310. श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा समय पर सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाने के क्या कारण हैं? क्या उक्त विभाग में सूचना के अधिकार के प्राप्त आवेदन-पत्र एवं आवेदन पत्रों के संधारण हेतु निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर तथा प्राप्त अपीलें एवं निर्धारित प्रारूप में अपील रजिस्टर संधारित किया जा रहा है? यदि हां, तो वर्ष 2005 से जनवरी, 2012 तक सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों, सूचना के अधिकार आवेदन पत्रों के संधारण के रजिस्टर व अपीलों तथा अपील संधारण रजिस्टर की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जल संसाधन उपखण्ड नाथद्वारा जिसके अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा आता है, वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक जल संसाधन उपखण्ड नाथद्वारा से संबंधित कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वर्ष 2011-12 में 5 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर आवेदकों को सूचना उपलब्ध करा दी गई है। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र एवं अपील पर आवेदकों को दी गई सूचना हेतु रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में संधारित नहीं किया जा रहा है। जांच समिति गठित कर समय पर आवेदक को उत्तर प्रेषित नहीं करने तथा निर्धारित प्रपत्र में रजिस्टर संधारित नहीं करने हेतु दोषी अधिकारियों/कर्मचारियो के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। रजिस्टर की प्रति प्रपत्र-'अ' पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

परवन सिंचाई परियोजना की प्रगति

311. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) हाड़ौती की सबसे बड़ी 'परवन सिंचाई परियोजना' की स्वीकृति कब जारी की गई एवं इससे किन-किन क्षेत्रों में कितनी भूमि पर सिंचाई हो सकेगी और इसके डूब क्षेत्र में किन-किन क्षेत्रों की कितनी-कितनी भूमि आ रही है?

(श्री भवानी सिंह राजावत)

(2) क्या यह सही है कि उक्त सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में वन विभाग की जमीन भी आ रही है? यदि हां, तो इस परियोजना में कितनी वन भूमि है और उसके बदले वन विभाग को किस-किस क्षेत्र में कितनी भूमि दी जायेगी?

(3) क्या यह भी सही है कि वन विभाग द्वारा आपत्ति के बाद हुए विलम्ब के कारण परियोजना की लागत में भारी वृद्धि हुई है? यदि हां, तो योजना की प्रारम्भिक लागत क्या थी व वर्तमान लागत क्या है तथा इस योजना को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति मिल गई है? यदि हां, तो परियोजना का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा?

उत्तर

(1) परवन सिंचाई परियोजना की स्वीकृति जारी नही हुई है। तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इसमें कोटा, बारां एवं झालावाड़ के 313 ग्रामों की कुल 131400 हैक्टेयर भूमि सिंचित की जा सकेगी जिसका विवरण प्रपत्र-'अ' पर संलग्न है। डूब क्षेत्र में जिला झालावाड़ एवं बारां की कुल 9810 हैक्टेयर भूमि आ रही है जिसका तहसीलवार विवरण प्रपत्र-'ब' पर संलग्न है।

(2) जी हां। इस परियोजना में 1836 हैक्टेयर वन भूमि आ रही है। जिसके लिए जिला झालावाड़ में 1238 हैक्टेयर एवं जिला बारां में 598 हैक्टेयर राजस्व भूमि वन विभाग के लिए आरक्षित की गई है।

(3) जी नहीं। परियोजना की लागत अभी तक स्वीकृत ही नहीं हुई है। लेकिन वर्ष 2006 की बी.एस.आर. दरों पर लागत 1114 करोड़ रुपये आंकी गई थी जो वर्ष 2011 की बी.एस.आर. दरों के आधार पर बढकर 2332.93 करोड़ रुपये आंकी गई है। योजना स्वीकृति के पश्चात कार्य प्रारम्भ कर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार पूर्ण किया जावेगा।

(4) जी हां। परियोजना की वन विभाग तथा केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हनुमानगढ़ जिले में सेमग्रस्त क्षेत्र के निवारण हेतु परियोजना

312. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अभिषेक मटोरिया)

(1) क्या यह सही है कि जिला हनुमानगढ़ के रावतसर क्षेत्र का 5600 हैक्टेयर क्षेत्र सेमग्रस्त है? यदि हां, तो सेम निवारण हेतु भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच वर्ष 2000 में क्या कोई परियोजना लागू की गई थी? यदि हां, तो उक्त योजना क्या थी व कब शुरू की गई और अब इसकी क्या स्थिति है?

(2) उक्त परियोजना में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की कुल हिस्सा राशि, व्यय राशि, लाभान्वित गांवों की संख्या, प्रभावित क्षेत्र तथा परियोजना को पूर्ण करने की अवधि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त परियोजना के अन्तर्गत बनने वाले सेमनाले की कुल लम्बाई कितनी है एवं इसमें कितनी लम्बाई का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितना शेष है? क्या मुख्य ड्रेन के अंतिम छोर पर यह पानी मुख्य नहर में भी डाला जा रहा है?

(4) सेमनाला निर्माण के बाद अब तक इसकी कितनी बार सफाई की जा चुकी है और उस पर कितना व्यय हुआ? क्या इसकी सफाई/रखरखाव हेतु कोई समिति भी बनी हुई है? यदि हां, तो उसके अधिकार क्या है?

(5) वर्तमान में मुख्य ड्रेन के अंतिम छोर 99 आरडी पर वाटर पम्पिंग हेतु कितनी क्षमता की कितनी विद्युत मोटर/डीजल संचालित इंजन सैट लगे हुए हैं और प्रति घंटा जल निकासी की इनकी क्या क्षमता है?

(6) क्या यह सही है कि उक्त सेमनाला के लम्बे समय से रखरखाव के अभाव में इसके इर्द-गिर्द की भूमि में पानी का स्तर बढ़ गया है तथा आस-पास के गांवों में भी जल स्तर बढ़ने से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय कर रही है?

(7) क्या सरकार उक्त परियोजना के रखरखाव/सफाई तथा इसके संचालन का कार्य स्वयं करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर क्षेत्र का 5600 हैक्टेयर सेमग्रस्त क्षेत्र के सेम निवारण हेतु भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से वर्ष 2000 में एक पायलेट परियोजना लागू की गयी थी। उक्त योजना वर्ष 2000 में शुरू कर दिनांक 31.03.2003 में पूरी की जानी थी। वर्ष

(जल संसाधन मंत्री)

2003 तक 3600 हैक्टेयर क्षेत्र को सेम मुक्त किया गया, शेष रही 2000 हैक्टेयर भूमि में 1645 हैक्टेयर भूमि सेम निवारण हेतु निर्मित मुख्य नाले के प्रभाव से स्वत: ही सेम मुक्त हो गई है। फलस्वरूप अब मात्र 355 हैक्टेयर भूमि सेमग्रस्त है, जो कि अधिकतर गड्ढों में है। सेम से मुक्त क्षेत्र का रखरखाव किया जा रहा है।

(2) उक्त परियोजना की कुल स्वीकृति 460.66 लाख रुपये की थी जिसमें केन्द्र सरकार की हिस्सा राशि 304.748 लाख रुपये एवं राज्य सरकार/लाभान्वितों की हिस्सा राशि 155.912 लाख रुपये थी, जिसके विरुद्ध केन्द्र सरकार से 232.984 लाख रूपये तथा राज्यांश/लाभान्वितों की राशि 100.07 लाख प्राप्त हुए। परियोजना पर कुल व्यय 305.46 लाख रुपये किया गया जिसमें से केन्द्र सरकार की 205.39 लाख रुपये, राज्य सरकार की 27.07 लाख रुपये लाभान्वितों की 73.00 लाख रुपये राशि व्यय की गई। इस परियोजना से लाभान्वित गांव खेतेवाली ढाणी, 99 आर.डी., चक 15-16 के.डब्ल्यू.डी, जीवन नगर मिलाकर कुल क्षेत्र के 54 चक हैं। परन्तु इस अवधि तक परियोजना पूर्ण नहीं हुई एवं वर्तमान में भी अपूर्ण है। परियोजना अपूर्ण रहने का मुख्य कारण लाभान्वितों द्वारा लेटेरल ड्रेन, सीवरेज ड्रेन के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध न करवाना, राज्य सरकार/लाभान्वितों की हिस्सा राशि 55.842 लाख तथा केन्द्र सरकार की हिस्सा राशि 71.764 लाख रुपये जारी न होना है।

(3) उक्त पायलेट परियोजना के अन्तर्गत 18 कि.मी. लम्बाई की मुख्य ड्रेन 9 कि.मी. लेटेरल ड्रेन व 10 कि.मी. में सीपेज ड्रेन का निर्माण किया जाकर इ.गां.मु. नहर की बुर्जी संख्या 96.300 पर पम्प हाउस स्थापित कर सेम युक्त पानी को इ.गां.मु. नहर में डाला जाकर रावतसर क्षेत्र में सेम निवारण किया जाना था। परियोजना की अन्तिम दिनांक 31.03.2003 तक 15 कि.मी. लम्बाई की मुख्य ड्रेन एवं इ.गां.मु. नहर की बुर्जी संख्या 96.300 पर पम्प हाउस स्थापित किया गया। लाभान्वितों द्वारा लेटेरल ड्रेन, सीपेज ड्रेन व शेष मुख्य ड्रेन के निर्माण हेतु नि:शुल्क भूमि उपलब्ध नहीं करवाये जाने एवं राज्य सरकार/लाभान्वितों द्वारा हिस्सा राशि 55.84 लाख तथा केन्द्र सरकार की हिस्सा राशि 71.76 लाख रुपये उपलब्ध नहीं करवाने के कारण परियोजना को अपूर्ण बन्द कर दिया गया। मुख्य ड्रेन के अन्तिम छोर पर यह सेम युक्त पानी इ.गां.मु. नहर की बुर्जी सं. 96.300 पर डाला जा रहा है।

(जल संसाधन मंत्री)

(4) उक्त सेमनाला निर्माण के बाद वर्ष 2008-09 में एक बार सरकारी हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर मशीन द्वारा सफाई की जा चुकी है। इस पर 37.62 लाख रुपये व्यय हुआ है। इसके रख-रखाव के लिए विभाग द्वारा कोई समिति नहीं बनाई गई है।

(5) इ.गां.मु. नहर की बुर्जी संख्या 96.600 पर स्थापित पम्प हाउस पर 25 एच.पी. (प्रत्येक की 2.5 क्यूसेक क्षमता) की दो विद्युत मोटरें चलाई जाती हैं तथा 154 आर.एच.पी. के चार डीजल संचालित इंजन सेट (प्रत्येक की क्षमता 15 क्यूसेक) लगे हुए हैं जिनमें से दो इंजन एक साथ चलाये जाते हैं। प्रत्येक डीजल इंजन पम्प की क्षमता 1529 कि.मी. प्रति घण्टा एवं प्रत्येक विद्युत मोटर पम्प की डिजाइन क्षमता 255 कि.मी. प्रतिघण्टा निकासी की क्षमता है।

(6) जी नहीं। उपलब्ध बजट के अनुसार समय-समय पर इंजन व मोटरें चलाई जाकर सेमग्रस्त पानी की निकासी की जाती है। सेमनाले के इर्द गिर्द की भूमि में पानी का स्तर नहीं बढ़ा है, न ही कोई फसल खराब हुई है। वर्तमान में मात्र 355 हैक्टेयर भूमि ही सेमग्रस्त है, जिसमें अधिकतर खड्डे है।

(7) वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा उक्त परियोजना की सफाई तथा रख-रखाव किया जा रहा है।

जयपुर शहर की चारदीवारी क्षेत्र की विद्युत लाइनें

313. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विगत पांच वर्षों में जयपुर शहर की चारदीवारी एवं अन्य कालोनियों में बिजली के तारों को भूमिगत किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्थानों से हटाये गये विद्युत पोल, विद्युत तार एवं उपभोक्ता के घरों तक की सर्विस लाइन के तारों को कहां-कहां रखा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विगत पांच वर्षों में जयपुर शहर की चारदीवारी एवं अन्य कालोनियों में बिजली की लाइनों को भूमिगत किया गया है। जिसका क्षेत्रवार विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) उपरोक्त स्थानों से हटाये गये विद्युत पोल, विद्युत तार एवं उपभोक्ता के घर की सर्विस लाइन के तारों को, उपखण्ड स्टोर तथा निगम के जयपुर शहर वृत स्टोर में जमा करवा दिया गया। उपखण्ड स्टोर में जमा सामान में से कुछ अनुपयोगी सामान जयपुर शहर के वृत स्टोर में जमा करवा दिया गया है तथा उपयोगी सामान उपखण्ड कार्यालयों द्वारा सुधार एवं अन्य कार्यों में ले लिया गया एवं शेष बचा कुछ सामान उपखण्ड स्टोर में पड़ा है। जहां रोड लाइट एवं रोड लाइट के तार विद्युत निगम के खम्भों पर लगे हुए हैं उन खम्भों को नहीं हटाया गया है। जयपुर शहर के वृत स्टोर में जमा कराये गये सामान का विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बसेड़ी के लम्बित विद्युत कनेक्शन

314. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में कितने बिजली के मीटर बंद, जले हुए तथा खराब स्थिति में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2009 से 2011 तक किन-किन कार्यालयों में कब-कब तथा कितने बिजली के नये मीटर उपलब्ध करवाये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में खराब अथवा बंद मीटरों को बदलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से घरेलू बिजली कनेक्शन के आवेदन पत्र लम्बित हैं? यदि हां, तो कितने व कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के घरेलू कनेक्शन के आवेदन कर्ताओं को नये कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में 780 मीटर सिंगल फेज के एवं 70 मीटर थ्री फेज के बंद, जले हुए तथा खराब हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के सहायक अभियन्ता कार्यालय, बसेड़ी

(ऊर्जा मंत्री)

को वर्ष 2009 में 487 मीटर, 2010 में 1,000 मीटर एवं 2011 में 500 मीटर कुल 1987 मीटर उपलब्ध करवाये गये।

(3) जी हां। मीटरों की उपलब्धता के आधार पर बंद, जले हुए तथा खराब मीटर बदले जाते हैं। आगामी छह माह में सभी मीटर बदले जाने का लक्ष्य है।

(4) जी हां। यह सही है कि उक्त क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2007 से 373 घरेलू बिजली कनेक्शन के आवेदन पत्र लम्बित हैं।

(5) जी हां। उक्त क्षेत्र के राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के घरेलू कनेक्शन के आवेदनकर्ताओं को विद्युत कनेक्शन देने हेतु मूलभूत ढांचा खड़ा करने के लिये मैसर्स ईश्वर मैटल्स को कार्यादेश दे दिया गया है। ईश्वर मैटल्स के कार्य करने के उपरांत घरेलू कनेक्शन जारी किये जा सकेंगे। शेष ग्रामों में घरेलू कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं।

राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम कार्यरत कार्मिकों से लेखाकार पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण

315. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा अपने पत्रांक RVPN/PO (FIX)/RECTT/D 2633 दिनांक 25 फरवरी, 2009 द्वारा विभाग में कार्यरत कार्मिकों से LDR कोटे से लेखाकारों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु वर्ष 2009 में आवेदन पत्र प्राप्त कर दिनांक 23 जुलाई, 2010 को आवेदित कार्मिकों के साक्षात्कार लिये गये थे? यदि हां, तो साक्षात्कार के क्या परिणाम रहे और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। आवेदित कार्मिकों के साक्षात्कार नहीं लिये गये थे अपितु उनको मूल दस्तावेजों के सत्यापन हेतु दिनांक 23.07.2010 को बुलाया गया था। तत्पश्चात् प्रबन्धन द्वारा संदर्भित भर्ती प्रकिया को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

पुराना घाट जयपुर के सहायक अभियन्ता कार्यालय में व्याप्त अनियमिताओं की जांच

316. श्रीमती गंगा देवी (बगरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर के सहायक अभियंता कार्यालय पुरानाघाट डी-4 कार्यालय में कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी कब से कार्यरत हैं एवं उक्त कार्यरत वर्तमान सहायक अभियंता कहां-कहां पर कब से कब तक कार्यरत रहे और इनके सेवा काल में इनके विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुईं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नये विद्युत कनेक्शन जारी करने एवं आम विद्युत उपभोक्ता की कोई भी विद्युत समस्या समाधान के बदले एजेन्टों/दलालों के मार्फत अनियमितता किये जाने की शिकायतें इस क्षेत्र की विभिन्न विकास समितियों एवं क्षेत्रीय विधायक से सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो शिकायती पत्रों की प्रति एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा जांच का बहाना बनाकर उक्त शिकायती पत्रों में नामजद अधिकारी/कर्मचारियों को उक्त कार्यालय से नहीं हटाया है और ना ही उक्त कार्यालय में बेखौफ घूमने वाले दलालों/एजेन्टों पर कोई पाबन्दी लगाई है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली रजिस्टर्ड विकास समितियों एवं क्षेत्रीय विधायक की ओर से शिकायती पत्रों में नामजद नियम विरुद्ध कार्य करने वाले, उपभोक्तावर्ग का शोषण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरानाघाट डी-4 कार्यालय जयपुर से हटाने एवं उक्त कार्यालय में संचालित एजेन्ट/दलाल प्रथा को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर के सहायक अभियन्ता कार्यालय, डी-चतुर्थ, पुराना घाट में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है। सहायक अभियन्ता कार्यालय डी-चतुर्थ में वर्तमान में सहायक अभियन्ता श्री रामस्वरूप लाल मीणा कार्यरत है। इन्होंने उक्त कार्यालय में दिनांक 12.04.2010 को कार्यभार ग्रहण किया था तथा तब

(ऊर्जा मंत्री)

से लगातार कार्यरत है। इससे पूर्व वे दिनांक 10.09.2009 से दिनांक 08.04.2010 तक सहायक अभियन्ता, जमवारामगढ़ के पद पर कार्यरत थे। श्री रामस्वरूप लाल मीणा के विरुद्ध सहायक अभियन्ता उपखण्ड डी-चतुर्थ में पदस्थापन के दौरान विधायक महोदया से विकास समितियों द्वारा की गई चार शिकायतें प्राप्त हुई। जिनकी छाया प्रतियां प्रपत्र 'ब-1 से ब-4 पर' पर उपलब्ध हैं।

(2) जी हां। सहायक अभियन्ता, डी-चतुर्थ कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा नये विद्युत कनेक्शन जारी करने एवं आम विद्युत उपभोक्ता की विद्युत समस्या समाधान के बदले एजेन्टों, दलालों के मार्फत रिश्वतखोरी किये जाने की इस क्षेत्र की विभिन्न विकास समितियों एवं क्षेत्रीय विधायक महोदया से विकास समितियों द्वारा की गई चार शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिनकी छाया प्रतियां प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध हैं। इन शिकायतों में से दो शिकायतों की जांच अधिशासी अभियन्ता (नगर खण्ड-पंचम्) एवं एक शिकायत की जांच अधिशासी अभियन्ता (नगर खण्ड-द्वितीय) जयपुर डिस्काम, जयपुर से करवाई गयी। इन तीनों शिकायतों की जांच में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया जिसमें कि एजेन्टों, दलालों के मार्फत रिश्वत ली गई है। जांच रिपोर्ट की छाया प्रतियां प्रपत्र 'स-1 से स-3 पर' उपलब्ध हैं। चौथी शिकायत दिनांक 12.03.2012 को प्राप्त हुई है जिसकी छाया प्रति प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है तथा इसकी जांच अभी जारी है।

(3) जी नहीं। विधायक महोदया से प्राप्त विकास समितियों द्वारा की गई शिकायतों की जांच का बहाना नहीं बनाया गया है, अपितु वास्तविक रूप में जांच करवाई गई। जांच कर श्री दीपक कुमार विजय (सी.सी.सी.) को उपभोक्ता कनेक्शन कार्य से हटाकर लेजर कार्य में लगा दिया गया है। चौथी शिकायत की संयुक्त विस्तृत जांच प्रगति पर है एवं उसकी भी जांच रिपोर्ट आने पर दोषी पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। पूर्व की जांच रिपोर्टों में एजेन्टों, दलालों की उपखण्ड कार्य में कोई दखलंदाजी/उपस्थिति नहीं पाई गई।

(4) पूर्व में क्षेत्रीय विधायक महोदया से प्राप्त विकास समितियों द्वारा की गई शिकायतों की जांच रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया जिसके आधार पर कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

(ऊर्जा मंत्री)

वर्तमान में दिनांक 12.03.2012 को प्राप्त शिकायत की संयुक्त विस्तृत जांच हेतु श्री अशोक कुमार माथुर, अधिशासी अभियन्ता (सतर्कता) एवं श्री तारा चन्द खींची, उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जयपुर डिस्काम, जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस जांच में अगर ऐसा कोई तथ्य किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध सामने आयेगा तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। पूर्व में प्राप्त तीन शिकायतों की जांच दूसरे खण्ड के अधिशासी अभियन्ताओं से करवाई गई जिसमें जांच के दौरान सहायक अभियन्ता डी-चतुर्थ कार्यालय में कोई भी एजेन्ट एवं दलालों की उपखण्ड कार्य में दखलंदाजी अथवा उपस्थिति नहीं पायी गयी।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

मालपुरा (टोंक) क्षेत्र की ढाणियों का विद्युतीकरण

317. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत गूंजा ढाणी, भीलों की ढाणी-केरवालिया आदि का विद्युतीकरण नहीं किया गया है? क्या सरकार इन ढाणियों को विद्युतीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जिला टौंक में गूंना ढाणी, भीलों की ढाणी जिनका मूल गांव केरवालिया (कोड संख्या 2599900 जनगणना 2001 अनुसार) है। उपरोक्त दोनों ढाणियों का वर्तमान में चल रही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में स्वीकृत नहीं होने के कारण विद्युतीकरण सम्भव नहीं हो पाया है।

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार 100 से अधिक आबादी वाली अविद्युतिकृत ढाणियों के विद्युतीकरण के लिये पूरक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाऐं बनाकर स्वीकृति के लिए भेजी हुई हैं, जिनमें टौंक जिले की योजना सम्मिलित है। इन योजनाओं में 100 से अधिक आबादी वाली अविद्युतिकृत ढाणियों को सम्मिलित करने के लिये राष्ट्रीय सर्वे 2003 को आधार माना गया है। मूल ग्राम केरवालिया (कोड संख्या 2599900 जनगणना 2001 अनुसार) की कोई ढाणी उपरोक्त आधारित सर्वे में सम्मिलित नहीं है, अतः उपरोक्तानुसार इस ग्राम की दोनों ढाणियों यथा गूंना ढाणी, भीलों की

(ऊर्जा मंत्री)

ढाणी को वर्तमान में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में विद्युतिकृत करना सम्भव नहीं है।

भीलवाड़ा शहर में खराब मीटरों की प्राप्त शिकायतें

318. श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भीलवाड़ा शहर में घरेलू कनेक्शन के बिजली मीटर खराब होने की जनवरी, 2010 से जनवरी, 2012 तक कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि कई घरेलू बिजली कनेक्शन के मीटर बार-बार खराब हो जाने की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि मीटर खराब होने की शिकायत प्राप्त होने के लंबे समय पश्चात् भी अभी तक नये मीटर नहीं लगाये गये हैं? यदि हां, तो ऐसे लम्बित प्रकरणों का कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि खराब मीटर की शिकायत मिलने के बावजूद नया मीटर नहीं लगने पर फ्लेट रेट के नाम पर मनमानी दर पर बिल की राशि वसूली जा रही है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत एवं खराब मीटर कब तक बदल दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा शहर में माह जनवरी, 2010 से माह जनवरी, 2012 तक मीटर खराब होने की 1605 शिकायतें प्राप्त हुई।

(2) जी हां। यह सही है कि कुछ घरेलू कनेक्शनों के मीटर बदलने के बाद भी पुन: खराब होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(3) मीटर खराब होने की शिकायत प्राप्त होने पर मीटर की उपलब्धता के अनुसार खराब मीटरों को बदला जा रहा है।

(4) जी नहीं। मीटर खराब होने की शिकायत प्राप्त होने पर मीटर की उपलब्धता के अनुसार खराब मीटरों को बदला जा रहा है। विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत आपूर्ति शर्तें एवं निबन्धन-2004 के क्लॉज संख्या 27(1), (i&ii) व 27(2) के तहत मीटर खराब हो जाने की स्थिति में औसत राशि लिये जाने के प्रावधान है तथा कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं से निगम आदेश संख्या

(ऊर्जा मंत्री)

जेपीआर 5-237 के तहत मीटर के खराब होने की स्थिति में फ्लेट दर से राशि वसूल की जाती है। आदेश की छायाप्रति प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' पर उपलब्ध है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

छतरगढ़ (बीकानेर) में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

319. डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के छतरगढ़ में 132 के वी जी.एस.एस. का निर्माण प्रस्तावित है? क्या सरकार तहसील मुख्यालय पर ग्रामीणों की विद्युत समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 132 के.वी. जी.एस.एस. का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के छतरगढ़ में 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन बनाने हेतु प्रस्ताव जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा दिनांक 21.03.2012 को तैयार किया गया है। प्रस्ताव का तकनीकी व आर्थिक परीक्षण किया जा रहा है। प्रस्ताव जांच में साध्य पाये जाने पर तथा संसाधनों के उपलब्धतानुसार इस पर आगे की कार्यवाही की जायेगी।

किशनगढ़ बास विधान सभा क्षेत्र में गौ-पालक बीमा योजनान्तर्गत बकाया छात्रवृत्ति प्रकरण

320. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में गत तीन वर्षों में गौ-पालक बीमा योजना के तहत कितने गौ-पालकों का बीमा किया गया? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि गौ-पालक बीमा योजना के तहत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने छात्रों को छात्रवृति का भुगतान किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में छात्रों को छात्रवृति का भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?क्या सरकार उक्त में दोषी

(श्री रामहेत सिंह)

अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में वर्ष 2008-09 में 118, वर्ष 2009-10 में 400 एवं वर्ष 2010-11 में 361 गौ-पालकों का बीमा किया गया। सूची परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(2) जी हां। गत तीन वर्षों में कुल 1117 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। सूची परिशिष्ट-1 पर ही उपलब्ध है।

(3) जी नहीं ।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जहाजपुर के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

321. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में 1 जनवरी, 2012 को सरकार द्वारा किस-किस स्तर के राजकीय पशु चिकित्सालय/पशु चिकित्सा केन्द्र/उपकेन्द्र संचालित किये जा रहे हैं एवं प्रत्येक केन्द्र के लिये कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं और इनमें से कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में 1 जनवरी, 2012 को 2 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, 12 पशु चिकित्सालय, 3 पशु औषधालय एवं 14 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र संचालित हैं। इनमें स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विवरण परिशिष्ट-क संलग्न है।

(2) जी हां । रिक्त पदों को उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर जिले की प्रस्तावित दुग्ध डेयरी

322. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री छोटू सिंह भाटी)

(1) जिला जैसलमेर के बड़ा बाग गांव में दुग्ध डेयरी भवन निर्माण कार्य कब से शुरु करवाकर पूर्ण करा दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर पशु बाहुल्य क्षेत्र है? क्या सरकार उक्त जिले के अन्य बड़े कस्बों में दुग्ध डेयरी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कौन-कौन से कस्बों में और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिविल कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।

पूर्ण डेयरी 31 दिसम्बर, 2012 तक चालू हो जायेगी ।

(2) जी हां।

जी नहीं।

वर्तमान में जैसलमेर जिले में निम्नानुसार दुग्ध संयंत्र कार्यरत हैं:-

1. पोकरण में 10 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का दुग्ध अवशीतन केन्द्र कार्यरत है।
2. जैसलमेर में 20 हजार लीटर प्रतिदन क्षमता का डेयरी संयंत्र का कार्य प्रगति पर है।
3. म्याजलार में 4 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का बल्क मिल्क कूलर कार्यरत है।
4. सुथार मंडी में 2 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का बल्क मिल्क कूलर कार्यरत है।

डेयरी व्यवसाय के प्रोत्साहन हेतु सहायता

323. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या राज्य में डेयरी व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा सहायता व अनुदान दिये जाने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित है? यदि हां, तो मानदण्डों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। मुख्य परियोजनाओं से संबंधित विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

परिशिष्ट-क

राज्य में डेयरी व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता व अनुदान दिये जाने हेतु निर्धारित मानदण्डों का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	मानदण्ड
1	2	3
1.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	यह राज्य योजना स्कीम है। राज्य के कृषि विभाग द्वारा संचालित। स्कीम के अधीन सहायता की पात्रता कृषि एवं संवर्गी क्षेत्रों पर राज्य सरकार द्वारा खर्च किये गये बेस लाइन प्रतिशतता व्यय के अलावा कृषि एवं संवर्गी क्षेत्रों हेतु राज्य योजना बजटों में मुहैया कराई गई राशि पर निर्भर। इसके अलावा आरसीडीएफ द्वारा दुग्ध संघ एवं दुग्ध सहकारी समिति के मूलभूत ढांचे, बी.एम.सी., टैस्टिंग उपकरण इत्यादि के लिए परियोजना प्रस्तुत कर सहायता प्राप्त करना उपरोक्त हेतु 100 प्रतिशत अनुदान दुग्ध संघ/सहकारी समिति के लिए
2.	देवनारायण योजना	राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित। गुर्जर समुदाय के पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र के 5 जिलों (13 तहसीलों) में लागू। 1-जिला सवाईमाधोपुर-सवाईमाधोपुर व खण्डार 2-जिला करौली-सपोटरा एवं नादौती। 3-जिला धौलपुर-सैपोहू व बाडी 4-जिला अलवर-अलवर, थानागाजी, बानसूर एवं राजगढ़ 5-जिला झालावाड़-अकलेरा, झालरापाटन व खानपुर। उपरोक्त जिलों में डेयरी गतिविधियों पर व्यय। महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के पुर्नगठन/गठन सहकारी दुग्ध समिति स्तर पर बी.एम.सी., टैस्टिंग व अन्य उपकरण इत्यादि के लिए शत प्रतिशत अनुदान।

1	2	3
3.	सघन डेयरी विकास योजना	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना। राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन व संबंधित जिला दुग्ध संघों द्वारा संचालित। पहाड़ी एवं पिछड़े क्षेत्रों में तथा उन जिलों में जहां आपरेशन फलड में डेयरी विकास हेतु 50 लाख रुपये से कम राशि प्राप्त हुई हो, में केन्द्र सरकार द्वारा शत प्रतिशत अनुदान देय है।
4.	सरस सुरक्षा कवच (दुर्घटना बीमा योजना) नवम चरण अवधि दिसम्बर, 2011 से जनवरी, 2013	राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन द्वारा संचालित। पात्रता दुग्ध समिति की सदस्यता। फैडरेशन द्वारा पंजीकृत सामान्य सदस्यों के बीमा प्रीमियम का 12.5 प्रतिशत वहन किया जायेगा। महिलाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए बीमा प्रीमियम राशि का 20 प्रतिशत है। प्रीमियम राशि का 12.5 प्रतिशत दुग्ध संघ, 30 प्रतिशत सक्षम दुग्ध समितियां एवं शेष 45 प्रतिशत दुग्ध उत्पादक सदस्य द्वारा वहन किया जावेगा।
5.	सरस सुरक्षा कवच (जनश्री बीमा योजना) अक्टूबर, 2011 से सितम्बर, 2012 तक	राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन द्वारा संचालित। दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति की सदस्यता। फैडरेशन द्वारा पंजीकृत सामान्य सदस्यों के बीमा प्रीमियम का 12.5 प्रतिशत वहन किया जायेगा। महिलाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए बीमा प्रीमियम राशि का 20 प्रतिशत है। प्रीमियम राशि का 12.5 प्रतिशत दुग्ध संघ, 30 प्रतिशत सक्षम दुग्ध समितियां एवं शेष 45 प्रतिशत दुग्ध उत्पादक सदस्य द्वारा वहन किया जावेगा।
6.	सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना षष्टम (अवधि 15-07-2011 से 14-07-2012)	राजस्थान को-आपरेट डेयरी फैडरेशन द्वारा संचालित। दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति की सदस्यता (3 माह से 65 वर्ष) दुग्ध उत्पादक को परिवार स्वयं (पति/पत्नि) एवं दो आश्रित बच्चों हेतु 1673 रुपये एवं एकल परिवार हेतु 1103 रुपये प्रति व्यक्ति की वार्षिक प्रीमियम की दर पर नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि. द्वारा बीमारियों के इलाज पर हुए खर्चे का पुनर्भरण/वहन। प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा आरसीडीएफ, 20 प्रतिशत दुग्ध संघ, 30 प्रतिशत सक्षम दुग्ध समिति एवं शेष राशि सदस्य दुग्ध उत्पादक द्वारा वहन।

अक्षय पात्र/नन्दी फाउण्डेशन द्वारा उपलब्ध भोजन की गुणवत्ता

324. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अक्षय पात्र और नन्दी फाउण्डेशन द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन में गत चार वर्षों में गुणवत्ता की शिकायतें बड़े स्तर पर अखबारों में प्रकाशित हुई हैं?

(2) उक्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप जैसे कितने संस्थान विद्यालयों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त संस्थानों द्वारा कितने बच्चों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य था तथा इससे कितने बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं? जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त संस्थानों को विगत चार वर्षों में कितनी-कितनी राशि तथा अनाज उपलब्ध करवाया गया ? माहवार, जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि अक्षय पात्र और नन्दी फाउण्डेशन द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन में गत चार वर्षों में गुणवत्ता की शिकायतें अखबारों में प्रकाशित हुई हैं।

(2) उक्त शिकायतों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) राज्य के 12 जिलों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे 20 संस्थान विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है ।

(4) संस्थाओं द्वारा वर्षवार लाभान्वित किये जाने वाले विद्यार्थियों का लक्ष्य तथा उसके विरुद्ध वास्तव में लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या का जिलेवार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(5) उक्त संस्थाओं को विगत चार वर्षों में जिलों द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि तथा उपलब्ध कराये गये अनाज का माहवार, जिलेवार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अलवर जिला स्थापना समिति के विचाराधीन प्रकरण

325. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायती राज कर्मचारी जिला अलवर के शिक्षक उस्मान खां के द्वारा कूटरचित तरीके से नौकरी प्राप्त करने की पुष्टि होने के उपरांत भी सरकार द्वारा उसे सेवा से पृथक नहीं कर निलम्बित किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण को तीन बार जिला स्थापना समिति, अलवर की बैठक में रखे जाने के पश्चात् भी कोई निर्णय नहीं लिया गया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या जिला स्थापना समिति, अलवर उक्त प्रकरण में कोई ठोस कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या शिक्षा विभाग के अलवर कार्यालय द्वारा उक्त कर्मचारी को सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत चार्जशीट प्रदान की गई है? यदि हां, तो कब ? चार्जशीट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या उक्त कर्मचारी द्वारा उक्त चार्जशीट का जवाब दे दिया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त कर्मचारी के विरुद्ध प्राथमिकी सूचना दर्ज करवाई जा चुकी है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पंचायती राज के नियंत्रणाधीन कर्मचारी शिक्षक श्री उस्मान खां की शिकायत में प्रारम्भिक जांच पश्चात यह पाया है कि उनके द्वारा कूटरचित तरीके से नौकरी प्राप्त की है। जिसके आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा अलवर के द्वारा इनको निलम्बित किया है तथा सीसीए नियम 16 अन्तर्गत जांच विचाराधीन है।

(2) जी हां। जिला स्थापना समिति अलवर में यह प्रकरण रखा गया था जिसके तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की मोनिटरिंग की जा रही है। अन्तिम निर्णय सीसीए नियम 16 के तहत जांच पूर्ण होने पर किया जावेगा। दिनांक 22.3.12 की बैठक में भी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा अलवर को सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत तुरन्त जांच की जाकर निर्णय/ अनुमोदन हेतु आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) जी हां। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक अलवर द्वारा सीसीए 16 की जांच कार्यवाही पूर्ण करने पर जिला स्थापना समिति की बैठक में निर्णय/अनुमोदन कर दिया जायेगा।

(4) जी हां। शिक्षा विभाग के अलवर कार्यालय द्वारा उक्त कर्मचारी की सीसीए 16 के अन्तर्गत चार्जशीट प्रदान की गई है। परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(5) उक्त कर्मचारी द्वारा अन्तिम मौका दिये जाने की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उक्त चार्जशीट का जवाब नहीं दिया गया है।

(6) जी हां। उक्त कर्मचारी के विरुद्ध प्राथमिकी सूचना दिनांक 21.3.12 को दर्ज करवाई जा चुकी है। प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

नागौर जिले की क्षतिग्रस्त सड़कें

326. श्री मानसिंह (परबतसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जिला नागौर की ग्रेवल/डब्ल्यूबीएम सड़कों का डामरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी व कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि नागौर जिले में कई सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी और सरकार द्वारा अब कब तक इनकी मरम्मत करा दी जाएगी?

उत्तर

(1) जिला नागौर की ग्रेवल स्तर तक निर्मित सड़कों का विवरण परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत है। डब्ल्यू.बी.एम. स्तर तक निर्मित कोई सड़क नहीं है। इन ग्रेवल सड़कों में से परिशिष्ट-1 के क्र.सं. 393 परबतसर से डेला की ढाणी सड़क को ग्रेवल से डामरीकृत करने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में राशि रुपये 34.78 लाख की 1.52 कि.मी. लम्बाई का कार्य स्वीकृत है। शेष सड़कों को डामरीकृत करने की स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगी।

(2) जी हां। नागौर जिले की क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। क्षतिग्रस्त सड़कों पर मरम्मत कार्य कराने हेतु विवरण परिशिष्ट-2 के कालम संख्या-12 में अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही जिले में नियम विरुद्ध प्रतिनियुक्त शिक्षक

327. **श्री पानाचन्द** (बारां अटरू) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला परिषद् सिरोही द्वारा किन शिक्षकों की उपस्थिति प्रमाणित कर कब से वेतन भुगतान संबंधित विद्यालयों से करवाया जा रहा है? वर्ष 2010 से फरवरी, 2012 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिक्षक जिन विद्यालयों में कार्यरत हैं उन विद्यालयों की छात्र संख्या एवं शिक्षक संख्या का विवरण मय शिक्षक के नाम सदन की मेज पर रखें ।

(3) सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर रोक होने के उपरान्त भी उक्त शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं एवं उक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?

(4) क्या ऐसे कार्मिकों के कारण मूल पदस्थापित विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे आदेश के आधार पर गैर शैक्षणिक कार्यालयों में शिक्षकों से कार्य करवाने वाले कार्यालयध्यक्ष जिला परिषद् के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला परिषद सिरोही में कार्मिकों के कई पद रिक्त होने के कारण निम्नानुसार दो शिक्षकों को लगाया गया था।

1. श्री नरेश कुमार अध्यापक राप्रावि डोडुआ को दिनांक 21.4.11 तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती 2012 हेतु स्थापित सेल में लगाया गया है जिन्हें उपस्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर वेतन भुगतान किया गया है।
2. श्री उदय सिंह अध्यापक राप्रावि गुआरियावास गोल को दिनांक 4.1.12 से शिक्षा संबंधी सूचना संकलन कार्य हेतु प्रत्येक सप्ताह में दो दिवस लगाया है जिनके वेतन भुगतान हेतु पृथक से उपस्थिति प्रमाण पत्र जारी नही किया गया है।

उक्त दोनों ही शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति जिला परिषद के आदेश क्रमांक 1825-30 दिनांक 22.3.12 के द्वारा निरस्त की जा चुकी है प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(पंचायती राज मंत्री)

(2) 1. श्री नरेश कुमार अध्यापक राप्रावि डोडुआ में कार्यरत है जहां छात्र संख्या 179 है तथा कुल 04 शिक्षक (श्री नरेश कुमार, श्री प्रताप सिंह, ओम कुवंर, श्रीमती प्रीति सिंघल) कार्यरत हैं। तथा श्रीमती वीणा डाबी (प्रतिनियुक्त) कार्यरत है

2. श्री उदय सिंह अध्यापक राप्रावि गुआरियावास गोल में कार्यरत है जहां छात्र संख्या 71 है तथा कुल 03 शिक्षक (श्री उदय सिंह, श्रीमती मधु कंवर, श्रीमती रूप राठौर) कार्यरत है।

(3) उक्त अध्यापकों की सेवायें शिक्षक भर्ती कार्य एवं शिक्षण सम्बन्धी सूचनाओं के संकलन कार्य हेतु अधिग्रहित की गई थी। उक्त प्रतिनियुक्तियां निरस्त की जा चुकी हैं।

(4) उक्त अध्यापकों को जिला परिषद में शिक्षक भर्ती सम्बन्धी कार्य में लगाने से सम्बन्धित विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुसार शिक्षण व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उक्त अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति जिला परिषद के पत्रांक 1825-30 दिनांक 22.3.12 द्वारा निरस्त की जा चुकी है। भविष्य में विभागीय निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिये निर्देशित कर दिया गया है।

परिशिष्ट-1

कार्यालय जिला परिषद, सिरोही

क्रमांक :—जिपसि/संस्थापन/2012/1825-1830		दिनांक :-22.3.2012

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक जिपसि/संस्थापन/2011/549 दिनांक 19.4.2011 एवं आदेश क्रमांक जिपसि/सामान्य/2011/631 दिनांक 22.12.2011 के अनुसार स्थानीय कार्यालय में शिक्षक भर्ती कार्य एवं शिक्षा संबंधी सूचनाएं संकलन हेतु लगाये गये निम्नांकित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से उनके पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति देने हेतु आदेशित किया जाता है :—

1. श्री नरेश कुमार अध्यापक, रा.प्रा.वि. डोडुआ।
2. श्री उदय सिंह अध्यापक, रा.प्रा.वि. गुआरियावास गोल।

ह0/-
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, सिरोही

कठूमर के ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा

328. श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 2011 में विधान सभा क्षेत्र कठूमर के कुछ ग्रामों में ओलावृष्टि हुई थी? यदि हां, तो ग्रामवार ओलावृष्टि से हुये नुकसान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त किसानों को नुकसान का मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना प्रतिशत व कब तक?

उत्तर

(1) तहसील कठूमर में ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) फसल खराबा 50 प्रतिशत से कम होने के कारण राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से सहायता देय नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ के कृषकों को मुआवजा

329. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वर्तमान में शीतलहर के कारण फसलें नष्ट हो गयी हैं? क्या सरकार खराब हुई फसलों का सर्वे करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में खराब हुई फसलों का सर्वे करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में खराब हुई फसलों का किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा रबी फसल सम्वत 2068 की गिरदावरी करवा ली गई है।

(2) उक्त बिन्दु 1 के अनुरूप।

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री)

(3) पाला एवं शीतलहर से फसलों के खराबे पर राहत देने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.03.2012 को राहत पैकेज जारी किया गया है जिसके तहत पात्र किसानों को सहायता प्रदान की जावेगी। उक्त पैकेज की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग

पत्रांक एफ 1(2)आप्र एवं सहा/पाला/2010/3986-4042   जयपुर, दिनांक :-25.3.2012

समस्त जिला कलक्टर,

राजस्थान।

विषय :—शीतलहर एवं पाला से प्रभावित कृषकों के लिए सहायता पैकेज।

राज्य में रबी फसल, संवत 2068 (सन् 2012) में शीतलहर एवं पाले से हुई क्षति से प्रभावित कृषकों को राहत पहुंचाने हेतु राज्य सरकार ने निम्नानुसार सहायता पैकेज घोषित किया है :—

(अ) रबी गिरदावरी के आधार पर जिन काश्तकारों की बोई गई फसलों का 50 प्रतिशत एवं इससे से अधिक नुकसान हुआ है उनमें सीमांत काश्तकारों को अधिकतम एक हैक्टेयर तक तथा लघु काश्तकारों को अधिकतम दो हैक्टेयर तक एवं सीमांत एवं लघु से अन्य 5 हैक्टेयर की जोत सीमा तक के वृहत काश्तकारों को भारत सरकार द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2012 को जारी एनडीआरएफ/एसडीआरएफ मापदंड अनुसार कृषि आदान अनुदान भूमि धारिता के अनुपातिक तौर पर देय होगा जिसका विवरण निम्नानुसार हैं :—

असिंचित फसल पर-3000/- रुपये प्रति हैक्टेयर

सिंचित फसल पर-डीजल इंजन से सिंचित 8000/- रुपये प्रति हैक्टेयर

बिजली के कुओं व नहर से सिंचित-6000/- रुपये प्रति हैक्टयर

(ब) बोई गई फसल में 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक खराबा वाले लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए 4 माह का बिजली का बिल माफ किया जायेगा।

(स) जिन गांवों में 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक का नुकसान है उन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जाकर भू-राजस्व स्थगित किया जायेगा तथा

उपरोक्तानुसार प्रभावित काश्तकारों के अल्पकालीन सहकारी ऋणों को, काश्तकारों द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर उसे मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किया जा सकेगा।

(द) 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक खराबा वाले प्रभावित काश्तकारों का सिंचाई विभाग द्वारा लिया जाने वाला आबियाना शुल्क माफ किया जायेगा।

(य) किसी काश्तकार द्वारा अपने स्वतंत्र रूप से नोशनल शेयर के आधार पर या स्वतंत्र रूप से धारित भूमि का कुल रकबा यदि सीमान्त एवं लघु कृषकों के लिए धारित रकबा के अनुसार हो, तो उसे लघु, सीमांत कृषक के अनुसार कृषि आदान-अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

(र) राहत पैकेज में घोषित सहायता उन कृषकों को भी दी जायेगी जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है पर जिन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बांटेदारी से फसल की है। ऐसे किसान बोई गई भूमि के खातेदार से 5/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार की समस्या के निर्णय हेतु संबंधित तहसीलदार व पटवारी तथा ग्राम सेवक की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति इस प्रकार के बिन्दुओं पर निर्णय लेकर निर्धारण करेगी कि राहत किसे दी जानी है। इसके लिए कृषक को अपने खातेदार की लिखित सहमति इस समिति को देनी होगी।

(ल) जिला कलक्टर द्वारा कृषि आदान-अनुदान से संबंधित सहायता राशि जिलों में स्थित सहकारिता विभाग के सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के माध्यम से प्रभावित काश्तकारों के बैंक खातों में तथा जिन काश्तकारों का खाता नहीं हो उनका खाता खुलवाकर उसी में हस्तान्तरित की जायेगी।

सभी जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशानुसार कृषकों को नियमानुसार राहत प्रदान करें एवं इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

गढ़ी (बांसवाड़ा) विधान सभा क्षेत्र में चाप नदी पर पुल निर्माण

330. श्रीमती कान्ता गरासिया (गढ़ी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गढ़ी(बांसवाड़ा) में सरेडी छोटी से खेड़ा गांव के बीच चाप नदी पर पुल बनाने की स्वीकृति जारी की गई थी? यदि हां, तो उक्त कार्य अभी तक नहीं होने के क्या कारण हैं?

(श्रीमती कान्ता गरासिया)

(2) क्या यह भी सही है कि पुल का शिलान्यास भी किया गया था? यदि हां, तो उसकी वर्तमान में क्या प्रगति है?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र गढ़ी (बांसवाड़ा) में सरेड़ी छोटी से खेडागांव के बीच चाप नदी पर पुल बनाने की प्रशासनिक स्वीकृति शासन के आदेश क्रमांक एफ.2/11/61/टीएडी/275/1/लेखा/2009-10 जयपुर दिनांक 18.12.2009 स्वीकृति संख्या 51/09-10 द्वारा राशि रुपये 380.00 लाख की जारी की गई। इस कार्य की वित्तीय स्वीकृति शासन के पत्र दिनांक 26.5.2010 द्वारा राशि रुपये 60.00 लाख एवं दिनांक 11.2.2011 द्वारा राशि रुपये 25.00 लाख की जारी की गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि माह अक्टूबर 2010 में कार्य प्रारम्भ किया जाना था तब नदी की पूरी लम्बाई 120 मीटर में पानी बह रहा था। जिसकी गहराई 3 मीटर के आसपास थी। माह मई-जून 2011 में पुन: कार्य प्रारम्भ करने का प्रयास किया गया, तब नदी में लगभग 1 मीटर पानी बह रहा था। कार्य स्थल कडाणा बांध गुजरात का भराव क्षेत्र होने से पानी कभी नहीं सूखता है। इसलिये इस कार्य को साधारण नींव खुदाई सार्वजनिक निर्माण विभाग बी.एस.आर. में उपलब्ध आइटमों से सम्भव नहीं हो सका। अत: शासन के आदेश क्रमांक एफ1/7/2/टीएडी/लेखा/05-06 जयपुर दिनांक 27.6.2011 द्वारा उक्त कार्य को निरस्त कर दिया गया।

(2) जी हां। उक्त पुल का शिलान्यास किया गया। वर्तमान में कार्य निरस्त है। उपरोक्त कार्य का संशोधित तकमीना राशि रुपये 590.00 लाख का अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड गढ़ी के पंत्राक 808 दिनांक 28.12.2011 से प्राप्त हुआ परन्तु शासन के पत्रांक एफ.1/7/2/टीएडी/लेखा/05-06 जयपुर दिनांक 27.6.2011 द्वारा इस कार्य की स्वीकृत राशि से अन्य कार्य की विभिन्न स्वीकृति जारी कर दी गई। अत: वर्तमान में इस कार्य हेतु राशि की उपलब्धता नहीं होने से संशोधित प्रस्ताव शासन को नहीं भिजवाये गये हैं।

बांसवाड़ा जिले में जनजाति उप योजना क्षेत्र में विद्युतीकरण हेतु सहायता

331. श्री सुरेन्द्र कुमार (सागवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री सुरेन्द्र कुमार)

(1) क्या यह सही है कि जनजाति उपयोजना में जनजाति बस्ती विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जनजाति वर्ग के लोगों को घरेलू कनेक्शन देने हेतु सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जाता है?

(2) क्या यह भी सही है कि गत तीन वर्षों से जनजाति बस्ती विद्युतीकरण योजना के तहत डूंगरपुर जिले के लिये कोई भी वित्तीय प्रावधान नहीं रखा गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला डूंगरपुर के सभी विधान सभा क्षेत्रों से जनजाति बस्ती विद्युतीकरण के तहत कई प्रस्ताव लम्बित हैं? क्या सरकार वित्तीय वर्ष अथवा अगले वित्तीय वर्ष में ऐसे जनजाति वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक कितनी राशि और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जनजाति विभाग द्वारा जनजाति बस्ती विद्युतीकरण योजना के तहत 15-20 जनजाति परिवारों की बस्ती होने पर इन्हें विद्युत सम्बन्ध का लाभ प्रदान करने के निमित मुख्य ग्राम से जनजाति बस्ती तक विद्युत तन्त्र स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(2) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2009-10 में जिला डूंगरपुर में राशि रू. 71.13 लाख रूपये जनजाति बस्ती विद्युतीकरण योजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये ।

(3) जिला डूंगरपुर के जनजाति बस्ती विद्युतीकरण योजना के तहत इस कार्यालय को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं लेकिन इस वर्ष राशि उपलब्ध नहीं होने से उस पर कोई विचार नहीं किया जा सका अगले वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट के आधार पर योजना मे लाभान्वित किया जायेगा।

सलूम्बर में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत स्वीकृत सड़कें

332. **श्रीमती बसन्ती देवी मीणा** (सलूम्बर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कौन-कौनसी एवं कितनी-कितनी लागत की सड़कें स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती बसन्ती देवी मीणा)

(2) उक्त सड़कों के कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिये जावेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जनजाति क्षेत्र में वर्तमान में कितनी जनसंख्या तक की सड़कें स्वीकृत की जा रही हैं?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत फेज दशम में 18 सड़कें स्वीकृत हुई हैं। सूची मय लागत परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) सूची में अंकित कुल 18 सड़कों में से 4 सड़कों (क्रम संख्या 10 से 13 तक) के कार्यादेश जारी नहीं किये गये हैं। शेष 14 सड़कों के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। ये कार्य माह मार्च, 2012 में प्रारम्भ किये जा रहे हैं।

(3) वर्तमान में जनजातीय क्षेत्र में 500 से अधिक की जनसंख्या वाली एकल ढाणी, मजरे एवं कलस्टर को सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत फेज दशम में स्वीकृत हुई सड़कों का विवरण

क्र. सं.	विधानसभा क्षेत्र	सड़का का नाम	जनसंख्या	लम्बाई	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1.	सलूम्बर	ए/आर गांवडापाल से जेलावत फला	952	2.00	68.15
2.	सलूम्बर	सराडीपानी कोटडा रोड से एकलव्य नगर	800	1.00	29.22
3.	सलूम्बर	डगार से लाम्बी डूंगरी जेतिया फला	693	3.00	92.34
4.	सलूम्बर	एमनिया पाडला लाम्बी डूंगरी-बी	670	3.00	97.55
5.	सलूम्बर	एमनिया पाडला खराडी भांगल	645	2.00	56.11

1	2	3	4	5	6
6.	सलूम्बर	देवपुरा से खाटडी फला	1500	3.98	109.70
7.	सलूम्बर	नठारा चौराहा से करमा तालाब	600	2.00	54.96
8.	सलूम्बर	नठारा बडा चौराहा से भण्डास	600	2.00	84.01
9.	सलूम्बर	केवडा बाबरमाल से मोरियाफला	558	3.00	80.45
10.	सलूम्बर	मह्रुवाडा सर्सिया रोड कतिला	636	3.20	109.45
11.	सलूम्बर	रिषभदेव बलुआ सराडा जयमसन्द रोड किमी 24 से सोनारिया माताजी मंदिर	548	1.78	48.74
12.	सलूम्बर	एन.एच. 08 से कनकपुरा	530	2.60	113.62
13.	सलूम्बर	पलोदडा कल्याणपुर सड़क से बदलाई	502	2.00	54.37
14.	सलूम्बर	सराडा बलुआ रोड किमी 1 से रनातफला बस स्टेण्ड	900	2.15	62.47
15.	सलूम्बर	एस.एच.-32 नालफला	805	1.10	33.52
16.	सलूम्बर	बस्सी सल्लाडा रोड कडी मंगरी	648	2.83	90.48
17.	सलूम्बर	कन्तोडा खेतावतों का बारा	500	4.60	139.18
18.	सलूम्बर	स्मारी रठोडा रोड भागल फला	520	3.00	101.28

राजकीय नवीन वाहनों का बीमा

333. श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : क्या मोटर गैराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में कितने राजकीय वाहनों को कंडम घोषित किया गया और कितने वाहन खरीदे गये? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त खरीदे गए वाहनों का आबंटन किस आधार पर और किन विभागों को किया गया?

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नए खरीदे वाहनों का बीमा नहीं करवाया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक उक्त वाहनों का बीमा करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सही है कि नए वाहन खरीदने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कितने तथा वाहनों की खरीद कब तक कर ली जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) स्टेट मोटर गैराज एवं विभिन्न विभागों द्वारा गत तीन वर्षों में कण्डम घोषित किये गये वाहनों एवं नये खरीद किये गये वाहनों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) खरीदे गये वाहनों का आबंटन माननीय मंत्रीगणों/बोर्ड/आयोगों के माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ उच्च अधिकारियों/ जिला पूलो तथा विभिन्न विभागों को स्वीकृत स्ट्रेन्थ के आधार पर किया गया है।

(3) जी हां। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-I के नियम 326 (3) के अनुसार सरकार के स्वामित्व वाली मोटर गाड़ियां मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत बीमा कराने से मुक्त है ।

(4) जी हां। नये वाहन क्रय करने के प्रस्तावों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। वाहन क्रय किये जाने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

परिशिष्ट 'अ'

गत तीन वर्षों में स्टेट मोटर गैराज, जिला पूलो एवं विभिन्न विभागों द्वारा कण्डम घोषित किये गये वाहनों, क्रय किये गये, वाहनों एवं वाहन क्रय के विचाराधीन प्रस्तावों का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	कण्डम घोषित वाहनों की संख्या	क्रय किये गये वाहनों की संख्या	वाहन क्रय के विचाराधीन प्रस्ताव
1.	राजस्थान स्टेट मोटर गैराज/पूल	277	502	28
2.	अन्य विभाग	3632	3183	121
	योग :—	**3909**	**3685**	**149**

दुर्घटनाग्रस्त राजकीय वाहनों की बीमा कम्पनी से प्राप्त राशि

334. **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या मोटर गैराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) 1 दिसम्बर, 2008 से फरवरी, 2012 तक मोटर गैराज विभाग द्वारा कौन-कौन से वाहन कितनी-कितनी राशि में खरीदे गये? वाहनवार/वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खरीदे गये वाहनों पर प्रत्येक में कितनी-कितनी राशि प्रदूषण प्रमाण पत्र, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं बीमा पर व्यय हुई? वाहनवार/वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त वाहनों में से कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ? यदि हां, तो कहां तथा दुर्घटना के समय कौन-कौन यात्रा कर रहे थे और कहां प्राथमिकी दर्ज हुई व बीमा कम्पनी से कितना क्लेम मिला? वाहनवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) दिसम्बर, 2008 से फरवरी, 2012 तक मोटर गैराज द्वारा क्रय किये गये वाहनों का वाहनवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त खरीदे गये वाहनों पर प्रत्येक में प्रदूषण प्रमाण-पत्र, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन शुल्क, बीमा पर व्यय हुई राशि का वाहनवार वर्षवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों से संबंधित वाहनवार विवरण परिशिष्ठ "स" पर संलग्न है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धौलपुर जिले में प्रस्तावित राजकीय महाविद्यालय

335. **श्री रविन्द्र सिंह बोहरा** (राजाखेड़ा) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) एक दिसम्बर, 2008 के बाद राज्य में विधान सभा क्षेत्रवार कहां-कहां नये कालेज खोले या बन्द किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला धौलपुर के कस्बा राजाखेड़ा, बाडी एवं बसेड़ी में कालेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

(3) क्या सरकार जिला मुख्यालय धौलपुर पर महिला कालेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) 1 दिसम्बर, 2008 के बाद राज्य के विधान सभा क्षेत्रवार खोले गये तथा बंद किये गये महाविद्यालयों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जिला धौलपुर के कस्बे राजाखेड़ा, बाडी एवं बसेड़ी में निम्नानुसार निजी क्षेत्र में महाविद्यालय संचालित है :-

1-श्री बांके बिहारी महाविद्यालय, राजाखेड़ा

2-ब्रजेश अकादमी गर्ल्स कालेज, बाडी

3-राजकुमार कालेज, बाडी

4-आर.एन.टी. कालेज मैनेजमेंट, बाडी

5-सी.एल. महाविद्यालय, बसेड़ी

6-जे.एल.एन. महाविद्यालय, बसेड़ी

7-श्री सांईराम कृष्ण महाविद्यालय, बसेड़ी

राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए वर्तमान में धौलपुर के कस्बे राजाखेड़ा, बाडी व बसेड़ी में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने प्रस्तावित नहीं है।

(3) जिला मुख्यालय धौलपुर में जन सहभागिता से महारानी महिला महाविद्यालय, धौलपुर संचालित है। अतएव राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए जिला मुख्यालय धौलपुर में राजकीय महिला महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डेगाना में प्रस्तावित महाविद्यालय

336. **श्री अजय सिंह** (डेगाना) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में राजकीय एवं निजी महाविद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड एवं प्रक्रिया निर्धारित है?

(2) क्या सरकार उपखण्ड मुख्यालय डेगाना में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय एवं निजी महाविद्यालय खोलने के मानदण्ड एवं प्रक्रिया परिशिष्ट "अ" तथा "ब" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उपखण्ड मुख्यालय डेगाना में निजी क्षेत्र में 2 महाविद्यालय-मारवाड़ महाविद्यालय, डेगाना तथा शारदा महिला महाविद्यालय, डेगाना पहले से ही संचालित है।

सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए उपखण्ड मुख्यालय डेगाना में वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

धौलपुर के स्नातकोत्तरीय महाविद्यालय में पेयजल व्यवस्था

337. **श्री अब्दुल सगीर खां** (धौलपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार पी.जी कालेज धौलपुर में पीने के पानी की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार, कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

राजकीय महाविद्यालय, धौलपुर में पहले से ही जलदाय विभाग द्वारा पेयजल आपूर्ति की जाती है। गर्मी के मौसम में पानी आपूर्ति में कमी आने पर महाविद्यालय द्वारा टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की जाती है।

बामनवास में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

338. **श्री नवलकिशोर** (बामनवास) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार को विधान सभा क्षेत्र बामनवास में राजकीय महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो कब?

(3) क्या सरकार बामनवास में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत मानदण्ड परिशिष्ट "अ" के अनुसार संलग्न किये जाकर सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(उच्च शिक्षा राज्य मंत्री)

(2) जी हां। बामनवास में राजकीय महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव माननीय विधायक महोदय, बामनवास से दिनांक 23.09.2011 एवं 22.12.2011 को विभाग में प्राप्त हुये।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए बामनवास में वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

परिशिष्ट-अ

महाविद्यालय आरम्भ करने के वर्तमान मानदण्ड

प्रदेश में नये महाविद्यालय आरम्भ करने के वर्तमान में निम्नलिखित मानदण्ड लागू किये जा रहे हैं :-

1. महाविद्यालय के लिए आवश्यक भवन आदि उपलब्ध हो।

2. प्रस्तावित स्थान के 20 किलोमीटर की परिधि में कम से कम 4 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल संचालित हो।

3. प्रस्तावित स्थान के 30 किलोमीटर की परिधि में कोई अन्य महाविद्यालय संचालित न हो।

4. प्रस्तावित स्थान अन्य सभी दृष्टियों से महाविद्यालय आरम्भ करने के लिए उपयुक्त हो।

उपरोक्त मानदण्डों के अतिरिक्त नया महाविद्यालय आरम्भ करते समय कतिपय अन्य बातों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे :- निजी महाविद्यालय आरम्भ करने पर संचालकों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशंषित वेतनमानों को लागू करना, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमानों के अन्तर्गत ही कर्मचारियों को वेतन भुगतान करना, सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता की सभी शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करना, महाविद्यालय में छात्रोपयोगी गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को लागू करना, यथा :- खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक सेवा, एन.सी.सी. आदि-आदि।

महाविद्यालय खोलने की नीति :-

1. नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित मानदण्ड हैं। इन मानदण्डों में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं दी जाती है। निम्न परिस्थितियों में शिथिलता दी जा सकती है :-

   (अ) भौगोलिक कारण

(ब) महिला महाविद्यालय

(स) रोजगारोन्मुखी विषय

2. राज्य सरकार अपने संसाधनों को देखते हुए क्षेत्रीय दृष्टि को ध्यान में रखते हुए नवीन महाविद्यालय के निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाले स्थानों पर वार्षिक योजना में राजकीय क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करती है। इस नीति के अन्तर्गत कभी महाविद्यालय का भवन प्रस्तावित स्थान में जनसहयोग से ही निर्मित कराया जाता है।

3. यदि कोई दानदाता, स्वयंसेवी संस्था अथवा ट्रस्ट महाविद्यालय खोलना चाहे तो उसे महाविद्यालय का भवन बनाने तथा 3 वर्षो/महिला महाविद्यालय है तो 1 वर्ष का आवर्ती एवं अनावर्ती राजस्व व्यय राजकीय कोष में जमा कराने पर राजकीय क्षेत्र में महाविद्यालय प्रारम्भ करने पर विचार किया जा सकता है।

   महाविद्यालय के भवन का निर्माण निदेशालय, कालेज शिक्षा, जयपुर द्वारा निर्धारित नक्शे के आधार पर कराया जायेगा।

4. प्रस्तावित महाविद्यालय में कम से कम 250 छात्र होना आवश्यक हैं जिससे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आर्थिक सहयोग प्राप्त किया जा सके।

वर्तमान नीति :-

1. राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर एक महाविद्यालय होना आवश्यक है।

2. प्रत्येक जिले में एक पृथक महिला महाविद्यालय होना चाहिये।

3. नये महाविद्यालय के लिये भवन निर्माण करने एवं एक वर्ष का आवर्ती/अनावर्ती व्यय दानदाता/स्वयंसेवी संस्था राजकीय कोष में जमा कराना चाहे वहां महिला महाविद्यालय खोलने को विभागीय आंकलन कर प्राथमिकता दी जावे।

निजी क्षेत्र में महाविद्यालय प्रारम्भ करना :-

1. निजी क्षेत्र में गैर सरकारी महाविद्यालय आरम्भ करने के लिए सम्बन्धित दानदाता, स्वयंसेवी संस्था अथवा ट्रस्ट द्वारा महाविद्यालय आरम्भ करने का निर्धारित आवेदन पत्र निदेशालय को प्रस्तुत करता है।

2. निदेशालय द्वारा प्रस्तावित स्थान का निरीक्षण कराया जाता है यदि महाविद्यालय प्रारम्भ करने के सभी मानदण्ड पूरे करता है तो इसकी अनुशंषा राज्य सरकार को की जाती है।

3. राज्य सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित स्थान पर महाविद्यालय प्रारम्भ करने के संबंध में निर्णय देती है।

4. निजी महाविद्यालय प्रारम्भ करने का अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार जारी करती है।

एस.एस. जैन सुबोध शिक्षा समिति जयपुर द्वारा की जा रही अनियमितताएं

339. **श्री पेमाराम** (धोद) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या एस.एस जैन सुबोध शिक्षा समिति द्वारा संचालित एम.सी.ए., बी.सी.ए., एम.एस.सी. आई.टी., पी.जी.डी.सी.ए. आदि पाठ्यक्रम को सरकार से जारी No Objection Certificate (एन.ओ.सी.) एवं राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एस.एस. जैन सुबोध शिक्षा समिति द्वारा संचालित उक्त पाठ्यक्रम के गत आठ वर्षों के बैंक खातों के विवरण एवं उपरोक्त संस्थाओं तथा एस.एस. जैन सुबोध पी.जी. कालेज, रामबाग सर्किल, जयपुर के बैंक खाते एवं अन्तिम खातों के विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पाठ्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त है इसलिये कालेज द्वारा ही संचालित किये जाने चाहिये थे, लेकिन प्रबन्धक, प्राचार्य ने राजस्थान विश्वविद्यालय एवं निदेशालय कालेज शिक्षा प्रशासन से मिलीभगत करके कागजों में अलग संस्था बनाकर एस.एस. जैन सुबोध पी.जी. कालेज, रामबाग सर्किल, जयपुर में उपरोक्त संस्थाओं का व्यय दिखाया है एवं इनकी आय पृथक-पृथक रूप से इनके बैंक खाते खोलकर इनके खातों में हस्तान्तरित कर सरकारी अनुदान का गबन करने के परिणामस्वरूप गत आठ वर्षों में सरकार को अनुदान की हानि हुई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त दोषी पक्षकारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है? यदि हां, तो उसकी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो अब सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। अनापत्ति प्रमाण पत्र परिशिष्ट "अ" पर तथा विश्वविद्यालय की सम्बद्धता परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) संस्था द्वारा स्ववित्तपोषी पाठयक्रमों एम.सी.ए., बी.सी.ए., एम.एस.सी.आई.टी., पी.जी.डी.सी.ए. का खाता ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स खोला हुआ है, जिनका खाता संख्या 06722011000247 है। एस.एस. जैन

(उच्च शिक्षा राज्य मंत्री)

सुबोध पी.जी. महाविद्यालय रामबाग सर्किल की छात्र कोष खाता संख्या 06722011000216 है। इसी कालेज का सामान्य कोष का खाता संख्या 0672201000223 है। उक्त खातों का बैंक स्टेटमेंट परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। बी.सी.ए., एम.एस.सी. (आई.टी.) तथा पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हैं। एम.सी.ए. कोर्स राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त है। उक्त पाठ्यक्रम पर राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान राशि जारी नहीं की जाती है। संस्था द्वारा ही उक्त पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित योजना के तहत चलाये जा रहे हैं राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि जारी नहीं किये जाने के कारण राज्य सरकार को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने के कारण अनुदान गबन का कोई मामला नहीं बनता है।

(4) उक्त पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित योजना के तहत चलाये गये हैं। इन पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि जारी नहीं किये जाने के कारण राज्य सरकार को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने के कारण अनुदान गबन का कोई मुकदमा नहीं बनता है। अतः राज्य सरकार के स्तर से किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

बिलाड़ा में सरकारी महाविद्यालय की स्थापना

340. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में कोई भी सरकारी सह शिक्षा महाविद्यालय नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में सरकारी महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने नये राजकीय महाविद्यालय खोलने के लिए सरकारी नीति बना रखी है? यदि हां, तो क्या? नीति एवं नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में कौन-कौन से महाविद्यालय कहां-कहां संचालित किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में निजी क्षेत्र के 5 महाविद्यालय संचालित है।

(उच्च शिक्षा राज्य मंत्री)

राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए बिलाड़ा में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

(2) राजकीय महाविद्यालय खोलने के मानदण्ड परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में निजी क्षेत्र के निम्न महाविद्यालय संचालित किये जा रहे हैं :—

1. कन्या महाविद्यालय, बिलाड़ा
2. पद्मश्री विजयदान देथा महिला महाविद्यालय, बोरून्दा तह. बिलाड़ा
3. ग्रामोदय महाविद्यालय, बिलाड़ा
4. श्री आई.जी. मारवाड महाविद्यालय, बिलाड़ा
5. राज कालेज, विजंवाड़िया रोड, शिव टेन्ट हाउस के पास, बिलाड़ा।

परिशिष्ट-'अ'

महाविद्यालय आरम्भ करने के वर्तमान मानदण्ड

प्रदेश में नये महाविद्यालय आरम्भ करने के वर्तमान में निम्नलिखित मानदण्ड लागू किये जा रहे हैं :—

1— महाविद्यालय के लिए आवश्यक भवन आदि उपलब्ध हो।

2— प्रस्तावित स्थान के 20 किलोमीटर की परिधि में कम से कम 4 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल संचालित हो।

3— प्रस्तावित स्थान के 30 किलोमीटर की परिधि में कोई अन्य महाविद्यालय संचालित न हो।

4— प्रस्तावित स्थान अन्य सभी दृष्टियों से महाविद्यालय आरम्भ करने के लिए उपयुक्त हो।

उपरोक्त मानदण्डों के अतिरिक्त नया महाविद्यालय आरम्भ करते समय कतिपय अन्य बातों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे :— निजी महाविद्यालय आरम्भ करने पर संचालकों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशंषित वेतनमानों को लागू करना, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमानों के अन्तर्गत ही कर्मचारियों को वेतन भुगतान करना, सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता की सभी शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करना, महाविद्यालय में छात्रोपयोगी गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को लागू करना, यथा :— खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक सेवा, एन.सी.सी. आदि-आदि।

महाविद्यालय खोलने की नीति :—

1. नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित मानदण्ड हैं। इन मानदण्डों में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं दी जाती है। निम्न परिस्थितियों में शिथिलता दी जा सकती है :—

   (अ) भौगोलिक कारण

   (ब) महिला महाविद्यालय

   (स) रोजगारोन्मुखी विषय

2. राज्य सरकार अपने संसाधनों को देखते हुए क्षेत्रीय दृष्टि को ध्यान में रखते हुए नवीन महाविद्यालय के निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाले स्थानों पर वार्षिक योजना में राजकीय क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करती है। इस नीति के अन्तर्गत कभी महाविद्यालय का भवन प्रस्तावित स्थान में जनसहयोग से ही निर्मित कराया जाता है।

3. यदि कोई दानदाता, स्वयंसेवी संस्था अथवा ट्रस्ट महाविद्यालय खोलना चाहे तो उसे महाविद्यालय का भवन बनाने तथा 3 वर्षो/महिला महाविद्यालय है तो 1 वर्ष का आवर्ती एवं अनावर्ती राजस्व व्यय राजकीय कोष में जमा कराने पर राजकीय क्षेत्र में महाविद्यालय प्रारम्भ करने पर विचार किया जा सकता है।

   महाविद्यालय के भवन का निर्माण निदेशालय, कालेज शिक्षा, जयपुर द्वारा निर्धारित नक्शे के आधार पर कराया जायेगा।

4. प्रस्तावित महाविद्यालय में कम से कम 250 छात्र होना आवश्यक है जिससे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आर्थिक सहयोग प्राप्त किया जा सके।

वर्तमान नीति :—

1. राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर एक महाविद्यालय होना आवश्यक है।
2. प्रत्येक जिले में एक पृथक महिला महाविद्यालय होना चाहिये।
3. नये महाविद्यालय के लिए भवन निर्माण करने एवं एक वर्ष का आवर्ती/अनावर्ती व्यय दानदाता/स्वयंसेवी संस्था राजकीय कोष में जमा कराना चाहे वहां महिला महाविद्यालय खोलने को विभागीय आंकलन कर प्राथमिकता दी जावे।

निजी क्षेत्र में महाविद्यालय प्रारम्भ करना :—

1. निजी क्षेत्र में गैर सरकारी महाविद्यालय आरम्भ करने के लिए सम्बन्धित दानदाता, स्वयंसेवी संस्था अथवा ट्रस्ट द्वारा महाविद्यालय आरम्भ करने का निर्धारित आवेदन पत्र निदेशालय को प्रस्तुत करता है।
2. निदेशालय द्वारा प्रस्तावित स्थान का निरीक्षण कराया जाता है यदि महाविद्यालय प्रारम्भ करने के सभी मानदण्ड पूरे करता है तो इसकी अनुशंषा राज्य सरकार को की जाती है।

3. राज्य सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित स्थान पर महाविद्यालय प्रारम्भ करने के संबंध में निर्णय देती है।

4. निजी महाविद्यालय प्रारम्भ करने का अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार जारी करती है।

अलवर जिले में खादी ग्रामोद्योग उद्यमियों को वितरित ऋण

341. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर को अप्रैल, 2009 से फरवरी, 2012 तक खादी ग्रामोद्योग की किन-किन योजनाओं में कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई है? मदवार इन योजनाओं में अलवर जिले के कितने और किस-किस व्यक्ति/समूह को लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) 1 अप्रैल, 2010 से फरवरी, 2012 तक अलवर जिले के कितने बेरोजगारों को कौन-कौनसी योजनान्तर्गत कितनी-कितनी राशि का ऋण वितरण किया गया है? उक्त ऋण की वसूली के क्या नियम है? 1 जनवरी, 2010 से फरवरी, 2012 तक कितनी ऋण राशि किस-किस से वसूली हो पायी है और बकाया वसूली के लिए क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के आयोजना मद में खादी ए न्यू इनिशियेटिव योजनान्तर्गत वर्ष 2011 में सहयोगी संस्था के रूप में रचनात्मक खादी ग्रामोद्योग विकास समिति, अलवर को लाभान्वित किया गया है। जिसके अन्तर्गत संस्था को अनुदान राशि रु. 7.42 लाख उपलब्ध करायी गयी है। खादी ग्रामोद्योग आयोग की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत अलवर जिले को खादी बोर्ड द्वारा अप्रैल, 2009 से आबंटित बजट निम्नानुसार है :—

<u>खादी बोर्ड</u>

वर्ष	इकाई संख्या	मार्जिन मनी लाख रु. में
2009-10	38	36.55
2010-11	31	43.68
2011-12	21	30.56

योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत व अनुसार विभिन्न बैंकों द्वारा अपने नियमों व प्रक्रिया अन्तर्गत आवेदकों को परियोजना स्वीकृति पश्चात् ऋण उपलब्ध कराया जाकर मार्जिन मनी राशि का भुगतान नोडल बैंक शाखाओं द्वारा लाभार्थी को

(खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री)

किया जाता है। किसी विशेष समूह को लाभान्वित नहीं किया गया है। वर्षवार लाभान्वित कामगारों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

जिला उद्योग केन्द्र :- जिला उद्योग केन्द्र द्वारा ग्रामोद्योग से सम्बन्धित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा अप्रैल, 2009 से आबंटित बजट निम्नानुसार है :—

वर्ष	इकाई संख्या	मार्जिन मनी लाख रु. में
2009-10	64	80.82
2010-11	54	75.60
2011-12	45	63.02

योजनान्तर्गत वर्षवार लाभान्वितों की जानकारी परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

खादी आयोग :— जिला अलवर में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी कमीशन के अन्तर्गत जिले में कार्यरत खादी संस्था, अलवर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ अलवर को खादी उत्पादकता प्रतिस्पर्द्धता वृद्धि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में 34.45 लाख स्वीकृति की गयी, इसके विरुद्ध संस्था को रु. 17.225 लाख दिये जा चुके हैं। शेष राशि प्रधान कार्यालय मुम्बई से मंगवाकर दी जा रही है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग की वर्कशैड योजना के अन्तर्गत 23 कारीगरों को रु. 25 हजार प्रति कारीगर को वर्कशैड बनाने के लिए संस्था के माध्यम से राशि दी गयी है। लाभार्थियों की सूची परिशिष्ट-3 संलग्न है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 35 व्यक्तियों को बैंकों से ऋण दिलाते हुए लाभान्वित किया गया है। लाभार्थियों की सूची परिशिष्ट-4 पर पृष्ठ 1 से 5 संलग्न है।

(2) खादी बोर्ड द्वारा बेरोजगारों को ऋण उपलब्ध कराने की योजना संचालित नहीं है। 1 अप्रैल, 2010 से अब तक अलवर जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में लाभान्वितों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। ऋण खादी बोर्ड द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऋण उपलब्ध कराने का कार्य बैंकों का है तथा वसूली पर बैंक के ही नियम लागू होते हैं।

जिला उद्योग केन्द्र :—प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। लाभान्वितों की सूची परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री)

ऋण की वसूली बैंकों के द्वारा बैंकों के स्तर पर उन्हें दिये गये निर्देशों के अनुसार की जाती है।

खादी आयोग :—अप्रैल 2010 से फरवरी 2012 तक 26 लोगों की इकाई स्थापित करते हुए उन इकाइयों में 404 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। इकाई स्थापित करने वाले उद्यमियों की सूची परिशिष्ट-4 पृष्ठ 3 से 5 पर संलग्न है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बेरोजगारों को ऋण वितरण नहीं किया जाता है। बैंकों के माध्यम से उद्यमियों को ऋण दिलाया जाता है। उद्यमी से ऋण की वसूली भी बैंक द्वारा ही की जाती है।

(सूचियां व विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कुशलगढ़ क्षेत्र में मत्स्य बीज पालन योजना में प्राप्त आवेदन

342. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सही है कि जिला बांसवाड़ा के महाप्रबंधक राजस संघ उदयपुर द्वारा राजस्थान पत्रिका में दिनांक 29 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित सूचना के आधार पर मत्स्य बीज पालन योजना के प्रस्ताव परियोजना अधिकारी समेकित मत्स्य विकास योजना राजस संघ बांसवाड़ा के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये थे? क्या उसमें कुशलगढ़ क्षेत्र के कृषकों ने भी आवेदन किया था? यदि हां, तो उक्त आवेदनकर्ताओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदनों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि रमण लाल डामोर निवासी मस्का महुडी ने भी आवेदन प्रस्तुत किया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पत्रिका दिनांक 29.4.2011 में सूचना प्रकाशित कर मत्स्य बीज पालन योजना हेतु इच्छुक जनजाति व्यक्तियों के प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे। कुशलगढ़ क्षेत्र के दो जनजाति व्यक्तियों द्वारा आवेदन किया गया।

1. श्री रमणलाल डामोर पिता श्री गजहीम डामोर
2. श्रीमती तेजा पत्नि श्री रमणलाल डामोर

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(2) आवेदन कर्ताओं की जमीन का मत्स्य बीज पालन हेतु उपयुक्तता ज्ञात करने के लिए सहायक मत्स्य विकास अधिकारी, बांसवाड़ा एवं सहायक मत्स्य विकास अधिकारी, डूंगरपुर की सदस्यता वाली कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि श्री रमणलाल डामोर एवं उनकी पत्नि श्रीमती तेजा डामोर के पास मत्स्य बीज पालन के लिए 0.5 हैक्टर जल क्षेत्र से बड़ा तालाब है तथा लाभान्वितों द्वारा मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है, जिससे पर्याप्त पानी उपलब्ध है एवं साथ में कुआं भी है। उक्त दो अधिकारियों की कमेटी द्वारा उक्त जमीन को बीज पालन हेतु उपयुक्त पाया गया।

तदउपरान्त श्री रमणलाल डामोर को इस कार्यालय के मत्स्य विपणन अधिकारी, सहायक अभियंता, सहायक मत्स्य विकास अधिकारी, उदयपुर व मत्स्य बीज पालन योजना के अन्य 3 लाभान्वितों के साथ भरूच अंकलेश्वर (गुजरात) क्षेत्र के मत्स्य बीज पालकों के फार्म का फिल्ड विजीट कराया गया।

यात्रा की वापसी में लाभान्वितों के साथ चारों लाभान्वितों के फार्म साइट की मत्स्य विपणन अधिकारी, सहायक अभियंता एवं सहायक मत्स्य विकास अधिकारी, उदयपुर द्वारा साइट प्लान तैयार करने हेतु निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में यह पाया कि श्री रमणलाल डामोर की चयनित साइट दोनों तरफ पहाड़ से घिरी होने के कारण प्रस्तावित फार्म का पानी अधिक बहने की संभावना प्रबल है। अन्य साइट अधिक ढलान पर तालाब के किनारे होने के कारण मत्स्य बीज पालन हेतु अनुपयुक्त पाई गई। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित साइट पर स्थित एनिकट भी बीज पालन के लिए उपयुक्त नहीं है। अत: स्थान का चयन निरस्त किया गया।

(3) जी हां। यह सही है कि रमणलाल डामोर निवासी मस्का महुडी ने भी आवेदन प्रस्तुत किया था।

श्री रमणलाल डामोर की चयनित साइट दोनों तरफ पहाड़ से घिरी होने के कारण प्रस्तावित फार्म का पानी अधिक बहने की संभावना प्रबल है। अन्य साइट अधिक ढलान पर तालाब के किनारे होने के कारण मत्स्य बीज पालन हेतु अनुपयुक्त पाई गई। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित साइट पर स्थित एनिकट भी बीज पालन के लिए उपयुक्त नहीं है। अत: स्थान का चयन निरस्त किया गया।

महिला रेजिडेन्ट चिकित्सकों को प्रसूति अवकाश

343. श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डोली) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री प्रभुलाल सैनी)

(1) क्या प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध अस्पतालों में कार्यरत महिला पी.जी. रेजिडेन्ट चिकित्सकों को उनकी प्रशिक्षण अवधि में प्रसूति अवकाश स्टाईपेण्ड सहित स्वीकृत किया जाता है? यदि हां, तो कितने माह का अवकाश स्वीकृत किया जाता है और क्या इनके पृथक से नियम बने हुये हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कोटा स्थित महाराव भीमसिंह राजकीय चिकित्सालय में पी.जी. कर रही महिला रेजिडेन्ट चिकित्सकों को प्रसूति अवकाश संबंधी पृथक से नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में समस्त मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध अस्पतालों में अध्ययनरत महिला पी.जी. रेजिडेन्ट चिकित्सकों को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के अध्यादेश संख्या 0.278-E IV (V) में 180 दिवस के स्वीकृत प्रसूति अवकाश अवधि को नियमित किये जाने का प्रावधान है परन्तु स्टाईपेण्ड दिये जाने का उल्लेख नहीं है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

निम्नांकित मेडिकल कालेजों के द्वारा गैर सेवारत महिला पी.जी. रेजीडेंट चिकित्सकों को प्रसूति अवकाश अवधि का स्टाईपेण्ड का भुगतान किया जा रहा है :—

1. सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज, जयपुर।
2. जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर।
3. राजकीय दन्त कालेज, जयपुर।

निम्नांकित मेडिकल कालेजों के द्वारा गैर सेवारत महिला पी.जी. रेजीडेंट चिकित्सकों को प्रसूति अवकाश अवधि का स्टाईपेण्ड का भुगतान नहीं किया जा रहा था—

1. राजकीय मेडिकल कालेज, कोटा।
2. डा. एस. एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर।
3. एस पी मेडिकल कालेज, बीकानेर।
4. आर एन टी मेडिकल कालेज, उदयपुर।

गैर सेवारत महिला पी.जी. रेजीडेंट चिकित्सकों को भी प्रसूति अवकाश अवधि का स्टाईपेण्ड का भुगतान किये जाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(2) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर जिले में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर स्थापित सोलर प्लांट

344. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या ग्रामीण विकास (नरेगा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायतों में स्वीकृत हुये व कितनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं कितने अपूर्ण हैं तथा कितने अभी शुरू नहीं हुये? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला सीकर में भारत निर्माण राजीव गांधी केन्द्रों पर सोलर ऊर्जा के प्लांट स्थापित करने का टेण्डर किस कम्पनी को तथा किस दर पर दिया गया? उसकी एम ओ यू की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में कितने भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर सोलर प्लांट कब-कब स्थापित किये गये तथा शेष पर उक्त प्लांट कब तक स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं तथा इनके रख रखाव की क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में बनाये जाने हैं। स्वीकृत, पूर्ण, अपूर्ण एवं शुरू नहीं हुए सेवा केन्द्रों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर सोलर संयंत्रों की स्थापना व 5 वर्ष के रख-रखाव सहित कार्य राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इस्ट्रूमेन्टस लिमिटेड (रील) को दिया गया है। इन सोलर संयंत्रों के स्थापित करने (5 वर्ष के रख-रखाव सहित) की दर पंचायत समिति स्तर के लिए राशि रु. 606180 तथा ग्राम पंचायत स्तर के लिए राशि रु. 313193 है।

एम.ओ.यू. की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) सीकर जिले में स्थापित किये जा चुके सोलर संयंत्रों का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। शेष रहे सोलर संयंत्रों की स्थापना हेतु रील से सम्पर्क कर शीघ्र लगाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। सोलर संयंत्रों का रख-रखाव सम्बन्धित फर्म राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्सट्रूमेन्टस लिमिटेड (रील) द्वारा 5 वर्ष तक किया जायेगा।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही जिले में व्यक्तिगत लाभ योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

345. श्रीमती गंगा बेन गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती गंगा बेन गरासिया)

(1) जिला सिरोही में मनरेगा में व्यक्तिगत लाभ योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने किसानों को वर्ष 2006-07 में 2011-12 में लाभान्वित किया गया है? वर्षवार पंचायतवार लाभान्वितों की सूची मय प्रत्येक कार्य की स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन-कौनसा कार्य पूर्ण है? वर्षवार, पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में व्यक्तिगत लाभ योजना के कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं पूर्णता प्रमाण पत्र कब जारी किये गये? कार्यवार एवं वर्षवार, पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिरोही जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जन जाति के किसानों के लाभान्वितों की सूची मय स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि के परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) संलग्न उक्त सूची परिशिष्ट-1 में अधूरे कार्यों का विवरण भी दर्शाया गया है।

(3) उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि संबंधित कार्य के आगे परिशिष्ट-1 में वर्णित है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

मांगलियावास गांव (अजमेर) के सार्वजनिक रास्ते पर नियम विरुद्ध नाड़ी निर्माण कार्य

346. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारण्टी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या गांवों के राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक ट्रेस (आंकलन) होने पर उस रास्ते पर महानरेगा का कोई कार्य करवाने के लिये समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है तथा राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों से भी कोई परामर्श किया जाता है?

(2) क्या गांव मांगलियावास जिला अजमेर में छापरों की नाड़ी निर्माण की स्वीकृति से पूर्व राजस्व विभाग के किसी व्यक्ति से परामर्श किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों व हां, तो किस अधिकारी/कर्मचारी से?

(3) क्या यह सही है कि नाड़ी का निर्माण गांव वालों से एवं राजस्व कर्मचारी

(श्री बंशीधर खण्डेला)

से परामर्श किये बिना सार्वजनिक गांव के रास्ते पर बनाई गयी है तथा उक्त कार्य में सरकार का लगभग 20 लाख रुपये का अपव्यय हुआ?

(4) क्या उक्त नाड़ी निर्माण से गांव वालों को कुओं, खेतों, चरागाह व ट्रैक्टर से सामान लाने में तथा भारत सरकार से गूगल फार्म पर जाने आने में वैकल्पिक मार्ग नहीं होने से असुविधा हो रही है तथा पानी की आवक रुक जाने से पशुओं के लिये पुराने एनिकट का पानी भी रुक गया है?

(5) क्या उक्त मामले की जनता द्वारा शिकायत करने पर जिला कलक्टर अजमेर से जांच करवाई गई थी? क्या उक्त जांच में तहसीलदार और उपखण्ड अधिकारी पीसांगन की रिपोर्ट में शिकायत को सही माना गया है? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या महानरेगा में रास्ते पर पाल का निर्माण करवाने का दायित्व निर्धारित कर जिला कलक्टर ने दिनांक 19 जुलाई, 2010 को सम्बन्धित सरपंच एवं विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश की है? यदि हां, तो उक्त आदेश की पालना में क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या उक्त तिथि को पाल को 50 प्रतिशत समतल कर रास्ते को वापिस चालू करवाने के लिये जिला कलक्टर ने आदेश प्रदान किये थे? क्या जिला कलक्टर के आदेश की पालना अभी तक भी नहीं हो पाई है? क्या उक्त संबंध में तहसीलदार/विकास अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

(8) क्या सरकार उक्त के संबंध में जिला कलक्टर के आदेश की पालना करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(9) क्या सरकार उक्त प्रकरण में संबंधित दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) महानरेगा योजनान्तर्गत कार्य करवाने के लिए समिति द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है, अपितु ग्राम सभा द्वारा योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यों को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु निर्णय लिया जाता है। ग्राम सभा में राजस्व विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पटवारी उपस्थित रहते हैं।

(2) ग्राम सभा दिनांक 1 अप्रैल, 2008 एवं 2 अक्टूबर, 2008 में इस कार्य का प्रस्ताव लिया गया तथा इन दोनों ग्राम सभाओं में राजस्व विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पटवारी उपस्थित थे।

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारण्टी योजना) मंत्री)

(3) जी नहीं। ग्राम सभा दिनांक 1 अप्रैल, 2008 एवं 2 अक्टूबर, 2008 में दो बार इस कार्य को कराये जाने का प्रस्ताव लिया गया। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत मांगलियावास की वार्षिक कार्य योजना 2009-10 में इस कार्य को सम्मिलित किया गया तथा पंचायत समिति पीसांगन एवं जिला परिषद् अजमेर की साधारण सभा में अनुमोदन के पश्चात् जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृति क्रमांक 7 दिनांक 31 मार्च, 2009 द्वारा कार्य को स्वीकृत किया गया। नाड़ी का निर्माण ग्राम पंचायत की सिवायचक भूमि पर कराया गया। इस नाड़ी पर दिनांक 1 अप्रैल, 2009 से 30 सितम्बर, 2009 तक कुल 11 पखवाड़े कार्य चला। जिस पर राशि रुपये 12.62 लाख व्यय किया गया। कार्य के दौरान किसी भी ग्रामवासी या किसी भी अन्य द्वारा ग्राम सभा अथवा ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में इस संदर्भ में किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं कराई गयी। इस कार्य का ग्राम सभा द्वारा दिनांक 19.08.2011 को सामाजिक अंकेक्षण भी किया गया। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान भी किसी भी ग्रामवासी द्वारा कार्य के स्थान आदि के संबंध में भी किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं की गई तथा नाड़ी निर्माण से नजदीकी किसानों को फायदा हुआ उनके कुओं में पानी का स्तर बढा, पशुओं को पीने के लिए पानी मिला।

(4) जी नहीं। उक्त नाड़ी निर्माण से गांव वालों को कुओं, खेतों, चरागाह व ट्रैक्टर से सामान लाने में, भारत सरकार के गूगल फार्म पर आने जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा अथवा व्यवधान नहीं हो रहा है, क्योंकि 25 फीट चौड़ा वैकल्पिक मार्ग इस हेतु उपलब्ध है। नाड़ी में वेस्टवियर/चादर का निर्माण किया गया है जिससे नाड़ी भरने पर अतिरिक्त पानी नीचे के एनिकट में जाता है साथ ही नीचे का पुराना एनिकट में पृथक आवक भी उपलब्ध है जिसका पानी सीधा एनिकट में जाता है।

(5) जी हां। इस मामले में जिलाधीश अजमेर द्वारा जांच तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा कराई गई, जिसमें यह पाया कि ग्रामवासियों की खातेदारी के खेतों में सिवाय चक भूमि में से पूर्व में उपयोग में आ रहा आने-जाने का रास्ता एवं वन विभाग के जंगल में जाने के लिए उपयोग में लिया जा रहा रास्ता अवरूद्ध हो गया है। जांच में यह भी माना गया कि राजस्व रिकार्ड में यह रास्ता दर्ज नहीं है। ग्रामवासियों की शिकायत भी सही प्रतीत होना मानी गई। इस रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुये जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 19.07.2010 को उप खण्ड अधिकारी पीसांगन को निर्देश प्रदान किये कि जिस अधिकारी/कर्मचारी की गलती से रास्ते पर पाल का निर्माण कराया गया है उनका दायित्व निर्धारण करावें एवं संबंधित सरपंच/विकास अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करावें। साथ ही उप खण्ड अधिकारी के प्रस्ताव

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारण्टी योजना) मंत्री)

अनुसार कच्ची पाल को 50 फीट लम्बाई में हटाई जाकर समतल कराने की विधिवत कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(6) जी हां। यह सही है कि जिला कलक्टर ने अपने पत्र दिनांक 19.07.2010 से महानरेगा में जिस अधिकारी/कर्मचारी की गलती से रास्ते पर पाल का निर्माण करवाया गया उनका दायित्व निर्धारित करने एवं संबंधित सरपंच/विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करने हेतु लिखा गया था। उक्त पत्र के संबंध में सरपंच मांगलियावास द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.2010 को दिया गया, जिस पर अतिरिक्त कलक्टर द्वितीय अजमेर द्वारा उप खण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी एवं अन्य कार्मिकों की उपस्थिति में दिनांक 11.09.2010 को संयुक्त मौका निरीक्षण किया गया। उप खण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा 50 फीट लम्बाई में पाल हटाने की कार्यवाही राज एवं जनहित में नहीं की गई है। चूंकि राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है, मौके पर 25 फीट चौड़ा वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है एवं नाड़ी निर्माण पर सरकारी खर्च ग्राम सभा के प्रस्ताव के अनुरूप नियमानुसार वित्तीय स्वीकृति जारी कर किया गया था, अत: सरपंच व विकास अधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है।

(7) जी नहीं। इस पत्र में पाल को 50 प्रतिशत समतल करने के निर्देश नहीं दिये जाकर कच्ची पाल को 50 फीट हटवायी जाकर नाड़ी समतल करायी जाने संबंधी सुझाव को स्वीकार कर निर्देश प्रदान किये गये थे, परन्तु नाड़ी में वर्षा का पानी भरा हुआ रहने के कारण जो कि मवेशियों के पीने के काम आ रहा था, नाड़ी को नहीं तोड़ा गया क्योंकि यदि नाड़ी तोड़ दी जाती है तो मवेशियों के पानी पीने की समस्या के साथ -साथ जनाक्रोश का सामना भी करना पड़ता। साथ ही वर्णित नाडी निर्माण में नरेगा योजनान्तर्गत हुआ व्यय व्यर्थ हो जायेगा। चूंकि मवेशियों एवं ग्रामीणों को आने-जाने हेतु पाल के दोनों तरफ सिवायचक भूमि में से रास्ता है जो चालू है। अत: ग्रामीणों को आवागमन में कोई कठिनाई नहीं है।

(8) जी नहीं। चूंकि नाड़ी निर्माण सिवायचक भूमि पर किया गया है एवं राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज भी नहीं है तथा आवागमन हेतु पास में ही वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। साथ ही वर्णित नाड़ी में वर्षा का पानी एकत्र हो रहा है, जो कि मवेशियों के पीने के काम में आता है।

(9) जी नहीं। नाड़ी निर्माण सिवाय चक भूमि पर किया गया है एवं राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। कार्य ग्राम सभा की अनुशंषा पर नियमानुसार किया गया है। अत: कोई कार्यवाही किया जाना विचारणीय नहीं है।

स्थगित-प्रश्न

दिनांक 02 मार्च, 2012

छावनी परिषद नसीराबाद से प्राप्त राशि

86. श्री महेन्द्र सिंह (नसीराबाद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि छावनी क्षेत्र नसीराबाद में सरकार की भूमि व भवन सम्पत्ति केन्टोनमेन्ट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स, 1937 की धारा 6 (2) के तहत स्थित है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त भूमि एवं भवन के रख-रखाव के लिए क्या कार्यवाही अमल में लाई जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि छावनी परिषद नसीराबाद का कार्यालय एवं अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद् का आवास उसी सम्पत्ति में स्थित है? यदि हां, तो उनके द्वारा कितना किराया, किस अवधि से भुगतान किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। छावनी क्षेत्र नसीराबाद में सरकार की भूमि व भवन सम्पत्ति केन्टोनमेन्ट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 1937 की धारा 6(2) (परिशिष्ट-1) के तहत रक्षा सम्पदा अधिकारी, जोधपुर से प्राप्त सूची जो कि मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद, नसीराबाद द्वारा उपलब्ध कराई गई है, उसके अनुसार परिशिष्ट-2 में दर्शाई गई सम्पत्तियां राज्य सरकार के नाम बताई गई हैं। उक्त परिसम्पत्तियों में से सार्वजनिक निर्माण विभाग डाक बंगला, रामसर सड़क व नसीराबाद स्थित पुराना भीलवाड़ा सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा संधारित की जा रही है। जिनमें से पुरानी भीलवाड़ा सड़क (2.70 कि.मी.) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 27.09.2011 को सेना प्रशासन (कर्नल एस. एस. स्टेशन हैड क्वार्टर नसीराबाद) को उप सचिव (सड़क) सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर के आदेश संख्या सीई (एस.एस.)/ सीएमएलसी/डी-278 दिनांक 05.09.2011 (परिशिष्ट-3) के द्वारा हस्तान्तरित की जा चुकी है। राज्य सरकार के नाम दर्ज शेष सम्पत्तियां (परिशिष्ट-2) पूर्ण रूप से चिन्हित होकर इनके रख-रखाव की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अत: इनको चिन्हित करने के लिए जिला कलक्टर, अजमेर के पत्रांक 3446-48 दिनांक 16.03.2012 द्वारा रक्षा सम्पदा अधिकारी, वृत-जोधपुर को निवेदन किया गया है (परिशिष्ट-4)। रक्षा सम्पदा अधिकारी, वृत-जोधपुर द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित तकनीकी स्टाफ

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

विशेष अभियान में पोकरण स्थित रेंज में सर्वे कार्य में व्यस्त है। स्टाफ के वहां से लौटने के उपरान्त ही नसीराबाद स्थित सम्पत्तियों का चिन्हीकरण करवाया जा सकेगा।

(2) जी नहीं। मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद, नसीराबाद के पत्र क्रमांक छा.प.न./विधान सभा प्र./2012/687 दिनांक 14.03.2012 (परिशिष्ट-5) द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार अधिशासी अधिकारी का कार्यालय व आवास भवन सी.पी.डब्ल्यू.डी., अजमेर की सम्पत्ति है। जिसके किराये का भुगतान वर्ष 1987 तक राशि रुपये 380/- प्रतिमाह के हिसाब से सी.पी.डब्ल्यू.डी., अजमेर को करना बताया गया है। उक्त पत्र के अनुसार वर्ष 1987 के बाद कोई बिल मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद्, नसीराबाद को प्राप्त नहीं होना बताया गया है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

स्थगित-प्रश्न

दिनांक 02 मार्च, 2012

जयपुर महाराजा द्वारा पं. श्री मुरली मनोहर शर्मा को तालकटोरा क्षेत्र में आबंटित भूमि का बेचान

85. श्री भगवानसहाय सैनी (चौमूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर महाराजा द्वारा विक्रम संवत् 1917 में पं. श्री मुरलीधर शर्मा को ब्रह्मपुरी तालकटोरा में भूमि आबंटित की गई थी? यदि हां, तो किस-किस खसरा नम्बर की? क्या इन खसरा नम्बरों को समय-समय पर बदला गया है? यदि हां, तो कब-कब व नये खसरा नम्बर क्या रहे? मय पट्टे की प्रति के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आबंटित भूमि में पं. श्री मुरलीधर शर्मा द्वारा विक्रम संवत् 1917 में ही निर्माण कार्य कराकर निजी शिव पंचायत मन्दिर की स्थापना कराई थी एवं उक्त भूमि पर कुएं एवं कमरे का निर्माण भी करवाया था? यदि हां, तो मय नक्शे के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि पं. मुरलीधर शर्मा के पड़पौत्र श्री देवीनारायण पुत्र श्री दुर्गाबक्श शर्मा के पक्ष में दिनांक 30 अगस्त, 1948 को मुख्य पट्टा अधिकारी,

(श्री भगवानसहाय सैनी)

जयपुर द्वारा उक्त भूमि का पट्टा जारी किया गया था? यदि हां, तो मय खसरा नम्बर के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि में मन्दिर, कुआं, कमरे के निर्माण के पश्चात् शेष बची भूमि में से कुछ भूमि "दी राजहंस को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि." गणगौरी बाजार, जयपुर को दिनांक 25 जुलाई, 1971 को बेचान की गई थी? यदि हां, तो बेचान की रजिस्ट्री की प्रति मय नक्शे के सदन की मेज पर रखें।

(5) "दी राजहंस को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी" को भूमि का बेचान करने के पश्चात् आबंटित पट्टे के अनुसार शेष भूमि कितनी बची? मय नक्शे के विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रश्न में विक्रम संवत् 1917 के रिकार्ड संबंधी जानकारी चाही गई है, जो लगभग 150 साल पुराना है। ऐसा रिकार्ड तहसील कार्यालय जयपुर एवं जिला रिकार्ड रूम में उपलब्ध नहीं है।

(2) प्रश्न में विक्रम संवत् 1917 के रिकार्ड संबंधी जानकारी चाही गई है, जो लगभग 150 साल पुराना है। ऐसा रिकार्ड तहसील कार्यालय जयपुर एवं जिला रिकार्ड रूप में उपलब्ध नहीं है।

(3) ऐसा रिकार्ड तहसील कार्यालय जयपुर एवं जिला रिकार्ड रूम में उपलब्ध नहीं है।

(4) जी हां। यह सही है कि श्री देवनारायण पुत्र श्री दुर्गाबक्श जी जाति ब्राह्मण निवासी बगरू वालों का रास्ता, जयपुर से भूमि खसरा नम्बर 92/125 जिसका खसरा नम्बर 104, 105, 106 कुल रकबा 13 बिस्वा में से कुए व मंदिर की भूमि को छोड़कर 11 बिस्वा भूमि "दी राजहंस को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि." जयपुर द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 04.09.1971 को क्रय की, जिसका पंजीयन उप पंजीयक जयपुर के समक्ष करवाया गया। जिसका पंजीयन क्रमांक 2501 बुक नम्बर-1 वाल्युम नम्बर 351/ए पेज नम्बर 115 से 118 पर पंजीकृत किया गया।

संलग्न : रजिस्ट्री परिशिष्ट-1 एवं नक्शा प्रति परिशिष्ट-2 पर है।

(5) जी हां। समिति के विक्रय पत्र में केवल क्रय किये गये हिस्से का उल्लेख है, जो 11 बिस्वा का है, शेष दो बिस्वा खातेदार के पास होना स्पष्ट है। समिति ने उक्त 11 बिस्वा को क्रय किया जाकर समिति सदस्यों को भूखण्ड आबंटन किये गये थे, उक्त 11 बिस्वा भूमि में से कोई भूमि शेष नहीं है।

(राजस्व मंत्री)

योजना ब्रह्मपुरी-11 के नक्शे में छोड़े गये 2 बिस्वा भूमि जिसमें मंदिर व कुआ, कमरा स्थित है, को संलग्न नक्शे में पीले रंग से दिखाया गया है। इसका स्वामित्व खातेदार स्वयं का ही है। उक्त समिति आवासीय योजना जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा नियमन किया जाकर निहित की जा चुकी है। जो परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-160 की प्रति)

कार्यालय सहायक अभियन्ता जल संसाधन उप खण्ड अलवर

क्रमांक :Spc-1 दिनांक : 4.2.2012

जांच प्रतिवेदन

अधिशासी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड अलवर के पत्रांक 6417-19 दिनांक 24.1.2012 द्वारा निर्देशित प्रकरण की संयुक्त जांच निम्न हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 4.2.2012 को घाट नहर पर जाकर की गई एवं पाया कि घाट नहर के निर्माण कार्य के दौरान चार पेड़ सूखे कीकर के नहर के मध्य में खड़े हुये थे जिन्हें सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता के निर्देशानुसार नहर से हटवाया गया है एवं इन सूखे पेड़ों को सुरक्षित कार्य स्थल के स्टोर के पास रखवा दिया गया है। कोई भी पेड़ सहायक अभियन्ता श्री रामप्रसाद जाटव व कनिष्ठ अभियन्ता श्री विजय शर्मा द्वारा नहीं बेचा गया है एवं नियमानुसार इन पेड़ों की नीलामी की कार्यवाही की जा रही है।

अत: शिकायत निराधार एवं बेबुनियाद है।

ह./-	**ह./-**
(सहायक अभियन्ता)	**(सहायक अभियन्ता)**
जल संसाधन उप खण्ड, कोटकासिम	**जल संसाधन उप खण्ड अलवर**